

Ref:BD/NSE/2026-27/Q2/33

Date: July 23, 2026

लिस्टिंग विभाग नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400 051.	The Listing Department National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Bandra (E), Mumbai – 400 051.

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।**Sub: Submission of Annual Report of Export-Import Bank of India for the FY 2025-26**प्रिय महोदय/ महोदया,
Dear Madam/Sir,

कृपया सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 53(2) का संदर्भ लीजिए। इस संबंध में, इसके साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक की वार्षिक रिपोर्ट कृपया संलग्न है।	May we refer to Regulation 53(2) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. In this regard, we are enclosing herewith the Annual Report of Export-Import Bank of India for the FY 2025-26.
यह आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए है।	This is for your kind information and records.

भवदीय / Yours faithfully,

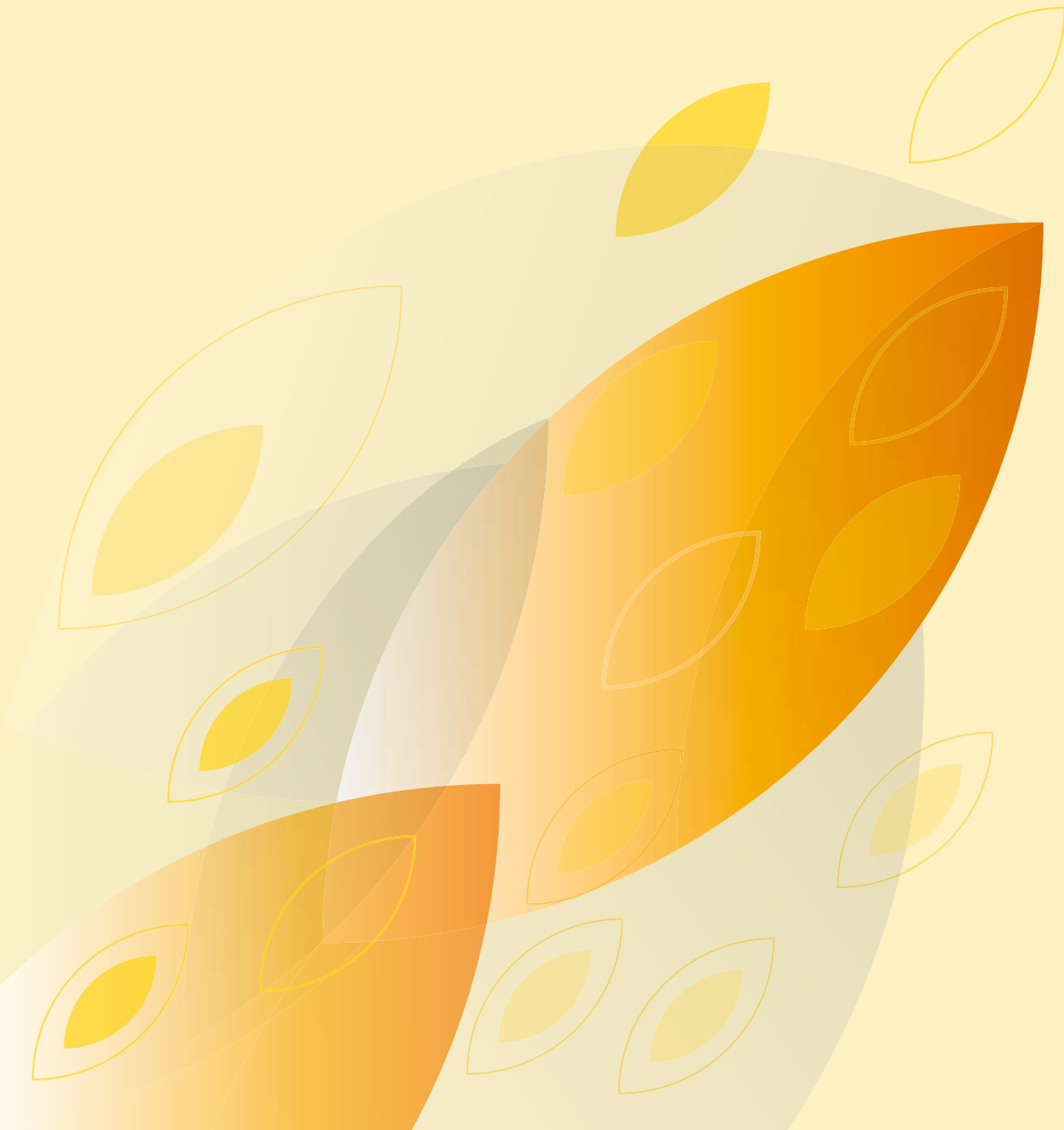
कृते भारतीय निर्यात-आयात बैंक
For Export-Import Bank of IndiaSIDDHI
SHASHANK
KELUSKARDigitally signed by SIDDHI
SHASHANK KELUSKAR
Date: 2026.07.23 12:24:07
+05'30'(सिद्धी केलुसकर/ Siddhi Keluskar)
अनुपालन अधिकारी / Compliance Officer

संलग्नक: यथोक्त / Enclosures: as above



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT

2025-26



रिपोर्ट

01 परिचालन परिदृश्य



हमारे बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया लॉग ऑन कीजिए

To know more about us, log on to www.eximbankindia.in

- 2 वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना
- 6 निदेशक मंडल
- 8 प्रबंध निदेशक का वक्तव्य
- 13 वित्तीय कार्य निष्पादन
- 15 हमारा प्रबंधन
- 16 मैक्रो-आर्थिक परिवेश और व्यापार
- 22 निदेशकों की रिपोर्ट
- 26 निर्यात स्पर्धात्मकता का विकास
- 31 निर्यात वित्तपोषण
- 35 संपोषी प्रभाव के लिए सरकारों के साथ सहभागिता
- 37 निर्यात के जरिए एमएसएमई को सुदृढ़ बनाना
- 49 संवर्धन और विकास भूमिका
- 57 मानव पूंजी
- 61 संस्थागत अवसंरचना
- 65 संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियां

के अंदर

02 सांविधिक रिपोर्टें

67 कॉर्पोरेट गवर्नैस रिपोर्ट

03 वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण

105 स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
110 तुलन पत्र
111 लाभ एवं हानि लेखा
112 तुलन पत्र की अनुसूचियां
115 नकदी प्रवाह विवरण

समेकित वित्तीय विवरण

155 स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट
160 तुलन पत्र
161 लाभ एवं हानि लेखा
162 तुलन पत्र की अनुसूचियां
165 नकदी प्रवाह विवरण

निर्यात विकास कोष

225 निदेशकों की रिपोर्ट
226 वित्तीय विवरण

प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर: व्यापार भू-राजनीति और रणनीतिक साझेदारी

आज का वैश्विक व्यापार परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। शक्ति संतुलन में बदलाव हो रहे हैं। आपूर्ति शृंखला नए सिरे से आकार ले रही है। प्रौद्योगिकीय परिदृश्य में रूपांतरकारी बदलाव आ रहे हैं। रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। यह वैश्विक व्यापार का एक नया दौर है। पहले जहां कीमते और बाजार तक पहुंच मुख्य पहलू हुआ करते थे, वहीं अब भू-राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता जैसे कारक व्यापार की दिशा तय कर रहे हैं।

इस बदलते परिदृश्य में, इस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की थीम, "प्रतिस्पर्धा से सहयोग की ओर" विशेष महत्व रखती है। यह समय की मांग भी है और अवसर भी और रेखांकित करती है कि भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में क्षमता विकास अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे वैश्विक परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढाल सकें और नए अवसरों का लाभ उठा सकें। सरकारें और व्यवसाय भी समय की मांग को समझ रहे हैं कि सतत विकास के लिए रणनीतिक भागीदारी जरूरी हो गई है। चाहे वह व्यापार करारों के जरिए हो, सीमा-पार निवेश के जरिए या ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग के रूप में। सहयोग से न केवल जोखिम साझा किए जा

सकते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा मिलता है, अर्थव्यवस्थाओं को अनिश्चितताओं के बीच भी स्थिरता और दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित सुरक्षित बनाए रखने में मदद मिलती है।

आज जब वैश्विक व्यापार की दिशा व्यापार भू-राजनीति से प्रभावित हो रही है, ऐसे में रणनीतिक भागीदारी आर्थिक कूटनीति का आधार बनती जा रही है। परस्पर लाभ और समान उद्देश्य पर आधारित साझेदारियां, चुनौतियों को अवसरों में बदल सकती हैं और स्थिर तथा समावेशी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

भारतीय निर्यातक भी नए बाजारों में कदम रखने, मूल्य शृंखला में आगे बढ़ने, उत्पादन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग

करने और न्यून-कार्बन उत्सर्जन की दिशा में सक्रिय प्रयास कर रहे हैं। इन प्रयासों को सहायता देने के लिए, वर्ष के दौरान बैंक ने निर्यात वित्त तक पहुंच बढ़ाने, निर्यात क्षमता विकास, संपोषी वित्त को बढ़ावा देने और एमएसएमई एवं ग्रासरूट उद्यमों को सशक्त बनाने की दिशा में कई पहलें कीं। साथ ही, निर्यातकों को बाजारों और उत्पादों के विविधीकरण के प्रयासों में सहयोग किया है, ताकि निर्यातकों को वैश्विक मूल्य शृंखला से जुड़ने और बदलते व्यापार भू-राजनीतिक परिदृश्यों के अनुरूप रणनीति बनाने में मदद मिल सके। इस रिपोर्ट में भारत की वैश्विक सहभागिता को आगे बढ़ाने और विकास भागीदारियों में सार्थक योगदान देने के बैंक के इन प्रयासों को रेखांकित किया गया है।



विज़न

भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण और सहभागी देशों के विकास में सहयोग करना।



मिशन

भारतीय व्यापार और निवेश को सुगम बनाना और वित्तीय, सामाजिक तथा पर्यावरणीय रूप से सजग संस्था के रूप में सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं में सहयोग प्रदान करना।



100%

भारत सरकार का स्वामित्व



40+

वर्षों से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश का सुगमीकरण, वित्तपोषण और संवर्धन



पॉलिसी बैंक

सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहायता और शोध कार्यों के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण में सहयोग



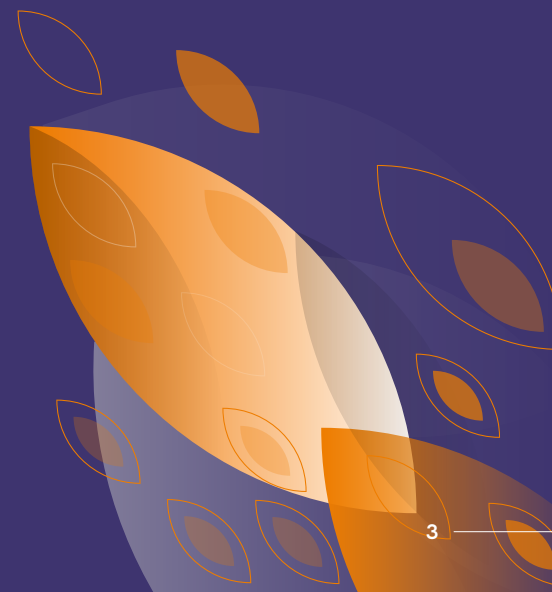
सुदृढ़ विनियामकीय पूंजी

स्थिति, गत कई वर्षों से



निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा संप्रभु रेटिंग के समान रेटिंग



वैश्विक अवसरों को भुनाने के लिए भारतीय कंपनियों को सशक्त बनाना बढ़ती वैश्विक मौजूदगी

निम्नलिखित के माध्यम से विभिन्न
भौगोलिक क्षेत्रों में एक्जिम बैंक की उपस्थिति:

- विदेशी निवेश वित्त
- वाणिज्यिक क्रेता ऋण
- एनईआईए के अंतर्गत क्रेता ऋण
- ऋण-व्यवस्थाएं
- गारंटियां
- व्यापार सहायता कार्यक्रम
- मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं



यह नक्शा केवल सांकेतिक उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया है।

यथा 31 मार्च, 2026 को

निदेशक मंडल

भारत सरकार का प्रतिनिधित्व
करने वाले निदेशक



श्री सुधाकर दलेला
सचिव (आर्थिक संबंध)
विदेश मंत्रालय



श्री सुचीन्द्र मिश्र
विशेष सचिव
वाणिज्य विभाग
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय



सुश्री हिमानी पांडे
अपर सचिव
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार
विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय



डॉ. अभिजीत फुकन
आर्थिक सलाहकार
वित्तीय सेवाएं विभाग
वित्त मंत्रालय



सुश्री साक्षी मित्तल
संयुक्त सचिव,
आर्थिक कार्य विभाग
वित्त मंत्रालय

संस्थानों और वाणिज्यिक
बैंकों से निदेशक



श्री अर्णब कुमार चौधरी
कार्यपालक निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक



श्री राकेश शर्मा
प्रबंध निदेशक और सीईओ
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड



श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईसीजीसी लिमिटेड



श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी

अध्यक्ष
भारतीय स्टेट बैंक



श्री अश्वनी कुमार

प्रबंध निदेशक और सीईओ
यूको बैंक



श्री रजनीश कर्नाटक

प्रबंध निदेशक और सीईओ
बैंक ऑफ इंडिया

पूर्णकालिक निदेशक



सुश्री हर्षा बंगारी

प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक



श्री तरुण शर्मा

उप प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक



सुश्री दीपाली अग्रवाल

उप प्रबंध निदेशक
भारतीय निर्यात-आयात बैंक

प्रबंध निदेशक का वक्तव्य



वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और जटिलताओं के बीच एक्जिम बैंक जैसी विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। बैंक ऐसे समय में आने वाली चुनौतियों का सक्रियता से सामना करते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहयोग प्रदान करने, नवोन्मेषी उत्पाद विकसित करने, अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने तथा उदीयमान क्षेत्रों पर विशेष फोकस बनाए रखने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।



हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही है और मजबूत मैक्रोइकॉनॉमिक आधार, निरंतर संरचनात्मक सुधारों, सहयोगात्मक नीतिगत उपायों तथा अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के चलते विकास दर अच्छी रही है। वर्ष 2025-26 के दौरान, भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.6 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई। यह वृद्धि मुख्यतः निजी उपभोग के सुदृढ़ रहने और निजी क्षेत्र के निवेशों में फिर से गति आने के चलते रही। वर्ष के दौरान, ऋण वृद्धि में भी सुधार हुआ, जिससे आर्थिक गतिविधियों को आवश्यक सहयोग मिला।

घरेलू अर्थव्यवस्था जहां सुदृढ़ बनी रही, वहीं बाह्य क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की

गई। वर्ष 2025-26 भारत के निर्यात क्षेत्र के लिए एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि का वर्ष रहा। इस दौरान वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल निर्यात बढ़कर 863 बिलियन यूएस डॉलर के अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया। यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्चतर शुल्कों तथा व्यापार व्यवधानों के कारण वस्तु निर्यात वृद्धि अपेक्षाकृत सीमित रही, तथापि सेवा निर्यातों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और समग्र निर्यात निष्पादन बेहतर रहा। वर्ष के दौरान भारत द्वारा बाजार पहुंच बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न व्यापार करारों से विविधीकरण के प्रयासों को भी गति मिली।

वर्ष के दौरान व्यापार में आई चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने निर्यातकों

को सहयोग प्रदान करने तथा आपूर्ति शृंखला संबंधी व्यवधानों के प्रभाव को कम करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें निर्यातकों को कोलैटरल मुक्त ऋण सहायता उपलब्ध कराने हेतु "निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना" तथा भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ बनाने और निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से "निर्यात प्रोत्साहन मिशन" जैसी पहलें शामिल हैं। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सहायता प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में, एक्जिम बैंक निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने, निर्यात क्षमताओं का सृजन करने तथा व्यापार वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है।

वित्तीय एवं व्यावसायिक निष्पादन

वैश्विक व्यापार में बढ़ती अनिश्चितताओं और जटिलताओं के बीच एक्जिम बैंक जैसी विकास वित्त संस्थाओं की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। यह विशेष रूप से निर्यात इकोसिस्टम में कमजोर क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने में हुई है। आर्थिक गतिविधियों तथा रोजगार सृजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई), बाजार पहुंच संबंधी अवरोधों और आपूर्ति शृंखला में व्यवधानों से प्रभावित हुए हैं। इसके समाधान स्वरूप, बैंक ने अभिनव वित्तपोषण तंत्रों और लक्षित पहलों के जरिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए मार्केटिंग एवं वित्तपोषण संबंधी अंतर को कम करने पर विशेष फोकस किया है। बैंक ने अपने भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने तथा उभरते क्षेत्रों पर फोकस किया है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने देश से निर्यातों को बढ़ावा देने एवं निर्यात क्षमताएं बढ़ाने हेतु सहयोग और बढ़ाया है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक का निवल ऋण पोर्टफोलियो बढ़कर ₹ 2,078 बिलियन का हो गया, जिसमें वर्ष के दौरान 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विशेष रूप से, बैंक के कॉर्पोरेट ऋण में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि मुख्य रूप से स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा, ऑटोमोटिव, पूंजीगत वस्तुओं तथा फार्मासूटिकल जैसे उच्च मूल्यवर्धित और प्रौद्योगिकी-प्रधान क्षेत्रों को दिए सहयोग के परिणामस्वरूप रही। हालांकि, बैंक के गैर निधिक पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत की मामूली गिरावट दर्ज की गई, तथापि यथा 31 मार्च, 2026 को यह ₹ 165.1 बिलियन के स्तर पर बना रहा। इसमें मुख्य रूप से परियोजना-संबंधी गारंटियां शामिल हैं। यह गिरावट मुख्य रूप से बहुपक्षीय संस्थाओं द्वारा निधिक परियोजनाओं में परियोजना निर्यात अवसरों के सीमित रहने तथा मार्च 2026 में परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आए व्यवधानों के चलते रही। इन चुनौतियों के बावजूद बैंक ने परियोजना निर्यातों के विविधीकरण को बढ़ावा देना जारी

रखा और तुर्कमेनिस्तान, चिली तथा बोलिविया सहित अनेक नए भौगोलिक क्षेत्रों में गारंटियां प्रदान की। यह भारतीय निर्यातकों की बढ़ती जोखिम वहन क्षमता और पारंपरिक बाजारों में मौजूद चुनौतियों के बीच नए भौगोलिक क्षेत्रों में निर्यात का विविधीकरण करने की उनकी तत्परता को दर्शाता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं को बढ़ाने तथा सहभागी देशों की विकास प्राथमिकताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए कुल ₹ 1,558 बिलियन की ऋण सुविधाएं अनुमोदित कीं।

पिछले कई वर्षों के अनुरूप, बैंक के कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो की आस्ति गुणवत्ता सुदृढ़ बनी रही। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के सकल एनपीए कुल ऋणों एवं अग्रिमों के मात्र 0.57 प्रतिशत रह गए, जो पिछले 20 से अधिक वर्षों में सबसे न्यून स्तर है। इसी प्रकार, यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के निवल एनपीए घटकर निवल ऋणों एवं अग्रिमों (प्रावधानों को घटाकर) के केवल 0.01 प्रतिशत पर आ गए और प्रावधान कवरेज अनुपात 99.85 प्रतिशत रहा। बैंक ने अपनी लाभप्रदता में भी रिकॉर्ड बनाए रखा। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर-पश्चात लाभ (पीएटी) में 32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त, बैंक का पूंजी पर्याप्तता बढ़कर 26.39 प्रतिशत हो गया, जो भविष्य में वृद्धि संबंधी अवसरों का लाभ उठाने में मददगार है।

यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के कुल संसाधनों में बाजार उधारियों की हिस्सेदारी 87 प्रतिशत रही। वर्ष के दौरान, बैंक ने 144ए/रेग एस फॉर्मेट में 1 बिलियन यूएस डॉलर के डुअल ट्रांच बॉन्ड जारी किए। यह 10 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि में किसी भी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा सार्वजनिक यूएस डॉलर बॉन्ड बाजारों में यूएस ट्रेजरी पर न्यूनतम स्प्रेड वाला बॉन्ड रहा। उल्लेखनीय है कि यह किसी भारतीय बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में जारी पहला 30 वर्षीय यूएस डॉलर बॉन्ड

रहा। इससे वैश्विक पूंजी बाजार में इस क्षेत्र के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित हुआ है।

निर्यात क्षमताओं का सृजन एवं स्पर्धात्मकता में वृद्धि

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताएं बढ़ाने, उनकी निर्यात स्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने तथा उनके वैश्वीकरण प्रयासों को सहयोग प्रदान करने के लिए कुल ₹ 1,509 बिलियन की ऋण सुविधाएं अनुमोदित कीं।

निर्यात ऋण एजेंसी के रूप में, मध्यम एवं दीर्घावधि निर्यात वित्तपोषण उपलब्ध कराने में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इस प्रकार भारत के निर्यातों को अधिक विविध बनाने करने में सहायता मिली। बैंक के निवल ऋण पोर्टफोलियो में मध्यम एवं दीर्घावधि ऋणों की हिस्सेदारी बढ़कर 77 प्रतिशत हो गई, जो परियोजना निर्यातों पर इसके फोकस को दर्शाता है। बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 49 देशों में कुल 142 परियोजना निर्यात कॉन्ट्रैक्टों को ₹ 696 बिलियन की सहायता प्रदान की।

निर्यात वृद्धि के लिए वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने में भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बैंक इन कंपनियों को उनके विदेशी निवेशों में भी सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके लिए बैंक अपने एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए इक्विटी, वित्त, ऋण, गारंटी तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष के दौरान भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेशों के लिए मंजूर ऋण सुविधाएं दोगुनी हो गईं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यथा 31 मार्च, 2026 को इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक का संचयी सहयोग बढ़कर ₹ 877 बिलियन का हो गया। इस सहयोग के जरिए टेक्सटाइल, फार्मासूटिकल्स, इंजीनियरिंग वस्तुएं, रसायन आदि जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ-साथ संपोषी समाधानों और एयरक्राफ्ट लीजिंग जैसे नए और उभरते क्षेत्रों में 541 भारतीय कंपनियों द्वारा 80 देशों में कुल 743 उद्यमों की स्थापना को सुगम बनाया गया।

मध्यम-अवधि व्यवसाय रणनीति के अनुरूप, वर्ष के दौरान बैंक की वित्तपोषण गतिविधियों में ग्रीन एवं सस्टेनेबिलिटी प्रयासों को भी गति मिली। बैंक ने सौर एवं पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण प्रणालियां, संपोषी पैकेजिंग तथा संपोषी कृषि जैसे विविध संपोषी क्षेत्रों के उधारकर्ताओं को कुल ₹ 126 बिलियन की सहायता अनुमोदित की।

विकासशील सहभागी देशों में संपोषी विकास को बढ़ावा

भारत सरकार के निर्देश पर भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली ऋण-व्यवस्थाओं (एलओसी) के माध्यम से बैंक ने सहभागी देशों में अनेक विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान किया है। यथा 31 मार्च, 2026 को 63 देशों में बैंक का 307 ऋण-व्यवस्थाओं का पोर्टफोलियो रहा, जिनके अंतर्गत कुल 27 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धता रही। भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने तथा सीमा-पार लेनदेन में इसकी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैंक ने मालदीव सरकार को भारतीय रुपया-मूल्यवर्ग में ₹ 4,850 करोड़ की पहली ऋण-व्यवस्था प्रदान की।

ऋण-व्यवस्था कार्यक्रम के जरिए सहभागी देशों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के साथ-साथ भारतीय कंपनियों के लिए नए बाजारों और व्यापार अवसरों तक पहुंच को भी सुगम बनाया है। यथा तिथि इन ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत लगभग 17 बिलियन यूएस डॉलर के 970 कॉन्ट्रैक्ट कवर किए जा चुके हैं। इससे 300 से अधिक भारतीय कंपनियों के लिए अवसर सृजित हुए हैं तथा बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम लाभान्वित हुए हैं। ऋण-व्यवस्था परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्राप्त अनुभव से भारतीय कंपनियों की स्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। परिणामस्वरूप, विभिन्न देशों की सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं, निजी

निवेशकों तथा विकास वित्त संस्थाओं द्वारा निधिक परियोजनाओं में बोली में भारतीय कंपनियों की सफलता भी बढ़ी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की निर्यात क्षमता को सशक्त बनाना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के निर्यात इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। देश के कुल वस्तु निर्यातों में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग आधी है। बैंक अपने 'उभरते सितारे कार्यक्रम' के अंतर्गत विशिष्ट तकनीक, उत्पाद या प्रक्रियाओं वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण, इक्विटी तथा तकनीकी सहायता के माध्यम से सहयोग प्रदान करता है। वर्ष 2020 के केंद्रीय बजट में इस कार्यक्रम की घोषणा के बाद से बैंक द्वारा इसके अंतर्गत 106 से अधिक इकाइयों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इनमें कई कंपनियां रक्षा, एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, उन्नत विनिर्माण तथा स्वच्छ ऊर्जा जैसे राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों की हैं। बैंक ने कई कंपनियों को वैश्विक स्तर पर पहुंचने में सहयोग प्रदान किया है। इसके अंतर्गत पुर्जों के विनिर्माण से सिस्टम-स्तरीय एकीकरण, घरेलू बाजार तक सीमित भागीदारी से निर्यात-आधारित विस्तार और प्रौद्योगिकी अपनाने से लेकर प्रॉप्राइटी प्लेटफॉर्म विकसित करने तक उनके ट्रांजिशन में मदद की है।

बैंक के नए व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) को भी गति मिल रही है। इसके जरिए बैंक भारतीय कंपनियों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र, को नए और उभरते बाजारों में निर्यात विविधीकरण के लिए सहयोग प्रदान कर रहा है। नए तथा अपेक्षाकृत उच्च जोखिम वाले बाजारों में निर्यातों का एक बड़ा हिस्सा बैंक-इंटरमीडिएटरी ट्रेड फायनैंस इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर करता है, जिसके लिए विभिन्न देशों के बैंकों के बीच प्रभावी संपर्क जरूरी होता है। टैप के अंतर्गत बैंक सहभागी देशों के स्थानीय बैंकों और भारत के बैंकों के बीच एक प्रभावी सेतु के रूप में काम करता है और इस प्रकार व्यापार वित्त की उपलब्धता बढ़ाता है। वर्ष 2022 में शुरू किए गए इस

कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक 160 से अधिक विदेशी बैंकों के साथ भागीदारी कर चुका है। अब तक बैंक द्वारा टैप के अंतर्गत 60 से अधिक देशों में 2,500 से ज्यादा निर्यात ट्रांजैक्शनों को सहयोग प्रदान किया जा चुका है। इससे भारत के 22 राज्यों के 60 शहरों में स्थित 240 से अधिक निर्यातकों द्वारा लगभग 3.9 बिलियन यूएस डॉलर के अतिरिक्त निर्यात संभव हुए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त लगभग 30 प्रतिशत कंपनियां एमएसएमई क्षेत्र से ही संबंधित हैं।

बैंक निर्यात फैक्ट्रिंग जैसी वैकल्पिक व्यापार वित्त व्यवस्थाओं के विकास को भी प्रोत्साहित कर रहा है। गिफ्ट सिटी, भारत में स्थित बैंक की सहायक कंपनी, इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्जिम फिनसर्व) जोखिम रहित (नॉन-रिकोर्स) / सीमित जोखिम (लिमिटेड रिकोर्स) आधारित निर्यात फैक्ट्रिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह व्यवस्था विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप प्राप्य राशि (रिसीवेबल्स) के प्रभावी प्रबंधन एवं वित्तपोषण में सहायक है। यथा 31 मार्च, 2026 को एक्जिम फिनसर्व ने कुल 37 मिलियन यूएस डॉलर की प्रतिबद्धताओं के साथ 2,350 ट्रांजैक्शनों को सहयोग प्रदान किया है। एक्जिम फिनसर्व द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियों में लगभग 58 प्रतिशत एमएसएमई क्षेत्र से हैं। वर्ष के दौरान एक्जिम फिनसर्व को ओपन अकाउंट घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ट्रेड रिसीवेबल्स की फैक्ट्रिंग और वित्तपोषण से जुड़ी वैश्विक संस्था एफसीआई द्वारा शीर्ष तीन श्रेणियों में से एक 'बेस्ट डील्स ऑफ द ईयर' श्रेणी में सम्मानित किया गया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एमएसएमई क्षेत्र को सहयोग बढ़ाने के लिए अलग से एक समूह बनाया। इस पहल के अंतर्गत एक बड़े तथा भौगोलिक रूप से विविधीकृत एमएसएम ई ऋण पोर्टफोलियो बनाने, उभरते एवं उच्च संभावनाओं वाले निर्यात क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने, उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी में क्लस्टर-आधारित संपर्क

कार्यक्रम करने तथा प्रौद्योगिकी के जरिए एमएसएमई क्षेत्र तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

समावेशी विकास को सहयोग

भारत से निर्यातों को बढ़ावा देने के क्रम में बैंक का सहयोग केवल बड़ी कंपनियों और एमएसएमई क्षेत्र ही तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक देश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित ग्रासरूट उद्यमों को भी सहयोग प्रदान करता है। अपने ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक ने वर्ष 2025-26 के दौरान 12 राज्यों में 12 सहयोग पहले की, जिससे 9,100 से अधिक दस्तकार और किसान लाभान्वित हुए। इन पहलों के विकास प्रभाव का आकलन और सत्यापन करने के लिए बैंक ने छह का प्रभाव मूल्यांकन भी किया।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एक्जिम बाज़ार तथा काला घोड़ा कला महोत्सव जैसे मंचों के जरिए दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों को अधिक विजिबिलिटी और मार्केटिंग के अवसर उपलब्ध कराए। इसके अलावा, बैंक ने अपने मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं (एमएसएस) कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी बाजारों में विभिन्न उत्पादों की बाजार पहुंच बढ़ाने और ऑर्डर दिलवाने में भी सहयोग प्रदान किया। इनमें संयुक्त अरब अमीरात में लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती तौलिये, घी तथा खाद्य तेल, सिंगापुर में गुलाब तथा अफ्रीकी देशों में एफएमसीजी उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में प्रदान किए गए सहयोग शामिल हैं।

बैंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों में भी सक्रिय योगदान दिया। शिक्षा एवं कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा पर्यावरणीय सस्टेनेबिलिटी से संबंधित कार्यक्रमों के जरिए लगभग 56,800 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

शोध गतिविधियों के माध्यम से योगदान

बैंक अपनी शोध पहलों के माध्यम से नीति-निर्माण प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने तथा

व्यवसायों को सहायता करने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों, भारतीय राज्यों की निर्यात संभावनाओं, विभिन्न उद्योग क्षेत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित विषयों पर केंद्रित 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए। इसके अतिरिक्त, बैंक ने मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) की वार्ताओं तथा निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत व्यापार वित्त योजनाओं से संबंधित विषयों पर भारत सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान कर सुविचारित नीति-निर्माण प्रक्रिया में योगदान दिया। एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) मॉडल पर आधारित भारत के तिमाही निर्यात पूर्वानुमान भी सटीक रहे, जिनसे भारत के अल्पावधि निर्यातों से संबंधित विश्वसनीय सूचना स्रोत के रूप में बैंक की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करते हैं।

संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा

बढ़ती वैश्विक परस्पर निर्भरता और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक विकास को गति देने के लिए सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने वर्ष के दौरान विभिन्न हितधारकों के साथ अपनी साझेदारियों को और सुदृढ़ किया तथा संस्थागत सहयोग को नई दिशा दी। इस क्रम में, बैंक ने पहली बार 'निर्यात आधारित वृद्धि से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि' थीम पर ट्रेड कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार की वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी तथा वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव, श्री एम. नागराजू की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कॉन्क्लेव में भारतीय उद्योग जगत, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शिक्षाविदों सहित 200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और भारत के निर्यात परिदृश्य को आकार देने वाले अवसरों एवं चुनौतियों पर सार्थक विचार-विमर्श किया।

वर्ष के दौरान बैंक को एशियाई एक्जिम बैंक फोरम (एईबीएफ) की 30वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी का भी अवसर प्राप्त हुआ। वर्ष 1996, में बैंक द्वारा एईबीएफ को एक पहल के तौर पर शुरू किया गया था। यह धीरे-धीरे एशिया की निर्यात वित्त संस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाले एक मंच के रूप में उभरा है। इस बैठक के जरिए सदस्य संस्थाओं को व्यापार और निवेश के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के उपायों पर अपने अनुभव और विचार साझा करने का अवसर मिला।

संस्थागत क्षमताएं एवं भौगोलिक विस्तार

भारत तथा विभिन्न सहभागी विकासशील देशों में बैंक की पहलों से होने वाले प्रभाव का आधार बैंक के लोगों की क्षमता, समर्पण और प्रतिबद्धता है। बैंक 359 स्टाफ सदस्यों के साथ छोटे स्वरूप वाली संस्था बना रहा, जिन्होंने इस संस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा विकास के इसके मैडेट (अधिदेश) को प्रभावी ढंग से पूरा करने में योगदान दिया। मैं बैंक के स्टाफ के प्रति उनके समर्पण, प्रतिबद्धता और परिश्रम के लिए आभार व्यक्त करती हूं।

मानव संसाधन की इस सुदृढ़ क्षमता के साथ-साथ बैंक ने वर्ष के दौरान अपने प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को भी और सुदृढ़ किया है। इस क्रम में, बैंक ने डिजिटलीकरण, व्यवसाय आसूचना, कार्यप्रवाह स्वचालन, अवसंरचना, नेटवर्क और साइबर सुरक्षा से संबंधित कई नई डिजिटल पहलें लागू की हैं।

निर्यातकों के साथ संपर्क बढ़ाने और नए बाजारों में निर्यात अवसरों को भुनाने के उद्देश्य से बैंक ने अपनी भौगोलिक उपस्थिति भी निरंतर बढ़ाई है। वर्ष के दौरान, बैंक के ट्रेड कॉन्क्लेव के अवसर पर भारत सरकार की माननीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा भारत में लखनऊ और इंदौर, तथा लैटिन अमेरिका में साओ पाउलो स्थित बैंक के नए कार्यालयों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया।

निदेशक मंडल से मार्गदर्शन

बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक अनुभव और विशेषज्ञता रखते हैं तथा बैंक को इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकगण, श्री सुधाकर दलेला, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्री सुचीन्द्र मिश्र, विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; सुश्री हिमानी पांडे, अपर सचिव, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; डॉ. अभिजीत फुकन, आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय; तथा सुश्री साक्षी मित्तल, संयुक्त सचिव (द्विपक्षीय सहयोग), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय शामिल हैं। हम विभिन्न संस्थाओं और वाणिज्यिक बैंकों के निदेशकों की विशेषज्ञता से भी निरंतर लाभान्वित होते रहे हैं। श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक; श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, आईडीबीआई बैंक लि.; श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड; श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; श्री अश्विनी कुमार, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक; तथा श्री रजनीश कर्नाटक, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया के अतिरिक्त, मेरे सहयोगी, बैंक के उप प्रबंध निदेशक, श्री तरुण शर्मा तथा सुश्री दीपाली अग्रवाल भी निदेशक मंडल का हिस्सा हैं।

निदेशक मंडल में कुछ परिवर्तन भी हुए हैं, जो कार्यकाल पूरा होने, पदभार में परिवर्तन होने अथवा सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप हुए हैं। इनमें श्री दम्पू रवि, सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश मंत्रालय; श्री सिद्धार्थ महाजन, संयुक्त

सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (द्विपक्षीय सहयोग), आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय; तथा श्री एम.वी. राव, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। बैंक, निदेशक के रूप में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता है और सदैव उनका ऋणी रहेगा।

आगे की राह

आगे बढ़ते हुए बैंक अपने वाणिज्यिक पोर्टफोलियो का निरंतर विस्तार करने, ऋण गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जोखिम प्रबंधन पर विशेष बल देने, अपनी मजबूत पूंजी स्थिति का उपयोग करते हुए उच्च वृद्धि अवसरों का लाभ उठाने तथा संतुलित विकास रणनीति का अनुसरण करने पर फोकस बनाए रखेगा।

अपनी नीतिगत भूमिका के अंतर्गत बैंक भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत दो नई पहलें भी लागू करेगा। इनमें 'उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता' तथा 'ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता' योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत बैंक वाणिज्यिक बैंकों के पूरक की भूमिका निभाते हुए एमएसएमई निर्यातकों के जोखिम को कम करेगा और उन क्षेत्रों में वित्तपोषण को सुगम बनाएगा, जहां पारंपरिक ऋण अपेक्षाकृत सीमित है। यह सहयोग विशेष रूप से नए, अपेक्षाकृत उपेक्षित या उच्च जोखिम वाले बाजारों को लक्षित करने वाले निर्यातकों या निर्यात के नए माध्यमों का उपयोग करने वाले निर्यातकों के लिए उपयोगी होगा। इन पहलों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा बैंक को 'प्री-शिपमेंट एवं पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना' के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

चूंकि वित्तीय वर्ष 2026-27 बैंक की वर्तमान मध्यम-अवधि व्यवसाय रणनीति का अंतिम वर्ष होगा, इसलिए बैंक वित्तीय वर्ष 2028 से 2032 तक की आगामी पांच-वर्षीय अवधि के लिए अपनी नई रणनीतिक रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। यह बैंक की स्वर्ण जयंती के साथ भी जुड़ी होगी और संस्था की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। ऐसे समय में, जब भारत का निर्यात इकोसिस्टम विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक बाजारों में तेजी से विकसित हो रहा है, बैंक अपनी रणनीतियों को इस क्षेत्र की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

हाल के वर्षों में भारत की निर्यात वृद्धि सुदृढ़ रही है और इसमें विविधीकरण एवं नवाचार की अहम भूमिका रही है। सॉफ्टवेयर सेवाओं से लेकर उन्नत विनिर्माण तक, नवोद्यमों से लेकर वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित कंपनियों तक, तथा संपोषी समाधानों से लेकर पारंपरिक उद्योगों तक, भारत के निर्यात उल्लेखनीय गति से बढ़े हैं। एक्जिम बैंक इस यात्रा में भारतीय कंपनियों का विश्वसनीय साझेदार बने रहने तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ बनाने के प्रयासों में सार्थक योगदान देने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। बैंक भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन सहित निर्यात प्रोत्साहन पहलों के अनुरूप इस दिशा में प्रयास करना जारी रखेगा।

हर्षा बंगारी

हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

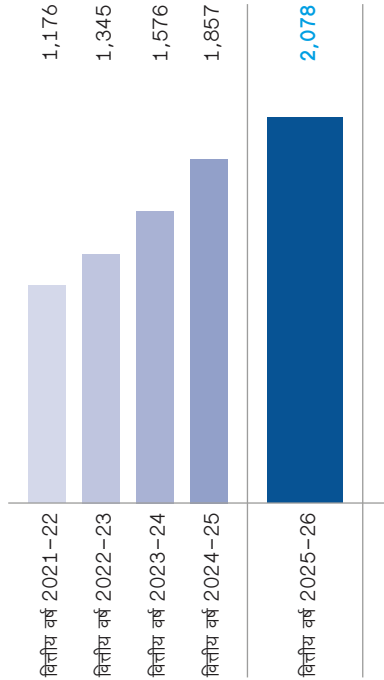
वित्तीय कार्य निष्पादन

(संबंधित वित्तीय वर्ष में यथा 31 मार्च को)



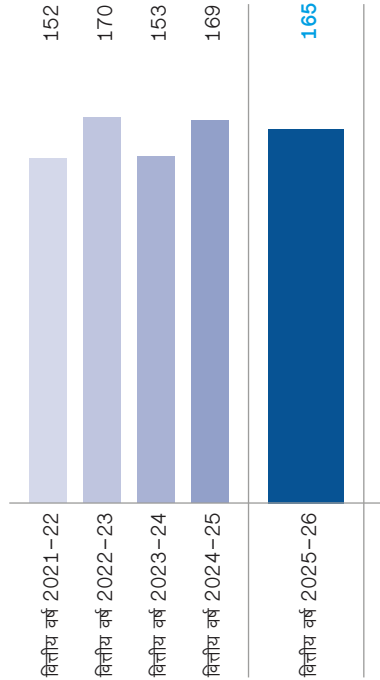
निवल ऋण पोर्टफोलियो (क)

(₹ बिलियन में)



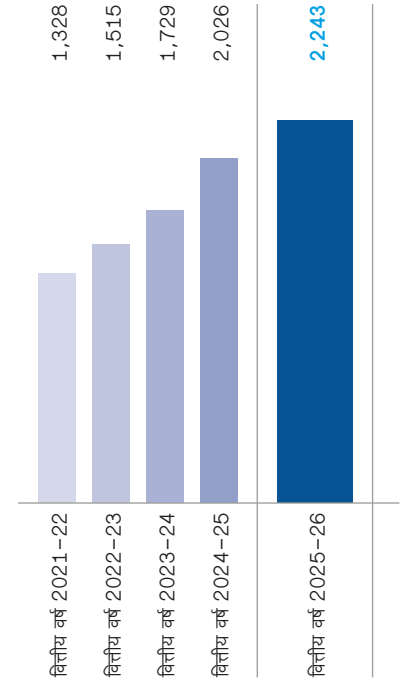
गैर-निधिक पोर्टफोलियो (ख)

(₹ बिलियन में)



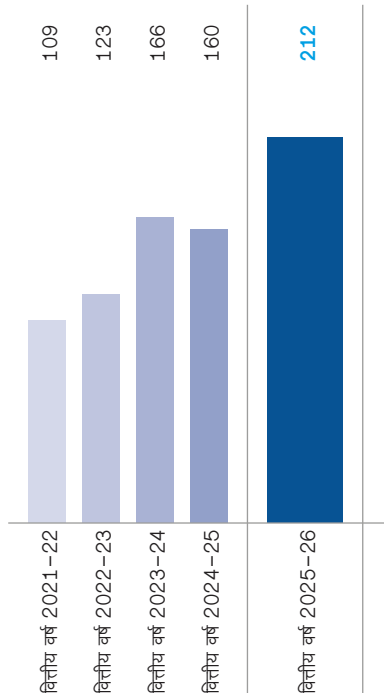
ग्राहक आस्ति पोर्टफोलियो (ग=क+ख)

(₹ बिलियन में)



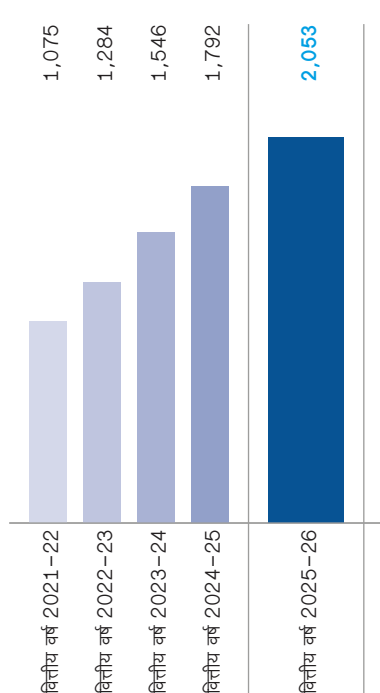
निवल निवेश (घ)

(₹ बिलियन में)



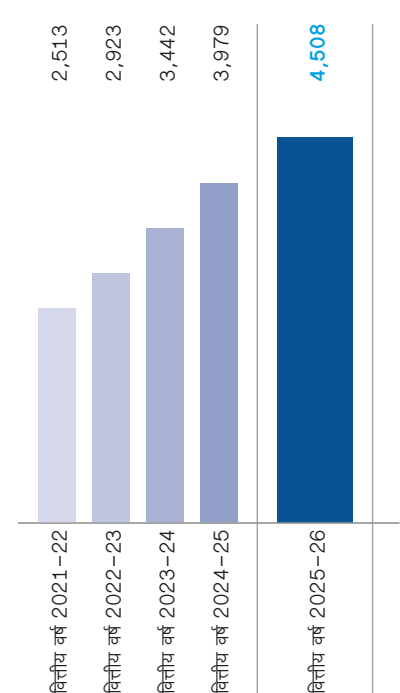
कुल उधारियां (ङ)

(₹ बिलियन में)



कुल व्यवसाय (ग+घ+ङ)

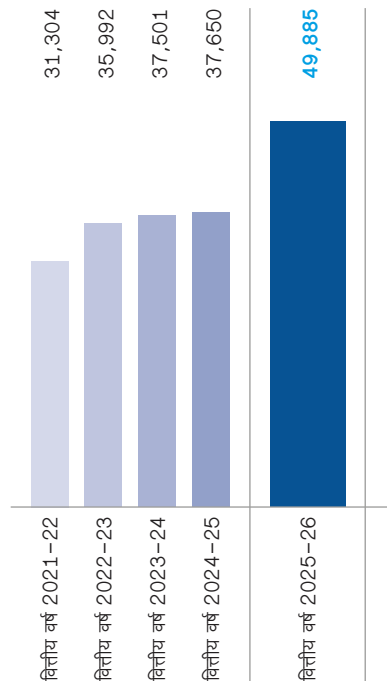
(₹ बिलियन में)





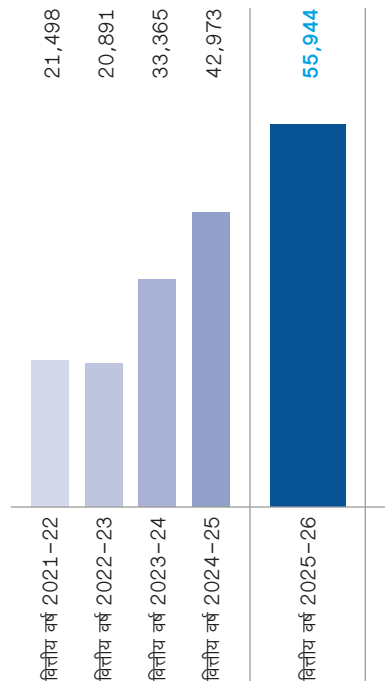
परिचालन लाभ

(₹ मिलियन में)



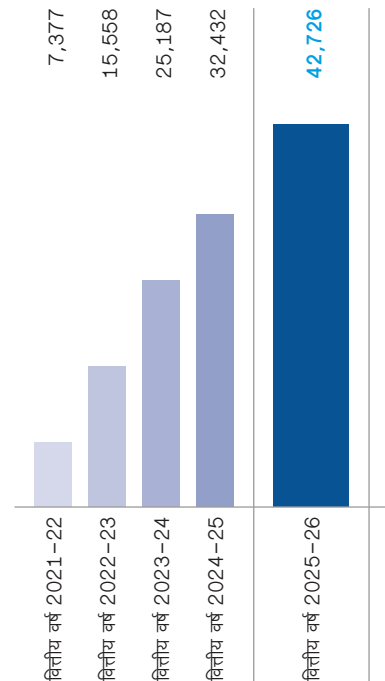
कर पूर्व लाभ

(₹ मिलियन में)



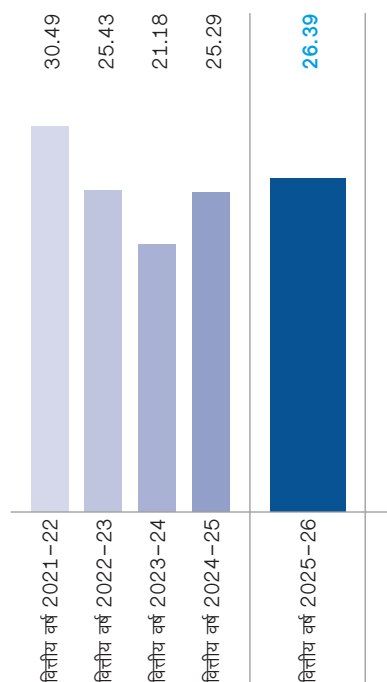
कर पश्चात लाभ

(₹ मिलियन में)



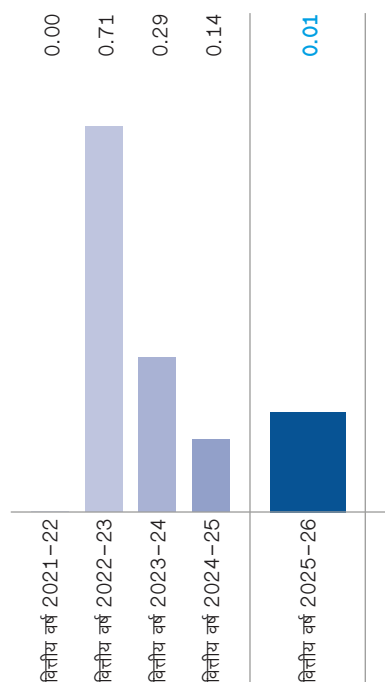
जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात

(% में)



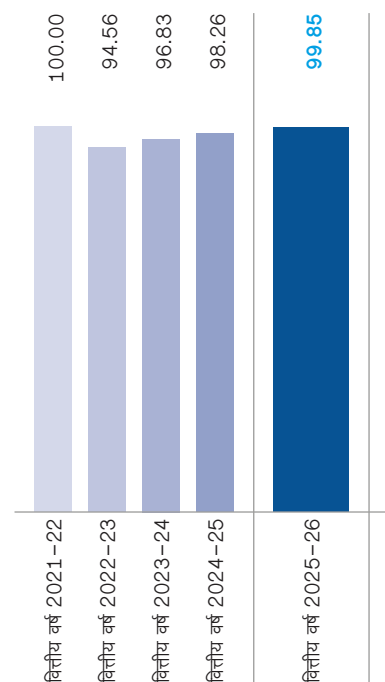
निवल अनर्जक आस्तियां

(% में)



प्रावधान कवरेज अनुपात

(% में)



हमारा प्रबंधन

पूर्णकालिक निदेशक



हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक



तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक



दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक



मुकुल सरकार
जोखिम प्रबंधन



रीमा मारफतिया
आंतरिक लेखा परीक्षा



मंजिरी भालेराव
बोर्ड सचिवालय
अनुपालन और सस्टेनेबिलिटी



गौरव भंडारी
अंतरराष्ट्रीय संबंध
शोध एवं विश्लेषण



विक्रमादित्य उगरा
ऋण-व्यवस्थाएं



लोकेश कुमार
ऋण परिचालन और
निगरानी-।



रिकेश चंद
बीसी-एनआईए और ऋण
मूल्यांकन



मीना वर्मा
ऋण परिचालन और
निगरानी-।



टी.डी. सिवाकुमार
अवसंरचना और
सरकारी कार्य प्रकोष्ठ



निर्मित वेद
व्यापार सुगमीकरण



धर्मेन्द्र सचान
कॉर्पोरेट संचार, ग्रासरूट उद्यम
विकास, ज्ञान केंद्र, मार्केटिंग
सलाहकारी सेवाएं



सुजीत भाले
अनुपालन



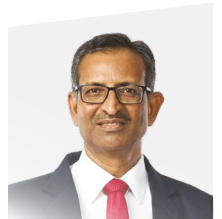
शिल्पा वाघमारे
विशेष परिस्थिति



उदय शिंदे
मानव संसाधन प्रबंधन



प्रीति थॉमस
विधिक



मनीष जोशी
ऋण परिचालन और
निगरानी-।

महाप्रबंधक



अम्बरीश भंडारी
ऋण मूल्यांकन



नवेन्दु वाजपेयी
राजभाषा एवं प्रशासन



बख्तावर पटेल
ट्रेजरी एवं लेखा
और एमआईएस



तृप्ति म्हात्रे
ऋण परिचालन और
निगरानी-।



शैलेश प्रसाद
संपोषी उद्यम एवं
निर्यात विकास



अशोक कुमार बर्तिया
(लंदन शाखा)



दीपक भाटिया
डिजिटल और प्रौद्योगिकी



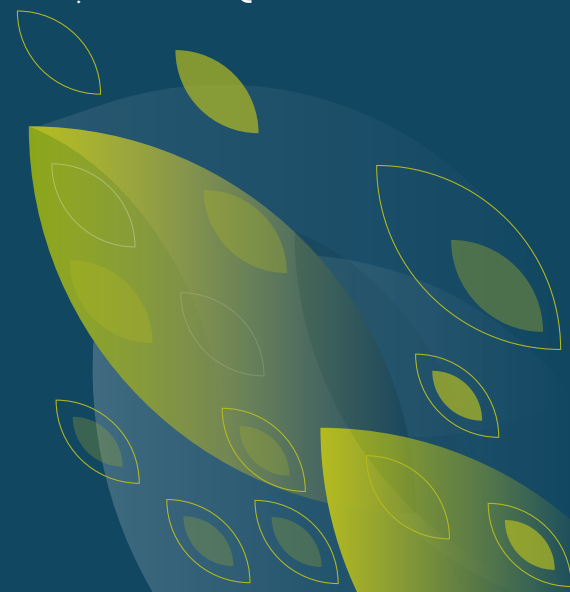
योगिता हतगंडी
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

यथा 8 मई, 2026 को

मैक्रो-आर्थिक परिवेश और व्यापार चुनौतियां, रुझान और संभावनाएं

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार नीतियों से जुड़ी अनिश्चतताओं और भौगोलिक-आर्थिक उथल-पुथल के बीच वृद्धि जारी रही। व्यापार नीति में परिवर्तन, टैरिफ संघर्ष और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कारकों से परिवेश चुनौतीपूर्ण रहा। इसके बावजूद, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सुदृढ़ वृद्धि के चलते वैश्विक आर्थिक विकास को गति मिली।

इस दौरान, रणनीतिक व्यापार समायोजन, राजकोषीय सहायता और विभिन्न देशों द्वारा किए गए नीतिगत प्रयासों से आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि जारी रही। इसी परिप्रेक्ष्य में, वर्ष के दौरान भारत दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला देश बना रहा। भारत की यह वृद्धि सुदृढ़ घरेलू मांग, विनिर्माण क्षेत्र में तेज़ी, स्थिर मैक्रो-इकनॉमिक आधार से बढ़ती समग्र स्पर्धात्मकता, और समयोचित नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप रही। साथ ही, चुनिंदा देशों के साथ हाल ही में संपन्न हुई व्यापार वार्ताओं से भी देश के निर्यातों में वृद्धि पर सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।

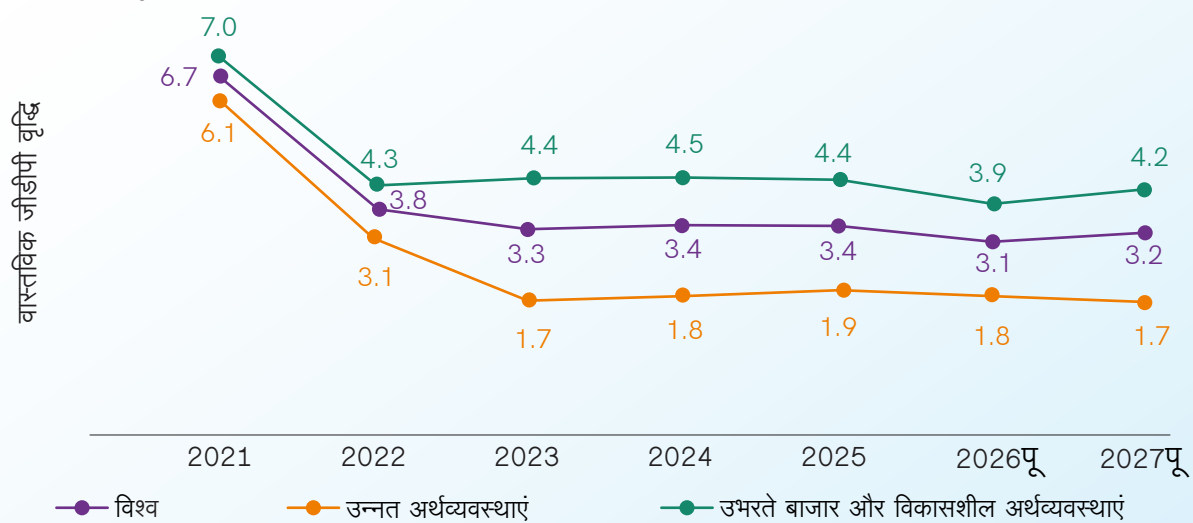




वैश्विक अर्थव्यवस्था

उच्चतर व्यापार बाधाओं और वर्ष 2025 के दौरान सामने आई अनिश्चितताओं के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था अब मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के चलते एक नई चुनौती का सामना कर रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार वैश्विक आर्थिक वृद्धि मंदी रहने की आशंका है। इसके अनुसार, वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 2025 की 3.4 प्रतिशत से घटकर 2026 में 3.1 प्रतिशत रह सकती है। यह अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि यह संघर्ष ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा और इसका असर सीमित रहेगा। 2025 से 2026 के दौरान आर्थिक विकास में यह मंदी, और वर्ष 2026 में मुद्रास्फीति दबावों में संभावित वृद्धि, विशेषकर उभरते बाजार वाली अर्थव्यवस्थाओं और विकासशील देशों में अधिक देखी जा सकती है। अधिकांश देशों में बढ़ते सार्वजनिक ऋण से आर्थिक जोखिम बढ़ सकता है। मौजूदा भू-राजनीतिक हालात और आर्थिक उथल-पुथल भी वैश्विक व्यापार की रफ्तार को प्रभावित कर सकती है।

वैश्विक आर्थिक वृद्धि (% में)

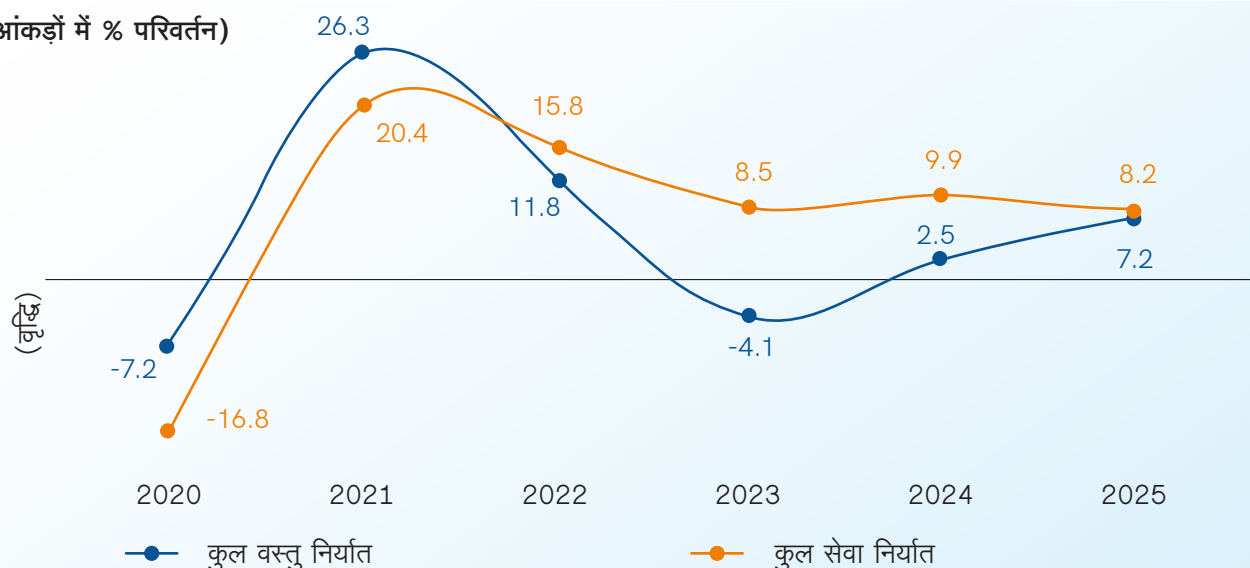


नोट: पू: पूर्वानुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक डेटाबेस, अप्रैल 2026

वैश्विक निर्यात वृद्धि

(आंकड़ों में % परिवर्तन)



नोट: 2025 के लिए सेवा निर्यातों से संबंधित डेटा की गणना तिमाही आंकड़ों के आधार पर प्रारंभिक वार्षिक आकलन पर आधारित है।

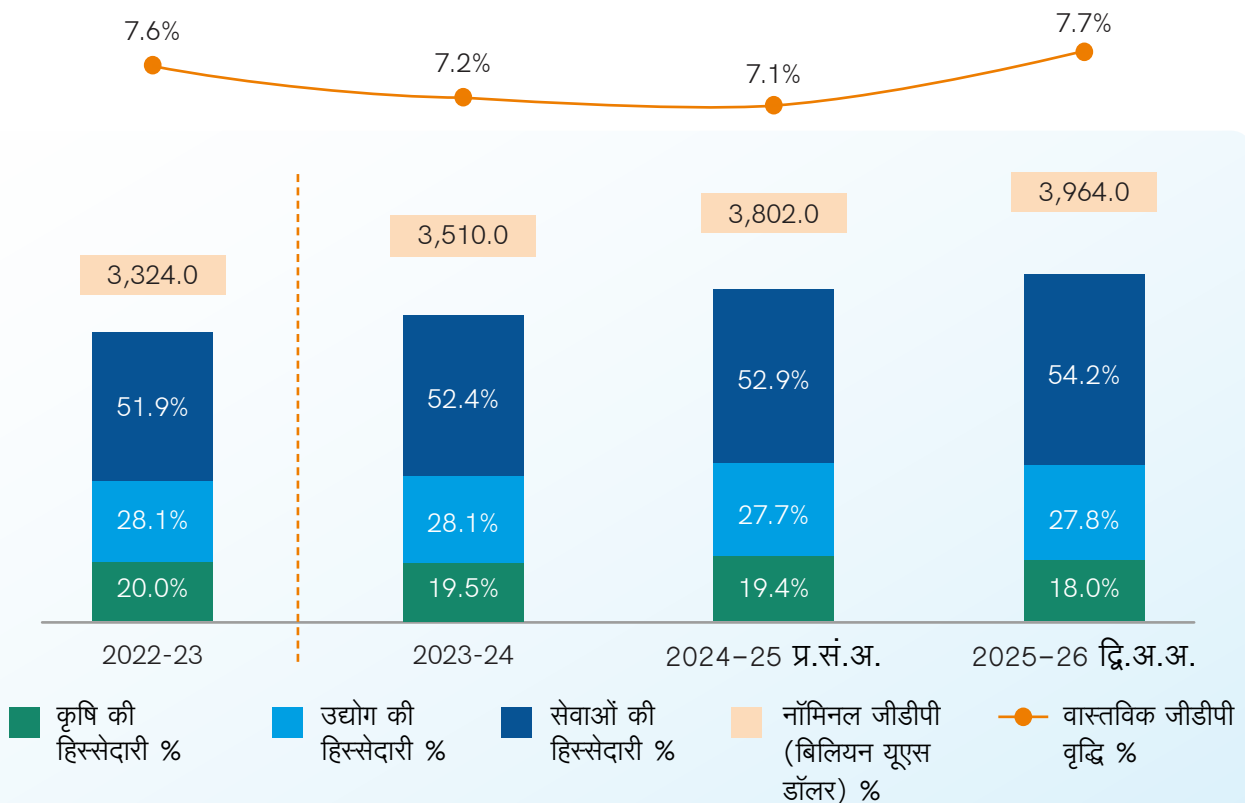
स्रोत: विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ), 27 अप्रैल 2026 को प्रदर्शित आंकड़ों के अनुसार



भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक स्तर पर चुनौतीपूर्ण मैक्रो-आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, भारत की आर्थिक वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। वर्ष 2025 में भारत, न केवल दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहा, बल्कि नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आधार पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी रहा। इसमें सुदृढ़ घरेलू मांग और बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश की अहम भूमिका रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 7.6 प्रतिशत आंकी गई, जिसमें निजी खपत में आई तेजी का प्रमुख योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के मर्चेडाइज़ निर्यात लगभग 441.8 बिलियन यूएस डॉलर के रहे और इनमें 0.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में, गैर-तेल निर्यात 3.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 387.9 बिलियन यूएस डॉलर के रहे। वहीं, सेवाओं के निर्यात में भी 7.9 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो विशेष रूप से सॉफ्टवेयर और व्यवसाय सेवाओं की सुदृढ़ वैश्विक मांग को दर्शाती है।

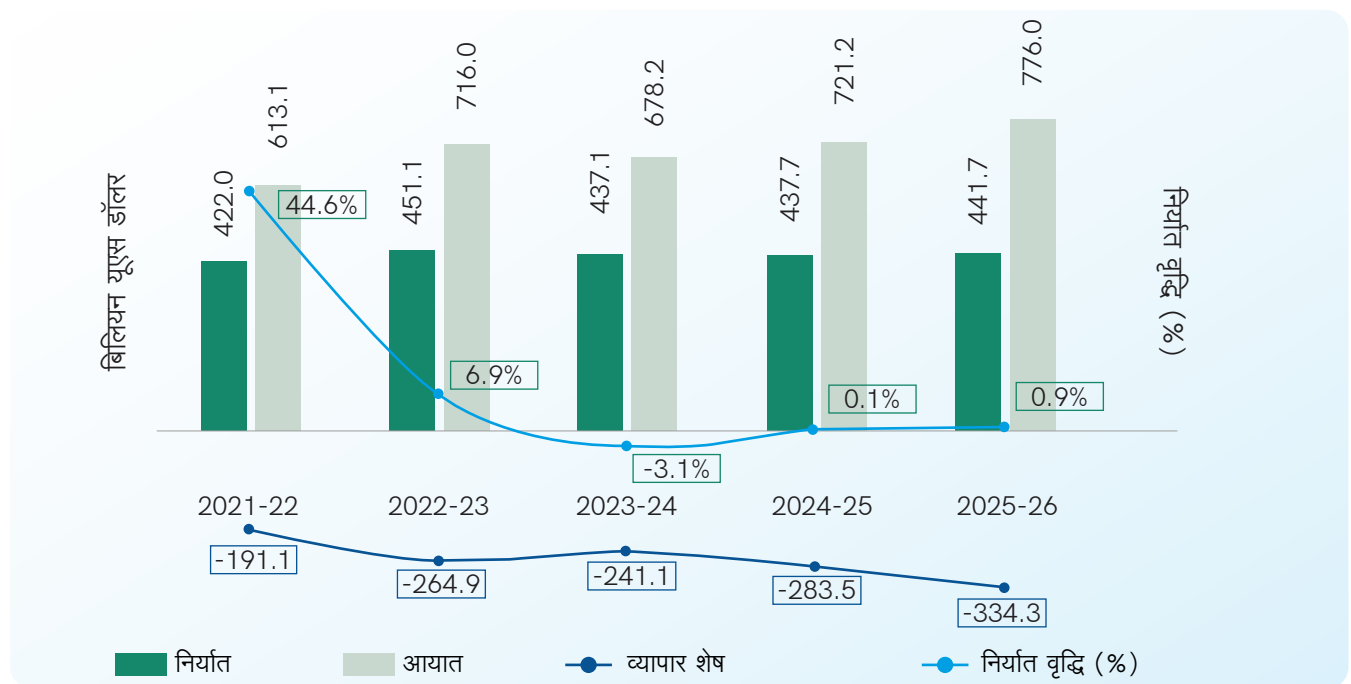
भारत की आर्थिक वृद्धि



नोट: यह डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27 फरवरी, 2026 को जारी वार्षिक जीडीपी के द्वितीय अग्रिम अनुमानों पर आधारित है।
प्र.सं.अ.: प्रथम संशोधित अनुमान, द्वि.अ.अ.: द्वितीय अग्रिम अनुमान

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान और सीएमआईई इकनॉमिक आउटलुक तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

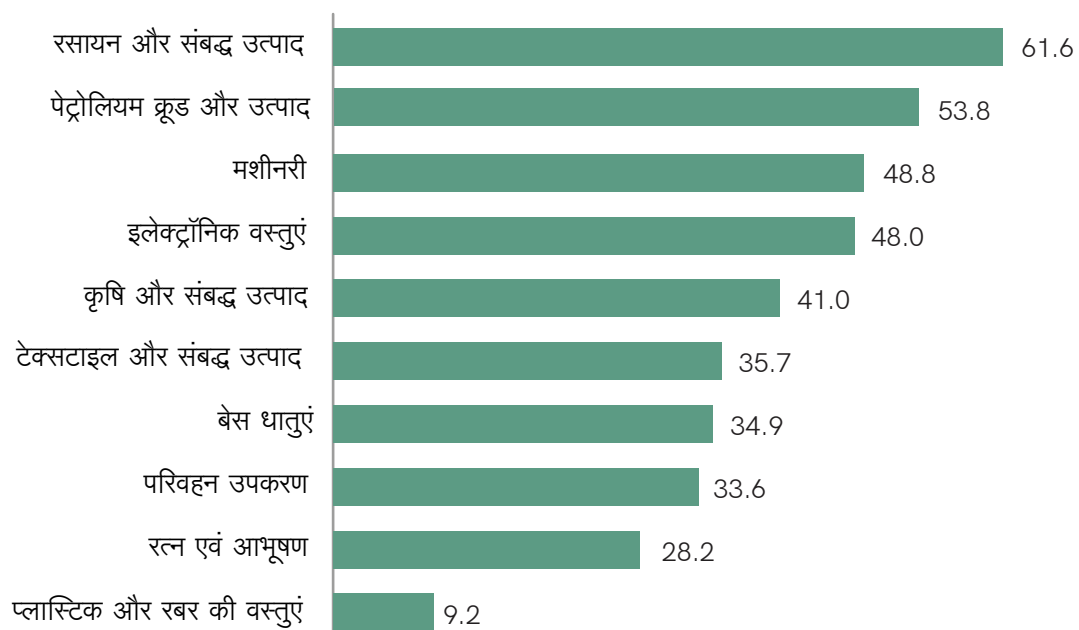
भारत का वस्तु व्यापार



स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

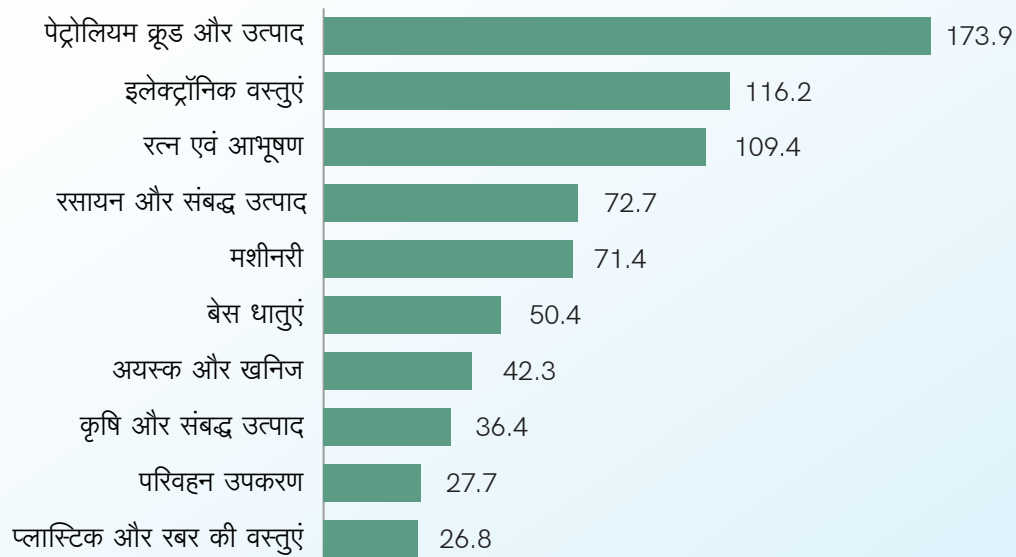
2025-26 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु निर्यात

(बिलियन यूएस डॉलर)



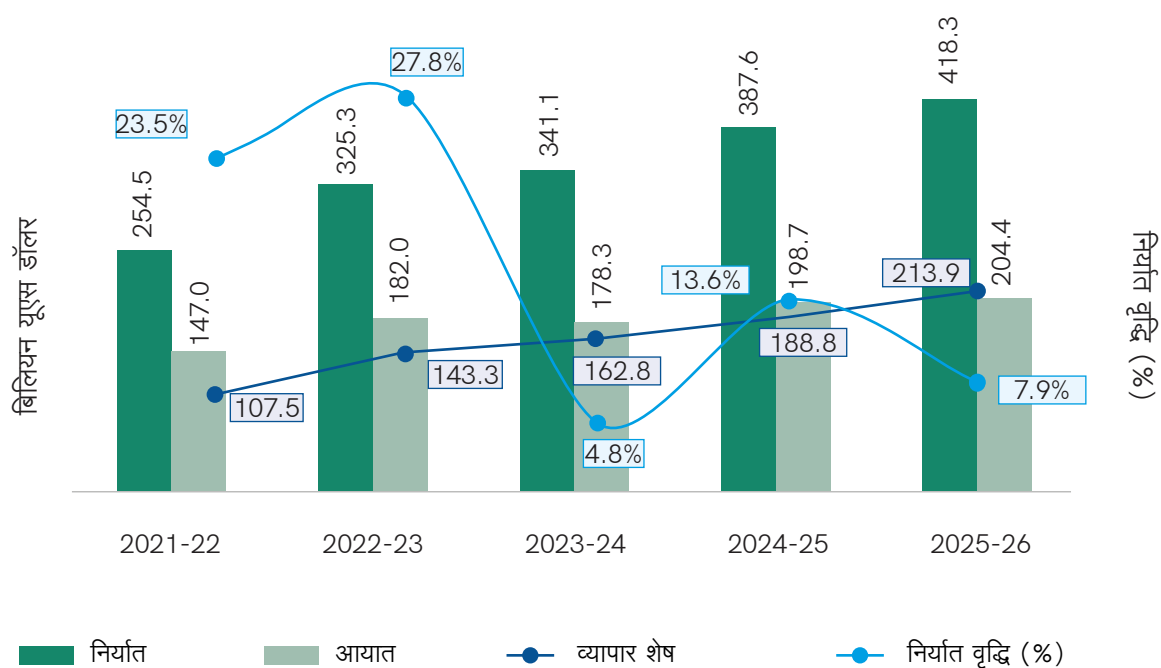
स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

2025-26 में भारत के शीर्ष 10 वस्तु आयात (बिलियन यूएस डॉलर)



स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

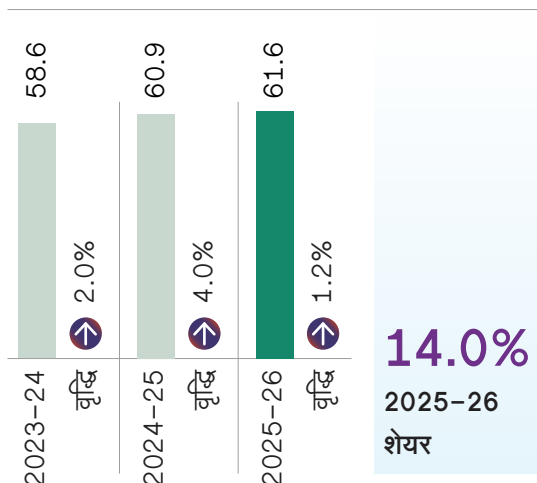
भारत का सेवा व्यापार



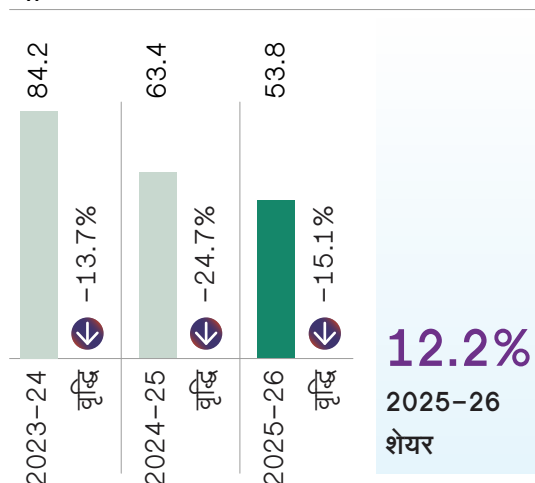
स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चुनिंदा उत्पादों में भारतीय निर्यात [2023-24 से 2025-26]

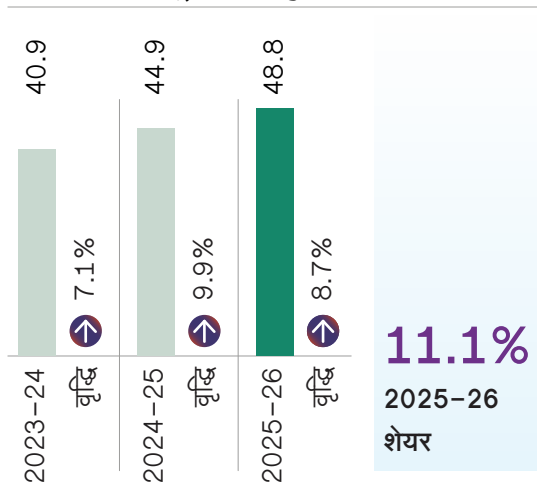
रसायन और संबद्ध उत्पाद



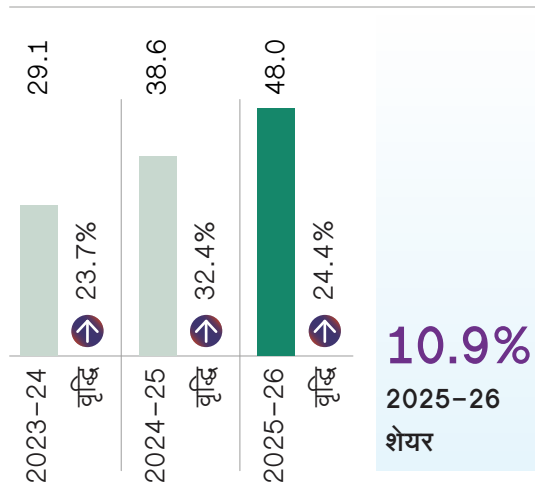
पेट्रोलियम उत्पाद



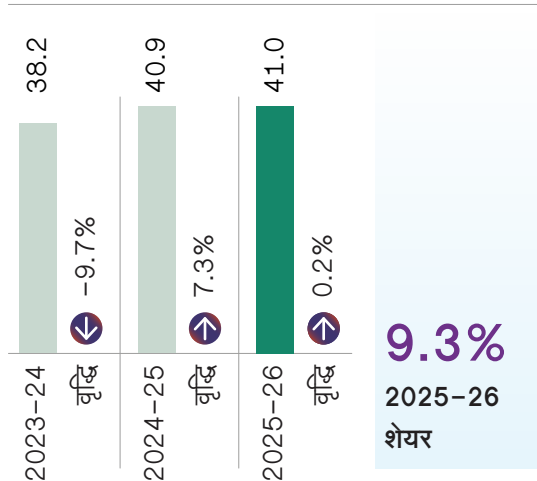
मशीनरी अथवा पूंजीगत वस्तुएं



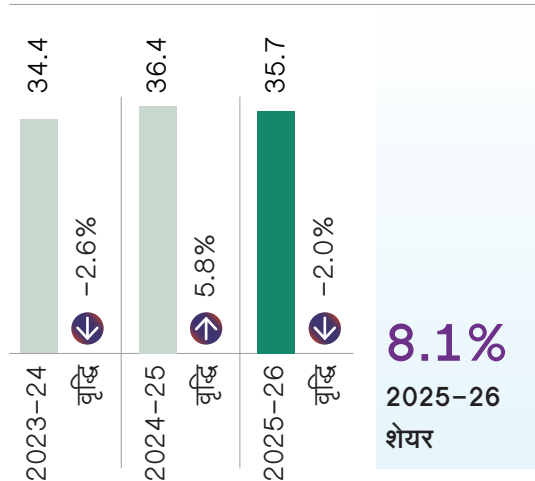
इलेक्ट्रॉनिक्स



कृषि और संबद्ध उत्पाद*



टेक्सटाइल्स और संबद्ध उत्पाद

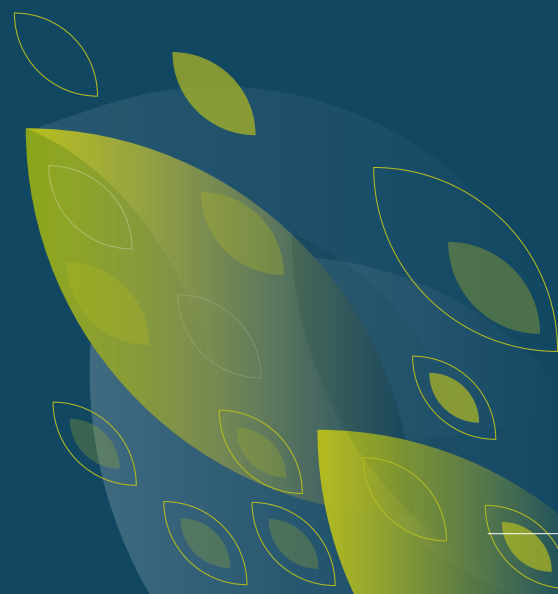


*कृषि और संबद्ध उत्पादों में प्लांटेशन और मरीन उत्पाद शामिल नहीं हैं।

नोट: आंकड़े बिलियन यूएस डॉलर में हैं। शेयर का मतलब है वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के वस्तु निर्यातों में संबंधित क्षेत्र का प्रतिशत शेयर।

स्रोत: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

निदेशकों की
रिपोर्ट
व्यापार, सहयोग और
क्षमता विकास से
प्रगति को गति





ऋण आस्तियां

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के अंतर्गत ₹ 1,335.23 बिलियन के ऋण मंजूर किए, जो 2024-25 में ₹ 1,177.71 बिलियन के थे। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण संवितरण ₹ 1,600.75 बिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 1,209.22 बिलियन का था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋण चुकौती ₹ 1,529.66 बिलियन की रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की ₹ 953.69 बिलियन थी। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की निवल ऋण आस्तियां ₹ 2,077.79 बिलियन की रहीं, जिनमें गत वर्ष की तुलना में 11.87 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। यथा 31 मार्च, 2026 को निवल ऋण आस्तियों में रुपये में ऋण एवं अग्रिमों की हिस्सेदारी 42 प्रतिशत रही, जबकि शेष 58 प्रतिशत ऋण विदेशी मुद्रा में रहे। यथा 31 मार्च, 2026 को अल्पावधि ऋण निवल ऋण एवं अग्रिमों के 23 प्रतिशत रहे।



गैर-निधिक सुविधाएं

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹ 221.01 बिलियन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल ₹ 222.38 बिलियन की गैर-निधिक ऋण सुविधाएं अनुमोदित की। इनमें परियोजना गारंटियां, वित्तीय गारंटियां तथा साख पत्र शामिल रहे। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक का कुल गैर-निधिक पोर्टफोलियो ₹ 165.14 बिलियन का रहा, जो यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 169.31 बिलियन का था। इसमें गारंटियां, साख पत्र और आपाती साख पत्र शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 की ₹ 73.50 बिलियन की गारंटियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 59.01 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के ₹ 7.69 बिलियन के साख पत्रों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 13.60 बिलियन के साख पत्र जारी किए

गए। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की बहियों में गारंटियों की राशि ₹ 146.44 बिलियन रही, जो यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 160.75 बिलियन थी। साख पत्र, यथा 31 मार्च, 2025 के ₹ 8.57 बिलियन की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 को ₹ 18.70 बिलियन के रहे।



आय/व्यय

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने सामान्य निधि लेखे के अंतर्गत ₹ 55.94 बिलियन का कर पूर्व लाभ दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 42.97 बिलियन का था। आयकर के लिए ₹ 13.21 बिलियन का प्रावधान करने के बाद, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कर पश्चात लाभ ₹ 42.73 बिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 32.43 बिलियन का था। इस लाभ में से ₹ 0.91 बिलियन की राशि निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में तथा ₹ 37.54 बिलियन की राशि आरक्षित निधि में अंतरित की गई। शेष ₹ 4.28 बिलियन की राशि भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार को अंतरित की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान निर्यात विकास कोष का कर पूर्व लाभ तथा कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹ 120.82 मिलियन और ₹ 90.41 मिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः ₹ 116.40 मिलियन और ₹ 87.11 मिलियन का था। ₹ 1,253.33 मिलियन के संचयी लाभ को आगामी वर्ष के लिए आगे ले जाया गया।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ऋणों पर ब्याज, विनिमय कमीशन, ब्रोकरेज और शुल्क आदि को मिलाकर कारोबारी आय ₹ 136.31 बिलियन की रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 126.07 बिलियन की थी। बैंक जमा राशियों पर ब्याज सहित निवेश आय वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹ 68.09 बिलियन की रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ₹ 62.69 बिलियन की थी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्याज व्यय ₹ 149.89 बिलियन का रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में ₹ 3.42

बिलियन अधिक रहे। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकताओं के लिए प्रावधानों को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 2.99 प्रतिशत रहा, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3.07 प्रतिशत था।



उधारियां

यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की कुल उधारियां ₹ 2,053.26 बिलियन की रहीं, जो यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 1,791.81 बिलियन की कुल उधारियों की तुलना में 15.65 प्रतिशत अधिक रहीं। यथा 31 मार्च, 2025 को बाजार उधारियां, बैंक कुल उधारियों की 100 प्रतिशत तथा बैंक के कुल संसाधनों की 87 प्रतिशत रहीं।



संसाधन

यथा 31 मार्च, 2026 को ₹ 159.09 बिलियन की चुकता पूंजी तथा ₹ 134.35 बिलियन की आरक्षित निधियों सहित बैंक के कुल संसाधन ₹ 2,346.51 बिलियन के रहे।

बैंक के संसाधन आधार में, अन्य के साथ-साथ, रुपया बॉन्ड, जमा प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक पत्र, मीयादी जमा राशियां, रुपया मीयादी ऋण, विदेशी मुद्रा बॉन्ड, विदेशी मुद्रा ऋण तथा दीर्घावधि स्वॉप शामिल हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने विभिन्न परिपक्वता अवधियों के कुल ₹ 859.06 बिलियन के समतुल्य संसाधन जुटाए। इनमें ₹ 653.15 बिलियन के रुपया संसाधन और 2.17 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन शामिल रहे। रुपया संसाधनों में ₹ 210.00 बिलियन के संसाधन रुपया बॉन्ड/मीयादी ऋण के माध्यम से तथा ₹ 443.15 बिलियन के संसाधन अल्पावधि मुद्रा बाजार उपकरणों के जरिए जुटाए गए। विदेशी मुद्रा संसाधनों में 0.92 बिलियन यूएस डॉलर के संसाधन द्विपक्षीय/क्लब/सिंडिकेटेड ऋणों के माध्यम से तथा 1.25 बिलियन यूएस डॉलर के संसाधन बॉन्डों के माध्यम से जुटाए गए। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के अदत्त रुपया संसाधन

₹ 870.30 बिलियन के और 13.02 बिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य विदेशी मुद्रा संसाधन रहे।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक की विदेशी मुद्रा संसाधन रणनीति मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, निवेशक आधार विविधीकरण आदि के साथ-साथ संपोषी वित्तपोषण क्षेत्र में प्रभावी परिणाम हासिल करने पर आधारित रही।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय संव्यवहारों (ट्रांज़ैक्शनों) में, बैंक ने 5 जनवरी, 2026 को अपने जीएमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत 144ए/रेग एस फॉर्मेट में ड्युअल ट्रांच में कुल 1 बिलियन यूएस डॉलर के बॉन्ड सफलतापूर्वक जारी किए। 500-500 मिलियन यूएस डॉलर के ये सीनियर अनसिक्योर्ड बॉन्ड 10 वर्ष और 30 वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः 5.00 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 5.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कूपन दर पर जारी किए गए। इस निर्गम के साथ बैंक 2026 में बाजारों को डॉलर बॉन्ड निर्गमों के लिए खोलने वाला पहला भारतीय निर्गमकर्ता बना। साथ ही, किसी भारतीय बैंकिंग वित्तीय संस्था द्वारा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में यह पहला 30 वर्षीय यूएस डॉलर बॉन्ड निर्गम रहा। साथ ही, यह 10 वर्षीय और 30 वर्षीय यूएस ट्रेजरी बेंचमार्क पर किसी भारतीय निर्गमकर्ता द्वारा हासिल किया गया सबसे कम स्प्रेड वाला बॉन्ड रहा।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने जापानी येन सहित विभिन्न मुद्राओं में ऋण जुटाए। बैंक ने ब्राज़ीलियाई रियाल (बीआरएल) में निजी नियोजन के माध्यम से 100 मिलियन यूएस डॉलर के समतुल्य का अल्पावधि नॉन-डिलिवरेबल बॉन्ड भी जारी किया। इस ट्रांज़ैक्शन के माध्यम से बैंक अपने मौजूदा बीआरएल बॉन्ड निवेशकों के अतिरिक्त लैटिन अमेरिका में अपने निवेशक आधार को और विविधीकृत करने में सफल रहा।

सस्टेनेबिलिटी पर बैंक के सुदृढ़ फोकस को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने अपने ईएसजी फ्रेमवर्क के अंतर्गत कुल 150 मिलियन यूएस डॉलर के दो बॉन्ड जारी किए। बैंक प्रत्येक वर्ष एक सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में बैंक की सस्टेनेबिलिटी रणनीति, नीतियों, पहलों तथा कार्य निष्पादन को शामिल किया जाता है।



अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू रेटिंग

बैंक को मूडीज़ द्वारा बीएए3 (स्थिर), एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी (स्थिर), फिच रेटिंग्स द्वारा बीबीबी- (स्थिर), जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) और केयर एज ग्लोबल रेटिंग्स द्वारा बीबीबी+ (स्थिर) रेटिंग दी गई है। उपरोक्त सभी निवेश ग्रेड या उससे ऊपर की रेटिंग हैं, जो भारत की संप्रभु रेटिंग के समान हैं। बैंक के घरेलू ऋण लिखतों (इंस्ट्रुमेंट्स) को उच्चतम रेटिंग प्राप्त है, अर्थात्, क्रिसिल और इक्रा रेटिंग एजेंसियों से दीर्घावधि ऋण लिखतों के लिए "एएए (स्थिर)" और अल्पावधि लिखतों के लिए ए1+ रेटिंग प्रदान की गई है।



आस्ति गुणवत्ता

वित्तीय संस्थाओं के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार, उस ऋण / ऋण सुविधा को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके संबंध में देय ब्याज और / या मूलधन 90 दिनों से अधिक समय से बकाया हो। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां ₹ 11.97 बिलियन की रहीं, जो बैंक के कुल ऋणों तथा अग्रिमों का 0.57 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की निवल अनर्जक आस्तियां (प्रावधानों को घटाकर) ₹ 0.19 बिलियन की रहीं, जो निवल ऋणों तथा अग्रिमों (प्रावधानों को घटाकर) की 0.01 प्रतिशत हैं। यथा 31 मार्च, 2026 को प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 99.85 प्रतिशत रहा।



आस्ति वर्गीकरण

"अवमानक आस्तियां" वे होती हैं, जिनका ब्याज और / अथवा मूलधन 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया रहता है। ऐसी अवमानक आस्तियां यदि 12 माह से

अधिक अवधि तक अनर्जक आस्ति के रूप में बनी रहती हैं, तो उन्हें 'संदिग्ध आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। 'हानि आस्तियां' वे होती हैं, जो वसूली योग्य नहीं समझी जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2026 को सकल अनर्जक आस्तियों में 2.68 प्रतिशत अवमानक आस्तियां और 97.32 प्रतिशत संदिग्ध आस्तियां रहीं। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की कोई हानि आस्तियां नहीं रहीं।



ऋण परिचालन, पर्यवेक्षण एवं वसूली

वाणिज्यिक ऋण डिलीवरी में परिचालन दक्षता हासिल करने और सर्वश्रेष्ठ प्रक्रियाएं अपनाने के क्रम में, बैंक के वाणिज्यिक ऋण परिचालनों और निगरानी संबंधी गतिविधियों को व्यवसाय विकास और ऋण मूल्यांकन से अलग रखा गया है। ऋण परिचालन और निगरानी गतिविधियों में निधिक और गैर-निधिक आस्तियों की आवधिक निगरानी तथा परिचालन स्थिति का मूल्यांकन "पूर्व चेतावनी प्रणाली" के जरिए किया जाता है। इसके जरिए किसी ऋण खाते के संबंध में उत्पन्न होने वाले ट्रिगर का मूल्यांकन किया जाता है और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनर्जक आस्ति (एनपीए) वसूली नीति के अनुसार, ऋण वसूली के लिए सक्रियता से कदम उठाता है। ऐसी अनर्जक आस्तियां, जिन्हें अर्जक बनाना व्यवहार्य हो, उन्हें अर्जक बनाने के उपाय करता है और ऐसे अनर्जक खातों से वसूली के उपाय करता है, जहां कानूनी कार्रवाई की जानी हो। अनर्जक आस्तियों की मासिक समीक्षा एक क्रॉस-फंक्शनल समिति द्वारा की जाती है। बैंक बहुआयामी रणनीति के जरिए अनर्जक आस्तियों की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इस रणनीति में ऋणों की पुनर्संरचना, कानूनी कार्रवाई, कोर्ट रिसीवर के जरिए आस्तियों की बिक्री, निगोशिएशन, एकबारगी निपटान, अनर्जक आस्तियों का अंतरण/समनुदेशन, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्संरचना एवं प्रतिभूति हित

का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम के अंतर्गत आस्तियों पर कब्जा लेना और उनकी बिक्री करना तथा उधारकर्ता कंपनी के मामले को शोधन अक्षमता संहिता के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में ले जाना शामिल है। इसके अतिरिक्त, बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, धोखाधड़ी की रोकथाम/ ऐसे मामलों का शीघ्र पता लगाने/ उनकी जांच करने/ सूचना और निगरानी से संबंधित विषयों का समाधान भी करता है, ताकि इसके नकारात्मक प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।



पूँजी पर्याप्तता

जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 9 प्रतिशत की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 को 26.34 प्रतिशत (समेकित 26.39 प्रतिशत) रहा। यथा 31 मार्च, 2025 को यह 25.27 प्रतिशत (समेकित 25.29 प्रतिशत) था। ऋण-इक्विटी अनुपात यथा 31 मार्च, 2025 के 6.94 की तुलना में यथा 31 मार्च, 2026 को 7.00 प्रतिशत रहा।



एक्सपोजर मानदंड

यथा 31 मार्च, 2026 को एकल उधारकर्ताओं और उधारकर्ता समूहों पर बैंक का ऋण एक्सपोजर आरबीआई द्वारा निर्धारित सीमा [एकल उधारकर्ताओं के लिए पात्र पूँजी आधार (यानी बैंक की टियर 1 की पूँजी) का 20 प्रतिशत और उधारकर्ता समूहों के लिए पात्र पूँजी आधार का 25 प्रतिशत] के भीतर रहा। उपरोक्त एक्सपोजर मानदंड भारत सरकार द्वारा गारंटीत ऋण एक्सपोजरों पर लागू नहीं होते हैं। बैंक द्वारा प्रत्येक उद्योग क्षेत्र के लिए तय की गई ऋण सीमा, सभी उद्योग क्षेत्रों के लिए बैंक के कुल ऋण एक्सपोजर का

15 प्रतिशत है। यथा 31 मार्च, 2026 को किसी भी उद्योग क्षेत्र के लिए बैंक का कोई भी एक्सपोजर बैंक के कुल उद्योग एक्सपोजर के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा।



मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) लागू की है। इस एमटीबीएस में बैंक के विजन और मिशन को इन बदलती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनाते हुए और आठ प्रमुख पहलुओं को कवर करती एक व्यापक रणनीति बनाई गई है। पांच वर्षों की अवधि में, बैंक का लक्ष्य परियोजना निर्यातों के वित्तपोषण में अपनी अग्रणी स्थिति को बनाए रखने और नए भारतीय परियोजना निर्यातकों के विकास में योगदान देना है। इस रणनीति में उद्योग क्षेत्र केंद्रित वाणिज्यिक ऋण तथा निर्यातों की संभावनाओं वाले "बड़े क्षेत्रों" को लक्ष्य कर ऋण पोर्टफोलियो बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। इसके अतिरिक्त, इस रणनीति में संपोषी वित्त प्रदान करने में बैंक की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है कि भारतीय कंपनियां निर्यात के लिए ईएसजी अनुपालन में खरी उतरें। बैंक अपने ऋण पोर्टफोलियो में हरित वित्तपोषण की हिस्सेदारी बढ़ाने और ऋण के लिए सम्यक जांच प्रक्रिया में सुदृढ़ ईएसजी मानकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैंक द्वारा विदेशी निवेश वित्त, दीर्घावधि क्रेता ऋण और निर्यात उन्मुख इकाइयों को वित्तपोषण जैसे मौजूदा कार्यक्रमों पर फोकस जारी रखा जाएगा। साथ ही, इसका लक्ष्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की अप्रयुक्त निर्यात क्षमताओं का सदुपयोग करते हुए उन्हें प्रदान की जाने वाली सहायता को बढ़ाना भी है। एमएसएमई क्षेत्र पर फोकस बढ़ाने के लिए नए बिजनेस वर्टिकल भी बनाए गए हैं। सुगमिकरण कार्यक्रमों से लेकर परामर्शी सेवाएं आदि शुरू की गई हैं। बैंक अपने व्यापार

सहायता कार्यक्रम और गुजरात इंटरनेशनल फायनैस टेक-सिटी में व्यापार वित्त के लिए अपनी एक सहायक कंपनी स्थापित करने जैसे ठोस उपाय पहले ही कर चुका है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बढ़ते फोकस के अनुरूप, बैंक इन उद्यमों के लिए वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के साथ अपनी सहभागिता को और सुदृढ़ करेगा। बैंक भारत सरकार के साथ मिलकर एमएसएमई क्षेत्र के लिए किफायती व्यापार वित्त की उपलब्धता बढ़ाने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं लागू करने के क्रम में है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, बैंक को केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित भारत सरकार के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत दो योजनाओं के लिए क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

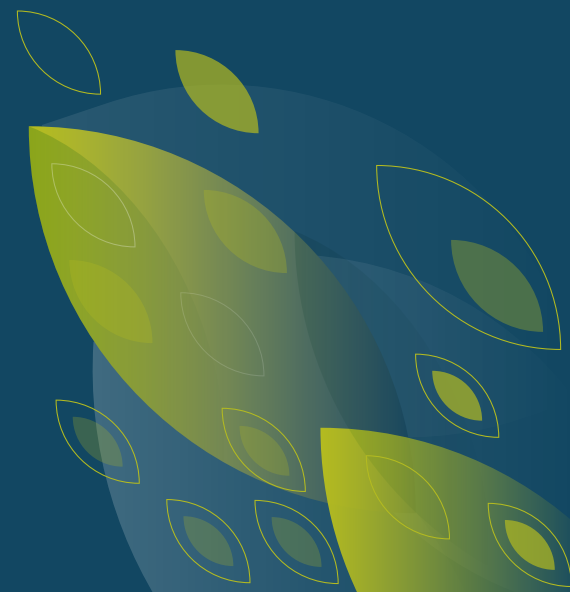
पॉलिसी बैंक के रूप में, भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) बैंक के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक हैं। सहभागी देशों द्वारा इस सहायता के बेहतर उपयोग और उनके प्रभावी विकास में योगदान देने के लिए बैंक एलओसी परियोजनाओं के संपूर्ण चक्र में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है।

व्यवसाय रणनीति में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, बैंक ने अपनी संगठन संरचना में बदलाव किए हैं और मानव संसाधनों को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। साथ ही, बैंक प्रौद्योगिकी का भी सदुपयोग कर रहा है और अपने ग्राहकों, भारतीय निर्यातकों को दी जाने वाली मूल्य वर्धित सेवाओं में सुधार के लिए डिजिटल उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के उपयोग पर भी फोकस कर रहा है। इसके अलावा, बैंक ने अपने हितधारकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भौगोलिक उपस्थिति बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक का कार्य निष्पादन एमटीबीएस के समग्र अनुमानों के अनुरूप रहा है। बैंक का वाणिज्यिक व्यवसाय, पॉलिसी व्यवसाय की तुलना में तेजी से बढ़ा है। परिणामस्वरूप, यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के कुल ऋणों और अग्रिमों में वाणिज्यिक व्यवसाय की हिस्सेदारी 63 प्रतिशत की रही।

निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ावा छोटे सहयोग से बड़े बदलाव

भारत के विकास में अंतरराष्ट्रीय व्यापार की उल्लेखनीय भूमिका हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत का कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं) 863 बिलियन यूएस डॉलर का रहा और निर्यात वृद्धि जारी रही।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के निर्यात सुदृढ़ बने रहे हैं। इसका मुख्य कारण है, भारत के निर्यातों और निर्यात बाजारों में विविधीकरण। भारतीय उद्यमों की अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सफल भागीदारी काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें समय पर वित्त उपलब्ध हो और नए बाजारों तक उनकी पहुंच सुगम हो। एक्जिम बैंक अपने विभिन्न वित्तपोषण कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कंपनियों को वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए सहयोग प्रदान करता रहा है।





निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण

वर्ष के दौरान, बैंक ने 112 निर्यात उन्मुख इकाइयों को ₹ 249.51 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए। साथ ही, ₹ 133.56 बिलियन का संवितरण किया गया। उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत 21 निर्यातक कंपनियों को उत्पादन उपकरणों के अधिग्रहण के वित्तपोषण के लिए ₹ 13.79 बिलियन के ऋणों को अनुमोदित किया गया और ₹ 12.68 बिलियन का संवितरण किया गया। 16 कंपनियों को दीर्घावधि कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में कुल ₹ 100.09 बिलियन की राशि अनुमोदित की गई। इसके अंतर्गत ₹ 69.18 बिलियन का संवितरण किया गया।

उच्च मूल्य वाले उन्नत विनिर्माण केंद्र की दिशा में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसे सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के क्रम में किए जा रहे प्रयासों से दिशा मिली है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, बैंक ने भारत की निर्यात स्पर्धात्मकता को बढ़ाने वाले और राष्ट्रीय औद्योगिक प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक मूल्य शृंखलाओं में भागीदारी बढ़ाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले प्रमुख उभरते क्षेत्रों को अपने निर्यातोन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के जरिए सहयोग किया है। विशिष्ट रसायनों के एक अग्रणी विनिर्माता को उनकी बहुउद्देशीय संयंत्र इकाई की क्षमता वृद्धि तथा मौजूदा संयंत्रों में अवरोधों को दूर करने के लिए प्रदान की गई सहायता ऐसा ही एक उदाहरण है।

बैंक ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा उद्यम को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम स्थित उनकी विनिर्माण इकाई के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया। यह इकाई आवश्यक बैंकवर्ड एकीकरण को बढ़ावा देने में सहायक है। साथ ही आईबुप्रोफेन एपीआई की उत्पादन क्षमता को 500 एमटीपीएम से बढ़ाकर 750 एमटीपीएम करने और एंटीरेट्रोवायरल लैमिवुडीन एपीआई की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में भी सहायक है।

बैंक ने अपने निर्यातोन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत रसायन एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के अलावा अन्य कई क्षेत्रों को सहायता प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक टेक्सटाइल उद्यम को उनके फैब्रिक प्रभाग में व्यापक क्षमता विस्तार परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई सहायता ऐसा ही एक अन्य उदाहरण है।

बैंक ने अपने उत्पादन उपकरण वित्त कार्यक्रम के अंतर्गत एक विनिर्माण इकाई में उपकरणों की खरीद के आंशिक वित्तपोषण के लिए एक मीयादी ऋण को मंजूरी प्रदान की। यह सहायता पूर्णतः एकीकृत, मल्टी-मॉडेलिटी विशेष फार्मास्यूटिकल्स कॉन्ट्रैक्ट विकास के लिए दी गई है। यह इकाई औषधि वितरण यौगिकों, जैविक उत्पादों, स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल सहित ओरल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है। भारत के फार्मास्यूटिकल्स निर्यात निरंतर देश की शीर्ष निर्यात श्रेणियों में शामिल रहे हैं। साथ ही, विशिष्ट सीडीएमओ क्षमता के विस्तार से भारतीय विनिर्माताओं को वैश्विक उच्च-मूल्य औषधि विकास और उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिली है।

टेक्सटाइल उद्योग भारत में रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और मचेंडाइज निर्यातों में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले उद्योगों में से एक है। बैंक भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टप्स) के अंतर्गत परियोजनाएं स्थापित करने, उनकी पात्रता को अनुमोदन प्रदान करने और अनुमोदित परियोजनाओं के लिए निधियों का प्रत्यक्ष संवितरण करने के लिए नियुक्त नोडल एजेंसियों में से एक है। इस योजना को समय-समय पर संशोधित किया गया था और यह 31 मार्च, 2022 तक सक्रिय थी। बैंक ने ₹ 192.79 बिलियन की कुल लागत वाली 236 परियोजनाओं को अनुमोदित किया था। टप्स के अंतर्गत अनुमोदित और संवितरित ऋण क्रमशः ₹ 69.94 बिलियन और ₹ 52.69 बिलियन के रहे। प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल उद्योग को बैंक का सहयोग देश के विभिन्न राज्यों में टेक्सटाइल विनिर्माण के विभिन्न खंडों में रहा है।



निर्यात सुगमीकरण

भारत का व्यापार इन्फ्रास्ट्रक्चर नीतिगत सहयोग से निरंतर सुदृढ़ हो रहा है। पीएम गति शक्ति, राष्ट्रीय मास्टर प्लान और सागरमाला जैसे कार्यक्रमों से बंदरगाहों, लॉजिस्टिक्स और विमानन संपर्क के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। वर्ष के दौरान, निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक का सहयोग इन्हीं क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। इसके अंतर्गत बंदरगाह मशीनीकरण, हवाई अड्डा विकास व कार्गो एवं एयरोस्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए सहायता प्रदान वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 25 कंपनियों को 37.13 बिलियन के मीयादी ऋण अनुमोदित किए गए और 22.40 बिलियन के संवितरण किए गए।

वर्ष के दौरान, बैंक ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन एवं हस्तांतरण आधार पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में एक बर्थ के मशीनीकरण के आंशिक वित्तपोषण के लिए सहायता प्रदान की। हल्दिया भारत के प्रमुख थोक कार्गो हैंडलिंग बंदरगाहों में से एक है। यह बर्थ का मशीनीकरण थ्रूपुट क्षमता में सुधार और थोक वस्तु निर्यातों की स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

बैंक ने नागपुर में डिजाइन, निर्माण, वित्त, परिचालन और हस्तांतरण के आधार पर एक ब्राउनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया। भारत के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण नागपुर एक बहु-मॉडल लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में उभरा है। इसके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से कार्गो हैंडलिंग क्षमता और हवाई कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी।



विदेशी निवेश वित्त

भारतीय कंपनियों की वैश्विक स्पर्धात्मकता बढ़ाने में बाह्य प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) की उल्लेखनीय भूमिका रही है। इसके

जरिए कंपनियों को रणनीतिक आस्तियों, प्रौद्योगिकी, कौशल, प्राकृतिक संसाधनों और बाजारों तक पहुंच सुगम हुई है। बीते कुछ वर्षों में भारत के ओडीआई का स्वरूप काफी बदला है। यह सुधार आकार और भौगोलिक विस्तार से लेकर और उद्योग क्षेत्र तक के मामलों में हुआ है। यह भारतीय कंपनियों की वैश्विक विस्तार की बढ़ती क्षमता और मूल्य शृंखलाओं में एकीकृत होने के रणनीतिक उद्देश्य को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भारतीय कंपनियों द्वारा किया गया निवल एफडीआई 33.8 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यह 28.2 बिलियन यूएस डॉलर का था। इसमें 19.9% की वृद्धि दर्ज की गई।

भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश को सहयोग करने के क्रम में, बैंक में इक्विटी, वित्त, ऋण, गारंटियां और परामर्शी सेवाओं जैसे व्यापक कार्यक्रम हैं। वर्ष के दौरान, 16 देशों में भारतीय कंपनियों के विदेशी निवेश के आंशिक वित्तपोषण के लिए 26 कंपनियों को ₹ 93.87 बिलियन की निधिक एवं गैर-निधिक सहायता मंजूर की गई। अब तक, बैंक ने 80 देशों में 541 कंपनियों द्वारा स्थापित लगभग 743 उद्यमों को वित्त प्रदान किया है।

वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बैंक का सहयोग विकसित बाजारों में विनिर्माण निवेशों से लेकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं में संसाधन-आधारित उद्यमों तक के लिए प्रदान किया गया। चुनिंदा कुछ संयवहार निम्नलिखित अनुसार हैं:

बैंक द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक नई इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस वेल्डेड (ईआरडबल्यू) पाइप विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। स्टील पाइप ऊर्जा, निर्माण और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण सामग्री के रूप में काम में आते हैं तथा अपने विशाल पाइपलाइन नेटवर्क और निरंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के कारण यूएस इसका एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ बाजार है। यह इकाई न केवल उत्तर अमेरिका में भारतीय मूल की कंपनी के समूह की विनिर्माण उपस्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं में इसके एकीकरण में भी सहायक है।

बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात में निगमित खनन आस्तियों वाली संयुक्त उद्यम कंपनी और कांगो (डीआरसी) में स्थित तांबा प्रसंस्करण संयंत्र में इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण को मंजूरी दी और पूंजीगत सहायता प्रदान की। निवेशित कंपनी ने डीआरसी में 12,000 टीपीए क्षमता वाले नए संयंत्र में तांबे के कैथोड्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इसी के साथ इस कंपनी ने वैश्विक तांबा मूल्य शृंखला में प्रवेश कर लिया है। इस ट्रांज़ेक्शन से ऊर्जा और औद्योगिक उपयोग में तांबे की बढ़ती वैश्विकमांग को देखते हुए इस भारतीय कंपनी को अलौह धातु प्रसंस्करण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी।



संपोषी वित्त कार्यक्रम

पर्यावरणीय मानक, कार्बन फुटप्रिंट, आपूर्ति-शृंखला पारदर्शिता तथा ईएसजी अनुपालन विश्वभर में बाजार पहुंच और खरीदारों की प्राथमिकताओं को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी पर बढ़ता फोकस कंपनियों को बेहतर प्रथाओं को अपनाने व दीर्घावधि में सुदृढ़ बने रहने के लिए प्रेरित कर रहा है। प्रमुख निर्यात बाजारों में बदलती इन प्राथमिकताओं को देखते हुए, बैंक अपने संपोषी वित्त कार्यक्रम (एसएफपी) के माध्यम से भारतीय कंपनियों की तत्परता को सुदृढ़ करने पर फोकस कर रहा है। यह कार्यक्रम पात्र भारतीय कंपनियों के हरित, ट्रांजिशन, सामाजिक एवं संपोषी पद्धतियों से जुड़े निवेशों के वित्तपोषण के लिए लक्षित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है तथा हरित क्षेत्रों के साथ-साथ ऐसे क्षेत्रों में भी बैंक के उधारकर्ताओं के लिए संपोषी पद्धतियों को बढ़ावा देता है, जिनमें इन पद्धतियों को अपनाना कठिन है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एसएफपी के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की 30 कंपनियों को पात्र गतिविधियों के लिए ₹126.36 बिलियन की राशि मंजूर की गई। इस बारे में बैंक की रणनीति दोतरफा है। बैंक, एक ओर स्वच्छ एवं हरित क्षेत्रों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग देकर 'हरित का वित्तपोषण' करता है, वहीं दूसरी ओर ऋण मूल्यांकन की मूल प्रक्रिया

में ईएसजी जोखिम आकलन को एकीकृत कर 'वित्त का हरितिकरण' करता है। इस रणनीति को और सुदृढ़ बनाने के लिए बैंक ने संपोषी बॉन्ड एवं ऋण जारी करने हेतु एक संस्थागत ईएसजी फ्रेमवर्क विकसित किया है, जिसके अंतर्गत जुटाई गई राशि का उपयोग छह हरित और चार सामाजिक क्षेत्रों की परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया गया है।

इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए, बैंक ने सौर फोटोवोल्टिक विनिर्माण की संपूर्ण मूल्य शृंखला में कार्यरत भारत की एक अग्रणी अक्षय ऊर्जा कंपनी को वर्ष के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से इस कंपनी ने अपनी सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता को बढ़ाकर 14.20 गीगावाट कर लिया है। बैंक की सहायता से यह कंपनी अब 1.2 गीगावाट क्षमता की नई सौर सेल विनिर्माण इकाई स्थापित कर रही है। यह वित्तपोषण भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति शृंखला में देश की भूमिका को और मजबूत करता है।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने 14 गीगावाट-घंटे क्षमता वाली एक अत्याधुनिक बैटरी विनिर्माण गीगाफैक्ट्री की स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण हेतु भी एक मीयादी ऋण मंजूर किया। चूंकि बैटरी भंडारण चौबीसों घंटे अक्षय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए देश में इस प्रकार की गीगाफैक्ट्री क्षमता का विकास आयातित बैटरी सेल पर भारत की निर्भरता कम करने और व्यापक ऊर्जा ट्रांजिशन को गति देने में एक अहम कदम है।

स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन के अलावा, बैंक ने 303 किलोमीटर लंबी भूमिगत स्लरी पाइपलाइन परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के माध्यम से संपोषी लॉजिस्टिक्स को भी बढ़ावा दिया। 30 एमटीपीए परिवहन क्षमता वाली यह न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली परियोजना भारी माल ढुलाई के लिए रेल एवं सड़क परिवहन पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। इससे दीर्घावधि में परिचालन लागत और कार्बन उत्सर्जन, दोनों में उल्लेखनीय रूप से कमी आने की अपेक्षा है।



अक्षय ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता के जरिए हरित कल को बढ़ावा



बैंक ने भारत में विभिन्न स्थानों पर 10 सौर ऊर्जा परियोजनाओं (कुल 217.25 एमडब्ल्यूपी डीसी) की स्थापना के आंशिक वित्तपोषण के लिए एक मीयादी ऋण को मंजूरी दी।

बैंक ने महाराष्ट्र और राजस्थान में 200 मेगावाट की राउंड द क्लॉक परियोजनाओं को सहयोग दिया है। इनमें महाराष्ट्र में लगभग 350 मेगावाट ऑनशोर पवन ऊर्जा क्षमता तथा राजस्थान में लगभग 260 मेगावाट (डीसी) / 179 मेगावाट (एसी) सौर ऊर्जा क्षमता शामिल है।



बैंक ने ओमान में 300 एमटीपीडी हरित अमोनिया परियोजना की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की है। इस परियोजना को सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों तथा वायु एवं समुद्री जल को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हरित अमोनिया के उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया है।



सुनहरे भविष्य के लिए टेक्सटाइल्स को बढ़ावा

बैंक ने निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत तेलंगाना के वारंगल में एक टेक्सटाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण प्रदान किया।



बैंक ने निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फैब्रिक डिवीजन की विस्तार योजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण को मंजूरी दी।



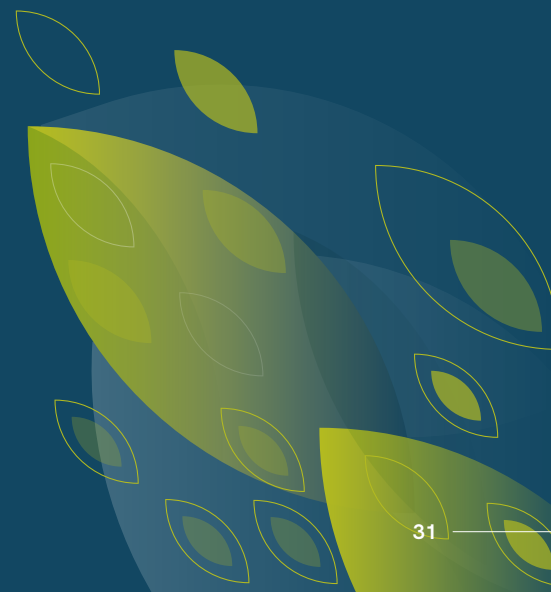
बैंक ने निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत गुजरात के अंजार में उच्च गुणवत्ता वाले टेरी टॉवेल के विनिर्माण के लिए 7,920 एमटीपीए की स्थापित क्षमता की 76 लूम वाली एक विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए सहयोग प्रदान किया।



निर्यात वित्तपोषण वैश्विक उड़ान को पंख

परियोजनाओं और सेवाओं का निर्यात प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देश की प्रगति और इसके निर्यात निष्पादन की मूल्य शृंखला में आगे बढ़ने का संकेतक है। भारत से परियोजना निर्यातों की शुरुआत 1970 के दशक के उत्तरार्ध में हुई थी। यह शुरुआत अपेक्षाकृत सीमित स्तर पर हुई थी।

तब से अब तक, परियोजना निर्यात निरंतर विकसित हुए हैं। इन बीते वर्षों में भारतीय कंपनियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। यह भारत की तकनीकी प्रगति, औद्योगिक क्षमता और भारतीय निर्यातों में बढ़ते परिष्कार को दर्शाता है। भारत से परियोजना निर्यातों को सहयोग देने में बैंक की अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अपने किफायती, तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता युक्त उत्पादों एवं सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के साथ भारतीय कंपनियों ने बैंक के सहयोग से वैश्विक स्तर पर स्वीकृति, मान्यता तथा पहचान बनाई है।





परियोजना निर्यात

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 35 भारतीय निर्यातकों को 49 देशों में 7.34 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य के 142 कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए सहयोग दिया। इस प्रक्रिया में, भारतीय परामर्शदाताओं, आपूर्तिकर्ताओं और कॉन्ट्रैक्टरों ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में अपनी बढ़ती क्षमता का प्रदर्शन किया।

ये कॉन्ट्रैक्ट विभिन्न क्षेत्रों के हैं, जो भारत के बढ़ती परियोजना निर्यात क्षमता के साथ-साथ इनके बढ़ते कार्यक्षेत्र और तकनीकी दक्षता को दर्शाते हैं। वर्ष के दौरान बैंक ने बांग्लादेश में एक मेट्रो परियोजना के लिए इलेक्ट्रिकल एवं यांत्रिक प्रणालियों के कॉन्ट्रैक्ट के निष्पादन के लिए सहयोग प्रदान किया। इससे पड़ोसी देशों में शहरी परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के रूप में भारत की भूमिका सुदृढ़ हुई। थाईलैंड में, 500 केवी ट्रांसमिशन लाइन एवं सबस्टेशन के निर्माण के लिए टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट और जाम्बिया में अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र के लिए टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट को भी सहयोग प्रदान किया। इसके जरिए सार्वजनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में मदद मिली। बंदरगाह कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के क्रम में, श्रीलंका में कंटेनर टर्मिनल के निर्माण और सिंगापुर में शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स के डिजाइन एवं आपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट को भी सहयोग प्रदान किया गया। यह विशेष औद्योगिक उपकरण प्रदान करने में भारतीय उद्योग की क्षमता को दर्शाता है।



निर्यात ऋण एवं गारंटियां

वर्ष के दौरान, बैंक ने आपूर्तिकर्ता ऋण, क्रेता ऋण और परियोजना निर्यात के लिए निधिक/ गैर-निधिक सहायता के माध्यम से कुल ₹ 375.10 बिलियन के निर्यात ऋण और गारंटियों को अनुमोदित किया। वर्ष के दौरान ₹ 543.32 बिलियन की राशि का संवितरण किया गया और कुल ₹ 59.01 बिलियन की गारंटियां जारी की गईं।



क्रेता ऋण

बैंक विदेशों में स्थित उधारकर्ताओं को आस्थगित भुगतान शर्तों पर क्रेता ऋण प्रदान कर भारत से निर्यातों को सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार, भारत से मचेंडाइज़ निर्यातों और परियोजना निर्यातों के लिए बाजार विकसित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक ने दक्षिण अफ्रीका के एक विदेशी खरीदार को भारत से आयात के लिए कुल 1 मिलियन यूएस डॉलर का ऋण अनुमोदित किया। इस अवधि के दौरान कुल 10.21 मिलियन यूएस डॉलर का संवितरण किया गया।



राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (बीसी-एनईआईए) के अंतर्गत क्रेता ऋण

बैंक का 'राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (बीसी-एनईआईए) के अंतर्गत क्रेता' ऋण कार्यक्रम, भारत से परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह एक विशिष्ट वित्तपोषण व्यवस्था है। इसके अंतर्गत भारतीय परियोजना निर्यातकों को नॉन-रिकोर्स आधार पर सुरक्षित वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। इसमें आयातक देशों की सरकारों को मध्यम से दीर्घावधि वित्तीय उपलब्ध कराया जाता है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक ने बीसी-एनईआईए के अंतर्गत 2.80 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 28 परियोजनाओं के लिए कुल 2.55 बिलियन यूएस डॉलर की राशि को मंजूरी दी।



विदेशी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को क्रेडिट लाइनें

बैंक भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त निर्यातों को बढ़ावा देने, पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात और विदेशों में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा

निष्पादित परियोजनाओं को सहयोग करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विदेशी बैंकों आदि को ट्रेड लोन एवं क्रेडिट लाइनें प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप एवं एलएसी क्षेत्र के बैंकों को कुल 440 मिलियन यूएस डॉलर की क्रेडिट लाइनें प्रदान कीं। चूंकि इन बैंकों को इन निधियों का उपयोग केवल भारत से आयात के लिए ही करना होता है, इसलिए इनके जरिए भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। साथ ही, भारत और अन्य देशों के बीच बैंकिंग संबंधों को सुदृढ़ करने में मदद मिलती है।



आपाती साख पत्र (एसबीएलसी) / साख पत्र (एलसी)

निर्यात-उन्मुख इकाइयों के ट्रांज़ैक्शनों को सुगम बनाने के क्रम में बैंक मुख्य रूप से बैंक द्वारा वित्तपोषित आयातों के लिए साख पत्र जारी करता है। बैंक निर्यात-उन्मुख इकाइयों को अपने विदेशी उद्यमों के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए गारंटियों / आपाती साख पत्रों के जरिए वित्तीय गारंटियां भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹ 35.06 बिलियन की वित्तीय गारंटियां जारी कीं। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक का वित्तीय गारंटी पोर्टफोलियो ₹ 50.66 बिलियन का रहा, जो यथा 31 मार्च, 2025 को ₹ 73.79 बिलियन का था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने ₹ 13.60 बिलियन के 82 साख पत्र जारी किए। बैंक निर्यात दस्तावेजों का निगोशिएशन/ कलेक्शन संबंधी कार्य भी संभालता है। वर्ष के दौरान बैंक ने ₹ 26.05 बिलियन के 297 निर्यात दस्तावेज संभाले।

वर्ष के दौरान, बैंक के व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) के अंतर्गत, बैंक ने ₹ 16.38 बिलियन राशि के 385 साख पत्रों की पुष्टि की और ₹ 2 बिलियन राशि के 91 यूपीएस साख पत्र और बिल निगोशिएट किए। इन साख पत्रों के अंतर्गत, बैंक ने ₹ 13.25 बिलियन के लगभग 850 निर्यात दस्तावेज संभाले।



फार्मासूटिकल क्षेत्र को सतत सहयोग के लिए प्रतिबद्ध



बैंक ने डोड्डाबल्लापुर, बेंगलुरु में एक पूर्णतः एकीकृत, मल्टी-मॉडेलिटी विशिष्ट सीडीएमओ फार्मासूटिकल कंपनी के लिए उपकरणों की खरीद के आंशिक वित्तपोषण हेतु एक मीयादी ऋण को मंजूरी प्रदान की। यह कंपनी डीडीसी, बायोलॉजिक्स, स्टेराइल इंजेक्टेबल्स और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जैसी ओरल प्रौद्योगिकियों के विकास एवं विनिर्माण पर केंद्रित है।



बैंक ने अपने निर्यात उन्मुख इकाइयों को ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत हैदराबाद स्थित एक फार्मासूटिकल्स कंपनी को मीयादी ऋण को मंजूरी प्रदान की। यह ऋण आंध्र प्रदेश के विजयनगरम के कंदिवालसा स्थित इकाई में आइब्यूप्रोफेन एपीआई की उत्पादन क्षमता को वर्तमान 500 एमटीपीएम से बढ़ाकर 750 एमटीपीएम करने, इसके बैकवर्ड इंटीग्रेशन, लैमिवुडीन एपीआई की क्षमता वृद्धि और अन्य संबंधित पूंजीगत व्यय के आंशिक वित्तपोषण के लिए प्रदान किया गया।



बुनियादी अवसंरचना को सहायता के जरिए सहभागी देशों के आर्थिक विकास में सहयोग



भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत 43 किमी की 132 केवी डबल-सर्किट 'न्यू मोदी - लेखनाथ' ट्रांसमिशन लाइन परियोजना के लिए सहायता दी गई है। इसे नेपाल के नेशनल ग्रिड से जोड़ा गया है, जिससे दूर-दराज के क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हो रही है।

बैंक ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को काकोबोला जलविद्युत परियोजना के लिए भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान कीं।



मंगोलिया कूड ऑयल रिफायनरी संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार समर्थित सहायता प्रदान की गई है। यह भारत की सबसे बड़ी वैश्विक विदेशी विकास साझेदारी वाली परियोजना है। इस प्रमुख ग्रीनफील्ड अवसंरचना परियोजना के जरिए मंगोलिया ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ है। यह संयंत्र प्रति वर्ष 1.5 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर देश की 75% घरेलू ईंधन आवश्यकता की पूर्ति करेगा, जिससे पेट्रोलियम आयात पर देश की निर्भरता कम होगी।



बैंक ने राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत मालदीव में 2,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की।

पारस्परिक सहयोग से संपोषी प्रभाव को बढ़ावा

भारत ऋण-व्यवस्था (एलओसी) कार्यक्रम के अंतर्गत मांग आधारित दृष्टिकोण के जरिए सहभागी देशों को उनके विकास लक्ष्य हासिल करने में सहयोग प्रदान करता रहा है। एक्जिम बैंक द्वारा प्रदत्त सहयोग एलओसी प्राप्तकर्ता सहभागी देशों में सकारात्मक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव लाने के साथ-साथ संपोषी विकास में भी सहायक रहे हैं।

इस प्रकार के प्रयास विकासशील देशों में परस्पर सहयोग और वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् पूरा विश्व एक परिवार है, की शाश्वत भावना को दर्शाते हैं। भारतीय व्यवसायों के वैश्वीकरण और सहभागी देशों के विकास का सुदृढ़ीकरण के नए दृष्टिकोण के साथ, बैंक दशकों लंबी इस यात्रा के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और भारत से परियोजना निर्यातों को वित्तपोषण और सहयोग प्रदान करता रहा है। बैंक के इस सहयोग से सहभागी देशों में विभिन्न क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास को भी बढ़ावा मिला है।



ऋण-व्यवस्थाएं

बैंक भारत सरकार के निर्देशों पर ऋण-व्यवस्थाएं (एलओसी) प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। यह भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने का एक प्रभावी माध्यम है। ऋण-व्यवस्थाएं संप्रभु सरकारों, क्षेत्रीय विकास बैंकों और विदेशी सरकारी संस्थाओं को विकास परियोजनाओं के लिए आस्थगित ऋण शर्तों पर भारत से वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात के लिए प्रदान की जाती हैं।

एक्जिम बैंक ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए मालदीव सरकार के साथ ₹ 4,850 करोड़ के ऋण-व्यवस्था करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारतीय रुपया मूल्य वर्ग में भारत सरकार समर्थित पहली ऋण-व्यवस्था है।

वर्तमान में, बैंक की भारत सरकार समर्थित 307 ऋण-व्यवस्थाएं हैं, जिनके अंतर्गत कुल 27.25 बिलियन यूएस डॉलर की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। ये ऋण-व्यवस्थाएं अपनी बढ़ती पहुंच के साथ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशाआनिया एवं पूर्वी यूरोप के 63 देशों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में सहायक रही हैं।

बैंक द्वारा दो दशकों से अधिक समय से ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान की जा रही हैं। इन ऋण-व्यवस्थाओं से भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों एवं आपूर्तिकर्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में मदद मिली है। यह भारत की परियोजना निष्पादन क्षमता को दर्शाता है। साथ ही, इससे भारत एक विश्वसनीय विकास भागीदार के रूप में उभरा है।

ऋण-व्यवस्था परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान प्राप्त अनुभव से कंपनियों को सरकारों, निजी निवेशकों और विकास वित्त संस्थाओं द्वारा निधिक परियोजनाएं हासिल करने में मदद मिली है।



मूल्यांकन एवं प्रापण (प्रोक्योरमेंट)

एलओसी करार पर हस्ताक्षर होने और उसके प्रभावी होने के बाद संपूर्ण प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया का प्रबंधन जरूरी होता है। इसमें अन्य के साथ-साथ, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, निविदा दस्तावेज, बोली मूल्यांकन रिपोर्टों, ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों की जांच करना, पूर्व-अर्हता प्रक्रिया शुरू करना और एलओसी के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट समावेशन शामिल है। बैंक में इन सभी गतिविधियों के लिए अलग टीम है। एलओसी व्यवसाय में कॉन्ट्रैक्ट के विभिन्न चरणों में तकनीकी इनपुट प्रदान करने के लिए बैंक बाह्य विशेषज्ञों के एक समूह के साथ मिलकर काम करता है।

प्रक्रिया की दक्षता एवं मानकीकरण को सुदृढ़ करने के क्रम में बैंक ने उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। इस उद्देश्य से, बैंक ने परामर्शदाताओं और कॉन्ट्रैक्टरों के चयन के लिए मॉडल खरीद दस्तावेज पुनः डिजाइन किए हैं, ताकि उन्हें भारत सरकार की नीतियों और भारतीय विकास एवं आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज) दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से बैंक ने संभावित आवेदकों से संपर्क किया। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान की गई पूर्व-अर्हता प्रक्रिया में 20 नए आवेदक जुड़े। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने कुल 535.02 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य की 12 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की समीक्षा की। इसके अलावा, वर्ष के दौरान भारत सरकार समर्थित ऋण-व्यवस्था परियोजनाओं के अंतर्गत 658.50 मिलियन यूएस डॉलर के 6 नए कॉन्ट्रैक्ट शामिल किए गए।

आयडियाज 2022 दिशानिर्देशों के अनुरूप, बैंक ऋण-व्यवस्थाओं के अंतर्गत पूरी हो चुकी परियोजनाओं का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन भी करता है। इस मूल्यांकन में परियोजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है और सहभागी देश को होने वाले लाभों का मूल्यांकन भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने

पूरी हो चुकी 20 परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया।

परिचालनों के बढ़ते डिजिटलीकरण के अनुरूप, बैंक एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए पूर्व-अर्हता प्रक्रिया करता है। इससे संबंधित प्रक्रियाएं अधिक सुदृढ़ हुई हैं। यह इंटरफेस आकलन प्रक्रिया की गति बढ़ाने में सहायक है। इससे खरीद प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने विभिन्न परामर्शी सेवाओं के लिए तकनीकी विशेषज्ञों के एम्पैनलमेंट की प्रक्रिया शुरू की है। इन विशेषज्ञों में डीपीआर तैयार करने से लेकर उनकी जांच करना, सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांकन करना, ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर और प्रोक्योरमेंट विशेषज्ञ शामिल होते हैं। मार्च 2026 के दौरान, बैंक ने रेलवे, सड़क एवं राजमार्ग, विद्युत, जल एवं सिंचाई, सिविल निर्माण, स्वास्थ्य सेवा तथा कृषि क्षेत्रों में 40 परामर्शदाताओं का एम्पैनलमेंट किया।



रियायती वित्तपोषण योजना

भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना के अंतर्गत बांग्लादेश के रामपाल में 1320 मेगावाट (2*660 मेगावाट) की अल्ट्रा-सुपर-क्रिटिकल मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना (मैत्री परियोजना) को 1.60 बिलियन यूएस डॉलर के मीयादी ऋण के जरिए वित्तपोषित किया गया है। इस परियोजना का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस परियोजना को निष्पादित करने वाली बांग्लादेश-इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीआईएफपीसीएल) ने दो इकाइयों को बांग्लादेश राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है और इन इकाइयों के संबंध में वाणिज्यिक परिचालन तिथियां 23 दिसंबर, 2022 तथा 12 मार्च, 2024 को हासिल की जा चुकी हैं।

बांग्लादेश में विद्युत उत्पादन क्षमता और विद्युत आपूर्ति पर इस परियोजना का सकारात्मक प्रभाव रहा है। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

निर्यात के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सशक्तीकरण उन्नति में सहायक

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के आर्थिक विकास एवं बाह्य स्पर्धात्मकता में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 में रेखांकित किए अनुसार विनिर्माण उत्पादन में एमएसएमई क्षेत्र का लगभग 35.4 प्रतिशत योगदान है। इसी प्रकार, देश के जीडीपी में इस क्षेत्र का 31.1 प्रतिशत और भारत के निर्यातों में 48.58 प्रतिशत का उल्लेखनीय योगदान है।

इन उद्यमों को विकास चैंपियनों के रूप में सुदृढ़ करने के क्रम में इस बजट में त्रि-आयामी दृष्टिकोण अपनाना प्रस्तावित किया गया है। इसमें इक्विटी, लिक्विडिटी और प्रोफेशनल सहयोग शामिल है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत के विकास की रीढ़ हैं। विनिर्माण वृद्धि, निर्यात क्षमता के विस्तार, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकरण तथा औपचारिक एवं नवाचार-आधारित आर्थिक विकास में इन उद्यमों की उल्लेखनीय भूमिका रही है। एक्जिम बैंक अपने विशिष्ट और आवश्यकता-आधारित कार्यक्रमों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सहयोग प्रदान करने और इन उद्यमों में निहित क्षमताओं को आकार देने के लिए प्रयासरत है।





नवाचार के जरिए निर्यात चैंपियनों को बढ़ावा

उभरते सितारे कार्यक्रम

माननीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2020 में की गई घोषणा के अनुसरण में एक्जिम बैंक ने भारत के निर्यात तंत्र को सुदृढ़ करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम बनाने के लिए उभरते सितारे कार्यक्रम (यूएसपी) की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी भारतीय कंपनियों को चिह्नित किया जाता है, जो प्रौद्योगिकी, उत्पाद या प्रोसेस की दृष्टि से अलग हों और जिनमें भावी निर्यात चैंपियन बनने की अच्छी संभावनाएं हों।

यूएसपी के अंतर्गत 100 से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों सहित उभरती कंपनियों को ऋण, इक्विटी या तकनीकी सहायता के जरिए सहयोग प्रदान किया जा चुका है। इस पहल के अंतर्गत बैंक आईआईटी, आईआईएम, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) आदि जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के इन्क्यूबेशन केंद्रों के साथ मिलकर भी काम करता है और इनकी इनक्यूबेट की गई कंपनियों सहित नवोद्यम इकोसिस्टम को बढ़ावा और सहयोग प्रदान करता है। "आत्मनिर्भर भारत" एवं "लोकल फॉर ग्लोबल" के विज़न को साकार करते हुए, यूएसपी के अंतर्गत बैंक ने डीप-टेक, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, रक्षा-टेक, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी (क्लीनटेक), कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आईओटी और उद्योग 4.0 जैसे क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को सहायता प्रदान की है। बैंक द्वारा सहायता प्राप्त कंपनियां स्वास्थ्य सेवा, रक्षा, सस्टेनेबिलिटी, कृषि, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस एवं अंतरिक्ष अभियांत्रिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नवोन्मेषी समाधान प्रदान कर रही हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक ने मस्तिष्क एवं रीढ़ की सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रियाओं के लिए सर्जिकल नेविगेशन सिस्टम बनाने वाली एक कंपनी में इक्विटी निवेश किया है। यह निवेश इस कंपनी को अपने उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन हासिल करने, अनुसंधान एवं विकास तथा पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है।

बैंक ने ऑटोमोटिव पुर्जों की विनिर्माता और इंजन ऐप्लिकेशनों के लिए फिल्ट्रेशन प्रणाली एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता रखने वाली एक कंपनी को ऋण प्रदान किया है। यह ऋण कंपनी को मैक्सिको में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इसके पहले वैश्विक निवेश के लिए प्रदान किया गया है।

अंतरिक्ष-प्रौद्योगिकी रणनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बैंक ने छोटे उपग्रहों के लिए ऑर्बिटल श्रेणी के रॉकेटों के डिजाइन, विनिर्माण एवं प्रक्षेपण करने वाले एक भारतीय एयरोस्पेस नवोद्यम में निवेश किया है। यह निवेश इस नवोद्यम की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और उत्पाद विकास को सहयोग के लिए किया गया है।

रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी क्षेत्र को सहयोग करते हुए बैंक ने सैनेटरी पैड अपशिष्ट के प्रबंधन एवं रिसाइकलिंग से जुड़ी एक कंपनी को मीयादी ऋण प्रदान किया है। इससे कंपनी लैंडफिल वेस्ट एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे रही है और स्वच्छता एवं चक्रण (सक्युलैरिटी) को बढ़ावा दे रही है।

बैंक ने आईसीयू वेंटिलेटर और मरीज निगरानी प्रणाली जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण विकसित करने और उनका विनिर्माण करने वाली एक चिकित्सा प्रौद्योगिकी कंपनी को भी मीयादी ऋण प्रदान किया है। यह ऋण नए उत्पाद विकास और अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन के लिए उपयोग किया गया।

यथा 31 मार्च, 2026 को, बैंक ने यूएसपी के अंतर्गत कुल ₹ 21.11 बिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की और ₹ 13.30 बिलियन का संवितरण किया। इसमें निधिक और गैर-निधिक, दोनों सहायता शामिल हैं।

नवोद्यमों को सहयोग जारी रखने के क्रम में, बैंक ने वर्ष के दौरान आईआईटी कानपुर के फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (फर्स्ट) को सहायता प्रदान की और चिह्नित इनक्यूबेट किए गए नवोद्यमों में निवेश के लिए ₹ 5 करोड़ की राशि निर्धारित की है। इसके अलावा, बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के सोसायटी फॉर इनोवेशन एंड आंत्रप्रेन्योरशिप (साइन) और आईआईटी दिल्ली के फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफआईटीटी) की सहायता से इन संस्थानों के इनक्यूबेशन केंद्रों के सहयोग से स्थापित नवोद्यमों में प्रत्यक्ष निवेश के लिए ₹10-10

करोड़ की राशि निर्धारित की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक इनक्यूबेशन केंद्र से 8-10 कंपनियों को सहयोग की उम्मीद है।

उक्त पहलों के जरिए बैंक ने आईआईटी-मुंबई, आईआईटी-दिल्ली, आईआईएम-अहमदाबाद, आईआईएससी बेंगलूर, आईआईटी-मद्रास आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के साथ मिलकर नवाचार और नवोद्यमों को सहयोग किया है। यह सहयोग इन संस्थानों की इनक्यूबेट की गई कंपनियों के भावी विकास और वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए दिया गया है। बैंक ने रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत सेक्शन 8 कंपनी, रक्षा नवाचार संगठन के साथ उनके "चैलेंज विजेताओं" को सहायता प्रदान करने के लिए एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बैंक ने "उभरते सितारे फंड" नाम से एक वैकल्पिक निवेश फंड सह-प्रायोजित किया है। इसका उद्देश्य विनिर्माण एवं सेवा उद्योगों में ऐसे लघु और मध्यम उद्यमों को चिह्नित करना और उनमें इक्विटी या इक्विटी जैसे उत्पादों के जरिए निवेश करना है, जिनमें निर्यातों की अच्छी संभावना है। यथा 31 मार्च, 2026 को इस फंड के अंतर्गत 12 बैंकों, संस्थाओं एवं फंड-ऑफ-फंड्स से कुल ₹ 3.58 बिलियन की प्रतिबद्धताएं रहीं। इस फंड के जरिए प्रौद्योगिकी, चिकित्सा प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता उत्पाद एवं कृषि क्षेत्रों में जुड़ी 12 कंपनियों में निवेश किया गया है।



वैश्विक व्यापार के खुलते द्वार

व्यापार सहायता कार्यक्रम

अंतरराष्ट्रीय व्यापार में व्यापार वित्त एक महत्वपूर्ण कारक है। वैश्विक स्तर पर लगभग 80 प्रतिशत व्यापार किसी-न-किसी प्रकार के व्यापार वित्त उपकरणों के जरिए होता है। तथापि, महामारी, भू-राजनीतिक परिस्थितियों, बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों तथा कठिन वित्तीय परिस्थितियों के कारण वैश्विक व्यापार वित्त अंतर लगातार बढ़ रहा है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार, 2023 में यह अंतर बढ़कर 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया है। विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।



भावी निर्यात चैंपियनों को बढ़ावा

बैंक ने अपने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ और संपोषी परिवहन को बढ़ावा देते हुए एक इलेक्ट्रिक साइकिल विनिर्माता कंपनी को सहयोग दिया। यह सहयोग कंपनी के पूंजीगत व्यय तथा शोध एवं विकास कार्यों के लिए दिया गया। इससे कंपनी को वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी।



बैंक ने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत मस्तिष्क और रीढ़ की सर्जरी के लिए सर्जिकल नेविगेशन सिस्टम में विशेषज्ञता रखने वाली एक चिकित्सा-प्रौद्योगिकी (मेड-टेक) कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान की। यह सहायता पूंजीगत व्यय के वित्तपोषण तथा अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त करने के उद्देश्य से दी गई।



आपकी वैश्विक व्यवसाय महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रतिबद्ध

बैंक ने अपने व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत साख पत्रों की पुष्टि के माध्यम से मिस्र, श्रीलंका, जिबूती, पेरू और बांग्लादेश सहित विभिन्न देशों को ऑटोमोबाइल एवं ऑटो पुर्जों के निर्यात को सक्षम बनाया।



बैंक ने अपने व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीलंका, मिस्र, जिबूती तथा अन्य देशों को ऑटोमोबाइल के निर्यात के लिए सहयोग प्रदान किया।

बैंक ने अपने व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत एलसी कंफर्मेशन एवं निगोशिएशन के माध्यम से अंगोला को वाहनों के निर्यात के लिए सहयोग प्रदान किया।





भारत की प्रगति को नई गति

बैंक ने अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, एक एयर कार्गो सुविधा की क्षमता को 1,50,000 एम टी से बढ़ाकर 2,50,000 एमटी करने हेतु विस्तार के आंशिक वित्तपोषण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। यह एक ही स्थान पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल वाले एकीकृत कार्गो कॉम्प्लेक्स वाली पहली सुविधा है।



बैंक ने अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण, परिचालन और रखरखाव के लिए मीयादी ऋण को मंजूरी दी है।

बैंक ने अपने निर्यात सुगमीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत डिजाइन, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में स्थित ग्रीनफील्ड नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए वित्तीय सहयोग प्रदान किया है।



इस परिप्रेक्ष्य में, बैंक का व्यापार सहायता कार्यक्रम (टैप) भारत में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को चुनौतीपूर्ण और नए बाजारों में ट्रेड ट्रांज़ैक्शनों में सहयोग करना है, जो इस प्रकार के सहयोग के अभाव में नहीं हो पाते। बैंक टैप के अंतर्गत, अंतरराष्ट्रीय व्यापार ट्रांज़ैक्शनों को सहयोग के लिए, व्यापार लिखतों (ट्रेड इनस्ट्रुमेंट्स) की ऋण वृद्धि और वाणिज्यिक बैंकों की क्षमता बढ़ाते हुए भारतीय निर्यातकों को चुनौतीपूर्ण बाजारों और/या नए बाजारों के बैंकों के साथ पत्रों के एवज में निर्यात करने में मदद करता है।

विदेशों में अपने विशद अनुभव के आधार पर, बैंक विश्वभर के बैंकों के साथ अपनी भागीदारी का सदुपयोग करते हुए विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अप्रयुक्त और चुनौतीपूर्ण बाजारों में ट्रेड ट्रांज़ैक्शनों को चिह्नित करता है और उन्हें सहयोग प्रदान करता है। ये सहयोग वहां दिए जाते हैं, जहां ट्रेड लाइन सीमित हैं या जहां संभावनाओं को पूर्ण रूप से भुनाया नहीं गया है।

वर्ष 2022 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत, यथा तिथि बैंक ने 2,500 से अधिक ट्रांज़ैक्शनों को सहयोग प्रदान किया है, जिससे लगभग 3.94 बिलियन यूएस डॉलर का अतिरिक्त निर्यात हुआ है। इसके लिए बैंक ने एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा लैटिन अमेरिका के 68 देशों में स्थित 160 से अधिक विदेशी बैंकों के साथ की गई भागीदारी की है। टैप के अंतर्गत इस सहयोग से अन्य के साथ-साथ कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोटिव, रसायन, लौह-इस्पात-एल्यूमिनियम, विद्युत, कागज, टेक्सटाइल्स जैसे विविध क्षेत्रों से अतिरिक्त निर्यात सुगम हुए हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत से अब तक 22 राज्यों के 60 शहरों के विभिन्न क्षेत्रों के 240 से अधिक भारतीय निर्यातकों को सहयोग प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 30 प्रतिशत ग्राहक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिन्हें नए क्षेत्रों में अपने निर्यात बाजार का विस्तार करने में मदद मिल रही है। इस तरह टैप इन उद्यमों की निर्यात संभावनाओं को आकार दे रहा है। टैप के अंतर्गत सहयोग से ये उद्यमों अब तक 31 विभिन्न देशों को निर्यात कर चुके हैं।



ऋण के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का सशक्तीकरण

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तपोषण

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अहम भूमिका है। औद्योगीकरण, रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और क्षेत्रीय विकास आदि में इनका उल्लेखनीय योगदान रहता है। उद्यमों में एमएसएमई क्षेत्र के महत्त्व को देखते हुए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एमएसएमई उद्यमों को सहायता प्रदान करने के क्रम में अलग से एक समूह का गठन किया है। यह समूह डिजिटलीकरण और प्रमुख हितधारकों के साथ रणनीतिक भागीदारी के जरिए एमएसएमई उद्यमों की विविध आवश्यकताओं का प्रभावी रूप से समाधान करेगा। इन उद्यमों में माइक्रो ट्रेडर्स से लेकर निर्यातोन्मुख विनिर्माता और प्रौद्योगिकी-आधारित सेवा कंपनियां तक शामिल हैं। बैंक समझता है कि एमएसएमई के प्रत्येक खंड की नकदी प्रवाह संरचना, जोखिम प्रोफाइल, कार्यशील पूंजी चक्र और अनुपालन परिपक्वता अलग-अलग होती है। एमएसएमई क्षेत्र के लिए केंद्रित यह समूह सभी के लिए एक समान दृष्टिकोण के बजाय खंड-विशिष्ट उत्पादों व सहभागिता रणनीतियों के जरिए काम करेगा। बैंक एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाने के क्रम में, वैकल्पिक क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल विकसित करने, नकदी प्रवाह आधारित ऋण देने, जीएसटी, बैंक विवरण एवं ट्रांज़ैक्शन डेटा के इस्तेमाल पर फोकस करेगा और जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करेगा। विशेषीकृत उत्पादों, विशिष्ट जोखिम फ्रेमवर्कों और इकोसिस्टम एकीकरण के जरिए बैंक एक सुदृढ़ व्यवसाय मॉडल तैयार कर एमएसएमई खंड की संभावनाओं को आकार देगा। इसके अलावा, निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत, बैंक, राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के साथ इस मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है। इससे संपूर्ण एमएसएमई इकोसिस्टम प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होता है।



निर्यात प्रोत्साहन मिशन

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025-26 में निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम) की घोषणा की थी। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया जा रहा है। इसे नवंबर 2025 में अनुमोदित किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत दो प्रमुख पहलें शामिल हैं – निर्यात दिशा और निर्यात प्रोत्साहन। निर्यात दिशा का उद्देश्य निर्यातों के लिए गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें तकनीकी विनियमों एवं अनुपालन, बाजार तक पहुंच, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, ब्रांडिंग, निर्यात सुगमीकरण, व्यापार की जानकारी तथा निर्यात-संबंधित अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता शामिल है। इस मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के अंतर्गत पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच को आसान बनाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए इन उद्यमों को ब्याज सहायता और निर्यात फैक्ट्रिंग सहित ई-कॉमर्स निर्यातकों और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए कोलैटरल रहित ऋण सहायता प्रदान की जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन मिशन की निर्यात प्रोत्साहन उप-योजना के अंतर्गत एक्जिम बैंक के लिए निम्नलिखित चार योजनाएं शुरू की गई हैं: (i) वैकल्पिक व्यापार इन्सट्रुमेंट्स के लिए सहयोग, (ii) ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता, (iii) उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहायता, तथा (iv) प्री एवं पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण योजना।

वैकल्पिक व्यापार इन्सट्रुमेंट्स के लिए सहयोग पहल का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए निर्यात वित्त की पहुंच को सुगम बनाना है। इसमें बैंक-आधारित निर्यात ऋण के पूरक के रूप में वैकल्पिक व्यापार वित्त तंत्रों के जरिए संरचित सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल के अंतर्गत, एमएसएमई निर्यातकों को आरबीआई या आईएफएससीए

द्वारा विनियमित संस्थाओं द्वारा भारतीय रुपये या स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्राओं में प्रदान की जाने वाली निर्यात फैक्ट्रिंग सुविधा 2.75 प्रतिशत के ब्याज अनुदान के लिए पात्र होगी। गिफ्ट सिटी में बैंक की सहायक कंपनी, इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफसीएसी प्राइवेट लिमिटेड से सहयोग प्राप्त एमएसएमई निर्यातक इस पहल के तहत उपलब्ध सहायता से लाभान्वित होंगे।

ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए ऋण सहायता पहल का उद्देश्य ई-कॉमर्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाना है। इसका लक्ष्य इन उद्यमों को प्रत्याशित निर्यात मांग की स्थिति में वस्तुओं के विनिर्माण के लिए सक्षम बनाना और वैश्विक बाजारों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत कवरेज मापदंडों के अनुसार बैंकों द्वारा पात्र लाभार्थी इकाइयों को नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट या अन्य कार्यशील पूंजी सुविधाओं के रूप में दी गई सहायता के लिए उन बैंकों को ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। ये सुविधाएं अधिसूचित सीमा के अनुरूप ब्याज अनुदान के माध्यम से भी समर्थित होंगी।

उभरते निर्यात अवसरों के लिए सहयोग पहल का उद्देश्य अपेक्षित नए बाजारों में वैश्विक व्यापार संबद्धता और लिक्विडिटी को बढ़ाना और सुगम बनाना है। इसके लिए व्यापार निपटानों में भरोसा बढ़ाने, भारतीय बैंकों और विदेशों में स्थानीय बैंकों के बीच भागीदारी बढ़ाने और ऐसे सीमापार ट्रांजैक्शनों को सहायता प्रदान करने जैसे उपाय किए जाएंगे, जहां इन ट्रांजैक्शनों में बाधा आती है। इस पहल के तहत, बैंक के व्यापार सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे ट्रांजैक्शनों के लिए भारतीय बैंक को अविकल्पी और अपरिवर्तनीय गारंटी के रूप में जोखिम-प्रतिभागिता सहयोग प्रदान किया जाएगा।

भारत सरकार एमएसएमई निर्यातकों द्वारा लिए जाने वाले प्री एवं पोस्ट शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज समकरण सहायता प्रदान करती रही है। इसका उद्देश्य निर्यात वित्त की लागत को कम करना और कार्यशील पूंजी

लिक्विडिटी को बेहतर बनाना है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन के अंतर्गत घोषित संशोधित योजना के अनुसार, ब्याज लागत पर 2.75 प्रतिशत की ब्याज समकरण सहायता प्रदान की जाएगी, जो प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 90 लाख की होगी। इसे भी बैंक द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।



सतत सामुदायिक विकास

ग्रासरूट उद्यम विकास

भारत अपनी समृद्ध एवं विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और देश के लाखों कुशल दस्तकार सदियों से इसका संरक्षण करते आ रहे हैं। इनमें से अनेक शिल्प ऐसे हैं, जिनमें प्राकृतिक रंगों और पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इससे इन उत्पादों को आज के वैश्विक बाजारों में अलग प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। बैंक ने ऐसे ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों, बुनकरों, स्वयं-सहायता समूहों, किसान उत्पादक संगठनों तथा सूक्ष्म उद्यमों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक दशक से अधिक समय पूर्व ग्रासरूट उद्यम विकास (ग्रिड) नाम के एक कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। ये कुशल इकाइयां पारंपरिक हस्तशिल्प, हथकरघा, कृषि-आधारित गतिविधियों, संबद्ध मूल्य शृंखलाओं तथा अन्य प्राथमिक उत्पादन क्षेत्रों में काम कर रही हैं और घरेलू एवं निर्यात बाजारों में इनके विकास की उल्लेखनीय क्षमता है। अनेक दस्तकार भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा, उत्पादन प्रथाओं एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इनमें जीआई टैग प्राप्त उत्पाद भी शामिल हैं।

भारत सरकार समावेशी विकास को बढ़ावा देने के क्रम में निर्यात क्षमता विकास से जुड़े विभिन्न उपक्रम करती रही है। इनमें 'एक जिला, एक उत्पाद' तथा 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' (ओडीओपी-डीईएच) जैसी पहलें शामिल हैं। इन पहलों का मुख्य उद्देश्य देश के निर्यातों में भारतीय जिलों का योगदान बढ़ाना है। इन राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप, बैंक

का ग्रिड कार्यक्रम भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान देता रहा है।

ग्रासरूट उत्पादन एवं निर्यात-आधारित मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने की अपनी प्रतिबद्धता के क्रम में, ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान शृंखलाबद्ध रूप से उपाय किए गए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने 12 राज्यों में 12 परियोजनाओं को सहायता प्रदान की। यह सहायता कृषि, बागवानी, हस्तशिल्प, हथकरघा, दस्तकारी विनिर्माण तथा संबद्ध गतिविधियों जैसे क्षेत्रों में प्रदान की गई। इन परियोजनाओं के माध्यम से उत्पादन अवसंरचना, प्रौद्योगिकी अपनाने, कौशल विकास, गुणवत्ता उन्नयन तथा बाजार संपर्क जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मौजूद अंतर दूर करने के प्रयास किए गए, ताकि उत्पादकता, मूल्य वर्धन एवं निर्यात तत्परता को बढ़ाया जा सके। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 के दौरान मंजूर परियोजनाओं से देश के विभिन्न क्षेत्रों में 9,000 से अधिक संभावित लाभार्थियों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है। परियोजना-स्तरीय सहयोग के साथ-साथ, बैंक द्वारा हितधारकों से जुड़ने और ग्रासरूट स्तर की आवश्यकताओं को समझने के लिए वर्ष के दौरान 14 संपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

उल्लेखनीय पहलों के अंतर्गत तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में टूल उद्योग क्लस्टर को प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास तथा प्रक्रियागत दक्षता में सुधार के रूप में सहायता प्रदान की गई। मिजोरम में महिलाओं वाले एन्थूरियम उत्पादक समूह को बागवानी मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पैकेजिंग एवं परिवहन अवसंरचना, सौर ऊर्जा प्रणालियों तथा उन्नत कृषि पद्धतियों पर प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग दिया गया। कृषि-आधारित पहलों के अंतर्गत राजस्थान में अनार उत्पादकों तथा उत्तराखंड में पारंपरिक गुड़ उत्पादकों को गुणवत्ता सुधार, प्रसंस्करण दक्षता, स्वच्छता मानकों एवं पैकेजिंग पर केंद्रित सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों के लिए भी सहायता प्रदान की गई। इनमें पंपोर के कश्मीरी केसर और नागालैंड की नागा मिर्च के उत्पादकों को दी गई सहायता शामिल है।



भारत की लोक कला और शिल्प की समृद्ध विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन



10वां एक्जिम बाज़ार नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कृत दस्तकारों सहित 80 से अधिक ग्रासरूट दस्तकारों ने सहभागिता की और इस प्रदर्शनी में 20 से अधिक राज्यों के हस्तनिर्मित उत्पादों की बिक्री की गई।

बैंक ने पारंपरिक और समकालीन कलाओं, शिल्पों और टेक्सटाइल्स को सहयोग के लिए काला घोड़ा कला महोत्सव के साथ भागीदारी की। भारत के सभी राज्यों से 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने इस महोत्सव में भाग लिया। इसमें बैंक द्वारा प्रायोजित 20 राज्यों के 60 से अधिक दस्तकार शामिल रहे।



इसी प्रकार, उत्तर गोवा में काजू प्रसंस्करण, ग्रेडिंग तथा बाजार एकीकरण को सुदृढ़ करने पर केंद्रित पहलें भी की गईं।

ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टर बैंक के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल रहे। इस क्रम में मध्य प्रदेश में भोपाल में जरी-जरदोजी, गुजरात में भुज में कच्छ कढ़ाई, पंजाब में पटियाला में फुलकारी, पश्चिम गोदावरी में क्रोशिया तथा यदाद्री भुवनगिरि में इकत बुनाई जैसे महिला-प्रधान पारंपरिक शिल्पों को लक्षित सहायता प्रदान की गई। इन पहलों के तहत कौशल उन्नयन, डिजाइन विकास, उत्पादन दक्षता तथा खरीदारों से संपर्क स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल लाभार्थियों में से आधे से अधिक श्रम-प्रधान तथा महिला-बहुल क्लस्टर शामिल रहे। यह समावेशी विकास तथा महिला दस्तकारों एवं किसानों की आजीविका बढ़ाने के बैंक के फोकस को दर्शाता है। वर्ष के दौरान सहायता प्राप्त 12 में से 6 परियोजनाएं महिलाओं के नेतृत्व वाली या महिलाओं की बहुलता वाली रही।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा ग्रिड कार्यक्रम के अंतर्गत 6 परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन भी किया गया। इसके निष्कर्षों से भविष्य में परियोजनाओं की रूपरेखा में सुधार, सफल मॉडलों के विस्तार तथा कार्यक्रम की समग्र प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। बैंक ने दस्तकारों के वित्तीय सशक्तीकरण, रोजगार सृजन तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।



बाजारों का विविधीकरण

मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं

ऐसे कई पारंपरिक हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जो सामाजिक-आर्थिक ढांचे में सबसे निचले पायदान के दस्तकारों के हाथों से आकार लेते हैं और उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वो पहचान नहीं मिल पाई है, जिनके वो हकदार हैं। ऐसे में, बैंक भारतीय फर्मों,

ग्रासरूट उद्यमों और दस्तकारों के वैश्वीकरण प्रयासों में सहयोग प्रदान करता रहा है। इस क्रम में, बैंक उनके उत्पादों के लिए विदेशी वितरकों, खरीदारों एवं साझेदारों को चिह्नित करने में सक्रिय सहायता करता है और अपने मार्केटिंग सलाहकारी सेवाएं कार्यक्रम के अंतर्गत सफलता शुल्क के आधार पर ये सेवाएं प्रदान करता है।

भारत के पारंपरिक उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने और इस दिशा में अधिक व्यापक भूमिका निभाने के उद्देश्य से, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान मुंबई में आयोजित प्रतिष्ठित काला घोड़ा कला महोत्सव के साथ अपनी रणनीतिक सहभागिता को जारी रखा। इस सहयोग के माध्यम से उपभोक्ता बाजारों तक दस्तकार समुदायों की पहुंच उल्लेखनीय रूप से बढ़ी और उन्हें अपने कलात्मक कौशल को दुनिया के सामने रखने के लिए एक व्यापक मंच मिला। इस प्रदर्शनी में पारंपरिक एवं समकालीन कला, शिल्प और वस्त्र उपलब्ध कराए गए। इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों से 200 से अधिक दस्तकारों और ग्रासरूट उद्यमों ने भाग लिया। इनमें से 20 राज्यों के 60 से अधिक दस्तकारों को बैंक द्वारा प्रायोजित किया गया। महोत्सव के दौरान, बैंक ने पांच कार्यशालाएं भी आयोजित की। साथ ही, "विरासत को मिला नया क्षितिज - भारत के शिल्प की संवर्धक 12 कहानियां" शीर्षक से सफलता की कहानियों पर आधारित पांचवीं पुस्तिका का विमोचन भी किया। महोत्सव के दौरान दस्तकारों को प्रत्यक्ष बिक्री के अलावा, घरेलू विक्रेताओं और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मध्य-पूर्व के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों से भी ऑर्डर मिले।

ग्रासरूट उद्यमों एवं दस्तकारों को अपनी पहुंच बढ़ाने और उन्हें सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक उन्हें "एक्जिम बाज़ार" नाम से एक विशिष्ट मार्केटिंग मंच प्रदान करता है। वर्ष 2017 में शुरू हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न भारतीय शहरों में अब तक दस 'एक्जिम बाज़ार' आयोजित किए जा चुके हैं। इससे भारत की पारंपरिक कला और शिल्प के प्रति जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। साथ ही, दस्तकारों की पारंपरिक

कला और शिल्प को एक बड़ा मंच मिला है। वर्ष के दौरान, बैंक ने फरवरी 2026 में नई दिल्ली के दिल्ली हाट, आईएनए में 10वां 'एक्जिम बाज़ार' आयोजित किया। इस आयोजन में देश के 22 से अधिक राज्यों से 80 से अधिक दस्तकारों एवं ग्रासरूट उद्यमों ने हिस्सा लिया। इसके माध्यम से ग्रासरूट उद्यमों को त्वरित बिक्री के अवसर तो मिले ही, उन्हें कॉर्पोरेट तथा खुदरा खरीदारों के साथ संपर्क स्थापित करने में भी मदद मिली। साथ ही, आगंतुकों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और देश के विविध कला रूपों से भी परिचय का अवसर मिला। इस प्रदर्शनी में मधुबनी पेंटिंग, लेदर पपेट्री, वारली पेंटिंग, पिछवाई चित्रकला, पट्टचित्र पेंटिंग, फड़ पेंटिंग, बनारसी रेशमी वस्त्र, कावड़ कला, कलमकारी वस्त्र, चंदेरी बुनाई, ब्लॉक प्रिंटेड वस्त्र, एप्लिक टेक्सटाइल्स, सेरामिक पॉटरी, ब्लू पॉटरी, टेराकोटा, बस्तर कला, ढोकरा कला, लकड़ी की कला, क्रोशिया कला, कश्मीरी वस्त्र आदि पारंपरिक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध रहे।

वर्ष के दौरान, बैंक को निर्यातकों से विदेशों में संभावित खरीदारों को चिह्नित करने में सहयोग प्रदान करने के लिए निरंतर मेंडेट मिलते रहे। इनमें हथकरघा एवं हस्तशिल्प, कृषि, बागवानी, एफएमसीजी, बेकरी, फोर्जिंग, चमड़ा, परफ्यूमरी तथा प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग से जुड़े निर्यातक शामिल हैं। बैंक ने तमिलनाडु और राजस्थान के हथकरघा वस्त्रों तथा कर्नाटक के हस्तशिल्प उत्पादों को संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस के अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा। बिहार की शाही लीची तथा महाराष्ट्र के स्वदेशी अंगूरों को क्रमशः संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी के सुपरमार्केट्स में सफलतापूर्वक स्थान दिलाया। वर्ष के दौरान, बैंक ने महाराष्ट्र के एफएमसीजी एवं कन्फेक्शनरी उत्पादों को बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सुपरमार्केट चेन में उपलब्ध कराने में भी सहयोग दिया। साथ ही, महाराष्ट्र के गुलाबों के लिए सिंगापुर में खरीदारों से संपर्क स्थापित कराने में भी सहायता की।



भारत के ग्रासरूट उद्यमों के संवर्धन के जरिए समावेशी विकास

बैंक ने आंध्र प्रदेश के नरसापुर में 100 क्रोशिया दस्तकारों को सहायता प्रदान की। यह सहायता कौशल विकास कार्यक्रम और सिलाई मशीनों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रदान की गई।



बैंक ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चमड़ा उत्पादों हेतु एक डिजाइन स्टूडियो एवं कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद और प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए कानपुर लेदर क्लस्टर को सहायता प्रदान की।

बैंक ने केरल के वाझाकुलम में अनानास कृषकों को मैकेनाइज्ड फील्ड प्रेपरेशन मशीन तथा पावर स्प्रेयरों की खरीद के लिए सहायता प्रदान की।





बैंक ने कर्नाटक के रामनगर में चन्नापटना खिलौनों के उत्पादन के लिए कॉमन सुविधा केंद्र में स्थापना के लिए उपकरणों एवं मशीनरी की खरीद और मास्टर दस्तकारों के लिए उत्पाद डिजाइन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की।

बैंक ने कोल्हापुर कास्टिंग एंड मशीन गियर्स क्लस्टर के कॉमन सुविधा केंद्र में प्रिंसीजन 3डी स्कैनिंग सॉल्यूशन फैसिलिटी और कास्टिंग सिमुलेशन टेक्नोलॉजी फैसिलिटी के लिए सहायता प्रदान की।



बैंक ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में कॉमन सुविधा केंद्र के अंतर्गत तकनीकी कौशल विकास केंद्र की स्थापना के लिए मशीनों की खरीद तथा तकनीशियनों के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान की।



संपर्क कार्यक्रमों के जरिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा

बैंक ने केरल के कोच्चि में 'प्रगति को गति: एशिया-प्रशांत में समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए रणनीतियाँ' विषय पर सेमिनार आयोजित किया। इस सेमिनार में श्री एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और श्री ए.पी.एम मोहम्मद हनीश, प्रधान सचिव (उद्योग), केरल सरकार उपस्थित रहे।



बैंक ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ मिलकर एडीबी द्वारा निधिक परियोजनाओं में व्यवसाय अवसरों पर दिल्ली में सेमिनार का आयोजन किया।

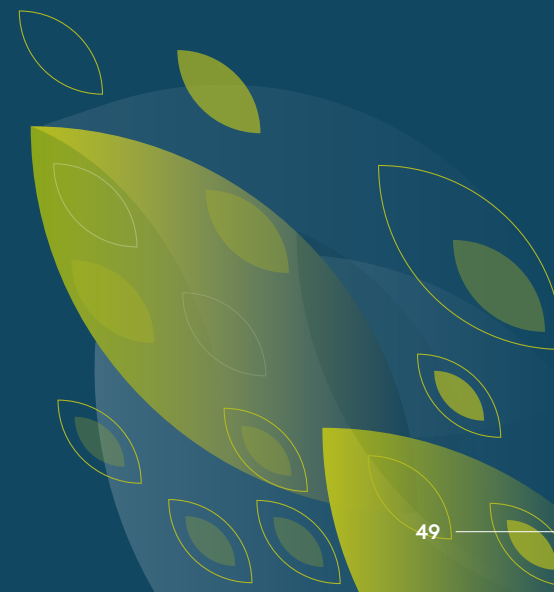


बैंक ने भारतीय निर्यातक संघ संगठन के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इस क्षेत्र के निर्यातानुमुखी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहयोग प्रदान करने के लिए बैंक के उत्पादों और सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करना था।

संवर्धन और विकास भूमिका शोध, सम्मान, संपर्क और प्रभाव

एक्जिम बैंक अपनी विभिन्न वित्तीय सेवाओं के जरिए निर्यातकों को उनके व्यापार एवं विदेशी निवेशों में सहायता प्रदान करने के साथ-साथ एक विकास वित्त संस्था के रूप में भी कार्य करता है। अपनी इस भूमिका में बैंक भारतीय कंपनियों की निर्यात क्षमताओं और उनकी अंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है।

इस क्रम में, बैंक वैश्विक परिदृश्य से संबंधित समकालीन विषयों पर शोध-आधारित गहन विश्लेषण साझा करता है। भारतीय निर्यातकों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश के अवसर चिह्नित करता है, तथा संपर्क कार्यक्रमों के माध्यम से हितधारकों से जुड़ता है और जानकारी का प्रसार करता है। इन प्रयासों का उद्देश्य व्यवसाय अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, निर्यात क्षमता विकसित करना तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। बैंक शैक्षणिक एवं कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के महत्त्व को समझते हुए भारत और विदेशों में प्रमुख संस्थाओं के साथ अपने सुदृढ़ संस्थागत नेटवर्क का सदुपयोग कर भारतीय उद्यमों के सशक्तीकरण में योगदान देता है। इस तरह, बैंक वैश्विक व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने में योगदान देता है।





शोध एवं विश्लेषण

बैंक का शोध एवं विश्लेषण समूह गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन करता है और उपयोगी जानकारीयां प्रदान करता है। यह समूह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य, व्यापार एवं निवेश, क्षेत्र-विशेष के विश्लेषण, वैश्विक एवं क्षेत्रीय विषयों, राज्य-स्तरीय निर्यात रणनीतियों तथा नीति-संबंधित अध्ययनों सहित विभिन्न विषयों पर शोध कार्य करता है। इन शोध कार्यों को शोध पत्रों एवं न्यूजलेटर के रूप में प्रकाशित किया जाता है। ये शोध अध्ययन भारत की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए संभावित अवसरों को चिह्नित करने का काम भी करते हैं, जो नीति निर्माताओं, उद्योग जगत तथा अन्य हितधारकों के लिए उपयोगी होते हैं।

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों एवं उद्योगों पर केंद्रित 20 शोध अध्ययन प्रकाशित किए गए।

देश/क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययनों में अफ्रीका, एशिया-प्रशांत, खाड़ी क्षेत्र, एलएसी तथा साइप्रस शामिल रहे। वहीं, उद्योग-विशिष्ट अध्ययनों में महत्वपूर्ण खनिजों, पर्यटन, नॉन-लेदर फुटवेयर, रत्न एवं आभूषण, मेडिकल उपकरण तथा ड्रोन जैसे क्षेत्र शामिल रहे। इनमें भारत के लिए व्यापार एवं निवेश अवसरों को रेखांकित किया गया है।

भारत से निर्यातों को बढ़ावा देने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, बैंक राज्य सरकारों के साथ मिलकर राज्य-स्तर पर निर्यात निष्पादन एवं संभावनाओं का आकलन करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता रहा है। इसके साथ ही, बैंक राज्यों की निर्यात स्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लक्षित रणनीतियां भी सुझाता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने केरल तथा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए राज्य-केंद्रित निर्यात रणनीति से संबंधित अध्ययन प्रकाशित किए। इन अध्ययनों में अन्य

के साथ-साथ, व्यापार वित्त, भारत के हरित व्यापार का विश्लेषण, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की व्यापार स्पर्धात्मकता जैसे विषय शामिल किए गए।

अपनी निरंतर शोध पहलों के क्रम में, बैंक ने भारत के निर्यातों में होने वाले उतार-चढ़ावों को तिमाही आधार पर ट्रैक करने और उनके पूर्वानुमान के लिए एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स (ईएलआई) तैयार करने हेतु आंतरिक मॉडल विकसित किया है। इस ईएलआई मॉडल के आधार पर, बैंक ने पूर्ण वर्ष (2025-26) के लिए कुल वस्तु निर्यात 455.6 बिलियन यूएस डॉलर, गैर-तेल निर्यात 401.6 बिलियन यूएस डॉलर तथा गैर-तेल एवं गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 364.9 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान जारी किया था। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल, 2026 को जारी वास्तविक (प्रारंभिक) अनुमानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल वस्तु निर्यात 441.8 बिलियन यूएस डॉलर, गैर-तेल निर्यात 387.9 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल व गैर-रत्न एवं आभूषण निर्यात 359.7 बिलियन यूएस डॉलर के रहे। वर्ष के दौरान भू-राजनीतिक परिस्थितियों के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आने तथा निर्यातों के प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।



उत्कृष्टता को सम्मान

बैंक ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान (ईरा) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भारतीय नागरिकों द्वारा अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबंधित वित्तपोषण के क्षेत्र में शोध और डॉक्टोरल डिग्री को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2024 के लिए यह सम्मान डॉ. प्रकृति ठाकुर को "व्यापार, पर्यावरण और विनियम पर निबंध" शीर्षक वाली उनकी डॉक्टोरल थीसिस के लिए प्रदान किया गया है।

बैंक ने शैक्षणिक उत्कृष्टता को सहयोग करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए वर्ष 2016 में "ब्रिक्स आर्थिक शोध वार्षिक सम्मान" (ब्रिक्स सम्मान) की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र, व्यापार, विकास और संबद्ध वित्तपोषण के क्षेत्र में ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए प्रासंगिक समसामयिक विषयों पर केंद्रित उन्नत डॉक्टोरल शोध को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2025 के लिए यह सम्मान डॉ. अनिर्बन सान्याल को उनकी डॉक्टोरल थीसिस "वैश्विक एकीकरण और संरक्षणवादी उपायों का प्रभाव" के लिए दिया गया है।

बैंक और भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), किसी भारतीय कंपनी द्वारा अपनाई गई उत्कृष्ट गुणवत्ता प्रबंधन पद्धतियों के लिए सीआईआई-एक्जिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता सम्मान के जरिए भारतीय कंपनियों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देते हैं। 2025 में 20 कंपनियों को अलग-अलग स्तरों पर सम्मानित किया गया। इनमें से 6 कंपनियों को प्लैटिनम और 2 को गोल्ड प्लस स्तर पर सम्मानित किया गया।



संपर्क कार्यक्रम

बैंक द्वारा भारतीय निर्यातकों को जानकारीयां प्रदान करने और भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश में उनकी भागीदारी बढ़ाने के क्रम में विभिन्न कार्यक्रमों, सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निर्यातकों के लिए 17 संपर्क कार्यक्रम और सेमिनार आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से निर्यात क्षमता सृजन, व्यवसाय अवसर, चुनिंदा देशों और क्षेत्रों में व्यापार और निवेश की संभावनाओं तथा चुनिंदा भारतीय राज्यों की निर्यात संभावनाओं जैसे विषयों पर केंद्रित रहे।

ये कार्यक्रम मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) पर लक्षित रहे, और मुख्य रूप से भारत में टियर II और टियर III शहरों में आयोजित किए गए।



सामुदायिक उत्थान से बदलता जीवन, सामाजिक प्रगति को गति



बैंक द्वारा सहयोग प्राप्त मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया गया। इससे महाराष्ट्र के परभणी जिले के 40 गांवों में वंचित समुदायों तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद मिल रही है।

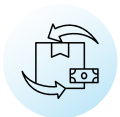
बैंक ने अपनी सीएसआर पहलों के अंतर्गत बिहार में एडु लीडर के रूप में 100 लड़कियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहायता प्रदान की।



बैंक की सीएसआर पहल के अंतर्गत ग्रामीण जीवन को बेहतर करने के क्रम में देश के 5 राज्यों में 60,000 पौधे लगाए गए।

इन कार्यक्रमों का एक प्रमुख उद्देश्य इन उद्यमों को विशेष रूप से बैंक के उभरते सितारे कार्यक्रम और व्यापार सहायता कार्यक्रम सहित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना था।

इन सेमिनारों के जरिए प्रतिभागियों को बहुमूल्य जानकारी के साथ-साथ नेटवर्किंग के अवसर और विशिष्ट वक्ताओं तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी मिला। ये कार्यक्रम नवोदित उद्यमियों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए उपयोगी रहे, जिनमें उन्हें अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं को लेकर अपनी समझ बढ़ाने और वैश्विक बाजारों में एकीकरण को सुगम बनाने में मदद मिली।



एक्जिम बैंक का ट्रेड कॉन्क्लेव

बैंक ने 24 जून, 2025 को नई दिल्ली में "निर्यात वृद्धि से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि" थीम पर एक ट्रेड कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन माननीय वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, भारत सरकार, श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा किया गया। इन्होंने इस अवसर पर बीज वक्तव्य भी दिया। माननीय वित्त मंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय निर्यातकों को सशक्त बनाने एवं निर्यात-आधारित विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित पांच प्रमुख कदमों का उल्लेख किया: (i) परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता एवं वैश्विक स्पर्धात्मकता में सुधार हुआ है; (ii) विभिन्न प्रमुख पहलों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहयोग; (iii) निर्यात फैक्ट्रिंग सेवाएं प्रदान कर रही आईटीएफएस और गिफ्ट सिटी स्थित एक्जिम बैंक की सहायक इकाई एक्जिम फिनसर्व जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापार वित्त में वृद्धि; (iv) 'निर्यात केंद्र के रूप में जिले' पहल के अंतर्गत व्यापार के लिए क्लस्टर विकास को बढ़ावा; तथा (v) विभिन्न भागीदार देशों के साथ एफटीए के लिए निगोशिएशन। माननीय वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन ने यह भी रेखांकित किया कि 'टैप' भारत में अपनी

तरह की अनूठी व्यापार सुगमीकरण पहल है। इसके जरिए वित्त की उपलब्धता बढ़ाते हुए भारतीय निर्यातकों की पहुंच उच्च जोखिम वाले बाजारों तक बनाने में योगदान दिया जा रहा है।

इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री ने श्री पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री एवं श्री एम. नागराजू, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में एक्जिम बैंक के लखनऊ, इंदौर और ब्राजील के साओ पाउलो स्थित नए कार्यालयों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। ये कार्यालय वर्तमान एवं भावी निर्यातकों को सहायता प्रदान करने और नए बाजारों तक उनकी पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बैंक द्वारा उच्च संभावनाओं वाले नवोद्यमों को सहयोग प्रदान करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक तकनीकी सहायता करार भी किया गया। इस कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं के प्रमुखों, निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों तथा शिक्षाविदों सहित बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया।



संस्थागत संबद्धताएं

बैंक के प्रमुख मैडेट में से एक है, बहुपक्षीय बैंकों, निर्यात ऋण एजेंसियों और वैश्विक वित्तीय नेटवर्कों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करना और उन्हें सुदृढ़ बनाना। बैंक इस सहभागिता के जरिए अपनी वैश्विक उपस्थिति और विज़िबिलिटी को सुदृढ़ करता है। साथ ही, सह-वित्तपोषण, जानकारी के आदान-प्रदान और क्षमता विकास के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने मौजूदा सहभागिता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में नई संस्थागत सहभागिताएं स्थापित कीं।



एशियाई एक्जिम बैंक फोरम

बैंक ने वर्ष 1996 में एशियाई एक्जिम बैंक फोरम (एईबीएफ) नामक एक पहल शुरू की

थी, जिसके जरिए एशिया की निर्यात वित्तीय संस्थाओं को एक मंच पर लाया गया। इस फोरम के जरिए विचारों के आदान-प्रदान के साथ-साथ विशेषज्ञताएं साझा की जाती हैं तथा क्षेत्रीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। यह लगभग तीन दशकों से संस्थागत संवाद के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उभरा है और इसकी वार्षिक बैठकें शीर्ष नेतृत्व के बीच संपर्क का कार्य करती हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की और वियतनाम के एक्जिम बैंक इसके वर्तमान सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) स्थायी पर्यवेक्षक है।

बैंक के लिए वर्ष 2025 विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा। बैंक ने 17 से 20 नवंबर, 2025 के दौरान केरल के कोच्चि और कुमाराकोम में 30वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की। इसकी थीम थी- समृद्धि सूत्र - क्षेत्रीय समृद्धि के लिए साझा दृष्टिकोण के जरिए संबद्धता को सुदृढ़ करना सदस्य संस्थाओं और एडीबी के अलावा, अफ्रीकी निर्यात-आयात बैंक (अफ्रेक्जिमबैंक), एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कनाडा और यूके एक्सपोर्ट फायनंस ने इस सेमिनार में पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया। यह सहभागिता इस फोरम की बढ़ती वैश्विक पहुंच को दर्शाती है। इस बैठक के दौरान सेमिनार की थीम पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, सदस्य संस्थाओं द्वारा संबंधित अपडेट दिए गए और एईबीएफ की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया गया।

इसके अलावा, बैंक द्वारा "प्रगति को गति: एशिया-प्रशांत में समावेशी और सुदृढ़ आर्थिक विकास के लिए रणनीतियां" विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव, श्री एम. नागराजू और केरल सरकार के मुख्य सचिव (उद्योग), श्री ए.पी.एम. मोहम्मद हनीश सहित उच्चाधिकारियों ने हिस्सा लिया। सेमिनार के दौरान, बैंक के तीन प्रकाशनों का विमोचन किया गया और पैनल चर्चा में व्यापार परिदृश्य एवं संरक्षणवाद के ट्रेंड के साथ-साथ बंदरगाह विकास, पर्यटन, अक्षय ऊर्जा एवं डीप टेक क्षेत्रों में संपोषी निवेश जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।



सशक्त उपस्थिति, सतत प्रगति



जून 2025 में 'निर्यात वृद्धि से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि' विषय पर नई दिल्ली में आयोजित एक्जिम बैंक के ट्रेड कॉन्क्लेव को माननीय वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन ने संबोधित किया। इस अवसर पर माननीय वित्त मंत्री ने लखनऊ, इंदौर एवं ब्राज़ील के साओ पाउलो स्थित एक्जिम बैंक के नए कार्यालयों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन भी किया।

बेंगलुरु में आयोजित हुए 33वें सीआईआई उत्कृष्टता सम्मेलन के दौरान व्यवसाय उत्कृष्टता के लिए छह कंपनियों को प्लैटिनम स्तर पर और दो कंपनियों को गोल्ड प्लस स्तर पर सीआईआई-एक्जिम बैंक व्यवसाय उत्कृष्टता सम्मान प्रदान किया गया।



एशियाई एक्जिम बैंक फोरम की 30वीं वार्षिक बैठक केरल में हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता इंडिया एक्जिम बैंक द्वारा की गई। इस बैठक में सात सदस्य संस्थाओं और चार पर्यवेक्षी संस्थाओं के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सहभागिता की गई। सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने इस वार्षिक बैठक की थीम 'समृद्धि सूत्र: क्षेत्रीय समृद्धि के लिए साझा विज़न से संबंधों को सुदृढ़ करना' पर अपने विचार साझा किए।



भारत के एयरोस्पेस क्षेत्र को सुदृढ़ करना

बैंक ने दो विमानों तथा हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के आंशिक वित्तपोषण के लिए मीयादी ऋण को मंजूरी दी है, जिनका उपयोग लीज़ पर देने के किया जाएगा।



बैंक ने अपने उभरते सितारे कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटी मद्रास से इन्व्यूबेट की गई एक प्रारंभिक चरण वाली स्पेस-टेक कंपनी को सहयोग प्रदान किया, जो छोटे उपग्रहों के लिए कक्षा-स्तरीय रॉकेटों के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण का कार्य करती है। इस सहयोग से कंपनी को प्रोटोटाइप विकसित करने तथा प्रक्षेपण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी।

वर्ष के दौरान, बैंक ने आईबीएफ प्रशिक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में भी भूमिका निभाई और प्रशिक्षण आवश्यकताओं के समन्वय से लेकर विषय-आधारित कैलेंडर बनाने और सदस्य संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक को सुगम बनाने का काम किया। इसके तहत बैंक ने प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम "जीएसएस+वित्त अवसर एवं विनियामकीय फ्रेमवर्क" (जून 2025 में मैसूरु में) आयोजित किया। यह महामारी के बाद तकनीकी कार्य समूह की वैयक्तिक उपस्थिति वाली पहली बैठक रही। इस बैठक में संपोषी वित्तीय, ईएसजी जोखिम, ग्रीनवॉशिंग और सरस्टैनेबिलिटी रिपोर्टिंग जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इस प्रशिक्षण में कर्नाटक के हासन स्थित एक टेक्सटाइल इकाई का दौरा भी शामिल रहा। इससे प्रतिभागियों को वहां अपनाई गई संपोषी पद्धतियों और संसाधन-दक्ष तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव मिला। साथ ही, कोरिया एक्विजम बैंक, फिलीपीन गारंटी कॉर्पोरेशन और एडीबी द्वारा क्रमशः जहाज वित्तपोषण, एमएसएमई वित्तपोषण और जेंडर उत्तरदायी वित्तपोषण विषयों पर वेब-आधारित तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।



अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस (एआईपीडी)

बैंक द्वारा अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) की वार्षिक बैठकों के साथ-साथ प्रतिवर्ष 'अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस' (एआईपीडी) का आयोजन किया जाता है। यह अफ्रीका के साथ भारत की विकास भागीदारी को सुदृढ़ करने में एक प्रमुख मंच के रूप में कार्य करता है।

10वां अफ्रीका-भारत भागीदारी दिवस 28 मई, 2025 को आबिदजान, कोत दि'वार में 60वीं एएफडीबी वार्षिक बैठक के अवसर पर किया गया। इसकी थीम थी, "पूँजी प्रबंधन: अफ्रीका के संपोषी विकास को गति देने में भारत की भूमिका" इस कार्यक्रम में अफ्रीकी सरकारों, बहुपक्षीय संस्थाओं तथा उद्योग जगत के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

इसमें भारत सरकार, कोत दि'वार सरकार और एएफडीबी के उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता रही।



संस्थागत सम्मान

वर्ष के दौरान, बैंक को दो प्रमुख विकास वित्त मंचों के जरिए उल्लेखनीय रूप से सम्मानित किया गया। आबिदजान में (26 मई, 2025 को) आयोजित एसोसिएशन ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट फायनैंस इंस्टीट्यूशन्स (एएडीएफआई) की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर परामर्श बैठक एवं सम्मान समारोह में बैंक को 'सर्वाधिक निरंतर गैर-अफ्रीकी बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था सदस्य' के रूप में सम्मानित किया गया। बैंक को यह सम्मान एएडीएफआई के साथ लगभग तीन दशकों से लगातार जुड़े रहकर काम करने के लिए दिया गया। इसके अलावा, एशिया और प्रशांत में विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एडफिएप) की वार्षिक बैठक के दौरान, बैंक को 'संपोषी वित्त कार्यक्रम' के लिए भी सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम बैंक के वित्तपोषण परिचालनों में सरस्टैनेबिलिटी को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



व्यापक बहुपक्षीय एवं ज्ञान-साझाकरण सहभागिताएं

बैंक ने अपनी क्षेत्रीय सहभागिता के अलावा, वर्ष के दौरान द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ज्ञान-साझाकरण पहलें कीं। लैटिन अमेरिका में, बैंक ने लैटिन अमेरिकी विकास वित्त संस्थाओं के संघ (एलीडे) के साथ व्यापार वित्त पर एक संयुक्त वेबिनार (दिसंबर 2025) का सह-आयोजन किया। इसके अलावा, बैंक ने लैटिन अमेरिकी विकास बैंक (सीएएफ) के साथ एलएसी क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों के लिए उपलब्ध वित्तपोषण अवसरों पर एक अलग वेबिनार आयोजित किया। बैंक ने यूरोशियाई विकास बैंक (ईडीबी) के साथ अपनी तरह

का पहला संयुक्त वेबिनार भी सह-आयोजित किया। इस वेबिनार में भारत और मध्य एशिया के बीच अप्रयुक्त व्यापार एवं निवेश संभावनाओं पर आधारित एक संयुक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट भी जारी की गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने जी-नेक्सिड के साथ सक्रिय एवं बहुआयामी सहभागिता बनाए रखी तथा जानकारी के आदान-प्रदान और सदस्य संस्थाओं की क्षमता विकास संबंधी गतिविधियों में सार्थक योगदान दिया है। बैंक ने जी-नेक्सिड की वार्षिक बैठक में भाग लिया और नेटवर्क के भावी प्रयासों के लिए इनपुट प्रदान किए। बैंक के अधिकारियों ने व्यापार वित्त में नवाचार विषय पर आयोजित जी-नेक्सिड के ऑनलाइन प्रशिक्षण और व्यवसाय संवाद कार्यक्रम में भी भागीदारी की। इसके अलावा, बैंक द्वारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के वैश्विक प्रतिभागियों के लिए एक वक्ता सत्र भी आयोजित किया गया।

ब्रिक्स अंतरबैंक सहयोग व्यवस्था के अंतर्गत भारत के नामित सदस्य के रूप में, बैंक ने रियो डी जेनेरो में बीएनडीईएस द्वारा आयोजित 15वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया और ब्रिक्स की वित्तीय संरचना में अपनी भूमिका को पुनः सुदृढ़ किया।



कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

बैंक अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों के जरिए सार्थक एवं संपोषी सामाजिक प्रभाव के लिए स्वैच्छिक रूप से प्रतिबद्ध रहा है। बैंक की सीएसआर रणनीति का मुख्य रूप से स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण एवं आजीविका सहयोग तथा पर्यावरणीय सरस्टैनेबिलिटी पर केंद्रित रही है। इससे समावेशी विकास और दीर्घकालिक सामुदायिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने इन प्रमुख क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए सहायता दी और देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वसनीय गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ

मिलकर काम किया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में, बैंक ने चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचा सुदृढ़ करने, किफायती स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और वंचित समुदायों में निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहित करने वाली पहलों के लिए सहायता प्रदान की।

बैंक ने तमिलनाडु में क्रिटिकल केयर इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से क्रिशिचयन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर को एक आपातकालीन ऑपरेशन कक्ष में संबंधित सुविधाएं बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान की। दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए बैंक ने डॉ. माने मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर के साथ साझेदारी कर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के अक्कलकुवा, धड़गांव (अक्राणी) और तलोदा ब्लॉकों के 40 गांवों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाई की स्थापना में सहायता की। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट लाना है।

तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने और गरीब, वृद्ध एवं कमजोर वर्गों को निःशुल्क डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में बैंक ने तमिलनाडु के रणिपेट स्थित तिरुमलाई मिशन अस्पताल में चार डायलिसिस मशीनों की खरीद के लिए तिरुमलाई चैरिटी ट्रस्ट को सहयोग किया।

मासिक धर्म हाइजीन एवं स्वच्छता को बढ़ावा देना भी बैंक की प्राथमिकता रही है। इस दिशा में बैंक ने चर्च के ऑक्जिलियरी फॉर सोशल एक्शन के साथ मिलकर महाराष्ट्र के परभणी जिले के 40 गांवों में महिलाओं एवं बालिकाओं के बीच जागरूकता सत्र आयोजित किए और 22,000 से अधिक पुनः उपयोग योग्य

सैनिटरी पैड वितरित किए। इसके अलावा, बैंक ने महाराष्ट्र में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों में सैनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसीनेरेटर स्थापित करने के लिए टीम विज़न फाउंडेशन का सहयोग किया।

पोषण संबंधी सहायता के क्रम में बैंक ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अक्षय पात्र फाउंडेशन के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए सहायता प्रदान की।

बैंक ने शैक्षणिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने और सभी के लिए समान शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित करने के क्रम में विभिन्न पहलों के लिए सहयोग जारी रखा। बैंक ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आकाश गंगा एजुकेशनल सोसायटी (हिमालयन स्कूल ऑफ लाइफ) को आठ अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की। उत्तर प्रदेश में, रामदत्त सेवा संस्थान (गुरुकुल पब्लिक स्कूल) में 30 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई। इससे शैक्षणिक संस्थानों में संपोषी ऊर्जा को बढ़ावा मिला।

इसके अलावा, बैंक ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के एक जिला परिषद विद्यालय में आईटी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के साथ भागीदारी की। इसके अंतर्गत डेस्कटॉप उपलब्ध कराए गए, जिससे विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षण सुगम हुआ। बैंक ने गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में जनजातीय बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए भाषा अनुसंधान एवं प्रकाशन केंद्र को भी सहायता प्रदान की।

कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार सृजन बैंक की प्रमुख सीएसआर गतिविधियों में से एक है। बैंक ने महाराष्ट्र के नाशिक में संभव फाउंडेशन के साथ मिलकर 400 बेरोजगार युवाओं को ईवी सेवा तकनीशियन एवं सोलर पीवी इंस्टॉलर जैसे उभरते क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए सहायता प्रदान की। इसके अलावा, औक्सीलियम स्किल्स अकादमी के साथ भागीदारी कर महाराष्ट्र के डहाणु क्षेत्र के जनजातीय युवाओं को टैली एवं आतिथ्य प्रबंधन (हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट) में प्रशिक्षण प्रदान किया। इससे उनके लिए रोजगार सृजन हुआ और आय के अवसर बढ़े। संपोषी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, बैंक ने सिलवासा स्थित अक्षय पात्र फाउंडेशन की रसोई में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया। इस सहयोग से स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग एवं अपशिष्ट को कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, बैंक ने आगा खां एजेंसी फॉर हैबिटेड इंडिया के साथ मिलकर महाराष्ट्र के धाराशिव ब्लॉक के विद्यालयों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापना और वृक्षारोपण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया।

शैक्षणिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने देश के 14 शैक्षणिक संस्थानों में छात्रवृत्ति योजनाएं शुरू की हैं। इन छात्रवृत्तियों के जरिए पात्र एवं मेधावी विद्यार्थियों, विशेष रूप से आरक्षित वर्ग के छात्रों को अपने शिक्षा व्यय का वहन करने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिली है।

मानव पूंजी निखरती प्रतिभा, उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन

बैंक अपनी मानव पूंजी को अपनी विकास यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानता है। मानव पूंजी ही है, जिससे बैंक प्रत्येक वर्ष नित-नई उंचाइयां छू रहा है।

बैंक संस्थागत लक्ष्यों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए उत्पादकता और प्रतिभा के साथ-साथ उत्साहपूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाला कार्य परिवेश विकसित करता है। बैंक के सभी कर्मचारियों के लिए विविधता बनाए रखते हुए समावेशिता और समान अवसर तथा सभी कार्यालयों में कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करना बैंक के लिए महत्व का विषय रहा है। इसके साथ ही, बैंक कर्मचारियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के क्रम में, उन्हें अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने और कौशल विकास की संस्कृति को भी बढ़ावा देता है।

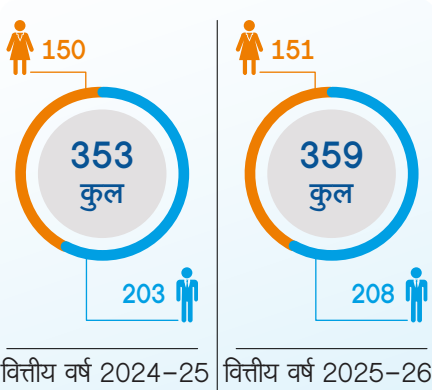




मानव संसाधन

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक के विभिन्न कार्यालयों और कार्यकलापों में 359 स्थायी कर्मचारी कार्यरत रहे। बैंक की जॉब रोटेशन नीति और अपने अधिकारियों की डोमेन विशेषज्ञता के अनुरूप, इन्हें विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। यह सुविचारित आवंटन इस दृष्टि से किया गया है कि इस कार्यबल की विशेषज्ञताओं और दृष्टिकोण में इस तरह सामंजस्य बनाए रखा जा सके कि यह निरंतर उत्कृष्टता की ओर बढ़ते रहने की बैंक की प्रतिबद्धता को पूरा करने में सहायक हो। बैंक के इस कार्यबल में विभिन्न विषय क्षेत्रों के प्रोफेशनल शामिल हैं। इनमें व्यवसाय प्रशासन, चार्टर्ड अकाउंटैंसी, अर्थशास्त्र, वित्तीय, प्रबंधन, मानव संसाधन, विधिक, सूचना प्रौद्योगिकी, भाषा विज्ञान और मार्केटिंग जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।

कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण

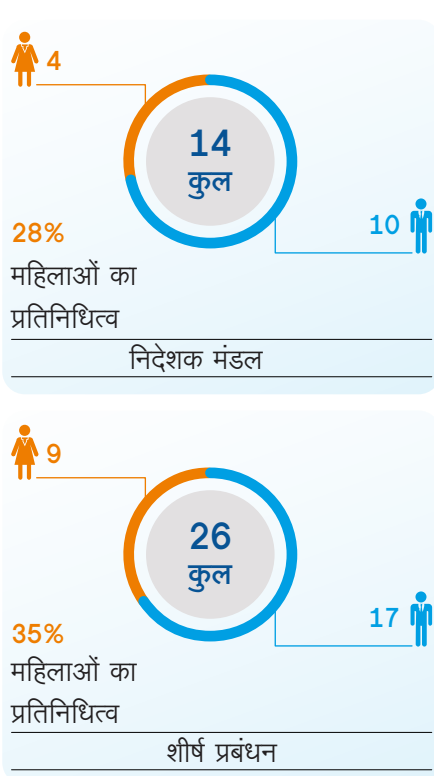


विविधता और समावेशन

विविधता और समावेशन बैंक की मानव संसाधन नीति के आधार स्तंभ हैं। बैंक के स्थायी कार्यबल में 42 प्रतिशत महिलाएं हैं। बैंक सभी स्तरों और कार्यालयों में लैंगिक समानता को प्राथमिकता देता है। बैंक में अपने सभी कार्यालयों और पदानुक्रम स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। बैंक लैंगिक निष्पक्षता सुनिश्चित करता है

और महिला कर्मचारियों की व्यक्तिगत और प्रोफेशनल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें एक अनुकूल और सहज परिवेश प्रदान करता है। बैंक संस्थागत विकास और सशक्तीकरण में महिला लीडरों की क्षमताओं को समझता है और उनके बहुमूल्य योगदान को सराहता है।

भारत सरकार द्वारा नामित किए गए बोर्ड और शीर्ष प्रबंधन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

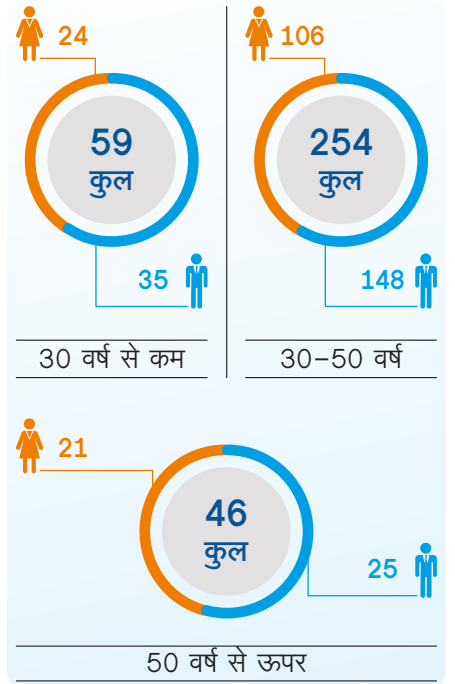


कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, बैंक लैंगिक उत्पीड़न के प्रति जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाता है। बैंक कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पूर्णतया अनुपालन करता है। यह नीति बैंक के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। इसमें किसी को हानि पहुंचाने की भावना को रोकने और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखने जैसे उपाय शामिल हैं। बैंक द्वारा इस प्रकार के मामलों को संवेदनशीलता और त्वरित रूप से देखने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है। इसमें कर्मचारियों की सुरक्षा और समावेशन की बैंक की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है। उल्लेखनीय है कि वर्ष के दौरान, बैंक में इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली,

जो दर्शाता है कि ये निवारक उपाय कितने प्रभावी हैं। इसके अलावा, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को सभी लाभ समान रूप से मिलें और इसके लिए बैंक में सभी स्तरों पर समानता को बनाए रखते हुए लैंगिक निष्पक्ष प्रतिकर नीति है।

स्थायी कर्मचारियों का लैंगिक और आयु संबंधी विवरण

(यथा मार्च 2026 को)



आरक्षण नीति संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन

बैंक अपनी भर्ती प्रक्रियाओं में भारत सरकार की आरक्षण नीति में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। बैंक द्वारा अपने कार्यबल में आरक्षित श्रेणियों के अधिकारियों का यथोचित प्रतिनिधित्व बनाए रखा जाता है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक में कुल स्थायी कर्मचारियों की संख्या 359 रही। इनमें से 43 कर्मचारी अनुसूचित जाति (एससी), 22 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 74 अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से रहे। बैंक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के स्टाफ सदस्यों सहित सभी अधिकारियों को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

साथ ही, बैंक द्वारा सभी अधिकारियों को समान अवसर और प्रशिक्षण प्रदान करना सुनिश्चित किया जाता है।



कर्मचारी लाभ और कल्याण

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप, बैंक द्वारा समान अवसर नीति का कार्यान्वयन किया गया है, जो समावेशिता और विविधता के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक आरक्षण नीतियों पर सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक अपने कार्यबल में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) सहित अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है। यह सजग एवं समावेशी दृष्टिकोण बैंक की इस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वह समानतापूर्ण एवं विविधतापूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयासरत है, जहां प्रत्येक कर्मचारी को विकास और सफलता के समान अवसर मिलें, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों या कोई भी योग्यता रखते हों।

दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या

(यथा 31 मार्च, 2026 को)



बैंक अपने कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनकी प्रोफेशनल और व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने वाली कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। इनमें अन्य के साथ-साथ पितृत्व अवकाश, स्वास्थ्य सेवाएं तथा सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली सुविधाएं शामिल हैं। सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में महिला और पुरुष, दोनों कर्मचारी क्रमशः मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए पात्र हैं। इसके अलावा, बैंक मृत्यु, दिव्यांगता या गंभीर बीमारी/ चोट जैसे चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भी अपने कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को यथोचित सहयोग प्रदान करता है। बैंक की लागू योजनाओं के अनुसार और व्यक्तिगत परिस्थितियों और अनुकंपा के आधार पर ऐसे मामलों में अनुग्रह भुगतान, वित्तीय सहायता या कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू प्रावधानों के अनुसार ग्रेच्युटी, पेंशन, भविष्य निधि एवं एनपीएस जैसे टर्मिनल लाभों सहित, सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं।

कर्मचारी कल्याण के महत्व को ध्यान में रखते हुए बैंक अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्यालय में योग और जिम जैसी

सुविधाएं प्रदान करता है। ये पहलें कर्मचारियों के शारीरिक-मानसिक स्वास्थ्य लाभ और संतुलित जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदान की जाती हैं।

निरंतर सीखने और कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक, कर्मचारियों को नियमित रूप से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करता है। कर्मचारियों की करियर महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बैंक उन्हें उच्च शिक्षा और पेशेवर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो लागू योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले सहयोग से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, सामूहिक शिक्षण और पेशेवर विकास को बढ़ावा देने के लिए नियमित आंतरिक ज्ञान-साझाकरण सत्र आयोजित किए जाते हैं। कर्मचारियों को अपने सुझाव एवं नवोन्मेषी विचार साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे प्रक्रियाओं में सुधार और कार्य दक्षता में वृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा सतत सुधार की संस्कृति को सुदृढ़ किया जा सके।

कर्मचारियों के बीच आपसी सौहार्द को सुदृढ़ करने तथा उन्हें दिनचर्या से विराम देने के लिए बैंक खेल दिवस, आउटबाउंड रिट्रीट तथा वार्षिक सम्मिलन जैसे वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इन पहलों के माध्यम से बैंक अपने कर्मचारियों के समग्र विकास और कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और सुदृढ़ करता है।

वित्तीय वर्ष 25-26 में प्रशिक्षित कर्मचारी

(संख्या)

	पुरुष	महिला	कुल
कनिष्ठ प्रबंधन	31	33	64
मध्य प्रबंधन	87	67	154
वरिष्ठ प्रबंधन	57	35	92
शीर्ष प्रबंधन	7	04	11
कुल	182	139	321



भारत के विकास के लिए प्रतिबद्ध



बैंक ने "शिवालिक" और "सहाद्री" नामक दो गैस वाहक जहाजों के अधिग्रहण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। इनके जरिए मार्च 2026 में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी की आपूर्ति की गई। इससे क्षेत्रीय तनावों के बीच भारत की ऊर्जा आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने में सहायता मिली।



बैंक ने ओडिशा के पारादीप में एक क्रूड ऑयल आयात टर्मिनल के निर्माण सहित नुमालीगढ़ में एक रिफाइनरी विस्तार परियोजना को सहयोग प्रदान किया। साथ ही, रिफाइनरी तक क्रूड ऑयल के परिवहन के लिए पारादीप से नुमालीगढ़ तक 1,635 किमी लंबी क्रूड ऑयल पाइपलाइन के लिए भी सहायता प्रदान की गई।

संस्थागत अवसंरचना विकास एवं गवर्नैस संबंधी संरचना

एक सुदृढ़ संस्थागत संरचना किसी भी सफल संस्था की आधारशिला होती है। एक सार्वजनिक संस्था के रूप में, बैंक सत्यनिष्ठा एवं नैतिक आचरण के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ये इसके परिचालन के मूल आधार हैं।

बैंक सभी लागू दिशानिर्देशों, दायित्वों एवं सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन में बनाई जाने वाली प्रत्येक नीति एवं रणनीति के प्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी एवं प्रबंधन सुनिश्चित करता है। विभिन्न समितियों में बहुकार्यात्मकता (क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व) से लाभान्वित होते हुए बैंक विविध पहलुओं को बढ़ावा देने के साथ-साथ विनियामकीय अनुपालन भी सुनिश्चित करता है। डिजिटल अवसंरचना के आधुनिकीकरण की दिशा में बैंक की निरंतर प्रगति केवल तकनीकी उन्नयन नहीं, बल्कि लगातार बदलती वैश्विक परिस्थितियों में प्रासंगिकता एवं प्रभावशीलता बनाए रखने के क्रम में संस्थागत संरचना को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने की एक रणनीतिक पहल है।



ट्रेजरी

बैंक की ट्रेजरी बैंक की लिक्विड आस्तियों को संभालती है। साथ ही, विनियामकीय दिशानिर्देशों और बैंक के आंतरिक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क तथा ट्रेजरी परिचालन नीति के अनुरूप प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा अधिशेष (सरप्लस) निधियों में निवेश का कार्य देखती है। यह बैलेंस शीट पर लिक्विडिटी तथा ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन करती है।

ट्रेजरी परिचालनों में मुद्रा बाजार और विदेशी मुद्रा विनिमय सौदों, प्रतिभूति ट्रेडिंग एवं सरप्लस निधियों के निवेश जैसे व्यापक क्रियाकलाप शामिल हैं। एक लाभ-केंद्र के रूप में कार्यरत ट्रेजरी का वर्ष-दर-वर्ष ट्रांजैक्शनों की बढ़ती संख्या के साथ बैंक की लाभप्रदता बढ़ाने में निरंतर योगदान रहा है।

बैंक ने प्रभावी जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के क्रम में अपने ट्रेजरी क्रियाकलापों को फ्रंट, मिड और बैक ऑफिस कार्यों में अलग-अलग रखकर एक संरचित दृष्टिकोण अपनाया है। इन क्रियाकलापों के प्रभावी निष्पादन के लिए बहु-प्रणाली और तकनीकी सुविधाओं से युक्त अत्याधुनिक डीलिंग रूम है। बैंक अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाने और त्वरित निर्णय को सुगम बनाने के लिए अपनी ट्रेजरी अवसंरचना में महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन करते हुए निरंतर सुधार कर रहा है। मूल्य निर्धारण, ऑर्डर निष्पादन तथा जोखिम की ट्रैकिंग को सुगम बनाने के लिए बैंक ऐप्लिकेशन-प्रोग्रामिंग आधारित एकीकरण का मूल्यांकन कर रहा है।

यह समूह ग्राहकों की हेजिंग आवश्यकताओं के प्रबंधन में भी मदद करता है और विदेशी मुद्रा विनिमय एवं ब्याज दर से जुड़े जोखिमों का प्रबंधन करते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले ट्रांजैक्शनों से शुल्क आय अर्जित करता है। इसके अलावा, यह निर्यात दस्तावेजों के कलेक्शन और निगोशिएशन, घरेलू और विदेशी साख पत्र एवं गारंटियां जारी करने के लिए तथा ग्राहकों की जरूरत के अनुसार संरचित वित्तीय समाधान प्रदान करने में भी सहायक है।

बैंक, निधीयन आवश्यकताओं में सहयोग और बैलेंस शीट जोखिमों के प्रबंधन के लिए

मुद्रा बाजार लिखतों (इंस्ट्रूमेंट) एवं डेरिवेटिव ट्रांजैक्शनों में सक्रिय रूप से प्रवृत्त रहता है, जिसका उद्देश्य किफायती लागत पर संसाधन जुटाना और बाजार एक्सपोजरों की हेजिंग करना है। बैंक के आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) क्रियाकलापों में भी ट्रेजरी की अहम भूमिका है। साथ ही, लिक्विडिटी, ब्याज दर जोखिम तथा बैलेंस शीट में असंतुलन की निगरानी व प्रबंधन हेतु एएलएम समिति के साथ समन्वय करता है।

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण, नियमित ऑडिट और व्यापक दबाव परीक्षण के माध्यम से ट्रेजरी पर लागू सभी विनियामकीय दिशानिर्देशों और आंतरिक नीतियों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। बैंक का जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क और ट्रेजरी परिचालन नीति में बदलते बाजार परिवेश के अनुरूप समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं।

बैंक भारतीय वित्तीय नेटवर्क का पंजीकृत सदस्य है और बैंक को बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) से रजिस्ट्रेशन प्राधिकरण का दर्जा प्राप्त है, जो डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करता है। बैंक के पास भारतीय रिजर्व बैंक के निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम - ऑर्डर मैचिंग प्लैटफॉर्म पर सरकारी प्रतिभूतियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में प्रतिभागिता के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र भी है। प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा विनिमय ट्रांजैक्शनों का निपटान केंद्रीय समाशोधन पार्टी, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से गारंटीत निपटान सुविधा के अंतर्गत किया जाता है। बैंक सीसीआईएल के ट्राय-पार्टी रेपो डीलिंग सिस्टम, क्लियर कॉर्प रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम तथा एफएक्स क्लियर का सदस्य भी है, जो रेपो एवं फॉरेक्स बाजार में ट्रांजैक्शनों को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा, बैंक में केंद्रीकृत स्विफ्ट अवसंरचना है, जिसकी कनेक्टिविटी लंदन शाखा के साथ भी है और यह वैश्विक वित्तीय संदेशों के संप्रेषण को सुगम बनाती है व मल्टिपल बैंक आइडेंटिफायर कोड्स को संभालने में सक्षम है।

आने वाले समय में बैंक के रणनीतिक विकास में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में ट्रेजरी की भूमिका को सुदृढ़ करने के क्रम में, ट्रेजरी द्वारा पोर्टफोलियो में विविधता लाने, विदेशी मुद्रा ग्राहक आधार को बढ़ाने तथा वैश्विक वित्तीय नेटवर्कों के साथ एकीकरण पर फोकस करना जारी रखा जाएगा।



आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम)

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के जोखिम प्रबंधन समूह के सहयोग से बाजार जोखिम की निगरानी और प्रबंधन करती है। एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, एल्को द्वारा लिक्विडिटी / ब्याज दर जोखिमों का प्रबंधन, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित व्यापक एएलएम / लिक्विडिटी नीतियों के अनुसार किया जाता है। एल्को की भूमिका में अन्य बातों के साथ-साथ, आरबीआई / बोर्ड द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं की तुलना में बैंक की मुद्रा-वार संरचनात्मक लिक्विडिटी और ब्याज दर संवेदनशीलता स्थितियों की समीक्षा करना, नकदी प्रवाहों के आवधिक दबाव परीक्षणों के परिणामों की निगरानी करना और ब्याज दर जोखिम के आधार पर एक उपयुक्त एएलएम रणनीति तैयार करना शामिल है। यह समीक्षा ब्याज दर जोखिम को (क) निवल ब्याज आय की संवेदनशीलता और (ख) ब्याज दर में उतार चढ़ाव की तुलना में अवधि अंतराल विश्लेषण के जरिए इक्विटी के आर्थिक मूल्य की संवेदनशीलता के विश्लेषण से मापा जाता है। सबसे खराब स्थिति वाले परिदृश्य में निधियों की कमी के आकलन के लिए मुद्रा-वार लिक्विडिटी स्थिति के दबाव परीक्षण नियमित रूप से किए जाते हैं और तदनुसार आकस्मिक निधीयन योजना बनाई जाती है। निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी), प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित निधि प्रबंधन / संसाधन योजना के अनुसार निवेशों / विनिवेशों और संसाधन जुटाने के संबंध में निर्णय लेती है और वर्ष के दौरान इसकी समीक्षा करती है।



जोखिम प्रबंधन

निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) बैंक के लिए विभिन्न जोखिमों की निगरानी और उनका प्रबंधन करने के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनों से संबंधित जोखिमों के संबंध में एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

साथ ही एल्को, एफएमसी, ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों का पर्यवेक्षण भी करती है और इन सभी में क्रॉस-फंक्शनल प्रतिनिधित्व होता है। सीआरएमसी, बैंक के ऋण जोखिमों का विश्लेषण, प्रबंधन और नियंत्रण करती है। बैंक में एक उन्नत ऋण जोखिम प्रबंधन मॉडल (सीआरएम) है, जिससे (क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मापदंडों/ उपायों के जरिए) बैंक को बेहतर ऋण मूल्यांकन संबंधी निर्णय लेने और ऋण जोखिमों के आधार पर उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण ग्रेडिंग करने में मदद मिलती है।

ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिम घटनाओं की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, यह सूचना सुरक्षा से संबंधित के अलावा बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालनगत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने/ जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। सूचना सुरक्षा डोमेन में बैंक ने एक सूचना सुरक्षा समिति (आईएससी) बनाई है। बैंक के साइबर/सूचना सुरक्षा क्रियाकलापों के प्रबंधन के लिए यह समिति बोर्ड की उप-समिति सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) के पर्यवेक्षण में काम करती है। निदेशक मंडल की उप-समिति, आईटीएससी बैंक पर लागू अनुसार मौजूदा विनियामकीय मार्गदर्शन के अनुरूप, समुचित नीतिगत निदेशों और कार्यान्वयन रणनीति के साथ बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का पर्यवेक्षण एवं संचालन करती है। बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यवसाय निरंतरता योजना (बीसीपी) फ्रेमवर्क के अनुसार, अपने सभी कार्यालयों के लिए व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा बहाली योजनाओं की वार्षिक समीक्षा करता है। इस फ्रेमवर्क के अनुरूप, प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों, प्रणालीगत विफलताओं, महामारी तथा अन्य अप्रत्याशित व्यवधानों से बैंक के परिचालन को सुरक्षित रखने हेतु उपयुक्त उपाय किए गए हैं।

बैंक ने अपने रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति को अंगीकृत किया है। जोखिम वहन क्षमता विवरण के प्रमुख आयामों में पूंजी पर्याप्तता, लाभप्रदता, ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, संकेंद्रण जोखिम, लिक्विडिटी

जोखिम, परिचालन जोखिम, प्रतिष्ठा और अनुपालन जोखिम शामिल हैं। इन जोखिम आयामों के अंतर्गत प्रत्येक मापदंड के लिए निर्धारित टॉलरेंस सीमा सहित जोखिम वहन क्षमता मापदंड होते हैं। जोखिम वहन क्षमता मापदंडों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है और बैंक की जोखिम प्रबंधन समिति को छात्राही समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। वर्ष के दौरान, अधिकांश जोखिम वहन क्षमता विवरण मग्रीन जोनफ (सर्वोत्तम नियंत्रण) में रहे और, आंतरिक टॉलरेंस सीमा में उल्लंघन को दर्शाने वाला केवल एक मानदंड रेड जोन में रहा।

आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 को बासल III पूंजी ढांचे संबंधी विवेकसम्मत विनियमों पर अंतिम मास्टर निदेश जारी किया है, जो 01 अप्रैल, 2024 से एक्जिम बैंक सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू है। इन निदेशों को 28 नवंबर, 2025 के "पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड" संबंधी मास्टर निदेश से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। यह ढांचा, अन्य के साथ-साथ, बैंक की पूंजी आवश्यकता, जोखिमों के आकलन, दबाव परीक्षण, एक्सपोजर मानदंडों, निवेशों के मूल्यांकन, संसाधन जुटाने संबंधी मानदंडों आदि से संबंधित है। इस मास्टर निदेश के अनुसार, बैंक को निरंतर आधार पर न्यूनतम 9% का पिलर 1 सीआरएम बनाए रखना आवश्यक है। बैंक को ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए पिलर 1 के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के अलावा, बासल III दिशानिर्देशों के अनुसार पिलर 2 – पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) के आधार पर अतिरिक्त पूंजी को सुरक्षित रखना भी आवश्यक है।

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईसीएपी नीति लागू है। इसमें व्यापक दबाव परीक्षण फ्रेमवर्क भी शामिल है। आईसीएपी नीति में बैंक के सभी जोखिमों के जारी मूल्यांकन के लिए फ्रेमवर्क निर्धारित किया गया है। इसमें ऐसे जोखिम मूल्यांकन शामिल हैं कि बैंक उन जोखिमों के प्रभावों को कम कैसे करेगा, और जोखिम उत्पन्न करने वाले अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए बैंक के लिए वर्तमान और भविष्य में कितनी पूंजी आवश्यक होगी। बैंक आईसीएपी मूल्यांकन करता है और इसकी रिपोर्ट जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड को वार्षिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है। दबाव परीक्षण गतिविधि छात्राही आधार पर की जाती

है तथा इसके परिणाम जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

पिलर 3 – बाजार अनुशासन के अंतर्गत, बैंक को अपने पूंजी तत्वों और व्यवसाय के विभिन्न जोखिम घटकों से संबंधित कई प्रकटीकरण प्रदान करना आवश्यक है। तिमाही प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं। बैंक में एक प्रकटीकरण नीति अंगीकृत की गई है। इसमें प्रकटीकरण संबंधी फ्रेमवर्क की रूपरेखा निर्धारित की गई है।



सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल रूपांतरण

बैंक ने अपनी डिजिटल पहलें जारी रखी हैं। साथ ही, सुरक्षित, ग्राहक-केंद्रित और सहज बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के क्रम में बैंक अपने प्रौद्योगिकी परिवेश को सुदृढ़ बना रहा है। बैंक ने अपने होस्टिंग समाधान को उन्नत किया है। इससे सुव्यवस्थित आईटी परिचालन और स्केलेबिलिटी बढ़ रही है। साथ ही, डेटा रेसिडेंसी संबंधी अनुपालन भी सुनिश्चित किया गया है।



विनियामकीय अनुपालन एवं सुरक्षा

बैंक ने बैंकिंग उद्योग में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं तथा विनियामकीय साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुरूप अपनी आईटी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है। सुगमता एवं पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट ऋण कार्यक्रमों एवं सलाहकारी सेवाओं से संबंधित सुरक्षित और सूचनापरक पोर्टल के रूप में कार्य करती है। बैंक के पास अत्याधुनिक डेटा सेंटर (डीसी) तथा डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट है। डीसी और डीआर में एक्टिव-एक्टिव सेटअप तथा रिमोट मॉनिटरिंग की सुविधा है। इससे बैंक को रिकवरी टाइम और रिकवरी पॉइंट उद्देश्यों (आरटीओ एवं आरपीओ) के अनुपालन में मदद मिलती है। बैंक के डीसी और डीआर आईएसओ 27001 प्रमाणित हैं। बैंक ने सुरक्षित रिमोट एक्सेस आधारित आईटी

अवसंरचना लागू की है। इससे कार्यालय एवं घर से काम में निर्बाध कार्य संचालन और ट्रांज़िशन सुनिश्चित होता है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बैंक ने अपने आईटी परिवेश में विभिन्न निवारक एवं अन्वेषी नियंत्रणों के कार्यान्वयन के माध्यम से अपनी समग्र सूचना सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है।



प्रमुख प्रौद्योगिकी अपग्रेड और रणनीतिक पहलें

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी उत्पादकता, उपलब्धता, परिचालन दक्षता बढ़ाने और विनियामकीय अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षमता विकास की रणनीति अपनाई गई। इसके अलावा, खतरों को कम करने के लिए ऑटो अलर्ट भेजने और नए जोखिम प्रबंधन प्लैटफॉर्म लागू किए गए। ये उन्नयन प्रक्रियाओं का स्वचालन बढ़ाने, डेटा सुरक्षा को सुदृढ़ करने और परिचालन जोखिम को कम करने के लिए किए गए।



ई-गवर्नेंस और ई-भुगतान

बैंक अपने आंतरिक कामकाज को कागज रहित और पारदर्शी बनाने तथा दक्ष प्रशासनिक परिवेश का निर्माण करने के लिए इसके डिजिटलीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस), व्यवसाय आसूचना और दस्तावेज प्रबंधन के लिए एकीकृत प्रणालियां डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया में सहायता करने और रियल-टाइम आंतरिक रिपोर्टिंग को सुगम बनाने की दृष्टि से विकसित की गई हैं। बैंक ने "ई-भुगतान" और "ई-नोट" प्रक्रियाओं का उन्नयन करते हुए मैनुअल काम को सफलतापूर्वक न्यूनतम किया है और आंतरिक अनुमोदनों से लेकर वित्तीय निपटान सटीक, पारदर्शी और सरस्तेनेबल तरीके से प्रोसेस करना सुनिश्चित किया है।

ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के क्रम में, बैंक ने अपनी प्रणालियों का बाह्य डेटा एप्रीगेटरों और सूचना संग्राहकों के साथ एपीआई आधारित एकीकरण किया है, ताकि मैनुअल हस्तक्षेप के बिना सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा सके।

इसके अलावा, बैंक ने नैशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल), सेव रिस्क, सेंट्रल इकनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और डाउ जोन्स वॉचलिस्ट आदि जैसे विभिन्न वॉच लिस्ट प्रदाताओं की सदस्यता भी ली है। ऋण प्रक्रिया के दौरान बाजार से संबंधित अग्रिम सूचनाएं हासिल करने के लिए विभिन्न चरणों में इनका उपयोग किया जाता है। इससे धोखाधड़ी/ एएमएल और आस्तियों को अनर्जक होने से रोकने में मदद मिलती है। बैंक ने आईटी गवर्नेंस के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न पद्धतियां और प्रक्रियाएं स्थापित की हैं। बैंक द्वारा उठाए गए इन कदमों से बैंक-ऑफिस परिचालनों को त्वरित और बेहद सुरक्षित तरीके से करना सुनिश्चित होता है और बैंक के समग्र गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए सुदृढ़ आधार बनता है। बैंक की कॉर्पोरेट वेबसाइट (www.eximbankindia.in) के जरिए बैंक के विभिन्न ऋण कार्यक्रमों, गतिविधियों और सलाहकारी सेवाओं के संबंध में जानकारी प्रदान करना जारी रखा गया।



सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 में परिभाषित अनुसार, एक्ज़िम बैंक एक लोक प्राधिकरण है और इस अधिनियम का अनुपालन करता है। भारतीय नागरिक, इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अथवा बैंक के भारत स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों में सहायक लोक सूचना अधिकारियों को अपने आवेदन भेज सकते हैं। इनका विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बैंक सरकारी प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का निरंतर पालन करता

रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक को कुल 112 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए और आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट अनुसार, 30 दिनों के भीतर इनके जवाब दिए गए।



राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में प्रगति

केंद्र सरकार की संस्था के रूप में, बैंक भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। वर्ष के दौरान, बैंक ने हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया और अपने अधिकारियों को हिंदी में प्रवीण बनाने के लिए उन्हें भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया। अधिकारियों को उनके दैनिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बैंक में विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। हिंदी में काम में हुई प्रगति की समीक्षा बैंक के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा तिमाही आधार पर की गई। बैंक द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित बैठकों, कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता की गई और अंतरबैंक हिंदी प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम आयोजित किए गए। देशभर में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से, बैंक ने अपने न्यूजलेटरों में से कृषि निर्यातों पर केंद्रित एक न्यूजलेटर का प्रकाशन हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 भारतीय भाषाओं में करना जारी रखा। उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय और पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी तथा चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालयों को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) द्वारा सम्मानित किया गया। बैंक के प्रधान कार्यालय को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन के क्रम में नवोन्मेषी पहलें लागू करने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग से वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

संयुक्त उद्यम और
सहायक कंपनी
साथ की शक्ति



संयुक्त उद्यम



जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड

जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड (जीपीसीएल) बैंक द्वारा निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की 9 अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों की साझेदारी में वर्ष 1996 में परिकल्पित और प्रवर्तित एक परामर्शी संस्था है। एक अग्रणी पहल के रूप में स्थापित जीपीसीएल एकीकृत परियोजना-संबंधी सेवाएं प्रदान करने के मंडेट वाली एक ऐसी संस्था है, जिसने कृषि, ऊर्जा, उद्योगों, खनन, परिवहन, जल संसाधनों जैसे क्षेत्रों के नेतृत्व को एक मंच पर लाने का काम किया है। यह कंपनी प्रोक्योरमेंट से लेकर तकनीकी और वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा क्षमता विकास और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों में सक्रियता से काम कर रही है और दुनियाभर में 40 से अधिक देशों में इसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। विगत कुछ वर्षों में जीपीसीएल ने अपनी सेवाओं के दायरे में प्रोक्योरमेंट कार्यकलापों को बढ़ाया है। इनमें बिड तैयार करने संबंधी सलाहकारी सेवाएं, परामर्श, प्रोक्योरमेंट प्रशिक्षण, परियोजना चिह्नीकरण, पूर्व-व्यवहार्यता अध्ययन, रिपोर्ट तैयार करना और उनकी समीक्षा करना, ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर संबंधी सेवाएं, परियोजना की सम्यक जांच (ड्यू डिलिजेंस), निगरानी और मूल्यांकन करना तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋणदाता एजेंसियों को विभिन्न सहायता सेवाएं शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी ने ₹ 83.79 मिलियन की कुल आय तथा ₹ 21.92 मिलियन का कर-पूर्व लाभ अर्जित किया।



कुकुजा परियोजना विकास कंपनी

कुकुजा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी), मॉरीशस एक्जिम बैंक द्वारा अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनैश्ल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह सहित अन्य शेयरधारकों के

साथ निगमित की गई संयुक्त उद्यम कंपनी है। केपीडीसी में लगातार हुए घाटे के चलते इसके परिचालन स्थिर नहीं रह गए थे और इसलिए शेयरधारकों द्वारा केपीडीसी के परिचालन बंद करने का संकल्प पारित किया गया था। तदनुसार, केपीडीसी की चरणबद्ध तरीके से समापन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी की सभी बकाया देयताओं को चुकता कर दिया गया। सभी हितधारकों एवं सांविधिक प्राधिकरणों से अपेक्षित अनुमोदन/ अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद, मॉरीशस के कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष केपीडीसी को बंद करने तथा रजिस्टर से केपीडीसी का नाम हटाने के लिए 1 अप्रैल, 2026 को आवेदन कर दिया गया था।

सहायक कंपनी



इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड

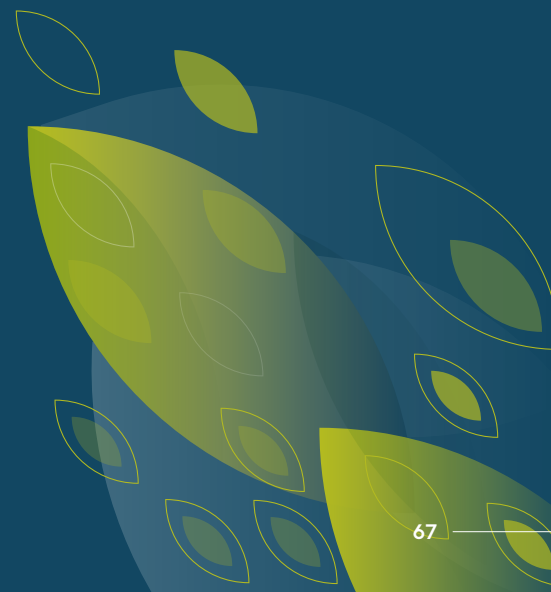
फैक्टरिंग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की आवश्यकताओं के अनुकूल एक व्यवहार्य रिसीवेबल्स प्रबंधन और वित्तपोषण तंत्र प्रदान करने वाली व्यवस्था है। इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्जिम फिनसर्व) द्वारा फैक्टरिंग में सेवा निर्यातकों के लिए तीन महत्वपूर्ण सेवाओं को एकीकृत किया गया है - रिसीवेबल्स के एवज में वित्तपोषण, भुगतान न किए जाने के जोखिम से सुरक्षा और अकाउंट्स रिसीवेबल का व्यापक प्रबंधन। यह व्यवस्था सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ये सेवाएं कोलैटरल के बजाय मुख्य रूप से अकाउंट्स रिसीवेबल्स की गुणवत्ता पर आधारित होती हैं। इससे निर्यातकों के नकदी प्रवाह में सुधार होता है तथा भुगतान जोखिम में कमी आती है। इससे उन्हें नए बाजारों में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करने में मदद मिलती है और वे विकास के अवसरों से लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा, फैक्टरिंग के जरिए निर्यातक विदेशी खरीदारों को आकर्षक ऋण शर्तें प्रदान करते हैं और उनका कार्यशील पूंजी चक्र भी प्रभावित नहीं होता है। इस तरह फैक्टरिंग के जरिए निर्यात स्पर्धात्मकता भी बढ़ाई जाती है।

माननीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023 पेश करते समय एक्जिम बैंक द्वारा व्यापार और पुनर्वित्त गतिविधियों के लिए गुजरात इंटरनैशनल फायनैस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी), गांधीनगर, गुजरात में एक सहायक कंपनी की स्थापना करने की घोषणा की थी। इसके बाद अगस्त, 2023 में गिफ्ट सिटी में इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्जिम फिनसर्व) नाम से एक्जिम बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी की स्थापना की गई। एक्जिम फिनसर्व भारतीय निर्यातकों को निर्यात फैक्टरिंग पर फोकस के साथ व्यापक व्यापार वित्त समाधान प्रदान करती है।

एक्जिम फिनसर्व ने अपने औपचारिक फैक्टरिंग परिचालन सितंबर 2024 से शुरू किए थे। सितंबर 2024 से मार्च 2026 के दौरान, कंपनी ने विभिन्न देशों के 64 आयातकों को कवर करते हुए लगभग 36.81 मिलियन यूएस डॉलर की कुल प्रतिबद्धताओं के साथ 26 निर्यातकों को फैक्टरिंग सीमाएं मंजूरी की। इनमें से लगभग 58% मंजूरीयां उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, गोवा और दिल्ली के एमएसएमई निर्यातकों को रहीं। इनके जरिए उत्तर अमेरिका, यूरोप, मध्य-पूर्व, एशिया-प्रशांत और लैटिन अमेरिका को निर्यातों में सहयोग किया गया। ऑनबोर्ड किए गए 26 आपूर्तिकर्ताओं में से 19 निर्यातक इकाइयों के रिसीवेबल्स को फैक्टर किया गया। परिणाम स्वरूप, 2,350 इन्वॉयस के माध्यम से कुल 44.28 मिलियन यूएस डॉलर का संचयी इन्वॉयस टर्नओवर रहा।

एक्जिम फिनसर्व, एफसीआई (पूर्व में फैक्टर चेन इंटरनैशनल) की एसोसिएट सदस्य है। एफसीआई ओपन अकाउंट घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय व्यापार रिसीवेबल्स की फैक्टरिंग और वित्तपोषण के लिए वैश्विक प्रतिनिधि इकाई है। 90 से अधिक देशों में इसकी लगभग 400 सदस्य संस्थाएं हैं। वैश्विक अंतरराष्ट्रीय कोरेस्पॉन्डेंट फैक्टरिंग के औसतन लगभग 40 प्रतिशत ट्रांजेक्शन इन्हीं सदस्य संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। एक्जिम फिनसर्व जून 2025 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित एफसीआई की वार्षिक बैठक के दौरान 'बेस्ट डील ऑफ द ईयर' श्रेणी में पुरस्कृत की जाने वाली शीर्ष तीन संस्थाओं में से एक रही।

कॉर्पोरेट गवर्नैस रिपोर्ट



कॉर्पोरेट गवर्नैस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नैस पर बैंक का दर्शन

भारतीय निर्यात-आयात बैंक ("एक्जिम बैंक") कॉर्पोरेट गवर्नैस के सिद्धांतों और महत्व को समझता है। बैंक न केवल सांविधिक आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है, बल्कि बैंक ने स्वेच्छा से सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नैस प्रणालियां भी तैयार की हैं।

एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। एक्जिम बैंक का निदेशन, प्रबंधन और व्यवसाय संचालन भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्जिम बैंक अधिनियम") के अंतर्गत बनाए गए और इसके साथ पठित भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 ("एक्जिम बैंक सामान्य विनियम") और अन्य लागू कानूनों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। एक उच्च मूल्य

ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में समय-समय पर संशोधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अन्य प्रावधानों के अलावा अध्याय तक भी लागू होता है। बैंक, यथा लागू अनुसार, अपने सभी परिचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने, प्रकटीकरण करने और स्टैकहोल्डर मूल्य को बढ़ाने की दृष्टि से अन्य सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है। एक्जिम बैंक की असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") पर सूचीबद्ध हैं और ये भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और लिस्टिंग विनियमों द्वारा शासित होती हैं।

2. निदेशक मंडल

एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 6 में एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल के गठन का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल की संरचना निम्नलिखित अनुसार रही:

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
6[1][क]	अध्यक्ष	रिक्त	—	20 फरवरी, 2017 से
	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 08 सितंबर, 2021 से प्रभावी
6[1][क क]	दो पूर्णकालिक निदेशक	श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 18 अप्रैल, 2023 से प्रभावी
		सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	नियुक्ति 28 जून, 2024 से प्रभावी
6[1][ख]	एक निदेशक (आरबीआई के नामिती)	श्री अर्णब कुमार चौधरी, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक	गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 10 अक्टूबर, 2024 से प्रभावी
6[1][ग]	एक निदेशक (विकास बैंक)	श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 21 दिसंबर, 2018 से प्रभावी
6[1][घ]	एक निदेशक (ईसीजीसी के नामिती)	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	गैर-कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 16 नवंबर, 2023 से प्रभावी
6[1][ड][i]	पांच निदेशक (केंद्र सरकार के अधिकारी)	श्री दम्पू रवि सचिव (ईआर), विदेश मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक/भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	31 अगस्त, 2025 को कार्यकाल पूरा हुआ।
		श्री सुधाकर दलेला सचिव (ईआर) विदेश मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 25 सितंबर, 2025 से प्रभावी

धारा	निदेशक की प्रकृति	निदेशक का विवरण	श्रेणी*	टिप्पणियां
		श्री सुचीन्द्र मिश्र विशेष सचिव वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 11 फरवरी, 2026 से प्रभावी
		सुश्री हिमानी पांडे अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 25 मई, 2023 से प्रभावी
		श्री सिद्धार्थ महाजन संयुक्त सचिव वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	11 फरवरी, 2026 को कार्यकाल पूरा हुआ
		सुश्री अपर्णा भाटिया सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	07 मई, 2026 को कार्यकाल पूरा हुआ।
		सुश्री साक्षी मित्तल संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	गैर-कार्यपालक निदेशक/भारत सरकार की नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 07 मई, 2026 से प्रभावी
		डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	गैर-कार्यपालक निदेशक/ भारत सरकार के नामिती निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 30 जून, 2023 से प्रभावी
6[1][ड][ii]	अधिकतम तीन निदेशक (अनुसूचित बैंकों से)	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी, अध्यक्ष भारतीय स्टेट बैंक	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 28 अगस्त, 2024 से प्रभावी
		श्री एम. वी. राव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 31 जुलाई, 2025 से प्रभावी
		श्री रजनीश कर्नाटक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ इंडिया	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 18 अगस्त, 2025 से प्रभावी
		श्री अश्वनी कुमार, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	नियुक्ति 13 मई, 2024 से प्रभावी
6[1][ड][iii]	निर्यात, आयात या वित्तपोषण में विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव वाले अधिकतम चार निदेशक	रिक्त		21 दिसंबर, 2024 से
		रिक्त	-	18 अप्रैल, 2015 से
		रिक्त	-	18 अप्रैल, 2015 से
		रिक्त	-	05 जून, 2009 से

आरबीआई-भारतीय रिजर्व बैंक

*सूचीबद्धता विनियम के विनियम 16(1)(ख) के अंतर्गत 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध कंपनी के नामिती निदेशक के अलावा गैर-कार्यपालक निदेशक से है।

स्पष्टीकरण - 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

सूचीबद्धता विनियम के विनियम 62 घ(1)(क) के अनुसार, "निदेशक मंडल" में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक निदेशक का एक इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हो और निदेशक मंडल में कम से कम पचास प्रतिशत गैर-कार्यपालक निदेशक शामिल हों।

तदनुसार, एक्जिम बैंक अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त/नामित किए जा रहे बैंक के बोर्ड में निदेशकों को लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

एक्जिम बैंक के निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल (यथा 08 मई, 2026 को)

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री सुधाकर दलेला सचिव (ईआर) विदेश मंत्रालय	वर्ष 1993 में, श्री सुधाकर दलेला भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। आपने अपने राजनयिक करियर की शुरुआत तेल अवीव इजरायल से की। इसके बाद आपने ब्रासीलिया, शिकागो, ढाका, जिनेवा, थिम्पू, वॉशिंगटन डी.सी. में भारतीय मिशन में अपनी सेवाएं प्रदान कीं। हाल ही में, वर्ष 2022-2025 में आपने भूटान में भारतीय राजदूत के तौर पर कार्य किया। वर्ष 2009-2011 में श्री दलेला ने नई दिल्ली स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के तौर पर कार्य किया और कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभायीं, जिसमें आपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश जैसे कि पूर्वी एशिया तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र, खाड़ी, मध्य पूर्व, अफ्रीका के देशों के साथ भारत के संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया। आपने वर्ष 2006-2007 में निदेशक (उत्तर) के तौर पर कार्य किया और तत्पश्चात वर्ष 2016-2019 में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव (उत्तर) के तौर पर कार्य किया तथा भूटान व नेपाल के साथ भारत के संबंधों का पर्यवेक्षण किया। आपको व्यापार और आर्थिक नीति जैसे क्षेत्र का विशद अनुभव है और आपने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य विभाग में निदेशक (व्यापार नीति) के तौर पर भी कार्य किया है। इसके अलावा, आपने वर्ष 2014-2016 में भारत के उप-स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करने के साथ-साथ दो बार विश्व व्यापार संगठन में भारत के स्थायी मिशन में अहम भूमिका निभाई है। श्री दलेला संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न भूमिकाओं में कार्यरत रहे हैं। आप शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत (2019-2020), राजनीतिक मामलों के मंत्री (2011-2014) और वॉशिंगटन डी.सी. में भारतीय दूतावास में मिशन के उप प्रमुख (2020-2022) के रूप में कार्यरत रहे हैं। आपने 1 सितंबर, 2025 को विदेश मंत्रालय में सचिव (आर्थिक संबंध) के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में, आप भारत की आर्थिक कूटनीति; ग्लोबल साउथ के देशों के साथ विकास साझेदारी; अफ्रीका के साथ साझेदारी; बहुपक्षीय आर्थिक संबंध; और नई व उभरती रणनीतिक प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अहम उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं। आप ब्रिक्स, आईबीएसए और आई2यू2 के लिए भारत के शेरपा हैं।
श्री सुचीन्द्र मिश्र विशेष सचिव वाणिज्य विभाग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	भारतीय रक्षा लेखा सेवा के 1992 बैच के अधिकारी श्री सुचीन्द्र मिश्र ने 01 जनवरी, 2026 से वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव का पदभार ग्रहण किया है। इसके अलावा, आप रक्षा लेखा विभाग में विभिन्न उत्तरदायित्व संभाल चुके हैं। साथ ही, आपने वित्तीय सेवाएं विभाग में संयुक्त सचिव और अपर सचिव के रूप में भी सेवाएं दी हैं। आप तत्कालीन विनिवेश विभाग (अब निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार में उप सचिव और निदेशक भी रह चुके हैं। आप सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं और वित्तीय क्षेत्र की विनियामकीय इकाइयों के बोर्डों में भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक रह चुके हैं। आप दिल्ली विश्वविद्यालय और एक्सएलआरआई-जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जमशेदपुर के छात्र रहे हैं।
सुश्री हिमानी पांडे अपर सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	सुश्री हिमानी पांडे, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की अपर सचिव हैं। आप बौद्धिक संपदा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सरकारी खरीद और अंतरराष्ट्रीय व्यापार करार प्रभाग संभाल रही हैं। आपने "लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस" से लोक प्रबंधन और गवर्नंस में एमएससी डिग्री हासिल की है। 1998 बैच की आईएएस अधिकारी सुश्री पांडे झारखंड राज्य में कार्यान्वयन के साथ-साथ सार्वजनिक नीति नियोजन में विभिन्न कार्यभार संभाल चुकी हैं।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
डॉ. अभिजीत फुकन आर्थिक सलाहकार, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय	डॉ. अभिजीत फुकन भारतीय आर्थिक सेवा के 2004 बैच के अधिकारी हैं। वर्तमान में आप वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) में आर्थिक सलाहकार तथा मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सिसो) के रूप में कार्यरत हैं। आप वित्त में पीएचडी और अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। आपने मानव संसाधन विकास और मार्केटिंग में पोस्ट-ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया है। अर्थशास्त्र, प्रबंधन एवं वित्त से संबंधित विभिन्न विषयों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लब्धप्रतिष्ठ जर्नलों में आपके कई शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आपको शैक्षणिक, अनुसंधान और लोक नीति में विभिन्न विभागों में गवर्नर्स का बीस वर्षों से अधिक का अनुभव है। आपको संपोषी वित्त/सीएसआर/सतत विकास लक्ष्यों/पर्यावरणीय, सस्टेनेबिलिटी और गवर्नर्स, कॉर्पोरेट गवर्नर्स, विनियामकीय एवं अनुपालन, ऊर्जा एवं विद्युत क्षेत्र, इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी), अंतरराष्ट्रीय व्यापार आदि में विशद अनुभव और विशेषज्ञता है। आप वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में सचिव सहित विभिन्न पदों पर रहे हैं। इसके अलावा, आप राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) में भी सेवारत रहे हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए आप आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सुधार और नीतिगत फ्रेमवर्कों के अगुआ रहे हैं।
सुश्री साक्षी मित्तल संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग	सुश्री साक्षी मित्तल, आर्थिक कार्य विभाग में संयुक्त सचिव हैं। आप प्रशासनिक मामलों और उत्तर अमेरिका, यूरोप तथा यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और रूस जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ द्विपक्षीय सहयोग के नीतिगत मामलों और भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आयडियाज़) से जुड़े कार्य को संभाल रही हैं। आपको विकास कार्यों की अवधारणा तैयार करने और उन्हें लागू करने का विशद अनुभव है। आप निकोबार और उत्तर दिल्ली में उपायुक्त और दिल्ली नगर निगम में अतिअपर आयुक्त भी रही हैं। आपको भारत सरकार के वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के मानव संसाधन मामलों का अनुभव है। आपने वर्ष 2024 से 2026 तक, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। सुश्री साक्षी मित्तल, 2010 बैच की ए जी एम यू टी कैडर की आईएसएस अधिकारी हैं। आप अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं।
श्री अर्णब कुमार चौधरी कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक	श्री अर्णब कुमार चौधरी ने 1994 में भारतीय रिजर्व बैंक जॉइन किया था। आपने वित्तीय संस्थाओं के पर्यवेक्षण के क्षेत्र में व्यापक रूप से कार्य किया है। आपको कॉर्पोरेट कार्यनीति, बजट, लेखांकन आदि क्षेत्रों का भी अनुभव है। आप कई समितियों और कार्य समूहों के सदस्य रहे हैं और नीति निर्माण में निरंतर योगदान दे रहे हैं। कार्यपालक निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले श्री चौधरी, पर्यवेक्षण विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। श्री चौधरी ने 03 जून, 2024 से भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। कार्यपालक निदेशक के रूप में आप, विदेशी मुद्रा विभाग, अंतरराष्ट्रीय विभाग और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का कार्यभार संभाल रहे हैं।
श्री राकेश शर्मा प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	श्री राकेश शर्मा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पहले आप केनरा बैंक तथा लक्ष्मी विलास बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। केनरा बैंक में कार्यरत रहते हुए आप केनरा बैंक की समूह कंपनियों में अध्यक्ष के पद पर भी रहे। 2014 में लक्ष्मी विलास बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पहले श्री शर्मा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको एसबीआई में 33 वर्ष से अधिक का अनुभव रहा है। वहां आप आंध्र प्रदेश क्षेत्र में मिड कॉर्पोरेट खातों के प्रमुख रहे हैं। इसके अलावा, आपने राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिटेल परिचालनों के पर्यवेक्षण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह में बैंकिंग परिचालन, विशेषीकृत शाखाओं / प्रशासनिक कार्यालयों आदि में क्रेडिट असाइनमेंट जैसे महत्वपूर्ण कार्यभार भी संभाले हैं। श्री राकेश शर्मा अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट और सीएआईआईबी हैं।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी लिमिटेड	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ 16.12.2024 से ईसीजीसी लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक हैं। आप 01.09.2023 से ईसीजीसी लिमिटेड में कार्यपालक निदेशक और 01.11.2023 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में कार्यरत रहे हैं। भारत की प्रमुख निर्यात ऋण एजेंसी, ईसीजीसी में आपका 28 वर्षों का अनुभव है। इस दौरान आपने विभिन्न व्यवसायों के अल्पावधि, मध्यम अवधि और दीर्घावधि लाइनों से लेकर उत्पाद विकास और नीति निर्माण, मार्केटिंग लेखा परीक्षा और अनुपालन, मानव संसाधन विकास, प्रशिक्षण, अंडरराइटिंग पद्धतियां, अंतरराष्ट्रीय संबंध और ईसीजीसी के नए सूचना प्रौद्योगिकी प्लैटफॉर्म के शुभारंभ जैसे कार्यभार संभाले हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख के रूप में, आपने विभिन्न द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर ईसीजीसी की चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व किया है। आप कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में वक्ता के रूप में शामिल रहे हैं। आप ईसीजीसी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक होने के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा परियोजना निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनआईआई) के प्रबंध न्यासी (मैनेजिंग ट्रस्टी) भी हैं। आपको जुलाई 2024 में, अफ्रीकन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट इश्योरेंस (एटीआईडीआई), केन्या के बोर्ड में वैकल्पिक निदेशक नियुक्त किया गया है, जहां आप ईसीजीसी लिमिटेड के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप 2020 से 2023 तक ईसीजीसी के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के रूप में कार्यरत रहे हैं। सीवीओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, आपने कंपनी की प्रणालियों और प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई पहलें कीं। आप राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। साथ ही, आपने मार्केटिंग में एमबीए और मानव संसाधन प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी हासिल किया है।
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में 28 अगस्त, 2024 को कार्यभार ग्रहण किया है। आप जनवरी 2020 में भारतीय स्टेट बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। आपने वर्ष 2020 से 2022 तक बैंक के खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग वटिकल का नेतृत्व किया और इसके बाद बैंक के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, विश्व बाजार एवं प्रौद्योगिकी पोर्टफोलियो का नेतृत्व किया। वर्तमान में आप भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न कार्य दलों/समितियों का भी नेतृत्व कर रहे हैं। कृषि विज्ञान में स्नातक और भारतीय बैंकर्स संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट, श्री शेटी ने 1988 में भारतीय स्टेट बैंक में परीक्षाधीन अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। लगभग तीन दशकों से अधिक के अपने करियर में आपने कॉर्पोरेट क्रेडिट, खुदरा, डिजिटल और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और विकसित बाजारों में बैंकिंग का विशद अनुभव अर्जित किया है। श्री शेटी ने भारतीय स्टेट बैंक में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन, कॉर्पोरेट बैंकिंग, मिड-कॉर्पोरेट बैंकिंग, विश्व बाजारों, प्रौद्योगिकी और भारत व विदेश में सिंडिकेशन संबंधी महत्वपूर्ण कार्यभार संभाले हैं।
श्री अश्वनी कुमार प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक	श्री अश्वनी कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट और वाणिज्य में स्नातकोत्तर हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फायनेंस के प्रमाणित सदस्य भी हैं। आपको दो दशक से अधिक का अनुभव है। श्री अश्वनी कुमार सार्वजनिक क्षेत्रों के विभिन्न बैंकों में कार्यरत रहे हैं। आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक जैसी संस्थाओं में काम करने का अनुभव है। आपको होलसेल बैंकिंग डिविजन का भी अनुभव है। आप औद्योगिक वित्त शाखाओं और बड़ी कॉर्पोरेट शाखाओं सहित अन्य शाखाओं के प्रमुख भी रहे हैं। महाप्रबंधक के रूप में आप मिड कॉर्पोरेट और लार्ज कॉर्पोरेट वटिकल के प्रमुख रहे हैं। क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में आपने विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। आप मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) भी रहे हैं। आपने एक उत्साही शिक्षार्थी के रूप में आईआईएम और सीएफएआरएल सहित भारत और विदेशों के प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया है। आपने आईबीए और इगॉन जेन्डर इंटरनैशनल प्राइवेट लिमिटेड के परामर्श से बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा परिचालित आईआईएम बेंगलूर का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम भी किया है। यूको बैंक में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पद भार ग्रहण करने से पहले आप इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक रहे हैं।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री रजनीश कर्नाटक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया	श्री रजनीश कर्नाटक ने 29 अप्रैल, 2023 को बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया। आप 21 अक्टूबर, 2021 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यपालक निदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति तक पंजाब नैशनल बैंक के मुख्य महाप्रबंधक रहे। आपने वाणिज्य में स्नातकोत्तर (एमकॉम) किया है और भारतीय बैंकर संस्थान के एक प्रमाणित एसोसिएट (सीआईआईबी) हैं। श्री कर्नाटक को बैंकिंग क्षेत्र में 31 वर्षों से अधिक का विशद अनुभव है। साथ ही, आपके पास विभिन्न शाखाओं और प्रशासनिक कार्यालयों में काम करने का अनुभव है। आपने ऋण निगरानी, डिजिटल बैंकिंग और मिड कॉर्पोरेट क्रेडिट जैसे विभागों का नेतृत्व किया है। आपने ऋण समीक्षा एवं निगरानी प्रभाग और पंजाब नैशनल बैंक में कॉर्पोरेट ऋण प्रभाग का भी नेतृत्व किया है। श्री कर्नाटक आईआईएम-कोझिकोड और जेएनआईडीबी हैदराबाद से विभिन्न प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों का हिस्सा रहे हैं। आपने आईएमआई (अंतरराष्ट्रीय प्रबंध संस्थान), दिल्ली और आईआईबीएफ (भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान) में उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम में भी भाग लिया है। आप आईआईएम बैंगलोर और एगॉन जेन्डर के नेतृत्व विकास कार्यक्रम के लिए बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा चुने गए वरिष्ठ अधिकारियों के पहले बैच का हिस्सा रहे हैं। आपको परियोजना और कार्यशील पूंजी निधीयन सहित ऋण मूल्यांकन का भी अनुभव है। आपको विशेष रूप से ऋण जोखिम सहित जोखिम प्रबंधन में विशेषज्ञता हासिल है। श्री कर्नाटक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आप यूबीआई (यूके) लिमिटेड के निदेशक मंडल में गैर-स्वतंत्र, गैर-कार्यपालक निदेशक के रूप में भी शामिल रहे हैं। आप भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी के गवर्निंग बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। आप पीएनबी हाउसिंग फायनैस लिमिटेड और इंडिया एसएमई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल में पंजाब नैशनल बैंक की ओर से नामित निदेशक के रूप में शामिल रहे हैं। आपने आईएमसीएल (आईआईएफसीएल असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड) में बोर्ड ट्रस्टी के रूप में भी काम किया है। आप आईबीए निगोशिएशन समिति, मानव संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित आईबीए स्थायी समिति, आईएफएससी गिफ्ट सिटी संबंधी आईबीए सेक्टरल समिति - आईबीए की बैंकिंग इकाइयों, आईबीपीएस की वित्त समिति, आईबीपीएस कर्मचारी भविष्य निधि के एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईबीपीएस गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। इसके अलावा, आप कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों संबंधी आईबीए स्थायी समिति के वैकल्पिक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। साथ ही, आईबीए प्रबंध समिति, एनआईबीएम गवर्निंग बोर्ड, एनआईबीएम कैपस समिति, एनआईबीएम वित्त समिति और सीआईआई की बैंकिंग संबंधी राष्ट्रीय समिति के सदस्य हैं।
सुश्री हर्षा बंगारी प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) की प्रबंध निदेशक हैं। आपके पास विदेशी वित्त और बैंकिंग में तीन दशकों का अनुभव है। वर्ष 1995 में आपने एक्जिम बैंक जॉइन किया था। आपने ट्रेजरी और लेखा, विदेशी निवेश वित्त, कॉर्पोरेट बैंकिंग, प्रबंधन सूचना प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और परियोजना वित्त सहित विभिन्न कार्यों में प्रमुख नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई हैं। वर्ष 2018 में सुश्री बंगारी को बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। दो वर्ष बाद आप बैंक की उप प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला बनीं और वर्ष 2021 में आप बैंक की प्रबंध निदेशक बनीं। सुश्री बंगारी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मुंबई विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक हैं। आप केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वीमेंस सीनियर लीडरशिप प्रोग्राम (2018 बैच) की भूतपूर्व छात्रा हैं। साथ ही, आप भारत और विदेशों में होने वाले कई एडवांस्ड प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुकी हैं। आप स्पैनिश और फ्रेंच भाषाएं भी जानती हैं। अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार, देयता प्रबंधन और परियोजना वित्त जैसे विषयों पर आपके इनसाइट्स के लिए आपको राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों में भी आमंत्रित किया जाता रहा है।

निदेशक विवरण	संक्षिप्त प्रोफाइल
श्री तरुण शर्मा उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा एक्जिम बैंक के उप प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आप बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे और आपने बैंक की प्रौद्योगिकी पहलों का भी नेतृत्व किया है। आप इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद आपने प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हासिल की और आपने एडवांस्ड एक्जिक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है। आपको वैश्विक व्यापार, प्रतिस्पर्धात्मकता, उद्योग और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास तथा नीति में दो दशक से अधिक का अनुभव है। सीएफओ के रूप में अपने कार्यकाल से पहले श्री तरुण शर्मा बैंक के नई दिल्ली कार्यालय के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। आपने भारतीय कंपनियों की क्षमताएं बढ़ाने के लिए वित्त की स्ट्रक्चरिंग करने; सहभागी देशों में सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करने; सरकारी कार्य संभालने और नीति निर्माण में योगदान देने जैसे उत्तरदायित्व निभाए हैं। इस दौरान, श्री तरुण शर्मा ने 'उभरते सितारे कार्यक्रम' नामक नई पहल शुरू करने का उत्तरदायित्व भी संभाला। यह कार्यक्रम ऐसे उद्यमों को चिह्नित करने और ऋण, इक्विटी तथा तकनीकी सहायता के जरिए सहयोग प्रदान करने के लिए है, जिनमें प्रौद्योगिकी, उत्पाद और प्रोसेस की दृष्टि से संभावनाएं हैं। श्री शर्मा ने पिछले दो दशकों में बैंक के विभिन्न कार्यात्मक समूहों में काम किया है, जिनमें बैंक का नीति व्यवसाय, रणनीति निर्माण और अध्यक्ष के कार्यकारी सहायक के रूप में कार्य करना शामिल है। आपने वाशिंगटन डीसी में स्थित बैंक के रेसिडेंट प्रतिनिधि (अमेरिका) के रूप में भी कार्य किया है, जिसके बाद आपने विश्व बैंक की क्षमता विकास और साझेदारी इकाई में सलाहकार के रूप में भी काम किया। श्री शर्मा ने 'प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट्स: कनेक्टिंग कॉन्टिनेंट्स विद इंडियन एक्सपोर्ट्स' नामक एक पुस्तक लिखी है, जिसमें भारत के सतत तीव्र आर्थिक विकास के प्रयासों में परियोजना निर्यातों की महत्वपूर्ण भूमिका का विश्लेषण किया गया है। आप पुणे से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। इसके बाद आपने मुंबई से प्रबंधन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एडवांस्ड एक्जिक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया है।
सुश्री दीपाली अग्रवाल उप प्रबंध निदेशक	सुश्री दीपाली अग्रवाल एक्जिम बैंक की उप प्रबंध निदेशक हैं। इससे पहले आपने बैंक की मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं। आपको लगभग तीन दशकों से बैंक के भारत तथा विदेश स्थित कार्यालयों में अलग-अलग भूमिकाओं में कार्य करने का अनुभव है। आपने ट्रेजरी एवं लेखा, कॉर्पोरेट बैंकिंग, परियोजना निर्यात, संचार और ब्रांड प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रासरूट स्तर के दस्तकारों के उत्थान, मानव संसाधन प्रबंधन और रिकवरी आदि संस्थागत लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया है। आप बैंक के पश्चिमी क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय के साथ-साथ बैंक के सिंगापुर प्रतिनिधि कार्यालय की भी प्रमुख रह चुकी हैं। सुश्री अग्रवाल, भारतीय कंपनियों की स्पर्धात्मक क्षमताएं बढ़ाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए 'एक्जिम बैंक अवॉर्ड फॉर बिजनेस एक्सीलेंस' की क्वालिफाइड मूल्यांकनकर्ता हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों की कुछ कंपनियों के बोर्डों में नामित निदेशक भी रही हैं। वह नीति निर्माण संबंधी सरकारी स्तर की समितियों में कार्यकारी समूह की सदस्य के रूप में शामिल रही हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत विकास में योगदान देती रही हैं। नूतन पहलों की संकल्पना कर उन्हें क्रियान्वित करते हुए बैंक की ब्रांड छवि और विजिबिलिटी बढ़ाने के अलावा ग्रासरूट स्तर के दस्तकारों के उत्थान और महिला सशक्तीकरण में भी उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। उन्होंने बैंक के आस्ति आधार बनाने, संसाधन जुटाने, आय में वृद्धि करने और बैंक के लिए बड़ी वसूली में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। सुश्री अग्रवाल ने मुंबई स्थित 'जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़' से फायनैस में एमबीए करने के बाद 1995 में बैंक जॉइन किया। आप केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के सीनियर लीडरशिप कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं। आपने बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा आईआईएम बेंगलुरु के साथ संयुक्त रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी भाग लिया।

बैंक की आचार संहिता का अनुपालन

बैंक के निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा की गई घोषणा इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-I' के रूप में संलग्न है।

वित्तीय विवरणों पर अनुपालन प्रमाणपत्र

बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी ने सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 62घ (14) के प्रावधानों के अनुरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रमाणन दिया है, जो इस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-II' के रूप में संलग्न है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 24क के अनुपालन में, बैंक ने मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई को सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। तदनुसार, सचिवीय लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक रिपोर्ट इस रिपोर्ट में "अनुलग्नक-III" के रूप में संलग्न है। इसके अलावा, इस रिपोर्ट में वार्षिक सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट "अनुलग्नक-IV" के रूप में संलग्न है।

कॉर्पोरेट गवर्नंस संबंधी अनुपालन प्रमाणपत्र

सूचीबद्धता विनियम की अनुसूची V के पैरा ६ के अनुपालन में, एक्जिम बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में, मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई से प्रमाणपत्र लिया है, जो कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट में "अनुलग्नक-V" के रूप में संलग्न है।

निदेशकों की गैर-निरर्हता का प्रमाण पत्र:

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा ग (10)(i) के अनुपालन में, एक्जिम बैंक ने मैसर्स रागिनी चोकशी एंड कंपनी, कंपनी सचिव, मुंबई से प्रमाणपत्र लिया है, जो यह प्रमाणित करता है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)/ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या इस नियुक्ति को जारी रखने से विवर्जित या निरर्ह नहीं ठहराया गया है। यह प्रमाण पत्र कॉर्पोरेट गवर्नंस रिपोर्ट के साथ 'अनुलग्नक-VI' के रूप में संलग्न है।

निदेशक मंडल की बैठक:

बोर्ड की बैठकों की तारीखें समय रहते काफी पहले निर्धारित की जाती हैं और इस संबंध में निदेशकों को सूचित कर दिया जाता है। बोर्ड सदस्यों को बोर्ड और समिति(यों) की प्रत्येक बैठक से पहले संबंधित आवश्यक दस्तावेजों और जानकारी के साथ कार्यसूची संबंधी कागजात प्रदान किए जाते हैं। बोर्ड, बैंक पर लागू कानूनों और विनियमों के संबंध में अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है। समितियों की संस्तुतियों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतया मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और बैंक के निदेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा भी प्रदान की जाती है, ताकि वे बोर्ड / समिति की बैठकों में भाग ले सकें। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, निदेशक मंडल की 7 (सात) बैठकें निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुईं: [(i) 09 मई, 2025 (ii) 14 जुलाई, 2025 (iii) 06 अगस्त, 2025 (iv) 25 सितंबर, 2025 (v) 13 नवंबर, 2025 (vi) 05 फरवरी, 2026 और (vii) 24 मार्च, 2026]।

लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर नहीं रहा है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बोर्ड की बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	7	7	1	2	0
श्री तरुण शर्मा, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	7	7	1	1	0

निदेशक का नाम	श्रेणी*	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या		निदेशन/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षता की संख्या		
		आयोजित	भाग लिया	निदेशन विनियम	समिति की सदस्यता**	समिति की अध्यक्षता**
सुश्री दीपाली अग्रवाल, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	7	7	1	1	0
श्री दम्भू रवि	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	3	1	—	—	—
श्री सुधाकर दलेला	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती / स्वतंत्र निदेशक	3	1	1	0	0
श्री सुचीन्द्र मिश्र	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती / स्वतंत्र निदेशक	1	1	1	0	0
सुश्री हिमानी पांडे	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार की नामिती निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	6	1	0	0
श्री सिद्धार्थ महाजन	गैर-कार्यपालक निदेशक/भारत सरकार के नामिती निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	6	2	—	—	—
सुश्री अपर्णा भाटिया	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार की नामिती निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	5	1	1	0
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर-कार्यपालक निदेशक / भारत सरकार के नामिती निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	5	2	1	0
श्री अर्णब कुमार चौधरी	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	5	1	0	0
श्री राकेश शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	3	2	2	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	5	1	2	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	3	4	2	0
श्री एम. वी. राव	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	2	0	—	—	—
श्री अश्वनी कुमार	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	7	3	2	2	1
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर-कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	4	2	2	2	0

*सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 16(1)(ख) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' से तात्पर्य सूचीबद्ध संस्था के नामिती निदेशक के अलावा गैर-कार्यपालक निदेशक से है। स्पष्टीकरण - 'उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई' के मामले में: (क) जो एक निकाय कॉर्पोरेट है, जिसे उस कानून के अनुसार एक विशिष्ट तरीके से अपने निदेशक मंडल का गठन करना है, जिसके तहत उस निकाय की स्थापना की गई है, के बोर्ड में गैर-कार्यपालक निदेशक को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में माना जाएगा।

**समितियों में निदेशकों की सदस्यता और अध्यक्षता के निर्धारण के लिए लेखा परीक्षा समिति और हितधारक संबंध समिति में निदेशकों की सदस्यता और अध्यक्षता को ध्यान में रखा गया है।

नोट:

- बोर्ड में कोई भी निदेशक 7 से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों के निदेशक / स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
- पूर्णकालिक निदेशकों / प्रबंध निदेशक में से कोई भी तीन से अधिक सूचीबद्ध इकाइयों में स्वतंत्र निदेशक नहीं है, जिनके इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों।
- बोर्ड में कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं और 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं है, जिनमें वह निदेशक हैं।
- हमारी जानकारी के अनुसार, निदेशकों के बीच परस्पर कोई संबंध नहीं है।
- यथा 31 मार्च, 2026 को किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास एक्जिम बैंक की प्रतिभूतियां नहीं रहीं।

6. यथा 31 मार्च, 2026 को सूचीबद्ध इकाइयों में अन्य निदेशक पद (केवल वही, जिनकी इक्विटी सूचीबद्ध है) जहां एक्जिम बैंक के कोई बोर्ड सदस्य निदेशक हैं, निम्नलिखित अनुसार हैं:

यथा 31 मार्च, 2026 को सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशकों का विवरण

निदेशक का नाम	सूचीबद्ध इकाई(यों) में निदेशक पद	निदेशक पद/अध्यक्षता की श्रेणी	लेखा परीक्षा समिति (एसी)/ हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) की अध्यक्षता/ सदस्यता
श्री अभिजीत फुकन	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	भारत सरकार के नामिती निदेशक	शून्य
श्री राकेश शर्मा	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	1. भारतीय स्टेट बैंक 2. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 3. एसबीआई काईस एंड पेमेंट्स सर्विसेज़ लिमिटेड	1. अध्यक्ष- कार्यपालक 2. अध्यक्ष- गैर-कार्यपालक 3. अध्यक्ष- गैर-कार्यपालक	शून्य शून्य शून्य
श्री अश्वनी कुमार	यूको बैंक	प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य
श्री रजनीश कर्नाटक	बैंक ऑफ इंडिया	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम:

वित्तीय वर्ष 2025-26 में, बैंक के निदेशकों के लिए सूचीबद्धता विनियम के विनियम 62(8) के अनुपालन में सूचना/साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निदेशकों द्वारा हिस्सा लिए गए परिचयात्मक कार्यक्रमों का विवरण वेबसाइट <https://www.eximbankindia.in/investor-relation> पर उपलब्ध है।

बोर्ड के कौशल/ विशेषज्ञता/ स्पर्धात्मकता

सूचीबद्धता विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप, बोर्ड द्वारा बैंक के व्यवसाय की प्रकृति और इसके परिचालन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बैंक के प्रभावी परिचालनों के लिए आवश्यक मुख्य कौशल, विशेषज्ञता और कार्य-निर्वाह क्षमता को चिह्नित किया गया है। सभी निदेशकों का संक्षिप्त परिचय पैरा 2 'निदेशक मंडल' में उल्लिखित है।

निदेशक मंडल की समितियां

एक्जिम बैंक के बोर्ड ने बैंक के व्यावसायिक मामलों में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने की दृष्टि से विभिन्न समितियों का गठन किया है। बोर्ड की विभिन्न समितियों की बैठकें एक्जिम बैंक अधिनियम और एक्जिम बैंक सामान्य विनियम, सूचीबद्ध विनियम और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाती हैं। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की विभिन्न समितियां निम्नलिखित अनुसार रहीं:

1. प्रबंध समिति (एमसी)
2. लेखा परीक्षा समिति (एसी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

4. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
5. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)
6. मानव संसाधन समिति (एचआरसी)
7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेषण समिति (ओसीपीबी)
8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)
9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)
10. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीसीडब्ल्यूडी)
11. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड की बैठकों के आयोजन से संबंधित बैंक के दिशानिर्देश यथासंभव व्यवहार्यता तक, समिति की बैठकों पर भी लागू होते हैं। बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों/कार्यात्मक प्रमुखों को वांछित विभिन्न विवरण प्रस्तुत करने के लिए समिति द्वारा अपनी बैठक में आमंत्रित किया जाता है।

1. प्रबंध समिति (एमसी)

प्रबंध समिति बोर्ड की उप-समिति है, जिसे बैंक की आंतरिक समितियों, नामतः, कार्यपालक समिति और ऋण समिति की शक्तियों से अधिक के वाणिज्यिक ऋण एक्सपोजर को मंजूरी प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, एमसी की 8 बैठकें, निम्नलिखित तिथियों को आयोजित हुई: (i) 04 जून, 2025 (ii) 18 जुलाई, 2025 (iii) 13 अगस्त, 2025 (iv) 23 सितंबर, 2025 (v) 11 नवंबर, 2025 (vi) 18 दिसंबर, 2025 (vii) 29 जनवरी, 2026 और (viii) 12 मार्च, 2026।

बैंक में निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	6
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	5
श्री एम.वी. राव	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.07.2025	2	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	4
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	5	2
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	8
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	8
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	8	8

यथा 08 मई, 2026 को प्रबंध समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशकों के नाम
6(1)(क)	अध्यक्ष	रिक्त
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा सुश्री दीपाली अग्रवाल
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ड)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
6(1)(ड)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, दो निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

2. लेखा परीक्षा समिति (एसी)

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसी) बैंक के संपूर्ण लेखा परीक्षा कार्यों के लिए मार्गदर्शन देती है, ताकि एक प्रबंधन माध्यम के रूप में, इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि हो और बैंक सांविधिक, बाहरी, आंतरिक और संगामी लेखापरीक्षा रिपोर्टों और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्टों में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित कर सके।

लेखापरीक्षा समिति (एसी) बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणियों की समीक्षा करती है।

समिति को बैंक के आंतरिक लेखा परीक्षा समूह के कार्यकलापों के अन्वेक्षण और इसकी प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा करने, बैंक के लेखों को अंतिम रूप देने और आरबीआई निरीक्षण रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों से संबंधित मामलों में मार्गदर्शन प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 6 बैठकें (i) 06 मई, 2025 (ii) 06 अगस्त, 2025 (iii) 12 नवंबर, 2025 (iv) 18 दिसंबर, 2025 (v) 03 फरवरी, 2026 और (vi) 24 मार्च, 2026 को आयोजित हुई। दो बैठकों के बीच अधिकतम अंतर 120 दिनों से अधिक का नहीं रहा।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	4	2
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	6
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	4
श्री एम.वी. राव	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.07.2025	1	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	6
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	4	1

यथा 08 मई 2026 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ड) (i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन
6(1)(ड)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
6(1)(ड)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

जोखिम प्रबंधन समिति बैंक की जोखिम प्रबंधन नीति को क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। साथ ही, भारतीय रिजर्व बैंक / बोर्ड द्वारा निर्धारित विभिन्न जोखिम सीमाओं के अनुपालन की निगरानी करती है और अन्य आंतरिक जोखिम प्रबंधन समितियों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्व की समीक्षा भी करती है। बैंक की ऐसी विभिन्न नीतियां जिनकी बोर्ड द्वारा समीक्षा की जाती है और अनुमोदित किया जाता है, उन्हें पहले आरएमसी को समीक्षा और बोर्ड को संस्तुति करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की 6 बैठकें, (i) 06 मई, 2025 (ii) 06 अगस्त, 2025, (iii) 23 सितंबर, 2025, (iv) 12 नवंबर, 2025, (v) 03 फरवरी, 2026 और (vi) 24 मार्च, 2026 को आयोजित हुई।

बैंक में निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	3	2
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	6

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	4
श्री एम. वी. राव	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.07.2025	1	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	2
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	4	1
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	6
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	6	6

यथा 08 मई, 2026 को जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
धारा 6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

4. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी) मुख्य रूप से बैंक की सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को बैंक पर लागू विनियमों के अनुरूप बनाने और तदनुसार उन पहलों के कार्यान्वयन की रणनीति बनाने में नीतिगत स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आईटीएससी के लक्ष्यों, उद्देश्यों, प्रयोजनों और उत्तरदायित्वों में बैंक के आईटी गवर्नंस एवं सूचना सुरक्षा गवर्नंस को सुदृढ़ करना, और साइबर सुरक्षा तथा बैंक की डिजिटल पहलों को बढ़ाने के लिए बजटीय आवंटन की उपलब्धता सुनिश्चित करना शामिल है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आईटीएससी की 4 (चार) बैठकें, (i) 16 जून, 2025 (ii) 24 सितंबर, 2025 (iii) 18 दिसंबर, 2025 और (iv) 23 मार्च, 2026 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	2	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	2

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	2
श्री एम.वी. राव	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.07.2025	1	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	1
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	3	3
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक निदेशक	05.02.2026 से 31.03.2026	1	1
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4

यथा 08 मई, 2026 को आईटीएससी की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6 (1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6 (1) (ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा (1) (ङ)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

5. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

एक्जिम बैंक के बोर्ड ने 21 मार्च, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में हितधारक संबंध समिति का गठन किया था। एसआरसी की भूमिका में बैंक के हितधारकों की शिकायतों की निगरानी और उनका समाधान करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में एसआरसी की बैठक 13 नवंबर, 2025 को हुई। निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक/ स्वतंत्र निदेशक	06.08.2025 से 31.03.2026	1	1

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	1	0
सुश्री हर्षा बंगारी	कार्यपालक	05.02.2026 से 31.03.2026	0	0
श्री तरुण शर्मा	कार्यपालक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
सुश्री दीपाली अग्रवाल	कार्यपालक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

यथा 08 मई, 2026 को हितधारक संबंध समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6 (1) (क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
धारा 6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ड)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक	डॉ.अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ड)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
धारा 6(1)(ड)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

अनुपालन अधिकारी का नाम और पद : सुश्री सिद्धि केळुसकर, अनुपालन अधिकारी

वर्ष के दौरान प्राप्त और समाधान किए गए शिकायतों से संबंधित विवरण :

वित्तीय वर्ष 2025-26 का दौरान प्राप्त शिकायत/निवेदनों के विवरण निम्नानुसार हैं:	1. वर्ष की शुरुआत में निवेशकों की लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य 2. वर्ष के दौरान निवेशकों की प्राप्त शिकायतों की संख्या - शून्य 3. वर्ष के दौरान निवेशकों की निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या - शून्य 4. वर्ष के अंत में निवेशकों की अनसुलझी शिकायतों की संख्या - शून्य

6. मानव संसाधन समिति (एचआरसी)

बोर्ड द्वारा निर्धारित अनुसार तथा सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नंस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, एचआर पद्धतियों पर बैंक को केंद्रित मार्गदर्शन सुनिश्चित करने हेतु एचआरसी का गठन किया गया था। इसके प्रमुख उत्तरदायित्वों में बैंक की एचआर नीतियों से

संबंधित मामलों की समीक्षा करना और इस संबंध में बोर्ड को संस्तुति करना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान एचआरसी की 4 बैठकें (i) 16 जून, 2025 (ii) 14 जुलाई, 2025 (iii) 24 सितंबर, 2025 और (iv) 23 मार्च, 2026 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	वर्ग	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	3
श्री एम. वी. राव	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.07.2025	2	2
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	06.08.2025 से 31.03.2026	2	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	2	2
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	05.02.2026 से 31.03.2026	1	1
श्री तरुण शर्मा, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	4	4

यथा 08 मई, 2026 को मानव संसाधन समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
धारा 6(1)(कक)	एक उप प्रबंध निदेशक	श्री तरुण शर्मा
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
धारा 6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
धारा 6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
धारा 6(1)(ङ)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक	डॉ. अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
धारा 6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

7. पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति (ओसीपीबी)

बोर्ड द्वारा ओसीपीबी का गठन मार्च 2023 में किया गया था। इस समिति का गठन बैंक के पॉलिसी व्यवसाय (ऋण-व्यवस्था, रियायती वित्तपोषण योजना) की पहलों की निगरानी और संचालन तथा लंबित अतिदेय/ प्रावधानीकरण जैसे मामलों के समाधान में प्रभावी ढंग

से दिशा प्रदान करने के लिए किया गया था। समीक्षा वर्ष के दौरान ओसीपीबी की 3 बैठकें 04 अगस्त, 2025 (ii) 04 फरवरी, 2026 और (iii) 20 मार्च, 2026 को आयोजित हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री सुधाकर दलेला	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	25.09.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री दम्भू रवि	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.08.2025	1	1
सुश्री अपर्णा भाटिया	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 18.08.2025	1	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	2	1
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
सुश्री दीपाली अग्रवाल, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3

यथा 08 मई, 2026 को पॉलिसी व्यवसाय संबंधी अन्वेक्षण समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
धारा 6(1)(क)	अध्यक्ष	रिक्त
धारा 6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
धारा 6(1)(कक)	एक उप प्रबंध निदेशक	सुश्री दीपाली अग्रवाल
धारा 6(1)(ड)(i)	केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन निदेशक, जो केंद्र सरकार के अधिकारी हैं	1. श्री सुधाकर दलेला 2. सुश्री अपर्णा भाटिया 3. डॉ. अभिजीत फुकन
धारा 6(1)(ड)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन में से एक निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेटी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक

8. धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति (एससीएमएफएफ)

एससीएमएफएफ 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत खतों की समीक्षा करती है और समीक्षा के उपरांत इस संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एससीएमएफएफ की 3 बैठकें, 06 अगस्त, 2025; (ii) 13 नवंबर, 2025 और (ii) 05 फरवरी, 2026 को हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	0

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	2	1
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	3	3

यथा 08 मई, 2026 को धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी विशेष समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है: :

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशकों के नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(ड)(ii)	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति से कोई भी दो सदस्य	यथा 08 मई, 2026 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना क्रमांक 2 पर 'लेखा परीक्षा समिति' शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित है।
6(1)(ड)(iii)	निदेशक मंडल से आरबीआई नामिती निदेशक को छोड़कर कोई भी दो सदस्य	यथा 08 मई, 2026 निदेशक मंडल की संरचना 'निदेशक मंडल' शीर्षक के अंतर्गत संदर्भित है।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)

बोर्ड द्वारा सीएसआरसी का गठन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र संख्या 14/2021 में निर्धारित अनुसार, और सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नैस सिद्धांतों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के अनुरूप, सीएसआर के अंतर्गत पहलों को शामिल करने, उनकी समीक्षा करने और उनकी संस्तुति करने के लिए किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआरसी की 2 (दो) बैठकें 23 सितंबर, 2025 और 23 मार्च, 2026 को हुई।

निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	1
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	1
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	2	1
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
श्री तरुण शर्मा, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2
सुश्री दीपाली अग्रवाल, उप प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	2	2

यथा 08 मई, 2026 को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संरचना का विवरण इस प्रकार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
6(1)(कक)	दो उप प्रबंध निदेशक	1. श्री तरुण शर्मा 2. सुश्री दीपाली अग्रवाल
निम्नलिखित में से कोई दो:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
6(1)(ङ)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, चार निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

10. उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समीक्षा समिति (आरसीसीडब्ल्यूडी)

आरसीसीडब्ल्यूडी उधारकर्ता / गारंटर / संबंधित व्यक्ति इत्यादि को इरादतन चूककर्ता के रूप में चिह्नित करने संबंधी समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा करती है और उनकी पुष्टि करती है। आरसीसीडब्ल्यूडी की बैठक 27 मार्च, 2026 को हुई थी।

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	1	0
सुश्री हर्षा बंगारी, प्रबंध निदेशक	कार्यपालक निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1

यथा 08 मई, 2026 को उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने संबंधी समीक्षा समिति की संरचना नीचे दिए अनुसार रही:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(क)	प्रबंध निदेशक	सुश्री हर्षा बंगारी
निम्नलिखित में से कोई दो:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ङ)(ii)	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
6(1)(ङ)(iii)	निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

11. पारिश्रमिक समिति (आरसी)

बोर्ड द्वारा 22 मार्च, 2024 को आयोजित बैठक में 'पारिश्रमिक समिति' (आरसी) का गठन किया गया। आरसी का गठन बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबंध निदेशक अथवा बोर्ड की उपसमितियों को सीधे रिपोर्ट करने वाले अन्य वरिष्ठ कार्यपालकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा और प्रोत्साहनों से संबंधित मामलों का समाधान करने के प्रयोजन से किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरसी की बैठक 23 मार्च, 2026 को हुई थी।

बैंक में निदेशकों के अपने-अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित इस समिति की बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण नीचे दिए अनुसार है:

निदेशक का नाम	श्रेणी	अवधि	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या, जिनमें भाग लिया
डॉ. अभिजीत फुकन	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	1
श्री राकेश शर्मा	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री अश्वनी कुमार	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	01.04.2025 से 31.03.2026	1	0
श्री रजनीश कर्नाटक	गैर कार्यपालक निदेशक / स्वतंत्र निदेशक	18.08.2025 से 31.03.2026	1	1

यथा 08 मई, 2026 को आरसी की संरचना नीचे दिए अनुसार है:

धारा	निदेशकों की प्रकृति	निदेशक का नाम
6(1)(ड)(i)	वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशक, केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक केंद्र सरकार के अधिकारी हैं	डॉ. अभिजीत फुकन
निम्नलिखित में से कोई तीन:		
6(1)(ग)	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड द्वारा नामित	श्री राकेश शर्मा
6(1)(घ)	ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा नामित निदेशक	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ
6(1)(ड)(ii)	अनुसूचित बैंकों से तीन निदेशक	1. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी 2. श्री अश्वनी कुमार 3. श्री रजनीश कर्नाटक
6(1)(ड)(iii)	बोर्ड में नामांकन के अनुसार, निदेशक, जिन्हें निर्यात या आयात या इनके वित्तपोषण का विशेष ज्ञान या प्रोफेशनल अनुभव हो।	रिक्त

स्वतंत्र निदेशकों की बैठकों का विवरण

सूचीबद्धता विनियम के विनियम 62ड के उप-विनियम (2) के अनुपालन में, 24 मार्च, 2026 को स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित की गई, जिसमें वांछित अनुसार गैर-स्वतंत्र निदेशकों और प्रबंधन की उपस्थिति नहीं रही। इस बैठक में स्वतंत्र निदेशकों ने अन्य के साथ-साथ, गैर-स्वतंत्र निदेशकों और समग्र रूप से निदेशक मंडल के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया और

बोर्ड के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन का भी मूल्यांकन किया तथा बैंक, प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयसीमा से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की।

वरिष्ठ प्रबंधन

बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन से संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट के पृष्ठ 14 में दिया गया है।

पारिश्रमिक नीति

निदेशकों को भुगतान किए जाने वाले शुल्क और भत्ते (यथा लागू) एक्जिम बैंक अधिनियम और एक्जिम बैंक सामान्य विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार हैं।

पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, पारिश्रमिक (भत्तों / परिलब्धियों / प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन सहित) के रूप में, बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी को कुल ₹95.61 लाख (जिसमें विव 2020-21 से विव 2023-24 के लिए ₹25.76 लाख प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन और ₹11.87 लाख पेंशन के रूप में शामिल थे।) का, भुगतान किया गया। उप प्रबंध निदेशक, श्री तरुण शर्मा को ₹61.26 लाख का भुगतान किया गया, जिनमें ₹5.24 लाख प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन शामिल था। और उप प्रबंध निदेशक, सुश्री दीपाली अग्रवाल को ₹58.60 लाख का भुगतान किया गया, जिसमें ₹7.60 लाख पेंशन शामिल थी।

बैंक के गैर-सरकारी निदेशकों को देय शुल्क:

बैठकें	प्रति बैठक देय शुल्क
बोर्ड	₹60,000 (बोर्ड की अध्यक्षता के लिए ₹10,000 अतिरिक्त)
बोर्ड की उप-समिति	₹30,000 (अध्यक्षता के लिए ₹7,500 अतिरिक्त)

*04 दिसंबर, 2025 से प्रभावी; इस संशोधन से पहले बोर्ड बैठक के लिए देय बैठक शुल्क ₹40,000 (बोर्ड बैठकों की अध्यक्षता के लिए ₹10,000) और बोर्ड की उप-समिति की बैठकों के लिए ₹20,000 (₹5,000 उप-समिति की बैठकों की अध्यक्षता के लिए)।

नोट: एक्जिम बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक और सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी किसी भी बैठक में शुल्क के लिए पात्र नहीं हैं।

टिप्पणियां :

- बैंक के निदेशकों द्वारा किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, उनमें से किसी के पास यथा 31 मार्च, 2026 को एक्जिम बैंक की कोई भी प्रतिभूतियां नहीं रहीं;
- स्टॉक ऑप्शन्स - लागू नहीं;
- यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के ऋणों से संबंधित जानकारी के लिए वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियों के "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" संबंधी "टिप्पणी 21" का संदर्भ लीजिए।
- चूंकि पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, इसलिए नोटिस अवधि और सेवरेंस शुल्क लागू नहीं होते हैं।

संचार के साधन:

एक्जिम बैंक के तिमाही/अर्धवार्षिक/ वार्षिक वित्तीय परिणाम प्रमुख हिंदी और अंग्रेजी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के वित्तीय परिणाम बिज़नेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी और हिंदी- सभी संस्करण) में प्रकाशित किए गए थे। वित्तीय परिणाम, प्रेस विज्ञप्तियां और अन्य आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियां बैंक की वेबसाइट (<https://www.eximbankindia.in/Hindi>) पर उपलब्ध कराई जाती हैं।

बैंक की वेबसाइट (www.eximbankindia.in) पर 'निवेशक संबंध' नाम से एक अलग खंड है। वेबसाइट पर सूचीबद्धता विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक सूचना/ दस्तावेज और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में फाइल की जाने वाली सांविधिक फाइलिंग तथा प्रकटीकरणों सहित सभी आवधिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सामान्य जानकारी

एक्जिम बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के जरिए स्थापित और प्रशासित है और यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। तथापि, एक्जिम बैंक एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई एक "उच्च मूल्य वाली ऋण सूचीबद्ध इकाई" होने के कारण, सूचीबद्धता विनियमों के प्रावधान अनुपालन के लिए एक्जिम बैंक पर भी लागू होते हैं।

1	वार्षिक आम बैठक	लागू नहीं
2	वित्तीय वर्ष 2025-26 (अप्रैल से मार्च)	तिमाही/वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक परिणामों की समीक्षा/ अंगीकरण बोर्ड बैठक की तारीख प्रकाशन की तिथि समाचार पत्र का नाम 30 जून, 2025 (तिमाही परिणाम) 06 अगस्त, 2025 07 अगस्त, 2025 बिज़नेस स्टैंडर्ड 30 सितंबर, 2025 (तिमाही और छमाही परिणाम) 13 नवंबर, 2025 14 नवंबर, 2025 बिज़नेस स्टैंडर्ड 31 दिसंबर, 2025 (तिमाही परिणाम) 05 फरवरी, 2026 06 फरवरी, 2026 बिज़नेस स्टैंडर्ड 31 मार्च, 2026 (तिमाही और वार्षिक परिणाम) 08 मई, 2026 11 मई, 2026 बिज़नेस स्टैंडर्ड

8	शेयरधारिता का वितरण और शेयरों और लिक्विडिटी का अमूर्तिकरण (डिमैटेरिअलाइजेशन)	लागू नहीं एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
9	बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें या अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीदें या वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण तिथि और इक्विटी पर संभावित प्रभाव	लागू नहीं एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है।
10	कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियां	लागू नहीं "वित्तीय विवरणों के लेखों पर टिप्पणियां" की "टिप्पणी 10. डेरिवेटिव" का संदर्भ लीजिए।
11	संयंत्र का स्थान	लागू नहीं एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है। बैंक के बारह घरेलू क्षेत्रीय कार्यालय हैं और आठ विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय हैं तथा विदेश में एक शाखा (लंदन में) है। इससे संबंधित विवरण पृष्ठ संख्या 235 और 236 पर दिए गए हैं।
12	पत्राचार के लिए पता	एक्जिम बैंक का प्रधान कार्यालय केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400 005 में स्थित है।

13	किसी सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपने सभी ऋण इंस्ट्रुमेंट्स या किसी भी सावधि जमा कार्यक्रम या निधियों को भारत या विदेश में लगाने की किसी योजना या प्रस्ताव के संबंध में संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त इकाई द्वारा हासिल की गई सभी क्रेडिट रेटिंग, और उनमें हुए किसी भी तरह के संशोधनों की सूची	इन्स्ट्रुमेंट	क्रिसिल (पुनः पुष्टि)	इक्रा (पुनः पुष्टि)	
		बॉन्ड	क्रिसिल एए; स्थिर	इक्रा एए; स्थिर	
		दीर्घावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल एए; स्थिर	इक्रा एए; स्थिर	
		अल्पावधि जमा प्रमाणपत्र	क्रिसिल ए1 +	इक्रा ए1 +	
		वाणिज्यिक पत्र	क्रिसिल ए1 +	इक्रा ए1 +	
		बैंक ऋण सुविधाएं	क्रिसिल एए; स्थिर	इक्रा एए; स्थिर	
		मीयादी जमा	क्रिसिल एए; स्थिर	इक्रा एए; स्थिर	
		टियर 1 बॉन्ड (बासल III के तहत)	क्रिसिल एए+ ; स्थिर	इक्रा एए+ ; स्थिर	
		रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि/ अल्पावधि	रेटिंग	रेटिंग दिनांक
		मूडीज़	दीर्घावधि	बीएए3	03/07/2025
		फिच	दीर्घावधि	बीबीबी-	13/05/2025
		एस एंड पी	दीर्घावधि	बीबीबी	14/08/2025
		जापानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	दीर्घावधि	बीबीबी+	13/02/2026
		केयरएज	दीर्घावधि	बीबीबी+	13/08/2025
					आउटलुक
					स्थिर
					स्थिर
					स्थिर
					स्थिर
					स्थिर

अन्य प्रकटीकरण:

1	प्रमुख रूप से उल्लेखनीय ऐसे संबंधित पार्टी ट्रांज़ैक्शनों पर प्रकटीकरण, जिनमें व्यापक रूप से सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है:	'वित्तीय विवरण के लेखों पर टिप्पणियां' की 'टिप्पणी 10. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' का संदर्भ लीजिए।
2	पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचीबद्ध इकाई द्वारा अनुपालन के चलते स्टॉक एक्सचेंज(जों) या बोर्ड या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले में सूचीबद्ध इकाई पर लगाए गए दंड या बाध्यता का विवरण: सूचीबद्धता विनियमों की अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में बैंक का अनुपालन एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अधीन है।	एक्जिम बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, असंपरिवर्तनीय, अप्रतिभूतित प्रतिभूतियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां जारी करता है। स्टॉक एक्सचेंज या बोर्ड या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा एक्जिम बैंक पर कोई दंड, प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
3	सतर्कता तंत्र की स्थापना का विवरण / सचेतक (विसल ब्लोअर) नीति, और पुष्टि कि कोई भी कर्मी ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं रहा:	बैंक ने एक सतर्कता तंत्र और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सचेतक नीति (विसल ब्लोअर नीति) लागू की है, जो बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है https://www.eximbankindia.in/investor-relation
4	अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपाल और गैर-अनिवार्य आवश्यकताओं को अपनाने का विवरण:	सूचीबद्धता विनियमों की अनिवार्य अपेक्षाओं के संबंध में बैंक का अनुपालन एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अधीन है।
5	सेबी विनियमों के अनुसार नीतियों के लिए वेब लिंक: - निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता संबंधी नीति। - महत्वपूर्ण सहायक कंपनी संबंधी (मैटीरियल सब्सिडियरी) - संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के प्रभाव संबंधी नीति। - अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता और प्रक्रियाओं संबंधी नीति। - नामित व्यक्तियों और उनके निकटतम संबंधियों द्वारा ट्रेडिंग विनियमन, निगरानी और रिपोर्ट करने तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए आचार संहिता।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां यहां उपलब्ध हैं: https://www.eximbankindia.in/investor-relations
6	कमोडिटी मूल्य जोखिमों और कमोडिटी हेजिंग गतिविधियों का प्रकटीकरण।	लागू नहीं

7	विनियम 32 (7क) के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट अधिमान्य आवंटन अथवा अर्हता प्राप्त संस्थाओं के नियोजन के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग का विवरण।	लागू नहीं एक्जिम बैंक भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली संस्था है। बैंक निजी नियोजन आधार पर डिबेंचर की प्रकृति वाले प्रतिदेय, कर योग्य, गैर-परिवर्तनीय अप्रतिभूतित डिबेंचरों के रूप में प्रतिभूतियां जारी करता है।
8	जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी समिति की कोई भी संस्तुति स्वीकार नहीं की है, जो संबंधित वित्तीय वर्ष में अनिवार्य रूप से अपेक्षित है, उसका प्रकटीकरण कारण सहित किया जाए परन्तु यह खंड केवल वहीं लागू होगा जहां निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए समिति द्वारा संस्तुति / प्रस्तुतीकरण अपेक्षित हो और यह वहां लागू नहीं होगा, जहां इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी ट्रांज़ैक्शन के लिए संबंधित समिति का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित हो	शून्य
9	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म/नेटवर्क इकाई की सभी संस्थाओं, जिसका सांविधिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है, को सभी सेवाओं के लिए समेकित आधार पर भुगतान किया गया कुल शुल्क	बैंक ने वार्षिक सांविधिक लेखा परीक्षा, खातों की सीमित समीक्षा, कर लेखा परीक्षा, निधि लेखा परीक्षा, विविध प्रमाणन इत्यादि बैंक के विभिन्न असाइनमेंट करने हेतु सांविधिक लेखा परीक्षकों मैसर्स एमकेपीएस एंड एसोसिएट्स, एलएलपी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुल्क के रूप में कुल ₹35,92,460/- का भुगतान किया।
10	कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या - शून्य वित्तीय वर्ष के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या-शून्य वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या - शून्य
11	सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा उन फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिमों का प्रकटीकरण, जिनमें निदेशकों का नाम है और उनका मौद्रिक हित है; परन्तु यह आवश्यकता सूचीबद्ध बैंकों को छोड़कर सभी सूचीबद्ध संस्थाओं पर लागू होगी:	लागू नहीं
12	सूचीबद्ध इकाई की प्रमुख सहायक कंपनियों का विवरण; निगमन की तारीख और स्थान और ऐसी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखा परीक्षकों का नाम और की नियुक्ति तिथि	शून्य बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों का विवरण: इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (एक्जिम फिनसर्व), भारतीय निर्यात-आयात बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसे यथा 31 मार्च, 2026 को भौतिक सहायक कंपनी के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं है।
13	कॉर्पोरेट गवर्नैस का अनुपालन	बैंक द्वारा लागू सूचीबद्धता विनियमों में विनिर्दिष्ट कॉर्पोरेट गवर्नैस संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

अनुलग्नक - I

प्रबंध निदेशक का प्रमाण पत्र/घोषणा

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V के पैरा घ के अनुसार]

मैं घोषणा करती हूँ कि बोर्ड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता निर्धारित की है। आचार संहिता बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मैं यह भी घोषणा करती हूँ कि बैंक के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते भारतीय निर्यात-आयात बैंक

दिनांक: 08 मई, 2026

स्थान: मुंबई

हस्ताक्षरित/-

(हर्षा बंगारी)

प्रबंध निदेशक

अनुलग्नक - II

अनुपालन प्रमाणपत्र

[सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 62घ(14) के अनुपालन में]

प्रति
निदेशक मंडल
भारतीय निर्यात-आयात बैंक
मुंबई

उपरोक्त विनियमों में अपेक्षित अनुसार, यह प्रमाणित किया जाता है कि:

- हमने 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा कर ली किया है। अपनी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार:
 - इन विवरणों में कोई भी ऐसा कथन नहीं है जो सारभूत रूप से असत्य हो अथवा किसी सारभूत तथ्य को इसमें से निकाला गया हो या जिसमें ऐसा कोई कथन सम्मिलित हो जो भ्रामक हो सकता हो।
 - ये विवरण समग्र रूप से बैंक के कार्यकलापों/व्यवसाय का सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा प्रचलित लेखांकन मानकों, लागू विधियों एवं विनियमों के अनुरूप हैं।
- हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा कोई भी ऐसा संव्यवहार नहीं किया गया है जो कपटपूर्ण, गैर-कानूनी अथवा बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला हो।
- हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने एवं उन्हें बनाए रखने के लिए अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की रूपरेखा अथवा परिचालन में यदि कोई कमी हमारी जानकारी में आई है, तो उसे और उन कमियों को दूर करने के लिए की गई कार्रवाई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल के समक्ष प्रकट किया है।
- हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति/निदेशक मंडल को निम्नलिखित के संबंध में अवगत कराया है:
 - वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रणों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन;
 - वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा यह कि उन्हें वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में विधिवत प्रकट किया गया है;
 - किसी भी उल्लेखनीय धोखाधड़ी की घटनाएं, यदि कोई हों, जिनकी जानकारी हमें मिली हो तथा बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कर्मचारी की उसमें संलिप्तता, यदि कोई हो।

कृते भारतीय निर्यात-आयात बैंक

हस्ताक्षरित
सुश्री बख्तावर पटेल
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ताक्षरित
सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

दिनांक: 08-05-2026

स्थान: मुंबई

अनुलग्नक - III

प्रपत्र संख्या एमआर-3 सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

01-04-2025 से 31-03-2026 तक की अवधि के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24क के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़
परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

हमने **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** (आगे "बैंक" के रूप में संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से की गई कि हमें कॉर्पोरेट आचार/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला।

बैंक के बही-खातों, दस्तावेजों, मिनट बुक और दाखिल किए गए रिटर्न और बैंक द्वारा रखे गए अन्य रिकॉर्डों के हमारे सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा कार्य के दौरान बैंक तथा बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, बैंक ने 1 अप्रैल, 2025 से 31, मार्च 2026 तक की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और हम यह रिपोर्ट करते हैं कि बैंक में समुचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन हैं:

हमने 01 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 की लेखा परीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, मिनट बुक, और फाइल किए गए रिटर्न और अन्य रिकॉर्डों की जांच की है:

- i. भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्जिम बैंक अधिनियम");
- ii. भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;
- iii. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लागू नहीं हैं क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित नहीं है);
- iv. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम; (लागू सीमा तक)

- v. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम (लागू सीमा तक);
- vi. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पारदेशीय प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक
- vii. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश:
 - क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015; (लागू सीमा तक)
 - ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)
 - ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021; (लागू सीमा तक)
 - च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; (लागू सीमा तक)
 - छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2009; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

(ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम, 2018 (समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

क) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक; (समीक्षाधीन अवधि के दौरान लागू नहीं)

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (सेबी एलओडीआर विनियम) और बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ किए गए लिस्टिंग करार; (लागू सीमा तक)।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान एक्जिम बैंक ने निम्नलिखित को छोड़कर उपरोक्त एक्जिम बैंक अधिनियम, नियम, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अनुसरण में निदेशक मंडल में केंद्र सरकार द्वारा अध्यक्ष (गैर-कार्यपालक) की नियुक्ति प्रतीक्षित है। एक्जिम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत नियुक्त प्रबंध निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। तथापि, बैंक अपने बोर्ड में रिक्तियों को भरने के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, भारत सरकार के साथ मासिक आधार पर संपर्क में रहता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

एक्जिम बैंक के निदेशक मंडल का गठन एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 6 के अनुसार विधिवत किया गया है, जिसमें उक्त के अलावा, कार्यपालक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशक निदेशकों के पद हैं और इसे उच्च मूल्य ऋण प्रदाता सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियमों के प्रावधानों के अनुरूप देखा जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे एक्जिम बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में और नियुक्तियों/नामांकन आदेशों के अनुसार रहे।

बोर्ड की बैठकें निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट पर्याप्त समय रहते भेजे गए, और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए बैठक से पहले कार्यसूची मर्दों पर विस्तृत जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम मौजूद है।

निदेशकों द्वारा अपेक्षित अनुसार, कार्यसूची मर्दों पर आवश्यक सूचना/स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है, ताकि बैठक में सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। संबंधित बैठक में हुई चर्चाओं को उचित रूप से दर्ज किया जाता है और उपस्थित सभी सदस्यों की सहमति से निर्णय लिए जाते हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालनों के अनुरूप, बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक में कोई विशिष्ट घटना या कार्रवाई नहीं रही जो उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में बैंक के कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है।

1. बैंक ने 18 मार्च, 2026 को डिबेंचर के रूप में ₹ 1 लाख के अंकित मूल्य वाले 4,00,000 अप्रतिभूतित, प्रतिदेय, गैर-संचयी कर योग्य, नॉन-कन्वर्टिबल बॉन्ड आवंटित किए। 7.23% की वार्षिक देय कूपन दर का यह निर्गम निजी नियोजन के आधार पर ₹ 4,000 करोड़ का था और समान मूल्य पर प्रतिदेय था।
2. बैंक के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:
 - क. बैंक के निदेशक के रूप में श्री एम. वी. राव का कार्यकाल 31 जुलाई, 2025 को पूरा हो गया।
 - ख. बैंक के निदेशक के रूप में श्री रजनीश कर्नाटक की नियुक्ति 18 अगस्त, 2025 को प्रभावी हुई।
 - ग. बैंक के निदेशक के रूप में श्री दम्पू रवि का कार्यकाल 31 अगस्त, 2025 को पूरा हो गया।
 - घ. बैंक के निदेशक के रूप में श्री सुधाकर दलेला की नियुक्ति, 25 सितंबर, 2025 को प्रभावी हुई।
 - ङ. बैंक के निदेशक के रूप में श्री सुचीन्द्र मिश्र की नियुक्ति 11 फरवरी, 2026 को श्री सिद्धार्थ महाजन के स्थान पर हुई।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-
रागिनी चोकशी
(पार्टनर)

सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390

स्थान: मुंबई पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166 / 2023
दिनांक: 08 मई, 2026 यूडीआईएन: F002390H000312073

इस रिपोर्ट को इसी तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ा जाना है, जो अनुलग्नक "क" के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक "क"

प्रति,

सदस्यगण,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ़ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकॉर्डों पर अभिमत व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का पालन करते हैं, वे हमारे अभिमत के लिए उचित आधार प्रदान करती हैं।
3. हमने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की शुद्धता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के होने आदि के संबंध में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच, परीक्षण आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. यह सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी

(कंपनी सचिव)

फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित / -

रागिनी चोकशी

(पार्टनर)

सी.पी. संख्या: 1436

एफसीएस संख्या: 2390

पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166 / 2023

यूडीआईएन: F002390H000312073

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08-05-2026

अनुलग्नक - IV

भारतीय निर्यात-आयात बैंक की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं)
विनियम, 2015 के विनियम 2015 के विनियम 24क के अंतर्गत]

हमने निम्नलिखित की जांच की है:

- (क) हमें **भारतीय निर्यात-आयात बैंक** ("उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई") द्वारा उपलब्ध कराए गए सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड और प्रदान किए गए स्पष्टीकरण,
 - (ख) इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग / प्रस्तुतीकरण,
 - (ग) इस सूचीबद्ध इकाई की वेबसाइट
 - (घ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज / फाइलिंग, जिस पर इस प्रमाणन को बनाने के लिए निर्भर रहा गया है,
- 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष ("समीक्षा अवधि") के लिए निम्नलिखित के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में
- (क) भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्जिम बैंक अधिनियम);
 - (ख) भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020;
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') और विनियम, परिपत्र और इनके तहत जारी दिशानिर्देश; और
 - (घ) प्रतिभूति कॉन्ट्रैक्ट (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआर'), इनके अंतर्गत बने नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के अंतर्गत जारी विनियम, परिपत्र, दिशानिर्देश **(लागू सीमा तक)**
- विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, में निम्नलिखित शामिल हैं: -
- (क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**
 - (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड प्रतिभूतियों का क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक) विनियम, 2018; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़) का निर्गम (इश्यू) और इनकी सूचीबद्धता (लिस्टिंग) विनियम, 2021 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**
 - (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड असंपरिवर्तनीय मोचनीय (नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल) अधिमानी शेयरों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 और समय-समय पर यथासंशोधित; **(लागू सीमा तक)**
 - (झ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 **(लागू सीमा तक)**;
 - (ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (ट) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निवेशक संरक्षण और शिक्षण निधि) विनियम, 2009 **(समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक पर लागू नहीं)**
 - (ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में; **(लागू सीमा तक)** और इसके अंतर्गत जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों; सूचीबद्ध इकाई द्वारा विनिर्दिष्ट मामलों के अलावा उक्त विनियमों और इनके अंतर्गत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है:

(क) लिस्टेड कंपनी ने ऊपर बताए गए नियमों और उनके तहत जारी परिपत्रों / दिशानिर्देशों का पालन किया है, सिवाय नीचे बताए गए मामलों के:

क्र. सं.	अनुपालन आवश्यकता (नियम/परिपत्र/दिशानिर्देश, जिसमें विशिष्ट खंड शामिल हैं)	विनियम/परिपत्र	विचलन	द्वारा का गई कार्रवाई	कार्रवाई का प्रकार	उल्लंघन का विवरण	जुर्माने की राशि	प्राैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की टिप्पणियां/विचार	प्रबंधन की प्रतिक्रिया	टिप्पणी
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई बात नहीं है।										

(ख) लिस्टेड कंपनी ने पिछली रिपोर्टों में की गई टिप्पणियों का पालन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क्र. सं.	पिछली रिपोर्टों में प्राैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (पीसीएस) की टिप्पणियां/विचार	31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेक्रेटरीयल कंप्लायंस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां	अनुपालन आवश्यकता (नियम/परिपत्र/दिशानिर्देश, जिसमें विशिष्ट खंड शामिल हैं)	लिस्टेड संस्था द्वारा नियमों के उल्लंघन/विचलन और की गई कार्रवाई/लगाए गए जुर्माने (यदि कोई हो) का विवरण।	लिस्टेड कंपनी द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हों	लिस्टेड कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई पर पीसीएस की टिप्पणियां
समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसी कोई बात नहीं है।						

हम एतद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान इस सूचीबद्ध इकाई की अनुपालन स्थिति आवश्यकता के साथ दी गई है:

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
1	सचिवीय मानक: इस सूचीबद्ध इकाई के अनुपालन, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों (एसएस) के अनुसार हैं।	लागू नहीं	यह लागू नहीं है क्योंकि बैंक कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निगमित नहीं है।
2	नीतियों का अंगीकरण और समय पर अपडेशन: - सेबी विनियमों के अंतर्गत सभी लागू नीतियों को सूचीबद्ध संस्थाओं के निदेशक मंडल के अनुमोदन से अंगीकृत किया जाता है। - सभी नीतियां सेबी विनियमों के अनुरूप हैं और सेबी द्वारा जारी विनियमों / परिपत्रों / दिशानिर्देशों के अनुसार इनकी समीक्षा की गई है और इन्हें समय पर अपडेट किया गया है।	हां	कोई नहीं
3	वेबसाइट रखरखाव और प्रकटीकरण: - इस सूचीबद्ध इकाई की कार्यात्मक वेबसाइट है। - वेबसाइट पर एक अलग सेक्शन के तहत दस्तावेजों / सूचनाओं का समय पर प्रसार किया जाता है। - विनियम 27(2) के अंतर्गत वार्षिक कॉर्पोरेट गवर्नैस रिपोर्ट में प्रदान किए गए वेब-लिंक सटीक और विशिष्ट हैं, जो वेबसाइट के संबंधित दस्तावेज / सेक्शन पर ले जाते हैं।	हां	कोई नहीं
4	निदेशक की निरहता: कंपनी का कोई भी निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत निरह नहीं है।	हां	बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शासित है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 लागू नहीं होता है।

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
5	सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों से संबंधित विवरणों की जांच कर ली गई है: (क) मैटीरियल सहायक कंपनियों का चिह्नीकरण (ख) मैटीरियल और अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में अपेक्षाएं	हां	बैंक की कोई मैटीरियल सहायक कंपनी नहीं है और बैंक ने अन्य सहायक कंपनियों के प्रकटीकरण के संबंध में आवश्यकता का अनुपालन किया है।
6	दस्तावेजों का संरक्षण: यह सूचीबद्ध इकाई सेबी विनियमों के अंतर्गत निर्धारित रिकॉर्डों का संरक्षण और रखरखाव कर रही है और सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के अंतर्गत निर्धारित, 'दस्तावेजों का संरक्षण नीति' और 'अभिलेखीय नीति' के अनुसार रिकॉर्डों का निस्तारण कर रही है।	हां	कोई नहीं
7	निष्पादन मूल्यांकन: इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी विनियमों में निर्धारित अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत/वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड, स्वतंत्र निदेशकों और समितियों का निष्पादन मूल्यांकन किया है।	हां	यह लागू नहीं है, क्योंकि सभी निदेशकों को एक्जिम बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त/नामित किया जाता है। पूर्णकालिक निदेशकों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रमुख निष्पादन संकेतकों के साथ निष्पादन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के आधार पर किया जाता है।
8	संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शन: (क) इस सूचीबद्ध इकाई ने सभी संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया है	हां	संबंधित पक्ष ट्रांज़ैक्शनों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और तिमाही आधार पर समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट किया जाता है और लेखों पर टिप्पणियों के हिस्से के रूप में वार्षिक रिपोर्ट में भी प्रकट किया जाता है।
	(ख) यदि कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, तो सूचीबद्ध इकाई लेखा परीक्षा समिति द्वारा ट्रांज़ैक्शन को बाद में अनुमोदित/ सत्यापित / अस्वीकृत किए जाने की पुष्टि के साथ विस्तृत कारण प्रदान करेगी।	लागू नहीं	संबंधित पक्ष संव्यवहारों के लिए लेखा परीक्षा समिति का पूर्व अनुमोदन लिया जाता है, तथा इन्हें समीक्षा के लिए लेखा परीक्षा समिति को तिमाही आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, इन्हें वार्षिक रिपोर्ट में लेखों पर टिप्पणियों के हिस्से के रूप में भी प्रकटित किया जाता है।
9	घटनाओं या सूचनाओं का प्रकटीकरण: इस सूचीबद्ध इकाई ने सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ विनियम 30 के अंतर्गत सभी आवश्यक प्रकटीकरण इसके तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान किए हैं।	लागू नहीं	सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 का विनियम 30 बैंक पर लागू नहीं है। तथापि, सेबी एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियमन 51 के अनुसार समय पर प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए।
10	इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध: इस सूचीबद्ध इकाई द्वारा सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के विनियम 3(5) और 3(6) का अनुपालन किया गया है।	हां	कोई नहीं
11	सेबी या स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा की गई कार्रवाई, यदि कोई हो: इस सूचीबद्ध इकाई/इसके प्रवर्तकों /निदेशकों/ सहायक कंपनियों के विरुद्ध सेबी विनियमों और उनके अंतर्गत जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं सहित) के अंतर्गत सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है (अथवा) सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा सूचीबद्ध इकाई/उसके प्रवर्तकों/ निदेशकों/ सहायक कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई अंतिम कॉलम में विनिर्दिष्ट की गई है।	लागू नहीं	कुछ नहीं

क्र. सं.	विवरण	अनुपालन स्थिति (हां/नहीं/लागू नहीं)	पीसीएस द्वारा ऑब्ज़र्वेशन / टिप्पणियां
12	सूचीबद्ध इकाइयों या इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों का त्यागपत्र : वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाइयों या इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों से सांविधिक लेखा परीक्षकों के त्यागपत्र के मामले में, सूचीबद्ध इकाई और/या उसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों द्वारा एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन संबंधी मास्टर परिपत्र के अध्याय V की धारा V-घ के पैराग्राफ 6.1 और 6.2 का अनुपालन किया गया है।	नहीं	कोई नहीं
13	अतिरिक्त अनुपालन, यदि कोई हो: उपरोक्त के अलावा, सेबी के सभी विनियमों/ परिपत्र/ मार्गदर्शन नोट आदि के संबंध में कोई अतिरिक्त अनुपालन नहीं पाया गया।	नहीं।	कुछ नहीं

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि सूचीबद्ध इकाई द्वारा एलओडीआर विनियमों के विनियम 46(2) (za) के अनुसार, कर्मचारी लाभ योजना दस्तावेजों की प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है - लागू नहीं

कार्यक्षेत्र और समीक्षा की धारणाएं और सीमाएं:

1. लागू कानूनों का अनुपालन और दस्तावेजों और प्रस्तुत जानकारी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करना सूचीबद्ध इकाई के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है।
2. हमारा उत्तरदायित्व संबंधित दस्तावेजों और सूचना की हमारी जांच के आधार पर रिपोर्ट करना है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही अभिमत की अभिव्यक्ति है।
3. हमने सूचीबद्ध इकाई के वित्तीय रिकॉर्ड और खाते की बहियों की सटीकता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।
4. इस रिपोर्ट का प्रयोजन सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24क (2) के संदर्भ में पूर्ण अनुपालन करना है और यह न तो सूचीबद्ध इकाई की भविष्य की व्यवहार्यता के संबंध में और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी
(कंपनी सचिव)
फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-
रागिनी चोकशी
(पार्टनर)

सी.पी. संख्या: 1436
एफसीएस संख्या: 2390

पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166/2023
यूडीआईएन: F002390H000312117

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08-05-2026

अनुलग्नक - V

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रमाण पत्र

[सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V के भाग ड के अनुसार]

प्रति,

सदस्यगण,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,

कफ परेड, मुंबई 400 005, महाराष्ट्र

हमने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 से 27, विनियम 46 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) से (i), विनियम 62 और इसकी अनुसूची के पैरा-ग, घ और ड में निर्धारित अनुसार, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') द्वारा एक उच्च मूल्य ऋण सूचीबद्ध इकाई के रूप में बैंक पर लागू सीमा तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर अभिमत की अभिव्यक्ति है।

संबंधित अधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर, बैंक भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (एक्जिम बैंक अधिनियम) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 (एक्जिम बैंक सामान्य विनियम) द्वारा अभिशासित है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर और अनुपालन, उस सीमा तक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विशिष्ट विनियमों के अनुसार हैं, जब तक कि वे एक्जिम बैंक अधिनियम और एक्जिम बैंक सामान्य विनियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल न हो।

हम यह उल्लेख भी करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी

(कंपनी सचिव)

फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-

रागिनी चोकशी

(पार्टनर)

एफसीएस संख्या: 2390

सी.पी. संख्या: 1436

पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166/2023

यूडीएन: F002390H000312141

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08-05-2026

अनुलग्नक - VI

निदेशकों की निरर्हता का प्रमाण पत्र

[सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3)

और अनुसूची पैरा ग खंड (10) (i) के अनुसार]

प्रति

सदस्यगण,

भारतीय निर्यात-आयात बैंक

केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,

कफ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र

हमने इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची के पैरा ग खंड 10 (i) के साथ पठित विनियम 34(3) और भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 ("एक्जिम बैंक अधिनियम") के अनुसार, केंद्र एक भवन, 21वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल, कफ परेड, मुंबई 400005, महाराष्ट्र में अपने प्रधान कार्यालय वाले भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा प्रस्तुत किए गए संबंधित रजिस्ट्रारों, रिकॉर्डों, फॉर्मों, रिटर्नों और निदेशकों से प्राप्त प्रकटीकरण की जांच की है।

हमारी राय में, और हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी के अनुसार, और पोर्टल (www.mca.gov.in) पर सत्यापित स्थिति के अनुसार (निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की स्थिति सहित और बैंक और उसके अधिकारियों द्वारा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड में नीचे उल्लिखित अनुसार किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों / बैंकों के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या इस पद पर बने रहने के लिए निरर्ह घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	सुश्री हर्षा बंगारी	01807838	08-09-2021
2.	श्री तरुण शर्मा	11444776	18-04-2023
3.	सुश्री दीपाली अग्रवाल	05103218	28-06-2024
4.	श्री सुधाकर दलेला	-	25-09-2025
5.	श्री सुचींद्र मिश्र	01873568	11-02-2026
6.	सुश्री हिमानी पांडे	03472356	25-05-2023
7.	सुश्री अपर्णा भाटिया	09402061	10-11-2023
8.	डॉ. अभिजीत फुकन	-	30-06-2023
9.	श्री अर्णब कुमार चौधरी	-	10-10-2024
10.	श्री राकेश शर्मा	06846594	21-12-2018
11.	श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ	10375617	16-11-2023
12.	श्री चंल्ला श्रीनिवासुलु शेड्डी	08335249	28-08-2024
13.	श्री अश्वनी कुमार	10344636	13-05-2024
14.	श्री रजनीश केर्नाटक	08912491	18-08-2025

बैंक के बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/नामांकन एक्जिम बैंक अधिनियम में विनिर्दिष्ट अनुसार, केंद्र सरकार/संस्थाओं द्वारा किया जाता है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे सत्यापन के आधार पर इन पर अभिमत व्यक्त करना है। यह प्रमाण पत्र न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के कार्यों का संचालन किया है।

कृते रागिनी चोकशी एंड कंपनी

(कंपनी सचिव)

फर्म पंजीकरण संख्या 92897

हस्ताक्षरित/-

रागिनी चोकशी

(कंपनी सचिव / पार्टनर)

एफसीएस संख्या: 2390

सी.पी. संख्या: 1436

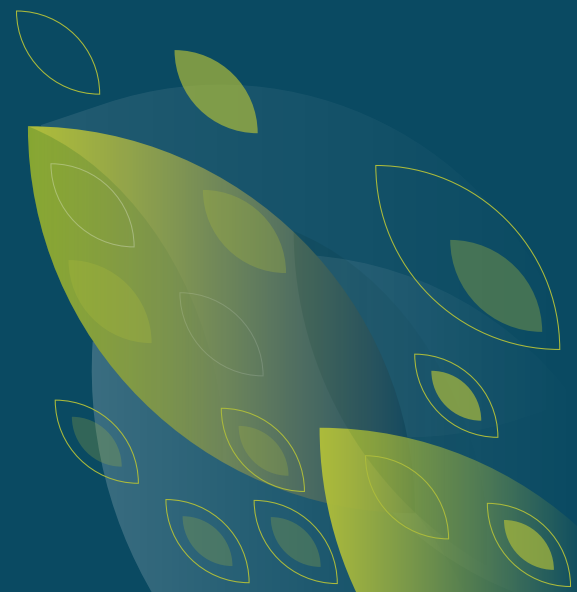
पीआर प्रमाण पत्र संख्या: 4166/2023

यूडीआईएन: F002390H000312139

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08-05-2026

एकल वित्तीय विवरण



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') की सामान्य निधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 को एकल तुलन पत्र तथा उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल लाभ और हानि लेखे एवं एकल नकदी प्रवाह विवरण और एकल वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये एकल वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च 2026 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ और नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में आगे 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी अन्य नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप, बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे एकल वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के रहे। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप में, एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया और हम उन मामलों में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरण: अग्रिम, बैंक की आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को, बैंक के सकल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों ("एनपीए") के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के अग्रिम, कुल आस्तियों के 86.94% रहे और बैंक का सकल एनपीए अनुपात 0.57% रहा।	हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं: - एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखना तथा आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया। - आईआरएसीपी पर मौजूदा दिशानिर्देशों और बैंक के लिए विशेष रूप से उपलब्ध कराए गए आरबीआई के अतिरिक्त निर्देशों के आधार पर हासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (ऐप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण किया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (“आईआरएसीपी”) दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। बैंक को मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्धारित करना होता है कि एनपीए को चिह्नित किया जाए और उनके एवज में अपेक्षित प्रावधान किए जाएं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, प्रतिभूति के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक ऐसे एक्सपोजरों पर भी प्रावधान करता है, जिन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। इसमें प्रबंधन के मूल्यांकन और निर्णयन के अनुसार, कतिपय क्षेत्रों में अग्रिमों और चिह्नित अग्रिमों या समूह अग्रिमों पर प्रावधान भी शामिल हैं, जिनके एनपीए होने की आशंका है। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट 1 (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए के निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में उल्लेखनीय स्तर का आकलन जरूरी होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख कार्य माना है।	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया – यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच कर और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। – चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारी के मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा की गई। – बैंक द्वारा दबावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच की गई। – जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय किए गए। – बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया। – बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए अन्य पत्राचार को ध्यान में रखा गया। – एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन कर तथा विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया गया। अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई: – अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। – आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। – ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की।
2	आयकर के लिए आकस्मिक देयता: बैंक में कुछ महत्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय लेना महत्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया।	– कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाई। – कर प्राधिकारों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई। – इस संबंध में एकल वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
3	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रण सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के एक हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं: - वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभाविता का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथू किया गया। - बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा की ऑडिट की जाती है। - वर्ष के दौरान हमने बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

एकल वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारीयों के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारीयों में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु एकल वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट को हमें लेखा परीक्षक की इस रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है।

एकल वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नर्स संबंधी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

अन्य मामले

भारत में बैंक के 12 (बारह) क्षेत्रीय कार्यालय हैं, विदेश में बैंक की 1 (एक) शाखा और 8 (आठ) कार्यालय हैं। भारत और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए बैंक की वित्तीय लेखांकन प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेश स्थित कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा में से हमने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और 1 (एक) विदेश स्थित शाखा का दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2026 को समाप्त माह तक के लिए संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा संबंधी कार्य प्रक्रियाधीन है। इसलिए ये रिपोर्टें हमारी समीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं रही।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नेंस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये एकल वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होनी वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, एकल वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए बैंक की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोगकर्ताओं द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हों।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, एकल वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की जांच हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नर्स प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण, एक्जिम बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I, II और III के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित तथा एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार बैंक द्वारा समुचित लेखा बहियां रखी गई हैं और हमारे द्वारा इन बहियों की जांच की गई है।
- इस रिपोर्ट में लिए गए एकल तुलन पत्र, एकल लाभ और हानि लेखा विवरण तथा एकल नकदी प्रवाह विवरण लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- बैंक के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, बैंक की शक्तियों के भीतर हैं।
- बैंक के प्रतिनिधि कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा से प्राप्त लेखांकन विवरण, जानकारी और रिटर्न हमारी लेखा परीक्षा के लिए पर्याप्त पाए गए हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि

पार्टनर

सदस्यता सं. 032271

यूडीआईएन: 26032271GDETX9144

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

यथा 31 मार्च, 2026 को तुलन-पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को)
अनुसूचियां		₹	₹
देयताएं			
1. पूँजी	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	134,354,237,925	99,030,833,776
3. लाभ और हानि खाता	III	4,280,000,000	3,250,000,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		1,232,092,278,193	1,115,794,296,200
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	766,307,936	903,357,470
7. उधार राशियां	V	820,200,324,551	675,112,378,035
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		114,544,527,762	86,944,691,544
9. अन्य देयताएं		70,451,142,914	47,246,854,068
		2,535,782,483,162	2,187,376,074,975
योग			
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	112,428,312,871	70,154,745,958
2. निवेश	VII	212,052,108,915	160,113,210,142
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	141,190,000,000	52,000,000,000
5. अचल आस्तियां	X	3,351,565,912	3,403,493,792
6. अन्य आस्तियां	XI	130,160,041,881	96,313,825,276
		2,535,782,483,162	2,187,376,074,975
योग			
आकस्मिक देयताएं			
(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		139,279,454,733	155,036,824,435
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		17,805,391,506	13,108,564,859
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		221,071,260	194,597,850
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		4,504,380,000	3,612,000,000
(vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
(vii)सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर		-	-
(viii)भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		800,031,916,156	656,232,550,632
		961,842,213,655	828,184,537,776
योग			

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)

पार्टनर

सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

		इस वर्ष (2025-26) ₹	गत वर्ष (2024-25) ₹
व्यय	अनुसूचियां		
1. ब्याज		148,826,191,837	145,546,805,076
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		1,063,671,929	921,827,856
3. स्टाफ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		1,237,901,664	1,686,909,873
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		-	761,850
5. लेखा परीक्षा की फीस		1,882,100	1,182,600
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		486,464,377	452,380,964
7. संचार विषयक व्यय		54,055,646	52,256,795
8. विधि विषयक व्यय		25,490,926	40,990,227
9. अन्य व्यय	XII	2,107,333,525	1,828,863,697
10. मूल्यहास		711,369,551	574,451,205
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान		(6,058,222,570)	(5,322,978,270)
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		55,943,676,653	42,972,643,847
योग		204,399,815,638	188,756,095,720
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹ 1,278,998,450 के आस्थगित कर सहित (गत वर्ष - ₹ 1,323,174,509)]		13,217,307,372	10,541,107,565
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		42,726,369,281	32,431,536,281
		55,943,676,653	42,972,643,847
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	196,617,662,206	183,255,066,042
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		7,405,986,284	4,285,284,246
3. अन्य आय	XIV	376,167,148	1,215,745,432
योग		204,399,815,638	188,756,095,720
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		55,943,676,653	42,972,643,847
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		55,943,676,653	42,972,643,847

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)

पार्टनर

सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

तुलन पत्र की अनुसूचियां

		सामान्य निधि	
		इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को)
		₹	₹
अनुसूची I: पूँजी:			
1. प्राधिकृत		200,000,000,000	200,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्त: (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)		159,093,663,881	159,093,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:			
1. आरक्षित निधि		115,658,101,224	81,240,797,076
2. सामान्य आरक्षित राशियां		-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:			
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि*		3,100,817,637	2,194,717,637
ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)		1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि		13,640,000,000	13,640,000,000
		134,354,237,925	99,030,833,776
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:			
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष		42,726,369,281	32,431,536,281
2. घटाएं: विनियोजन:			
- आरक्षित निधि को अंतरित		37,540,269,281	28,968,715,045
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित*		906,100,000	212,821,237
- ऋण शोधन निधि को अंतरित		-	-
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित		-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)		4,280,000,000	3,250,000,000
अनुसूची IV: जमा राशियां:			
(क) भारत में		766,307,936	903,357,470
(ख) भारत के बाहर		-	-
		766,307,936	903,357,470
अनुसूची V: उधार राशियां:			
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:			
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर		-	-
(ख) विनिमय बिलों पर		-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से		-	-
2. भारत सरकार से		-	-
3. अन्य स्रोतों से:			
(क) भारत में		401,935,225,442	233,084,693,346
(ख) भारत के बाहर		418,265,099,109	442,027,684,689
		820,200,324,551	675,112,378,035
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:			
1. हाथ में नकदी		235,023	271,395
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष		28,683,044,356	18,600,337,135
3. अन्य बैंकों में शेष:			
(क) भारत में			
i) चालू खातों में		25,937,903,744	8,086,517,277
ii) अन्य जमा खातों में		10,500,000,000	8,750,000,000
(ख) भारत के बाहर		47,307,129,748	34,717,620,152
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/सीबीएलओ के अंतर्गत ऋण		-	-
		112,428,312,871	70,154,745,958

*निवेश आरक्षित खाता के लिए ₹ 221,821,237 की राशि सहित (गत वर्ष: ₹ 212,821,237)

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में हास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	186,237,059,041	153,797,035,240
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	3,037,471,627	2,754,655,882
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	390,317,183	208,532,727
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,693,929,076	1,452,641,167
5. अन्य	20,693,331,988	1,900,345,125
	212,052,108,915	160,113,210,142
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारें	601,870,807,934	551,976,333,756
2. बैंक:		
(क) भारत में	276,578,866,250	201,192,875,000
(ख) भारत के बाहर	15,554,178,026	12,714,108,278
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	22,000,000,000	17,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	116,817,610,515	103,636,198,640
4. अन्य	903,778,990,858	918,871,284,133
	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	141,190,000,000	52,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	141,190,000,000	52,000,000,000
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यहास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,311,632,264	5,311,186,460
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	445,804
वर्ष के दौरान निपटान	-	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	5,311,632,264	5,311,632,264
संचित हास	2,621,628,899	2,392,041,727
निवल राशि (ब्लॉक)	2,690,003,365	2,919,590,537
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	2,433,809,499	2,184,650,035
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	666,696,164	341,271,937
वर्ष के दौरान निपटान	48,775,609	92,112,473
वर्ष के अंत में सकल राशि	3,051,730,054	2,433,809,499
संचित हास	2,390,167,507	1,949,906,244
निवल राशि (ब्लॉक)	661,562,547	483,903,255
	3,351,565,912	3,403,493,792
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	14,584,988,566	12,969,802,058
ख) ऋण एवं अग्रिम	33,121,007,150	37,219,664,082
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	79,289,932	70,048,743
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	31,773,368,182	19,980,475,541
4. अन्य [₹ 164,448,466,475 की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित (गत वर्ष ₹ 15,169,468,025)]	50,601,388,051	26,073,834,854
	130,160,041,881	96,313,825,276

तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	75,701,434	55,593,837
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	2,526,529	4,243,169
3. मरम्मत और रखरखाव	843,443,984	679,375,732
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	12,683,751	10,866,061
5. अन्य	1,172,977,827	1,078,784,897
	2,107,333,525	1,828,863,697
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	131,796,291,051	123,456,419,725
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	64,821,371,155	59,798,646,317
	196,617,662,206	183,255,066,042
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	356,556,159	1,065,002,196
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	2,968,781	433,511
3. अन्य	16,642,208	150,309,725
	376,167,148	1,215,745,432

टिप्पणी:

‘देयताओं’ के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 1.75 मिलियन यूएस डॉलर की ‘ऑन शोर’ विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 3.36 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्जिम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

‘आस्तियों’ के अंतर्गत निवेश में [अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 76.30 मिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 152.10 मिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के कारण है।

नकदी प्रवाह विवरण

विवरण	राशि (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	राशि (₹ करोड़ में) 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मर्दे	55,943,676,653	42,972,643,846
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(2,968,781)	(433,511)
- निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(356,556,159)	(1,065,002,196)
- मूल्यहास	711,369,551	574,451,205
- बटूटे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	89,987,791	151,571,641
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
- ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/राइट ऑफ	(6,058,222,570)	(5,322,978,270)
- अन्य - उल्लेख करें	-	-
	50,327,286,485	37,310,252,716
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अन्य आस्तियां	(23,078,747,055)	(5,339,761,214)
- चालू देयताएं	41,978,862,174	(11,648,179,691)
परिचालनों से नकदी निर्माण	69,227,401,604	20,322,311,810
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(11,959,087,312)	(2,406,886,960)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	57,268,314,292	17,915,424,850
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- अचल आस्तियों की निवल खरीद	(656,472,890)	(339,470,042)
- निवेशों में निवल परिवर्तन	(51,582,342,614)	7,186,759,010
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	(52,238,815,504)	6,847,288,968
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- प्राप्त इक्विटी पूँजी	-	-
- लिए गए ऋण (चुकोती घटाकर)	260,893,721,900	244,991,578,311
- दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकोती घटाकर)	(220,399,653,776)	(281,368,015,998)
- इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(3,250,000,000)	(2,520,000,000)
	37,244,068,124	(38,896,437,687)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	42,273,566,912	(14,133,723,869)
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	70,154,745,958	84,288,469,827
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	112,428,312,870	70,154,745,958
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	1,12,42,83,12,870	70,15,47,45,958

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एमकेपीएस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)

पार्टनर

सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) एकल वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) का तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा (सामान्य निधि एवं निर्यात विकास कोष), भारत में प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लेखांकन से संबंधित लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन के अलावा गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 26 जून, 2019 के परिपत्र संख्या 222 के आधार पर संशोधित आईसीएआई मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) के अनुरूप, 30 सितंबर, 2025 से पूर्ववर्ती उपचय लेखांकन को ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए उचित मूल्य हेज लेखांकन और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस) के लिए उचित मूल्यांकन लेखांकन पद्धति में बदल लिया है। 26 जून, 2019 को या उसके बाद निष्पादित किए गए कॉन्ट्रैक्टों को संशोधित लेखांकन नीति के अंतर्गत लाया गया। वहीं, 26 जून, 2019 से पहले के कॉन्ट्रैक्ट उपचय पद्धति के अंतर्गत ही रखे गए। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 3,123 मिलियन (करोड़ों का निवल) का निवल ऋणात्मक समायोजन हुआ। इसे आईसीएआई मार्गदर्शन नोट के पैरा 71 के अनुसार आरक्षित निधि खाते में डेबिट किया गया।

इस परिवर्तन के बाद, यथा 31 मार्च, 2026 को उक्त सभी डेरिवेटिव्स के लेखांकन के ₹ 2,577 मिलियन के निवल प्रभाव की राशि लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट कर दी गई है। आईआरएस को हिसाब में लेते हुए, पांच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट उचित मूल्य हेज के स्थान पर उचित मूल्य लेखांकन पद्धति अपनाई गई। इसके अलावा, लंबित सीसीआईआरएस कॉन्ट्रैक्टों के संबंध में बैंक ने उचित मूल्य हेज लेखांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन लेखांकन पद्धति अपनाने का विकल्प चुना है।

एक्जिम बैंक के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के प्रारूप तथा उनकी पद्धतियां भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (सामान्य) विनियम, 2020 में प्रदान की गई हैं। कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात / आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के 28 नवंबर, 2025 के मास्टर निदेश डीओआर. एसीसी.आईसी. सं. 253/21.04. 018/2025-26 के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

एकल वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। इस तरह के अनुमानों में किसी भी संशोधन को उस अवधि में माना जाता है, जिस अवधि में उनका निर्धारण किया गया हो।

(ii) राजस्व की गणना

अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटीत ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, इनको छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। एक्जिम बैंक के बॉन्ड पर दिया जाने वाला बट्टा/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

तुलन पत्र में दर्शाई गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को “अन्य आस्तियों” में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्क्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निदेशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (क) “परिपक्वता तक धारित” (परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),
- (ख) “क्रय-विक्रय के लिए धारित” (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की गई हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जा सके) और
- (ग) “बिक्री के लिए उपलब्ध” (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

- i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
- iii) शेयर
- iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
- v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
- vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यहास

- (क) अचल आस्तियों को संचित मूल्यहास घटाकर परंपरागत लागत अर्जन के समय मूल लागत पर दर्शाया गया है।
- (ख) मूल्यहास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यहास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यहास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

- (ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यहास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया है।
- (घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति को बेच दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) हास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन-पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए हास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई हास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। हास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

- (क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया परिणामी लाभ या हानि (यदि कोई हो) लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त हैं।
- (ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।
- (ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।
- (घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी बैलेंस शीट/ऑफ बैलेंस शीट आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वॉप, करंसी स्वॉप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वॉप तथा वायदा दर करार जैसी डेरिवेटिव संविदाएं करता है। ऑन-बैलेंस शीट आस्तियों/ देयताओं की हेजिंग के लिए ये स्वॉप संविदाएं इस प्रकार की जाती हैं कि अंतर्निहित ऑन-बैलेंस शीट मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रतिसंतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं के क्रय-विक्रय से संबंधित होता है। वर्ष की समाप्ति पर बकाया स्वॉप संविदाओं का मूलधन हिस्सा फेडाई विनिमय दरों की क्लोजिंग के आधार पर होता है।

बैंक, अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत, तुलन पत्र में हिसाब में ली गई अपनी कुछ आस्तियों या देयताओं में निहित जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव इन्स्ट्रुमेंट्स का उपयोग करता है। बैंक हेज की जाने वाली मद (आस्ति या देयता) को लेनेदेन की शुरुआत में ही चिह्नित करता है। हेज की प्रभावशीलता का आकलन हेज की शुरुआत के समय और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग की तिथि पर किया जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 26 जून, 2019 को जारी परिपत्र के आधार पर, 26 जून, 2019 के बाद के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों का लेखांकन भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) के अनुरूप किया जाता है। इसके अलावा, उक्त तिथि से पहले हेज संबंधों के अंतर्गत आने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा उन्हें तब तक मार्क-टू-मार्केट नहीं किया जाता है, जब तक कि उनके अंतर्निहित लेनदेन मार्क-टू-मार्केट न किए गए हों।

यथा तुलन पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

- (क) **परिभाषित अंशदान योजना:** बैंक अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद जॉइन होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस - कॉर्पोरेट मॉडल) में अंशदान देता है। अंशदानों को उपचय आधार पर लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।
- (ख) **परिभाषित लाभ एवं अन्य दीर्घावधि योजनाएं:** ग्रेच्युटी के प्रति देयताएं, पेंशन (31 मार्च, 2010 को या इसके पहले जॉइन करने वाले पात्र अधिकारियों के लिए) तथा छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। उपचित लाभ या हानि को उपचित आधार पर लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

- (क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।
- (ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 29 - 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II. एकल लेखों पर टिप्पणियां

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्जिम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 65,178.92 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 58,745.91 मिलियन) की राशि सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 58,896.47 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 53,083.52 मिलियन) की समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 585.67 मिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां (गत वर्ष ₹ 4,067.47 मिलियन) शामिल हैं, जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत "बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है" के रूप में दिखाई गई ₹ 4,504 मिलियन (पिछले वर्ष ₹ 3,612 मिलियन) की राशि अधिकांशतः बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटर्स की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 656.21 मिलियन (गत वर्ष ₹ 889.56 मिलियन) की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1,548.94 मिलियन का अतिरिक्त कर प्रावधान (गत वर्ष: ₹ 1,531.77 मिलियन) है। तदनुसार, समग्र रूप से आयकर के चलते कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वॉप

(i) यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक आस्ति-देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव संव्यवहार (ब्याज दर स्वॉप, वायदा दर करार तथा मुद्रा-सह-ब्याज दर स्वॉप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को संरचित लिक्विडिटी स्थिति में हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना आरबीआई द्वारा निर्धारित 'वर्तमान एक्सपोजर' पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियों' में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वॉप, मुद्रा स्वॉप और विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वॉप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के 'मार्केट मेकर' की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ड) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 2,094.95 मिलियन (गत वर्ष ₹ 183.97 मिलियन की सांकेतिक हानि) है।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान (देय तिथि से 45 दिन के बाद) संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपेक्षित अनुसार अतिरिक्त सूचना

4.1 पूँजी

(₹ मिलियन)		
विवरण	यथा 31 मार्च, 2026 को	यथा 31 मार्च, 2025 को
(i) सामान्य इक्विटी	268,496.04	233,341.00
(क) (ii) अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	-
(iii) कुल टियर 1 पूँजी (i+ii)	268,496.04	233,341.00
(vi) टियर 2 पूँजी	14,484.70	13,555.56
(v) कुल पूँजी (टियर 1+ टियर 2)	282,980.74	246,896.56
(vi) कुल जोखिम भारित आस्तियां	1,074,238.61	977,198.66
(vii) सामान्य इक्विटी अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कॉमन इक्विटी)	24.99%	23.88%
(viii) टियर 1 अनुपात (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूँजी)	24.99%	23.88%
(ix) जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) (कुल जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल पूँजी)	26.34%	25.27%
(x) बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	100%	100%
(xi) भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी पूँजी राशि	शून्य	शून्य
(xii) जुटाई गई अतिरिक्त टियर 1 पूँजी, जिसमें से		
क) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी ऋण लिखत	शून्य	शून्य
(xiii) जुटाई गई टियर 2 पूँजी, जिसमें से		
क) ऋण पूँजी लिखतें	शून्य	शून्य
ख) बेमियादी गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
ग) प्रतिदेय गैर-संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य
घ) प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयर	शून्य	शून्य

(ख) यथा 31 मार्च, 2026 को टियर-II पूँजी के रूप में जुटाए गए और बकाया गौण ऋण की राशि: ₹ शून्य (गत वर्ष: ₹ शून्य)

(ग) जोखिम भारित आस्तियां

(₹ मिलियन)		
विवरण	यथा 31 मार्च, 2026 को	यथा 31 मार्च, 2025 को
(i) तुलन पत्र में 'शामिल' मदें	695,143.72	73,304.62
(ii) तुलन पत्र में 'शामिल नहीं की गई' मदें	379,094.88	273,894.04

(घ) तुलन-पत्र की तारीख को शेयरधारिता का स्वरूप: भारत सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त पूँजी।

- आरबीआई ने 21 सितंबर, 2023 के अपने परिपत्र के जरिए बासल III मास्टर निदेश जारी किए हैं, जो एक्विजि बैंक सहित सभी अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू हैं। बैंक ने सीआरएआर के निर्धारण हेतु बासल III मानकों को मास्टर निदेश की प्रभावी तारीख यानी 1 अप्रैल, 2024 से लागू कर दिया है। तत्पश्चात, आरबीआई ने 20 नवंबर, 2025 को आरबीआई (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 जारी किया था। ये नए पूँजी पर्याप्तता संबंधी निदेश, 21 सितंबर, 2023 के मास्टर निदेश के स्थान पर लागू हो गए हैं। ये नए निदेश जारी किए जाने की तिथि से तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूँजी अनुपात (सीआरएआर) और अन्य संबंधित मानदंडों का निर्धारण आरबीआई द्वारा वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित मौजूदा पूँजी पर्याप्तता मानदंडों के अनुसार किया गया है।

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	41,346	30,409

(ख) अस्थायी प्रावधान

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
(क) अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखांकन वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखांकन वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	-	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.01%	0.14%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	32,197.30	31,012.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,418.85	5,224.23
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(23,641.17)	(4,039.52)
(घ) अंतिम शेष	11,974.98	32,197.30
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	2,527.30	4,572.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	192.43	-
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2,527.30)	(2,045.29)
(घ) अंतिम शेष	192.43	2,527.30
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	29,670.00	26,440.00
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	945.66	5,769.75
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(18,833.10)	(2,539.75)
(घ) अंतिम शेष	11,782.56	29,670.00

(ख) अनर्जक निवेश

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.03%	0.07%
(ii) अनर्जक निवेशों में उतार-चढ़ाव (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	20,227.83	18,913.45
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	9.99	1,650.36
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(262.04)	(335.98)
(घ) अंतिम शेष	19,975.78	20,227.83
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	109.66	100.48
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	9.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(36.94)	(0.69)
(घ) अंतिम शेष	72.72	109.66
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	20,118.16	18,812.97
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	46.93	1,651.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(262.04)	(345.86)
(घ) अंतिम शेष	19,903.05	20,118.16

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.01%	0.13%
(ii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	52,425.13	49,926.04
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,428.84	6,874.59
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(23,903.21)	(4,375.50)
(घ) अंतिम शेष	31,950.76	52,425.13
(iii) अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
(क) प्रारंभिक शेष	2,636.96	4,673.07
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	192.43	9.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2,564.24)	(2,045.98)
(घ) अंतिम शेष	265.15	2,636.96
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	49,788.16	45,252.97
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	992.59	7,420.80
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का राइट ऑफ/प्रतिलेखन	(19,095.14)	(2,885.61)
(घ) अंतिम शेष	31,685.61	49,788.16

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण - वर्तमान वर्ष

(₹ मिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत				एस्पई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत				अन्य		कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
			-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	8
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	15,225
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,225
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	10,881
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	1,496	435	218	2,149
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	75	435	218	728
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-1	1	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	526	-	-1,558
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	526	-	-1,558
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-1	5	-	-6
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	6,069	-	-	13,304
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	304	-	-	7,539

गत वर्ष :

(₹ मिलियन)

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत								अन्य		कुल
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
		उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)	बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	3,804	1,254	9,867	14,925
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	2,853	1,254	8,627	12,734
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,573	4,039	117	8,729
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	229	3,892	1,357	5,478
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड / कम करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को राइट ऑफ करना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	15,225
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	10,881

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	32,197	31,013
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	321	4,326
ब्याज निधीयन	95	225
विनिमय दर उतार-चढ़ाव	3,003	673
उपखंड योग (क)	35,616	36,237
घटाएं:		
(i) उन्नयन	2,512	1,851
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	20,538	1,172
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत बट्टे खाते	-	-
(iv) राइट ऑफ, उपर्युक्त (iii) के अलावा	591	1,017
(v) विनिमय दर घट-बढ़	-	-
उपखंड योग (ख)	23,641	4,040
यथा 31 मार्च, 2026 को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	11,975	32,197

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.250/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	113,146	113,052
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	-
जोड़ें: विनिमय में उतार-चढ़ाव	6,203	1,328
उपखंड योग (क)	119,349	114,380
घटाएं: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	3,254	1,234
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	116,095	113,146

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं:

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
कुल आस्तियां	1,11,484.00	126,000.00
कुल अनर्जक आस्तियां	3,144.00	2,833.00
कुल राजस्व	6,801.00	7,826.00

4.8 निवेशों पर मूल्यहास और प्रावधान

	(₹ मिलियन)	
विवरण	2025-26	2024-25
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	235,806.38	182,642.59
(क) भारत में	233,389.58	180,419.41
(ख) भारत से बाहर	2,416.80	2,223.18
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	23,754.27	22,529.38
(क) भारत में	21,700.79	20,629.41
(ख) भारत से बाहर	2,053.48	1,899.87
(iii) निवल निवेश	212,052.11	160,113.21
(क) भारत में	211,688.79	159,790.00
(ख) भारत से बाहर	363.32	323.21
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में घट-बढ़		
(i) प्रारंभिक शेष	22,529.39	23,252.92
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,792.03	681.76
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/प्रतिलेखन	567.15	1,405.29
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में अंतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	23,754.27	22,529.39

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

	(₹ मिलियन)	
लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधानों और आकस्मिक व्यय' का विवरण	2025-26	2024-25
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1,505.28	(1,048.18)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	(18,262.65)	3,112.65
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	13,217.31	10,541.11
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	10,699.14	(7,387.45)

*इसमें बैंक गारंटियों के लिए प्रावधान के चलते ₹1,816 मिलियन (गत वर्ष रिवर्सल ₹5,014 मिलियन) और देशगत जोखिम प्रावधानीकरण के लिए ₹617 मिलियन (गत वर्ष प्रावधान ₹513 मिलियन) का राइट बैंक और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं पर एक्सपोजर के चलते ₹37 मिलियन (गत वर्ष ₹397 मिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज मिलियन

विवरण	2025-26	2024-25
प्रावधान कवरेज अनुपात	99.85%	98.26%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹153.05 मिलियन की राशि के एक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है। तथापि, बैंक द्वारा ₹89.88 मिलियन की राशि की वसूली कर ली गई है तथा शेष बकाया ₹63.17 मिलियन रहा, जिसके लिए 100% प्रावधान किया गया है (गत वर्ष: शून्य)। इसके अलावा, वर्षांत तक 'अन्य आरक्षित' से डेबिट की गई परिशोधित न की गई प्रावधान राशि भी शून्य रही।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

(₹ मिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	6,000.00	6,000.00	263.01	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ मिलियन)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1000.00	24,050.00	1,307.53	6000.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

5.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	2,413.34	2,413.34	-	64.42	2,413.34
3	बैंक	2.38	2.38	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	25,198.45*	25,138.75	-	3,784.39	22,446.06
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	1,140.19	1,140.19	-	1,140.19	1,140.19
6	अन्य	19,261.23	19,261.23	-	428.23	19,181.23
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान#	22,200.53	22,140.83	-	3,287.27	20,486.96
	योग	48,015.58	47,955.88	-	5,417.23	45,180.82

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने वाले प्रावधान की केवल कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18,278.57 मिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6,073.78 मिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में है।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि	राशि			
			निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	563.91	563.91	-	64.42	563.91
3	बैंक	2.38	2.38	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	27,499.54*	2,499.54	-	4,577.04	24,468.20
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम	418.95	418.95	-	418.95	418.95
6	अन्य	360.78	360.78	-	336.06	360.78
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान#	22,529.39	22,469.69	-	3,894.57	21,220.01
	योग	28,845.56	28,845.56		5,396.47	25,811.84

कॉलम 3 में प्रकट किए गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18,470.44 मिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश और ₹ 6,411.23 मिलियन ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/ऋण पत्रों (डिबेंचरों) में निवेश को दर्शाती हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में / से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई विक्रय और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्ष: शून्य)।

5.4 एक्जिम बैंक के वित्तीय विवरणों का प्रारूप भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 में विनिर्दिष्ट किया गया है। चूंकि, वर्तमान में, निवेश आरक्षित निधि खाता (आईआरए) निर्धारित प्रारूप का हिस्सा नहीं है, इसलिए आईआरए के अंतर्गत उपयुक्त प्रकटनों के साथ वित्तीय विवरणों में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) मद के तहत प्रकटित किया जा रहा है। बैंक द्वारा भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर सामान्य विनियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण**6.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण****क. बिक्री का विवरण**

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	खातों की संख्या	1	1
(ii)	आस्ति प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	55.00	455.00
(iv)	गत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	242.64	390.00
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	250.94	850.00

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
i) बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	486.21	205.81
ii) बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	-	-
योग	486.21	205.81

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संचित खातों की संख्या	-	-
(ख) कुल बकाया	-	-

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
1. बेचे गए खातों की संख्या	1	1
2. कुल बकाया	169	1,472
3. कुल प्राप्त राशि	55	455

6.3 अधिग्रहीत/ हस्तांतरित ऋण एक्सपोजरों का प्रकटीकरण

1) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए ऐसे ऋणों का विवरण जिनमें चूक नहीं पाई गई है

क. चूक न पाए गए हस्तांतरित ऋणों के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
हस्तांतरित ऋणों की कुल राशि (जिसमें से निम्न माध्यमों से हस्तांतरित ऋण शामिल हैं)		
क) समुनदेशन	-	-
ख) नवीनीकरण	-	-
ग) ऋण सहभागिता	-	-
भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्षों में)	-	-
भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	-	-
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (% में)	-	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	-	-
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण		
एएए-ए	-	-
बीबीबी	-	-
बीबीबी से कम अर्थात निवेश ग्रेड	-	-
ऐसे उदाहरणों का खुलासा करना चाहिए जहां वह हस्तांतरिती(ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी व्यपदेशन या वारंटी से होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। (उदाहरणों की संख्या, प्रतिस्थापित ऋण की राशि, नुकसान का भुगतान की गई राशि)		

ख. चूक न पाए गए अधिकृत ऋणों के संबंध में प्रकटीकरण

(₹ मिलियन)		
विवरण	2025-26	2024-25
हस्तांतरित ऋणों की कुल राशि (जिसमें से निम्न माध्यमों से हस्तांतरित ऋण शामिल हैं)		
क) समुनदेशन	-	-
ख) नवीनीकरण	9,114.38	12,189.66
ग) ऋण सहभागिता	-	-
भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्षों में)	11.03	13.46
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	-	-
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (% में)	-	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज	-	-
रेटेड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण	-	-
एएए-ए		
बीबीबी		

*विभिन्न विवरणों के साथ बहु-ऋण खातों का विवरण।

II) हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(क) हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

(₹ मिलियन)			
विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	168.80		
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	55	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	242.64	-	-

गत वर्ष:

(₹ मिलियन)			
विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	1,472		
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	455	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	390	-	-

(ख) अधिग्रहीत ऋणों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

(₹ मिलियन)

विवरण	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-

गत वर्ष:

(₹ मिलियन)

विवरण	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से	एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

(₹ मिलियन)

क्र. सं. विवरण	2025-26	2024-25
(i) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.76%	9.36%
(ii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.35%	0.28%
(iii) औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.22%	1.92%
(iv) औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.88%	1.61%
(v) प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ बिलियन में)	119.01	90.59

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोजर

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी	789	559
(i)	उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;		
	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	-	-
(ii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	398	547
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों/ डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात् ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	2,020	2,407
(iv)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(v)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक	-	-
(vi)	इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	-	-
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी	-	-
(viii)	उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;		
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोजर	348	336
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	3,555	3,849

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोजर

(₹ मिलियन)				
जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2026* को एक्सपोजर (निवल)	यथा मार्च 2026 को रखे गए प्रावधान	यथा मार्च 2025* को एक्सपोजर (निवल)	यथा मार्च 2025 को प्रावधान
नगण्य	96,934	371	98,889	988
न्यून	217,271	-	182,772	-
मध्यम	109,531	-	487,017	-
उच्च	857,107	-	274,821	-
बहुत ज्यादा	43,615	-	177,939	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
योग	1,324,458	371	1,221,438	988

एक्सपोजर में भारत सरकार की ओर से प्रदान की जाने वाली ऋण व्यवस्थाएं (एलओसी) शामिल हैं। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) - पूंजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 के अनुसार जोखिम भार शून्य प्रतिशत होता है।

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्संरचना संबंधी जारी प्रेस विज्ञापित के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्जिम बैंक पर लागू नहीं हैं।

8.4 क्रियान्वित की गई समाधान योजना

वर्तमान वर्ष

निधि आधारित:

(₹ मिलियन)				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया राशि*
4	981	73	908	-

*समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि मूल बकाया से अधिक थी। तदनुसार, शेष राशि को ब्याज में समायोजित कर लिया गया।

गैर-निधि आधारित:

(₹ मिलियन)				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया राशि*
-	-	-	-	-

*अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 250/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार।

गत वर्ष:

निधि आधारित:

(₹ मिलियन)				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया राशि*
5	1,390	1,280	3,190	1,280

गैर-निधि आधारित:

(₹ मिलियन)				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया राशि*
-	-	-	-	-

*अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्गठन संबंधी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्जिम बैंक पर लागू नहीं हैं।

- 8.6** यथा 31 मार्च, 2026 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 5,870 मिलियन (गत वर्ष: ₹ 6,869 मिलियन) के बकाया ऋण के साथ 58 खातों (गत वर्ष: 62 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 96.73% प्रावधान किया है (गत वर्ष: 100%)। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन खातों से कुल ₹ 3,700 मिलियन राशि वसूल की गई (गत वर्ष ₹ 500 मिलियन)।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

(₹ मिलियन)								
क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

गत वर्ष:

(₹ मिलियन)								
क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण

वर्तमान वर्ष:

विवरण	टियर I पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण टियर I पूँजीगत निधियां एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत*	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.40%	1.33%	1.60%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	26.71%	2.04%	2.46%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	211.12%	16.14%	19.47%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	306.95%	23.46%	28.30%

* यथा 31 मार्च, 2025 को टियर I पूँजीगत निधियां

® टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर।

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2026 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोजर टियर I पूँजी की अधिकतम सीमा 20% से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोजर टियर I पूँजी की अधिकतम सीमा 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। ओएनजीसी समूह के मामले में, यह ऋण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त के रूप में वर्गीकृत है, इसलिए यह टियर-ख पूँजी के 30% तक वित्तपोषण के लिए पात्र है।

गत वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत ^०	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	20.00%	1.54%	1.86%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	22.66%	1.75%	2.10%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.81%	14.94%	17.99%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	275.76%	21.26%	25.60%

* यथा 31 मार्च, 2024 को पूँजीगत निधियाँ।

^० टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरियाँ + गारंटियाँ + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर।

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2025 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन पर ऋण एक्सपोजर पूँजीगत निधियों के 20% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसा कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहा, जिस पर ऋण एक्सपोजर कुल पूँजीगत निधियों के 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों पर ऋण एक्सपोजर वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	5.38%	7.86%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.17%	6.09%
iii. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	4.15%	6.06%
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.38%	4.94%
v. निर्माण	2.98%	4.36%

- “ऋण एक्सपोजर” की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोजर की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशों पर दिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.79%	6.69%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.65%	6.48%
iii. लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	4.43%	6.18%
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.52%	4.92%
v. विद्युत	3.04%	4.25%

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

(₹ मिलियन)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026 को	यथा 31 मार्च, 2025 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	313,122	338,423
i) जिसमें से कॉर्पोरेट/व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसी अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया ऋण एवं अग्रिम की राशि	49,549	17,376
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	-	11,511

यथा 31 मार्च, 2026 को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर ₹ 449,117 मिलियन (गत वर्ष: ₹ 292,824 मिलियन) के अप्रतिभूतित पुनर्वित्त एक्सपोजर शामिल नहीं हैं।

ङ. फैक्टरिंग एक्सपोजर

फैक्टरिंग व्यवस्था के अंतर्गत बैंक का कोई एक्सपोजर नहीं है (गत वर्ष: ₹ शून्य)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोजर

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
1.	-	-	-	-	-	-	-	-

(गत वर्ष: शून्य)

छ. संबंधित पक्षों के प्रति एक्सपोजर

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
क	संबंधित पक्षों को ऋण		
1	साल के दौरान संबंधित पक्षों को मंजूर किए गए लोन की कुल वैल्यू	-	-
2	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों के बकाया लोन की कुल वैल्यू	-	-
3	यथा 31 मार्च को कुल ऋण एक्सपोजर के अनुपात के तौर पर संबंधित पक्षों के बकाया लोन की कुल वैल्यू	-	-
4	संबंधित पक्षों के बकाया लोन की कुल वैल्यू, जिन्हें इस तरह बांटा गया है:	-	-
4(i)	यथा 31 मार्च को विशेष उल्लेखित खाते	-	-
4(ii)	यथा 31 मार्च को अनर्जक आस्तियाँ	-	-
5	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों को दिए गए लोन के लिए रखे गए प्रोविजन की राशि	-	-
ख	संबंधित पक्षों से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और समझौते		
6	साल के दौरान संबंधित पक्षों को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट और समझौतों का कुल मूल्य	15.28	7.48
7	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों से जुड़े बकाया कॉन्ट्रैक्ट और समझौतों का कुल मूल्य	-	-

9. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियां*	569,558.80	462,588.90
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत	27.74%	25.82%

*इसमें वे ऋण शामिल हैं, जिन्हें दस्तावेजीकरण के बाद सिंडिकेट किया गया है।

(ख) ऋण एक्सपोजरों का संकेंद्रण

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर	492,635	393,518
बैंक के कुल ऋण एवं अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत	23.58%	20.85%
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर	492,635	393,518
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत	16.1%	14.94%
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष दस देशों के एक्सपोजर का प्रतिशत	31.61%	32.74%

निदेश के आधार पर एक्सपोजर की गणना - भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2025-26			2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क घरेलू क्षेत्र		623,100.33	3,303.63	1%	675,966.75	4,752.86	1%
1 कुल निर्यात वित्त		513,410.21	1,741.76	0%	532,870.47	3,191.00	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	441,542.78	1,356.33	0%	459,431.95	2,715.69	1%
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	74,022.07	-	0%	73,480.45	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	-	-	-
	पेट्रोलियम उत्पाद	81,315.09	-	0%	87,843.06	-	0%
	विद्युत	11,124.69	135.15	1%	17,295.75	135.15	1%
	अन्य	275,080.93	1,221.18	0%	280,812.69	2,580.54	1%
	सेवा क्षेत्र	71,867.44	385.43	1%	73,438.52	475.31	1%
	वित्तीय सेवाएं	-	-	0%	15,690.00	-	0%
	दूरसंचार	7,720.00	-	0%	8,209.50	-	0%
	अन्य	64,147.44	385.43	1%	49,539.02	475.31	1%
2 कुल आयात वित्त		109,690.12	1,561.87	1%	143,096.28	1,561.87	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	63,620.47	1,561.87	2%	95,901.17	1,561.87	2%
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	1,100.20	-	0%	554.92	-	0%

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	क्षेत्र	2025-26			2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	रसायन और रंग	-	-	-	-	-	-
	बिजली	41,920.98	1,561.87	4%	45,704.72	1,561.87	3%
	अन्य	20,599.28	-	0%	49,641.54	-	0%
	सेवा क्षेत्र	46,069.65	-	0%	47,195.11	-	0%
	वित्तीय सेवाएं	37,934.00	-	0%	42,737.50	-	0%
	दूरसंचार	5,000.00	-	0%	1,590.00	-	0%
	अन्य	3,135.65	-	0%	2,867.61	-	0%
	(क) में से भारत	-	-	-	-	-	-
3	सरकार द्वारा गारंटीत एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ख	बाह्य क्षेत्र	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
1	कुल निर्यात वित्त	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	104,459.21	5,998.18	6%	79,709.60	8,515.18	11%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	2,701.29	-	0%	13,697.05	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	-	-	-
	विद्युत	11,131.51	3,144.23	28%	9,352.71	2,833.90	30%
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	-	-	-	0%
	अन्य	90,626.42	2,853.95	3%	56,659.85	5,681.28	10%
	सेवा क्षेत्र	82,197.78	2,673.18	3%	64,819.64	2,464.81	4%
	वित्तीय सेवाएं	55,560.60	-	0%	47,096.51	-	0%
	दूरसंचार	3,885.95	-	0%	11,701.46	-	0%
	अन्य	22,751.23	2,673.18	12%	6,021.68	2,464.81	41%
2	कुल आयात वित्त	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	(ख) में से भारत	-	-	-	-	-	-
3	सरकार द्वारा गारंटीत एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ग	अन्य एक्सपोजर[#]	1,280,554.86	-	0%	1,066,962.27	16,464.46	2%
घ	कुल एक्सपोजर	2,090,312.18	11,974.98	0.57%	1,887,458.26	32,197.30	1.71%
	(क+ख+ग)						

[#] इसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति-गारंटीत ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं।

(घ) हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीओआर.सीआरई.76/07-02-001/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) वाली कंपनियों को एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2026 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹1,398 मिलियन (गत वर्ष: ₹1,434 मिलियन) की राशि रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹32,152 मिलियन (गत वर्ष: ₹36,492 मिलियन) रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वॉप**

क्र. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वॉप करारों का मूल कल्पित मूल्य	789,872.47	-	653,823.67	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	6,072.37	-	3,090.09	-
3.	स्वॉप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वॉप बही का सही मूल्य	(24,903.41)	-	(28,920.32)	-

*सभी ब्याज दर स्वॉप बैंकों के साथ किए गए हैं।

**ब्याज दर स्वॉप में क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वॉप शामिल नहीं हैं, जिसका विवरण 10.3 ख में दिया गया है।

स्वॉप की प्रकृति तथा शर्तें : सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	22	414,903.13	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	23,708.75	3 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	109,060.25	6 माह सोफर	फ्लोटिंग प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	266.78	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	8	225,233.13	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
	योग	36	773,172.03		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2026 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

- बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।
- डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात प्रतिपक्षी पार्टों द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा प्री-सेटलमेंट लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।
- बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को), डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आकलन और निगरानी करने वाले बैंक के मिड ऑफिस की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य का पर्यवेक्षण करती है।
- यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत करंसी स्वॉप शामिल नहीं हैं।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	161,233.55	773,172.03	248,227.89	640,744.35
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्केड-टू-मार्केट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)	(33,241.28)	(24,474.98)	(32,173.28)	(28,968.09)
3	ऋण एक्सपोजर	6,271.58	7,536.31	15,964.66	12,665.21
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	2,889.25	35,416.81	4,246.30	25,481.26
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	4,188.18	35,416.81	5,525.61	26,377.50
	(ii) न्यूनतम	2,889.25	23,952.17	4,246.30	19,946.70
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

- (क) ऊपर प्रकटित ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि क्रमशः ₹189,670 मिलियन (₹640,744.35 मिलियन) और ₹104,466.90 मिलियन (₹248,227.89 मिलियन) को मार्कड -टू-मार्केट (एमटीएम) के संबंध में हिसाब में नहीं लिया गया है, जहां अंतर्निहित आस्ति/देयताएं यथा 31 मार्च, 2026 को मार्कड-टू-मार्केट नहीं हैं।
- (ख) करंसी डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि में ₹124,026.29 मिलियन (₹186,824.73 मिलियन) की क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप राशि शामिल है और इसकी एमटीएम हानि ₹32,812.79 मिलियन (₹31,971.91 मिलियन) है।
- (ग) सीसीआईआरएस के एमटीएम पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को फ्लोटिंग दर पर विदेशी मुद्राओं में बैंक के ऋणों और अग्रिमों के मूल्य में परिवर्तन से काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ये स्वॉप संविदाएं मुख्य रूप से फेडाई विनिमय दरों पर की जाती हैं।
- (घ) करंसी डेरिवेटिव का विवरण निम्नलिखित अनुसार है

		(₹ मिलियन)	
क्रमांक	विवरण	2025-26	2024-25
क)	मूल विनिमय डेरिवेटिव		
i)	क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप	124,026.29	186,824.73
ii)	एफएक्स स्वॉप/ मूलधन केवल स्वॉप	20,506.81	48,323.83
ख)	अन्य		
i)	फॉरवर्ड	16,700.45	13,079.32
ii)	स्वॉप	-	-
	कुल (क+ख)	161,233.55	248,227.89

₹16,700.45 मिलियन की वायदा विनिमय संविदाएं (गत वर्ष ₹13,079.32 मिलियन) और ₹773,172.03 मिलियन के ब्याज दर स्वॉप (आईआरएस) के आनुमानिक आंकड़े (गत वर्ष ₹640,744.35 मिलियन) आकस्मिक देयताओं शीर्ष के अंतर्गत ऑफ-बैलेंस शीट मदों के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं।

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया (गत वर्ष: शून्य) और बकाया प्रतिबद्धताओं के लिए कोई वित्तीय उत्तरदायित्व नहीं रहा। वर्ष के दौरान (वित्तीय वर्ष 2025-26) कोई चुकौती आश्वासन पत्र प्राप्त नहीं हुआ (गत वर्ष ₹: शून्य)।

इसके अलावा, यथा 31 मार्च, 2026 को साख पत्र (एलसी) के रूप में बैंक का बकाया एक्सपोजर ₹ 15,143 मिलियन (गत वर्ष: ₹ 8,990 मिलियन) का रहा।

12. आस्ति-देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	योग
रुपया अग्रिम	57,934.32	80,296.74	196,144.60	67,736.75	157,554.30	116,740.28	82,330.59	73,037.38	831,774.95
रुपया निवेश	10,945.47	996.82	16,787.24	9,691.50	18,450.42	17,047.60	36,151.70	100,010.74	210,081.49
रुपया अन्य आस्तियां	114,061.91	13,121.47	62,354.55	52,844.01	45,869.86	198,309.94	136,551.94	383,315.68	1,006,429.34
रुपया जमा राशियां	40.05	10.24	56,410.39	69.46	72,629.59	258.02	121.28	-	129,539.03
रुपया उधारियां	151,935.23	21,397.02	203,274.09	49,750.00	82,189.69	94,750.00	179,150.00	16,859.54	799,305.57
रुपया अन्य देयताएं	25,411.79	16,495.89	38,543.69	98,355.85	98,126.46	108,485.96	31,113.59	318,545.86	735,079.10
विदेशी मुद्रा आस्तियां	70,556.10	13,430.45	89,815.90	156,853.98	166,163.86	667,898.05	440,589.62	8,71,167.55	2,476,475.50
विदेशी मुद्रा देयताएं	67,318.35	12,660.85	76,782.81	195,082.69	219,327.78	768,476.75	415,255.30	531,636.73	2,286,541.25

गत वर्ष:

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	योग
रुपया अग्रिम	35,739.85	55,017.84	143,556.80	203,499.80	64,407.59	128,480.80	79,712.92	20,540.70	730,956.30
रुपया निवेश	0.00	2,987.52	15,172.96	806.58	6,667.57	16,245.26	34,051.97	82,404.34	158,336.20
रुपया अन्य आस्तियां	109,599.8	1,955.21	48,270.24	67,052.07	136,470.50	194,820.70	134,364.30	364,517.30	1,057,050.00
रुपया जमा राशियां	36.15	7.96	68.42	47.91	65,145.78	322.48	55.76	-	65,684.47
रुपया उधारियां	98,084.69	0.00	168,435.00	18,700.00	146,194.10	119,300.00	120,650.00	59,600.00	730,963.70
रुपया अन्य देयताएं	52,297.39	63,089.44	25,732.26	31,243.74	59,037.64	144,956.90	17,388.20	310,873.80	704,619.30
विदेशी मुद्रा आस्तियां	81,558.51	32,171.55	43,025.56	85,283.12	165,976.70	575,537.40	411,672.20	782,038.70	2,177,264.00
विदेशी मुद्रा देयताएं	88,535.70	32,576.14	51,740.03	104,605.90	217,117.70	765,249.70	392,479.90	426,972.60	2,079,278.00

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है। (गत वर्ष : शून्य)

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2025-26	2024-25
इक्विटी पर रिटर्न	26.86%	20.39%
आस्तियों पर रिटर्न	1.88%	1.61%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ मिलियन)	119.03	90.59

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया। (गत वर्ष : शून्य)

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	7	1
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	7	1
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखा मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

(गत वर्ष : शून्य)

विशिष्ट लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखांकन मानक - 10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ मिलियन)

विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 01 अप्रैल, 2025 को लागत	5,311.63	2,433.81	7,745.44
परिवर्द्धन	-	666.70	666.70
निपटान	-	48.78	48.78
यथा 31 मार्च, 2026 को लागत (क)	5,311.63	3,051.73	8,363.36
मूल्यहास			
यथा 1 अप्रैल, 2025 को संचित	2,392.04	1,949.91	4,341.95
वर्ष के दौरान प्रावधान	229.59	488.76	718.35
निपटान पर हटाया गया	-	48.50	48.50
यथा 31 मार्च, 2026 को संचित (ख)	2,621.63	2,390.17	5,011.80
निवल ब्लॉक (क-ख)	2,690.00	661.56	3,351.56

गत वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखा मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

(₹ मिलियन)			
विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 1 अप्रैल, 2024 को लागत	5,311.19	2,184.65	7,495.84
परिवर्द्धन	0.44	341.27	341.71
निपटान	-	92.11	92.11
यथा 31 मार्च, 2025 को लागत (क)	5,311.63	2,433.81	7,745.44
मूल्यहास			
यथा 1 अप्रैल, 2024 को संचित	2,160.70	1,697.09	3,857.79
वर्ष के दौरान प्रावधान	231.34	344.90	576.24
निपटान पर हटाया गया	-	92.08	92.08
यथा 31 मार्च, 2025 को संचित (ख)	2,392.04	1,949.91	4,341.95
निवल ब्लॉक (क-ख)	2,919.59	483.90	3,403.49

19. सरकारी अनुदानों का लेखा

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड अर्थात 'वित्तीय गतिविधियां' शामिल है, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

(₹ मिलियन)						
विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	195,503.85	180,746.40	6,801.02	7,825.73	202,304.87	188,572.13
आस्ति	2,424,240.21	2,061,317.74	111,542.27	126,058.34	2,535,782.48	2,187,376.07

21. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार है:

- संबंध
 - (i) सहायक कंपनी:
 - इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
 - (ii) संयुक्त उद्यम:
 - जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
 - कुकुजा परियोजना विकास कंपनी
 - (iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक:
 - सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
 - श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
 - सुश्री दीपाली अग्रवाल (उप प्रबंध निदेशक)
 - श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी

- श्री गौरव भंडारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (04 जनवरी, 2026 तक)
- सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
- सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
- श्री टी.डी. सिवाकुमार, बोर्ड सचिव
- श्री सुजीत भाले, मुख्य तकनीकी अधिकारी (14 जुलाई, 2025 से 21 दिसंबर, 2025 तक)
- सुश्री बख्तावर पटेल, ट्रेजरी की प्रमुख और 05 जनवरी, 2026 से मुख्य वित्तीय अधिकारी
- श्री दीपक भाटिया, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (22 दिसंबर, 2025 से प्रभावी)
- सुश्री सिद्धी केळुसकर, अनुपालन अधिकारी

- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

विवरण	सहायक कंपनी		संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
	(₹ मिलियन)	(₹ मिलियन)	(₹ मिलियन)	(₹ मिलियन)	(₹ मिलियन)	(₹ मिलियन)
उधार	-	-	-	-	-	-
जमा	-	-	10.00	-	-	-
जमाओं का निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त ऋण/अग्रिम	-	-	-	-	0.31	0.61
जारी गारंटियां	-	-	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	0.10	0.12
भुगतान किए गए ब्याज	-	-	-	-	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-	-	-	-	-
प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त आय	-	-	-	-	-	-
ली गई सेवाओं के लिए भुगतान	-	-	-	-	-	-
स्वीकार की गई सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	7.10	2.70
सावधि जमा राशियों पर ब्याज	-	-	-	-	1.66	1.80
रिटन ऑफ किए गए खातों की राशि / अपलेखीकृत की गई राशियां	-	-	-	-	-	-
बकाया सावधि जमा राशियां	-	-	-	-	19.17	24.69
वर्ष के अंत में प्रदान किए गए और बकाया ऋण	-	-	-	-	0.18	0.30
वर्ष के अंत में बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश (प्रावधानों के निवल)	865.60	415.73	3.23	3.23	-	-
प्राप्त लाभांश	-	-	0.84	0.84	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	-	-	-	21.66	14.05
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटियां	-	-	-	-	-	-
परिलब्धियों सहित वेतन	-	-	6.01	5.22	56.99	65.08
लीज पर ली गई सेवाएं	-	-	-	-	-	-
प्राप्त किराया/ प्रदान की गई लीज व्यवस्थाएं	-	-	0.90	0.90	-	-
व्ययों की प्रतिपूर्ति	5.20	5.42	0.61	0.22	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	-	-	0.05	0.04	-	-
परामर्श के लिए भुगतान की गई फीस	-	-	15.28	7.48	-	-
गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं	-	-	20.00	20.00	-	-
स्थिर आस्तियों की खरीद	-	-	-	-	-	-
स्थिर आस्तियों की बिक्री	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट्स	-	-	-	-	-	-

22. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
आय पर कर	11,938.31	9,217.93
जोड़ें : निवल आस्थगित कर देयता	1,279.00	1,323.17
कुल	13,217.31	10,541.10

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

(₹ मिलियन)

विवरण	2025-26	2024-25
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	18,479.51	19,800.05
2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	128.04	74.89
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	513.53	501.94
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	2,924.54	2,924.54
निवल आस्थगित कर आस्तियां तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल	15,169.47	16,448.47

23. संयुक्त उपक्रमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	देश	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
क जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%	28.10%
ख कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी*	मॉरीशस	41.39%	41.39%

II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक-27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

(₹ मिलियन)

देयताएं	2025-26	2024-25	आस्तियां	2025-26	2024-25
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	50.62	47.00	अचल आस्तियां	0.07	0.13
ऋण	-	-	निवेश	34.19	15.82
अन्य देयताएं	6.87	6.64	अन्य आस्तियां	23.23	37.69
योग	57.49	53.64	योग	57.49	53.64

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

(₹ मिलियन)

व्यय	2025-26	2024-25	आय	2025-26	2024-25
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.05	0.05	परामर्शी आय	20.71	21.36
अन्य व्यय	17.33	17.02	ब्याज आय तथा निवेश से आय	1.08	1.97
प्रावधान	1.70	2.29	अन्य आस्तियां	1.75	1.17
लाभ	4.46	5.14			
योग	23.54	24.50	योग	23.54	24.50

कुक्कुड़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में निगमित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनैंशल सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। केपीडीसी में लगातार हानि दर्ज किए जाने और केपीडीसी का परिचालन सस्टेनेबल न होने के कारण शेयरधारकों ने मार्च 2023 में केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया। इसके बाद केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और केपीडीसी की सभी बकाया देनदारियों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कर दिया गया है। सभी शेयरधारकों/सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के बाद केपीडीसी को बंद करने और इसे तटसंबंधी रजिस्टर से हटाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मॉरीशस को आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को प्रस्तुत किया गया। चूंकि गत तीन वर्षों से केपीडीसी का कोई व्यवसाय परिचालन नहीं रहा है, अतः वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसके लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए उपरोक्त में केपीडीसी के विवरण शामिल नहीं है।

24. आस्तियों का हास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां “वित्तीय आस्तियां” हैं, जिन पर “आस्तियों का हास” संबंधी लेखा मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखा मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2026 को कोई हास नहीं हुआ है।

25. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखा मानक-15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन पत्र में हिसाब में ली गई राशि

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	2,224.04	1,954.88	486.22	354.67
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,990.37	2,140.05	483.09	485.51
निधीयन स्थिति	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-	-	-
अवधि के अंत में तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
वर्तमान सेवा लागत	46.18	36.45	26.14	22.51
ब्याज लागत	151.09	135.49	32.97	24.71
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	138.02	127.64	24.01	22.88
बीमांकिक हानि/(लाभ)	(272.06)	169.86	(44.41)	106.49
विगत सेवा लागत – गैर-निहित लाभ	-	-	-	-
विगत सेवा लागत – निहित लाभ	-	-	-	-
परिवर्ती देयता	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	(212.81)	214.17	3.14	130.83
नियोक्ता द्वारा अंशदान	(206.03)	(137.37)	(130.84)	(25.40)

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 3.74 मिलियन रही (गत वर्ष: ₹ 66.5 मिलियन), जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

- 26.** सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री राहुल चौधरी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री कुमार समीनाथन, महाप्रबंधक एवं सीओओ

पता:

पंजीकृत कार्यालय: एक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वर्ली, मुंबई - 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय: द रुबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028

फोन: (022) 62300451

ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in

वेबसाइट: www.axistrustee.in

- 27.** आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:

योजना	2025-26				2024-25			
	मंजूरी	संवितरित	बकाया		मंजूरी	संवितरित*	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	2	44.85	-	-	3	60.00
ईसीएलजीएस 2.0	-	-	7	151.12	-	-	9	320.00
ईसीएलजीएस 3.0	-	-	1	165.00	-	-	1	220.00
कुल योग	-	-	10	360.97	-	-	13	600.00

(₹ मिलियन)

28. भारतीय लेखा मानकों (इंड एस) के क्रियान्वयन का स्थगन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्संरचना संबंधी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्जिम बैंक पर लागू नहीं हैं।

29. नई श्रमिक संहिताएं:

भारत सरकार ने विभिन्न मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करते हुए 21 नवंबर, 2025 को चार श्रम संहिताओं के एक एकीकृत फ्रेमवर्क में परिवर्तित कर दिया है। इन्हें सामूहिक रूप से 'नई श्रमिक संहिताएं' के रूप में संदर्भित किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट में इन परिवर्तनों के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है। उम्मीद जताई गई है कि इन परिवर्तनों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा। तथापि, नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जारी किए जाने पर बदलती उद्योग प्रथाओं के अनुरूप इन प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

30. सह-उधार व्यवस्था संबंधी प्रकटीकरण

प्रकट किए जाने वाले मानदंड (कुल राशि के आधार पर)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026
सीएलए की मात्रा	-
ऋणों की संख्या	-
ऋणों की राशि (₹ मिलियन में)	
ब्याज की भारित औसत दर	
लिया गया शुल्क (₹ मिलियन में)	
भुगतान किया गया शुल्क (₹ मिलियन में)	
उद्योग/क्षेत्र	
ऋणों की अर्जन स्थिति	
चूक हानि गारंटी से संबंधित विवरण	

31. प्रतिभूतीकरण संबंधी प्रकटीकरण

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1	प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट किए जाए)	-	-
2	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	-	-
3	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि	-	-
	क) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ख) तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		

(₹ मिलियन)

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
4	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	-	-
	क) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर		
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ख) तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर		
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
5	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	-	-
6	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतीकरण पश्चात आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)	-	-
7	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण संवर्धन, चलनिधि सपोर्ट, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में ब्रैकेट में प्रतिशत का उल्लेख करें।	-	-
	क) भुगतान की गई राशि		
	ख) प्राप्त पुनर्भुगतान		
	ग) बकाया राशि		
8	अतीत में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें	-	-
9	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दी गई अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें	-	-
10	निवेशकों की शिकायतें	-	-
	(क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और;		
	(ख) बकाया शिकायतें		

टिप्पणी - 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिका प्रदान की जाएगी

32. परियोजना वित्त संबंधी प्रकटीकरण

क्र. सं.	मदों का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ मिलियन में)
1	वर्ष की शुरुआत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	39	57,325.60
2	वर्ष के दौरान मंजूर किए गए कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	37	17,144.02
3	वर्ष के दौरान जिन कार्यान्वयनाधीन परियोजना खातों में डीसीसीओ प्राप्त कर ली गई	17	35,901.42
4	वर्ष के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते (1+2-3)	54*	34,467.10
5	'4' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	6^	1,709.44
5.1	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू कर दी गई है	-	-
5.2	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	1	969.10
5.3	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही	-	-
6	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में समाधान प्रक्रिया परियोजना के कार्यक्षेत्र एवं आकार में परिवर्तन के कारण लागू की गई है।	-	-
7	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, यह तिथि बढ़ने से हुई लागत वृद्धि का निधीयन किया गया।	-	-
7.1	'7' में से वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ को मंजूरी दी गई थी और उसका निरंतर नवीकरण किया गया	-	-
7.2	'7' में से वे खाते, जिनमें एसबीसीएफ को मंजूरी नहीं दी गई थी या उसका निरंतर नवीकरण नहीं किया गया	-	-
8	'4' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, तिथि में विस्तार को शामिल किए बिना समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	-	-
8.1	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू कर दी गई है	-	-
8.2	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	-	-
8.3	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही	-	-

(#) केवल मंजूर किए गए और संवितरित मामले

(*) पहले से भुगतान / पुनर्भुगतान किए गए मामलों को छोड़कर या जिनमें वर्ष के दौरान सीमा रद्द कर दी गई है

(^) इसमें वर्ष के दौरान एससीओडी और डीमड एससीओडी हासिल कर चुके मामले शामिल नहीं हैं। 3 ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें डीसीसीओ 1 अक्टूबर, 2025 से पहले बढ़ाई गई है और 3 ऐसे मामले हैं, जिनमें डीसीसीओ 1 अक्टूबर, 2025 के बाद बढ़ाई गई है।

टिप्पणी: उक्त खातों को हिसाब में लिया गया है, चाहे खाते का आस्ति वर्गीकरण कोई भी हो।

33. सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन संबंधी प्रतिभूतीकरण (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

वर्तमान वर्ष

(₹ मिलियन)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेनदेन की संख्या
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत उधार ली गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-

गत वर्ष

(₹ मिलियन)

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेनदेन की संख्या
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत उधार ली गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपार्श्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-

34. गैर-निधिक (एनएफबी) ऋण सुविधाओं संबंधी प्रकटीकरण

एनएफबी सुविधाएं	(₹ मिलियन)			
	31 मार्च, 2026 तक प्रतिभूतित* हिस्सा	31 मार्च, 2026 तक गैर-प्रतिभूतित हिस्सा	31 मार्च, 2025 तक प्रतिभूतित* हिस्सा	31 मार्च, 2025 तक गैर-प्रतिभूतित हिस्सा
I. बकाया गारंटी				
i) भारत में	29,023.13	1,344.24	33,456.60	15,531.58
ii) भारत के बाहर	96,777.43	12,134.65	95,687.67	10,360.97
II. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व	-	-	-	-
III. अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं	22,303.54	3,560.16	13,801.85	474.37

*प्रतिभूतित भाग भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के अंतर्गत परिभाषित अनुसार है।

टिप्पणी : एनएफबी ऋण सीमा के संदर्भ में, एआईएफआई को समय-समय पर संशोधित भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं - ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 द्वारा निर्देशित होगी।

35. गत वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

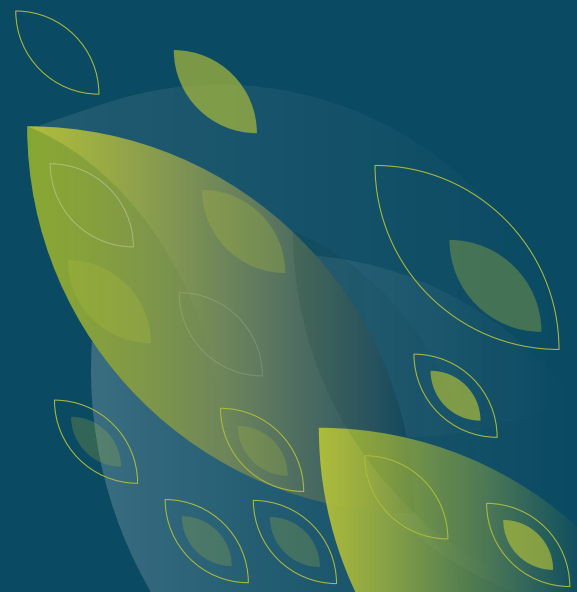
सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

समेकित वित्तीय विवरण



स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने “भारतीय निर्यात-आयात बैंक” (इसके बाद “मूल संस्था” के रूप में संदर्भित), “इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड” (इसके बाद “सहायक कंपनी” के रूप में संदर्भित) और समूह की सामान्य निधि के इन समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है। मूल संस्था और सहायक कंपनी को साथ मिलाकर “समूह” के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 को समेकित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समेकित लाभ और हानि लेखों एवं समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना (इसके बाद ‘समेकित वित्तीय विवरण’ के रूप में संदर्भित) शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14 (i) में वांछित अनुसार, यथा 31 मार्च, 2026 को समूह की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह की समेकित लाभ और समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं और ये भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (“आईसीएआई”) द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

अभिमत का आधार

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों (एसए) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के ‘समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा’ खंड में ‘लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व’ में दिया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी “नैतिक संहिता” के अनुसार, उक्त समूह से संबद्ध नहीं हैं और हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप, अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे समेकित वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले

लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले वे हैं, जो हमारे प्रोफेशनल निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के रहे हैं। इन मामलों का समाधान, संपूर्ण रूप से, समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा और उस पर हमारा अभिमत बनाने के संदर्भ में किया गया है और हम उन मामलों के संबंध में अलग से अभिमत प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में नीचे दिए गए मामलों को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों के रूप में वर्णित करने का निर्णय लिया है:

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
1	अनर्जक अग्रिमों का निर्धारण और अग्रिमों का प्रावधानीकरण: अग्रिम समूह की आस्तियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं और इन अग्रिमों की गुणवत्ता को बैंक के सकल अग्रिमों की तुलना में अनर्जक अग्रिमों (“एनपीए”) के अनुपात के रूप में मापा जाता है। यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक के कुल अग्रिम, समेकित कुल आस्तियों के 81.92% रहे और समूह का सकल एनपीए अनुपात 0.57% रहा।	हमने अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं अपनाई हैं: - एनपीए निर्धारण और प्रावधानीकरण के लिए बैंक की नीतियों को ध्यान में रखते हुए आईआरएसीपी मानदंडों के अनुपालन का मूल्यांकन किया गया। - मौजूदा आईआरएसी दिशानिर्देशों और केवल बैंक के संबंध में दिए गए आरबीआई के अतिरिक्त निदेशों के आधार पर हासित खातों का निर्धारण करने के संबंध में प्रमुख नियंत्रणों (एप्लिकेशन नियंत्रणों सहित) को समझना और उनकी परिचालन प्रभावशीलता का मूल्यांकन तथा परीक्षण किया गया।

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
	भारतीय रिजर्व बैंक (“आरबीआई”) के आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण (“आईआरएसीपी”) दिशानिर्देशों में एनपीए तथा ऐसी आस्तियों के लिए न्यूनतम प्रावधान का निर्धारण और वर्गीकरण करने के लिए विवेकसम्मत मानदंड निर्धारित किए गए हैं। बैंक को मात्रात्मक और गुणात्मक कारकों का प्रयोग करते हुए यह भी निर्धारित करना होता है कि एनपीए को चिह्नित किया जाए और उनके एवज में अपेक्षित प्रावधान किए जाएं। एनपीए का निर्धारण कुछ निश्चित क्षेत्रों में दबाव और लिक्विडिटी जैसे कारकों से प्रभावित होता है। निर्धारित एनपीए के लिए प्रावधानीकरण, उन एनपीए के कालिक क्षय और वर्गीकरण, वसूली अनुमान, प्रतिभूति के मूल्य और अन्य गुणात्मक कारकों के आधार पर आकलित किया जाता है तथा यह प्रावधान आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रावधानीकरण मानदंडों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, समूह, कुछ निश्चित क्षेत्रों में अग्रिमों और एनपीए हो जाने की आशंका वाले चिह्नित अग्रिमों अथवा समूह अग्रिमों सहित उन एक्सपोजरों के लिए भी प्रावधान करता है, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। इन्हें आकस्मिक प्रावधानों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। समूह ने इस संबंध में अपनी लेखांकन नीति में, नोट 1 (iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों पर टिप्पणियां में विवरण दिया है। चूंकि एनपीए के निर्धारण और अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण में उल्लेखनीय स्तर का आकलन जरूरी होता है और समग्र लेखा परीक्षा में इसके महत्व को देखते हुए, हमने एनपीए के निर्धारण और प्रावधानीकरण को लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामला माना है।	- यथोचित प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता की जांच कर और बैंक की निगरानी प्रक्रिया के अनुसार की गई विभिन्न लेखा परीक्षाओं तथा आरबीआई निरीक्षण की टिप्पणियों/निर्देशों के संबंध में अनुपालन की जांच की गई। - चिह्नित उधारकर्ताओं के लेखा विवरणों और अन्य संबंधित जानकारी के मात्रात्मक और गुणात्मक जोखिम कारकों के आधार पर समीक्षा की गई। - बैंक द्वारा दबावग्रस्त ऋण खातों को चिह्नित करने के लिए बनाई गई पूर्व चेतावनी रिपोर्टों की जांच की गई। - जहां कहीं भी ऋण जोखिम माना गया, उन मामलों में बैंक के प्रबंधन के साथ विशिष्ट चर्चा करना और जोखिमों को कम करने के उपाय किए गए। - बैंक की नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा और संगामी लेखा परीक्षा की प्रमुख टिप्पणियों को ध्यान में रखा गया। - बैंक से संबंधित आरबीआई की वित्तीय निरीक्षण रिपोर्ट, वर्ष के दौरान इन टिप्पणियों पर बैंक के उत्तर और आरबीआई के साथ हुए पत्राचार को ध्यान में रखा गया। - एनपीए के संबंध में, संबंधित लेखा मानकों और आरबीआई की अपेक्षाओं के एवज में प्रकटीकरण की सुसंगतता और पर्याप्तता का मूल्यांकन कर तथा, विनियामकीय पैकेज और समाधान फ्रेमवर्क के अनुसार आवश्यक अतिरिक्त प्रकटीकरण का मूल्यांकन किया गया। अग्रिमों के प्रावधानीकरण के संबंध में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई: - अग्रिमों के प्रावधानीकरण के लिए बैंक की प्रक्रिया के संबंध में एक समझ बनाई। - आरबीआई विनियमों के अनुपालन के लिए प्रबंधन द्वारा की गई गणना तथा प्रावधानीकरण के लिए आंतरिक स्तर पर निर्धारित की गई नीतियों की सैंपल आधार पर जांच की गई। - ऐसे ऋण खातों के लिए, जो एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं और बैंक ने उनके लिए प्रावधान किए हैं, हमने उन प्रावधानों के लिए बैंक के मूल्यांकन की समीक्षा की। - कर देयताएं और कर प्रावधान निर्धारित करने के लिए समूह की प्रक्रिया के संबंध में समझ बनाई। - कर प्राधिकारियों के साथ हुए पत्राचार सहित संबंधित दस्तावेजीकरण का संदर्भ लेते हुए कर मांग की समीक्षा की गई। - इस संबंध में समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरणों का मूल्यांकन किया गया।
2	आयकर के लिए आकस्मिक देयता: समूह में कुछ महत्वपूर्ण कर मामले चल रहे हैं, जिनमें ऐसे मामले भी शामिल हैं, जो विवादित हैं और उन विवादों में संभावित परिणाम के लिए निर्णय महत्वपूर्ण होगा। चूंकि इन कर मामलों के मूल्यांकन में महत्वपूर्ण स्तर का निर्णय अपेक्षित है, इसलिए हमने इसे लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामलों में शामिल किया है।	

क्रमांक	लेखा परीक्षा संबंधी प्रमुख मामले	हमारी लेखा परीक्षा में मामलों का समाधान ऐसे किया गया
3	वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणालियां और नियंत्रण समूह की प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, प्रणालियों में स्वचालित नियंत्रणों सहित सूचना प्रणालियों पर अत्यधिक निर्भर हैं। यह निर्भरता इतनी अधिक है कि इससे यह जोखिम बना रहता है कि आईटी नियंत्रण परिवेश में किसी भी तरह के गैप से वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड गलत हो सकते हैं। आईटी परिवेश की व्यापक प्रकृति और जटिलता के साथ-साथ सटीक और समय पर वित्तीय रिपोर्टिंग में आईटी के महत्व के कारण हमने इस क्षेत्र को एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में चिह्नित किया है।	बैंक की आईटी प्रणालियों और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा हेतु हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के हिस्से के रूप में हमने निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई हैं: - वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए महत्वपूर्ण बैंक की आईटी प्रणालियों और नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावित का मूल्यांकन करने के लिए वॉकथ्रू किया गया। - बैंक में चिह्नित किए गए ऐप्लिकेशन सिस्टम्स के संबंध में यथोचित अंतराल पर ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर ऑडिट के लिए एक प्रणाली लागू है। बैंक द्वारा यथोचित अंतराल पर सूचना प्रणाली सुरक्षा ऑडिट की जाती है। - यथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान हमने बैंक की आईटी प्रणालियों पर की गई ऑडिट में सामने आई प्रमुख टिप्पणियों की समीक्षा की है।

समेकित वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारीयों के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। अन्य जानकारीयों में, समेकित वित्तीय विवरण और इन पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को छोड़कर इस वार्षिक रिपोर्ट में शामिल की गई अन्य जानकारीयां शामिल हैं। समूह की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारीयों को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में आश्वासन/निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ना और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना हमारा उत्तरदायित्व है कि यह अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी, या लेखा परीक्षा में हासिल की गई हमारी जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है या अन्यथा किसी रूप में तो गलत नहीं है। समूह की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते समय, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कहीं कुछ गलत बयानी है तो हमें उस मामले से गवर्नैस संबंधी प्राधिकारियों को अवगत कराना आवश्यक है।

अन्य मामले

इस समूह की 1 (एक) सहायक कंपनी, 12 (बारह) क्षेत्रीय कार्यालय, 8 (आठ) विदेश स्थित कार्यालय और 1 (एक) विदेश स्थित शाखा है। क्षेत्रीय और विदेश स्थित कार्यालयों के लिए मूल संस्था की वित्तीय लेखांकन प्रणालियां केंद्रीकृत हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों, विदेश स्थित कार्यालयों और विदेश स्थित शाखा में से हमने 4 (चार) क्षेत्रीय कार्यालयों और विदेश स्थित 1 (एक) शाखा का दौरा किया है।

हमने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही तक की मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और 31 मार्च, 2026 माह तक की मूल संस्था की संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों की समीक्षा कर ली है। हम समझते हैं कि 31 मार्च, 2026 को समाप्त तिमाही के लिए मूल संस्था की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है और इसलिए ये रिपोर्ट हमारी समीक्षा के लिए हमें उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस मामले के संबंध में हमारी राय इससे भिन्न नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नैस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन समेकित विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए समूह का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये समेकित वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। समूह में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन, समूह की आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त

लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें क्रियान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, समूह के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

समूह में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन हैं, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हैं।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन करना, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- समूह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर अभिमत व्यक्त करने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं निर्धारित करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के संबंध में समझ बनाना।
- समेकित वित्तीय विवरणों में प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की जांच हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य की घटनाएं या स्थितियां समूह द्वारा अपने व्यवसाय जारी रखने को बंद करने वाली हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, ढांचे और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि समेकित वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों को प्रदर्शित करते हैं और घटनाएं इस रूप में हैं कि उचित प्रस्तुति प्रदर्शित करती हैं।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह में शामिल इकाइयों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों, जिसके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं, में शामिल की गई बैंक और इसकी सहायक कंपनी की वित्तीय सूचना की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। हम अपने लेखा परीक्षा अभिमत के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी महत्वपूर्ण विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

गवर्नर्स प्रभारियों को सूचित किए गए मामलों से, हमारा तात्पर्य उन मामलों से है, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि उस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण से विधि या विनियमों का उल्लंघन न होता हो, या जब तक अत्यन्त दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित न कर लें कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में इसलिए सूचित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूचनाओं का प्रकाशन लोकहित में होने के बजाय प्रतिकूल परिणाम देने वाला हो सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरण बैंक के प्रबंधन द्वारा आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21, “समेकित वित्तीय विवरण” की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय में, उक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, समूह द्वारा लेखे की उचित बहियां अभी तक रखी गई हैं, जैसा कि हमारे द्वारा की गई इन बहियों की जांच में परिलक्षित होता है।
- समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के प्रयोजन से इस रिपोर्ट में लिए गए समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि लेखों तथा समेकित नकदी प्रवाह विवरण संबंधित लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- समूह के संयवहार, जो हमारे संज्ञान में आए हैं, समूह की शक्तियों के भीतर हैं।
- हमारी राय में, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, लेखे की उचित बहियां, इन बहियों की हमारी जांच में परिलक्षित अनुसार, समूह द्वारा अभी तक रखी गई हैं और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से हमें ऐसे प्रतिनिधि कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों से पर्याप्त रिटर्न मिले हैं, जिनका दौरा हमने नहीं किया है।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त समेकित वित्तीय विवरण, लागू लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि

पार्टनर

सदस्यता सं. 032271

यूडीआईएन: 2603227YYZWJ7783

स्थान: मुंबई

दिनांक: 08 मई, 2026

यथा 31 मार्च, 2026 को समेकित तुलन पत्र

सामान्य निधि

		इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
देयताएं	अनुसूचियां		
1. पूँजी	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. आरक्षित निधियां	II	134,356,248,690	99,028,015,711
3. लाभ और हानि खाता	III	4,280,000,000	3,250,000,000
4. नोट, बॉन्ड एवं डिबेंचर		1,232,092,278,193	1,115,794,296,200
5. देय बिल		-	-
6. जमा राशियां	IV	766,307,936	903,357,470
7. उधार राशियां	V	820,600,791,310	675,464,146,198
8. चालू देयताएं एवं आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान		114,554,025,845	86,948,536,540
9. अन्य देयताएं		70,632,403,474	47,318,335,326
योग		2,536,375,719,329	2,187,800,351,326
आस्तियां			
1. नकदी एवं बैंक शेष	VI	113,131,478,094	70,582,318,978
2. निवेश	VII	211,186,512,915	159,697,485,142
3. ऋण एवं अग्रिम	VIII	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
4. भुनाए गए/पुनः भुनाए गए विनिमय बिल और वचन पत्र	IX	141,190,000,000	52,000,000,000
5. अचल आस्तियां	X	3,351,830,565	3,404,432,912
6. अन्य आस्तियां	XI	130,915,444,172	96,725,314,487
योग		2,536,375,719,329	2,187,800,351,326
आकस्मिक देयताएं			
(i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व		139,279,454,733	155,036,824,435
(ii) वायदा विनिमय संविदाओं की बकाया राशियों पर		17,805,391,506	13,108,564,859
(iii) हामीदारी वचनबद्धताओं पर		-	-
(iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं		221,071,260	194,597,850
(v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है		4,504,380,000	3,612,000,000
(vi) संग्रहण के लिए बिल		-	-
(vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर		-	-
(viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल		-	-
(ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		800,031,916,156	656,232,550,632
		961,842,213,655	828,184,537,776

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि लेखा

सामान्य निधि

		इस वर्ष (2025-26) ₹	गत वर्ष (2024-25) ₹
व्यय	अनुसूचियां		
1. ब्याज		148,848,745,519	145,549,968,629
2. ऋण बीमा, शुल्क एवं प्रभार		1,078,432,428	923,505,699
3. स्टाफ़ के वेतन, भत्ते आदि और सेवांत लाभ		1,261,313,608	1,705,965,880
4. निदेशकों एवं समिति के सदस्यों की फीस तथा व्यय		549,700	958,077
5. लेखा परीक्षा की फीस		2,083,232	1,454,195
6. भाड़ा, कर, बिजली और बीमा प्रीमिया		490,220,900	453,965,029
7. संचार विषयक व्यय		54,055,646	52,256,795
8. विधि विषयक व्यय		25,832,131	40,990,228
9. अन्य व्यय	XII	2,120,319,417	1,834,285,599
10. मूल्यहास		712,014,638	574,829,343
11. ऋण हानियों/आकस्मिकताओं, निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान		(6,056,935,127)	(5,321,159,758)
12. नीचे ले जाया गया लाभ/(हानि)		55,952,240,461	42,972,679,256
योग		204,488,872,553	188,789,698,971
आयकर के लिए प्रावधान (आस्थगित कर राशि का निवल) [₹1,278,998,450 के आस्थगित कर सहित (गत वर्ष: ₹1,323,174,509)]		13,220,486,049	10,541,361,504
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ/(हानि)		42,731,754,412	32,431,317,753
		55,952,240,461	42,972,679,256
आय			
1. ब्याज और बट्टा	XIII	196,699,775,081	183,286,159,311
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस		7,412,702,917	4,287,371,906
3. अन्य आय	XIV	376,394,555	1,216,167,755
योग		204,488,872,553	188,789,698,971
नीचे लाया गया लाभ/(हानि)		55,952,240,461	42,972,679,256
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज-कर प्रावधान का प्रतिलेखन		-	-
		55,952,240,461	42,972,679,256

‘लेखों पर टिप्पणियां’ संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
अनुसूची I: पूँजी:		
1. प्राधिकृत	200,000,000,000	200,000,000,000
2. निर्गमित एवं प्रदत्त: (केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः अभिदत्त)	159,093,663,881	159,093,663,881
अनुसूची II: आरक्षित निधियां:		
1. आरक्षित निधि	115,660,111,989	81,237,979,010
2. सामान्य आरक्षित राशियां	-	-
3. अन्य आरक्षित राशियां:		
निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि*	3,100,817,637	2,194,717,637
ऋण शोधन निधि (ऋण-व्यवस्थाएं)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित राशि	13,640,000,000	13,640,000,000
	134,356,248,690	99,028,015,711
अनुसूची III: लाभ और हानि लेखा:		
1. परिशिष्ट में उल्लिखित लेखों के अनुसार शेष	42,731,754,412	32,431,317,753
2. घटाएं: विनियोजन:		
- आरक्षित निधि को अंतरित	37,545,654,412	28,968,496,516
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि को अंतरित*	906,100,000	212,821,237
- ऋण शोधन निधि को अंतरित	-	-
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अधीन विशेष आरक्षित निधि को अंतरित	-	-
3. निवल लाभ का शेष (एक्जिम बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 23(2) के अनुसार केंद्र सरकार को अंतरणीय)	4,280,000,000	3,250,000,000
अनुसूची IV: जमा राशियां:		
(क) भारत में	766,307,936	903,357,470
(ख) भारत के बाहर	766,307,936	903,357,470
अनुसूची V: उधार राशियां:		
1. भारतीय रिज़र्व बैंक से:		
(क) न्यासी प्रतिभूतियों पर		
(ख) विनिमय बिलों पर	-	-
(ग) राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (दीर्घावधि परिचालन) निधि से	-	-
2. भारत सरकार से	-	-
3. अन्य स्रोतों से:		
(क) भारत में	402,335,692,201	233,436,461,510
(ख) भारत के बाहर	418,265,099,109	442,027,684,688
	820,600,791,310	675,464,146,198
अनुसूची VI: नकदी एवं बैंक में शेष:		
1. हाथ में नकदी	235,934	271,911
2. भारतीय रिज़र्व बैंक में शेष	28,683,044,356	18,600,337,135
3. अन्य बैंकों में शेष:		
(क) भारत में		
i) चालू खातों में	25,940,272,740	8,095,476,502
ii) अन्य जमा खातों में	10,500,000,000	8,750,000,000
(ख) भारत के बाहर	48,007,925,064	35,136,233,431
4. मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ट्रेप्स के अंतर्गत ऋण	-	-
	113,131,478,094	70,582,318,978

* निवेश आरक्षित खाते के लिए ₹ 212,821,237 राशि शामिल है (गत वर्ष: ₹ 212,821,237)

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
अनुसूची VII: निवेश: (मूल्य में हास का निवल, यदि कोई है)		
1. केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	186,237,059,041	153,797,035,240
2. इक्विटी शेयर और स्टॉक	2,171,875,627	2,338,930,882
3. अधिमानी शेयर एवं स्टॉक	390,317,183	208,532,727
4. नोट, डिबेंचर एवं बॉन्ड	1,693,929,076	1,452,641,167
5. अन्य	20,693,331,988	1,900,345,125
	211,186,512,915	159,697,485,142
अनुसूची VIII: ऋण एवं अग्रिम:		
1. विदेशी सरकारों को	601,870,807,934	551,976,333,756
2. बैंक:		
(क) भारत में	276,578,866,250	201,192,875,000
(ख) भारत के बाहर	15,554,178,026	12,714,108,278
3. वित्तीय संस्थाएं:		
(क) भारत में	22,000,000,000	17,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	116,817,610,515	103,636,198,640
4. अन्य	903,778,990,858	918,871,284,133
	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
अनुसूची IX: भुनाये गये/पुनः भुनाये गये विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
(क) भारत में	141,190,000,000	52,000,000,000
(ख) भारत के बाहर	-	-
	141,190,000,000	52,000,000,000
अनुसूची X: अचल आस्तियां: (लागत पर मूल्यहास घटाकर)		
1. परिसर		
सकल राशि (आगे लाई गई)	5,311,632,264	5,311,186,460
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	-	445,804
वर्ष के दौरान निपटान	-	-
वर्ष के अंत में सकल राशि	5,311,632,264	5,311,632,264
संचित हास	2,621,628,899	2,392,041,727
निवल राशि (ब्लॉक)	2,690,003,365	2,919,590,537
2. अन्य		
सकल राशि (आगे लाई गई)	2,435,172,717	2,185,296,033
वर्ष के दौरान परिवर्द्धन	667,008,051	341,989,157
वर्ष के दौरान निपटान	48,775,609	92,112,473
वर्ष के अंत में सकल राशि	3,053,405,159	2,435,172,717
संचित हास	2,391,577,959	1,950,330,342
निवल राशि (ब्लॉक)	661,827,200	484,842,376
	3,351,830,565	3,404,432,912
अनुसूची XI: अन्य आस्तियां:		
1. निम्नलिखित पर उपचित ब्याज:		
(क) निवेशों/बैंक जमाओं पर	14,594,046,576	12,979,939,514
(ख) ऋण एवं अग्रिम	33,121,012,046	37,219,724,588
2. विविध पक्षों के पास जमा राशियां	82,950,289	70,254,044
3. प्रदत्त अग्रिम आयकर (निवल)	31,775,297,462	19,982,190,053
4. अन्य [₹15,169,468,025 (गत वर्ष ₹16,448,466,475) की निवल आस्थगित कर आस्तियों सहित]	51,342,137,799	26,473,206,288
	130,915,444,172	96,725,314,487

समेकित तुलन पत्र की अनुसूचियां

सामान्य निधि

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को) ₹	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को) ₹
अनुसूची XII: अन्य व्यय:		
1. निर्यात संवर्धन व्यय	75,701,434	55,593,837
2. डाटा प्रोसेसिंग पर और संबद्ध व्यय	2,526,529	4,243,169
3. मरम्मत और रखरखाव	844,382,528	679,959,716
4. मुद्रण और लेखन सामग्री	13,002,312	10,866,061
5. अन्य	1,184,706,614	1,083,622,814
	2,120,319,417	1,834,285,599
अनुसूची XIII: ब्याज एवं बट्टा:		
1. ऋणों और अग्रिमों/बिलों की भुनाई/पुनर्भुनाई पर ब्याज और बट्टा	131,854,117,416	123,463,368,674
2. निवेशों/बैंक शेष राशियों पर आय	64,845,657,665	59,822,790,636
	196,699,775,081	183,286,159,311
अनुसूची XIV: अन्य आय:		
1. निवेशों की बिक्री/पुनर्मूल्यांकन पर निवल लाभ	356,556,159	1,065,002,196
2. भूमि, भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री पर निवल लाभ	2,968,781	433,511
3. अन्य	16,869,615	150,732,048
	376,394,555	1,216,167,755

टिप्पणी: 'देयताओं' के अंतर्गत जमाओं [अनुसूची IV (क) देखिए] में 1.75 मिलियन यूएस डॉलर की 'ऑन शोर' विदेशी मुद्रा जमा राशियां (गत वर्ष 3.36 मिलियन यूएस डॉलर) शामिल हैं जो प्रतिपक्षी पार्टी बैंकों/संस्थाओं द्वारा एक्जिम बैंक के पास रेसीप्रोकल रुपया जमा/बॉन्डों के पेटे रखी गई हैं।

'आस्तियों' के अंतर्गत निवेश में [संदर्भ अनुसूची VII 4 देखिए] कुल ₹ 76.30 मिलियन की बॉन्ड राशि (गत वर्ष ₹ 152.10 मिलियन) शामिल है, जो स्वॉप्स के कारण है।

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

	राशि ₹ में	
	31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष
परिचालनगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ/(हानि) और असाधारण मर्दे	55,952,240,461	42,972,679,256
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(2,968,781)	(433,511)
- निवेशों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल)	(356,556,159)	(1,065,002,196)
- मूल्यहास	712,014,638	574,829,343
- बट्टे में डाले गए बॉन्ड निर्गमों पर छूट/व्यय	89,987,791	151,571,641
- निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित लेखे से अंतर	-	-
- ऋणों/निवेशों एवं अन्य प्रावधानों के लिए प्रावधान/बट्टे खाते डालना	(6,056,935,127)	(5,321,159,758)
- अन्य-उल्लेख करें	(556,301)	102,860
	50,337,226,523	37,312,587,636
निम्नलिखित के लिए समायोजन:		
- अन्य आस्तियां	(23,422,445,368)	(5,746,574,043)
- चालू देयताएं	42,092,982,608	(11,575,273,518)
परिचालनों से नकदी निर्माण	69,007,763,762	19,990,740,074
आय कर/ब्याज कर का भुगतान	(11,962,456,243)	(2,408,656,782)
परिचालनगत कार्यकलापों से निवल नकदी प्रवाह (क)	57,045,307,519	17,582,083,292
निवेशगत कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- अचल आस्तियों की निवल खरीद	(656,443,510)	(340,347,952)
- निवेशों में निवल परिवर्तन	(51,132,471,614)	7,186,759,010
निवेशगत कार्यकलापों में उपयोग की गयी/से अर्जित निवल नकदी (ख)	(51,788,915,124)	6,846,411,057
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
- प्राप्त इक्विटी पूँजी	-	-
- लिए गए ऋण (चुकोती घटाकर)	260,942,420,496	245,343,346,474
- दिए गए ऋण, बिलों की भुनाई और पुनर्भुनाई (प्राप्त चुकोती घटाकर)	(220,399,653,776)	(281,368,015,998)
- इक्विटी शेयरों पर लाभांश तथा लाभांश पर कर (केन्द्र सरकार को अंतरित निवल लाभ अधिशेष)	(3,250,000,000)	(2,520,000,000)
वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त/से अर्जित निवल नकदी प्रवाह (ग)	37,292,766,720	(38,544,669,524)
नकदी और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(गिरावट) (क+ख+ग)	42,549,159,115	(14,116,175,175)
प्रारंभिक नकदी एवं समतुल्य	70,582,318,978	84,698,494,154
अंतिम नकदी एवं समतुल्य	113,131,478,093	70,582,318,978

लेखों पर टिप्पणियां संलग्न हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां एवं लेखों पर टिप्पणियां

I. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(i) समेकित वित्तीय विवरण

क) तैयारी का आधार

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) का समेकित तुलन पत्र तथा लाभ और हानि लेखा, भारत में प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों और एक्जिम बैंक के स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएफसी प्राइवेट लिमिटेड पर लागू अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुरूप तैयार किए गए हैं। समेकित वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ऐतिहासिक लागत पद्धति के तहत तैयार किए गए हैं। बैंक द्वारा अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लेखांकन से संबंधित लेखांकन नीति में निम्नलिखित परिवर्तन के अलावा गत वर्ष प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों के अनुरूप हैं।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान, बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के 26 जून, 2019 के परिपत्र संख्या 222 के आधार पर संशोधित आईसीएआई मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) के अनुरूप, 30 सितंबर, 2025 से पूर्ववर्ती उपचय लेखांकन को ब्याज दर स्वैप (आईआरएस) के लिए उचित मूल्य हेज लेखांकन और पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस) के लिए उचित मूल्यांकन लेखांकन पद्धति में बदल लिया है। 26 जून, 2019 को या उसके बाद निष्पादित किए गए कॉन्ट्रैक्टों को संशोधित लेखांकन नीति के अंतर्गत लाया गया। वहीं, 26 जून, 2019 से पहले के कॉन्ट्रैक्ट उपचय पद्धति के अंतर्गत ही रखे गए। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप ₹ 3,123 मिलियन (करोड़ का निवल) का निवल ऋणात्मक समायोजन हुआ। इसे आईसीएआई मार्गदर्शन नोट के पैरा 71 के अनुसार आरक्षित निधि खाते में डेबिट किया गया।

यथा 31 मार्च, 2026 को इस परिवर्तन के बाद उक्त सभी डेरिवेटिव्स के लेखांकन के ₹ 2,577 मिलियन के निवल प्रभाव की राशि लाभ एवं हानि खाते में क्रेडिट कर दी गई है। आईआरएस को हिसाब में लेते हुए, पांच डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लिए उचित मूल्य हेज के स्थान पर उचित मूल्य लेखांकन पद्धति अपनाई गई। इसके अलावा, लंबित सीसीआईआरएस कॉन्ट्रैक्टों के संबंध में बैंक ने उचित मूल्य हेज लेखांकन के स्थान पर उचित मूल्यांकन लेखांकन पद्धति अपनाने का विकल्प चुना है।

एक्जिम बैंक के तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते के प्रारूप तथा उनकी पद्धतियां भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39(2) के अंतर्गत भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक (सामान्य) विनियम, 2020 में प्रदान की गई हैं। कतिपय महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात / आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 28 नवंबर, 2025 के मास्टर निदेश डीओआर. एसीसी.आरईसी. सं. 253/21.04. 018/2025-26 के अनुसार प्रकट किए गए हैं।

ख) आकलन का प्रयोग

समेकित वित्तीय विवरणों को स्वीकृत मानक लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है और इन्हें तैयार करने के लिए प्रबंधन को वित्तीय विवरणों और रिपोर्ट की जाने वाली अवधि तक के लिए आय एवं व्यय की तारीख को आस्तियों, देयताओं और प्रावधानों (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि में कुछ आकलन और पूर्वानुमान करने पड़ते हैं। समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए ये आकलन प्रबंधन की राय में विवेकसम्मत और तार्किक हैं। इस प्रकार के आकलन में कोई भी संशोधन निर्धारित की गई अवधि में हिसाब में लिए जाते हैं।

ग) समेकन प्रक्रियाएं

समेकित वित्तीय विवरणों में बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएफसी प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। समूह (सहायक कंपनी सहित) के समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. एक्जिम बैंक (मूल संस्था) के लेखे

ख. सहायक कंपनी की आस्ति, देयता, आय और व्यय की प्रत्येक मद का एकीकरण, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण अंतर-समूह ट्रांज़ैक्शनों और जमाओं, तथा अप्राप्त लाभ/हानि को हटाने के बाद, मूल संस्था की समान मदों से किया जाता है।

ग. मूल संस्था और सहायक कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, इन्हें मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के क्रम में, सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को आवश्यकता और व्यवहार्यता के अनुसार समायोजित किया गया है।

(iii) राजस्व की गणना

क) अनर्जक आस्तियों/अनर्जक निवेशों और दबावग्रस्त आस्तियों, रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत ऋणों पर ब्याज, केंद्र सरकार द्वारा गारंटीत ऋणों, जिनमें 90 दिन से अधिक का अतिदेय है, शुल्क आय, कमीशन, वचनबद्धता प्रभार और लाभांश जिन्हें नकदी आधार पर हिसाब में लिया जाता है, को छोड़कर आय/व्यय का निर्धारण उपचय आधार पर किया गया है। अनर्जक आस्तियों का निर्धारण अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है। एक्जिम बैंक के बॉन्डों पर दिया जाने वाला डिस्काउंट/मोचन प्रीमियम बॉन्ड की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है और ब्याज व्यय में शामिल किया गया है।

ख) इंडिया एक्जिम फिनसर्व : आय/व्यय का निर्धारण, लाभांश और नकद आधार पर लेखाबद्ध निवेशों के निपटान पर लाभ/हानि को छोड़कर, उपचय आधार पर किया जाता है। आपूर्तिकर्ताओं को वित्तपोषण संबंधी ब्याज आय और सुविधा शुल्क को आपूर्तिकर्ताओं को संवितरण/इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है। यदि इनवॉइस प्रबंधन शुल्क में छूट नहीं दी गई है, तो इसे इनवॉइस की डिस्काउंटिंग के समय हिसाब में लिया जाता है।

(iii) आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण

क) तुलन पत्र में दर्शायी गई ऋण और अग्रिम राशियों में अनर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को घटाकर सिर्फ मूलधन बकाया राशियां शामिल हैं। प्राप्य ब्याज को “अन्य आस्तियों” में समूहित किया गया है।

ऋण चुकौती और वसूली हेतु कोलैटरल सिक्योरिटी पर निर्भरता के अनुसार ऋण आस्तियों को निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया गया है: मानक आस्तियां, अवमानक आस्तियां, संदिग्ध आस्तियां और हानि आस्तियां। ऋण आस्तियों का वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को जारी किए गए निर्देशों / दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

ख) फैक्ट्रिंग के अंतर्गत इंडिया एक्जिम फिनसर्व द्वारा अधिग्रहीत रिसीवेबल के मामले में, देय तिथि तक भुगतान न होने पर उसे अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है, फिर चाहे वह रिसीवेबल कभी भी अधिग्रहीत किए गए हों या फैक्ट्रिंग को “रिकोर्स” अथवा “नॉन-रिकोर्स” किसी भी आधार पर की गई। आईएफएससीए दिशानिर्देशों के अनुसार, देय तिथि, भुगतान के लिए विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से 90 दिन मानी जाती है। प्रावधान, उपयोग में क्लोजिंग फंड (एफआईयू) के संबंध में विनियामकीय प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर किए जाते हैं।

(iv) निवेश

संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- (क) “परिपक्वता तक धारित”(परिपक्वता तक रखने के इरादे से अर्जित प्रतिभूतियां),
- (ख) “क्रय-विक्रय के लिए धारित” (प्रतिभूतियां इस इरादे से अर्जित की जाती हैं कि अल्पावधि मूल्य/ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ावों आदि का लाभ उठाकर उनका क्रय-विक्रय किया जाए) और
- (ग) “बिक्री के लिए उपलब्ध” (शेष निवेश)।

निवेशों को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है:

- i) सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश
- ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश
- iii) शेयर
- iv) डिबेंचर और बॉन्ड में निवेश
- v) सहायक कंपनियों/संयुक्त उपक्रमों में निवेश
- vi) अन्य (वाणिज्यिक-पत्र, म्युचुअल फंड इकाइयों आदि में) निवेश

निवेशों के विभिन्न लिखतों का वर्गीकरण, श्रेणीकरण, श्रेणियों के बीच परिवर्तन, मूल्य निर्धारण और निवेशों का प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार किया गया है।

(v) अचल आस्तियां तथा मूल्यहास

(क) अचल आस्तियों को परंपरागत लागत में से संचित मूल्यहास घटाकर दर्शाया गया है।

(ख) मूल्यहास का प्रावधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर निम्नलिखित दरों पर किया गया है:

आस्ति	मूल्यहास दर
स्वामित्व वाले भवन	5%
फर्नीचर एवं फिक्सचर	25%
कार्यालय उपकरण	25%
अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	25%
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25%
मोटर वाहन	25%
कम्प्यूटरों व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर मूल्यहास, प्रौद्योगिकी के पुराने होने के आधार पर लिया गया है	प्रथम दो वर्षों के लिए 33.33%, तीसरे वर्ष में 33.34%
मोबाइल फोन	50%

(ग) वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियों के संबंध में, मूल्यहास खरीद वर्ष में समूचे वर्ष के लिए प्रदान किया गया है तथा वर्ष के दौरान बेची गई आस्तियों के संबंध में बिक्री वर्ष में कोई मूल्यहास नहीं किया गया है। तथापि, इंडिया एक्जिम फिनसर्व के संबंध में मूल्यहास तब शुरू होता है, जब किसी आस्ति को उपयोग में लिया जाना शुरू किया जाता है, किसी आस्ति का अवशिष्ट मूल्य, उसके मूल मूल्य से 5% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि उच्चतर मूल्य को तकनीकी रूप से अन्यथा तर्कसंगत न ठहराया जाए, और यदि किसी आस्ति का निपटान किया गया है या बाहर किया गया है, तो मूल्यहास की गणना उस निपटान अथवा बाहर किए जाने की तिथि तक की गई है।

(घ) जहां किसी अवक्षयी आस्ति का निपटान कर दिया गया है, त्याग दिया गया है, ढहा दिया गया है अथवा नष्ट कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में निवल अधिशेष या कमी को लाभ और हानि लेखे में समायोजित किया गया है।

(vi) हास

आस्तियों के रख-रखाव की राशि को हर तुलन पत्र की तारीख को आंतरिक अथवा बाह्य कारणों से आस्ति के मूल्य में हुए हास के लिए प्रावधान अथवा गत अवधियों में हुई हास हानियों यथा लागू प्रावधानों को रिवर्स करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है। हास हानि तब होती है जब किसी आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है।

(vii) विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए लेखांकन

(क) विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित विनिमय दर पर अंतरित किया गया है।

(ख) आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान विनिमय की औसत दरों पर अंतरित किया गया है।

(ग) बकाया विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को निर्दिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है तथा इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया गया है।

(घ) गारंटियों, स्वीकृतियों, परांकों तथा अन्य दायित्वों के संबंध में आकस्मिक देयताओं को वर्ष के अंत में फेडाई द्वारा अधिसूचित विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।

(ङ) आईएफएससीए विनियमावली के अनुसार इंडिया एक्जिम फिनसर्व की रिपोर्टिंग मुद्रा यूएस डॉलर है। रुपये में किए गए सांविधिक और प्रशासनिक भुगतानों को फेडाई द्वारा प्रकाशित पूर्ववर्ती सप्ताह की साप्ताहिक औसतन विनिमय दर का उपयोग करके यूएस डॉलर में परिवर्तित किया जाता है। वेंडर के भुगतान और स्टाफ के वेतन पर टीडीएस की कटौती के चलते आस्तियों और देयताओं को भुगतान के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स किया जाता है। व्यय, पूर्वदत्त व्यय और फुटकर राशि के संबंध में प्रावधान क्रमशः प्रावधानीकरण, भुगतान या आहरण के समय इस्तेमाल की गई विनिमय दर पर रिवर्स/हिसाब में लिया जाता है। यदि लेखांकन अवधि समाप्त होने बाद भुगतान किया जाता है या प्रावधान रिवर्स किया जाता है, तो उन्हें लेन-देन की तिथि को मौजूदा विनिमय दर पर हिसाब में लिया जाता है।

(viii) गारंटियां

ईसीजीसी पॉलिसियों के अधीन अरक्षित खण्ड के लिए गारंटियों का प्रावधान परियोजनाओं के पूरे होने तक संभावित हानियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

(ix) डेरिवेटिव

बैंक अपनी तुलन पत्र/तुलन पत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) आस्तियों और देयताओं की हेजिंग के लिए ब्याज दर स्वॉप, करंसी स्वॉप, अंतर करंसी ब्याज दर स्वॉप तथा वायदा दर करार जैसी डेरिवेटिव संविदाएं करता है। ऑन-बैलेंस शीट आस्तियों/देयताओं की हेजिंग के लिए ये स्वॉप संविदाएं इस प्रकार की जाती हैं कि अंतर्निहित ऑन-बैलेंस शीट मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रतिसंतुलनकारी हो। इन डेरिवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों/देयताओं के क्रय-विक्रय से संबंधित होता है। वर्ष की समाप्ति पर बकाया स्वॉप संविदाओं का मूलधन हिस्सा फेड़ाई विनिमय दरों की क्लोजिंग के आधार पर होता है। बैंक, अपनी जोखिम प्रबंधन रणनीति के अंतर्गत, तुलन पत्र में हिसाब में ली गई अपनी कुछ आस्तियों या देयताओं में निहित जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव इन्सट्रूमेंट्स का उपयोग करता है। बैंक हेज की जाने वाली मद (आस्ति या देयता) को लेने-देने की शुरुआत में ही चिह्नित करता है। हेज की प्रभावशीलता का आकलन हेज की शुरुआत के समय और इसके बाद प्रत्येक रिपोर्टिंग की तिथि पर किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 26 जून, 2019 को जारी परिपत्र के आधार पर, 26 जून, 2019 के बाद के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों का लेखांकन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों के लेखांकन संबंधी मार्गदर्शन नोट (संशोधित 2021) के अनुरूप किया जाता है। इसके अलावा, उक्त तिथि से पहले हेज संबंधों के अंतर्गत आने वाले डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों का लेखांकन उपचय आधार पर किया जाता है तथा उन्हें तब तक मार्क-टू-मार्केट नहीं किया जाता है, जब तक कि उनके अंतर्निहित लेन-देन मार्क-टू-मार्केट न किए गए हों। यथा तुलन पत्र की तारीख को बकाया डेरिवेटिव संविदाओं से संबंधित गुणात्मक और मात्रात्मक प्रकटीकरणों को अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आरबीआई के मास्टर निदेश के अनुसार 'लेखों पर टिप्पणियां' में रिपोर्ट किया जाता है।

(x) कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

क) परिभाषित अंशदान योजना: बैंक अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि और 01 अप्रैल, 2010 को या उसके बाद जॉइन होने वाले कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस - कॉर्पोरेट मॉडल) में अंशदान देता है। अंशदानों को उपचय आधार पर लाभ-हानि खाते में लिया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ एवं अन्य दीर्घावधि योजनाएं: ग्रेच्युटी, पेंशन (31 मार्च, 2010 को या इसके पहले जॉइन करने वाले पात्र अधिकारियों के लिए) तथा छुट्टी नकदीकरण का निर्धारण प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति के आधार पर किया जाता है। उपचित लाभ या हानि को उपचित आधार पर लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया जाता है।

(xi) आय पर करों का लेखांकन

- (क) संबंधित संविधि के अधीन भुगतान योग्य कर के अनुसार वर्तमान कर के लिए प्रावधान किया गया है।
- (ख) कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच समय अंतर की दृष्टि से आस्थगित कर की गणना विद्यमान कर दरों पर तथा अधिनियमित विधि अथवा तुलन पत्र की सम दिनांक को प्रमुखतः अधिनियमित विधि के अनुसार की गई है। आस्थगित कर आस्तियों को केवल उसी सीमा तक हिसाब में लिया गया है जिस सीमा तक उनकी वसूली की समुचित निश्चितता है।
- (ग) इंडिया एक्जिम फिनसर्व गिफ्ट आईएफएससी में परिचालनरत है। इसलिए यह कुल पच्चीस में से बीस वर्षों की छूट के लिए पात्र है। कर से छूट की अवधि के दौरान रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को सकल कुल आय के लिए हिसाब में नहीं लिया जाता है, क्योंकि यह कर से छूट की अवधि के दौरान कटौती के अध्यधीन होता है। कर से छूट की अवधि के बाद रिवर्स किए जाने वाले समय अंतर पर आस्थगित कर को उस वर्ष हिसाब में लिया जाता है, जिस वर्ष समय अंतर उत्पन्न हुए हों। पहले उत्पन्न होने वाले समय अंतर को पहले रिवर्स किया जाता है।

(xii) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं तथा आकस्मिक आस्तियां

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक 29 - 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां' के अनुसार, बैंक प्रावधानों को केवल तभी हिसाब में लेता है, जब वर्तमान दायित्व किसी विगत घटना का परिणाम हो। हालांकि यह संभव है कि इस दायित्व से उपजे आर्थिक भार संबंधी राशि का भुगतान दायित्व की राशि के सही आकलन के निर्धारण के बाद किया जाए।

आकस्मिक देयताएं तभी प्रकट की जाती हैं, जब आर्थिक लाभ संबंधी राशि का भुगतान किए जाने की कुछ न कुछ संभावना अवश्य हो।

आकस्मिक आस्तियों को न ही हिसाब में लिया जाता है तथा न ही उन्हें वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

II. समेकित लेखों पर टिप्पणियां

1. एजेंसी लेखा

चूंकि एक्जिम बैंक इराक में भारतीय कॉन्ट्रैक्टरों से संबंधित कतिपय सौदों को सुगम बनाने के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है, अतएव भारत सरकार को समनुदेशित ₹ 58,896.47 मिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 58,083.52 मिलियन) सहित बैंक को सूचित एजेंसी खाते में धारित ₹ 65,178.92 मिलियन की (गत वर्ष ₹ 58,745.91 मिलियन) समतुल्य राशि की विदेशी मुद्रा की प्राप्य राशियां उपर्युक्त तुलन पत्र में शामिल नहीं की गई हैं।

2. (क) आकस्मिक देयताएं

गारंटियों में ₹ 585.67 मिलियन की समाप्त हो चुकी गारंटियां शामिल हैं (गत वर्ष ₹ 4,067.47 मिलियन), जिन्हें बहियों में निरस्त करना शेष है।

(ख) दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है

आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत “बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है” के रूप में दिखाई गई ₹ 4,504 मिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 3,612 मिलियन) अधिकांशतः बैंक के चूककर्ता उधारकर्ताओं के विरुद्ध बैंक द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई के जवाब में उन उधारकर्ताओं द्वारा बैंक के विरुद्ध दायर किए गए दावों/प्रतिदावों से संबंधित है। बैंक के सॉलिसिटर्स की राय में कोई भी दावा/प्रतिदावा रखने योग्य नहीं है तथा कोई भी मामला अभी तक अंतिम सुनवाई तक नहीं पहुंचा है; अतः विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर इस संबंध में कोई प्रावधान आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) आयकर के चलते आकस्मिक देयता

विभिन्न निर्णयन प्राधिकारियों के समक्ष लंबित विवादित आयकर मामलों के चलते ₹ 656.21 मिलियन की राशि को आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया गया है (गत वर्ष ₹ 889.56 मिलियन), जिनके बैंक के मूल्यांकन में देयता में फलीभूत होने की संभावना कम है और इनके एवज में ₹ 1,548.94 मिलियन का अतिरिक्त कर प्रावधान (गत वर्ष ₹ 1,531.77 मिलियन) है। तदनुसार, समग्र रूप से, आयकर के चलते कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

(घ) वायदा विनिमय संविदाएं, मुद्रा/ब्याज दर स्वाप

(i) यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की पूर्ण हेजिंग की गई है। बैंक, आस्ति-देयता प्रबंधन के प्रयोजनार्थ डेरिवेटिव संव्यवहार (ब्याज दर स्वाप, वायदा दर करार तथा मुद्रा-सह-ब्याज दर स्वाप) करता है। बैंक अपनी आवश्यकताओं तथा बाजार स्थितियों के आधार पर ऐसे सौदे करता है और आवश्यकता पड़ने पर उनका निपटान भी करता है। ऐसे बकाया डेरिवेटिव संव्यवहारों को संरचित लिक्विडिटी स्थिति में हिसाब में लिया जाता है, जिन पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा इस स्थिति की निगरानी की जाती है और निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। डेरिवेटिव के ऋण समतुल्य की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ‘वर्तमान एक्सपोजर’ पद्धति के अनुसार की जाती है। डेरिवेटिव के आधार बिंदु (पीवी 01) के फेयर वैल्यू तथा प्राइस वैल्यू को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार ‘लेखों पर टिप्पणियों’ में अलग से प्रकट किया गया है। वायदा दर संविदाओं से होने वाले लाभ या हानि को संविदा की पूरी अवधि के लिए परिशोधित किया गया है। वायदा विनिमय संविदाओं के निरस्तीकरण से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को वर्ष के लिए आय/व्यय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

(ii) बैंक को एफएक्स स्वाप, मुद्रा स्वाप और विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वाप में बिना किसी परिपक्वता समय या मुद्रा प्रतिबंधों के ‘मार्केट मेकर’ की भूमिका निभाने की अनुमति प्राप्त है।

(ङ) मुद्रा विनिमय दर के उतार-चढ़ाव पर लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा में उल्लिखित आस्तियों तथा देयताओं को वर्ष के अंत में भारतीय विदेशी मुद्रा डीलर संघ (फेडाई) द्वारा अधिसूचित दरों पर अंतरित किया जाता है। आय तथा व्यय मदों को वर्ष के दौरान औसत विनिमय दर पर अंतरित किया जाता है। चालू वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा परिचालनों से अर्जित आय के इस प्रकार के अंतरण पर सांकेतिक लाभ ₹ 2,094.95 मिलियन है (गत वर्ष ₹ 183.97 मिलियन)।

3. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान देय तिथि से 45 दिन बाद संबंधी कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

4. पूँजी

4.1 यथा 31 मार्च, 2026 को बासल III पूँजी ढांचे के अंतर्गत स्तंभ 3 प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) – पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 (संदर्भ सं. आरबीआई/डीओर 2025-26/321 डीओआर.सीएपी.आरईसी.240/21-01-002/2025-26), दिनांकित 28 नवंबर, 2025 जारी किया है, जो भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) सहित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं पर लागू है। यह निदेश जारी होने के तुरंत बाद हो गया। पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क के तीन स्तंभ हैं:

स्तंभ 1: ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम के लिए न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकताएं

स्तंभ 2: पूँजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा

स्तंभ 3: बाजार अनुशासन

बाजार अनुशासन (स्तंभ 3) में बैंक की पूँजी पर्याप्तता और जोखिम प्रबंधन ढांचे संबंधी प्रकटीकरण शामिल हैं। ये प्रकटीकरण निम्नलिखित खंडों में नीचे दिए गए हैं।

सारणी डीएफ -1: कार्यान्वयन क्षेत्र

समूह के प्रमुख का नाम जिस पर यह ढांचा लागू होता है - भारतीय निर्यात-आयात बैंक

भारतीय निर्यात आयात बैंक ('बैंक') भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के तहत स्थापित एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (एआईएफआई) है। बैंक अपनी सभी समूह संस्थाओं के लिए एक नियंत्रक संस्था है, जिसमें वर्तमान में पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी शामिल है। बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में भारतीय निर्यात-आयात बैंक और इसके पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी 'इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड' के वित्तीय विवरण शामिल हैं, जो साथ मिलकर 'समूह' कहलाते हैं। बैंक के समेकित वित्तीय विवरण भारत में अपनाए गए लेखांकन सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने का प्रारूप और पद्धति भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 39 (2) के तहत भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित भारतीय निर्यात-आयात बैंक, सामान्य विनियम, 2020 में निर्धारित है। समेकित वित्तीय विवरण (जिसमें एक सहायक कंपनी शामिल है) निम्नलिखित के आधार पर तैयार किए गए हैं:

क. एक्जिम बैंक (मूल संस्था) के लेखे

ख. सहायक कंपनी की आस्ति, देयता, आय और व्यय की प्रत्येक मद का अक्षरशः समेकन, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार सभी महत्वपूर्ण अंतः समूह ट्रांज़ैक्शनों और जमा राशियों, तथा अप्राप्त लाभ/हानि को निकालने के बाद मूल संस्था की संबंधित मदों के साथ किया गया है।

ग. मूल संस्था और सहायक कंपनी के बीच लेखांकन नीतियों में अंतर के मामले में, लेखों को मूल संस्था की लेखांकन नीतियों के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यकता और व्यावहारिकता अनुसार सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों को समायोजित किया गया है।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

क. समेकन कार्य में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ (निगमन का देश)	क्या संस्था को समेकन के लेखांकन दायरे में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन पद्धति का विवरण	क्या संस्था को समेकन के विनियामकीय दायरे में शामिल किया गया है (हां/नहीं)	समेकन पद्धति का विवरण	समेकन पद्धति में अंतर के कारणों का स्पष्टीकरण	समेकन के दायरे में समेकित होने के कारणों का स्पष्टीकरण
इंडिया एक्जिम फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड /भारत	हां	लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार समेकित	हां	लेखांकन मानक (एएस) 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

ख. लेखांकन और समेकन के विनियामकीय दायरे के अंतर्गत समेकन कार्य में शामिल नहीं की गई समूह संस्थाओं की सूची

संस्था का नाम/ (निगमन का देश)	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में एआईएफआई की धारित राशि का %	संस्था की पूँजी लिखतों में एआईएफआई के निवेशों का विनियामकीय ट्रीटमेंट	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी कोई समूह संस्थाएं नहीं हैं, जिन्हें समेकन के लेखांकन कार्यान्वयन क्षेत्र और समेकन के विनियामकीय दायरे, दोनों के अंतर्गत समेकन कार्य में शामिल नहीं किया गया हो।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ग. समेकन कार्य में शामिल की गई समूह संस्थाओं की सूची

(₹ मिलियन)

संस्था का नाम /निगमन का देश (उक्त (क) में निर्दिष्ट अनुसार)	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)	तुलन पत्र की कुल आस्तियां (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है)
इंडिया एक्विजिशन फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड /भारत	फैक्टरिंग, फॉरफेटिंग के माध्यम से व्यापार वित्त; ऋणों, प्रतिबद्धताओं और गारंटियों के जरिए वित्तीय सहायता, ऋण वृद्धि, प्रतिभूतिकरण, वित्तीय लीज और पोर्टफोलियो की बिक्री और खरीद	950.74	1,459.67

घ. सभी सहायक कंपनियों में पूँजी कमियों की कुल राशि, जिन्हें समेकन के विनियामकीय कार्यान्वयन क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है अर्थात जिन्हें घटा दिया जाता है

सहायक कंपनियों का नाम/निगमन का देश	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है) (₹ मिलियन)	कुल इक्विटी में एआईएफआई की धारित राशि का %	पूँजी में कमियां
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी किसी भी सहायक कंपनी में पूँजी की कोई कमी नहीं है, जो समेकन के विनियामकीय दायरे में शामिल नहीं है।

ड. बीमा संस्थाओं में एआईएफआई के ब्याज की जोखिम भारित कुल राशि (जैसे, वर्तमान बही मूल्य)

बीमा संस्थाओं का नाम/निगमन का देश	संस्था के प्रमुख क्रियाकलाप	तुलन पत्र की कुल इक्विटी (जैसा कि विधिक संस्था के लेखांकन तुलन पत्र में उल्लिखित है) (₹ मिलियन)	कुल इक्विटी/ वोटिंग पावर के अनुपात में एआईएफआई की धारित राशि का %	विनियामकीय पूँजी पर जोखिम भारण विधि की तुलना में पूर्ण कटौती विधि का प्रयोग करने का मात्रात्मक प्रभाव
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

ऐसी कोई समूह संस्थाएं नहीं हैं जो बीमा व्यवसाय में हैं और जो जोखिम भारित हैं।

च. समूह के भीतर निधियों या विनियामकीय पूँजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधा

सहायक कंपनी का नाम	प्रतिबंध
इंडिया एक्जिम फिनसर्व	मूल संस्था को पूँजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश का भुगतान करना या शेयर वापस खरीदना है। कंपनी के संस्थागत अंतर्नियमों के अनुसार निधियों के अंतरण अथवा विनियामकीय पूँजी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पुनर्खरीद, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 से 70 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अधीन होगी।
आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड	सहायक कंपनी में कोई भी अतिरिक्त निवेश या अग्रिम, लागू विनियामकीय प्रावधानों, या समय-समय पर आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों से शासित होंगे।
	इसके अलावा, निधियों का अंतरण और विनियामकीय पूँजी संबंधित देशों के लागू स्थानीय कानूनों और विनियमों के अधीन होगी।

सारणी डीएफ -2: पूँजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) पूँजी पर्याप्तता के आकलन के प्रति दृष्टिकोण

एक्जिम बैंक (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) अपने व्यवसायों में जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विनियामकीय मानदंडों, व्यवसाय संबंधी वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पूँजी रखता है। बैंक के पास अपने जोखिम प्रोफाइल के संबंध में अपनी पूँजी पर्याप्तता का आकलन करने और निरंतर आधार पर इसकी निगरानी करने के लिए एक व्यापक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया यह आश्वस्त करती है कि बैंक के पास अपने व्यवसाय में निहित सभी जोखिमों से निपटने के लिए पर्याप्त पूँजी है।

विनियामकीय पूँजी अनिवार्य पूँजी है जिसे बासल III पूँजी पर्याप्तता मास्टर निदेश के अनुरूप रखा जाना आवश्यक है। बैंक वार्षिक आधार पर आयोजित आंतरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएपी) के माध्यम से अपने जोखिम प्रोफाइल का व्यापक मूल्यांकन करता है, जो विनियामकीय मानदंडों, वर्तमान और भावी व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक के लिए आवश्यक पूँजी के पर्याप्त स्तर को निर्धारित करता है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित दबाव परीक्षण नीति लागू की है, जो बैंक के आईसीएपी का एक अभिन्न हिस्सा है। दबाव परीक्षण में गंभीर लेकिन दबावग्रस्त व्यावसायिक स्थितियों के लिए बैंक की संभावित भेद्यता का आकलन करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग शामिल है। दबाव परीक्षण का उपयोग आईसीएपी में पूँजी नियोजन के उद्देश्य से बैंक की व्यावसायिक योजनाओं के संयोजन के साथ इसकी मध्यम अवधि व्यवसाय रणनीति (एमटीबीएस) के अनुसार किया जाता है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम वहन क्षमता नीति भी लागू है।

बैंक के निदेशक मंडल द्वारा बैंक के पूँजी पर्याप्तता स्तरों की सक्रियता से निगरानी की जाती है। इसके अलावा, आईसीएपी एक वार्षिक प्रक्रिया है, जिसके जरिए बोर्ड के लिए बैंक की पूँजी पर्याप्तता स्थिति का आकलन किया जाता है और यह प्रक्रिया निगरानी के लिए एक तंत्र के रूप में भी कार्य करती है। बैंक ने आईसीएपी फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2029 तक का पूँजी मूल्यांकन कर लिया है। आईसीएपी में पूँजी नियोजन प्रक्रिया का विवरण होता है और इसमें निम्नलिखित प्रमुख जोखिमों के माप, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजीगत आवश्यकता और दबाव परीक्षण को कवर किया जाता है: (i) ऋण जोखिम (ii) बाजार जोखिम (iii) परिचालनगत जोखिम (iv) लिक्विडिटी जोखिम (v) बैंक बही में ब्याज दर जोखिम (vi) ऋण जोखिम न्यूनीकरण उपायों से बचे हुए जोखिम (vii) ऋण संकेन्द्रण जोखिम (viii) देशगत जोखिम (ix) अनुपालन जोखिम (x) व्यवसाय एवं रणनीतिक जोखिम (xii) मॉडल जोखिम (xii) प्रतिष्ठात्मक जोखिम (xiii) ईएसजी जोखिम (xiv) निपटान जोखिम और (xv) साइबर सुरक्षा/आईटी अवसंरचना जोखिम।

बैंक ने अपने सभी प्रमुख जोखिमों का जोखिम मूल्यांकन किया है और इसे मात्रात्मक या गुणात्मक रूप से उजागर किया है। बैंक ने चिह्नित जोखिमों के लिए आईसीएपी में मूल्यांकन पद्धतियों के अनुसार अतिरिक्त पूँजी आवश्यकताओं की गणना की है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

स्तंभ 1 जोखिम मूल्यांकन के लिए बैंक ने आरबीआई मास्टर निदेशों के अनुसार पूँजी की गणना के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए हैं:

- 1) ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण
- 2) बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि प्रक्रिया
- 3) परिचालनगत जोखिम के लिए बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण

ऋण, बाजार और परिचालन जोखिम के लिए बैंक की पूँजीगत आवश्यकता की गणना जोखिम भारित आस्तियों की 9% की न्यूनतम पूँजीगत आवश्यकता के अनुसार की जाती है। यथा 31 मार्च, 2026 तक ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम और पूँजी पर्याप्तता अनुपात के लिए पूँजीगत आवश्यकता का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार रहा:

क्रमांक	मद	राशि ₹ मिलियन में 31 मार्च, 2026
(ख)	ऋण जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी	84,177.03
	• मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यक्षीन पोर्टफोलियो	84,177.03
	• प्रतिभूतिकरण जोखिम	-
(ग)	बाजार जोखिम के लिए आवश्यक पूँजी	5,720.45
	• मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
	- ब्याज दर जोखिम	4,135.06
	- विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम (स्वर्ण सहित)	1,012.50
	- इक्विटी जोखिम	572.90
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूँजीगत आवश्यकताएं	6,898.71
	• मूल संकेतक दृष्टिकोण	6,898.71
(ङ)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी	
	• समूह	
	- सीईटी 1 पूँजी	269,363.65
	- टियर 1 पूँजी	269,363.65
	- टियर 2 पूँजी	14,488.12
	- कुल पूँजी	283,851.77
	• एकल	
	- सीईटी 1 पूँजी	268,496.04
	- टियर 1 पूँजी	268,496.04
	- टियर 2 पूँजी	14,484.70
	- कुल पूँजी	282,980.74
(च)	सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 एवं कुल पूँजी अनुपात:	
	• समूह सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	25.04%
	- टियर 1 अनुपात	25.04%
	- टियर 2 अनुपात	1.35%
	- सीआरएआर	26.39%
	• एकल सीआरएआर	
	- सीईटी 1 अनुपात	24.99%
	- टियर 1 अनुपात	24.99%
	- टियर 2 अनुपात	1.35%
	- सीआरएआर	26.34%

जोखिम एक्सपोजर एवं मूल्यांकन

संगठन संरचना

बैंक-व्यापी जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन तथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत जोखिम से संबंधित एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए नीति और रणनीति के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का है। इसके साथ ही यह समिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को), ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) और परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) के परिचालनों का भी पर्यवेक्षण करती है। बैंक में एक व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली है और एक अलग जोखिम प्रबंधन समूह है, जिसका नेतृत्व मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा किया जाता है और वह आरएमसी को रिपोर्ट करते हैं।

एल्को, आस्ति-देयता प्रबंधन, लिक्विडिटी जोखिम और ब्याज दर जोखिम, विनिमय दर जोखिम जैसे विभिन्न बाजार जोखिमों का प्रबंधन करती है। सीआरएमसी बैंक-व्यापी आधार पर ऋण जोखिमों के प्रबंधन और नियंत्रण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। ओआरएमसी बैंक में परिचालन संबंधी जोखिम घटनाओं की समीक्षा करती है और पुनः ऐसा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुति करती है। साथ ही, यह बैंक की आईटी आस्तियों से संबंधित/ उत्पन्न होने वाले परिचालनगत जोखिमों को चिह्नित करने, उनका मूल्यांकन करने और अथवा मापने, निगरानी करने और नियंत्रण करने/ जोखिमों को कम करने का काम भी करती है। बैंक अपने कार्यालयों की व्यवसाय निरंतरता और आपदा रिकवरी योजनाओं की वार्षिक समीक्षा भी करता है। आरएमजी के तहत अलग से एक सूचना सुरक्षा इकाई है, जिसका नेतृत्व मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। इनके पास बैंक की सूचना प्रणाली की समग्र सुरक्षा और नियंत्रण की देखरेख और प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। सूचना सुरक्षा क्षेत्र में, सूचना सुरक्षा समिति, बैंक के साइबर/सूचना सुरक्षा क्रियाकलापों का प्रबंधन करती है।

सारणी डीएफ -3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) अनर्जक आस्तियों की परिभाषा एवं वर्गीकरण

कोई आस्ति तब अनर्जक हो जाती है, जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है। अग्रिमों को 28 नवंबर, 2025 के भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण) निदेश, 2025 के अनुसार अर्जक और अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निदेश 1 अप्रैल, 2025 के आईआरएसीपी निदेशों के स्थान पर लागू हुए हैं। कोई ऋण या अग्रिम निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक आस्ति कही जाती है:

- किसी ऋण के संबंध में जब ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है।
- डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट (बाजार आधारित) मूल्य को दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिनों की अवधि तक बकाया रह जाएं।
- खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' बना रहे।

अनर्जक आस्तियों को आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों में वर्गीकृत किया जाता है। अवमानक आस्ति वह आस्ति होती है, जो 12 महीने या इससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रहती है। किसी आस्ति को संदिग्ध आस्ति के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है, जब वह 12 माह या इससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रहती है। हानि वाली आस्ति वह होती है जहां बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या आरबीआई निरीक्षण के दौरान घाटे को चिह्नित किया गया है और उस राशि को पूरी तरह से राइट-ऑफ नहीं किया गया है।

दबावग्रस्तता की आरंभ में ही पहचान और रिपोर्टिंग

ऋण खातों में चूक* होते ही निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों को विशेष उल्लेखित खाते (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत कर ऋण खातों में आसन्न दबाव की पहचान करना:

एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण के लिए आधार - मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि आंशिक रूप से या पूर्णतः अतिदेय है
एसएमए-0	1-30 दिनों तक
एसएमए -1	31-60 दिनों तक
एसएमए -2	61-90 दिनों तक

*'चूक' से तात्पर्य है ऋण का भुगतान न करना, जब ऋण की राशि का पूरा या कोई हिस्सा या किस्त देय हो गई हो और देनदार या कॉर्पोरेट देनदार द्वारा उसका भुगतान नहीं किया गया हो।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम शमन से संबंधित उपयुक्त ऋण नीतियां हैं, जिनकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है। इन नीतियों में विभिन्न ऋण कार्यक्रमों के लिए पात्रता और वित्तीय मानदंड, विवेकपूर्ण अपेक्षाएं (उद्योग, एकल/समूह उधारकर्ताओं, अप्रतिभूतित ऋणों, देशों के लिए एक्सपोजर सीमा और ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर सीमा सहित), जोखिम को चिह्नित करने, जोखिम ग्रेडिंग, आंतरिक रिपोर्टिंग और जोखिम न्यूनीकरण नीतियां, ऋण प्रशासन, पूर्व चेतावनी प्रणाली, समस्यात्मक ऋणों का पता लगाने और उनका प्रबंधन करने तथा ऋण समीक्षा जैसे पहलू शामिल हैं।

बैंक में एक केंद्रीकृत ऋण जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया है, जिसमें विस्तृत जोखिम विश्लेषण, जोखिम शमन रणनीतियां, ऋण चुकौती क्षमता का विश्लेषण, संपार्श्विक (कोलैटरल) का मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन, उधारकर्ता के जोखिम प्रोफाइल और ऋण शर्तों के आधार पर किया जाता है।

बैंक द्वारा अपने वाणिज्यिक व्यवसाय के लिए द्विस्तरीय मूल्यांकन/मंजूरी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। पहले स्तर पर, क्षेत्रीय कार्यालयों के मार्केटिंग प्रयासों के जरिए लाए जाने वाले प्रस्तावों का अनुवीक्षण प्रधान कार्यालय में प्रारंभिक अन्वेषण समिति (पीएससी) द्वारा किया जाता है। इस समिति में विभिन्न समूहों के कार्यपालक/अधिकारी होते हैं। पीएससी द्वारा मंजूरी दिए गए प्रस्तावों का विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद एक स्वतंत्र रेटिंग समिति द्वारा आंतरिक ऋण रेटिंग की पुष्टि की जाती है। ऋण समूह द्वारा ऋण मूल्यांकन के बाद वह ऋण मूल्यांकन नोट जोखिम प्रबंधन समूह के अंतर्गत एक ऋण जोखिम और निगरानी टीम (सीआरएमटी) को भेजा जाता है। यह टीम उस प्रस्ताव की जांच करती है और जहां भी संभव हो, जोखिम से बचने के उपायों सहित प्रस्ताव के विभिन्न ऋण जोखिम और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर टिप्पणियां देती है। सीआरएमटी की टिप्पणियों के साथ वह ऋण मूल्यांकन नोट, बोर्ड द्वारा अनुमोदित शक्तियों के प्रत्यायोजन (डीओपी) के अनुसार, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

बैंक द्वारा विभिन्न ऋण जोखिम रेटिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है। इनमें कंपनियों और परियोजनाओं (ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं) का मूल्यांकन कवर किया जाता है। यह मॉडल 4 पहलुओं पर जोखिमों का मूल्यांकन करता है : उद्योग, व्यापार, वित्त एवं प्रबंधन जोखिम। रेटिंग में उतार-चढ़ाव की संक्षिप्त समीक्षा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को प्रस्तुत की जाती है।

ऋण निगरानी के लिए बैंक ने एक स्वचालित पूर्व चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) लागू की है, जो सार्वजनिक डोमेन के साथ-साथ बैंक के अंदर विभिन्न स्रोतों से डेटा एकीकृत करती है। इस डेटा और एल्गोरिदम इंटेलिजेंस की मदद से यह प्रणाली बैंक को संभावित वित्तीय दबाव के शुरुआती चेतावनी संकेतों का पता लगाने में मदद करती है। असंतोषजनक संकेतों/ईडब्ल्यूएस वाले ऋण खातों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई के लिए गहन निगरानी की जाती है और अनर्जक आस्तियों में उनके स्लिपेज को रोकने के लिए समयबद्ध कार्रवाई की जाती है। बैंक ने एक ईडब्ल्यूएस समिति का गठन किया है, जो ईडब्ल्यूएस प्रणाली द्वारा दिए जाने वाले उच्च जोखिम अलर्टों की आवधिक आधार पर समीक्षा करती है। बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित अनर्जक आस्ति वसूली नीति है, जो अनर्जक आस्ति प्रबंधन और वसूली के प्रति बैंक के दृष्टिकोण से संबंधित है। बैंक में ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य से ऋण ऑडिट सिस्टम भी है। ऋण ऑडिट में विभिन्न स्तरों पर ऋण मंजूरी संबंधी निर्णयों का ऑडिट भी शामिल है।

बैंक समेकित स्तर पर एकल काउंटरपार्टी तथा समूह काउंटरपार्टियों, दोनों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित एक्सपोजर मानदंडों का अनुपालन करता है। एक्सपोजर सीमाएं बैंक की लागू टियर I पूंजीगत निधि के प्रतिशत के रूप में निर्धारित की गई हैं और नियमित रूप से इनकी निगरानी की जाती है। निर्धारित सीमाओं का उपयोग सीआरएमसी और जोखिम प्रबंधन समिति को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

एकल काउंटरपार्टी, संबद्ध काउंटरपार्टियों के समूह और उद्योग के संबंध में सीमाएं निर्धारित की गई हैं। शीर्ष 10 एकल काउंटरपार्टियों के साथ-साथ समूह काउंटरपार्टियों पर एक्सपोजर, उद्योग क्षेत्रों पर एक्सपोजर और अप्रतिभूतित एक्सपोजर सीआरएमसी को आवधिक आधार पर रिपोर्ट किए जाते हैं। देशों और बैंक काउंटरपार्टियों के संबंध में भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, बैंक द्वारा क्रेडिट रेटिंग के आधार पर जोखिम आधारित एकल उधारकर्ता सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ये सीमाएं विनियामक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण सीमाओं के अतिरिक्त हैं। इसके अलावा, यदि किसी भी एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन होता है, तो उसे यथाशीघ्र ठीक किया जाता है। एक्सपोजर सीमा में उल्लंघन सीआरएमसी को मासिक आधार पर और आरएमसी को छमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोजर

	₹ मिलियन
विवरण	31-03-2026
निधि आधारित एक्सपोजर	2,433,613.54
गैर-निधि आधारित एक्सपोजर	166,153.39
कुल सकल ऋण एक्सपोजर	2,599,766.93

इनमें ऋण जोखिम के अध्यधीन डेरिवेटिव और निवेश शामिल हैं।

(ग) एक्सपोजर का भौगोलिक वितरण

एक्सपोजर	₹ मिलियन	
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
	एक्सपोजर	एक्सपोजर
	31-03-2026	31-03-2026
घरेलू परिचालन	1,262,648.11	145,803.20
विदेशी परिचालन	1,170,965.43	20,350.19
कुल	2,433,613.54	166,153.39

इनमें ऋण जोखिम के अध्यधीन डेरिवेटिव और निवेश शामिल हैं।

(घ) उद्योग के अनुसार एक्सपोजर का वितरण

उद्योग	₹ मिलियन	
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
	एक्सपोजर#	एक्सपोजर#
	31-03-2026	31-03-2026
वित्तीय सेवाएं	550,824.59	23,137.32
लौह धातु एवं धातु प्रसंस्करण	99,171.47	-
पेट्रोलियम उत्पाद	92,167.29	56.90
विद्युत	72,933.40	2,190.44
ईपीसी सेवाएं	7,159.67	59,658.42
निर्माण	16,190.13	43,981.11
रसायन एवं रंजक	59,137.69	233.62
पेट्रोकेमिकल्स	51,284.65	314.87
अक्षय ऊर्जा	42,671.99	2,230.80
औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स	44,618.80	-
ऑटो एवं ऑटो पुर्जे	39,854.03	-
पोर्ट एवं अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	34,324.39	805.69
टेक्सटाइल्स एवं गारमेंट	33,005.94	127.76
पूँजीगत वस्तुएं	28,333.40	3,617.26
इंजिनियरिंग वस्तुएं	19,030.97	12,157.99
अलौह धातु एवं धातु प्रसंस्करण	27,096.60	695.07
उड्डयन/विमानन सेवाएं	16,717.10	6,837.06
स्टील पाइप्स	18,113.37	3,839.36
दूरसंचार	16,605.95	-
उपभोक्ता वस्तुएं	13,404.93	1,255.66
शिपिंग सेवाएं	13,434.28	-
ट्रेडिंग	10,973.66	-
कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण	9,036.85	400.00
तेल एवं गैस	7,869.75	1,232.86
खान एवं खनिज	8,582.74	-
सीमेंट	7,735.40	-
विविध	7,487.43	-
सॉफ्टवेयर एवं आईटी आधारित सेवाएं/केपीओ	7,255.99	47.86
कागज एवं कागज के उत्पाद	6,082.70	-
लॉजिस्टिक्स	4,906.13	-
कांच एवं कांच के बर्तन	4,271.58	463.29
हॉस्पिटलिटी एवं पर्यटन	4,400.02	34.00
प्लास्टिक उत्पाद	4,136.28	-
एयरोस्पेस एवं रक्षा उपकरण	4,078.15	-
फिल्म एवं मनोरंजन	2,227.51	911.28
टायर	2,840.84	24.76
पैकेजिंग	2,670.94	-
परामर्शी सेवाएं	379.27	1,886.55
पोर्ट सेवाएं	2,137.73	13.48
रत्न एवं आभूषण	1,415.14	-

उद्योग	₹ मिलियन	
	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
	एक्सपोजर# 31-03-2026	एक्सपोजर# 31-03-2026
मुद्रण (प्रिंटिंग) एवं प्रकाशन	365.45	-
इलेक्ट्रॉनिक्स	184.74	-
रबड़ के उत्पाद	122.63	-
जहाज निर्माण	82.37	-
चमड़ा उत्पाद	16.43	-
लकड़ी के उत्पाद	2.40	-
लागू नहीं*	1,035,185.37	-
कुल योग	2,433,613.54	166,153.39

*इनमें पुनर्वित्त के जरिए एक्सपोजर, डेरिवेटिव एक्सपोजर और बैंकों द्वारा काउंटर गारंटी एक्सपोजर शामिल हैं।

*विदेशी सरकार/अर्ध-सरकारी संस्थाओं/केंद्र और राज्य सरकारों पर एक्सपोजर।

उन उद्योगों पर ऋण एक्सपोजर जहां बकाया एक्सपोजर बैंक के कुल सकल ऋण एक्सपोजर का 5% से अधिक है

उद्योग	₹ मिलियन	
	कुल एक्सपोजर#	कुल सकल ऋण
	(₹ मिलियन)	एक्सपोजर का % (₹ मिलियन)
वित्तीय सेवाएं	573,961.90	22.08%
लागू नहीं*	1,035,185.37	39.82%

* इनमें पुनर्वित्त के जरिए एक्सपोजर, डेरिवेटिव एक्सपोजर और बैंकों द्वारा काउंटर गारंटी एक्सपोजर शामिल हैं।

*विदेशी सरकार/अर्ध-सरकारी संस्थाओं/केंद्र और राज्य सरकारों पर एक्सपोजर।

(ड) आस्तियों का अवशिष्ट संविदागत परिपक्वता ब्रेकडाउन

उद्योग	₹ मिलियन										कुल
	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 से 7 वर्ष	7 से 10 वर्ष	10 वर्ष से अधिक	
नकद	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24
आरबीआई में नकद जमा	28,683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,683
अन्य बैंकों में नकद जमा	73,271	-	156	6,777	4,238	6	-	-	-	-	84,448
निवेश	10,945	997	16,787	9,692	18,451	17,050	36,154	17,339	76,468	7,305	211,187
अग्रिम	62,838	81,375	237,589	131,958	257,716	426,850	345,355	188,701	194,947	109,909	2,037,239
अचल आस्तियां	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3,352	3,352
अन्य आस्तियां	5,070	1,476	43,325	11,651	220	12,781	0	3	-	55,649	130,176
कुल	180,808	83,848	297,857	160,078	280,625	456,687	381,509	206,043	271,415	176,215	2,495,085

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि

क्रमांक	मद	₹ मिलियन
		31-03-2025
(छ)	सकल अनर्जक आस्तियां (एनपीए)	11,974.98
	अवमानक	320.71
	संदिग्ध 1	-
	संदिग्ध 2	3,834.84
	संदिग्ध 3	7,819.44
(ज)	हानि	-
	निवल अनर्जक आस्तियां	192.43
(झ)	एनपीए अनुपात	
	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए (%)	0.57
	निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%)	0.01

क्रमांक	मद	₹ मिलियन
		31-03-2025
(ज)	एनपीए में उतार-चढ़ाव (सकल)	
	प्रारंभिक शेष राशि	32,197.30
	संवर्धन	3,418.85
	कटौती	23,641.17
	अंतिम शेष राशि	11,974.98
	एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
	विशिष्ट प्रावधान	
	प्रारंभिक शेष	29,670.00
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	945.66
	राइट-ऑफ	590.92
(ट)	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	18,242.18
	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	अंतिम शेष राशि	11,782.56
	सामान्य प्रावधान	
	प्रारंभिक शेष	-
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	-
	राइट-ऑफ	-
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	-
	प्रावधानों के बीच अंतरण सहित कोई अन्य समायोजन	-
	अंतिम शेष	-
(ड)	राइट-ऑफ और सीधे आय विवरण में बुक की गई वसूली	-
	अनर्जक निवेश राशि	19,975.78
	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधानों की राशि	19,903.06
	निवेशों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान में उतार-चढ़ाव	
	प्रारंभिक शेष	22,529.39
	उक्त अवधि के दौरान किए गए प्रावधान	1,792.03
	राइट-ऑफ	222.44
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन	344.71
	अंतिम शेष	23,754.27

(ण) यथा 31 मार्च, 2026 को कुल ऋण एक्सपोजर के आधार पर शीर्ष 5 उद्योग

उद्योग	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान	₹ मिलियन
					वर्तमान अवधि के दौरान राइट-ऑफ
शीर्ष 5 उद्योग	4,904.42	4,904.42	-	310.33	-

(ज) यथा 31 मार्च, 2026 को सकल अनर्जक आस्तियों, विशिष्ट प्रावधान एवं सामान्य प्रावधान का भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार ब्यौरा

उद्योग	सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	₹ मिलियन
घरेलू	3,303.63	3,111.21	-	
विदेशी	8,671.35	8,671.35	-	

सारणी डीएफ-4: मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पोर्टफोलियो के संबंध में

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां

बैंक द्वारा आरबीआई से अनुमोदित निम्नलिखित घरेलू बाह्य ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का उपयोग किया जा रहा है:

- केयर रेटिंग्स लि.
- क्रिसिल रेटिंग्स लि.
- इक्रा लि.
- इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लि.
- एक्व्यूटे रेटिंग्स एंड रिसर्च लि.
- इंफोमैरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लि.
- ब्रिकवर्क्स रेटिंग्स प्रा.लि. (आरबीआई के 10 जुलाई, 2024 के परिपत्र के अनुसार नियम एवं शर्तों के अध्यक्षीन)

बैंक द्वारा आरबीआई से अनुमोदित निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय ऋण रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई रेटिंग का उपयोग किया जा रहा है:

- फिच रेटिंग्स
- मूडीज़
- स्टैंडर्ड एंड पूअर्स
- केयरएज ग्लोबल आईएफएससी लिमिटेड

एक्सपोजर के प्रकार के अनुसार उपयोग में लाई जाने वाली एजेंसियां

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंग, विशेष रूप से बैंक के क्रमशः दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजरों को दी जाने वाली रेटिंग को बैंक द्वारा निर्गम विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।

बैंक के पोर्टफोलियो में एक वर्ष या उससे कम संविदागत परिपक्वता अवधि वाली आस्तियों के संबंध में, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पावधि रेटिंग को सुसंगत माना जाता है। एक वर्ष से अधिक की संविदात्मक परिपक्वता वाली अन्य आस्तियों के संबंध में, चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई दीर्घावधि रेटिंग को सुसंगत माना जाता है।

बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों पर सार्वजनिक निर्गम रेटिंग के अंतरण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण

बैंक के बाह्य रेटिंग ऐप्लिकेशन फ्रेमवर्क के प्रमुख पहलू निम्नानुसार हैं:

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली सभी दीर्घावधि और अल्पावधि रेटिंग, विशेष रूप से बैंक के क्रमशः दीर्घावधि और अल्पावधि एक्सपोजरों को दी जाने वाली रेटिंग को बैंक द्वारा निर्गम विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
- विदेशी संप्रभु और विदेशी बैंकों पर एक्सपोजर उन्हें दी गई निर्गमकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि ऋण सुविधा/उधारकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार कर ली गई है और उसके लागू होने की तारीख से वह प्रभावी है।
- किसी संस्था को विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न निर्गमकर्ता रेटिंग दिए जाने के मामले में जोखिम भार का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:
 - यदि किसी विशिष्ट दावे के लिए चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा केवल एक रेटिंग है, तो उस दावे के जोखिम भार के निर्धारण के लिए उसी रेटिंग का उपयोग किया जाता है।
 - यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दो रेटिंग दी गई हैं, जो अलग-अलग जोखिम भारों में मैप कर रही हों, तो उच्चतर जोखिम भार लागू होता है।

- यदि चयनित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा अलग-अलग जोखिम भार वाली तीन या तीन से अधिक रेटिंग दी गई हैं, तो दो सबसे कम जोखिम भारों वाली रेटिंग को संदर्भित किया जाता है और उन दोनों जोखिम भारों में से उच्चतर अर्थात्, दूसरा न्यूनतम जोखिम भार लागू होता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

- (ख) मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत जोखिम को कम करने वाले तत्वों यानी जोखिम शामकों (अर्थात् कोलैटरल) की फैक्टरिंग के बाद प्रमुख जोखिम बकेट में बैंक के एक्सपोजरों की राशि - सकल अग्रिम (रेटिंग की हुई और रेटिंग नहीं की हुई)

		₹ मिलियन	
क्रमांक	विवरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित
		31-03-2026	31-03-2026
1	100% जोखिम भार से कम	2,050,354.11	99,991.95
2	100% जोखिम भार	123,155.50	13,525.86
3	100% जोखिम भार से अधिक	256,959.23	36,596.70
4	घटाए गए (जोखिम शामक)	-	-
	कुल	2,430,468.84	150,114.51

सारणी डीएफ-5: ऋण जोखिम शमन : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार, बैंक अपनी पूँजीगत आवश्यकताओं की गणना करते समय काउंटरपार्टी पर अपने ऋण एक्सपोजर को बासल III दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट अनुसार पात्र संपार्श्विक (कोलैटरल) द्वारा होने वाले जोखिम शमन की सीमा तक कम करता है।

बासल III पर आरबीआई दिशानिर्देशों में विनियामकीय पूँजी प्रयोजनों के लिए ऋण जोखिम को कम करने वाले निम्नलिखित तत्वों (शामकों) को स्वीकृति दी गई है:

क. पात्र वित्तीय संपार्श्विक (कोलैटरल), जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- नकद (बैंक में जमा), स्वर्ण (बुलियन और आभूषणों सहित, तथापि संपार्श्विकृत आभूषणों को 99.99% शुद्धता के लिए बेंचमार्क किए जाने के अधीन है), केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियां, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, बीमा क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी घोषित अभ्यर्पण (सरेंडर) मूल्य वाली जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, कतिपय ऋण प्रतिभूतियां, म्यूचुअल फंड के यूनिट जिनका दैनिक निवल आस्ति मूल्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता हो और म्यूचुअल फंड का निवेश उक्त सूचीबद्ध लिखतों तक सीमित हो।

ख. तुलन पत्र के अंतर्गत निवल निपटान (नेटिंग), ऋण/अग्रिम और जमाराशियों तक सीमित होता है, जहां बैंकों के पास प्रलेखन प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार वाली कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नेटिंग व्यवस्थाएं होती हैं।

ग. जहां गारंटियां प्रत्यक्ष, स्पष्ट, अपरिवर्तनीय और शर्त-रहित हैं। इसके अलावा, पात्र गारंटियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- बासल III पर आरबीआई के दिशानिर्देशों में निर्धारित अनुसार संप्रभु, संप्रभु संस्थाएं, बैंक और काउंटरपार्टी की तुलना में न्यूनतर जोखिम भार वाले प्राथमिक डीलर; और
- अन्य ऐसी संस्थाएं, जिनकी रेटिंग उन संस्थाओं की तुलना में बेहतर है, जिनके लिए गारंटी दी गई है।

बैंक द्वारा पूँजी में छूट प्राप्त करने के लिए ऋण जोखिम को कम करने वाले स्वीकृत तत्वों की गणना केवल तभी की जाती है, जब ऋण जोखिम को करने वाले वे तत्व भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बासल III संबंधी दिशानिर्देशों में पात्रता और कानूनी निश्चितता के लिए निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

बैंक बासल III दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप संपार्श्विक के मूल्य में संभव भावी उतार-चढ़ाव के लिए प्राप्त किसी भी संपार्श्विक के मूल्य को समायोजित करता है। इन समायोजनों को 'हेयरकट' कहा जाता है। इन समायोजनों से संपार्श्विक के लिए अस्थिरता-समायोजित राशि प्राप्त होती है। फिर उस राशि को निवल एक्सपोजर और लागू जोखिम भारों के आधार पर पूँजी प्रभार की गणना करने के लिए एक्सपोजर से घटा दिया जाता है।

वर्तमान में, बैंक में ऋण जोखिम शमन के भीतर कोई संकेद्वय जोखिम नहीं है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

		₹ मिलियन
क्रमांक	विवरण	31-03-2026
(क)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर निवल निपटान (ऑन या ऑफ-बैलेंस शीट नेटिंग) के बाद जिसे हेयरकट लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपादित्व से कवर किया गया है	5,375.70
(ख)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोजर जहां लागू हो वहां तुलन पत्र या तुलन पत्रेतर निवल निपटान (ऑन या ऑफ-बैलेंस शीट नेटिंग) के बाद जो गारंटी/ऋण डेरिवेटिव (जब भी आरबीआई द्वारा विनिर्दिष्ट अनुमति हो) द्वारा कवर किया गया है	935.31

सारणी डीएफ-6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर : मानकीकृत दृष्टिकोण के लिए प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक ने वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के दौरान या पिछली अवधि में प्रवर्तक, निवेशक या सेवा प्रदाता के रूप में मानक आस्तियों के लिए कोई प्रतिभूतिकरण गतिविधि नहीं की है। इस प्रकार, बैंकिंग या ट्रेडिंग बही में कोई प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर नहीं हैं और ऐसी गतिविधियों से कोई पूंजी आवश्यकता उत्पन्न नहीं होती है।

चूंकि बैंक ने किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन (ट्रांजैक्शन) में भाग नहीं लिया है, इसलिए प्रतिभूतिकरण आय के निर्धारण, प्रतिधारित हितों के मूल्यांकन या सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण के ट्रीटमेंट के संबंध में वर्णित कोई लेखांकन नीतियां नहीं हैं।

सारणी डीएफ-7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम वह जोखिम है जो इक्विटी/ऋण लिखतों, ब्याज दरों, विनिमय दरों और कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव से उत्पन्न होता है। संक्षेप में, बाजार जोखिम उन बाजारों में परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाला जोखिम है, जिन बाजारों पर किसी संस्था का एक्सपोजर होता है।

बाजार जोखिम का प्रबंधन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों अर्थात् समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति (सीटीओपी) और एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति (आईआरएमपी) के जरिए किया जाता है।

बैंक की आईआरएमपी से चलनिधि (लिव्विडिटी) जोखिम का प्रबंधन भी किया जाता है। साथ ही, इसमें लिव्विडिटी जोखिम के लिए चिह्निकरण मानदंड, माप, प्रबंधन और रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन क्षेत्र की रूपरेखा भी निर्धारित की गई है।

लिव्विडिटी जोखिम से तात्पर्य ऐसी किसी स्थिति से है जिसमें (क) बैंक को अपनी आस्तियों को चलनिधि में परिवर्तित करने या पर्याप्त निधि प्राप्त करने में असमर्थता के कारण अपनी देयताओं के देय होने पर समय पर उन्हें पूरा करने में असमर्थ होगा (जिसे 'निधीयन लिव्विडिटी जोखिम' कहा जाता है) या (ख) अपर्याप्त बाजार पहुंच या बाजार व्यवधानों ('बाजार लिव्विडिटी जोखिम') के कारण बाजार कीमतों को उल्लेखनीय रूप से कम किए बिना विशिष्ट एक्सपोजरों को आसानी से अनवाइंड या ऑफसेट नहीं कर सकता है।

नकदी जोखिम प्रबंधन के पर्यवेक्षण के लिए बैंक का बोर्ड उत्तरदायी है। बोर्ड को जोखिम नीतियों की अनुसंधान करने और बैंक के सामने आने वाले जोखिमों के मूल्यांकन के साथ-साथ उन नीतियों को लागू करने के लिए आरएमसी उत्तरदायी है।

बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण अंतर सीमाओं के साथ-साथ निगरानी के लिए बोर्ड द्वारा निर्धारित आंतरिक सीमाओं का भी अनुपालन करता है:

- अलग-अलग मुद्रा स्तर पर और समेकित मुद्रा स्तर पर ऋणात्मक चलनिधि अंतर (लिव्विडिटी गैप) सीमा। ऋणात्मक अंतर सीमाएं अलग-अलग बकेट के साथ-साथ आसन्न चलनिधि समस्याओं के पूर्व चेतावनी संकेत प्रदान करने के लिए संचयी समय अवधि स्तर पर निर्धारित की जाती हैं।
- समेकित स्तर पर धनात्मक संचयी चलनिधि अंतर सीमाएं ठीक हैं कि बैंक गिरते ब्याज दर परिदृश्य में भारी धनात्मक अंतरों के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो।
- बैंक अगले 7 दिनों के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक आधार पर 7 दिनों का नकदी प्रवाह विवरण भी तैयार करता है।
- प्रत्येक माह आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी) तैयार की जाती है। इसके अंतर्गत अगले एक महीने के लिए आधार चलनिधि स्थिति में दबाव परिदृश्यों को शामिल किया जाता है, ताकि उस परिदृश्य में बैंक की स्थिति का आकलन किया जा सके।

बैंक की नकदी की स्थिति की निगरानी एल्को द्वारा मासिक आधार पर की जाती है और आरएमसी को यह स्थिति तिमाही आधार पर रिपोर्ट की जाती है। चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करने वाली बैंक की आईआरएमपी की समीक्षा बोर्ड द्वारा वार्षिक आधार पर की जाती है।

बैंक की नीति के अनुरूप, बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और खरीद-बिक्री के लिए धारित (एचएफटी) निवेश, चलनिधि और ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए किए जाते हैं। समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति में पात्र लिखतों के विवरण के साथ-साथ, निवेश योग्य अधिशेष, निवेश के उद्देश्य जैसे निवेश के कुछ प्रमुख पहलुओं, अनुमोदित लिखतों और उनकी विशेषताओं, एक्सपोजर सीमाओं, एल्को और निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी) चार्टरों का विवरण भी होता है।

बाजार जोखिम प्रबंधन के लिए संगठन की संरचना:

निदेशक मंडल: समग्र जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

बोर्ड की आरएमसी: आरएमसी द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (एल्को): बोर्ड द्वारा गठित एल्को, बैंक के अधिकारियों की एक कार्यपालक समिति है। इस समिति का गठन बाजार जोखिम, आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम), ब्याज और विनिमय दर जोखिमों और चलनिधि जोखिम से निपटने के लिए किया गया है।

निधि प्रबंधन समिति (एफएमसी): निधि प्रबंधन समिति दैनंदिन निवेश/विनिवेश और संसाधन जुटाने संबंधी क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी है।

सीमाएं:

ट्रेडिंग बही के मूल्य जोखिम की निगरानी पीवी01, वीएआर, फॉरेन एक्सचेंज नेट ओवरनाइट ओपन पोजिशन और स्टॉप लॉस लिमिट जैसे उपायों के जरिए की जाती है। ट्रेडिंग बही के मूल्य जोखिम का प्रबंधन सीटीओपी में होता है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2026 को बाजार जोखिम (सामान्य और विशिष्ट) के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है। पूंजीगत आवश्यकता की गणना बाजार जोखिम भारित आस्तियों की 9% की न्यूनतम पूंजीगत आवश्यकता के अनुसार की जाती है।

पूंजीगत आवश्यकताएं	₹ मिलियन
- ब्याज दर जोखिम के लिए	4,135.06
- इक्विटी स्थिति जोखिम के लिए	572.90
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) के लिए	1,012.50

सारणी डीएफ-8: परिचालनगत जोखिम

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

परिचालन जोखिम सामान्य रूप से, एक सामूहिक शब्दावली है। इसे पारंपरिक रूप से ऐसे सभी जोखिमों पर लागू किया जाता है, जिन्हें ऋण या बाजार जोखिम के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और मुख्य रूप से अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाली हानि के जोखिम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिचालन जोखिम प्रबंधन में यह जानने का प्रयास किया जाता है कि हानि क्यों हुई है और मुख्य रूप से इसके चार कारण शामिल किए गए हैं: प्रक्रियाएं, लोग, प्रणाली (सिस्टम) और बाह्य कारक। परिचालनगत जोखिम बैंक के लिए आंतरिक जोखिम है, इसलिए इसके उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण घटक है। परिचालनगत जोखिम को कम करने और तकनीकी और मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए परिचालन प्रक्रियाओं को आईआरएमपी में प्रलेखित किया गया है। बैंक ने व्यापार निरंतरता योजना पर बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, ताकि गंभीर व्यवसाय व्यवधान की स्थिति में निर्बाध रूप से परिचालन सुनिश्चित किया जा सके और संभावित हानि को कम किया जा सके।

परिचालनगत जोखिम निगरानी, नियंत्रण और शमन

एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति में निदेशक मंडल, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और जोखिम प्रबंधन समूह (आरएमजी) के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) द्वारा परिचालनगत जोखिम की निगरानी की जाती है और यह आरएमसी को रिपोर्ट करती है। बैंक

ने परिचालनगत जोखिम घटनाओं (ओआरई) के मासिक आधार पर मूल्यांकन के लिए स्कोरकार्ड-आधारित पद्धति तैयार की है। संभावित जोखिम घटनाओं की एक चिह्नित सूची है, जिसकी निगरानी मासिक आधार पर की जाती है और इसे ओआरएमसी को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है। शमन योजना का निर्धारण मामले-वार आधार पर किया जाता है। बैंक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में परिचालनगत जोखिम घटनाओं की आवधिक आधार पर निगरानी करने और परिचालन के विभिन्न क्षेत्रों में परिचालनगत जोखिम को कम करने के लिए नियंत्रणों के मूल्यांकन हेतु किसी बाहरी फर्म को नियुक्त करता है।

परिचालनगत जोखिम के लिए पूँजी का आवंटन

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक द्वारा परिचालनगत जोखिम पूँजी की गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है।

सारणी डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी) से तात्पर्य ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के कारण बैंक की बैंकिंग बही की निवल ब्याज आय (एनआईआई) या आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के जरिए आय में हानि के जोखिम से है। ब्याज दर जोखिम अलग-अलग मूलधन राशि, परिपक्वता तिथियों या पुनर्मूल्यन तिथियों वाली आस्तियों/ देयताओं और तुलन पत्रेतर (ऑफ-बैलेंस शीट) मदों को होल्ड रखने से उत्पन्न होता है, जिससे जिससे ब्याज दरों के स्तरों में परिवर्तन का जोखिम पैदा होता है। ब्याज दर जोखिम विश्लेषण के उद्देश्य से, बैंकिंग बही में ट्रेडिंग बही की मदों को छोड़कर सभी मदों को शामिल किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के लिए बैंक की एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है। अंतर विश्लेषण की निगरानी एल्को द्वारा मासिक आधार पर की जाती है। एल्को द्वारा यह कार्य दर संवेदी देयताओं और दर संवेदी आस्तियों के बीच '1-28 दिन' से '10 वर्ष से अधिक' की समयावधि बकेट के बीच बेमेल (मिसमैच) को माप कर किया जाता है।

बैंक ने 'आय परिप्रेक्ष्य' से ब्याज दर जोखिम प्रबंधन तकनीक भी लागू की है। इसमें एक वर्ष की अवधि में निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया जाता है।

इस नीति में निर्धारित अनुसार आर्थिक इक्विटी मूल्य (ईवीई) परिप्रेक्ष्य से अवधि अंतराल विश्लेषण किया जाता है। ईवीई को ब्याज दर में होने वाले बदलाव के उपाय के रूप में आस्तियों के आर्थिक मूल्य और देयताओं के आर्थिक मूल्य के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। इन दोनों के बीच लिंकेज दर संवेदी आस्तियों और देयताओं की संशोधित अवधि के जरिए स्थापित किया गया है। ब्याज दर में 1% परिवर्तन के लिए आर्थिक मूल्य पर प्रभाव के संबंध में एल्को द्वारा एक विवेकपूर्ण सीमा निर्धारित की गई है। आईआरआरबीबी का मापन मासिक आधार पर किया जाता है और इसे एल्को को मासिक आधार पर तथा आरएमसी को तिमाही आधार पर रिपोर्ट किया जाता है।

ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए संगठन संरचना:

निदेशक मंडल: समग्र जोखिम प्रबंधन नीति और रणनीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व निदेशक मंडल का है।

बोर्ड की आरएमसी: आरएमसी द्वारा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की उपयुक्तता के मूल्यांकन सहित जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी कार्य किया जाता है।

आस्ति देयता समिति (एल्को): एल्को का उत्तरदायित्व बैंक बही में निहित ब्याज दर जोखिम की निगरानी करना है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का स्तर

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2026 को ब्याज संवेदी स्थितियों में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण निवल ब्याज आय पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। यह आकलन यील्ड कर्व में समानांतर शिफ्ट को मानते हुए किया गया है।

₹ मिलियन

आय दृष्टिकोण	ब्याज दर में परिवर्तन	
	- 100 आधार बिंदु	+ 100 आधार बिंदु
भारतीय रुपया	(1,398.79)	1,398.79
यूएस डॉलर	(773.60)	773.60
अन्य	(146.23)	146.23
कुल	(2,318.62)	2,318.62

निम्नलिखित सारणी में यथा 31 मार्च, 2026 को ब्याज संवेदी स्थितियों में ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण इक्विटी के आर्थिक मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है। यह आकलन यील्ड कर्व में समानांतर शिफ्ट को मानते हुए किया गया है।

इक्विटी का आर्थिक मूल्य	₹ मिलियन	
	ब्याज दर में परिवर्तन	
	- 100 आधार बिंदु	+ 100 आधार बिंदु
भारतीय रुपया	(1,208.20)	1,208.20
यूएस डॉलर	(138.46)	138.46
अन्य	(190.84)	190.84
कुल	(1,537.50)	1,537.50

सारणी डीएफ-10: काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोजरों के लिए सामान्य प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति में शामिल बैंक की डेरिवेटिव नीति में अन्य के साथ-साथ, डील करने के प्रयोजन से बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

- प्रयोक्ता के रूप में - अपनी आस्तियों और देयताओं के साथ-साथ अपने संसाधन प्रबंधन (एएलएम बही) के बाजार जोखिम का प्रबंधन करना।
- मर्चेन्ट के रूप में - अपने ग्राहकों और गैर-ग्राहकों (एक साथ 'ग्राहकों' के रूप में संदर्भित) को उनके मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों के प्रबंधन के लिए डेरिवेटिव उत्पाद प्रदान करना। (मर्चेन्ट बुक)।
- बाजार निर्माता के रूप में - विदेशी मुद्रा स्वॉप, मुद्रा स्वॉप और / या विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वॉप जैसे स्वॉप में अपनी स्थिति बनाना और ग्राहकों तथा अन्य बाजार निर्माताओं (ट्रेजरी बुक) को दो-तरफा कोट (बिड / ऑफर) प्रदान करना।

वर्तमान में, बैंक अपने स्वयं के और अपने ग्राहकों के अंतर्निहित जोखिम को हेज करने के लिए एक प्रयोक्ता के रूप में डेरिवेटिव बाजार में प्रतिभागिता कर रहा है। बैंक निम्नलिखित डेरिवेटिव उत्पादों में डील कर रहा है:

- विदेशी मुद्रा वायदा संविदा और मुद्रा स्वॉप
- ब्याज दर स्वॉप

बैंक वर्तमान में क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप और विकल्पों के अंतर्गत ट्रांज़ैक्शन नहीं करता है। विभिन्न जोखिमों का मापन और प्रबंधन, काउंटर पार्टी सीमाओं, स्टॉप लॉस सीमाओं और एक्सपोजर सीमाओं आदि जैसी विभिन्न सीमाएं निर्धारित कर सुनिश्चित किया जाता है।

डेरिवेटिव लेनदेन केवल अनुमोदित काउंटरपार्टी के साथ ही किए जाते हैं, जिनके लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीईएल मॉडल के अनुसार काउंटरपार्टी एक्सपोजर सीमाएं (सीईएल) निर्धारित की गई हैं। इसके अलावा, लेनदेन करने, अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी तथा सीसीआर के प्रबंधन संबंधी कार्य फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस एवं बैंक ऑफिस कार्यों में दायित्वों के स्पष्ट कार्यात्मक विभाजन के जरिए अलग-अलग किए गए हैं।

बैंक द्वारा काउंटरपार्टी ऋण जोखिम पूँजी के संबंध में एक्सपोजर की गणना आरबीआई के बासल खखख मास्टर निदेशों के आधार पर 'वर्तमान एक्सपोजर पद्धति' के अंतर्गत की जाती है। सीसीआर एक्सपोजर के लिए पूँजी का आकलन मानकीकृत दृष्टिकोण (डिफॉल्ट जोखिम पूँजी व सीवीए पूँजी प्रभार) के आधार पर किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी निगरानी की जाती है कि ऋण एक्सपोजर अनुमोदित ऋण सीमाओं से अधिक न हो।

बैंक ने आरबीआई के मौजूदा मार्जिन फ्रेमवर्क के अनुसार, यथा लागू अनुसार, कुछ घरेलू और विदेशी कवर्ड संस्थाओं के साथ ऋण सहायता अनुसूची ('सीएसए') करार किए हैं। सीएसए उन शर्तों या नियमों को परिभाषित करता है जिनके तहत ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्टों पर 'रुपये में' डेरिवेटिव स्थितियों से उत्पन्न होने वाले ऋण जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव काउंटरपार्टियों के बीच संपार्श्विक पोस्ट किया जाता है या अंतरित किया जाता है। सीएसए व्यवस्था के तहत आदान-प्रदान किए गए संपार्श्विक मुख्य रूप से नकदी होते हैं। इसके अलावा, इन करारों में ऋण रेटिंग कम होने के कारण बैंक द्वारा वृद्धिशील संपार्श्विक (कोलैटरल) पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

निम्नलिखित सारणी में डेरिवेटिव एक्सपोजर की गणना वर्तमान एक्सपोजर पद्धति (सीईएम) और यथा 31 मार्च, 2025 को शेष बकाया का इस्तेमाल कर की गई है।

₹ मिलियन			
विवरण	आईआरएस	सीसीएस	एफआरए/ वायदा
संविदाओं का सकल धनात्मक उचित मूल्य	2,863.26	3,322.77	0.30
निवल लाभ	-	-	-
निवल वर्तमान ऋण एक्सपोजर	2,863.26	3,322.77	0.30
धारित संपार्श्विक (कोलैटरल हेल्ड) (अर्थात नकदी, सरकारी प्रतिभूति, आदि)	-	-	-
निवल डेरिवेटिव ऋण एक्सपोजर	2,863.26	3,322.77	0.30
एक्सपोजर राशि (सीईएम के अंतर्गत)	7,536.31	6,104.28	167.30
ऋण डेरिवेटिव हेज का कल्पित (नोशनल) मूल्य	-	-	-
ऋण डेरिवेटिव लेनदेन (ट्रॉजैक्शन) जिनसे सीसीआर के लिए एक्सपोजर बनते हैं	-	-	-

बासल III मास्टर निदेश के अनुसार, भारत में बैंकों के लिए पूँजी पर्याप्तता की गणना के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है, जिसमें संपार्श्विक (कोलैटरल) को प्रदत्त मूल्य को एक्सपोजर राशि से घटाते हुए संपार्श्विक द्वारा एक्सपोजर का बेहतर प्रतिसंतुलन (ऑफसेट) किया जाता है। इसलिए, काउंटरपार्टी से प्राप्त संपार्श्विक को एक्सपोजर से पूरी तरह प्रतिसंतुलित (ऑफसेट) किया जा सकता है और देय निवल एमटीएम पर पोस्ट किया गया अतिरिक्त संपार्श्विक एक्सपोजर का हिस्सा होगा। तथापि, चूंकि संपार्श्विक (कोलैटरल) उत्पाद-वार या डील-वार प्राप्त न होकर काउंटरपार्टी-वार प्राप्त होता है, इसलिए उपरोक्त सारणी में संपार्श्विक को घटाया नहीं गया है। यथा 31 मार्च, 2026 को सीएसए के तहत प्राप्त संपार्श्विक ₹ 3,486.28 मिलियन के रहे और संपार्श्विक भुगतान की राशि ₹ 5,248.95 मिलियन रही। यथा 31 मार्च, 2026 को कोई क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॉप बकाया नहीं थे।

सारणी डीएफ-11: पूँजी की संरचना

₹ मिलियन		
विवरण		संदर्भ संख्या
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां		
1) सीधे जारी की गई अर्हता प्राप्त सामान्य शेयर पूँजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम)	159,093.66	A
2) प्रतिधारित आय	129,300.11	B1
3) संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित निधियां)	-	
4) सीईटी1 से धीरे-धीरे समाप्त होने के अधीन सीधे जारी की गई पूँजी, (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	-	
5) सहायक इकाइयों द्वारा जारी की गई और तीसरे पक्ष (समूह सीईटी1 में अनुमत प्राप्त राशि) द्वारा धारित सामान्य शेयर पूँजी	-	
6) विनियामक समायोजनों से पहले सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी	288,393.78	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी : विनियामक समायोजन		
7) विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	-	
8) गुडविल (संबंधित कर देयता का निवल)	-	
9) अमूर्त आस्तियां (संबंधित कर देयता का निवल)	3,860.66	C1
10) आस्थगित कर आस्तियां	15,169.47	C2
11) नकदी प्रवाह हेज आरक्षित निधि	-	
12) अपेक्षित हानि के लिए प्रावधानों की कमी	-	
13) विक्रय पर प्रतिभूतिकरण लाभ	-	
14) उचित मूल्य देयताओं पर निजी ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	-	
15) परिभाषित-लाभ पेंशन कोष निवल आस्तियां	-	
16) निजी शेयर में निवेश (रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र में यदि पहले से ही प्रदत्त पूँजी का समायोजन नहीं किया गया हो)	-	
17) सामान्य इक्विटी में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग	-	

₹ मिलियन

संदर्भ संख्या

विवरण

सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां

18)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो पूँजी में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई की जारी शेयर पूँजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	-	
19)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	-	
20)	मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	-	
21)	अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां 19 (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता का निवल)	-	
22)	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि	-	
23)	जिसमें से : वित्तीय संस्थाओं के सामान्य स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	-	
24)	जिसमें से : मोर्टगेज सर्विसिंग अधिकार	-	
25)	जिसमें से : अस्थायी भिन्नता से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां	-	
26)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	-	
26क)	जिनमें से : असमेकित बीमा सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	-	
26ख)	जिनमें से : असमेकित गैर-वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश	-	
26ग)	जिनमें से: एआईएफआई के साथ गैर-समेकित प्रमुख निजी वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूँजी में कमी	-	
26घ)	जिनमें से : अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	-	
27)	अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 कटौती को कवर करने के लिए सामान्य इक्विटी टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
28)	सामान्य इक्विटी टियर 1 में कुल विनियामक समायोजन	19,030.13	
29)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी (सीईटी1)	269,363.65	

अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : लिखत

30)	सीधे जारी किए गए पात्र अतिरिक्त टियर 1 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष (शेयर प्रीमियम) (31+32)	-	
31)	जिनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयर)	-	
32)	जिनमें से : लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (सतत ऋण लिखत)	-	
33)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूँजी लिखत	-	
34)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा और तीसरे पक्ष द्वारा (एटी-1 समूह में अनुमत राशि तक) धारित अतिरिक्त टियर 1 लिखत (और 5वीं पंक्ति में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 लिखत)	-	
35)	जिनमें से : चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए लिखत	-	
36)	विनियामक समायोजन करने से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूँजी	-	

अतिरिक्त टियर 1 पूँजी : विनियामक समायोजन

37)	निजी अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	-	
38)	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक क्रॉसहोल्डिंग	-	
39)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई के जारी शेयर पूँजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है	-	
40)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश (का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल)	-	

		₹ मिलियन	
विवरण		संदर्भ संख्या	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां			
41)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41क+41ख)	-	
41क)	जिनमें से : गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों की अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में निवेश	-	
41ख)	जिनमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कमी, जिनको एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है	-	
42)	कटौती को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण अतिरिक्त टियर 1 पर लागू विनियामक समायोजन	-	
43)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	-	
44)	अतिरिक्त टियर 1 पूँजी (एटी1)	-	
45)	टियर 1 पूँजी (टी1=सीईटी1+एटी1) (29+44)	269,363.65	
टियर 2 पूँजी : लिखत एवं प्रावधान			
46)	सीधे जारी किए गए पात्र टियर 2 लिखत और संबंधित स्टॉक अधिशेष	-	
47)	टियर 2 पूँजी से चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन सीधे जारी किए गए पूँजी लिखत	-	
48)	सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए एवं तीसरे पक्षों द्वारा धारित (राशि समूह टियर 2 में अनुमत) टियर 2 लिखत (तथा पंक्तियों 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए सीईटी 1 एवं एटी1 लिखत)	-	
49)	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए चरणबद्ध रूप से बाहर (फेज आउट) होने के अधीन लिखत	-	
50)	प्रावधान	14,488.12	बी2+पात्र प्रावधान
51)	विनियामक समायोजनों से पहले टियर 2 पूँजी	14,488.12	
टियर 2 पूँजी : विनियामक समायोजन			
52)	निजी टियर 2 लिखत में निवेश	-	
53)	टियर 2 लिखतों में परस्परिक क्रॉसहोलडिंग्स	-	
54)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में विशेष निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल, जहां एआईएफआई के जारी शेयर पूँजी (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि) के 10% से अधिक का स्वामित्व नहीं है	-	
55)	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाएं, जो विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं, के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश का पात्र शॉर्ट पोजीशन निवल	-	
56)	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56क+56ख)	-	
56क)	जिनमें से : गैर-समेकित बीमा सहायक कंपनियों के टियर 2 पूँजी में निवेश	-	
56ख)	जिनमें से : बहुमत के स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं के टियर 2 पूँजी में कमी, जिनको एआईएफआई के साथ समेकित नहीं किया गया है	-	
57)	टियर 2 पूँजी में कुल विनियामक समायोजन	-	
58)	टियर 2 पूँजी (टी2)	14,488.12	
59)	कुल पूँजी (टीसी=टी1+टी2) (45+58)	283,851.77	
60)	कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क+60ख+60ग)	1,075,513.20	
60 क)	जिनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	935,300.34	
60 ख)	जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	63,560.58	
60 ग)	जिनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	76,652.28	
पूँजी अनुपात और बफर			
61)	सामान्य इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	25.04%	
62)	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	25.04%	
63)	कुल पूँजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	26.39%	
64)	लागू नहीं	-	
65)	लागू नहीं	-	
66)	लागू नहीं	-	
67)	लागू नहीं	-	
68)	लागू नहीं	-	

₹ मिलियन

संदर्भ संख्या

विवरण		
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी: लिखत एवं आरक्षित निधियां		
राष्ट्रीय मिनिमा (यदि बासल III से भिन्न हो तो)		
69)	राष्ट्रीय सामान्य इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	5.5%
70)	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	7%
71)	राष्ट्रीय कुल पूँजी न्यूनतम अनुपात (यदि बासल III न्यूनतम से भिन्न हो तो)	9%
कटौती के लिए अधिकतम सीमा के नीचे की राशि (जोखिम भार से पहले)		
72)	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूँजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	762.42
73)	वित्तीय संस्थाओं के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश	-
74)	मोर्टगेज सर्विसिंग का अधिकार (संबंधित कर देयता का निवल)	-
75)	अस्थायी भिन्नताओं से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयताओं का निवल)	-
टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने पर लागू सीमाएं		
76)	मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	9,644.80
77)	मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने की सीमा	11,691.25
78)	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अधीन एक्सपोजर के संबंध में टियर 2 में शामिल करने हेतु पात्र प्रावधान (सीमा लागू होने से पूर्व)	-
79)	आंतरिक रेटिंग आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में प्रावधानों के शामिल किए जाने की सीमा	-
फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन पूँजी लिखत (केवल 31 मार्च, 2030 तक)		
80)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन सीईटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	-
81)	कैप के कारण सीईटी 1 में शामिल नहीं की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-
82)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन एटी 1 लिखतों पर मौजूदा कैप	-
83)	कैप के कारण एटी 1 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-
84)	फेज-आउट व्यवस्थाओं के अधीन टी2 लिखतों पर मौजूदा कैप	-
85)	कैप के कारण टी2 में नहीं शामिल की गई राशि (भुनाए गए और अवधिपूर्ण लिखतों के बाद अतिरिक्त)	-

टेम्पलेट पर नोट

टेम्पलेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	राशि ₹ मिलियन
	संचित हानियों से संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां	-
10	आस्थगित कर देयता से घटाई गई (संचित हानियों से जुड़ी हुई को छोड़कर) आस्थगित कर आस्तियां	15,169.47
	पंक्ति 10 में इंगित गए अनुसार योग	15,169.47
	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेशों की पूँजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया और उसकी बजाय कटौती की अधिकतम 10% की सीमा के अंतर्गत मान्य किया गया तो एआईएफआई की पूँजी में परिणामी वृद्धि	-
19	जिसमें से : सामान्य इक्विटी टियर 1 पूँजी में वृद्धि	-
	जिसमें से अतिरिक्त टियर 1 पूँजी में वृद्धि	-
	जिसमें से टियर 2 पूँजी में वृद्धि	-
	यदि गैर-समेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूँजी में निवेश को नहीं घटाया गया और इसलिए जोखिम भार लगाया गया तो:	-
26 ख	(i) सामान्य इक्विटी टियर-1 पूँजी में वृद्धि	-
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	-
	पात्र प्रावधान टियर-2 पूँजी में शामिल हैं	9,644.80
50	पात्र पुनर्मूल्यांकन रिजर्व टियर-2 पूँजी में शामिल है	-
	पंक्ति 50 का योग	14,488.12

सारणी डीएफ -12: पूँजी संरचना - मिलान संबंधी (रिकंसिलिएशन) अपेक्षाएं

चरण-1

₹ मिलियन

क्रमांक	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र		समेकन के विनियामकीय दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	
		यथा 31 मार्च, 2026		यथा 31 मार्च, 2026	
क	पूँजी एवं देयताएं				
	प्रदत्त पूँजी	159,093.66		159,093.66	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	138,636.25		138,636.25	
i	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	-		-	
	कुल पूँजी	297,729.91		297,729.91	
	जमा राशियां	766.31		766.31	
	जिनमें से : बैंकों की जमाराशियां	-		-	
ii	जिनमें से : ग्राहक की जमाराशियां	-		-	
	जिसमें से : अन्य जमा राशियां (वित्तीय संस्थाओं से जमा राशि सहित)	766.31		766.31	
iii	उधारियां	2,052,693.07		2,052,693.07	
	जिनमें से : भारतीय रिज़र्व बैंक से	-		-	
	जिनमें से : बैंकों से	630,690.69		630,690.69	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं तथा एजेंसियों से	15,299.12		15,299.12	
	जिनमें से: अन्य (बॉन्ड, सीपी, सीडी, ट्रेप्स एवं क्रोम्स)	1,406,703.25		1,406,703.25	
	जिसमें से: पूँजी लिखत	-		-	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	185,186.43		185,186.43	
	कुल देयताएं	2,536,375.72		2,536,375.72	
ख	आस्तियां				
	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	28,683.28		28,683.28	
i	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	84,448.20		84,448.20	
	निवेश:	211,186.51		211,186.51	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	186,237.06		186,237.06	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-		-	
ii	जिनमें से: शेयर	2,558.96		2,558.96	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बॉन्ड	1,693.93		1,693.93	
	जिनमें से: सहायक कंपनियों/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	3.23		3.23	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	20,693.33		20,693.33	
	ऋण तथा अग्रिम	2,077,790.45		2,077,790.45	
iii	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	439,768.87		439,768.87	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	1,638,021.59		1,638,021.59	
iv	अचल आस्तियां	3,351.83		3,351.83	
	अन्य आस्तियां	130,915.44		130,915.44	
v	जिनमें से: साख (गुडविल) एवं अमूर्त आस्तियां	-		-	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	15,169.47		15,169.47	
vi	समेकन पर गुडविल	-		-	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	-		-	
	कुल आस्तियां	2,536,375.72		2,536,375.72	

एक्जिम बैंक के लिए विनियामकीय समेकन और लेखांकन समेकन का क्षेत्र समान है और विनियामकीय समेकन और लेखांकन समेकन के बीच कोई अंतर नहीं है।

चरण-2

		₹ मिलियन		
क्रमांक	विवरण	वित्तीय विवरणों के अनुसार तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे के अंतर्गत तुलन पत्र	संदर्भ सं.
		यथा 31 मार्च, 2026	यथा 31 मार्च, 2026	
क	पूँजी एवं देयताएं			
i	प्रदत्त पूँजी	159,093.66	159,093.66	A
	जिसमें से : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	159,093.66	159,093.66	
	जिसमें से: एटी 1 के लिए पात्र राशि	-	-	
	आरक्षित निधि तथा अधिशेष	138,636.25	138,636.25	B
	जिसमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	129,300.11	129,300.11	B1
	जिसमें से: टियर 2 के लिए पात्र राशि	5,056.14	5,056.14	B2
	जिसमें से: लाभ तथा हानि खाता में शेष राशि	4,280.00	4,280.00	B3
	अल्प शेयर धारियों को ब्याज	-	-	
	कुल पूँजी	297,729.91	297,729.91	
ii	जमा राशियां	766.31	766.31	
	जिनमें से: बैंकों की जमा राशियां	-	-	
	जिनमें से: ग्राहक जमा राशियां	-	-	
	जिनमें से : अन्य जमा राशियां (वित्तीय संस्थाओं से जमा राशियों सहित)	766.31	766.31	
iii	उधारियां	2,052,693.07	2,052,693.07	
	जिनमें से: भारतीय रिज़र्व बैंक से	-	-	
	जिनमें से: बैंकों से	630,690.69	630,690.69	
	जिनमें से: अन्य संस्थाओं एवं एजेंसियों से	15,299.12	15,299.12	
	जिनमें से: अन्य (बॉन्ड, सीपी, सीडी, ट्रेप्स एवं क्रोम्स)	1,406,703.25	1,406,703.25	
	जिनमें से: पूँजी लिखत	-	-	
iv	अन्य देयताएं एवं प्रावधान	185,186.43	185,186.43	
	जिनमें से: गुडविल से संबंधित डीटीएल	-	-	
	जिनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-	-	
	कुल देयताएं	2,536,375.72	2,536,375.72	
ख	आस्तियां			
i	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद एवं शेष	28,683.28	28,683.28	
	बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	84,448.20	84,448.20	
ii	निवेश:	211,186.51	211,186.51	
	जिनमें से: सरकारी प्रतिभूतियां	186,237.06	186,237.06	
	जिनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	
	जिनमें से: शेयर	2,558.96	2,558.96	
	जिनमें से: डिबेंचर तथा बॉन्ड	1,693.93	1,693.93	
	जिनमें से: सहायक कंपनियां/ संयुक्त उद्यम/सहयोगी संस्थाएं	3.23	3.23	
	जिनमें से: अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड आदि)	20,693.33	20,693.33	
iii	ऋण तथा अग्रिम	2,077,790.45	2,077,790.45	
	जिनमें से: बैंकों को ऋण तथा अग्रिम	439,768.87	439,768.87	
	जिनमें से: ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम	1,638,021.59	1,638,021.59	
iv	अचल आस्तियां	3,351.83	3,351.83	
v	अन्य आस्तियां	130,915.44	130,915.44	C
	जिनमें से: साख (गुडविल) एवं अमूर्त आस्तियां	3,860.66	3,860.66	
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	-	-	
	जिनमें से: अन्य अमूर्त तत्व (एमएसआर को छोड़कर)	3,860.66	3,860.66	C1
	जिनमें से: आस्थगित कर आस्तियां	15,169.47	15,169.47	C2
vi	समेकन पर गुडविल	-	-	
vii	लाभ तथा हानि खाते में नामे शेष	-	-	
	कुल आस्तियां	2,536,375.72	2,536,375.72	

सारणी डीएफ-13: रेगुलेटरी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स की मुख्य विशेषताएँ

	राशि ₹ मिलियन
1 जारीकर्ता	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत स्थापित भारतीय निर्यात-आयात बैंक
2 विशिष्ट पहचानकर्ता (उदा. सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा निजी नियुक्तियों के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	लागू नहीं
3 लिखतों का नियंत्रण करने वाले नियम	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981; भारतीय कानून
विनियामक ट्रीटमेंट	
4 बासल III नियम	कॉमन इक्विटी टियर 1
5 एकल/समूह/समूह एवं एकल स्तर पर पात्र	एकल और समूह
6 लिखत का प्रकार	पूँजी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा अभिदत्त
7 विनियामक पूँजी में शामिल की गई राशि (मिलियन रुपये में, अद्यतन रिपोर्ट की गई तिथि के अनुसार)	159,093.66
8 लिखत का सम मूल्य	159,093.66
9 लेखांकन वर्गीकरण	पूँजी
10 जारी करने की मूल तिथि	विभिन्न
11 सतत अथवा दिनांकित	लगातार
12 मूल परिपक्वता तिथि	नहीं
13 पूर्व पर्यवेक्षी अनुमोदन के अधीन जारीकर्ता कॉल	लागू नहीं
14 वैश्विक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक एवं मोचन राशि	लागू नहीं
15 अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं
16 कूपन/लाभांश	
स्थिर अथवा अस्थिर लाभांश/कूपन	लागू नहीं
17 कूपन दर अथवा कोई अन्य संबंधित सूचकांक	लागू नहीं
18 लाभांश रोधक का अस्तित्व	लागू नहीं
19 पूर्ण विवेकाधिकार, अर्धविवेकाधिकार अथवा अनिवार्य	लागू नहीं
20 भुनाने के लिए स्टेप अप अथवा अन्य प्रोत्साहन राशि का अस्तित्व	लागू नहीं
21 गैर-संचयी अथवा संचयी	लागू नहीं
22 परिवर्तनीय अथवा अपरिवर्तनीय	लागू नहीं
23 यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन ट्रिगर	लागू नहीं
24 यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं
25 यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तन दर	लागू नहीं
26 यदि परिवर्तनीय है तो, अनिवार्य अथवा वैकल्पिक परिवर्तन	लागू नहीं
27 यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
28 यदि परिवर्तनीय है तो, परिवर्तनीय लिखत के जारीकर्ता को विनिर्दिष्ट करें	लागू नहीं
29 अवलेखन विशेषताएं	लागू नहीं
30 यदि अवलिखित है तो, अवलेखन ट्रिगर	लागू नहीं
31 यदि अवलिखित है तो, पूर्णतः अथवा अंशतः	लागू नहीं

	राशि ₹ मिलियन
32 यदि अवलिखित है तो, स्थाई अथवा अस्थायी	लागू नहीं
33 यदि अस्थायी अवलिखित है तो, राइट अप प्रणाली का विवरण	लागू नहीं
34 परिसमापन में अधीनता स्थान में पदक्रम (लिखत के निकटतम वरिष्ठ लिखत प्रकार का उल्लेख करें)	सबसे कम प्राथमिकता वाला दावा*
35 गैर कार्यान्वित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
36 यदि हां, गैर कार्यान्वित विशेषताओं को विनिर्दिष्ट करना	लागू नहीं

*भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 38 के अनुसार, कंपनियों अथवा निगमों के परिसमापन से संबंधित किसी भी कानून का कोई भी प्रावधान एक्जिम बैंक पर लागू नहीं होगा तथा एक्जिम बैंक का परिसमापन केंद्र सरकार के आदेश या केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य रीति से ही किया जा सकेगा।

सारणी डीएफ - 14: विनियामकीय पूँजी लिखतों के पूर्ण निबंधन और शर्तें

लिखत	पूर्ण निबंधन और शर्तें
कॉमन इक्विटी टियर 1	भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 के अंतर्गत इसकी पूँजी पूर्णतः भारत सरकार द्वारा अभिदत्त है।

सारणी डीएफ-15: पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण अपेक्षाएं

यह लागू नहीं है, क्योंकि यह प्रकटीकरण केवल निजी क्षेत्र के बैंकों, भारत में परिचालनरत विदेशी बैंकों तथा निजी क्षेत्र की अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं, यदि कोई हैं, पर लागू है।

सारणी डीएफ-16: इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति का प्रकटीकरण

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार और निवेश वर्गीकरण तथा मूल्यांकन संबंधी बैंक की समेकित ट्रेजरी परिचालन नीति के अनुरूप, निवेशों को खरीद की तिथि को ही “ट्रेडिंग के लिए धारित” (एचएफटी), “बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)” और परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखे जाने वाले निवेशों को एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों की इक्विटी में निवेशों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है। इनका उपयोग रणनीतिक संबंधों को बनाए रखने या रणनीतिक व्यवसाय प्रयोजनों के लिए रणनीतिक उद्देश्य से किया जाता है।

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत निवेशों को मार्क-टू-मार्केट करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इन्हें अधिग्रहण लागत पर लिया जाता है। इक्विटी निवेश के मूल्य में अस्थायी प्रकृति से इतर किसी भी हास के लिए प्रावधान किया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर होने वाली किसी भी हानि को लाभ एवं हानि के खाते में हिसाब में लिया जाता है। एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत निवेशों की बिक्री पर होने वाले किसी भी लाभ को लाभ एवं हानि के खाते में हिसाब में लिया जाता है और फिर करों को घटाकर आरक्षित पूँजी निधि एवं सांविधिक आरक्षित निधि में विनियोजित कर दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इन प्रतिभूतियों की बिक्री एवं परिसमापन से होने वाला संचयी वास्तविक लाभ/(हानि) शून्य रही।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण

क्र. सं.	निवेश	तुलन पत्र में प्रकटित मूल्य	₹ मिलियन उचित मूल्य
1	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	65,950.00	65,986.32
2	सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश	868.82	1,016.66
3	उद्यमों सहित अन्य निवेश पूँजीगत निधि	348.23	326.40

कोटेड प्रतिभूतियों के लिए सार्वजनिक रूप से कोटेड शेयर मूल्यों की तुलना, जहां शेयर की कीमत उचित मूल्य से वास्तव में अलग है।

₹ मिलियन

क्र. सं.	निवेशों के प्रकार और प्रकृति	सार्वजनिक रूप से लेनदेन किए गए	निजी रूप से धारित
	शून्य		
1	रिपोर्टिंग अवधि में बिक्री और परिसमापन से उत्पन्न संचयी प्राप्त लाभ (हानियां)		
2	कुल अप्राप्त लाभ (हानियां)		
3	कुल प्रछन्न पुनर्मूल्यांकन लाभ (हानियां)		
4	उपर्युक्त में से टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 में शामिल की गई राशियां।	शून्य	
5	बैंक की कार्यपद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूह द्वारा विभाजित पूँजी अपेक्षाएं और सकल राशियां तथा इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो विनियामक पूँजी अपेक्षाओं के संबंध में किन्हीं पर्यवेक्षी संक्रमण या ग्रांड फादरिंग प्रावधानों के अधीन हो।		

सारणी डीएफ-17: लेखांकन आस्तियों एवं लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन का तुलनात्मक सारांश

क्रमांक	विवरण	₹ मिलियन
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	2,536,375.72
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में ऐसे निवेश के लिए समायोजन, जो विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं, तथापि लेखांकन प्रयोजनों के लिए जिनका समेकन किया गया है	-
3	ऑपरेटिव लेखांकन संरचना के अनुसार तुलन पत्र की मान्यता प्राप्त प्रत्ययी आस्तियों के लिए समायोजन, लेकिन जिन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर आकलन में शामिल नहीं किया गया है	-
4	डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	13,807.89
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण संबंधी लेनदेनों के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और इसी तरह सुरक्षित ऋण)	-
6	तुलन पत्रेतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलन पत्रेतर एक्सपोजर की राशि के समकक्ष क्रेडिट में रूपांतरण)	424,497.19
7	अन्य समायोजन	(19,030.13)
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	2,955,650.67

सारणी डीएफ-18: लीवरेज अनुपात कॉमन प्रकटीकरण नमूना

लीवरेज अनुपात

क्रमांक	विवरण	₹ मिलियन
	तुलन पत्र पर मौजूद एक्सपोजर	
1	तुलन पत्र पर मौजूद मदें (डेरिवेटिव तथा एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्श्विक को शामिल करते हुए)	2,536,375.72
2	(बासल III टियर 1 पूँजी के निर्धारण में घटाई गई आस्तियों की राशि)	(19,030.13)
3	तुलन पत्र का कुल एक्सपोजर (डेरिवेटिव एवं एसएफटी को छोड़कर) (पंक्ति 1 और 2 का योग)	2,517,345.59
	डेरिवेटिव एक्सपोजर	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकदी रूपांतरण मार्जिन का कुल जोड़)	6,186.32
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से जुड़ी पीएफई के लिए पूरक राशि	11,107.85
6	ऑपरेटिव लेखांकन संरचना के अनुरूप तुलन पत्र आस्तियों से घटाए गए डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए समग्र प्रावधान	-
7	(डेरिवेटिव लेनदेनों में दर्शाए गए नकदी घट-बढ़ मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौतियां)	(3,486.28)
8	(ग्राहक-समाशोधित कारोबारी एक्सपोजर के लिए छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	-
9	लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित राशि	-
10	(लिखत क्रेडिट डेरिवेटिव के लिए समायोजित प्रभावी अनुमानित समराशि तथा पूरक कटौतियां)	-
11	कुल डेरिवेटिव एक्सपोजर (पंक्ति 4 से 10 का योग)	13,807.89

क्रमांक	विवरण	₹ मिलियन
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर	
12	सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग के लिए मान्य रहित), बिक्री लेखांकन लेनदेनों को समायोजित करने के बाद	-
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के लिए नकद देयराशियों तथा नकद प्राप्त राशियों की निवल राशि)	-
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर एक्सपोजर	-
15	एजेंट लेनदेन एक्सपोजर	-
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोजर (पंक्ति 12 से 15 का योग)	-
	अन्य तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर	
17	सकल अनुमानित राशि पर तुलन पत्रेतर एक्सपोजर	909,769.26
18	(ऋण समतुल्य राशि के रूपांतरण के लिए समायोजन)	(485,272.07)
19	तुलन पत्रेतर मदें (पंक्ति 17 एवं 18 का योग)	424,497.19
	पूँजी और कुल एक्सपोजर	
20	टियर 1 पूँजी	269,363.65
21	कुल एक्सपोजर (पंक्ति 3, 11, 16 और 19 का योग)	2,955,650.67
	लीवरेज अनुपात	
22	बासल III लीवरेज अनुपात (पंक्ति 20 का पंक्ति 21 से विभाजन)	9.11%

पूँजी लिखत की प्रमुख विशेषताएं

पूँजी (डीएफ-13) की प्रमुख विशेषताएं और नियम तथा शर्तों (डीएफ 14) से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट पर विनियामकीय प्रकटीकरण खंड के अंतर्गत अलग से किया गया है। इस खंड का लिंक निम्नानुसार है: <https://www.eximbankindia.in/investor-relations>

4.2 निर्बंध आरक्षित निधियां एवं प्रावधान

(क) मानक आस्तियों पर प्रावधान

विवरण	2025-26	2024-25
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	41,346	30,409

(ख) अस्थायी प्रावधान

विवरण	2025-26	2024-25
(क) अस्थायी प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष	-	-
(ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों की राशि	-	-
(ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरित की गई राशि	-	-
(घ) अस्थायी प्रावधान खातों में अंतिम शेष	-	-

4.3 आस्ति गुणवत्ता और विशिष्ट प्रावधान

(क) अनर्जक अग्रिम

विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (%)	0.01%	0.14%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	32,197.30	31,012.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,418.85	5,224.23
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(23,641.17)	(4,039.52)
(घ) अंतिम शेष	11,974.98	32,197.30

विवरण	2025-26	2024-25
(iii) निवल अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	2,527.30	4,572.59
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	192.43	-
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2,527.30)	(2,045.29)
(घ) अंतिम शेष	192.43	2,527.30
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	29,670.00	26,440.00
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	945.66	5,769.75
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़ा खाता/प्रतिलेखन	(18,833.10)	(2,539.75)
(घ) अंतिम शेष	11,782.56	29,670.00

(ख) अनर्जक निवेश

विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल निवेशों की तुलना में निवल अनर्जक निवेश (%)	0.03%	0.07%
(ii) अनर्जक निवेशों में घट-बढ़ (सकल)		
(क) प्रारंभिक शेष	20,227.83	18,913.45
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	9.99	1,650.36
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(262.04)	(335.98)
(घ) अंतिम शेष	19,975.78	20,227.83
(iii) निवल अनर्जक निवेशों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	109.66	100.48
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	-	9.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(36.94)	(0.69)
(घ) अंतिम शेष	72.72	109.66
(iv) अनर्जक निवेशों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	20,118.16	18,812.97
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	46.93	1,651.05
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़ा खाता/प्रतिलेखन	(262.04)	(345.86)
(घ) अंतिम शेष	19,903.05	20,118.16

(ग) अनर्जक आस्तियां (क+ख)

विवरण	2025-26	2024-25
(i) निवल आस्तियों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां (अग्रिम + निवेश) (%)	0.01%	0.13%
(ii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़ (सकल अग्रिम + सकल निवेश)		
(क) प्रारंभिक शेष	52,425.13	49,926.04
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	3,428.84	6,874.59
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(23,903.21)	(4,375.50)
(घ) अंतिम शेष	31,950.76	52,425.13
(iii) अनर्जक आस्तियों में घट-बढ़		
(क) प्रारंभिक शेष	2,636.96	4,673.07
(ख) वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	192.43	9.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	(2,564.29)	(2,045.98)
(घ) अंतिम शेष	265.15	2,636.96
(iv) अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में घट-बढ़ (मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को छोड़कर)		
(क) प्रारंभिक शेष	49,788.16	45,252.97
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	992.59	7,420.80
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बढ़ा खाता/प्रतिलेखन	(19,095.14)	(2,885.61)
(घ) अंतिम शेष	31,685.61	49,788.16

4.4 पुनर्संरचित किए गए खातों का विवरण - वर्तमान वर्ष

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत										अन्य				कुल	
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि		कुल
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	8	8	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	-	15,225	15,225	
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	-	10,881	10,881	
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,496	435	218	-	2,149	2,149	
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	435	218	-	728	728	
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1	-1	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513	-2,513	-2,513
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513	-2,513	-2,513
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-1	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	-526	-	-1,558	-1,558	-1,558
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	-526	-	-1,558	-1,558	-1,558
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बड़े खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	6	6	
		बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,069	-	7,235	-	13,304	13,304	13,304
		उस पर प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	-	7,235	-	7,539	7,539	7,539

₹ मिलियन

गत वर्ष

क्र.सं.	पुनर्संरचना का प्रकार आस्ति वर्गीकरण	विवरण	कंपनी कर्ज पुनर्संरचना (सीडीआर) प्रक्रिया के अंतर्गत										अन्य		कुल	
			एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया के अंतर्गत													
			मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल				
1	वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक तारीख को पुनर्संरचित खाते (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	10	10
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	3,804	1,254	9,867	-	14,925	14,925	
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853	1,254	8,627	-	12,734	12,734
2	वर्ष के दौरान नवीन पुनर्संरचना/बढ़त	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	4,039	117	-	8,729	8,729	
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,892	1,357	-	5,478	5,478
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिम, जिनमें उच्चतर प्रावधान हुए और / अथवा अतिरिक्त जोखिम भार और इस तरह उन्हें अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक ऋण एवं अग्रिमों के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं है	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों का डाउनग्रेडेशन / घटत	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को बड़े खाते डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)	उधारकर्ताओं की संख्या	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	8	8
बकाया राशि		-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	-	15,225	15,225	
उस पर प्रावधान		-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	-	10,881	10,881	

4.5 अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
यथा 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां (प्रारंभिक शेष)	32,197	31,013
वर्ष के दौरान बढ़त (नई अनर्जक आस्तियां)	321	4,326
ब्याज निधीयन	95	225
विनिमय दर उतार-चढ़ाव	3,003	673
उपखंड योग (क)	35,616	36,237
घटाएँ:		
(i) उन्नयन	2,512	1,851
(ii) वसूली (अपग्रेड किए खातों से वसूली को छोड़कर)	20,538	1,172
(iii) तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	-
(iv) बट्टे खाते, उपर्युक्त (iii) के अलावा	591	1,017
(v) विनिमय दर उतार-चढ़ाव	-	-
उपखंड योग (ख)	23,641	4,040
यथा 31 मार्च को सकल अनर्जक आस्तियां (अंतिम शेष) (क-ख)	11,975	32,197

आरबीआई आईआरएसीपी मानदंड परिपत्र डीओआर.एसटीआर.आरईसी.सं.250/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार सकल अनर्जक आस्तियां

4.6 राइट ऑफ और वसूली

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
यथा 1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकसम्मत रूप से राइट ऑफ किए गए खातों का प्रारंभिक शेष	113,146	113,052
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ	-	-
जोड़ें/(घटाएँ): विनिमय में उतार-चढ़ाव	6,203	1,328
उपखंड योग (क)	119,349	114,380
घटाएँ: वर्ष के दौरान पुराने तकनीकी/विवेकसम्मत राइट ऑफ किए गए खातों से की गई वसूली (ख)	(3,254)	(1,234)
यथा 31 मार्च को अंतिम शेष (क-ख)	116,095	113,146

4.7 विदेशी आस्तियां, अनर्जक आस्तियां और राजस्व

नीचे दिए गए आंकड़े बैंक की लंदन शाखा से संबंधित हैं:

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
कुल आस्तियां	111,483.83	125,999.79
कुल अनर्जक आस्तियां	3,144	2,833
कुल राजस्व	6,800.96	7,825.53

4.8 निवेशों पर मूल्यहास और प्रावधान

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
(1) निवेश		
(i) सकल निवेश	235,806.38	182,642.59
(क) भारत में	233,389.58	180,419.41
(ख) भारत से बाहर	2,416.80	2,223.18
(ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान	23,754.27	22,529.38
(क) भारत में	21,700.79	20,629.41
(ख) भारत से बाहर	2,053.48	1,899.97
(iii) निवल निवेश	212,052.11	160,113.21
(क) भारत में	211,688.79	159,790.00
(ख) भारत से बाहर	363.32	323.21

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
(2) निवेशों पर मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव		
(i) प्रारंभिक शेष	22,529.39	23,252.92
(ii) जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	1,792.03	681.76
(iii) वर्ष के दौरान निवेश अस्थिर आरक्षित निधि खाते से विनियोजन, यदि कोई है	-	-
(iv) घटाएं: वर्ष के दौरान अतिरिक्त प्रावधानों पर राइट ऑफ/प्रतिलेखन	567.15	1,405.29
(v) घटाएं: अस्थिर आरक्षित निधि खाते में हस्तांतरण, यदि कोई है	-	-
(vi) अंतिम शेष	23,754.27	22,529.39

4.9 प्रावधान और आकस्मिक व्यय

	₹ मिलियन	
लाभ एवं हानि लेखा शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए 'प्रावधान और आकस्मिक व्यय' का विवरण	2025-26	2024-25
निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	1,505.28	(1,048.18)
अनर्जक आस्ति के लिए प्रावधान	(18,262.65)	3,112.65
आयकर के लिए किए गए प्रावधान	13,220.49	10,541.36
अन्य प्रावधान और आकस्मिक व्यय*	10,700.43	(7,387.45)

* इसमें बैंक गारंटियों के लिए प्रावधान के चलते ₹ 1,816 मिलियन (गत वर्ष रिवर्सल ₹ 5,014 मिलियन) और देशगत जोखिम के रिवर्सल के चलते 617 मिलियन और (गत वर्ष ₹ 513 मिलियन) और हेज न किए गए विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं पर एक्सपोजर के चलते ₹ 37 मिलियन (गत वर्ष ₹ 397 मिलियन) का प्रावधानीकरण शामिल है।

4.10 प्रावधान कवरेज अनुपात

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
प्रावधान कवरेज अनुपात	99.85%	98.26%

4.11 वर्ष के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामले और उनके लिए किए गए प्रावधान

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ₹153.05 मिलियन की राशि के एक खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है। तथापि, बैंक द्वारा ₹89.88 मिलियन की राशि की वसूली कर ली गई है तथा शेष बकाया ₹63.17 मिलियन रहा, जिसके लिए 100% प्रावधान किया गया है (गत वर्ष: शून्य)। इसके अलावा, वर्षांत तक 'अन्य आरक्षित निधि' से डेबिट की गई परिशोधित न की गई प्रावधान राशि भी शून्य रही।

5. निवेश पोर्टफोलियो: संघटक एवं परिचालन

5.1 रेपो लेन-देन

वर्तमान वर्ष:

	₹ मिलियन			
विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	6,000.00	6,000.00	263.01	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

गत वर्ष:

₹ मिलियन

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	1,000.00	24,050.00	1,307.53	6,000.00
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-

5.2 गैर-सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए निवेशकर्ता की जमाराशियों का प्रकटीकरण

वर्तमान वर्ष:

₹ मिलियन

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि				
		राशि	निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	2,413.34	2,413.34	-	64.42	2,413.34
3	बैंक	2.38	2.38	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	25,198.45*	25,138.75	-	3,784.39	22,446.06
5	सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम	1,140.19	1,140.19	-	1,140.19	1,140.19
6	अन्य	19,261.23	19,261.23	-	428.23	19,181.23
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान#	22,200.53	22,140.83	-	3,287.27	20,486.96
	कुल	48,015.58	47,955.88	-	5,417.23	45,180.82

* कॉलम 3 में प्रकट किए जाने के लिए रखे गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18,278.57 मिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6,073.78 मिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/डिबेंचरों में हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

गत वर्ष:

₹ मिलियन

क्र. सं.	निवेशकर्ता	राशि				
		राशि	निजी प्लेसमेंट के जरिए किया गया निवेश	“निवेश ग्रेड से नीचे” धारित प्रतिभूतियां	धारित “अश्रेणीकृत” प्रतिभूतियां	धारित “असूचीबद्ध” प्रतिभूतियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक उपक्रम	-	-	-	-	-
2	वित्तीय संस्थाएं	563.91	563.91	-	64.42	563.91
3	बैंक	2.38	2.38	-	-	-
4	निजी कॉर्पोरेट	27,499.54*	2,499.54	-	4,577.04	24,468.20
5	सहायक कंपनियां /संयुक्त उद्यम	418.95	418.95	-	418.95	418.95
6	अन्य	360.78	360.78	-	336.06	360.78
7	मूल्यहास के लिए किए गए प्रावधान#	22,529.39	22,469.69	-	3,894.57	21,220.01
	कुल	28,845.56	28,845.56	-	5,396.47	25,811.84

कॉलम 3 में प्रकट किए जाने के लिए रखे गए प्रावधान की कुल राशि।

* जिसमें से ₹ 18,470.44 मिलियन की जमा राशियां आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों (एआरसी) द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश को दर्शाती हैं और ₹ 6,411.23 मिलियन का निवेश ऋण पुनर्संरचना के हिस्से के रूप में शेयरों/डिबेंचरों में हैं।

उपर्युक्त कॉलम 4, 5, 6 और 7 के अंतर्गत उल्लिखित राशियां पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं।

5.3 हेल्ड टू मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में/से बिक्री और अंतरण

31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के दौरान, हेल्ड-टू-मैच्योरिटी (एचटीएम) श्रेणी में से निवेशों का कोई बिक्री और अंतरण नहीं किया गया। (गत वर्ष : शून्य)

5.4 एक्जिजिट बैंक के वित्तीय विवरणों का प्रारूप भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियम, 2020 में निर्धारित किया गया है। चूंकि, वर्तमान में, निवेश आरक्षित निधि खाता (आईआरए) निर्धारित प्रारूप का हिस्सा नहीं है, इसलिए आईआरए में अंतरित की जाने वाली प्रस्तावित राशि को उपयुक्त प्रकटनों के साथ वित्तीय विवरणों में निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर) मद के तहत प्रकटित किया जा रहा है।

6. खरीदी/बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

6.1 आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण / पुनर्संरचना कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. बिक्री का विवरण

		₹ मिलियन	
क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	खातों की संख्या	1	1
(ii)	प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेचे गए खातों (प्रावधानों को घटाकर) का कुल मूल्य	-	-
(iii)	कुल प्राप्ति	55	455
(iv)	गत वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि	242.64	390
(v)	निवल बही मूल्य पर कुल प्राप्ति/(हानि)	250.94	850

ख. प्रतिभूति जमाओं में निवेशों के बही मूल्य का विवरण

		₹ मिलियन	
		प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य	
विवरण		2025-26	2024-25
(i)	बैंक द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	486.21	205.81
(ii)	बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा गारंटी	-	-
	कुल	486.21	205.81

6.2 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

क. खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

		₹ मिलियन	
विवरण		2025-26	2024-25
1.	(क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-
2.	(क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या	-	-
	(ख) कुल बकाया	-	-

ख. बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विवरण

		₹ मिलियन	
विवरण		2025-26	2024-25
1.	बेचे गए खातों की संख्या	1	1
2.	कुल बकाया	169	1,472
3.	कुल प्राप्त राशि	55	455

6.3 अधिग्रहीत/ हस्तांतरित ऋण एक्सपोजरों का प्रकटीकरण

I) वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए ऐसे ऋणों का विवरण जिनमें चूक नहीं पाई गई है

(क) चूक न पाए गए हस्तांतरित ऋणों के संबंध में प्रकटीकरण

₹ मिलियन

विवरण	2025-26	2024-25
हस्तांतरित ऋणों की कुल राशि (जिसमें से निम्न माध्यमों से हस्तांतरित ऋण शामिल हैं)		
क) समुनदेशन	-	-
ख) नवीनीकरण	-	-
ग) ऋण सहभागिता	-	-
भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्षों में)	-	-
भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)	-	-
लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (% में)	-	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज (% में)	-	-
रेटिड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण		
एएए-ए	-	-
बीबीबी	-	-
बीबीबी से कम अर्थात् निवेश ग्रेड	-	-
ऐसे उदाहरणों का खुलासा करना चाहिए जहां वह हस्तांतरित(ओं) को हस्तांतरित ऋणों को बदलने या किसी व्यपदेशन या वारंटी से होने वाले नुकसान का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। (उदाहरणों की संख्या, प्रतिस्थापित ऋण की राशि, नुकसान का भुगतान की गई राशि)	-	-

(ख) चूक न पाए गए अधिग्रहीत ऋणों के संबंध में प्रकटीकरण

₹ मिलियन

विवरण	2025-26	2024-25
हस्तांतरित ऋणों की कुल राशि (जिसमें से निम्न माध्यमों से हस्तांतरित ऋण शामिल हैं)		
क) समुनदेशन	-	-
ख) नवीनीकरण	9,114.38	12,189.66
ग) ऋण सहभागिता	-	-
भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्षों में)	11.03	13.46
प्रवर्तक द्वारा भारित औसत धारण अवधि (वर्षों में)*	-	-
प्रवर्तक द्वारा लाभकारी आर्थिक हित का प्रतिधारण (% में)*	-	-
मूर्त प्रतिभूति कवरेज *	-	-
रेटिड ऋणों का रेटिंग-वार वितरण*		
बीबीबी	-	-
बीबीबी से नीचे अर्थात् निवेश ग्रेड	-	-

*विभिन्न विवरणों के साथ बहु-ऋण खातों का विवरण।

II) हस्तांतरित/अधिग्रहीत किए गए दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

क) हस्तांतरित दबावग्रस्त ऋणों का विवरण

₹ मिलियन

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को	अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	168.80	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	55	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	242.64	-	-

गत वर्ष :

विवरण	एआरसी को	अनुमत हस्तांतरणकर्ताओं को*	₹ मिलियन
			अन्य हस्तांतरणकर्ताओं को (कृपया उल्लेख करें)
खातों की संख्या	1	-	-
हस्तांतरित ऋणों का कुल मूलधन	1,472	-	-
हस्तांतरित ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	शून्य	-	-
हस्तांतरित ऋणों का निवल बही मूल्य (हस्तांतरण के समय)	शून्य	-	-
कुल प्रतिफल	455	-	-
पिछले वर्षों में हस्तांतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली	390	-	-

ख) अधिग्रहीत ऋणों का विवरण

विवरण	आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित एससीबी, आरआरबी, सहकारी बैंकों, एआईएफआई, एसएफबी और एनबीएफसी से	₹ मिलियन
		एआरसी से
अधिग्रहीत ऋणों का कुल मूलधन बकाया	-	-
कुल प्रतिफल का भुगतान किया गया	-	-
अधिग्रहीत ऋणों की भारित औसत अवशिष्ट अवधि	-	-

7. परिचालन परिणाम

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय	8.76%	9.37%
(ii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय	0.35%	0.28%
(iii)	औसत कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ	2.22%	1.92%
(iv)	औसत आस्तियों पर प्रतिफल	1.88%	1.61%
(v)	प्रति (स्थायी) कर्मचारी निवल लाभ/(हानि) (₹ मिलियन में)	119.03	90.59

- परिचालन परिणामों के लिए कार्यशील निधियों और कुल आस्तियों को गत लेखा वर्ष के अंत तथा रिपोर्ट के अंतर्गत लेखा वर्ष के अंत के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है ("कार्यशील निधियों" का संदर्भ निवल अर्जक आस्तियों से है)।
- प्रति कर्मचारी निवल लाभ की गणना के लिए सभी कैडरों के स्थायी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को लिया गया है।

8. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

8.1 पूँजी बाजार एक्सपोजर

₹ मिलियन

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स में प्रत्यक्ष निवेश, जिनका निवेश केवल कॉर्पोरेट ऋण में ही नहीं है;	789	559
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स में निवेश के लिए शेयरों / बॉन्डों / डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के एवज में अग्रिम अथवा गैर प्रतिभूति आधार पर व्यक्तियों को अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों की यूनिट्स को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	398	547
(iv)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की कोलैटरल सिक्योरिटी, अर्थात् ऐसे उद्देश्य जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों / परिवर्तनीय डिबेंचरों / इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स के अलावा प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरी तरह कवर नहीं करती;	2,020	2,407
(v)	शेयर दलालों को जमानती और गैर-जमानती अग्रिम तथा शेयर दलालों और मार्केटमेकर्स की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधन जुटाने के लिए कॉर्पोरेट्स को नई कंपनियों में प्रवर्तक इक्विटी लेने के लिए शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के पेटे या बेजमानती ऋणों की मंजूरी;	-	-
(vii)	संभावित इक्विटी प्रवाह/निर्गमों के बदले पूरक ऋण;	-	-
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंड यूनिट्स की प्राथमिक निर्गम की खरीद के संबंध में बैंक द्वारा दी गई हामीदारी प्रतिबद्धताएं;	-	-
(ix)	शेयर दलालों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण;	-	-
(x)	उद्यम पूँजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए सभी एक्सपोजर	348	336
	पूँजी बाजार में कुल एक्सपोजर	3,555	3,849

8.2 देशगत जोखिम एक्सपोजर

₹ मिलियन

जोखिम श्रेणी	यथा मार्च 2026 को एक्सपोजर (निवल)*	यथा मार्च 2026 को रखे गए प्रावधान	यथा मार्च 2025 को एक्सपोजर (निवल)*	यथा मार्च 2025 को रखे गए प्रावधान
नगण्य	96,934	371	98,889	988
न्यून	217,271	-	182,772	-
मध्यम	109,531	-	487,017	-
उच्च	857,107	-	274,821	-
बहुत ज्यादा	43,615	-	177,939	-
प्रतिबंधित	-	-	-	-
ऑफ क्रेडिट	-	-	-	-
कुल	1,324,458	371	1,221,438	988

*इस एक्सपोजर में भारत सरकार की ओर से प्रदान की गई ऋण-व्यवस्थाएं शामिल हैं, जिनके संबंध में जोखिम भार शून्य प्रतिशत है, जो भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान - पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकसम्मत मानदंड) निदेश, 2025 के अनुरूप है।

8.3 रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (एसडीआर) योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्संरचना संबंधी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्जिम बैंक पर लागू नहीं हैं।

8.4 क्रियान्वित की गई समाधान योजना

वर्तमान वर्ष :

निधि आधारित:

₹ मिलियन				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026* को बकाया राशि
4	981	73	908	-

*समाधान योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि मूल बकाया से अधिक थी। तदनुसार, शेष राशि को ब्याज में समायोजित कर लिया गया।

गैर-निधि आधारित:

₹ मिलियन				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. सं.250/21.04.048/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार।

गत वर्ष:

निधि आधारित:

₹ मिलियन				
उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि
5	1,390	1,280	3,190	1,280

गैर-निधि आधारित:

₹ मिलियन				
उधारकर्ताओं की संख्या*	बकाया ऋण (पुनर्संरचना से पहले)	बकाया ऋण (पुनर्संरचना के बाद)	पुनर्संरचना के बाद वसूली राशि	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया राशि
-	-	-	-	-

- अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई के परिपत्र डीओआर सं. एसटीआर.आरईसी. 8/21.04.048/2024-25 दिनांकित 02 अप्रैल, 2024 के अनुसार।

8.5 दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना योजना (एस4ए) के अंतर्गत एक्सपोज़र

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्संरचना संबंधी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्जिम बैंक पर लागू नहीं हैं।

- 8.6** यथा 31 मार्च, 2026 को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत ₹ 5,870 मिलियन के बकाया ऋण (गत वर्ष ₹ 6,869 मिलियन) के साथ 58 खातों (गत वर्ष: 62 खाते) को एनसीएलटी में दाखिल किया गया या संदर्भित किया गया, जिनके एवज में बैंक ने 96.73% प्रावधान (गत वर्ष: 100%) किया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान इन खातों से कुल ₹ 3,700 मिलियन (गत वर्ष ₹ 500 मिलियन) राशि वसूल की गई।

8.7 बैंक द्वारा विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण देने संबंधी मामले-एकल उधारकर्ता सीमा/समूह उधारकर्ता सीमा

क. वर्ष के दौरान विवेकसम्मत ऋण सीमा से अधिक ऋण संबंधी मामलों की संख्या और राशि

₹ मिलियन								
क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोज़र
-	-	-	-	-	-	-	-	-

गत वर्ष:

₹ मिलियन

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

ख. पूँजीगत निधियों और कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में ऋण एक्सपोजर

वर्तमान वर्ष :

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत*	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	17.37%	1.33%	1.60%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	26.67%	2.04%	2.46%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	210.75%	16.12%	19.47%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	306.41%	23.44%	28.30%

* यथा 31 मार्च, 2025 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरीयां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर।

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2026 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोजर टियर 1 पूँजी के 20% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोजर टियर 1 पूँजी निधियों के 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। ओएनजीसी समूह के मामले में, यह ऋण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए वित्त के रूप में वर्गीकृत है, इसलिए यह टियर 1 पूँजी के 30% तक वित्तपोषण के लिए पात्र है।

गत वर्ष:

विवरण	पूँजीगत निधियों की तुलना में प्रतिशत*	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत*	कुल आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i) सबसे बड़ा एकल उधारकर्ता	19.95%	1.54%	1.86%
ii) सबसे बड़ा उधारकर्ता समूह	22.62%	1.75%	2.10%
iii) 20 सबसे बड़े एकल उधारकर्ता	193.40%	14.94%	17.99%
iv) 20 सबसे बड़े उधारकर्ता समूह	275.23%	21.26%	25.60%

* यथा 31 मार्च, 2024 को पूँजीगत निधियां

@ टीसीई: ऋण + अग्रिम + अप्रयुक्त मंजूरीयां + गारंटियां + साख पत्र + डेरिवेटिव्स पर ऋण एक्सपोजर।

- 1) बैंकों और विदेशी संस्थाओं को दिए गए ऐसे ऋण, जिनके लिए भारत सरकार द्वारा गारंटी दी गई है/भारत सरकार की ओर से स्वीकृत किए गए हैं, उन्हें एकल/समूह उधारकर्ता एक्सपोजर में शामिल नहीं किया गया है।
- 2) यथा 31 मार्च, 2025 को ऐसे कोई उधारकर्ता नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोजर टियर ख पूँजी के 20% की आधार सीमा से अधिक रहा हो। इसके अलावा, ऐसे कोई उधारकर्ता समूह नहीं रहे, जिन्हें ऋण एक्सपोजर टियर 1 पूँजी निधियों के 25% की आधार सीमा से अधिक रहा हो।

ग. पांच सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों को ऋण एक्सपोजर

वर्तमान वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	5.37%	7.85%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.17%	6.09%
iii. लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	4.17%	6.09%

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.38%	4.94%
v. निर्माण	2.98%	4.36%

- “ऋण एक्सपोजर” की गणना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित अनुसार की गई है।
- उद्योग एक्सपोजर की गणना के लिए बैंकों और विदेशी संस्थाओं को भारत सरकार के निर्देशों पर दिए गए ऋणों को शामिल नहीं किया गया है।

गत वर्ष:

क्षेत्र	कुल ऋण एक्सपोजर (टीसीई) की तुलना में प्रतिशत	ऋण आस्तियों की तुलना में प्रतिशत
i. वित्तीय सेवाएं	4.78%	6.67%
ii. ईपीसी सेवाएं	4.65%	6.49%
iii. अलौह धातु एवं धातु प्रसंस्करण	4.43%	6.18%
iv. पेट्रोलियम उत्पाद	3.52%	4.92%
v. विद्युत	3.04%	4.25%

घ. अप्रतिभूतित अग्रिम

विवरण	₹ मिलियन	
	यथा 31 मार्च, 2026 को	यथा 31 मार्च, 2025 को
बैंक के कुल अप्रतिभूतित अग्रिम	3,13,861	3,38,423
i) जिसमें से कॉर्पोरेट / व्यक्तिगत गारंटियों, वचन पत्रों, ट्रस्ट रसीदों आदि जैसे अमूर्त आस्तियों के एवज में बकाया अग्रिम की राशि	49,549	17,376
ii) उपर्युक्त (i) में उल्लिखित अनुसार अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	-	11,511

यथा 31 मार्च, 2026 को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर ₹4,49,117 मिलियन (गत वर्ष: ₹2,92,824 मिलियन) के अप्रतिभूतित पुनर्वित्त एक्सपोजर शामिल नहीं हैं।

ड. फैक्ट्रिंग एक्सपोजर

एक्जिम फिनसर्व का ₹2,548 मिलियन का एक्सपोजर नॉन-रिकोर्स निर्यात फैक्ट्रिंग के जरिए है (गत वर्ष : ₹800 मिलियन)।

च. वर्ष के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा पार की गई विवेकसम्मत ऋण सीमा वाले एक्सपोजर

क्र. सं.	पैन	उधारकर्ता का नाम	उद्योग कोड	उद्योग का नाम	क्षेत्र	निधिक राशि	गैर-निधिक राशि	पूँजीगत निधियों के % के रूप में एक्सपोजर
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(गत वर्ष : शून्य)

छ. संबंधित पक्ष संबंधी एक्सपोजर

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
क	संबंधित पक्षों को ऋण		
1	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को मंजूर किए गए ऋणों का कुल मूल्य	-	-
2	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों को बकाया ऋण का कुल मूल्य	-	-

		₹ मिलियन	
क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
3	यथा 31 मार्च को कुल ऋण एक्सपोजर के अनुपात में संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों का कुल मूल्य	-	-
4	संबंधित पक्षों को बकाया ऋणों के कुल मूल्य को निम्नलिखित के रूप में वर्गीकृत किया है :	-	-
4(i)	31 मार्च तक स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (SMA)	-	-
4(ii)	यथा 31 मार्च को अनर्जक आस्तियाँ	-	-
5	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों को दिए गए ऋणों के संबंध में किए गए प्रावधानों की राशि	-	-
ख	संबंधित पक्षों से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट और व्यवस्थाएं		
6	वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों को प्रदान किए गए कॉन्ट्रैक्ट और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य*	15.28	7.48
7	यथा 31 मार्च को संबंधित पक्षों से संबंधित बकाया कॉन्ट्रैक्टों और व्यवस्थाओं का कुल मूल्य	-	-

*संबंधित पक्ष से ली गई सेवाओं का मूल्य।

9. उधारियों/ऋण-व्यवस्थाओं, ऋण एक्सपोजरों और अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

(क) उधारियों और ऋण-व्यवस्थाओं का संकेंद्रण

		₹ मिलियन	
विवरण		2025-26	2024-25
20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियाँ*		569,558.80	462,588.90
बैंक की कुल उधारियों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं से कुल उधारियों का प्रतिशत		27.74%	25.82%

*इसमें दस्तावेजीकरण के बाद सिंडिकेटेड ऋण शामिल हैं।

(ख) ऋण एक्सपोजरों का संकेंद्रण

		₹ मिलियन	
विवरण		2025-26	2024-25
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल एक्सपोजर		492,635	393,518
बैंक के कुल अग्रिमों की तुलना में 20 सबसे बड़े ऋणदाताओं को कुल एक्सपोजर का प्रतिशत		23.57%	20.85%
20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल एक्सपोजर		492,635	393,518
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में 20 सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजर का प्रतिशत		16.12%	14.94%
एक्जिम बैंक के मामले में, कुल एक्सपोजर की तुलना में शीर्ष 10 देशों के एक्सपोजर का प्रतिशत		31.58%	32.74%

एक्सपोजर की गणना भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन), निदेश 2025 के अनुसार की गई है।

(ग) ऋणों और अनर्जक आस्तियों का क्षेत्रवार संकेंद्रण

		2025-26			2024-25		
क्र. सं.	क्षेत्र	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
क	घरेलू क्षेत्र	623,100.33	3,303.63	1%	675,966.75	4,752.86	1%
1	कुल निर्यात वित्त	513,410.21	1,741.76	0%	532,870.47	3,191.00	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	441,542.78	1,356.33	0%	459,431.95	2,715.69	1%
	लौह धातुएं और धातु प्रसंस्करण	74,022.07	-	0%	73,480.45	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	-	-	-
	पेट्रोलियम उत्पाद	81,315.09	-	0%	87,843.06	-	0%
	विद्युत	11,124.69	135.15	1%	17,295.75	135.15	1%
	अन्य	275,080.93	1,221.18	0%	280,812.69	2,580.54	1%
	सेवा क्षेत्र	71,867.44	385.43	1%	73,438.52	475.31	1%
	वित्तीय सेवाएं	-	-	0%	15,690.00	-	0%
	दूरसंचार	7,720.00	-	0%	8,209.50	-	0%
	अन्य	64,147.44	385.43	1%	49,539.02	475.31	1%
2	कुल आयात वित्त	109,690.12	1,561.87	1%	143,096.28	1,561.87	1%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	63,620.47	1,561.87	2%	95,901.17	1,561.87	2%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	1,100.20	-	0%	554.92	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	-	-	-
	विद्युत	41,920.98	1,561.87	4%	45,704.72	1,561.87	3%
	अन्य	20,599.28	-	0%	49,641.54	-	0%
	सेवा क्षेत्र	46,069.65	-	0%	47,195.11	-	0%
	वित्तीय सेवाएं	37,934.00	-	0%	42,737.50	-	0%
	दूरसंचार	5,000.00	-	0%	1,590.00	-	0%
	अन्य	3,135.65	-	0%	2,867.61	-	0%
3	(क) में से भारत सरकार द्वारा गारंटीट एक्सपोजर	-	-	-	-	-	-
ख	बाह्य क्षेत्र	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
1	कुल निर्यात वित्त	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	104,459.21	5,998.18	6%	79,709.60	8,515.18	11%
	लौह धातु और धातु प्रसंस्करण	2,701.29	-	0%	13,697.05	-	0%
	रसायन और रंजक	-	-	-	-	-	-
	विद्युत	11,131.51	3,144.23	28%	9,352.71	2,833.90	30%
	पेट्रोलियम उत्पाद	-	-	-	-	-	0%
	अन्य	90,626.42	2,853.95	3%	56,659.85	5,681.28	10%
	सेवा क्षेत्र	82,197.78	2,673.18	3%	64,819.64	2,464.81	4%
	वित्तीय सेवाएं	55,560.60	-	0%	47,096.51	-	0%
	दूरसंचार	3,885.95	-	0%	11,701.46	-	0%

₹ मिलियन							
क्र. सं.	क्षेत्र	2025-26			2024-25		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिम	सकल अनर्जक आस्तियां	क्षेत्र में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियों का प्रतिशत
	अन्य	22,751.23	2,673.18	12%	6,021.68	2,464.81	41%
2	कुल आयात वित्त	-	-	-	-	-	-
	कृषि क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	औद्योगिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
	सेवा क्षेत्र	-	-	-	-	-	-
3	(ख) में से भारत सरकार द्वारा गारंटीत एक्सपोज़र	-	-	-	-	-	-
ग	अन्य एक्सपोज़र [#]	1,280,554.86	-	0%	1,066,962.27	16,464.46	2%
घ	कुल एक्सपोज़र (क+ख+ग)	2,090,312.18	11,974.98	0.57%	1,887,458.26	32,197.30	1.71%

[#] इसमें ऋण-व्यवस्थाओं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते के अंतर्गत क्रेता ऋण, रियायती वित्त योजना, वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त और बैंकों द्वारा प्रति-गारंटीत अग्रिम शामिल हैं।

घ. हेज न किया गया विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

बैंक ने आरबीआई के मास्टर निदेश डीओआर.सीआरई.आरईसी.76/07-02-001/2025-26 दिनांकित 28 नवंबर, 2025 के अनुसार, पूँजी के प्रावधान की आवश्यकताओं के संबंध में एक आंतरिक नोट के अनुसार अरक्षित (हेज न किया गया) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली कंपनियों को एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील रूप से प्रावधान करने के नियम को लागू किया है। यथा 31 मार्च, 2026 को मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए ₹ 1,398 मिलियन की राशि (गत वर्ष ₹ 1,434 मिलियन) रखी गई और मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आवंटित पूँजी ₹ 32,152 मिलियन (गत वर्ष ₹ 36,492 मिलियन) रही।

10. डेरिवेटिव

10.1 वायदा दर करार एवं ब्याज दर स्वॉप**

₹ मिलियन					
क्र. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		हेजिंग	ट्रेडिंग	हेजिंग	ट्रेडिंग
1.	स्वॉप करारों का मूल कल्पित मूल्य	789,872.47	-	653,823.67	-
2.	प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा करार के दायित्वों का निर्वहन न करने पर संभावित हानि	6,072.37	-	3,090.09	-
3.	स्वॉप करारों के लिए बैंक द्वारा अपेक्षित कोलैटरल	-	-	-	-
4.	स्वाप्स से उत्पन्न ऋण जोखिम का संकेंद्रण	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-	सभी संव्यवहार अनुमोदित ऋण जोखिम सीमाओं के अंदर हैं।*	-
5.	स्वॉप बही का सही मूल्य	(24,903.41)	-	(28,920.32)	-

* सभी ब्याज दर स्वॉप बैंकों के साथ किए गए हैं।

** क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप में ब्याज दर स्वॉप शामिल नहीं है, जिसका विवरण नोट 10.3.ख में दिया गया है।

स्वॉप की प्रकृति तथा शर्तें: सभी संव्यवहार बैंक की आस्तियों/देयताओं से संबंधित हैं तथा इन्हें बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन स्थिति की हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है।

₹ मिलियन

लिखत	प्रकृति	संख्या	अनुमानित मूलधन	बेंचमार्क	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	22	414,903.13	6 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	23,708.75	3 माह सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	4	109,060.25	6 माह सोफर	फ्लोटिंग प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	1	266.78	टोना	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
आईआरएस	हेजिंग	8	225,233.13	सोफर	फिक्स्ड प्राप्तियां बनाम फ्लोटिंग देय
कुल		36	773,172.03		

10.2 एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव

₹ मिलियन

क्र. सं.	विवरण	राशि
1.	वर्ष के दौरान एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की सांकेतिक मूल राशि	-
2.	यथा 31 मार्च, 2025 को एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि	-
3.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया सांकेतिक मूल राशि किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-
4.	एक्सचेंजों में खरीदे-बेचे गए ब्याज दर डेरिवेटिव का बकाया मार्क-टू-मार्केट मूल्य किंतु “हाइली इफेक्टिव” नहीं	-

10.3 डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर का प्रकटन

क. गुणात्मक प्रकटन

- बैंक बाजार जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से मुख्यतः अपने तुलन-पत्र जोखिमों को हेज करने तथा प्रभावी न्यून लागत निधियों को जुटाने के लिए वित्तीय डेरिवेटिव का उपयोग करता है। बैंक वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत केवल ओवर दि काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर तथा मुद्रा डेरिवेटिव्स का ही उपयोग करता है।
- डेरिवेटिव संव्यवहारों में दो जोखिम (i) बाजार जोखिम अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों के प्रतिकूल प्रचलन से बैंक को संभावित हानि तथा (ii) ऋण जोखिम अर्थात् प्रतिपक्षी पार्टी द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में चूक से हानि की संभावना, विहित रहते हैं। बैंक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक डेरिवेटिव नीति है, जिसका उद्देश्य जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से समग्र आस्ति देयता स्थिति को संव्यवहार स्तर पर ही प्रबंधित कर लेना है। यह नीति बैंक के व्यवसाय लक्ष्यों के अनुरूप अनुमत डेरिवेटिव उत्पादों के प्रयोग को परिभाषित करती है, नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली निर्धारित करती है और नियामकीय, प्रलेखन तथा लेखा संबंधी विषयों के बारे में बताती है। इसमें बाजार जोखिम को नियंत्रित करने तथा प्रबंध करने (स्टॉप लॉस लिमिट, ओपन पोजिशन लिमिट, टेनर लिमिट, सेटलमेंट तथा ग्री सेटलमेंट रिस्क लिमिट, पीवी01 लिमिट आदि) संबंधी जोखिम मानदंडों को भी निर्धारित किया गया है।
- बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एल्को) बैंक के मिड ऑफिस, जो डेरिवेटिव संव्यवहारों से जुड़े बाजार जोखिमों का आंकलन और निगरानी करता है, की सहायता से बाजार जोखिम प्रबंधन कार्य की देखरेख करती है।
- यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की बहियों में बकाया सभी डेरिवेटिव संव्यवहारों को हेजिंग के उद्देश्य से किया गया है तथा एएलएम बही में दर्शाया गया है। इन संव्यवहारों पर आय को बीमांकिक आधार पर हिसाब में लिया गया है।
- आकस्मिक देयता में करंसी स्वॉप शामिल नहीं हैं।

ख. मात्रात्मक प्रकटन

		₹ मिलियन			
क्र. सं.	विवरण	2025-26		2024-25	
		करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स	करंसी डेरिवेटिव्स	ब्याज दर डेरिवेटिव्स
1	डेरिवेटिव (कल्पित मूल राशि)				
	क) हेजिंग के लिए	161,233.55	773,172.03	248,227.89	640,744.35
	ख) ट्रेडिंग के लिए	-	-	-	-
2	मार्कट-टू-मार्कट स्थितियां				
	क) आस्ति (+)				
	ख) देयता (-)	(33,241.28)	(24,474.98)	(32,173.28)	(28,968.09)
3	ऋण एक्सपोजर	6,271.58	7,536.31	15,964.66	12,665.21
4	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01)				
	क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	2,889.25	35,416.81	4,246.30	25,481.26
	ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर	-	-	-	-
5	वर्ष के दौरान 100*पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम				
	क) हेजिंग पर				
	(i) अधिकतम	4,188.18	35,416.81	5,525.61	26,377.50
	(ii) न्यूनतम	2,889.25	23,952.17	4,246.30	19,946.70
	ख) ट्रेडिंग पर				
	(i) अधिकतम	-	-	-	-
	(ii) न्यूनतम	-	-	-	-

'ऊपर प्रकटित ब्याज दर डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि क्रमशः ₹ 1,89,670 मिलियन (₹ 6,40,744.35 मिलियन) और ₹ 1,04,466.90 मिलियन (₹ 2,48,227.89 मिलियन) को मार्कट-टू-मार्कट (एमटीएम) के संबंध में हिसाब में नहीं लिया गया है, जहां अंतर्निहित आस्ति/देयताएं यथा 31 मार्च, 2026 को मार्कट-टू-मार्कट नहीं हैं।

क) करंसी डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि में ₹ 1,24,026.29 मिलियन (₹ 1,86,824.73 मिलियन) की क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप राशि शामिल है और इसकी एमटीएम हानि ₹ 32,812.79 मिलियन (₹ 31,971.91 मिलियन) है।

ख) सीसीआईआरएस के एमटीएम पर ब्याज दर में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को फ्लोटिंग दर पर विदेशी मुद्राओं में बैंक के ऋणों और अग्रिमों के मूल्य में परिवर्तन से काफी हद तक कम कर दिया जाता है। ये स्वॉप संविदाएं मुख्य रूप से फेडरल विनिमय दरों पर की जाती हैं।

ग) करंसी डेरिवेटिव का विवरण निम्नलिखित अनुसार है

		₹ मिलियन	
क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
क)	मूलधन विनिमय डेरिवेटिव		
(i)	क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वॉप	124,026.29	186,824.73
(ii)	विदेशी मुद्रा विनिमय स्वॉप/केवल मूलधन स्वॉप	20,506.81	48,323.83
ख)	अन्य		
(i)	वायदा	16,700.45	13,079.32
(ii)	स्वॉप	-	-
	कुल (क+ख)	161,233.55	248,227.89

आकस्मिक देयता मद के अंतर्गत ₹ 16,700.45 मिलियन (गत वर्ष ₹ 13,079.32 मिलियन) की वायदा विनिमय संविदाएं और ₹ 7,73,172.03 मिलियन (गत वर्ष ₹ 6,40,744.35 मिलियन) की ब्याज दर स्वॉप (आईआरएस) के आनुमानिक आंकड़े आकस्मिक देयताओं शीर्ष के अंतर्गत ऑफ-बैलेंस शीट मदों के रूप में रिपोर्ट किए गए हैं।

11. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र

वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान, बैंक द्वारा कोई चुकौती आश्वासन पत्र जारी नहीं किया गया और बकाया प्रतिबद्धताओं के चलते कोई वित्तीय देयता उत्पन्न नहीं हुई (गत वर्ष: शून्य)।
वर्ष (वित्तीय वर्ष 2025-26) के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त चुकौती आश्वासन पत्र शून्य रहा (गत वर्ष: शून्य)।

इसके अलावा, यथा 31 मार्च, 2026 को साख पत्र के अंतर्गत बैंक का बकाया एक्सपोजर कुल ₹ 15,142.79 मिलियन (गत वर्ष: ₹ 8,990 मिलियन) रहा।

12. आस्ति-देयता प्रबंधन

वर्तमान वर्ष:

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	57,934.32	80,296.74	196,144.60	67,736.75	157,554.30	116,740.28	82,330.59	73,037.38*	831,774.95
रुपया निवेश	10,945.47	996.82	16,787.24	9,691.50	18,450.42	17,047.60	36,151.70	100,010.74	210,081.49
रुपया अन्य आस्तियां	114,061.91	13,121.47	62,354.55	52,844.01	45,869.86	198,309.94	136,551.94	383,315.68	1,006,429.34
रुपया जमा राशियां	40.05	10.24	56,410.39	69.46	72,629.59	258.02	121.28	-	129,539.03
रुपया उधारियां	151,935.23	21,397.02	203,274.09	49,750.00	82,189.69	94,750.00	179,150.00	16,859.54	799,305.57
रुपया अन्य देयताएं	25,411.79	16,495.89	38,543.69	98,355.85	98,126.46	108,485.96	31,113.59	318,545.86	735,079.10
विदेशी मुद्रा आस्तियां	70,556.10	13,430.45	89,815.90	156,853.98	166,163.86	667,898.05	440,589.62	871,167.55	2,476,475.50
विदेशी मुद्रा देयताएं	67,318.35	12,660.85	76,782.81	195,082.69	219,327.78	768,476.75	415,255.30	531,636.73	2,286,541.25

(*) ऋण प्रावधानों के निवल

गत वर्ष:

विवरण	1 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 3 साल तक	3 साल से 5 साल तक	5 साल से ज्यादा	कुल
रुपया अग्रिम	35,739.85	55,017.84	143,556.8	203,499.8	64,407.59	128,480.8	79,712.92	20,540.7*	730,956.3
रुपया निवेश	-	2,987.52	15,172.96	806.58	6,667.57	16,245.26	34,051.97	82,404.34	158,336.2
रुपया अन्य आस्तियां	109,599.8	1,955.21	48,270.24	67,052.07	136,470.5	194,820.7	134,364.3	364,517.3	1,057,050
रुपया जमा राशियां	36.15	7.96	68.42	47.91	65,145.78	322.48	55.76	-	65,684.47
रुपया उधारियां	98,084.69	0.00	168,435	18,700	146,194.1	119,300	120,650	59,600	730,963.7
रुपया अन्य देयताएं	52,297.39	63,089.44	25,732.26	31,243.74	59,037.64	144,956.9	17,388.2	310,873.8	704,619.3
विदेशी मुद्रा आस्तियां	81,558.51	32,171.55	43,025.56	85,283.12	165,976.7	575,537.4	411,672.2	782,038.7	2,177,264
विदेशी मुद्रा देयताएं	88,535.7	32,576.14	51,740.03	104,605.9	217,117.7	765,249.7	392,479.9	426,972.6	2,079,278

(*) ऋण प्रावधानों के निवल)

13. आरक्षित निधियों से आहरण

बैंक द्वारा आरक्षित निधियों से कोई राशि नहीं निकाली गई है (गत वर्ष: शून्य)।

14. व्यवसाय अनुपात

विवरण	2025-26	2024-25
इक्विटी पर रिटर्न	26.86%	20.39%
आस्तियों पर रिटर्न	1.88%	1.61%
प्रति कर्मचारी निवल लाभ (₹ मिलियन)	119.03	90.59

15. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक पर भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने अथवा अधिनियम, आदेश, नियम अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अपेक्षित शर्त के उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं लगाया गया (गत वर्ष : शून्य)।

16. शिकायतों का प्रकटीकरण

ग्राहक शिकायतें

क्र. सं.	विवरण	2025-26	2024-25
(क)	वर्ष के प्रारंभ में लंबित शिकायतें	-	-
(ख)	वर्ष के दौरान मिली शिकायतें	7	1
(ग)	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतें	7	1
(घ)	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	-	-

17. तुलन पत्र से इतर प्रायोजित एसपीवी (जिन्हें लेखांकन मानकों के अनुरूप समेकित किया जाना अपेक्षित है)

प्रायोजित एसपीवी का नाम	
घरेलू	विदेशी
-	-

(गत वर्ष: शून्य)

विशिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

18. अचल आस्तियों का विवरण

वर्तमान वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखांकन मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

		₹ मिलियन		
विवरण		परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक				
यथा 01 अप्रैल, 2025 को लागत		5,311.63	2,433.81	7,745.44
परिवर्द्धन		-	666.70	666.70
निपटान		-	48.78	48.78
यथा 31 मार्च, 2026 को लागत	(क)	5,311.63	3,051.73	8,363.36
मूल्यहास				
यथा 01 अप्रैल, 2025 को संचित		2,392.04	1,949.91	4,341.95
वर्ष के दौरान प्रावधान		229.59	488.76	718.35
निपटान पर हटाया गया		-	48.50	48.50
यथा 31 मार्च, 2026 को संचित	(ख)	2,621.63	2,390.17	5,011.80
निवल ब्लॉक (क-ख)		2,690.00	661.56	3,351.56

गत वर्ष:

अचल आस्तियों का विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अचल आस्तियों के लिए जारी लेखांकन मानक-10 के अनुसार नीचे दिया गया है।

₹ मिलियन			
विवरण	परिसर	अन्य	कुल
सकल ब्लॉक			
यथा 01 अप्रैल, 2024 को लागत	5,311.19	2,184.65	7,495.84
परिवर्द्धन	0.44	341.27	341.71
निपटान	-	92.11	92.11
यथा 31 मार्च, 2025 को लागत (क)	5,311.63	2,433.81	7,745.44
मूल्यहास			
यथा 01 अप्रैल, 2024 को संचित	2,160.70	1,697.09	3,857.79
वर्ष के दौरान प्रावधान	231.34	344.90	576.24
निपटान पर हटाया गया	-	92.08	92.08
यथा 31 मार्च, 2025 को संचित (ख)	2,392.04	1,949.91	4,341.95
निवल ब्लॉक (क-ख)	2,919.59	483.90	3,403.49

19. सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन

भारत सरकार ने बैंक द्वारा विदेशी सरकारों, विदेशी बैंकों/संस्थाओं को प्रदान की गई विशिष्ट ऋण-व्यवस्थाओं के प्रति बैंक को ब्याज समकरण राशि अदा करने के लिए सहमति दी है और उसे उपचय (अक्रुअल) आधार पर हिसाब में लिया गया है।

20. खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों में केवल एक व्यवसाय खंड शामिल है अर्थात वित्तीय गतिविधियां, अतएव इसे एकल व्यवसाय खंड वाली संस्था के रूप में माना गया है।

बैंक के भौगोलिक परिचालन खंडों को घरेलू परिचालनों एवं अंतरराष्ट्रीय परिचालनों में वर्गीकृत किया गया है। इन परिचालनों का घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय खंड में वर्गीकरण मुख्यतः संव्यवहार के जोखिम तथा प्रतिफल पर आधारित है।

₹ मिलियन						
विवरण	घरेलू परिचालन		अंतरराष्ट्रीय परिचालन		कुल	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
राजस्व	195,592.54	180,780.00	6,801.02	7,825.73	202,393.56	188,605.73
आस्तियां	2,424,833.45	2,061,742.01	111,542.27	126,058.34	2,536,375.72	2,187,800.35

21. संबंधित पक्षकार प्रकटन

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक-18 के अनुसार, बैंक के संबंधित पक्षकारों का प्रकटन निम्नलिखित अनुसार है:

- संबंध
 - (i) सहायक कंपनी:
 - इंडिया एक्विजि फिनसर्व आईएफएससी प्राइवेट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)
 - (ii) संयुक्त उपक्रम:
 - जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड
 - कुकुज़ा परियोजना विकास कंपनी
 - (iii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक अधिकारी:
 - सुश्री हर्षा बंगारी (प्रबंध निदेशक)
 - श्री तरुण शर्मा (उप प्रबंध निदेशक)
 - सुश्री दीपाली अग्रवाल (उप प्रबंध निदेशक)
 - श्री मुकुल सरकार, मुख्य जोखिम अधिकारी

- श्री गौरव भंडारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (04 जनवरी, 2026 तक)
 - सुश्री रीमा मारफतिया, आंतरिक लेखा परीक्षा की प्रमुख
 - सुश्री मंजिरी भालेराव, मुख्य अनुपालन अधिकारी
 - श्री टी. डी. सिवाकुमार, बोर्ड सचिव
 - श्री सुजीत भाले, मुख्य तकनीकी अधिकारी (14 जुलाई, 2025 से 21 दिसंबर, 2025 तक)
 - सुश्री बख्तावर पटेल, ट्रेजरी प्रमुख (05 जनवरी, 2026 से मुख्य वित्तीय अधिकारी)
 - श्री दीपक भाटिया, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (22 दिसंबर, 2025 से प्रभावी)
 - सुश्री सिद्धि केळुसकर, अनुपालन अधिकारी
- बैंक से संबंधित पक्षकार शेष राशियों तथा लेन-देनों का सारांश नीचे दिया गया है:

विवरण	संयुक्त उद्यम		प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
उधारियां				
जमा राशि	10.00	-	-	-
जमा राशि का निवेश	-	-	-	-
दिए गए ऋण/अग्रिम	-	-	0.31	0.61
जारी की गई गारंटियां	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज	-	-	0.10	0.12
प्रदत्त ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त गारंटी कमीशन	-	-	-	-
दी गई सेवाओं के बदले मिली रकम	-	-	-	-
ली गई सेवाओं के बदले किया गया भुगतान	-	-	-	-
स्वीकृत सावधि जमा	-	-	7.10	2.70
सावधि जमा पर ब्याज	-	-	1.66	1.80
राइट-ऑफ / राइट-बैक की गई रकम	-	-	-	-
बकाया मीयादी जमा	-	-	19.17	24.69
वर्ष के अंत में बकाया ऋण	-	-	0.18	0.30
वर्ष के अंत में बकाया गारंटी	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया निवेश	3.23	3.23	-	-
(प्रावधान घटाकर)				
प्राप्त लाभांश	0.84	0.84	-	-
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया ऋण	-	-	21.66	14.05
वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया गारंटी	-	-	-	-
वेतन और अन्य सुविधाएं	6.01	5.22	56.99	65.08
लीज पर ली गई सेवाएं	-	-	-	-
प्राप्त किराया / लीज पर प्रदान की गई सुविधाएं	0.90	0.90	-	-
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.61	0.22	-	-
निदेशक की प्राप्त फीस	0.05	0.04	-	-
परामर्श के लिए दी गई फीस (ऋडड के बिना)	15.28	7.48	-	-
अचल आस्ति	20.00	20.00	-	-
गैर-निधिक प्रतिबद्धताएं	-	-	-	-
अचल आस्ति	-	-	-	-
प्रबंधन कॉन्ट्रैक्ट	-	-	-	-

22. आय पर कर के संबंध में लेखांकन

(क) कर के लिए प्रावधान संबंधी विवरण:

विवरण	₹ मिलियन	
	2025-26	2024-25
आय पर कर	11,941.49	9,218.19
जोड़ें: निवल आस्थगित कर देयता	1,279.00	1,323.17
कुल	13,220.49	10,541.36

(ख) आस्थगित कर आस्ति:

प्रमुख करों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्तियों तथा देयताओं का संयोजन नीचे दिया गया है:

	₹ मिलियन	
विवरण	2025-26	2024-25
आस्थगित कर आस्तियां		
1. अस्वीकृत प्रावधान (निवल)	18,479.51	19,800.05
2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	128.04	74.89
घटाएं: आस्थगित कर देयता		
1. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	-	-
2. बॉन्ड निर्गम व्ययों का परिशोधन	513.53	501.94
3. धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	2,924.54	2,924.54
निवल आस्थगित कर आस्तियां [तुलन-पत्र के 'आस्तियां' पक्ष में 'अन्य आस्तियां' में शामिल]	15,169.47	16,448.47

23. संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग

I.

			₹ मिलियन
संयुक्त रूप से नियंत्रित की गई इकाइयां			वित्तीय वर्ष 2025-26
			वित्तीय वर्ष 2024-25
क	जीपीसीएल कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड	भारत	28.10%
ख	कुक्कुड़ा परियोजना विकास कंपनी*	मॉरीशस	41.39%

- II. संयुक्त उपक्रमों में हितों की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी लेखा मानक-27 के अनुसार, आनुपातिक समेकन पद्धति का प्रयोग करते हुए संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में हितों से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नलिखित अनुसार है:

				₹ मिलियन	
देयताएं	2025-26	2024-25	आस्तियां	2025-26	2024-25
पूँजी एवं आरक्षित निधियां	50.62	47.00	अचल आस्तियां	0.07	0.13
ऋण	-	-	निवेश	34.19	15.82
अन्य देयताएं	6.87	6.64	अन्य आस्तियां	23.23	37.69
कुल	57.49	53.64	कुल	57.49	53.64

आकस्मिक देयताएं: शून्य (गत वर्ष: शून्य)

					₹ मिलियन
व्यय	2025-26	2024-25	आय	2025-26	2024-25
ब्याज और वित्तपोषण व्यय	0.05	0.05	परामर्शी आय	20.71	21.36
अन्य व्यय	17.33	17.02	ब्याज आय तथा निवेश से आय	1.08	1.97
प्रावधान	1.70	2.29	अन्य आय	1.75	1.17
लाभ	4.46	5.14			
कुल	23.54	24.50	कुल	23.54	24.50

कुक्कुड़ा परियोजना विकास कंपनी (केपीडीसी) बैंक की मॉरीशस में एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। अफ्रीकी विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फायनेंशल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) समूह इसके अन्य शेयरधारक हैं। चूंकि लगातार कई वर्षों से केपीडीसी नुकसान में होने और केपीडीसी का परिचालन सस्टेनेबल न होने के कारण शेयरधारकों ने मार्च 2023 में केपीडीसी के परिचालन को बंद करने संबंधी संकल्प पारित किया था। तदनुसार, केपीडीसी को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान केपीडीसी की सभी बकाया देयताओं का भुगतान कर दिया गया था। सभी शेयरधारकों और सांविधिक प्राधिकरणों से आवश्यक अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर केपीडीसी को बंद करने और रजिस्टर से केपीडीसी को हटाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, मॉरीशस को आवेदन 1 अप्रैल, 2026 को किया गया। चूंकि पिछले 3 वर्षों से कोई व्यावसायिक परिचालन नहीं हुआ था, वित्तीय वर्ष 2023-24, वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए केपीडीसी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हैं और इसलिए, उपरोक्त में केपीडीसी का विवरण शामिल नहीं है।

24. आस्तियों का हास

बैंक की आस्तियों में अधिकांश आस्तियां “वित्तीय आस्तियां” हैं, जिन पर “आस्तियों का हास” संबंधी लेखांकन मानक 28 लागू नहीं होता है। बैंक की राय में, जिन आस्तियों पर ये मानक लागू होते हैं, उनमें उक्त लेखांकन मानकों के संबंध में हिसाब में लेने के लिए यथा 31 मार्च, 2026 को कोई हास नहीं हुआ है।

25. कर्मचारी लाभ

बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कर्मचारी लाभों पर यथा 01 अप्रैल, 2007 से जारी लेखांकन मानक-15 को अपनाया है। कर्मचारी लाभों से उत्पन्न देयता को बैंक की बहियों में दायित्व के विद्यमान मूल्य पर हिसाब में लिया गया है, जिसमें तुलन-पत्र की तारीख को आयोजनागत आस्तियों के सही मूल्य को घटाया गया है।

क) तुलन पत्र में हिसाब में ली गई राशि

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
	₹ मिलियन		₹ मिलियन	
अवधि के अंत में आयोजनागत आस्तियों का सही मूल्य	2,224.04	1,954.88	486.22	354.67
अवधि के अंत में हित दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1,990.37	2,140.05	483.09	485.51
निधीयन स्थिति	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
अवधि के अंत में हिसाब में न ली गई परिवर्ती देयता	-	-	-	-
तुलन पत्र में हिसाब में ली गई निवल देयता	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)

ख) लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
	₹ मिलियन		₹ मिलियन	
वर्तमान सेवा लागत	46.18	36.45	26.14	22.51
ब्याज लागत	151.09	135.49	32.97	24.71
योजना आस्तियों पर संभावित रिटर्न	138.02	127.64	24.01	22.88
बीमांकिक हानि/(लाभ)	(272.06)	169.86	(44.41)	106.49
विगत सेवा लागत - गैर-निहित लाभ	-	-	-	-
विगत सेवा लागत - निहित लाभ	-	-	-	-
परिवर्ती देयता	-	-	-	-
लाभ और हानि खाते में हिसाब में लिया गया व्यय	(212.81)	214.17	3.14	130.83
नियोक्ता द्वारा अंशदान	(206.03)	(137.37)	(130.84)	(25.40)

ग) बीमांकिक अनुमानों का सारांश

विवरण	पेंशन निधि		ग्रेच्युटी	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
	₹ मिलियन		₹ मिलियन	
बट्टा दर (प्रति वर्ष)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल की दर (प्रति वर्ष)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
वेतन वृद्धि दर (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छुट्टी नकदीकरण की परिभाषित लाभ दायित्व की राशि ₹ 3.74 मिलियन (गत वर्ष: ₹ 66.5 मिलियन) रही, जिसका पूर्णतः प्रावधान किया जा चुका है।

26. सेबी के दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 के परिपत्र के अनुपालन में भारतीय निर्यात-आयात बैंक द्वारा जारी किए गए विभिन्न बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी का संपर्क विवरण नीचे दिया गया है:

डिबेंचर ट्रस्टी

ऐक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड

प्राधिकृत व्यक्ति: श्री राहुल चौधरी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री कुमार समीनाथन, महाप्रबंधक एवं सीओओ

पता:

पंजीकृत कार्यालय: ऐक्सिस हाउस,
बॉम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड,
पांडुरंग बुधकर मार्ग,
वली, मुंबई - 400 025

कॉर्पोरेट कार्यालय: द रुबी, दूसरी मंज़िल, एसडब्ल्यू
29, सेनापति बापट मार्ग,
दादर पश्चिम, मुंबई - 400 028

फोन: (022) 62300451

ईमेल: Debenturetrustee@axistrustee.in

वेबसाइट: www.axistrustee.in

27. आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की शुरुआत, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक दबाव में आए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित ₹ 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज के हिस्से के रूप में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत बैंक द्वारा अपने मौजूदा उधारकर्ताओं को निम्नलिखित विवरण के अनुसार सहायता प्रदान की गई:

₹ मिलियन

योजना	2025-26				2024-25			
	मंजूरी	संवितरित*	बकाया		मंजूरी	संवितरित*	बकाया	
			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि			उधारकर्ताओं की संख्या	राशि
ईसीएलजीएस 1.0	-	-	2	44.85	-	-	3	60.00
ईसीएलजीएस 2.0	-	-	7	151.20	-	-	9	320.00
ईसीएलजीएस 3.0	-	-	1	165.00	-	-	1	220.00
कुल योग	-	-	10	360.97	-	-	13	600.00

28. भारतीय लेखांकन मानकों (इंडएस) के कार्यान्वयन का स्थगन

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 नवंबर, 2025 को विनियामकीय निर्देशों के पुनर्संरचना संबंधी जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों की संवहनीय संरचना के लिए योजना संबंधी प्रावधान अब एक्ज़िम बैंक पर लागू नहीं हैं।

29. नई श्रमिक संहिताएं:

भारत सरकार ने विभिन्न मौजूदा श्रम कानूनों को समेकित करते हुए 21 नवंबर, 2025 को चार श्रम संहिताओं के एक एकीकृत फ्रेमवर्क में परिवर्तित कर दिया है। इन्हें सामूहिक रूप से "नई श्रमिक संहिताएं" के रूप में संदर्भित किया गया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट में इन परिवर्तनों के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है। उम्मीद जताई गई है कि इन परिवर्तनों का कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं होगा। तथापि, नियमों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद जारी किए जाने पर बदलती उद्योग प्रथाओं के अनुरूप इन प्रभावों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा और इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

30. सह-उधार व्यवस्था संबंधी प्रकटीकरण

प्रकट किए जाने वाले मानदंड (कुल राशि के आधार पर)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2026
सीएलए की मात्रा	
ऋणों की संख्या	-
ऋणों की राशि	-
ब्याज की भारित औसत दर	-
लिया गया शुल्क	-
भुगतान किया गया शुल्क	-
उद्योग/क्षेत्र	-
ऋणों की अर्जन स्थिति	-
चूक हानि गारंटी से संबंधित विवरण	-

31. प्रतिभूतीकरण के संबंधित प्रकटीकरण

₹ मिलियन

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
1.	प्रतिभूतीकरण संबंधी प्रकटीकरण प्रवर्तक द्वारा उत्पन्न प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आस्ति रखने वाले एसपीई की संख्या (केवल बकाया प्रतिभूतीकरण एक्सपोजर से संबंधित एसपीवी यहां रिपोर्ट किए जाए)	-	-
2.	एसपीई की बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्तियों की कुल राशि	-	-
3.	तुलन पत्र की तारीख के अनुसार एमआरआर का अनुपालन करने के लिए प्रवर्तक द्वारा बनाए गए एक्सपोजर की कुल राशि	-	-
	क) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ख) तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
4.	एमआरआर के अलावा प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए एक्सपोजर की राशि	-	-
	क) तुलन-पत्रेतर एक्सपोजर		
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ख) तुलन पत्र में शामिल एक्सपोजर		
	i) स्वयं की प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष के प्रतिभूतियों के लिए एक्सपोजर		
	• प्रथम हानि		
	• अन्य		

₹ मिलियन

क्र. सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2025-26	वित्तीय वर्ष 2024-25
5.	प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री और प्रतिभूतीकरण के कारण बिक्री पर लाभ/हानि	-	-
6.	चलनिधि सहायता, प्रतिभूतीकरण पश्चात आस्ति सर्विसिंग आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार और मात्रा (बकाया मूल्य)	-	-
7.	प्रदान की गई सुविधा का निष्पादन। कृपया प्रत्येक सुविधा के लिए अलग से प्रदान करें अर्थात् ऋण संवर्धन, चलनिधि सपोर्ट, सर्विसिंग एजेंट आदि। प्रदान की गई सुविधा के कुल मूल्य के रूप में ब्रैकेट में प्रतिशत का उल्लेख करें। क) भुगतान की गई राशि ख) प्राप्त पुनर्भुगतान ग) बकाया राशि	-	-
8.	अतीत में देखी गई पोर्टफोलियो की औसत चूक दर। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें	-	-
9.	एक ही अंतर्निहित आस्ति पर दी गई अतिरिक्त/टॉप अप ऋण की राशि और संख्या। प्रत्येक आस्ति वर्ग यानी आरएमबीएस, वाहन ऋण आदि के लिए अलग से ब्रेकअप प्रदान करें	-	-
10.	निवेशकों की शिकायतें (क) प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त और; (ख) बकाया शिकायतें	-	-

टिप्पणी - 'सरल, पारदर्शी और तुलनीय' (एसटीसी) और गैर-एसटीसी लेनदेन के लिए अलग-अलग तालिका प्रदान की जाएगी

32. परियोजना वित्त से संबंधित प्रकटीकरण

क्र. सं.	मदों का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ मिलियन)
1.	वर्ष की शुरुआत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	39	57,325.60
2.	वर्ष के दौरान मंजूर किए गए कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते	37	17,144.02
3.	वर्ष के दौरान जिन कार्यान्वयनाधीन परियोजना खातों में डीसीसीओ प्राप्त कर लिया गया	17	35,901.42
4.	वर्ष के अंत में कार्यान्वयनाधीन परियोजना खाते (1+2-3)	54*	34,467.10
5.	'4' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, से संबंधित समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	6^	1,709.44
5.1	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू कर दी गई है	-	-
5.2	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	1	969.10

क्र. सं.	मदों का विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया (₹ मिलियन)
5.3	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही	-	-
6	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, समाधान प्रक्रिया परियोजना के कार्यक्षेत्र एवं आकार में परिवर्तन के कारण लागू की गई है।	-	-
7	'5' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, यह तिथि बढ़ने से हुई लागत वृद्धि का निधीयन किया गया।	-	-
7.1	'7' में से वे खाते, जिनमें वित्तीय समापन के दौरान एसबीसीएफ को मंजूरी दी गई थी और उसका निरंतर नवीकरण किया गया	-	-
7.2	'7' में से वे खाते, जिनमें एसबीसीएफ को मंजूरी नहीं दी गई थी या उसका निरंतर नवीकरण नहीं किया गया	-	-
8	'4' में से वे खाते, जिनके संबंध में मूल/बढ़ाई गई डीसीसीओ, जैसा भी मामला हो, में विस्तार शामिल किए बिना समाधान प्रक्रिया लागू की गई है	-	-
8.1	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना लागू कर दी गई है	-	-
8.2	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना कार्यान्वयनाधीन है	-	-
8.3	'8' में से वे खाते, जिनके संबंध में समाधान योजना विफल रही	-	-

केवल मंजूर किए गए और संवितरित मामले

* पहले से भुगतान /पुनर्भुगतान किए गए मामलों को छोड़कर या जिनमें वर्ष के दौरान सीमा रद्द कर दी गई है

^ इसमें वर्ष के दौरान एससीओडी और डीमड एससीओडी हासिल कर चुके मामले शामिल नहीं हैं। 3 ऐसे मामले शामिल हैं, जिनमें डीसीसीओ 1 अक्टूबर, 2025 से पहले बढ़ाई गई है और 3 ऐसे मामले हैं, जिनमें डीसीसीओ 1 अक्टूबर, 2025 के बाद बढ़ाई गई है।

टिप्पणी: उक्त खातों को हिसाब में लिया गया है, चाहे खाते का आस्ति वर्गीकरण कोई भी हो।

33. सरकारी प्रतिभूति ऋण (जीएसएल) लेनदेन संबंधी प्रतिभूतीकरण (बाजार मूल्य के संदर्भ में)

वर्तमान वर्ष

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2026 को बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेनदेन की संख्या
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत उधार ली गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-

Previous Year

₹ मिलियन

	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान प्रतिदिन औसत बकाया	यथा 31 मार्च, 2025 को बकाया	वर्ष के दौरान कुल लेनदेन की संख्या
जीएसएल लेनदेन के माध्यम से उधार दी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत उधार ली गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में रखी गई प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-
जीएसएल लेनदेन के तहत संपाश्विक के रूप में प्राप्त प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-

34. गैर-निधिक (एनएफबी) ऋण सुविधाओं संबंधी प्रकटीकरण

₹ मिलियन

विवरण	31 मार्च, 2026 तक प्रतिभूतित* हिस्सा	31 मार्च, 2026 तक गैर-प्रतिभूतित हिस्सा	31 मार्च, 2025 तक प्रतिभूतित* हिस्सा	31 मार्च, 2025 तक गैर-प्रतिभूतित हिस्सा
I. बकाया गारंटी				
i) भारत में	29,023.13	1,344.24	33,456.60	15,531.58
ii) भारत के बाहर	9,677,743	12,134.65	95,687.67	10,360.97
II. स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व				
III. अन्य एनएफबी ऋण सुविधाएं	22,303.54	3,560.16	13,801.85	474.37

*प्रतिभूतित हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं- ऋण सुविधाएं) निदेश, 2025 के तहत परिभाषित है।

35. गत वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

निदेशकों की रिपोर्ट

निर्यात विकास कोष

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ईरान को वस्तुओं और सेवाओं के निर्यातों के वित्तपोषण के लिए चुनिंदा ईरानी बैंकों को ₹ 9 बिलियन की क्रेता ऋण सुविधा के रूप में निर्यात विकास कोष (ईडीएफ) से राशि प्रदान करने के लिए एक्जिम बैंक अधिनियम की धारा 17(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार का अनुमोदन सूचित किया गया था। सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ईडीएफ के अंतर्गत ₹ 9 बिलियन की क्रेता-ऋण सुविधा के लिए सात ईरानी बैंकों के साथ 23 दिसंबर, 2014 को अम्ब्रेला फ्रेमवर्क करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। ईरानी बैंकों को इस क्रेता ऋण सुविधा को

ईरान सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त थी। तत्पश्चात, भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार, भारत से स्टील रेलों के आयात के वित्तपोषण और ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए इस क्रेता ऋण सुविधा की राशि ₹ 30 बिलियन तक बढ़ा दी गई थी।

इस फ्रेमवर्क करार के अंतर्गत, भारत से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के रेलवे को 150,000 टन स्टील रेलों की आपूर्ति के लिए ₹ 8.19 बिलियन मूल्य के प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को क्रेता ऋण सुविधा के अंतर्गत अनुमोदित किया गया था। एनईआईए ट्रस्ट ने इस ऋण सुविधा के लिए प्रथम कॉन्ट्रैक्ट को कवर

करते हुए क्रेता ऋण (व्यापक जोखिम) कवर प्रदान किया है। इस ऋण सुविधा के अंतर्गत कुल ₹ 8.11 बिलियन के संवितरण किए जा चुके हैं और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत भौतिक तथा वित्तीय पूर्णता प्राप्त कर ली गई है। चुकौती में लंबे समय से चूक के चलते, एनईआईए ट्रस्ट से कवर को इन्वोक किया गया था और एनईआईए ट्रस्ट द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान इस ऋण सुविधा के अंतर्गत संपूर्ण बकाया मूलधन का निपटान कर दिया गया था। यथा 31 मार्च, 2026 को इस ऋण सुविधा के अंतर्गत बकाया राशि शून्य रही।

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
भारत के राष्ट्रपति

लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों संबंधी रिपोर्ट

अभिमत

हमने भारतीय निर्यात-आयात बैंक ('बैंक') के निर्यात विकास कोष वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें यथा 31 मार्च, 2026 को तुलन पत्र एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे तथा वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 के विनियम 14(i), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा अधिसूचित लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और यथा 31 मार्च, 2026 को बैंक की वित्तीय स्थिति, उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए बैंक का लाभ संबंधी स्थिति की सत्य एवं सही स्थिति प्रकट करते हैं।

अभिमत का आधार

हमने आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों का विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा' खंड में 'लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व' में दिया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिक संहिता और विशिष्ट वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा से जुड़ी नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं है तथा हमने इन अपेक्षाओं एवं नैतिक संहिता के अनुरूप अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मत है कि हमें मिले लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं और हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए समुचित हैं।

वित्तीय विवरण और इसके संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए बैंक का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, किंतु वित्तीय विवरण और उस संबंध में हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। बैंक की वार्षिक रिपोर्ट हमें इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी को कवर नहीं किया गया है और इस संबंध में हम किसी भी रूप में कोई आश्वासन / निष्कर्ष अभिव्यक्त नहीं करते हैं। वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व ऊपर चिह्नित की गई अन्य जानकारी को पढ़ना है, और इसे पढ़ते हुए इस पर विचार करना है कि यह अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों में दी गई जानकारी से वस्तुतः असंगत तो नहीं है, या लेखा परीक्षा में ली गई हमारी जानकारी या अन्यथा कोई जानकारी गलत तो नहीं है।

यदि, इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से पूर्व में हमें मिली अन्य जानकारी पर हमारे द्वारा किए गए काम के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह अन्य जानकारी गलत है तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हुए, यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें कहीं कुछ गलत बयानी है तो हम उन मामलों को गवर्नर्स प्राधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे।

वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन और गवर्नैस प्रभारियों के उत्तरदायित्व

बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह की सत्य एवं सही स्थिति दर्शाने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए बैंक का प्रबंधन उत्तरदायी है। ये वित्तीय विवरण भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। बैंक में शामिल संबंधित इकाइयों के प्रबंधन आस्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनके पता लगाने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुरूपण करने; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेने एवं आकलन करने; और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित करने, उन्हें कार्यान्वित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं, जो सत्य और सही स्थिति बताने वाले, तथा धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाली किसी भी भौतिक चूक से मुक्त, वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए संबंधित लेखांकन रिकॉर्डों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

वित्तीय विवरण तैयार करने में बैंक में शामिल इकाइयों के संबंधित प्रबंधन, बैंक के परिचालन को जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का मूल्यांकन करने, परिचालन जारी रखने संबंधी मामलों के यथा लागू अनुसार प्रकटीकरण, और जब तक कि भारत सरकार बैंक को लिक्विडेट न करना चाहे या परिचालन बंद न करना चाहे, या ऐसा करने के अलावा कोई उचित विकल्प न हो, तब तक लेखांकन के आधार पर परिचालन जारी रखने के लिए उत्तरदायी है।

बैंक का प्रबंधन बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन हासिल करना और अपने अभिमत को शामिल करते हुए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है कि इन एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी धोखाधड़ी अथवा त्रुटि के चलते किसी भी तरह के मिथ्या कथन नहीं हैं। तर्कसंगत आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, किन्तु इस बात की गारंटी नहीं है कि इनमें यदि कोई गंभीर मिथ्या कथन हुए तो लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा में उनका पता लगा ही लिया जाएगा।

मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते आ सकते हैं और ये तब ज्यादा गंभीर हो जाते हैं, जब इन वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोक्ताओं द्वारा अलग-अलग या सामूहिक रूप से लिए गए उनके आर्थिक निर्णय प्रभावित होते हैं।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप की गई इस लेखा परीक्षा के क्रम में, हम प्रोफेशनल निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान इसी प्रोफेशनल दृष्टि से तथ्यों को परखते हैं। हमारे उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- धोखाधड़ी या त्रुटि के चलते, वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण मिथ्या कथन के जोखिमों का निर्धारण और मूल्यांकन, उन जोखिमों की प्रतिक्रियास्वरूप लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं डिजाइन करना और उनका निष्पादन करना तथा हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और समुचित लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल करना। किसी धोखाधड़ी आधारित गंभीर मिथ्या कथन का जोखिम, किसी त्रुटि आधारित मिथ्या कथनों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या प्रस्तुति, अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना करना शामिल हो सकता है।
- परिस्थितियों के अनुसार यथोचित लेखा प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ विकसित करना।
- प्रयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलन की तार्किकता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना।
- व्यवसाय की निरंतरता जारी रखने के संबंध में उच्च प्रबंधन द्वारा अपनाई जा रही लेखांकन पद्धतियों की हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर जांच करना, इसकी उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना और यह सुनिश्चित करना कि घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता तो नहीं है, जो बैंक के व्यवसाय जारी रखने के संबंध में कोई शंका पैदा करती हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐसी कोई आशंका है तो हमें अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में एकल वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों में इस ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है अथवा यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होते हैं, तो अपना अभिमत बदलना पड़ता है। हमारे निष्कर्ष, हमारी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट की तारीख तक हासिल किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना और देखना कि एकल वित्तीय विवरण निहित संव्यवहारों और कार्यों को उचित रूप में प्रस्तुत करते हैं।

हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान चिह्नित किए गए किसी गंभीर विचलन सहित अन्य मामलों में, गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को लेखा परीक्षा के नियोजित स्कोप और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्ष सूचित करते हैं।

हम गवर्नर्स से जुड़े व्यक्तियों को यह कथन भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित सभी संबंधित नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी संबंधों तथा अन्य मामलों और जहां कहीं लागू हो, संबंधित सेफगार्ड के बारे में सूचित करते हैं, जिन्हें हमारी स्वतंत्रता के लिए जरूरी माना जा सकता है।

अन्य कानूनी और विनियामकीय अपेक्षाओं संबंधी रिपोर्ट

तुलन पत्र तथा लाभ और हानि खाता, भारतीय निर्यात-आयात बैंक सामान्य विनियमावली, 2020 की अनुसूचियों I क और II क के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

- लेखा परीक्षा के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार जो तथ्य और स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सब हमने प्राप्त किए हैं और वे संतोषजनक हैं।
- हमारी राय, इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन-पत्र तथा लाभ और हानि लेखा विवरण, लेखों की बहियों के अनुरूप हैं।
- कोष के संव्यवहार, जो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं, बैंक की शक्तियों के अन्दर हैं।
- हमारी राय में, इस रिपोर्ट में लिए गए उक्त वित्तीय विवरण, लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म रजिस्ट्रेशन संख्या 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271
यूडीआईएन: 26032271MXWRGR5746
स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

यथा 31 मार्च, 2026 को तुलन पत्र

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को)
	₹	₹
देयताएं		
1. ऋण:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
2. अनुदान:		
क) सरकार से	128,307,787	128,307,787
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
3. उपहार, दान, उपकृतियां:		
क) सरकार से	-	-
ख) अन्य स्रोतों से	-	-
4. अन्य देयताएं	472,612,906	411,760,348
5. लाभ और हानि लेखा	1,253,326,134	1,162,914,620
योग	1,854,246,827	1,702,982,755
आस्तियां		
1. बैंक की शेष राशियां	1,500,000	1,500,000
क) चालू खातों में	1,406,429,824	1,293,181,817
ख) अन्य जमा खातों में	-	-
2. निवेश		
3. ऋण एवं अग्रिम:	-	-
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर		
4. भुनाए गए, पुनर्भुनाए गए विनिमय बिल और वचन-पत्र:		
क) भारत में	-	-
ख) भारत के बाहर	-	-
5. अन्य आस्तियां		
क) निम्नलिखित पर उपचित ब्याज		
i) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ii) निवेश/बैंक शेष	120,198,785	112,627,470
ख) प्रदत्त अग्रिम आय कर	326,118,218	295,673,468
ग) अन्य	-	-
योग	1,854,246,827	1,702,982,755

यथा 31 मार्च, 2026 को तुलन पत्र

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (यथा 31.03.2026 को)	गत वर्ष (यथा 31.03.2025 को)
	₹	₹
आकस्मिक देयताएं		
i) स्वीकृतियां, गारंटियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	-	-
ii) वायदा विनियम संविदाओं की बकाया राशियों पर	-	-
iii) हामीदारी एवं वचनबद्धताओं पर	-	-
iv) अंशतः प्रदत्त निवेशों पर अनाहूत देयताएं	-	-
v) बैंक पर दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	-	-
vi) संग्रहण के लिए बिल	-	-
vii) सहभागिता प्रमाण-पत्रों पर	-	-
viii) भुनाए गए/पुनः भुनाए गए बिल	-	-
ix) अन्य राशियां जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	-	-

टिप्पणी: भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (अधिनियम) की धारा 15 की शर्तों के अनुसार बैंक द्वारा निर्यात विकास कोष की स्थापना की गई है। अधिनियम की धारा 17 की शर्तों के अनुसार, किसी भी ऋण अथवा अग्रिम की मंजूरी से पहले अथवा ऐसी कोई व्यवस्था करने से पहले भारतीय निर्यात-आयात बैंक को केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

(सीए रामकृष्णन मणि)
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णव कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

यथा 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

निर्यात विकास कोष

	इस वर्ष (2025-26) ₹	गत वर्ष (2024-25) ₹
व्यय		
	-	-
1. ब्याज	-	-
2. अन्य व्यय	-	-
3. आगे ले जाया गया लाभ	120,819,322	116,403,314
योग	120,819,322	116,403,314
आयकर के लिए प्रावधान	30,407,807	29,296,386
तुलन पत्र में अंतरित शेष लाभ	90,411,515	87,106,928
	120,819,322	116,403,314
आय		
1. ब्याज और बट्टा		
क) ऋण एवं अग्रिम	-	-
ख) निवेश/बैंक शेष	120,819,322	116,403,314
2. विनिमय, कमीशन, ब्रोकरेज और फीस	-	-
3. अन्य आय	-	-
4. तुलन पत्र को ले जायी गयी हानि	-	-
योग	120,819,322	116,403,314
लाभ नीचे लाया गया	120,819,322	87,106,928
पूर्ववर्ती वर्षों की आधिक्य आय/ब्याज कर के प्रावधान का प्रतिलेखन	-	-
	120,819,322	87,106,928

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते एम के पी एस एंड असोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. 302014E/W101061

सीए रामकृष्णन मणि
पार्टनर
सदस्यता सं. 032271

स्थान: मुंबई
दिनांक: 08 मई, 2026

सुश्री दीपाली अग्रवाल
उप प्रबंध निदेशक

श्री सुधाकर दलेला

श्री अर्णब कुमार चौधरी

श्री तरुण शर्मा
उप प्रबंध निदेशक

सुश्री हिमानी पांडे

श्री सृष्टिराज अम्बष्ठ

सुश्री हर्षा बंगारी
प्रबंध निदेशक

डॉ. अभिजीत फुकन

श्री अश्वनी कुमार

निदेशकगण

प्रधान कार्यालय

केंद्र एक भवन, 21वीं मंज़िल, विश्व व्यापार केंद्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई 400005
फोन : (+9122) 22172600
ई-मेल: - info@eximbankindia.in
वेबसाइट: - www.eximbankindia.in

भारत स्थित कार्यालय

अहमदाबाद

साकार II, पहली मंज़िल, एलिसब्रिज शॉपिंग सेंटर के
पास, एलिसब्रिज पी.ओ., अहमदाबाद - 380 006
फोन: (+91 79) 26576852/26576843
ई-मेल: eximahro@eximbankindia.in

बैंगलूरु

रमणश्री आर्केड, चौथी मंज़िल, 18, एम. जी. रोड,
बैंगलूरु - 560 001
फोन: (+91 80) 25585755/25589101-04
ई-मेल: eximbrow@eximbankindia.in

चंडीगढ़

सी-213, दूसरी मंज़िल, एलान्ते कार्यालय,
औद्योगिक क्षेत्र, फेज-1, चंडीगढ़ - 160 002
फोन: (+91 172) 2997960-63
ई-मेल: eximcro@eximbankindia.in

चेन्नै

ओवरसीज टॉवर्स, चौथी एवं पांचवीं मंज़िल, 756-एल,
अन्ना सालै, चेन्नै - 600 002
फोन: (+91 44) 28522830/28522831
ई-मेल: eximchro@eximbankindia.in

गुवाहाटी

नेडफी हाउस, चौथी मंज़िल, जी. एस. रोड, दिसपुर,
गुवाहाटी - 781 006
फोन: (+91 361) 2237607/609
ई-मेल: eximgro@eximbankindia.in

हैदराबाद

गोल्डन एडिफिस, दूसरी मंज़िल, 6-3-639/640,
खैरताबाद सर्कल, हैदराबाद - 500 004
फोन: (+91 40) 23307816-21
ई-मेल: eximhro@eximbankindia.in

इंदौर

यूनिट नं. 800-802, 8वीं मंज़िल, मालू 01 प्लॉट नम्बर 26,
स्कीम नंबर 94 C रिंग रोड, इंदौर 452010
फोन: (+91 731) 4137891
ई-मेल: eximiro@eximbankindia.in

कोलकाता

वाणिज्य भवन, चौथी मंज़िल, (अंतरराष्ट्रीय व्यापार सुगमीकरण
केंद्र), 1/1 वुड स्ट्रीट, कोलकाता - 700 016
फोन: (+91 33) 68261301
ई-मेल: eximkro@eximbankindia.in

लखनऊ

यूनिट नं. 101, 102 और 103, पहली मंज़िल,
शालीमार इरीडियम, विभूती खंड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
फोन: (+91 522) 6188035
ई-मेल: eximlro@eximbankindia.in

मुंबई

8वीं मंज़िल, मेकर चेंबर IV, नरीमन पॉइंट,
मुंबई - 400 021
फोन: (+91 22) 22861300
ई-मेल: eximmro@eximbankindia.in

नई दिल्ली

भूतल, स्टेट्समैन हाउस, 148,
बाराखंबा रोड, नई दिल्ली 110001
फोन: (+91 11) 61242600/24607700
ई-मेल: eximndo@eximbankindia.in

पुणे

नं. 402 और 402(बी), चौथी मंज़िल, सिग्नेचर बिल्डिंग,
भाम्बुर्डा, भंडारकर रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004
फोन: (+91 20) 26403000
ई-मेल: eximpro@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

लंदन (शाखा)

5वीं मंज़िल, 35 किंग स्ट्रीट, लंदन- ईसी2वी 8बीबी,
यूनाइटेड किंगडम, फोन: (+44) 20 77969040
ई-मेल: eximlondon@eximbankindia.in

विदेश स्थित कार्यालय

आबिदजान

5वीं मंज़िल, अज्यूर बिल्डिंग,
18-दॉक्टर क्रोज़े रोड, प्लेत्यो,
आबिदजान,
कोत दि'वार
फोन: (+225) 27 20242951/37
ई-मेल: eximabidjan@eximbankindia.in

ढाका

मधुमिता प्लाज़ा कॉनकॉर्ड, 12वीं मंज़िल,
प्लॉट संख्या 11,
रोड नंबर 11, ब्लॉक जी, बानानी,
ढाका - 1213
बांग्लादेश
फोन: (+880) 255042444
ई-मेल: eximdhaka@eximbankindia.in

दुबई

लेवल 5, टेनेसी 1बी, गेट प्रीसिंक्ट बिल्डिंग नं.3,
दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र,
पीओ बॉक्स नं. 506541, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात
फोन: (+971) 4 3637462
ई-मेल: eximdubai@eximbankindia.in

जोहांस्बर्ग

दूसरी मंज़िल, सैंडटन सिटी ट्रिवन टॉवर्स ईस्ट, सैंडहर्स्ट
एक्सटेंशन 3, सैंडटन 2196,
जोहांस्बर्ग,
दक्षिण अफ्रीका
फोन: (+27) 11 3265103/13
ई-मेल: eximjro@eximbankindia.in

नैरोबी

यूनिट नं. 1.3, द ओवल,
जालाराम रोड, वेस्टलैंड्स,
नैरोबी,
केन्या
फोन: (+252) 741757567
ई-मेल: eximnairobi@eximbankindia.in

साओ पाउलो

यूनिट 1603, विश्व व्यापार केंद्र, अविनिडा दास नाकोस,
यूनिदास 12.551, साओ पाउलो 04578-903,
ब्राज़ील
फोन: (+55) 11 3080 7561
ई-मेल: eximsaopaulo@eximbankindia.in

सिंगापुर

20, कोलियर क्वे, #10-02
सिंगापुर - 049319
फोन: (+65) 65326464
ई-मेल: eximsingapore@eximbankindia.in

वाशिंगटन डी.सी.

1750 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू एन. डब्ल्यू,
सूइट 1202,
वाशिंगटन डी.सी. - 20006,
संयुक्त राज्य अमेरिका
फोन: (+1) 202 223 3238
ई-मेल: eximwashington@eximbankindia.in

Inside

01 Operational Overview

2	Competition to Collaboration: Trade Geopolitics and Strategic Partnerships
6	Board of Directors
8	Managing Director's Statement
13	Financial Performance
15	Our Management
16	Macro-Economic Environment and Trade
22	Directors' Report
26	Nurturing Export Competitiveness
31	Financing Exports
35	Driving Sustainable Impact Through Partnership with Governments
37	Empowering MSMEs through Export
49	Promotional and Developmental Role
57	Human Capital
61	Institutional Infrastructure
65	Joint Ventures and Subsidiary



To know more about us, log on to www.eximbankindia.in

de the Report

02 Statutory Reports

67 Corporate Governance Report

03 Financial Statements

Standalone Financial Statements

105 Independent Auditor's Report

110 Balance Sheet

111 Profit & Loss Account

112 Schedules to the Balance Sheet

115 Cash Flow Statement

Consolidated Financial Statements

155 Independent Auditor's Report

160 Balance Sheet

161 Profit & Loss Account

162 Schedules to the Balance Sheet

165 Cash Flow Statement

Export Development Fund

225 Directors' Report

226 Financial Statements

Competition to Collaboration: Trade Geopolitics and Strategic Partnerships

In an era defined by shifting power balance, supply-chain realignments, technological disruptions, and heightened strategic competition, the global trade landscape is undergoing a fundamental transformation. What once revolved primarily around price competitiveness and market access is now deeply influenced by geopolitics, national and energy security considerations, and technological sovereignty.

Against this backdrop, the transition from competition to collaboration, which is the theme of this year's Annual Report, has emerged as both a necessity and an opportunity, also reflecting the Bank's strategic focus on building the capacity of Indian exporters, particularly MSMEs, and enabling them to succeed in the evolving global landscape. Governments and businesses alike are increasingly recognizing that sustainable growth depends on strategic partnerships, whether through bilateral and regional trade agreements, cross-border investments, or coordinated approaches to critical sectors such as energy, technology, and infrastructure. Collaboration enables risk-sharing, enhances resilience, and fosters

innovation, allowing economies to navigate uncertainty, while safeguarding long-term national interests.

As trade geopolitics continues to reshape global trade, strategic partnerships are becoming the cornerstone of economic diplomacy. By embracing partnerships grounded in mutual benefit, and strategic alignment, geopolitical challenges could be transformed into avenues for stability, inclusion, and sustained economic progress.

Indian exporters are increasingly striving to diversify export markets, move up the value chain, integrate technology in their products and processes, and transition towards low-carbon pathways. To support

these endeavours, the Bank, during the year, undertook a range of initiatives aimed at broadening access to export finance, strengthening export capacities, scaling up sustainability-aligned lending, empowering MSMEs and grassroots enterprises, and supporting exporters in their diversification efforts, helping them integrate into global value chains and responding to evolving trade geopolitics. This report highlights these efforts by the Bank for catalysing India's internationalisation journey and contributing meaningfully to development partnerships.



Vision

Globalisation of
Indian Businesses and
Empowering Growth
of Partner Countries



Mission

Facilitate Indian Trade
and Investment and
Support Partner Countries'
Development Priorities as
a Financially, Socially and
Environmentally Responsible
Institution



100%

owned by the
Government of India



40+

years of financing,
facilitating & promoting
India's international trade
and investment



Policy Bank

supporting development
priorities of partner countries
and enabling policy formulation
at national level through
research inputs



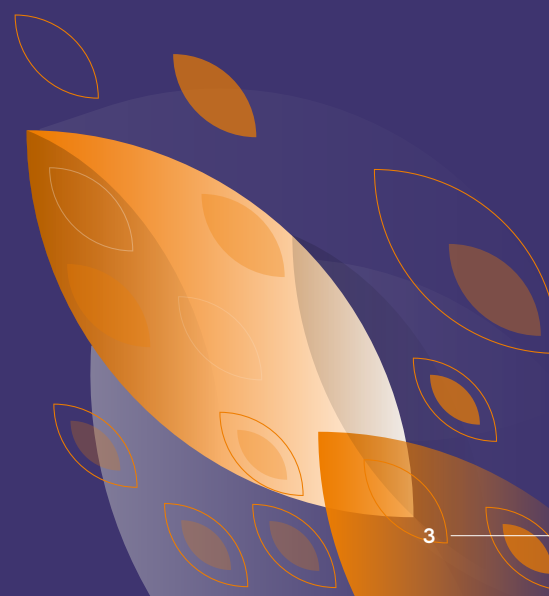
**Robust
Regulatory
Capital**

position for many
consecutive years



**Investment
Grade Credit
Rating**

at par with Sovereign
by international credit
rating agencies



Empowering Indian Companies to Tap Global Opportunities

Expanding Horizons



Exim Bank's Presence in Different Geographies through:

- Overseas Investment Finance
- Commercial Buyer's Credit
- Buyer's Credit under NEIA
- Lines of Credit
- Guarantees
- Trade Assistance Programme
- Marketing Advisory Services



Map not to scale. Only for representation purpose.

As on March 31, 2026

Board of Directors

Directors representing the Government of India



Mr. Sudhakar Dalela

Secretary (ER)
Ministry of External Affairs



Mr. Suchindra Misra

Special Secretary
Department of Commerce
Ministry of Commerce & Industry



Ms. Himani Pande

Additional Secretary
Department for Promotion of
Industry and Internal Trade
Ministry of Commerce and Industry



Dr. Abhijit Phukon

Economic Adviser
Department of Financial Services
Ministry of Finance



Ms. Sakshi Mittal

Joint Secretary
Department of Economic Affairs
Ministry of Finance

Directors from Institutions and Commercial Banks



Mr. Arnab Kumar Chowdhury

Executive Director
Reserve Bank of India



Mr. Rakesh Sharma

Managing Director & CEO
IDBI Bank Ltd.



Mr. Sristiraj Ambastha

Chairman-cum-Managing Director
ECGC Ltd.



Mr. Challa Sreenivasulu Setty

Chairman
State Bank of India



Mr. Ashwani Kumar

Managing Director & CEO
UCO Bank



Mr. Rajneesh Karnatak

Managing Director & CEO
Bank of India

Whole-time Directors



Ms. Harsha Bangari

Managing Director
Export-Import Bank of India



Mr. Tarun Sharma

Deputy Managing Director
Export-Import Bank of India



Ms. Deepali Agrawal

Deputy Managing Director
Export-Import Bank of India

As on May 8, 2026

Managing Director's Statement



Amid the rising global trade uncertainties and complexities, the role of development finance institutions such as Exim Bank is more critical than ever. The Bank continues to respond proactively to emerging challenges by prioritising its support for micro, small and medium enterprises (MSMEs), developing innovative products, expanding its geographical footprint and focusing on sunrise sectors.



Harsha Bangari
Managing Director

The global economic landscape in 2025-26 was characterised by rising protectionism in key export markets, heightened policy uncertainty, and persistent geopolitical tensions. The conflict in West Asia and concomitant disruption in global supply chains further weighed on the global economic prospects and amplified trade-related vulnerabilities across regions.

Against this challenging backdrop, the Indian economy demonstrated remarkable resilience and remained on a strong growth

trajectory, supported by robust macroeconomic fundamentals, sustained structural reforms, supportive policy measures and favourable financial conditions. During 2025-26, India's real GDP registered a strong growth of 7.6 per cent, driven by robust private consumption, alongside a revival in private sector investments. Credit growth also improved during the year and remained supportive of the economic activities.

While the domestic economy exhibited resilience, the external sector also recorded significant

progress. The year 2025-26 was yet another milestone year for India's exports, with overall merchandise and services exports reaching an all-time high of US\$ 863 billion. Although merchandise export growth remained subdued in the wake of higher tariffs imposed by the USA and trade disruptions, services exports demonstrated resilience and supported overall export performance. Diversification efforts also gained momentum during the year, with India signing and concluding several trade agreements to broaden market access.

Recognising the challenges to trade during the year, the Government of India undertook several measures targeted at supporting exporters and mitigating supply chain disruptions. These included the Credit Guarantee Scheme for Exporters to extend collateral-free credit support to exporters, and the Export Promotion Mission aimed at strengthening India's exports ecosystem and enhancing export competitiveness. As a key pillar of support for India's international trade, Exim Bank remained steadfast in its commitment to fostering export competitiveness, building export capacities and bridging trade finance gaps.

Financial and Business Results

Amid the rising global trade uncertainties and complexities, the role of development finance institutions such as Exim Bank is more critical than ever, particularly in supporting vulnerable segments of the export ecosystem. Micro, small and medium enterprises (MSMEs), which are key drivers of exports, economic activity and employment, have been disproportionately affected by market access constraints and supply chain disruptions. In response, the Bank has placed a special emphasis on addressing the marketing and financing gaps faced by the MSME sector through innovative financing mechanisms and targeted initiatives. The Bank has also prioritised expanding its geographical footprint and focusing on sunrise sectors.

During FY 2025-26, the Bank expanded its support to bolster export capacities and support exports from the country. The Bank's net loan portfolio increased to ₹ 2,078 billion as on March 31,

2026, witnessing a growth of 12 per cent during the year. Notably, the corporate loan book recorded a growth of 13 per cent, driven by strong support to high value-added and technology-intensive sectors such as clean and renewable energy, automotive, capital goods and pharmaceuticals. The Bank's non-funded portfolio, which mainly includes project related guarantees, remained robust at ₹ 165 billion as on March 31, 2026, although it declined marginally by 2 per cent over the previous year. The moderation reflected lower project export opportunities in multilateral funded projects and disruptions in project execution arising from the West Asia crisis. Amid these challenges, the Bank continued to support diversification of project exports, with guarantees issued in several new geographies including Turkmenistan, Chile and Bolivia. This reflects the growing risk-capacity of Indian exporters and their willingness to diversify exports to new geographies amid challenges in traditional markets.

During the year, the Bank approved credit facilities aggregating ₹ 1,558 billion to enhance export capabilities of Indian companies and support development priorities of partner countries.

Consistent with the trends over the last several years, the asset quality of the Bank's corporate portfolio remained strong. As on March 31, 2026, gross NPAs of the Bank reduced to 0.57 per cent of the total loans and advances, which is the lowest level in over 20 years. Net NPAs also further improved to 0.01 per cent of the net loans and advances (net of provisions) as on March 31, 2026, with a Provision Coverage Ratio of 99.85 per cent. The Bank maintained its record of profitability, with profit after tax

(PAT) increasing by 32 per cent during FY 2025-26. Furthermore, the Bank's capital adequacy improved to 26.39 per cent, offering headroom to pursue future growth opportunities.

Market borrowings accounted for 87 per cent of the Bank's resources as on March 31, 2026. During the year, the Bank issued a US\$ 1 billion dual-tranche bond in the 144A/Reg S format, achieving the lowest spread over US Treasuries secured by any Indian issuer in the public USD bond markets across both the 10-year and the 30-year tenors. Significantly, this transaction also marked the first ever 30-year USD bond issuance by an Indian bank/ financial institution in the international bond markets, successfully extending the Bank's credit curve to the long end and establishing a new benchmark for the sector in global capital markets.

Creating Export Capacities and Boosting Export Competitiveness

The Bank approved credit facilities aggregating ₹ 1,509 billion during FY 2025-26, towards enhancing export capacities, strengthening export competitiveness and supporting the globalisation efforts of Indian companies.

In its role as an Export Credit Agency, the Bank plays a pivotal role in providing medium-to-long term financing for exports, thereby enabling sophistication of India's exports basket. The share of medium-to-long term loans in the Bank's net loan portfolio increased to 77 per cent, reflecting its strong focus on project exports. The Bank supported 142 project export contracts worth ₹ 696 billion in 49 countries across various sectors during the year.

Recognising the need for deeper integration into global value chain for boosting exports, the Bank actively promotes outward investments by Indian companies through a comprehensive programme covering equity finance, loans, guarantees and advisory services. During the year, approved credit facilities for overseas investments by Indian companies doubled, taking the cumulative support under the programme to ₹ 877 billion, as on March 31, 2026. This has cumulatively facilitated the setting up of 743 ventures by 541 companies across 80 countries in traditional sectors such as textile, pharmaceuticals, engineering goods, chemicals, among others, as well as new and emerging sectors such as sustainability solutions and aircraft leasing.

Guided by its Medium-Term Business Strategy, the Bank's financing for green and sustainability-related segments also gained traction during the year. The Bank approved ₹ 126 billion to borrowers across a wide array of sustainability sectors, including solar and wind energy, energy storage systems, sustainable packaging and sustainable agriculture.

Facilitating Sustainable Growth in Partner Developing Countries

The Bank supported a wide range of developmental projects in partner countries through Lines of Credit (LOCs) extended under the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) at the behest of the Government of India (GOI). As on March 31, 2026, the Bank had a portfolio of 307 LOCs, spanning 63 countries with credit commitments of more than US\$ 27 billion. In a significant step towards internationalisation of the Indian Rupee and enhancing its role in cross-border transactions, the

Bank extended its first GOI-LOC denominated in Indian Rupee to the Government of Maldives valued at ₹ 4,850 crore.

The LOC programme has supported socio-economic development in partner countries, while also enabling Indian companies to access new markets and opportunities. Till date, 970 contracts valued at nearly US\$ 17 billion have been covered under LOCs, creating opportunities for over 300 Indian companies, and benefitting a multitude of MSMEs in the value chain. The experience gained by Indian companies in implementing LOC projects has also contributed significantly to enhancing their competitiveness and improving success rates in bids for projects funded by governments, multilateral institutions, private investors and development financial institutions in other countries as well.

Empowering MSMEs to Realise their Export Potential

MSMEs form a key pillar of India's exports ecosystem, with MSME-related products accounting for nearly half of the country's merchandise exports. The Bank supports small and medium enterprises with differentiated technology, product or process, under its Ubharte Sitaare programme, through debt, equity and technical assistance. Since its announcement in the Union Budget 2020, the Bank has handheld more than 106 entities under the programme, with several companies engaged in sectors of national importance, including defence, aerospace, robotics, advanced manufacturing and clean energy. The Bank has supported several companies to move towards higher value chain positioning through transitions from component manufacturing to system-level integration, from

domestic participation to export-led expansion, and from technology adoption to the development of proprietary platforms.

The recently introduced Trade Assistance Programme (TAP) of the Bank is also gaining traction, and contributing towards diversification of exports by Indian companies, including MSMEs, to new and emerging markets. A significant share of exports, particularly to new and high-risk geographies, depends on bank-intermediated trade finance instruments, which require linkages between counterparty banks. Under TAP, the Bank provides an effective bridge between the local banks in partner countries and banks in India, thereby addressing the trade finance gaps. Since its launch in 2022, the Bank has partnered with more than 160 overseas banks under the programme. Till date, the Bank has facilitated more than 2,500 export transactions under TAP across more than 60 countries, leading to over US\$ 3.9 billion of incremental exports by more than 240 exporters based in 60 cities across 22 states of India. Around 30 per cent of the companies supported under the programme are MSMEs.

The Bank is also encouraging the development of alternate trade finance mechanisms such as export factoring. The Bank's subsidiary in GIFT City, India Exim Finserve IFSC Pvt Ltd. (Exim Finserve) provides non-recourse / limited recourse export factoring services, which is a viable receivables management and financing mechanism suited to the needs of MSMEs. As on March 31, 2026, Exim Finserve has supported 2,350 transactions with aggregate commitments of US\$ 37 million. Nearly 58 per cent of the companies supported by Exim Finserve are MSMEs. During the year, Exim Finserve received recognition from FCI, a global representative body for factoring and financing of open

account domestic and international trade receivables, for one of the top three 'Best Deals of the Year'.

During the year, the Bank established a dedicated group for MSME business to complement and deepen its support for the sector. This initiative will focus on building a scalable and geographically diversified MSME loan portfolio, supporting emerging and high-potential export sectors, undertaking cluster-based outreach in partnership with industry bodies, and leveraging technology to expand support to MSMEs.

Support to Inclusive Growth

The Bank's support to growth of India's exports extends beyond large corporates and MSMEs, to grassroots enterprises as well, in remote parts of the country. Under its Grassroots Initiatives for Development (GRID) programme, the Bank supported 12 interventions across 12 states in 2025-26, benefitting more than 9,100 artisans and farmers. The Bank also conducted impact assessments of six interventions to evaluate and validate the developmental outcomes.

During the year, the Bank also provided greater visibility and marketing opportunities to artisans and grassroots enterprises through platforms such as Exim Bazaar and Kala Ghoda Arts Festival. Additionally, under its Marketing Advisory Services (MAS) programme, the Bank was successful in generating orders and placing products such as litchi in UAE, cotton towels, ghee and edible oils in the USA, roses in Singapore, and FMCG products in Africa.

The Bank also actively contributed through Corporate Social Responsibility (CSR) initiatives, supporting nearly

56,800 beneficiaries in the areas of education and skill development, healthcare access and environmental sustainability.

Contribution through Research Activities

Through its research initiatives, the Bank supports policy evolution and informed decision making by businesses. During the year, the Bank published 20 research studies pertinent to countries/region, export potential of Indian states, sectors and topics of relevance to international trade. Further, the Bank supported informed decision making, by providing crucial inputs to Government of India for negotiations of Free Trade Agreements and Trade Finance Schemes under the Export Promotion Mission. The Bank's quarterly projections of India's exports, based on an Export Leading Index (ELI) model, continued to demonstrate strong accuracy, reinforcing its credibility as a trustworthy source of information on the short-term trajectory of India's exports.

Fostering Dialogue and International Cooperation

In an increasingly interconnected yet fragmented global environment, collaboration is key for sustaining trade, investment and economic development. Recognising this imperative, the Bank continued to strengthen partnerships with stakeholders and reinforce institutional linkages during the year. The Bank organised its maiden Trade Conclave on the theme 'Building Export-led Growth for Viksit Bharat', which was graced by Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble Minister of State for Finance and Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of

Finance, Government of India. The Conclave brought together over 200 participants from the Indian industry, heads of banking/financial institutions, exporters, export promotion councils, and academia, to deliberate on opportunities and challenges shaping India's exports landscape.

During the year, the Bank also had the privilege of hosting the 30th Annual Meeting of the Asian Exim Banks Forum (AEBF). The AEBF, which was conceived and initiated by the Bank in 1996, has gradually emerged as an important platform for fostering cooperation among Export Credit Agencies from Asia-Pacific. The meeting provided an opportunity for members institutions to exchange perspectives on strengthening regional cooperation in trade and investment.

Institutional Capabilities and Geographical Expansion

The impact created by the Bank in India and across partner developing countries is ultimately driven by the capability and commitment of its people. The Bank continues to remain a lean organisation with 359 staff and their contributions continue to strengthen the institution and support its developmental mandate. I extend my sincere appreciation for the dedication, commitment and efforts of the staff.

Complementing this human capital, the Bank has also strengthened its technology ecosystem through implementation of new digital initiatives covering digitisation, business intelligence, workflow automation, infrastructure, networks and security.

The Bank has also steadily expanded its geographical presence to deepen engagement with exporters and unlock export opportunities in new

markets. During the year, the Bank's new offices in Lucknow and Indore in India, and São Paulo in Latin America were virtually inaugurated by Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India during the Bank's Trade Conclave.

Guidance from the Board of Directors

The Directors on the Board of the Bank possess abundant knowledge and have been instrumental in helping the Bank achieve its goals. They include Directors representing the Government of India - Shri Sudhakar Dalela, Secretary (Economic Relations), Ministry of External Affairs; Shri Suchindra Misra, Special Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Ms. Himani Pande, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry; Dr. Abhijit Phukon, Economic Advisor, Department of Financial Services, Ministry of Finance; and Ms. Sakshi Mittal, Joint Secretary (Bilateral Cooperation), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. We continue to benefit and learn from the expertise of Directors from various institutions and commercial banks, which include Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director, Reserve Bank of India; Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd.; Shri Sristiraj Ambastha, Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.; Shri Challa Sreenivasulu Setty, Chairman, State Bank of India; Shri Ashwani Kumar, Managing Director & CEO, UCO Bank; and Shri Rajneesh Karnatak, Managing Director & CEO, Bank of India; apart from my colleagues, Shri Tarun Sharma and Ms.

Deepali Agrawal, Deputy Managing Directors of the Bank.

There have also been changes on the Board of the Bank due to relinquishment of directorships consequent upon achieving superannuation, change in office or completion of term. These include Shri Dammu Ravi, Secretary (Economic Relations), Ministry of External Affairs; Shri Siddharth Mahajan, Joint Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry; Ms. Aparna Bhatia, Adviser (Bilateral Cooperation), Department of Economic Affairs, Ministry of Finance; and Shri M.V. Rao, Managing Director & CEO, Central Bank of India. The Bank gratefully acknowledges their invaluable contribution as Directors and will always remain indebted to them.

Looking Ahead

Looking ahead, the Bank will continue to place strong emphasis on consistently expanding its commercial portfolio, focusing on risk management for maintaining credit quality, leveraging its strong capital position for higher growth opportunities, and pursuing a balanced growth strategy.

In its policy role, the Bank will also be implementing two new initiatives under the Government of India's Export Promotion Mission— 'Support for Emerging Export Opportunities' and 'Credit Assistance for e-Commerce Exporters'. Under these schemes, the Bank will support MSME exporters by playing a complementary role to commercial banks, by providing risk mitigation tools and facilitating financing in areas where conventional lending may be constrained. This support will be especially relevant for exporters targeting

new, underserved, or higher-risk markets, as well as those exploring new modes of exports. Apart from these, the Bank has also been nominated as the implementing agency for the 'Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit'.

As FY 2026-27 will be the final year of the Bank's current medium-term business strategy, the Bank will initiate the formulation of its strategic roadmap for the next five-year period from FY 2028-2032, coinciding with the Bank's Golden Jubilee, and marking an important milestone in the institution's journey. At a time when India's exports ecosystem is evolving rapidly across sectors and geographies, the Bank remains committed to align its strategy with the emerging needs of the sector.

India's exports growth story over the recent years has been characterised by resilience, diversification and innovation. From software services to advanced manufacturing, from startups to globally renowned companies, and from sustainability solutions to traditional industries, India's journey of exports growth across the entire spectrum is unfolding at a remarkable pace. The Bank remains committed to partner Indian companies in this journey and contributing towards strengthening India's position in the global economy. The Bank will also continue to align its efforts with the Government of India's export promotion initiatives, including the Export Promotion Mission.



Harsha Bangari
Managing Director

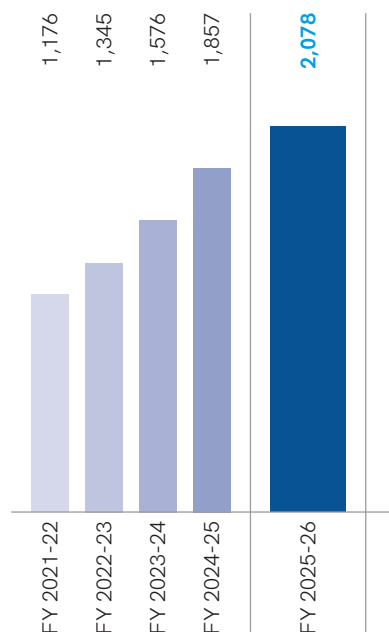
Financial Performance

(As on March 31 of respective FY)



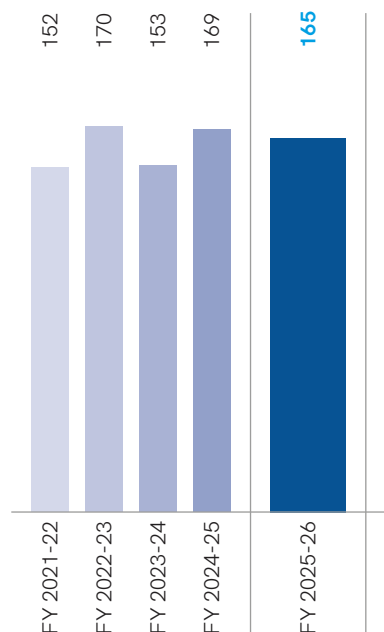
Net Loan Portfolio (A)

(₹ in billion)



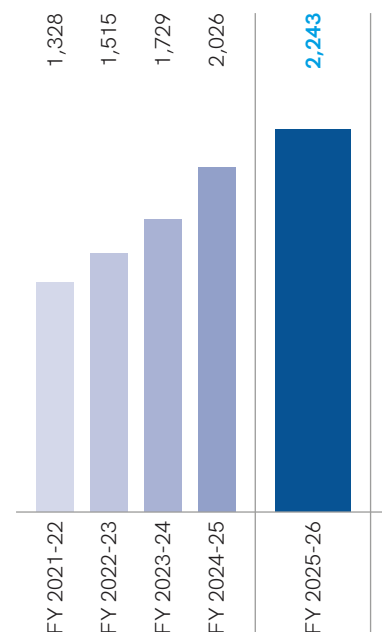
Non-Fund Portfolio (B)

(₹ in billion)



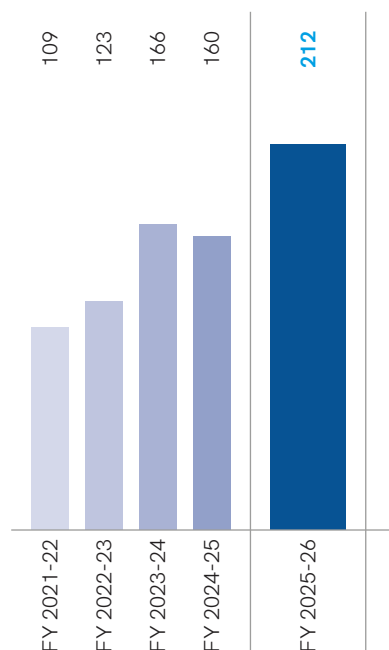
Customer Asset Portfolio (C=A+B)

(₹ in billion)



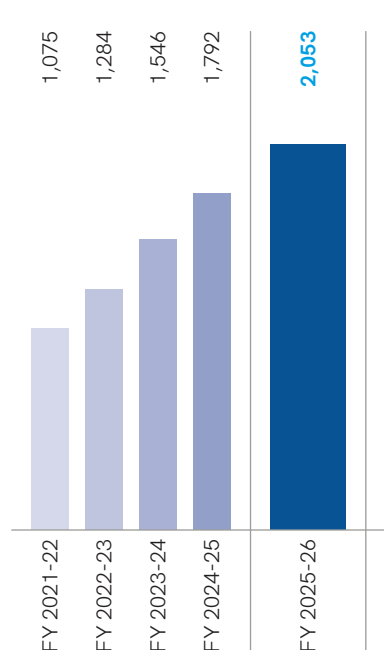
Net Investments (D)

(₹ in billion)



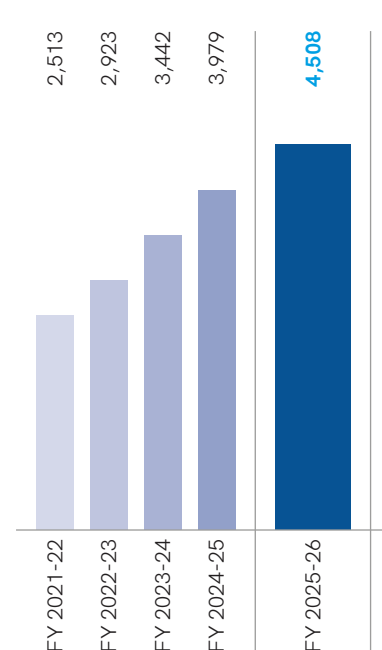
Total Borrowings (E)

(₹ in billion)



Total Business (C+D+E)

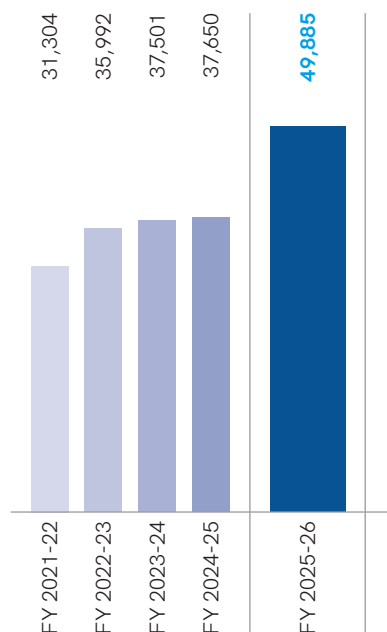
(₹ in billion)





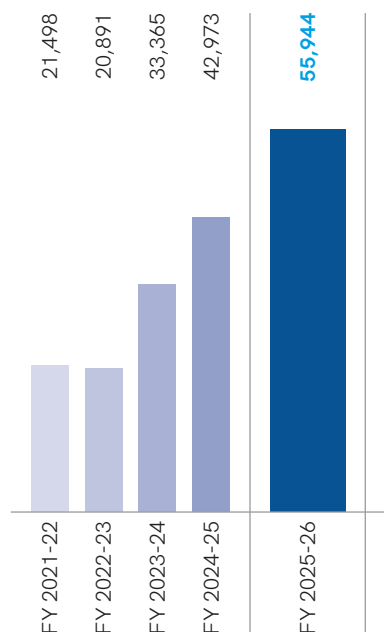
Operating Profit

(₹ in million)



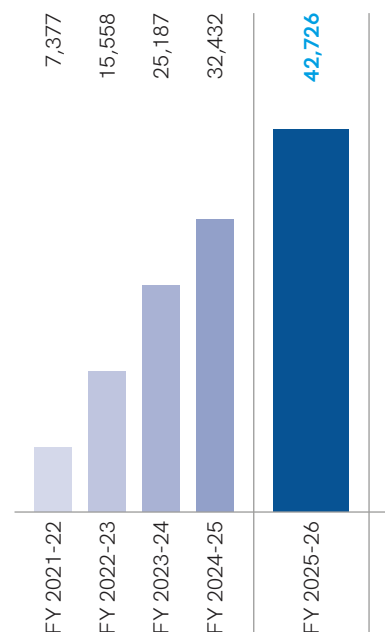
Profit Before Tax

(₹ in million)



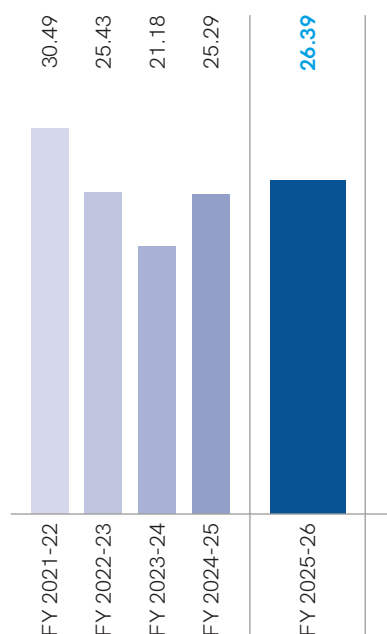
Profit After Tax

(₹ in million)



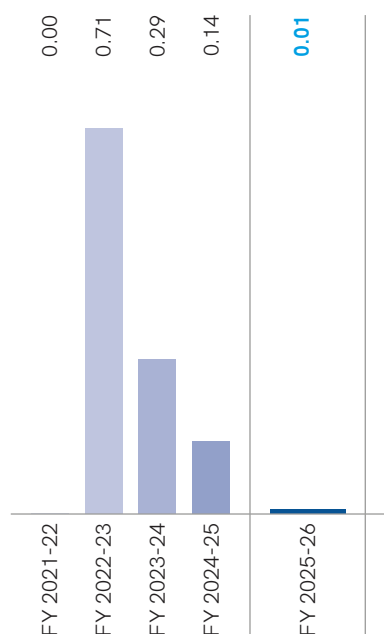
Capital to Risk Assets Ratio

(in %) (consolidated)



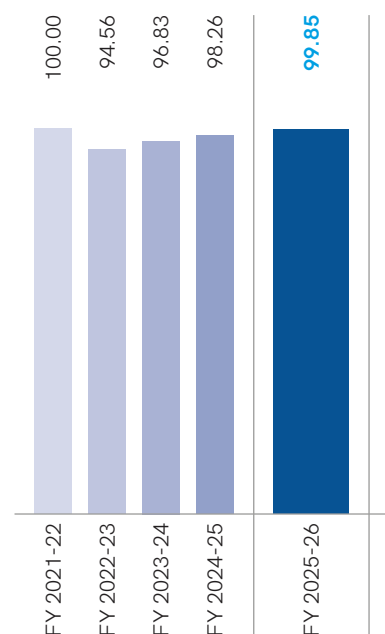
Net Non-Performing Assets

(in %)



Provision Coverage Ratio

(in %)



Our Management

WHOLE TIME DIRECTORS



Harsha Bangari
Managing Director



Tarun Sharma
Deputy Managing Director



Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

CHIEF GENERAL MANAGERS



Mukul Sarkar
Risk Management



Rima Marphatia
Internal Audit



Manjiri Bhalerao
Board Secretariat,
Compliance and
Sustainability



Gaurav Bhandari
International Relations
Research & Analysis



Vikramaditya Ugra
Lines of Credit



Lokesh Kumar
Loan Operations &
Monitoring -I



Rikesh Chand
BC-NEIA & Credit
Appraisal



Meena Verma
Loan Operations and
Monitoring-I



T.D. Sivakumar
Infrastructure &
Government Affairs Cell



Mr. Nirmal Ved
Trade Facilitation



Dharmendra Sachan
Corporate Communications,
Grassroots Initiatives for
Development, Knowledge Center
and Marketing Advisory Services



Sujeet Bhale
Compliance



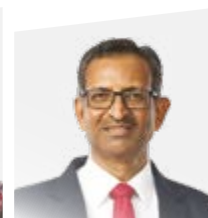
Shilpa Waghmare
Special Situations



Uday Shinde
Human Resources
Management



Priti Thomas
Legal



Manish Joshi
Loan Operations &
Monitoring-II

GENERAL MANAGERS



Ambrish Bhandari
Credit Appraisal



Navendu Bajpai
Rajbhasha and
Administration



Bakhtavar Patel
Treasury & Accounts
and MIS



Trupti Mhatre
Loan Operations &
Monitoring -II



Sailesh Prasad
Sustainable Enterprise &
Export Development



Ashok Kumar Vartia
London Branch



Deepak Bhatia
Digital & Technology



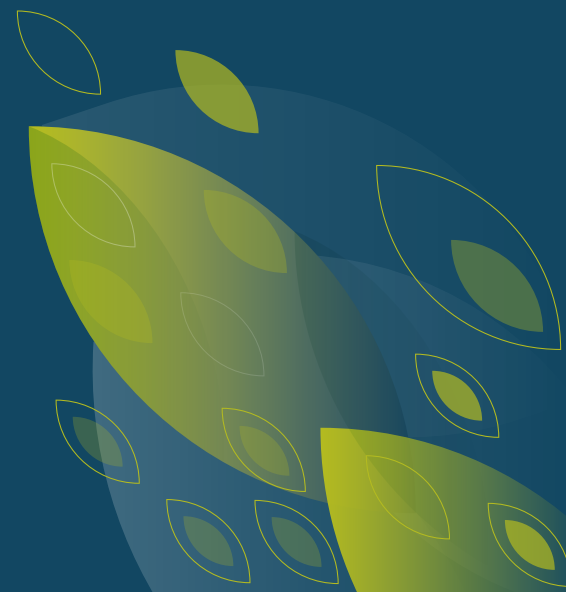
Yogita Hatangadi
Micro Small & Medium
Enterprises

As on May 8, 2026

Macro-Economic Environment and Trade Challenges, Trends and Prospects

The world economy during FY 2025-26 was characterised by significant trade policy uncertainties and geo-economic fragmentation. Despite significant headwinds from trade policy shifts, tariff wars and geopolitical tensions, the world economy during the year has, however, shown resilience and sustained economic momentum, driven by growth in developing economies.

Strategic trade adaptations, fiscal support and policy adjustments across countries, have contributed to the economic impetus. During the year, India has remained the fastest growing major economy in the world, supported by domestic consumption, buoyancy in manufacturing activity, rise in overall competitiveness driven by sustained macroeconomic stability, and appropriate policy interventions. Favourable prospects of recently concluded trade negotiations with select countries, are also expected to contribute to the country's growth in exports.

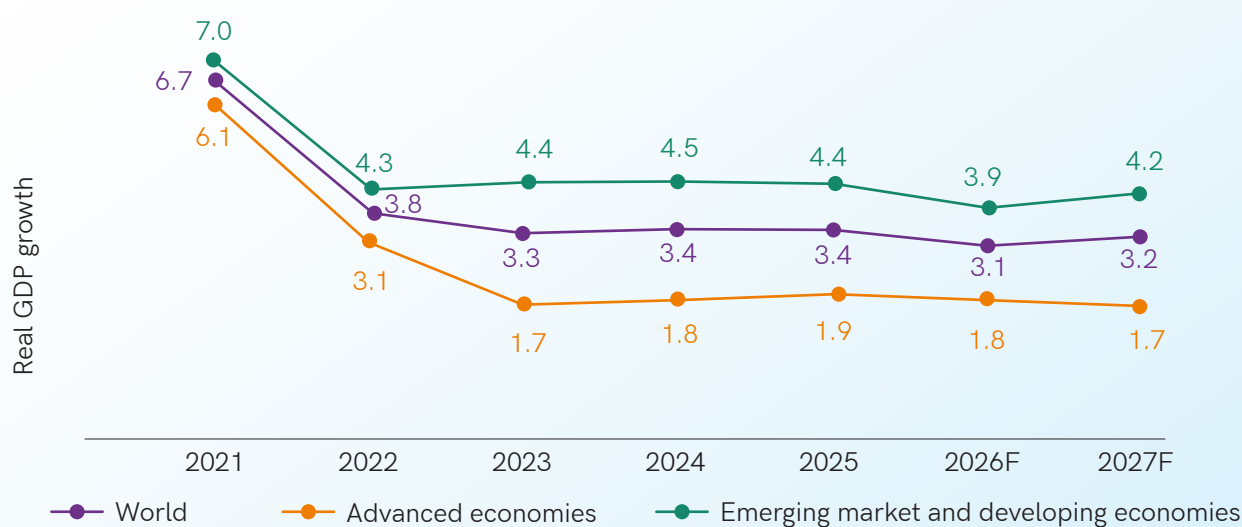




Global Economy

After withstanding higher trade barriers and elevated uncertainty in 2025, the global economy now faces another challenge from conflict in the Middle East. Assuming that the conflict remains limited in duration and scope, the International Monetary Fund (IMF) has projected global growth to slow from 3.4 per cent in 2025 to 3.1 per cent in 2026. The continued modest slowdown in growth during 2025-2026 and increase in inflationary pressures during 2026, are expected to be particularly seen in emerging market and developing economies. Prospects of elevated public debt in most countries, further could increase vulnerabilities. The current geopolitical situation and economic fragmentation could inflict downside risks on global trade growth.

Global Economic Growth (%)

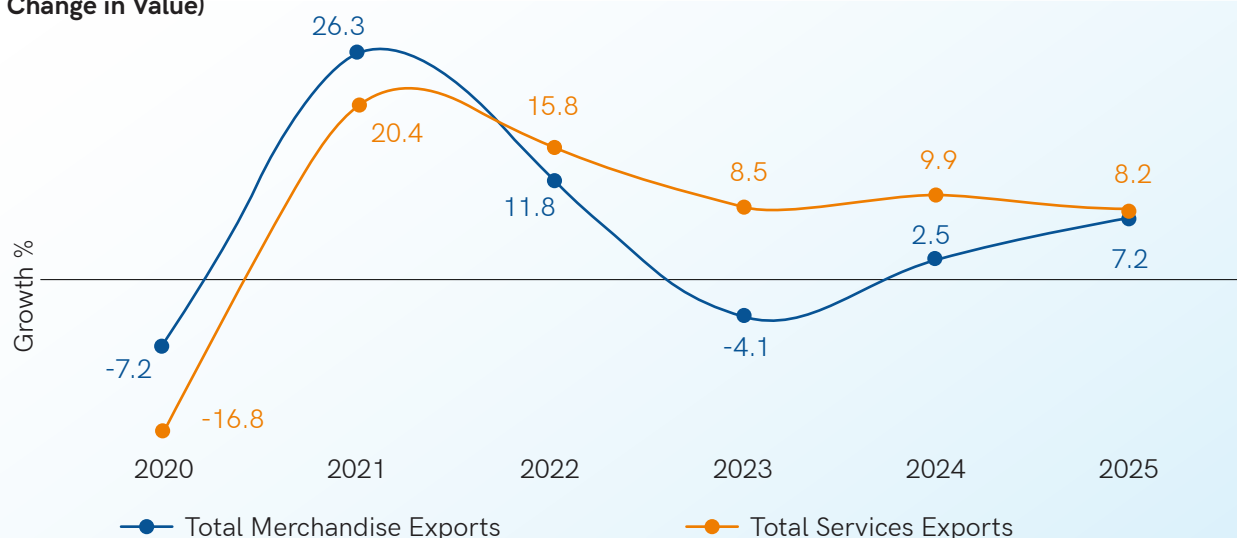


Note: F: Forecast

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2026

Global Exports Growth

(% Change in Value)



Note: Services Exports data for 2025 have been computed based on preliminary annual estimates based on quarterly statistics.

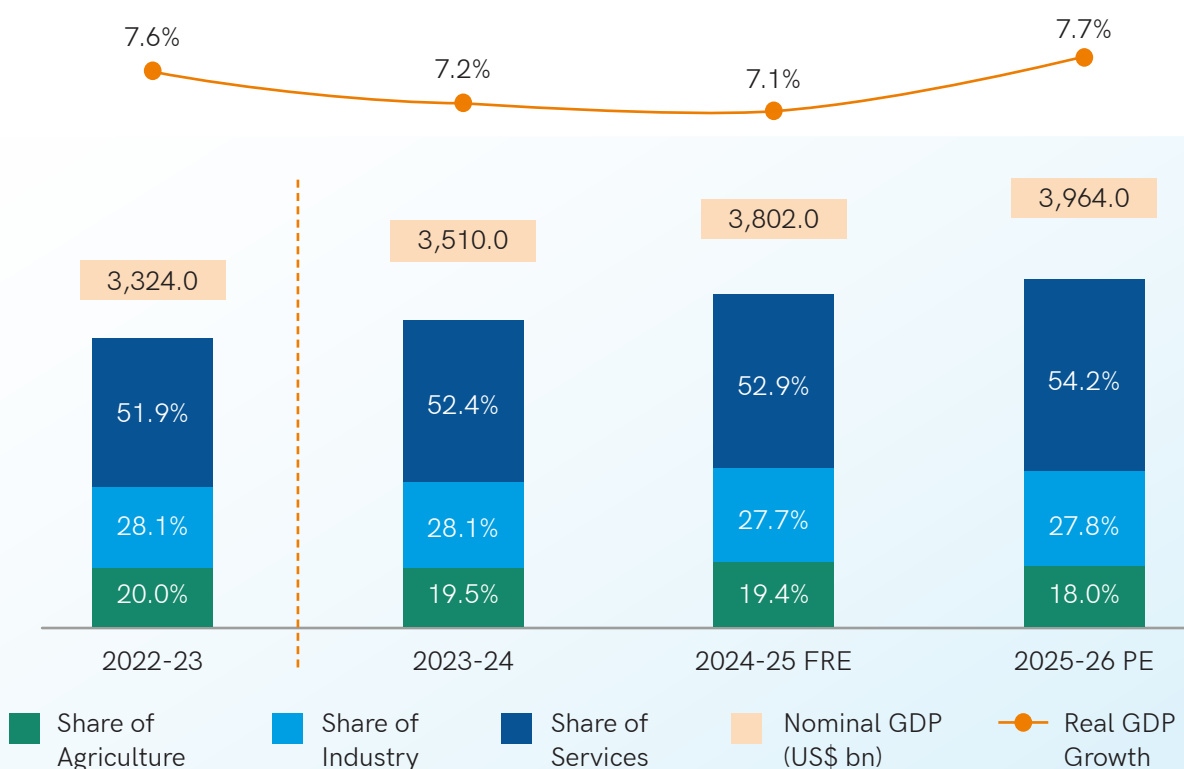
Source: World Trade Organization (WTO) accessed on April 27, 2026



Indian Economy

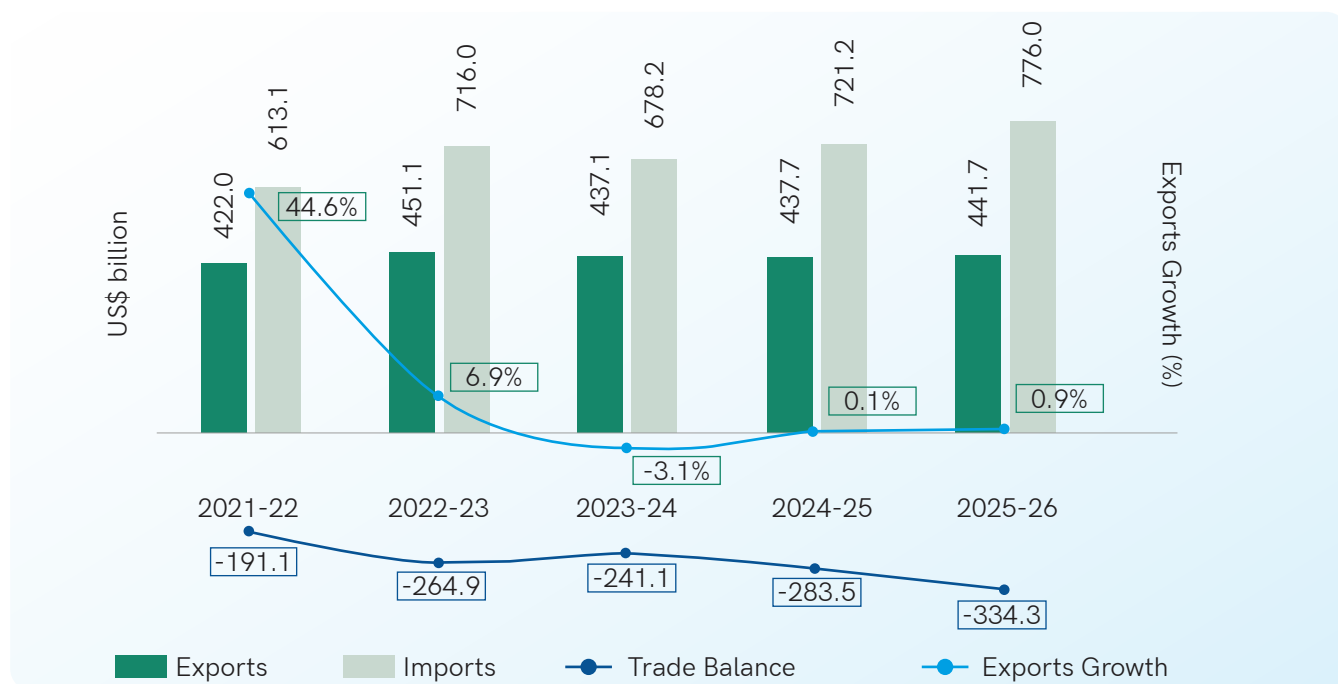
India has maintained robust economic growth even amidst adverse global macroeconomic conditions. It was the fastest-growing major economy and the sixth largest in the world in terms of nominal Gross Domestic Product (GDP) in 2025, supported by robust domestic demand and increased infrastructure investments. India's real GDP is estimated to have grown at 7.7 per cent in FY 2025-26, driven by robust growth in private consumption. India's merchandise exports during FY 2025-26 stood at US\$ 441.7 billion, growing by 0.9 per cent. Non-oil exports registered a resilient growth of 3.6 per cent, reaching US\$ 387.9 billion in the same year. Services exports grew by 7.9 per cent during FY 2025-26, reflecting strong global demand for Indian services, particularly in software and business services.

India's Economic Growth



Note: Data is based on Provisional Estimates of Annual GDP for FY 2025-26 released on June 5, 2026, by National Statistics Office. FRE - First Revised Estimates PE - Provisional Estimates; the orange vertical dashed line indicates a series break due to the revision of the base year of GDP from 2011-12 to 2022-23.

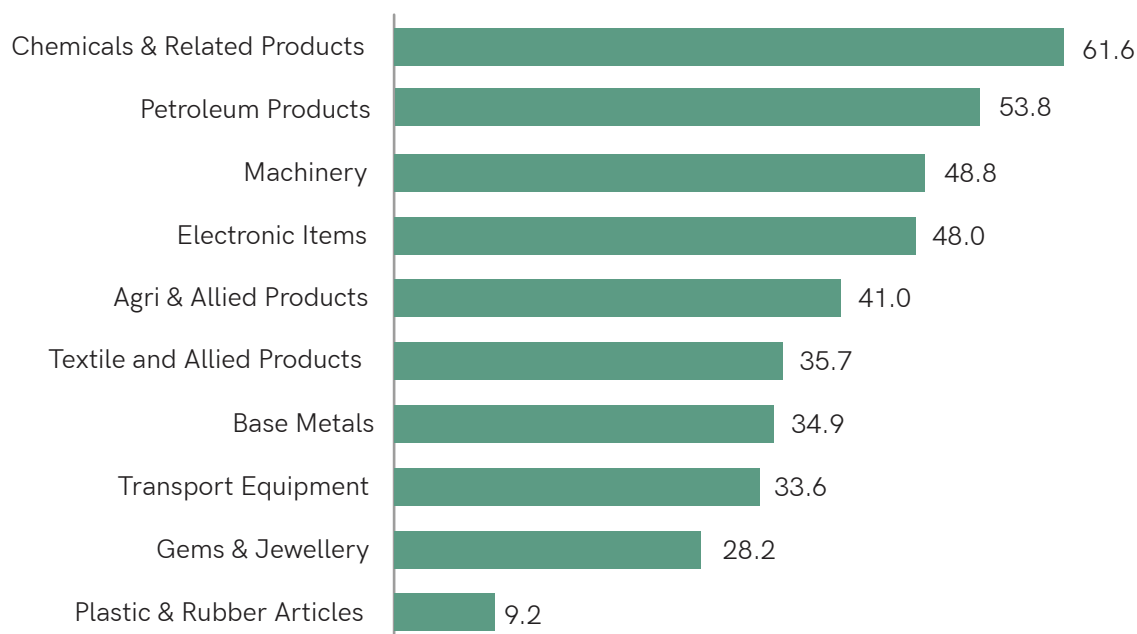
India's Merchandise Trade



Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

India's Top 10 Merchandise Exports in 2025-26

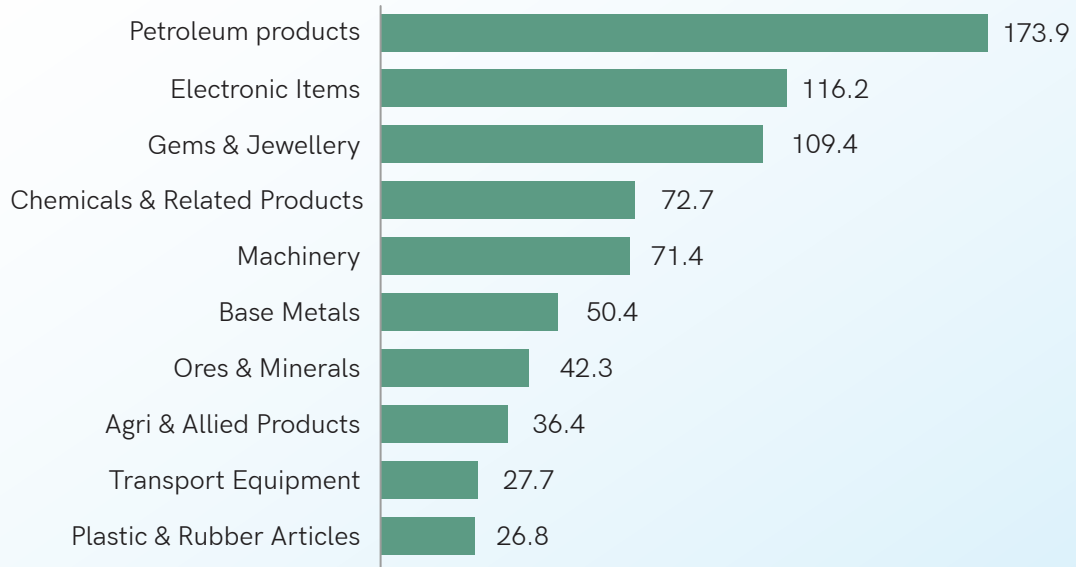
(US\$ billion)



Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

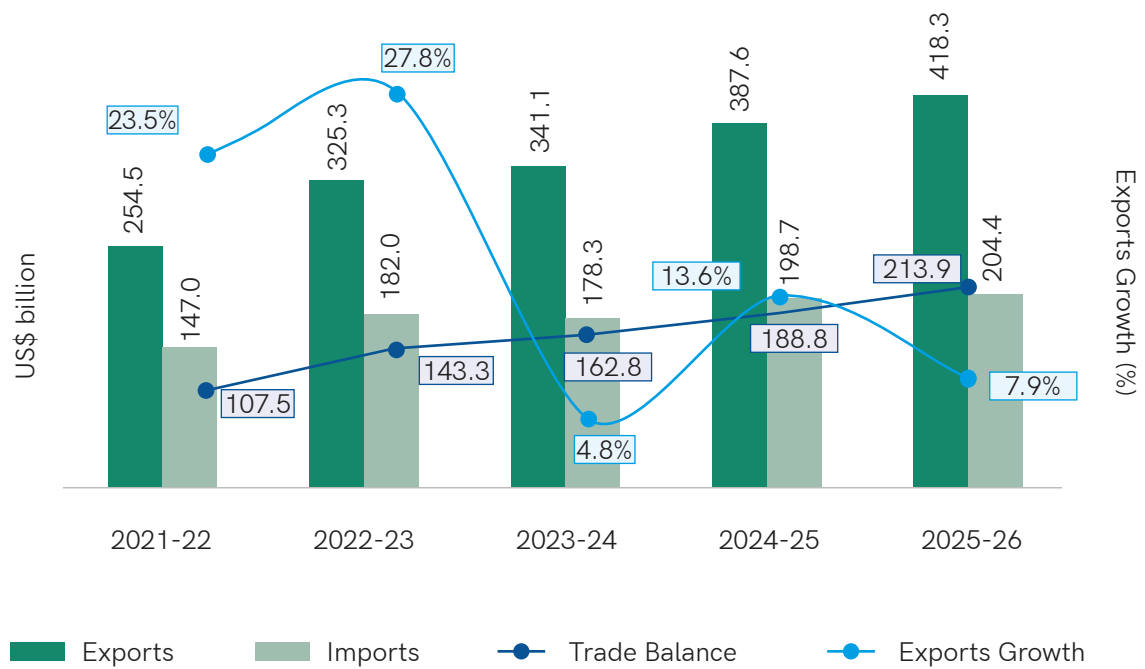
India's Top 10 Merchandise Imports in 2025-26

(US\$ billion)



Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

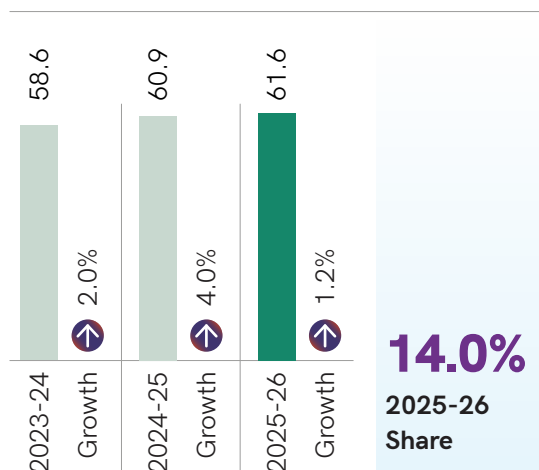
India's Services Trade



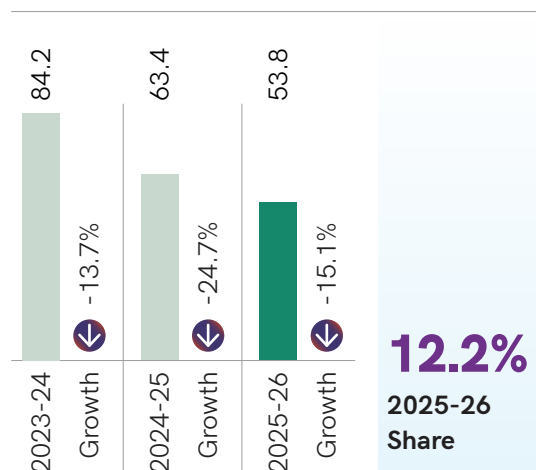
Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

India's Exports of Select Products [2023-24 to 2025-26]

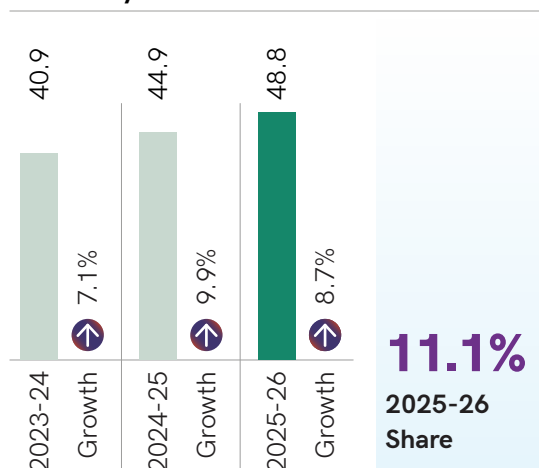
Chemicals and Related Products



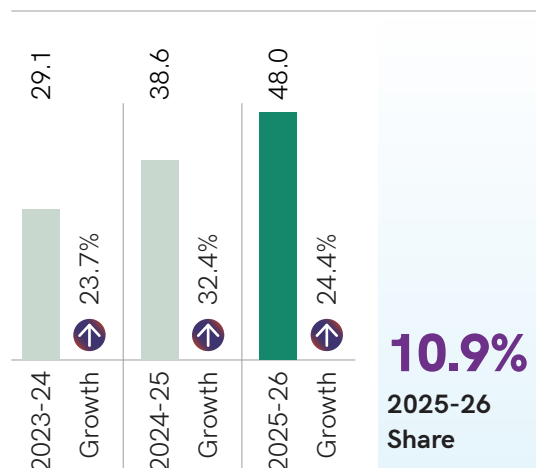
Petroleum Products



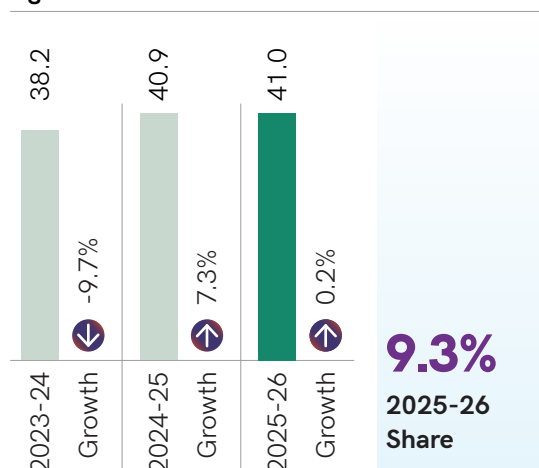
Machinery



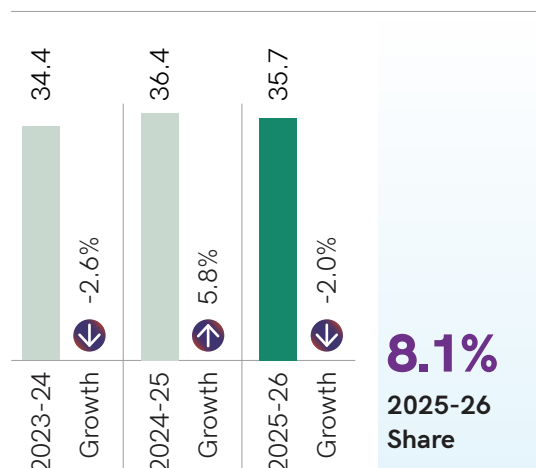
Electronics



Agri & Allied Products*



Textiles & Allied Products



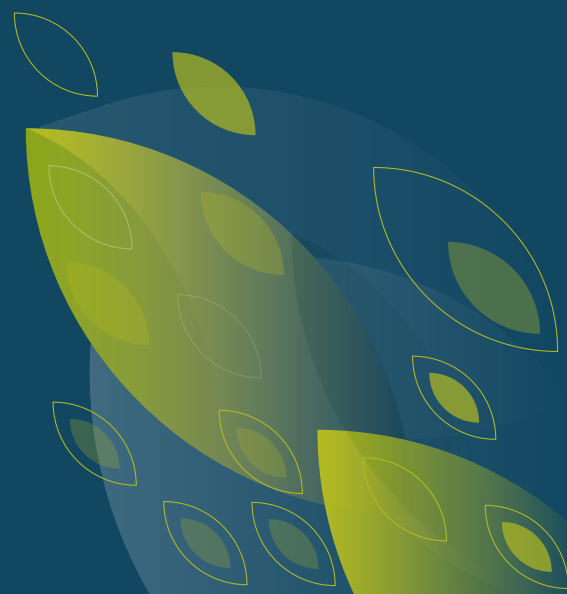
*Agri and allied products do not include plantation and marine products.

Note: Figures are in US\$ billion. Share refers to the percentage share of the respective sector in India's merchandise exports during FY 2025-26

Source: Ministry of Commerce & Industry, Government of India

Directors' Report

Fuelling Growth Aspirations Through Trade, Collaboration & Capacity Building





Loan Assets

The Bank approved loans aggregating ₹ 1,335.23 billion under various lending programmes during FY 2025-26, as against ₹ 1,177.71 billion during FY 2024-25. Loan disbursements during FY 2025-26 were ₹ 1,600.75 billion, as against ₹ 1,209.22 billion during FY 2024-25, while loan repayments during FY 2025-26 amounted to ₹ 1,529.66 billion, as against ₹ 953.69 billion in FY 2024-25. Net loan assets as on March 31, 2026, were ₹ 2,077.79 billion, registering an increase of 11.87 per cent vis-à-vis the previous year. Rupee loans and advances accounted for 42 per cent of net loan assets as on March 31, 2026, while the balance 58 per cent was in foreign currency. Short-term loans accounted for 23 per cent of net loans and advances as on March 31, 2026.



Non-Funded Facilities

During FY 2025-26, the Bank approved non-funded facilities aggregating ₹ 222.38 billion, as against ₹ 221.01 billion in FY 2024-25, comprising project guarantees, financial guarantees and letters of credit. The Bank's aggregate non-funded portfolio, comprising guarantees, letters of credit and standby letters of credit, as on March 31, 2026, stood at ₹ 165.14 billion, as against ₹ 169.31 billion as on March 31, 2025. Guarantees issued during FY 2025-26 amounted to ₹ 59.01 billion, as against ₹ 73.50 billion in FY 2024-25. Letters of Credit issued during FY 2025-26 amounted to ₹ 13.60 billion, as against ₹ 7.69 billion in FY 2024-

25. Guarantees in the books of the Bank as on March 31, 2026, were ₹ 146.44 billion, as against ₹ 160.75 billion as on March 31, 2025, and Letters of Credit as on March 31, 2026, amounted to ₹ 18.70 billion, as against ₹ 8.57 billion as on March 31, 2025.



Income/Expenditure

The Bank registered profit before tax of ₹ 55.94 billion under General Fund during FY 2025-26, as against a profit before tax of ₹ 42.97 billion for the FY 2024-25. After providing for income tax of ₹ 13.21 billion, profit after tax amounted to ₹ 42.73 billion during FY 2025-26 as against a profit after tax of ₹ 32.43 billion during FY 2024-25. Out of this profit, ₹ 0.91 billion is transferred to Investment Fluctuation Reserve, and an amount of ₹ 37.54 billion is transferred to the Reserve Fund. The balance of ₹ 4.28 billion has been transferred to the GOI as provided in the Export-Import Bank of India Act, 1981.

Profit before and after tax of the Export Development Fund during FY 2025-26 was ₹ 120.82 million and ₹ 90.41 million, as against ₹ 116.40 million and ₹ 87.11 million, respectively, during FY 2024-25. The cumulative profit of ₹ 1,253.33 million is carried forward to next year.

Business income, including interest on loans, exchange commission, brokerage and fees during FY 2025-26 was ₹ 136.31 billion, as compared to ₹ 126.07 billion in FY 2024-25. Investment income during FY 2025-26, including interest on bank deposits, was ₹ 68.09 billion, as compared to ₹ 62.69 billion in FY 2024-25. Interest expenses in FY 2025-26 at ₹ 149.89 billion were higher by ₹ 3.42 billion as compared to FY 2024-25. Administrative

expenses as a per cent of total expenses (excluding provisions for contingencies) worked out to 2.99 per cent during FY 2025-26 as against 3.07 per cent, during FY 2024-25.



Borrowings

Total borrowings of the Bank were at ₹ 2,053.06 billion as on March 31, 2026, which is 15.65 per cent higher than the total borrowings of ₹ 1,791.81 billion as on March 31, 2025. As on March 31, 2026, market borrowings constituted 100 per cent of the total borrowings, and 87 per cent of the total resources of the Bank.



Resources

As on March 31, 2026, the Bank's total resources, including paid-up capital of ₹ 159.09 billion and reserves of ₹ 134.35 billion, aggregated to ₹ 2,346.51 billion.

The Bank's resource base includes, inter alia, rupee bonds, certificates of deposit, commercial papers, term deposits, rupee term loans, foreign currency bonds, foreign currency loans and long-term swaps. During the year, the Bank raised borrowings of varying maturities, aggregating ₹ 859.06 billion equivalent, comprising rupee resources of ₹ 653.15 billion and foreign currency resources of US\$ 2.17 billion equivalent. Rupee resources of ₹ 210.00 billion were raised through rupee bonds / term loans and ₹ 443.15 billion through short-term money market instruments. Foreign currency resources of US\$ 0.92 billion were raised through bilateral

/ club / syndicated loans and US\$ 1.25 billion through bonds. As on March 31, 2026, the Bank had a pool of outstanding rupee resources of ₹ 870.30 billion and foreign currency resources equivalent to US\$ 13.02 billion.

During FY 2025-26, the Bank's foreign currency borrowing strategy was mainly guided by competitive pricing and investor diversification, while making an impact in the sustainable financing space.

Among the notable transactions during the year, the Bank, on January 05, 2026, successfully priced US\$ 1 billion dual tranche Senior Unsecured Bonds with a 10-year tranche of US\$ 500 million, at a coupon of 5.00 per cent p.a., and a 30-year tranche of US\$ 500 million, at a coupon of 5.75 per cent p.a., in the 144A/Reg S format under the GMTN program of the Bank. This issuance makes the Bank the first Indian issuer to open the markets for dollar bond issuances in 2026, and marks the first ever 30-year USD bond issuance by any Indian Banking Financial Institution in the international bond markets. This issuance marks the lowest spread over Treasuries ever achieved by any Indian issuer in the public USD bond markets, on both the 10-year and the 30-year tenors.

Apart from this, the Bank raised loans in diverse currencies including JPY. The Bank issued a short-term non-deliverable bonds of US\$ 100 million equivalent in Brazilian Real (BRL) through private placements. Through this transaction, the Bank was able to further diversify its investor base in Latin America, apart from the existing investor to the outstanding BRL Bonds.

Given the Bank's strong focus on sustainability, the Bank issued two bonds aggregating US\$ 150 million under its Environmental, Social, and Governance (ESG) framework. The Bank brings out a Sustainability Report every year, which covers its sustainability strategy, policies, initiatives, and performance.



International and Domestic Rating

The Bank is rated Baa3 (Stable) by Moody's, BBB (Stable) by S&P Global Ratings, BBB- (Stable) by Fitch Ratings, BBB+ (Stable) by Japan Credit Rating Agency and BBB+ (Stable) by CareEdge Global Ratings. All the above ratings are of investment grade or above and are at par with India's sovereign rating. The Bank's domestic debt instruments have the highest rating viz., 'AAA (Stable)' for long-term instruments and A1+ for short-term instruments from the rating agencies CRISIL and ICRA.



Asset Quality

As per the Reserve Bank of India (RBI)'s prudential norms for Financial Institutions, a credit / loan facility in respect of which interest and / or principal has remained overdue for more than 90 days, is defined as a Non-Performing Asset (NPA). The Bank's gross NPAs at ₹ 11.97 billion worked out to 0.57 per cent of the total loans and advances as on March 31, 2026. The Bank's net NPAs (net of provisions) of ₹ 0.19 billion as on March 31, 2026, were at 0.01 per cent of the net loans and advances (net of provisions). The Provision Coverage Ratio (PCR) as on March 31, 2026, was 99.85 per cent.



Asset Classification

'Sub-standard assets' are those where interest and / or principal remains overdue for more than 90 days. Sub-standard assets that

have remained as NPAs for a period exceeding 12 months are classified as 'doubtful assets'. 'Loss assets' are those considered uncollectable. The gross NPAs as on March 31, 2026, comprised sub-standard assets of 2.68 per cent, and doubtful assets of 97.32 per cent. The Bank did not have any loss assets as on March 31, 2026.



Loan Operations, Monitoring and Recovery

For achieving operational efficiency and in line with the best practices in commercial credit delivery, the Bank's commercial loan operations and monitoring activities are delineated from business development and credit appraisal process. Loan operations and monitoring activities include operationalisation and monitoring of funded and non-funded assets and periodic monitoring, with an advanced 'Early Warning System' to assess triggers generated with respect to loan accounts and take timely remedial action.

The Bank takes proactive steps towards loan recovery as per the Board-approved NPA Recovery Policy, rehabilitation of NPAs which are viable, and recovery from NPA accounts where legal action is to be pursued. Monthly reviews of NPAs, are undertaken by a cross-functional committee. The Bank accords highest priority to the recovery of NPAs through a multi-pronged strategy comprising restructuring, legal action, sale of assets through court receivers, negotiations, one-time settlements, transfer / assignment of NPAs to Asset Reconstruction Companies (including National Asset Reconstruction Company Ltd), possession and subsequent sale of assets under the provisions of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, and

referring companies to the National Company Law Tribunal (NCLT) under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC). Apart from the above, the Bank, as per the Board approved Fraud Risk Management Policy, is addressing the issues related to fraud prevention/early detection/investigation/reporting and monitoring with a view to minimize its negative fallout.



Capital Adequacy

The Capital to Risk Assets Ratio (CRAR) was 26.34 per cent (consolidated 26.39 per cent) as on March 31, 2026, as compared to 25.27 per cent (consolidated 25.29 per cent) as on March 31, 2025, and as against a minimum 9 per cent norm stipulated by the RBI. The Debt-Equity Ratio as on March 31, 2026 was 7.00, as compared to 6.94 as on March 31, 2025.



Exposure Norms

The Bank's credit exposures to single borrowers and borrower groups as on March 31, 2026, were within the limits stipulated by the RBI (20 per cent of eligible capital base (i.e. Tier 1 Capital of the Bank) for single borrowers and 25 per cent of eligible capital base for borrower groups). The above exposure norms are not applicable for credit exposures that are guaranteed by the Government of India. The exposure limit adopted by the Bank for each industry sector is 15 per cent of the Bank's aggregate credit exposure to all industry sectors. None of the Bank's exposures to individual industry sectors was more than 15 per



cent of its total industry exposure as on March 31, 2026.

Medium Term Business Strategy

The Bank has put in place a Board-approved Medium Term Business Strategy (MTBS) for the period FY 2022-23 to FY 2026-27. The Strategy aligns the vision and mission of the Bank with evolving priorities and aspirations and articulates a comprehensive strategy covering eight key objectives. Over the five-year period, the Bank aims to maintain its leadership in financing project exports and supporting the development of the next generation of Indian project exporters. The Strategy envisages an accelerated growth in the credit portfolio, through sector-focused commercial lending, targeting the development of 'big bet' sectors with high future export potential. Additionally, the Strategy underscores the Bank's commitment to provide sustainable finance and aims at enabling Indian companies to become ESG-compliant for exports. The Bank seeks to increase the share of green financing in its credit portfolio and adopt robust ESG standards in the credit due-diligence process.

While the Bank would continue to focus on existing programmes like Overseas Investment Finance, Long-Term Buyer's Credit and Financing for Export Oriented Units, it also aims to enhance support to MSMEs to unleash their latent export potential. New business vertical has been created to improve focus on MSMEs through facilitation programmes and advisory services, among others. The Bank has already taken substantive steps by introducing its Trade

Assistance Programme and setting up a subsidiary for trade finance at the Gujarat International Finance Tec-City. In alignment with the increased focus on MSMEs, the Bank would strengthen its partnerships with commercial banks and financial institutions to bridge the financing gaps for MSMEs in the export ecosystem. The Bank is engaged with the GOI to develop mechanisms aimed at improving MSMEs' access to affordable trade finance. These efforts culminated in the Bank being designated as the implementing agency for two schemes under the Export Promotion Mission of the GOI, announced in the Union Budget 2025-26.

As a Policy Bank, the Government of India-supported Lines of Credit remain a priority area for the Bank. The Bank is deepening its presence across the lifecycle of LOC projects for better utilisation of support by partner countries and more effective developmental impact.

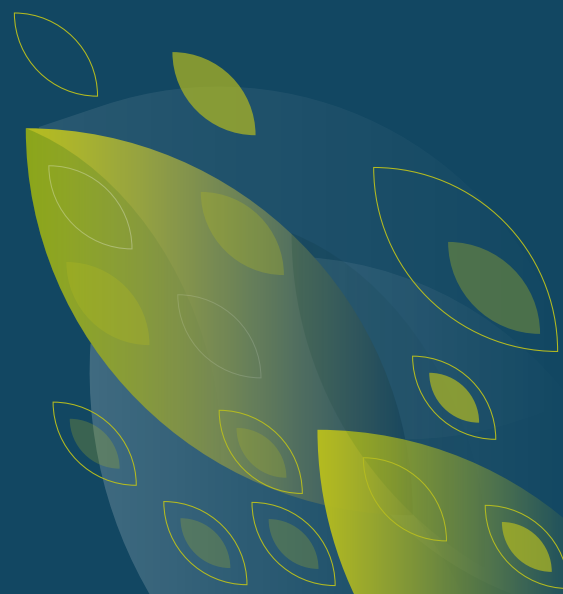
In order to achieve the goals set out in the MTBS, the Bank has made changes in the organisation structure and has significantly augmented its manpower. The Bank is also leveraging technology and focusing on greater usage of digital tools and platforms for improvement in services to its customers for value-added inputs to India's exporting community. Further, the Bank has taken steps to expand its geographical presence to cater to the needs of its stakeholders. The Bank's performance for FY 2025-26 is largely in line with the overall projected business growth as per the MTBS. The Bank's commercial business has grown at a pace faster than the policy business and, as a result, commercial business now comprises 63 per cent of the Bank's total loans and advances as on March 31, 2026.

Nurturing Export Competitiveness

Catalysts for Transformation

International trade could emerge as a resilient driver for India's growth trajectory. During 2025-26, India's overall exports (merchandise & services) reached a record US\$ 863 billion, with the growth momentum continuing, despite global headwinds.

The resilience in India's exports over the years is underpinned by a diversification in its export basket and export markets. Enhancing the capacity of Indian firms in their internationalisation endeavours is crucial for sustained economic growth. The ability of enterprises to participate in international trade significantly depends on their ability to access finance and tap new markets. Exim Bank, through its range of financing programmes, continues to support companies towards maximising opportunities across the world.





Loans to Export Oriented Units

During the year, the Bank approved term loans of ₹ 249.51 billion to 112 export-oriented units. Disbursements amounted to ₹ 133.56 billion. Under the Production Equipment Finance Programme, 21 exporting companies were approved term loans aggregating ₹ 13.79 billion for acquisition of production equipment, and disbursements amounted to ₹ 12.68 billion. Long-term working capital loans aggregating ₹ 100.09 billion were approved for 16 companies and disbursements amounted to ₹ 69.18 billion.

India's transition towards a high-value advanced manufacturing hub has gathered significant momentum, driven by the Government's Production Linked Incentive (PLI) schemes and a targeted national push for Atmanirbhar Bharat. In direct alignment with these national mandates, the Bank, through its Export Oriented Units (EOU) lending programme, actively supported key sunrise sectors that are central to enhancing India's export competitiveness and scaling global value chains in alignment with national industrial priorities. In one such case, the Bank supported a leading manufacturer of specialty chemicals, by financing the ramp-up of its multipurpose plant zone and the debottlenecking of its plants.

In the pharmaceutical sector, the Bank supported a prominent healthcare enterprise with a term loan directed toward its manufacturing unit in Vizianagaram, Andhra Pradesh. This critical facility drives essential backward integration, elevating Ibuprofen API production capacity from 500 MTPM to 750 MTPM

alongside capacity enhancements for the antiretroviral Lamivudine API. Beyond chemicals and pharmaceuticals, the Bank under its EOU programme supported several other sectors. One such case being the Bank's support to a textile enterprise for part-financing a major capacity expansion in its Fabric Division at Baddi in Himachal Pradesh.

The Bank approved a term loan under the Production Equipment Finance Programme towards part-financing the procurement of equipment at a manufacturing facility, for a fully integrated, multi-modality specialty pharmaceutical contract development and manufacturing organisation focused on drug delivery compounds, biologics, sterile injectables, and oral technologies, including soft gelatin capsules. India's pharmaceutical exports have consistently ranked among the country's top export categories, and the growth of specialised CDMO capacity, positions Indian manufacturers to capture a larger share of global outsourcing in high-value drug development and production.

The textile industry remains one of India's most significant contributors to employment, industrial output, and merchandise exports. The Bank is one of the nodal agencies appointed by the Ministry of Textiles, GOI, to establish and approve the eligibility of projects under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS), and release funds directly to the approved projects. The Scheme had undergone modifications from time to time and was active upto March 31, 2022. The Bank had accorded approval for 236 projects with aggregate cost of ₹ 192.79 billion. Loans approved and disbursed under TUFS aggregated to ₹ 69.94 billion and ₹ 52.69 billion, respectively. The Bank's assistance to various companies in the textile industry under TUFS is spread across various segments of textile manufacturing and covers several States in India.



Export Facilitation

India's trade infrastructure has been receiving sustained policy attention, with the PM Gati Shakti National Master Plan and the Sagarmala Programme driving investment in ports, logistics, and aviation connectivity. The Bank's support under the Export Facilitation Programme during the year was directed at these enablers, with assistance extended to port mechanisation, airport development, and cargo and aerospace infrastructure.

During the year, the Bank approved term loans of ₹ 37.13 billion to 25 companies under the Export Facilitation Programme. Disbursements amounted to ₹ 22.40 billion.

During the year, the Bank part-financed the mechanisation of a berth at Haldia Dock Complex through a Public-Private Partnership on a Design, Build, Finance, Operate and Transfer basis. Haldia is one of India's most significant bulk cargo handling ports, and berth mechanisation is central to improving throughput capacity and enhancing the competitiveness for bulk commodity exports.

The Bank also supported the development of a brownfield international airport at Nagpur on a Design, Build, Finance, Operate and Transfer basis. Nagpur's location at the geographical centre of India, positions it as a natural multimodal logistics hub, and the development of its international airport is expected to strengthen cargo handling capacity and air connectivity.



Overseas Investment Finance

Overseas Direct Investment (ODI) has been playing an increasingly important role in enhancing the

global competitiveness of Indian firms, providing access to strategic assets, technology, skills, natural resources, and markets. The pattern of ODI from India has significantly evolved over the years, in terms of both magnitude and geographical and sectoral composition. This reflects the growing capabilities and strategic intent of Indian corporations to expand globally and integrate into international value chains. During FY 2025-26, net outward FDI by Indian companies stood at US\$ 33.8 billion as compared to US\$ 28.2 billion in 2024-25, registering a growth of 19.9 per cent.

The Bank has a comprehensive programme covering equity finance, loans, guarantees, and advisory services to support Indian outward investments. During the year, 26 corporates were sanctioned funded or non-funded assistance aggregating ₹ 93.87 billion for part-financing their overseas investments in 16 countries. So far, the Bank has provided finance to around 743 ventures set up by 541 companies in 80 countries.

The Bank's support under the programme during the year spanned manufacturing investments in advanced markets and resource-linked ventures in emerging economies. Select few transactions are listed as under:

The Bank extended financial support for the establishment of a new Electric Resistance Welded (ERW) pipe manufacturing facility in the United States. Steel pipes are a critical input for the energy, construction, and infrastructure sectors, and the United States, with its large-scale pipeline network and ongoing infrastructure investment, represents a significant and growing market. While the facility strengthens the Indian parent group's manufacturing presence in North America, it also supports the company's integration into regional supply chains.

The Bank sanctioned a term loan towards part-financing the acquisition of an equity stake in a joint venture holding mining assets incorporated in the United Arab Emirates, and a copper processing plant in the Democratic Republic of Congo (DRC), along with capital support. The investee company has commenced commercial production of copper cathodes at a new 12,000 TPA plant in the DRC, marking its entry into the global copper value chain. The transaction supports an Indian corporate's effort to build presence in non-ferrous metals processing, a sector of growing relevance given the expanding global demand for copper across energy and industrial applications.



Sustainable Finance Programme

Environmental standards, carbon footprints, supply-chain transparency, and ESG compliances are increasingly influencing market access and buyer preferences across the world. The growing focus on sustainability is also nudging companies to adopt better practices and build long-term resilience. In light of these shifting preferences in key export markets, the Bank is focusing on enhancing the preparedness of Indian companies through its dedicated Sustainable Finance Programme (SFP). The program provides targeted funding for green, transition, social, and sustainability-linked investments, creating credible incentives for borrowers in both mainstream green and hard-to-abate sectors. Under the SFP, the Bank approved ₹126.36 billion for 30 companies across a wide array of sectors during FY 2025-26 for eligible activities.

The Bank's strategic approach remains two-fold: it aims to "finance

the green" by providing direct support to clean sectors, while also actively "greening the finance" through the integration of ESG risk assessments into its core credit appraisals. To reinforce this dual strategy, the Bank maintains an institutional ESG framework for issuing sustainability bonds and loans, channelling proceeds directly into six green and four social focus areas.

Demonstrating this commitment, the Bank extended crucial financing during the year to a prominent India-based renewable energy company engaged across the entire solar photovoltaic manufacturing value chain. Since its establishment in 2020, the company has scaled its module manufacturing capacity to 14.20 GW and is utilizing the Bank's assistance to set up a new 1.2 GW solar cell manufacturing facility. This transaction directly reinforces India's domestic manufacturing capability, thus strengthening India's role in the clean energy supply chain.

Additionally, the Bank approved a term loan to part-finance the capital expenditure for setting up a landmark 14 GWh battery manufacturing gigafactory. Because battery storage is a critical enabler of a round-the-clock renewable energy supply, developing this domestic gigafactory capacity is essential to reduce India's dependence on imported cells and support the broader national energy transition.

Beyond clean energy generation, the Bank supported sustainable logistics by part financing a 303 km underground slurry pipeline system with a 30 MTPA transport capacity. Designed to eliminate heavy freight dependence, this low-carbon transit project is structured to directly lower long-term operational costs and carbon emissions by replacing conventional rail or road transport.



Powering a greener tomorrow through our commitment to renewable energy



The Bank financed 200 MW round-the-clock projects with 350 MW onshore wind capacity in Maharashtra and 260 MW (DC) / 179MW (AC) solar capacity in Rajasthan.

The Bank approved a term loan to part-finance setting up of 10 solar projects, aggregating 217.25 MWp DC, at various locations across India.



Setting up of a 300 MTPD green ammonia project in Oman was financed by the Bank. The project is designed to produce green ammonia using renewable energy sources – solar, alongside air and seawater, as raw materials.



Empowering textiles for a stronger future

The Bank extended a term loan under its Export Oriented Units programme, to part-finance the establishment of a textile manufacturing facility in Warangal, Telangana.



The Bank financed the expansion plan of a fabric division, in Baddi, Himachal Pradesh, under its lending programme for Export Oriented Units.



The setting up of a manufacturing facility for high-quality terry towels, comprising 76 looms with an installed capacity of 7,920 MTPA, at Anjar, Gujarat, was financed by the Bank under its Export Oriented Units programme.

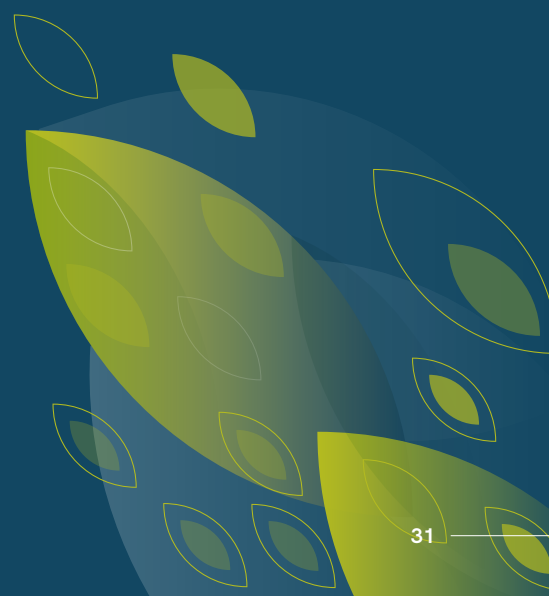


Financing Exports

Empowering Global Ambitions

Export of projects and services is an indicator of a country's advancement in technology and its upward movement in the value chain of its export performance. Project Exports from India commenced with a modest beginning in the late 1970s.

Since then, project exports have evolved over the years, with Indian companies demonstrating capabilities and expertise spanning a wide range of sectors, thereby reflecting technological maturity, industrial capabilities and the growing sophistication of Indian exports. The Bank's pioneering and pivotal role in supporting project exports from India, has served to catalyse such exports. With an impressive track record, in terms of cost efficiency, technical proficiency and timely delivery of quality products and services, Indian firms, with the Bank's support, have earned global acceptability, recognition and goodwill.





Project Exports

The Bank's continued support to project exporters has seen 35 Indian exporters securing 142 contracts, amounting to US\$ 7.34 billion covering 49 countries during FY 2025-26. In the process, Indian consultants, suppliers and contractors have demonstrated increasing capability to execute a range of projects across Asia, Africa, Europe and Americas.

These contracts span a diverse range of sectors, illustrative of the expanding scope and technical depth of India's project export capability. Among the cases supported during the year, the Bank facilitated the execution of a contract for electrical and mechanical systems for a metro project in Bangladesh, reinforcing India's growing role as a provider of urban mobility infrastructure in the neighbourhood. In Thailand, support was extended for a turnkey contract for the construction of a 500 kV transmission line and substation. In Zambia, the Bank supported a turnkey contract for a wastewater treatment plant, contributing to critical public utilities infrastructure. Support was also extended for the construction of a container terminal in Sri Lanka, for strengthening port connectivity and for a design and supply contract for shell and tube heat exchangers in Singapore, reflecting Indian industry's capability to deliver specialised industrial equipment.



Export Credit & Guarantees

During the year, the Bank approved Export Credits and Guarantees, aggregating, ₹ 375.10 billion by way of supplier's credit, buyer's credit and funded/non-funded support for project exports. Disbursements amounting to ₹ 543.32 billion were

made during the year and guarantees aggregating ₹ 59.01 billion were issued during the year.



Buyer's Credit

The Bank is supporting exports from India by offering buyer's credit to borrowers in overseas destinations on deferred payment terms and thus, enabling development of market for merchandise exports and project exports from India.

In FY 2025-26, the Bank approved loans aggregating US\$ 1 million to an overseas buyer from South Africa to import from India. Disbursements during the period aggregated US\$ 10.21 million.



Buyer's Credit under the National Export Insurance Account (BC-NEIA)

An important mechanism to increase project exports from India is the Bank's Buyer's Credit under the National Export Insurance Account (BC-NEIA) programme. The Programme is a unique financing mechanism providing a safe mode of non-recourse financing to Indian project exporters, by extending medium to long-term funding to governments of importing countries. As on March 31, 2026, the Bank has sanctioned an aggregate amount of US\$ 2.55 billion for 28 projects, valued at US\$ 2.80 billion under BC-NEIA.



Credit Lines to Overseas Banks/ FIs

The Bank extends Trade Loans and Credit Lines to the multilateral

development banks, financial institutions, overseas banks, etc. to support incremental export of goods and services from India, export of capital goods from India, and to support projects executed by Indian contractors overseas. During the year, the Bank has extended credit lines aggregating US\$ 440 million to banks in Asia, Africa, Europe and LAC region. As these banks have to necessarily use these funds to import from India, they provide an opportunity for Indian exporters to tap new geographies and enhance trade relations between India and other geographies across the globe.



Standby Letters of Credit (SBLC) / Letters of Credit (LC)

To facilitate the transactions of Export-Oriented Units, the Bank issues LCs mainly for imports financed by the Bank. The Bank also extends financial guarantees by way of guarantees / SBLCs to enable Export-Oriented Units to raise funds for their overseas ventures at competitive rates.

During the year, the Bank issued financial guarantees amounting to ₹ 35.06 billion. The Bank's financial guarantee portfolio stood at ₹ 50.66 billion as on March 31, 2026, as against ₹ 73.79 billion as on March 31, 2025. During FY 2025-26, the Bank opened 82 LCs aggregating ₹ 13.60 billion. The Bank handles negotiation/ collection of export documents. The Bank handled 297 export documents worth ₹ 26.05 billion during the year.

During the year, under the Bank's Trade Assistance Programme (TAP), the Bank added confirmation to 385 LCs, aggregating ₹ 16.38 billion and negotiated 91 UPAS LCs and bills aggregating ₹ 2 billion. Under these LCs, the Bank handled about 850 export documents worth ₹ 13.25 billion.



Committed to building a healthier future through sustained support to the pharmaceutical sector



The Bank financed the procurement of equipment for a fully integrated, multi-modality specialty pharmaceutical CDMO company, focused on developing and manufacturing DDC, biologics, sterile injectables and oral technologies such as soft gelatin capsules, at its Doddaballapura facility in Bengaluru.



The Bank extended a term loan to a Hyderabad-based pharmaceutical company towards capacity expansion for production of Ibuprofen API and Lamivudine API, at its Kandivalasa unit in Andhra Pradesh, under the Export Oriented Units lending programme.



Driving economic growth in partner countries through major infrastructure development



The New Modi - Lekhnath 43 km, 132 kV double-circuit transmission line project, funded under the GOI-supported Line of Credit (GOI-LOC), integrates it with Nepal's national power grid, supplying electricity to remote areas.

The Bank extended GOI-LOCs to the Government of Democratic Republic of Congo, for Kakobola Hydro-electric Power Project.



The Mongolia Crude Oil Refinery Plant, backed by a GOI-LOC, is India's largest overseas development partnership project globally. This flagship greenfield infrastructure project enables energy independence by processing 1.5 million metric tonnes of crude annually, to meet up to 75 per cent of its domestic fuel needs, drastically reducing its total reliance on petroleum imports.

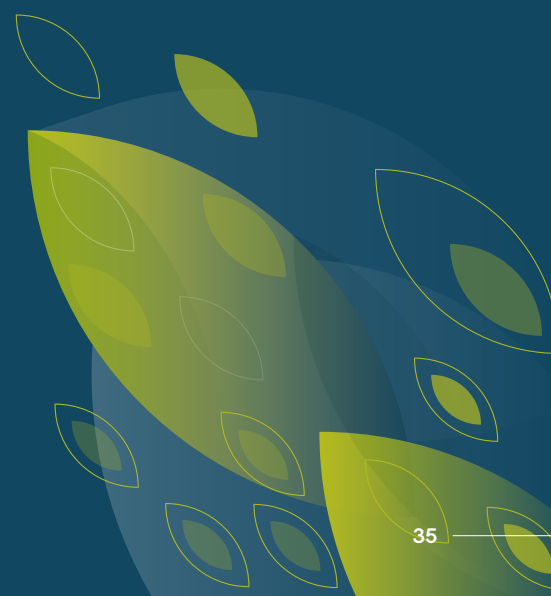


The Bank extended a Buyer's Credit facility under National Export Insurance Account for construction of 2,000 social housing units in Maldives.

Driving Sustainable Impact Through Partnership with Governments

India has been supporting partner countries in fulfilling their development goals, through a demand driven approach under the Lines of Credit (LOC) programme. Exim Bank's support has contributed to sustainable development, while creating a positive socio-economic impact in the LOC recipient partner countries.

Such efforts recognise collaboration among developing nations and support the timeless vision of Vasudhaiva Kutumbakam— the world as one family. With a renewed vision of "Globalisation of Indian Businesses and Empowering Growth of Partner Countries", the Bank has remained committed to this decades-long journey, financing and supporting project exports from India, which have also contributed to infrastructure development in partner countries, across varied regions.





Lines of Credit

The Bank lays special emphasis on extension of Lines of Credit (LOCs) at the behest of the Government of India. It is an effective market entry mechanism for Indian exporters. LOCs are extended to sovereign governments, regional development banks and overseas entities to enable import of goods and services from India on deferred credit terms for developmental projects.

Exim Bank signed one Agreement with the Government of Maldives for an LOC of ₹4,850 crore to finance various developmental projects. This marked the first GOI-LOC to be denominated in Indian Rupees.

Currently, the Bank has a portfolio of 307 LOCs supported by the Government of India, with credit commitments aggregating US\$ 27.25 billion, which are at various stages of implementation. With ever-expanding reach, the LOCs have gained momentum in stimulating economic growth across 63 countries in Africa, Asia, Latin America, Oceania and East Europe.

LOCs have been extended by the Bank for more than two decades. These LOCs helped Indian contractors and suppliers export goods and services, demonstrating India's project execution capabilities and positioning India as a trusted development partner.

The experience gained while executing LOC projects, enables Indian companies to secure projects funded by governments, private investors and development financial institutions in various geographies.



Evaluation and Procurement

Once an LOC agreement is signed and made effective, there is a need

to manage the entire procurement process, which includes, inter alia, vetting the detailed project reports, tender documents, bid evaluation reports, draft contract documents; undertaking the prequalification process; and contract inclusion under the LOC. The Bank undertakes these activities through a dedicated team. The Bank engages with a pool of external experts for providing technical inputs at various stages of the contract lifecycle in the LOC business.

The Bank has also taken significant measures towards enhancing the process efficiency and standardisation. Towards this, the Bank has redesigned the Model Procurement Documents for selection of consultants and contractors, so as to align the same with the policies of the Government of India and the Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS) guidelines.

During FY 2025-26, the Bank, with a view to encourage larger participation, reached out to potential applicants resulting in addition of 20 new applicants in the pre-qualification process conducted during the year. In addition, during FY 2025-26, the Bank reviewed 12 Detailed Project Reports (DPRs) aggregating US\$ 535.02 million. Further, 6 new contracts aggregating US\$ 658.50 million were included under the GOI-supported LOC projects during the year.

In alignment with the IDEAS 2022 guidelines, the Bank undertakes socio-economic impact assessment of completed projects under the LOCs to assess the effectiveness of the projects and to ascertain their benefits for the partner country. The Bank undertook such assessments for 20 completed projects during FY 2025-26.

In line with increasing digitalisation of operations, the Bank undertakes pre-qualification through an online portal, thereby strengthening its processes. The interface has assistive features to expedite assessment, making the procurement process more efficient.

During FY 2025-26, the Bank initiated the process of continuous

empanelment of technical experts for various consultancy services, viz. preparation and vetting of DPRs, socio-economic impact assessment, Lender's Independent Engineers, and procurement experts. The Bank also empanelled 40 consultants under Railways, Roads and Highways, Power, Water and Irrigation, Civil Construction, Health Care, and Agriculture sectors during March 2026.



Concessional Financing Scheme

A 1320 MW (2*660 MW) Ultra - Super - Critical Maitree Super Thermal Power Plant (Maitree project) at Rampal, Bangladesh, has been financed through a term loan of US\$ 1.60 billion under the Concessional Financing Scheme of the Government of India. The project was inaugurated jointly by the Hon'ble Prime Ministers of India and Bangladesh. Bangladesh-India Friendship Power Company Private Limited (BIFPCL), the entity implementing the project, connected the two units to the Bangladesh national grid and achieved commercial operation for the units on December 23, 2022, and March 12, 2024.

The project has had a transformational impact on power generation capacity and power supply situation in Bangladesh with positive spillover effects on economic activities in the region.

Empowering MSMEs through Export

Fuelling the Engine

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a critical role in India's economic development and external competitiveness. As highlighted in the Union Budget 2026–27, MSMEs contribute about 35.4 per cent of manufacturing output, 31.1 per cent of GDP, and a significant 48.58 per cent of India's exports.

The Budget proposed a three-pronged approach; equity, liquidity, and professional support to strengthen MSMEs as growth champions. Positioned at the core of India's development trajectory, MSMEs are pivotal in leveraging manufacturing growth, expanding export capacity, integrating into global value chains, and advancing formal, innovation-driven economic development. Through its niche and tailor-made programmes, Exim Bank strives to support the growth of MSMEs and help harness their true potential.





Encouraging Innovation for Building Export Champions

Ubharte Sitaare Programme

Pursuant to the announcement made in the Union Budget of 2020 by the Hon'ble Finance Minister, Exim Bank launched the Ubharte Sitaare Programme (USP) to strengthen India's export ecosystem and to build globally competitive enterprises. The programme focuses on identifying and nurturing Indian companies with differentiated technologies, products or processes, that have the potential to emerge as future export champions.

Under USP, more than 100 emerging corporates including small and medium enterprises have been supported through debt, equity and technical assistance. Under the initiatives, the Bank also collaborates with incubation centres of leading academic institutions, such as, IITs, IIMs, IISc etc. to foster and assist start-up ecosystem, including their incubatee companies. Resurfacing the vision of "Atmanirbhar Bharat" and "Local for Global", the Bank under USP has supported Indian companies engaged into deep-tech, medtech, defence-tech, cleantech, AI, IOT, industry 4.0, etc. delivering innovative solutions across key sectors, including healthcare, defence, sustainability, agriculture, automotive, aerospace and space engineering.

During the year, the Bank has made an equity investment in a company engaged in developing and manufacturing surgical navigation systems for complex procedures like brain & spine surgeries. This investment will help the company to obtain international certification for its products, R&D and capital expenditure for growth.

The Bank has extended a credit facility to a company manufacturing automotive components, specializing

in filtration systems and electronics for engine applications, towards its first global investment for setting-up of a manufacturing facility in Mexico.

Space-tech being a strategically important sector, the Bank has made an investment to support the R&D and product development initiatives of an Indian aerospace startup engaged in design, manufacturing and launch of orbital-class rockets for small satellites.

While supporting the recycling and sustainability sector, the Bank has extended a term loan to a company engaged in end-to-end sanitary pad waste management and recycling, leading to reduction in landfill waste and carbon emissions, while promoting hygiene and circularity.

The Bank has extended a term loan to a med-tech company engaged in developing and manufacturing smart medical devices for critical care, i.e. ICU ventilators and patient monitoring systems. The loan was utilised towards new product development and international certification of their products.

As on March 31, 2026, the Bank extended financial support aggregating ₹ 21.11 billion and disbursed ₹ 13.30 billion, comprising both fund and non-fund based support, under USP.

Continuing the support to the startup landscape, Exim Bank during the year, collaborated with Foundation for Research & Innovation in Science & Technology (FRIST) of IIT Kanpur, and earmarked ₹ 5 crore towards investment in identified incubatee startups. The Bank, further, earmarked ₹ 10 crore each, towards direct investment into startups, supported by the Society for Innovation & Entrepreneurship (SINE), IIT Bombay and Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), IIT Delhi, with the collaboration of incubation centres of these institutes. This programme is expected to support 8-10 companies from each incubation centre.

With the above initiatives, the Bank consistently supports innovation and startup community by collaborating with premier institutions, such as, IIT Bombay, IIT Delhi, IIM Ahmedabad, IISc Bangalore, IIT Madras, etc. to support their incubated companies in scaling up and in pursuing global opportunities. The Bank has signed a Memorandum of Understanding with Defence Innovation Organisation, a Section 8 company under the Ministry of Defence, Government of India, to support their challenge winners.

The Bank co-sponsored an Alternative Investment Fund, christened 'Ubharte Sitaare Fund' with the objective of identifying and investing in small and mid-size ventures in the manufacturing and services industries with good export potential, through equity and equity-like products. The total commitments under the Fund as on March 31, 2026, stood at ₹ 3.58 billion from 12 banks, institutions and fund-of-funds. The fund has invested in 12 companies engaged in technology, med-tech, consumer products and agriculture sectors.



A Window to Global Trade

Trade Assistance Programme

Trade finance is a critical enabler of international trade, with nearly 80 per cent of all international trade using some type of trade finance instruments. However, the global trade finance gap has been widening, due to the pandemic, geopolitical issues, increasing protectionism, and tightening financial conditions. According to the Asian Development Bank, the global trade finance gap has increased to US\$ 2.5 trillion in 2023. These trade finance gaps disproportionately affect MSME exporters.

The Bank through its Trade Assistance Programme (TAP), which is the first of its kind in India, strives to address



Nurturing future export champions

An electric bicycle manufacturer was supported under the Bank's Ubharte Sitaare Programme, enabling clean and sustainable mobility. The assistance enabled capital expenditure and research and development to help the company achieve its global ambitions.



Under the Ubharte Sitaare Programme, the Bank financed a med-tech company specialising in surgical navigation systems for brain and spine surgeries. The assistance was aimed at funding capital expenditure and securing international certifications.



Committed to facilitating your global business ambitions

The Bank supported export of yarn to Bangladesh, Sri Lanka, Egypt and Taiwan by way of LC negotiation, under the Bank's Trade Assistance Programme.



Under the Trade Assistance Programme, the Bank supported exports of automobile to Sri Lanka, Egypt, Djibouti and other countries.

The Bank supported export of vehicles to Angola, by way of LC confirmation and LC negotiation, under its Trade Assistance Programme.





Adding momentum to India's growth journey

The Bank, under its Export Facilitation Programme, financed the expansion of an air cargo facility, from 1,50,000 MT to 2,50,000 MT. The facility is India's first integrated cargo complex with domestic and international terminal under one single roof.



A term loan towards construction, operation and maintenance of a greenfield international airport at Navi Mumbai, was approved under the Bank's Export Facilitation Programme.

The Bank financed the development of the greenfield Noida International Airport at Jewar, Uttar Pradesh, under the Export Facilitation Programme.



the demand from Indian exporters, especially MSMEs to support trade transactions in challenging and new markets, which may not materialise in the absence of such support. Under TAP, the Bank provides credit enhancement to trade instruments, thereby enabling Indian exporters to export against LCs of banks from challenging and/or new markets. The Bank also enhances the capacity of commercial banks to support cross-border trade transactions by sharing risk with them. With the rich experience gained by the Bank in overseas geographies, the Bank leverages its partnership with banks across the globe in identifying and supporting trade transactions involving untapped and challenging markets in developing economies, where trade lines are constrained or where the potential has not been harnessed.

Launched in 2022, the Bank has so far supported more than 2,500 transactions leading to nearly US\$ 3.94 billion of incremental exports by partnering with over 160 overseas banks in 68 countries across Asia, Africa, Europe, North America and Latin America. The support under TAP has facilitated incremental exports across a wide range of sectors including agriculture, food processing, automotive, chemical, iron-steel-aluminium, power, paper, textiles, among others. Since inception, TAP has supported more than 240 Indian exporters based in 60 cities across 22 States. With 30 per cent MSME clients, TAP is unleashing the export potential of MSMEs and helping them expand their export markets in new geographies. These MSMEs have been able to reach 31 different countries with the support under TAP.



Empowering MSMEs through Credit

Financing MSMEs

The MSME sector plays a pivotal role in the Indian economy,

supporting industrialisation, employment generation, export enhancement, regional growth amongst others. Recognising the importance of the MSME sector in the export segment, the Bank has, during FY 2025-26, set up a dedicated group to support MSME enterprises. This group would leverage digitisation and strategic partnerships with key stakeholders, to effectively address the diverse requirements of MSME enterprises. MSMEs range from micro traders to export-oriented manufacturers and technology-enabled service firms. The Bank recognises that each segment within MSMEs, has different cash-flow patterns, risk profiles, working capital cycles, and compliance maturity. The focused group shall develop segmentation-driven products and engagement strategies rather than adopting a one-size-fits-all approach. The Bank shall focus on developing alternative credit scoring models for MSMEs, cash-flow-based lending, use of GST data, bank statement, and transaction data to improve credit inclusion while managing risk effectively. By combining specialized products, tailored risk frameworks, and ecosystem integration, the Bank envisages to unlock the true potential of the MSME segment, while building a scalable and resilient business. Further, as part of the Export Promotion Mission, the Bank, along with National Credit Guarantee Trustee Company Ltd. (NCGTC), is the implementing agency for the various schemes under the Mission, which will directly benefit the entire MSME ecosystem.



Export Promotion Mission

The GOI, in the Union Budget 2025-26, had announced the setting up of the Export Promotion Mission (EPM), driven jointly by the Ministry of Commerce and Industry, Ministry

of MSMEs, and Ministry of Finance, which was subsequently approved in November 2025. The Mission comprises two broad initiatives viz. Niryat Disha and Niryat Protsahan. Niryat Disha aims at providing non-financial support to exporters, such as support for technical regulations and compliances, market access, warehousing and logistics, branding, export facilitation and trade intelligence and export-related R&D. The Niryat Protsahan sub-scheme under the Mission focuses on improving access to affordable trade finance for eligible MSMEs through a range of instruments such as interest subvention, export factoring, credit enhancement support for collateral free credit assistance for e-commerce exporters, and for diversification into new markets.

Four schemes of relevance to Exim Bank have been launched under the Niryat Protsahan, a sub-scheme of the Export Promotion Mission viz. (i) Support for Alternative Trade Instruments, (ii) Credit Assistance for E-Commerce Exporters, (iii) Support for Emerging Export Opportunities, and (iv) Interest Equalisation Scheme on Pre and Post Shipment Rupee Export Credit.

The Support for Alternative Trade Instruments intervention seeks to strengthen access to export finance for MSMEs through structured support for alternative trade finance mechanisms, to supplement bank-based export credit. Under this intervention, export factoring, denominated in Indian Rupees or freely convertible foreign currencies, extended by the the RBI or the IFSCA regulated entities to MSME exporters, shall be eligible for interest subvention of 2.75 per cent. MSME exporters to be supported by the Bank's subsidiary in GIFT City, India benefited from this subvention.

The Credit Assistance for e-Commerce Exporters intervention seeks to enhance access to working capital for MSMEs engaged in international trade through e-commerce. The objective is to enable them to manufacture goods

in anticipation of export demand and scale up their participation in global markets. Under this intervention, credit guarantee cover will be extended to banks for credit assistance extended by them in the form of Cash Credit, Overdraft, or other Working Capital facilities to eligible beneficiary entities, in accordance with the coverage parameters. These facilities will also be supported through interest subvention, in accordance with the notified ceilings.

The Support for Emerging Export Opportunities intervention seeks to facilitate enhanced global trade connectivity and liquidity in under-served markets by enhancing confidence in trade settlements, strengthening the capacity of banks to support constrained cross-border transactions, and fostering partnerships between Indian banks and local banks abroad. Under this intervention, risk-sharing support, by way of unconditional and irrevocable guarantee shall be extended to the Bank for transactions under its Trade Assistance Programme.

The GOI has been extending interest equalisation support for pre- and post-shipment export credit availed by MSME exporters, with the objective of reducing the cost of export finance and improving working-capital liquidity. Under the revised scheme announced as part of the EPM, which would also be implemented by the Bank, interest equalisation support of 2.75 per cent on the interest cost shall be provided, subject to a maximum limit of ₹90 lakh per exporter.



Nurturing Sustainable Communities

Grassroots Initiative and Development

India boasts a rich and diverse tapestry of cultural heritage, that is being preserved by millions of

skilled artisans spread across the country. Many of these time-honoured crafts are based on the principle of application of natural colours, eco-friendly material, etc. which offer a distinct advantage in today's global markets. The Bank launched the Grassroots Initiatives for Development (GRID) programme, over a decade ago, to support such rural artisans, craftsmen, weavers, self-help groups (SHGs), farmer producer organisations (FPOs) and micro-enterprises across the country. These skilled individuals are engaged in traditional handicrafts, handlooms, agriculture-based activities, allied value chains and other primary production domains, to demonstrate significant potential for growth in domestic and export markets. Many of them play an important role in the preservation and revival of India's traditional knowledge systems, production practices and cultural heritage, including those recognised under the Geographical Indication (GI).

The GOI has been supporting inclusive growth through export-capacity-building initiatives, such as, One District One Product and Districts as Export Hubs (ODOP-DEH), with the overarching goal of making Indian districts key players in the country's export landscape. Aligned with these national initiatives, the Bank's GRID programme continued to make contributions across various regions of the country.

Building on its commitment to strengthen grassroot production and export-linked value chains, the GRID programme implemented a series of focused interventions during 2025-26. The Bank supported 12 projects across 12 States, covering an equal number of products spanning agriculture, horticulture, handicrafts, handlooms, artisanal manufacturing and allied activities in FY 2025-26. Collectively, the projects addressed critical gaps in production infrastructure, technology adoption, skill development, quality upgradation and market linkages, with the objective of enhancing productivity, value addition and export readiness. The projects sanctioned during 2025-

26 are estimated to benefit more than 9,000 potential beneficiaries across diverse geographies. Complementing project-level support, the Bank has conducted 14 outreach programmes during the year to enhance stakeholder engagement and identify grassroots needs.

Notable interventions included support to the tool industry cluster in Tiruvallur, Tamil Nadu, through technology upgradation, skill enhancement and process efficiency improvements. Assistance was also extended to an all-women anthurium producer group in Aizawl, Mizoram to strengthen the floriculture value chain through packaging and transport infrastructure, solar energy systems and training in improved cultivation practices. Agriculture-based interventions, further covered pomegranate producers in Balotra, Rajasthan and traditional jaggery producers in Haridwar, Uttarakhand, with a focus on quality improvement, processing efficiency, hygiene standards and packaging. Support was also provided to cultivators of Kashmiri saffron in Pampore and Naga Mircha in Nagaland—both internationally recognised regional specialities—interventions in North Goa focused on strengthening cashew processing, grading and market integration.

Handicrafts and handloom clusters remained a core focus of the Bank under the GRID programme, with targeted support to women-led traditional crafts, such as, Zari Zardozi in Bhopal, Madhya Pradesh, Kutch embroidery in Bhuj, Gujarat, Phulkari in Patiala, Punjab, crochet in West Godavari, Andhra Pradesh and Ikat weaving in Yadadri Bhuvanagiri, Telangana. Emphasis was placed on skill upgradation, design development, production efficiency and buyer linkages. Together, these labour-intensive, women-dominated clusters accounted for over half of the programme's total beneficiaries, reflecting the Bank's strong focus on inclusive growth and livelihood strengthening for women artisans



Preserving and promoting India's rich heritage of folk art and craft



The 10th edition of Exim Bazaar was organised at New Delhi in February 2026, with more than 80 grassroots participants, including national and state awardees, who showcased and sold handmade products, representing more than 20 states.

The Bank partnered with the Kala Ghoda Arts Festival, showcasing traditional and contemporary arts, crafts, and textiles. Over 200 artisans and grassroots enterprises from all states across India participated in the festival, with the Bank sponsoring more than 60 artisans from 20 states.



and farmers, with 6 of the 12 projects supported during the year, being women-led or women-dominated.

During the year, the Bank also conducted impact assessments of 6 GRID projects, with the findings expected to guide future refinements in project design, scaling up of successful models and overall programme effectiveness. The Bank has played a pivotal role in facilitating financial empowerment, employment generation and the promotion of entrepreneurship among individual artisans.



Diversifying Markets

Marketing Advisory Services

There are many products, mostly traditional handicraft items, made by those at the bottom of the pyramid, which fail to get access to the right marketplaces and international recognition. The Bank endeavours to support Indian firms, grassroots enterprises and artisans, in their globalisation efforts by proactively assisting them in locating overseas distributors, buyers and partners for their products and by providing such services, on a success fee basis, through its Marketing Advisory Services (MAS).

To play more holistic role and provide wider visibility to the traditional products of India, the Bank, during FY 2025-26, continued its strategic alliance with Mumbai's iconic Kala Ghoda Arts Festival (KGAF),

which was held in Mumbai. This collaboration significantly enhanced artisan communities' access to consumer markets, providing them with an expansive platform to showcase their artistic skills. The exhibition showcased traditional and contemporary arts, crafts and textiles. Over 200 artisans and grassroots enterprises from various States across India participated in the festival, with the Bank sponsoring more than 60 artisans from 20 States. The Bank hosted five workshops during the event. During the festival, the Bank released the fifth edition of its success story booklet, 'Heritage Meets Horizon - 12 Stories that Carry India's Crafts Forward', featuring 12 success stories. Besides generating significant direct sales, many artisans secured further business orders from domestic vendors and international buyers from the United States and the Middle East.

To expand its outreach and support to grassroot enterprises and artisans, the Bank organises the 'Exim Bazaar', an exclusive marketing platform for artisans. Since its inception in 2017, ten editions of 'Exim Bazaar' have been organised in various Indian cities, which has helped to create awareness, and provide much-needed recognition. During the year, the Bank organized the 10th edition of Exim Bazaar at Dilli Haat, INA, New Delhi in February 2026. More than 80 artisans and grassroot enterprises from over 22 States participated in this Bazaar. The Bazaar provided spot sales to grassroots enterprises and helped them to establish contacts with

corporate and retail buyers. It also made the visitors aware about the rich cultural heritage of India, and the variety of art forms that the country has to offer. Art forms such as Madhubani paintings, leather puppetry, Warli paintings, Pichwai paintings, Pattachitra paintings, Phad paintings, Banarasi silk fabrics, Kawad art, Kalamkari textiles, Chanderi weaving, block printed textiles, applique textiles, ceramic pottery, blue pottery, terracotta, Bastar art, Dokra art, wooden art, crochet art, Kashmiri textiles, among others, were displayed and sold at the exhibition.

During the year, the Bank continued to secure mandates from exporters, seeking support in identifying potential customers overseas. The exporters are from diverse sectors, such as handloom and handicraft, agriculture, floriculture, FMCG, bakery, forging, leather, perfumery and processed food industry, etc. The Bank has successfully placed handloom textiles from Tamil Nadu and Rajasthan, and handicrafts products from Karnataka, with international buyers from the United States, Australia and the Philippines. Shahi Litchi from Bihar and indigenous grapes from Maharashtra were successfully placed in supermarkets in the UAE and Germany, respectively. During the year, the Bank has also supported the placement of FMCG and confectionery products from Maharashtra in supermarket chains in Botswana and South Africa, while successfully facilitating buyer linkages for Maharashtra roses in Singapore.



Driving inclusive growth by empowering India's grassroots enterprises

The Bank supported 100 crochet artisans in Narsapur, Andhra Pradesh with a customised skill development programme and training on sewing machines.



The Kanpur leather cluster in Uttar Pradesh was provided support for procuring machinery and equipment for establishing a Design Studio and Skill Development Centre for leather products in Unnao, and organising training programmes for trainers.

The Bank extended support for the procurement of a mechanized field preparation machine and power sprayers to support Vazhakulam pineapple farmers in Kerala.





The Bank provided support for setting up a precision 3D scanning solution facility and casting simulation technology facility at the Common Facility Centre for Kolhapur Casting and Machine Gears Cluster.

In Ramanagara, Karnataka, the Bank extended support for procurement of tools and machinery for installation in the Common Facility Centre for Channapatna toys production, and organised product design and training programmes for master artisans.



The Bank provided support by way of procurement of machines, as well as handholding through technicians, for establishment of a technical Skill Development Centre within the Common Facility Centre in Thiruvallur, Tamil Nadu.



Empowering MSMEs through insightful outreaches

The Bank organised a seminar on 'Redefining Growth: Strategies for Inclusive and Resilient Economic Development in Asia-Pacific' in Kochi, Kerala, which was graced by Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India and Shri A.P.M. Mohammed Hanish, Principal Secretary (Industries), Government of Kerala.



The Bank collaborated with the Asian Development Bank (ADB) to organise the Business Opportunities Seminar in Delhi to enhance participation of Indian companies in ADB-funded projects.



In partnership with Federation of Indian Export Organisations, the Bank organised an outreach programme in Ghaziabad Uttar Pradesh to provide an overview of the Bank's products and services tailored to support export-oriented MSMEs in the region.

Promotional and Developmental Role

Research, Recognition, Linkages & Impact

Besides the wide array of financial services, that Exim Bank offers to exporters to support their trade and overseas investments, the Bank, in its role as a development finance institution, also endeavours to improve export capabilities and international competitiveness of Indian companies.

This is done through sharing of in-depth insights based on research, on contemporary aspects related to global developments, and identification of international trade and investment opportunities for Indian exporters, which could be tapped skilfully. The Bank also contributes to knowledge dissemination through stakeholder engagements and outreach programmes, aimed at enhancing awareness of business opportunities, export capability creation, and encouraging participation in international trade. While recognising academic and corporate excellence, the Bank aims to support and empower Indian enterprises, by leveraging its strong institutional network with prominent entities in India and overseas, facilitating global trade and investments.



Research and Analysis

The Bank's Research and Analysis Group undertakes in-depth research and provides insights on aspects related to international trade and finance through qualitative and quantitative research. The research work carried out by the Group covers a wide range of topics including international economic developments, trade and investment, sectoral analysis, global and regional issues, state-level export strategy, and policy-related research, among others, which are published in the form of research papers and newsletters. These research studies seek to identify avenues for enhancing India's international engagements, which could be of interest for policy makers, industry, and other stakeholders.

During the year, the Bank published 20 research studies focusing on various regions and sectors. While country/region focused studies covered Africa, Asia-Pacific, Gulf, LAC, and Cyprus, industry specific studies included Critical Minerals, Tourism, Non-Leather Footwear, Gems and Jewellery, Medical Devices, and Drones, *inter-alia* highlighting the trade and investment opportunities for Indian exporters.

Recognising the pivotal role played by States in boosting India's exports, the Bank has been actively engaging with State governments to assess the State-level export performance and potential. The Bank also recommends targeted strategies for enhancing export competitiveness of the States. During the year, the Bank published State-focused export strategy papers for Kerala and the North-Eastern States of India. Policy related studies included research on trade finance, analysis of India's green trade, the India-Middle East-Europe

Economic Corridor, and India's Trade Competitiveness in a Changing Global Environment, among others.

As part of its continued research initiatives, the Bank has developed an in-house model to generate an Export Leading Index (ELI) for India to track and forecast the movement in India's exports on a quarterly basis. Based on the ELI model, the Bank had forecasted total merchandise exports for the full year (i.e., 2025-26) to amount to US\$ 455.6 billion, non-oil exports at US\$ 401.6 billion and non-oil and non-gems and jewellery exports to amount to US\$ 364.9 billion. According to actual (preliminary) estimates released by the Ministry of Commerce and Industry, Government of India on April 15, 2026, total merchandise exports amount to US\$ 441.8 billion, non-oil exports to US\$ 387.9 billion, and non-oil and non-gems and jewellery exports to US\$ 359.7 billion, in FY 2025-26. The geopolitical situation prevailing during the year, is expected to have disrupted supply chains and impacted export figures.



Recognising Excellence

The Bank, in 1989, instituted the International Economic Research Annual Citation with the objective to promote research in international economics, trade, development and related financing, by Indian nationals at universities and academic institutions in India and abroad, leading to a doctorate degree. The winner for the year 2024 was Dr. Prakrati Thakur for her doctoral thesis titled 'Essays on Trade, Environment and Regulation'.

In 2016, the Bank, continuing its endeavours to support academic excellence, instituted the BRICS Economic Research Annual Citation, with the objective to encourage

and stimulate advanced doctoral research on topics of contemporary relevance to the member nations of BRICS, in the field of international economics, trade, development and related financing. The winner of the Citation for the year 2025 was Dr. Anirban Sanyal for his doctoral thesis titled 'Global Integration and the Effects of Protectionist Measures'.

The Bank and the Confederation of Indian Industry (CII) promote 'excellence' among Indian companies through the 'CII-Exim Bank Award for Business Excellence' for best Total Quality Management practices adopted by an Indian company. In 2025, 20 companies which received varying levels of recognition, six companies recognised under platinum level and 2 under the Gold plus level.



Outreach Programmes

The Bank conducts programmes, seminars and workshops for Indian exporters with the objective of enhancing awareness and encouraging participation in international trade and investment. During FY 2025-26, the Bank organised seventeen outreach programmes and seminars for exporters. The themes of these programmes broadly covered export capability creation, business opportunities, trade and investment potential in select countries and regions, as well as the export potential of select Indian States.

These programmes were primarily targeted at Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), and were conducted largely in Tier II and Tier III cities in India. A key objective was to create awareness among MSMEs about the products and services offered by the Bank, particularly under the Ubharte Sitaare Programme and the Trade Assistance Programme.



Driving social progress by transforming lives and uplifting communities



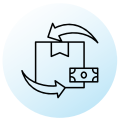
Flagging off ceremony of a mobile medical unit, supported by the Bank, helping to bring essential healthcare services closer to underserved communities in 40 villages of Parbhani district in Maharashtra.

Under its CSR initiatives, the Bank supported training of 100 girls as Edu Leaders in Bihar.



The Bank supported plantation of 60,000 saplings across 5 states of India to strengthen rural livelihoods under its CSR initiative.

The seminars provided valuable insights, networking opportunities, and expert guidance to participate through interactions with eminent speakers and industry experts. These initiatives of Exim Bank played an important role in supporting budding entrepreneurs and MSMEs by strengthening their understanding of international trade practices thereby facilitating their integration into global markets.



Exim Bank's Trade Conclave

The Bank organised a Trade Conclave on the theme 'Building Export-led Growth for Viksit Bharat' on June 24, 2025, in New Delhi. The Conclave was inaugurated by Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, who also delivered the keynote address. The Hon'ble Finance Minister outlined five major steps taken by the Government to empower Indian exporters and foster export-led growth, including (i) significant investments in transport and logistics, which has contributed to improving supply chain efficiency and global competitiveness; (ii) increased support for MSMEs through key initiatives; (iii) enhancing access to trade finance through platforms like ITFS and Exim Bank's subsidiary in GIFT City, Exim Finserve, which is offering export factoring; (iv) cluster development for trade being pursued under the Districts as Export Hubs initiative; and (v) active negotiation of FTAs with several partner countries. In her keynote address, the Hon'ble Finance Minister, Ms. Nirmala Sitharaman highlighted that TAP is a first-of-its kind trade facilitation initiative in India, which is enabling Indian exporters to access high-risk markets by bridging the financing gaps.

During the event, Hon'ble Finance Minister virtually inaugurated Exim Bank's new offices in Lucknow, Indore and São Paulo, Brazil, in the presence of Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble Minister of State for Finance and Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. These offices will play a key role in supporting existing and aspiring exporters and facilitating access to new markets. During the event, the Bank also exchanged a technical assistance agreement with IIT Kanpur for supporting high-potential startups. This event was attended by a large number of participants from the Indian industry, heads of banking/financial institutions, exporters, export promotion councils, and academia.



Institutional Linkages

A key pillar of the Bank's mandate involves fostering and advancing strategic relationships with multilateral banks, export credit agencies, and global financial networks. These partnerships enhance the Bank's visibility while serving as enablers for co-financing, knowledge exchange, and capacity building. During FY 2025-26, the Bank significantly expanded these engagements, consolidating existing alliances and forging new institutional linkages across Asia, Africa, and Latin America.



Asian Exim Banks Forum (AEBF)

The Asian Exim Banks Forum (AEBF), an initiative of the Bank

launched in 1996, brings together Asian export finance institutions to exchange views, share expertise, and promote intra-regional trade and investment. Over nearly three decades, it has evolved into a key platform for institutional dialogue, with Annual Meetings enabling senior leadership engagement. Current members include Exim Banks from Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, South Korea, Thailand, Turkey, and Vietnam, with Asian Development Bank (ADB) as Permanent Observer.

The year was particularly significant as the Bank hosted the milestone 30th Annual Meeting at Kochi and Kumarakom, in Kerala during November 17-20, 2025, under the theme 'Samridhhi Sutra - Empowering Connections through a Shared Vision for Regional Prosperity'. Alongside member institutions and ADB, African Export-Import Bank (Afreximbank), Export Development Canada, and UK Export Finance attended as observers, reflecting the Forum's growing reach. The Meeting facilitated substantive deliberations on the theme, updates from member institutions, and also marked the launch of the AEBF revamped website.

On the sidelines, the Bank organised a Seminar on 'Redefining Growth: Strategies for Inclusive and Resilient Economic Development in Asia-Pacific', attended by senior dignitaries including Shri M. Nagaraju, Secretary, Department of Financial Services, and Shri APM Mohammed Hanish, Principal Secretary (Industries), Government of Kerala. The Bank's research publications were released at the Seminar, and panel discussions covered trade dynamics and protectionism, and sustainable investment in Port Development, Tourism, Renewable Energy, and Deep Tech.



Driving growth by building a prominent presence



Smt. Nirmala Sitharaman, Hon'ble Minister of Finance and Corporate Affairs, Government of India, delivered the keynote address at the Bank's Trade Conclave on the theme 'Building Export-led Growth for Viksit Bharat' held in New Delhi in June 2025. On this occasion, the Hon'ble Finance Minister virtually inaugurated the Bank's new offices in Lucknow, Indore and São Paulo.

Six companies under the platinum level and two companies under the gold plus level were recognised at the CII-Exim Bank Award for Business Excellence during the 33rd CII Excellence Summit, held in Bengaluru.



The 30th Annual Meeting of the Asian Exim Banks Forum was held in Kerala. Chaired by India Exim Bank, the Meeting saw participation of senior level delegations from seven member institutions and four observer institutions. The members shared their ideas for 'Guide to Prosperity: Empowering Connections through a Shared Vision for Regional Prosperity', which was the theme for the Annual Meeting.



Giving wings to India's aerospace sector

The Bank approved a term loan for part-financing the acquisition of two aircraft and helicopters for further leasing and utilisation.



The Bank, under its Ubharte Sitaare Programme, supported an early-stage space-tech company, incubated at IIT-Madras, engaged in design, manufacturing and launching of orbital-class rockets for small satellites. This support will develop prototypes & scaling up its infrastructure for its launches.

The Bank also served as AEBF Training Committee Chair during the year, coordinating training needs, curating a thematic calendar, and facilitating training programmes across member institutions. Its flagship in-person training programme on 'GSS+ Finance: Opportunities and Regulatory Framework' (in June 2025, Mysuru) that was held alongside in-person Technical Working Group Meeting, the first such meeting since the pandemic, covered topics of sustainable finance, ESG risk, greenwashing, and sustainability reporting. The training also involved a field visit to a textile facility in Hassan, Karnataka to observe the firsthand sustainable practices and resource-efficient technologies adopted within the facility. Three additional web-based training programmes on Ship Financing, SME Finance, and Gender Responsive Financing were conducted by the Export-Import Bank of Korea, Philippine Guarantee Corporation, and ADB, respectively.



Africa-India Partnership Day (AIPD)

The Bank organises the Africa-India Partnership Day (AIPD) annually on the sidelines of the African Development Bank (AfDB) Annual Meetings, as a flagship platform for India's development partnership with Africa.

The milestone 10th edition was held on May 28, 2025, in Abidjan, Côte d'Ivoire, on the sidelines of the 60th AfDB Annual Meeting, under the theme 'Mobilising Capital: India's Role in Catalysing Africa's Sustainable Growth'. It featured high-level representation from the Government of India, African governments, Multilateral institutions and industry.



Institutional Recognition

The Bank received notable recognition at two prominent development finance forums during the year. At the Association of African Development Finance Institutions (AADFI) 50th Anniversary Consultative and Awards Dinner in Abidjan (May 26, 2025), the Bank was recognised as the 'Most Consistent Non-African Multilateral DFI Member', acknowledging its uninterrupted association with AADFI over nearly three decades. Secondly, at the Association of Development Financing Institutions in Asia and the Pacific (ADFIAP) Annual Meeting, the Bank received recognition for its Sustainable Finance Programme, reflecting its commitment to mainstreaming sustainability across its financing operations.



Broader Multilateral and Knowledge-Sharing Engagements

Beyond its regional forum engagements, the Bank pursued a range of bilateral and multilateral knowledge-sharing initiatives during the year. In Latin America, it co-organised a joint webinar with the Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE) on Trade Finance (December 2025), and a separate webinar with the Development Bank of Latin America (CAF) on financing opportunities in the LAC region for Indian businesses. The Bank also co-hosted a first-of-its-kind webinar with the Eurasian Development Bank (EDB), that was accompanied by the release of a joint analytical report on the untapped trade and investment

potential between India and Central Asia.

The Bank maintained an active and multidimensional engagement with G-NEXID during the year, contributing substantively to knowledge sharing, and capacity building of members. It participated in the G-NEXID Annual Meeting, provided inputs toward shaping the Network's forward-looking agenda. The Bank's officials also participated in G-NEXID's Online Training and Business Dialogues programme on Innovations in Trade Finance, with the Bank additionally conducting a speaker session for the global participants of this training programme.

As India's nominated member under the BRICS Interbank Cooperation Mechanism, the Bank participated in the 15th Annual Meeting hosted by BNDES in Rio de Janeiro, reaffirming its role within the BRICS financial architecture.



Corporate Social Responsibility

Through its Corporate Social Responsibility (CSR) initiative, the Bank voluntarily remains steadfast in its commitment to creating meaningful and sustainable social impact. The Bank's CSR strategy continues to focus on healthcare and sanitation, education, skill training & livelihood support, and environmental sustainability, thereby contributing to inclusive growth and long-term community well-being. During the year, the Bank supported multiple programmes across these focus areas, partnering with credible non-profit organizations to address critical social needs across various regions in India. In the area of healthcare and sanitation, the Bank supported initiatives aimed at

strengthening medical infrastructure, improving access to affordable healthcare, and promoting preventive care among underserved population.

The Bank extended support to the Christian Medical College, Vellore for equipping one emergency operating room, thereby enhancing critical care infrastructure in Tamil Nadu. To improve access to primary healthcare in remote tribal regions, the Bank partnered with Dr. Mane Medical Foundation and Research Centre for deploying a Mobile Health Unit across 40 villages in Akkalkuwa, Dhadgaon (Akarani), and Taloda blocks of Nandurbar district, Maharashtra, with a focus on reducing maternal and child mortality.

Further, towards strengthening tertiary healthcare, the Bank supported Thirumalai Charity Trust for the procurement of four dialysis machines at Thirumalai Mission Hospital in Ranipet, Tamil Nadu, enabling free dialysis services for the poor, elderly, and vulnerable population.

To promote menstrual hygiene and sanitation, the Bank partnered with Church's Auxiliary for Social Action to distribute over 22,000 reusable sanitary pad packets and conduct awareness sessions among women and girls across 40 villages in Parbhani, Maharashtra. Additionally, the Bank supported Team Vision Foundation in installing sanitary napkin vending machines

and incinerators in special schools for children with visual impairment in Maharashtra.

Under nutrition support, the Bank partnered with The Akshaya Patra Foundation to provide mid-day meals to benefit children from government schools through the Varanasi kitchen in Uttar Pradesh.

The Bank continued to invest in education focused initiatives aimed at strengthening learning infrastructure and promoting equitable access to education. Support was extended to Akash Ganga Educational Society (Himalayan School of Life) for the construction of eight additional classrooms in Uttarkashi, Uttarakhand. In Uttar Pradesh, the Bank supported Ramdutt Seva Sansthan (Gurukul Public School) for installation of a 30-kW solar power plant, promoting energy sustainability in educational institutions.

Further, the Bank partnered with Concern India Foundation for setting up an IT Centre by providing desktop computers in a Zilla Parishad school in Palghar, Maharashtra, providing digital learning opportunities for students. The Bank also supported Bhasha Research and Publication Centre to provide primary education support to tribal girls in the Chhota Udaipur district of Gujarat.

Skill training and employability enhancement remained a critical pillar of the Bank's CSR efforts.

The Bank partnered with Sambhav Foundation, to provide skill training and placement support to 400 unemployed youth in Nashik, Maharashtra, in trades such as EV service technicians and solar PV installers. Additionally, the Bank's collaboration with Auxilium Skills Academy enabled skill development training in Tally and Hospitality Management for tribal youth in Dahanu, Maharashtra, helping improve employability and income prospects. As part of its commitment to environmental sustainability, the Bank supported The Akshaya Patra Foundation for setting up a biogas plant in its Silvassa kitchen, contributing towards clean energy usage and waste reduction. The Bank also collaborated with the Aga Khan Agency for Habitat India to implement rooftop rainwater harvesting systems and tree plantation initiatives across schools in the Dharashiv block of Osmanabad district, Maharashtra.

With the objective of encouraging academic excellence, particularly among the reserved category students, pursuing post-graduate courses, the Bank has instituted scholarships at 14 educational institutions in India. The scholarships instituted by the Bank have helped deserving students, mostly from the reserved category, to meet their educational expenses and pursue higher education.

Human Capital

Unlocking Potential, Powering Performance

The Bank recognises its human capital as the most crucial cornerstone of its growth trajectory, driving the Bank towards greater heights of success each year.

By harmonising organizational objectives with individual aspirations of employees, the Bank fosters an environment of productivity, talent recognition and retention, and a vibrant workplace culture. Ensuring diversity, inclusivity, equal opportunities and employee wellbeing, across its network of all offices, have been important considerations for the Bank. The Bank also encourages and nurtures a culture of continuous learning and development, ensuring growth of its employees.

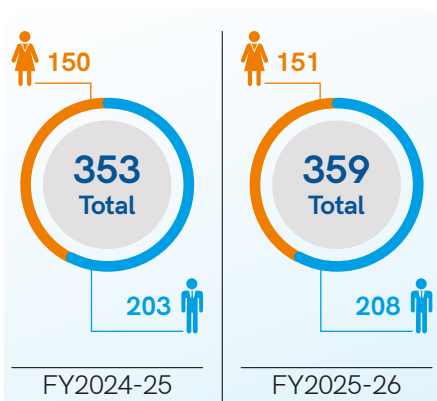




Human Resources

During FY 2025-26, the Bank deployed its 359 permanent officers across various offices and functional areas, in alignment with its job rotation policy and domain expertise of its officers. This strategic deployment aimed to enhance operational efficiency foster expertise and diverse perspectives within the workforce, in alignment with the Bank's commitment to achieve highest standards of operational excellence and ethical standards. The workforce includes professionals from diverse domains such as business administration, chartered accountancy, economics, finance, management, human resources, legal, information technology, linguistics and marketing.

Employees Snapshot

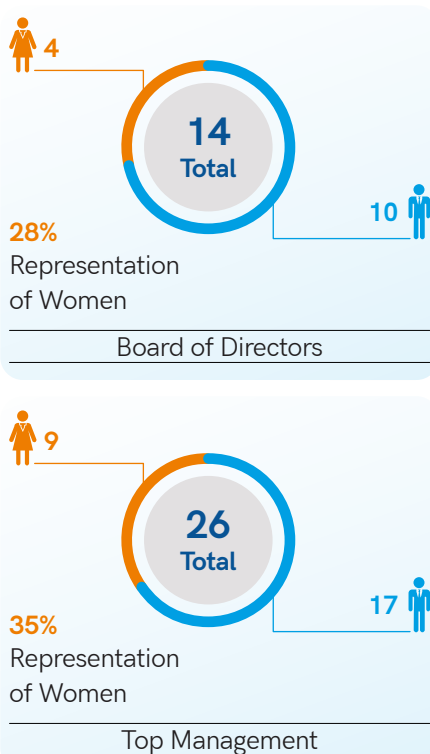


Diversity and Inclusion

Diversity and inclusion remain integral aspects of the Bank's human resource policy. Women represent 42 per cent of the Bank's permanent workforce, and thus, gender sensitivity is accorded top-most priority across all levels and offices of the Bank. The Bank ensures representation of women across geographies and hierarchical levels. While adopting

a gender-neutral approach, the Bank fosters an enabling environment that supports the personal and professional needs of its women employees. The Bank recognises and encourages the valuable contribution of women leaders in fostering organisational growth and empowerment.

Representation of Women in Board appointed by the GOI and Top Management

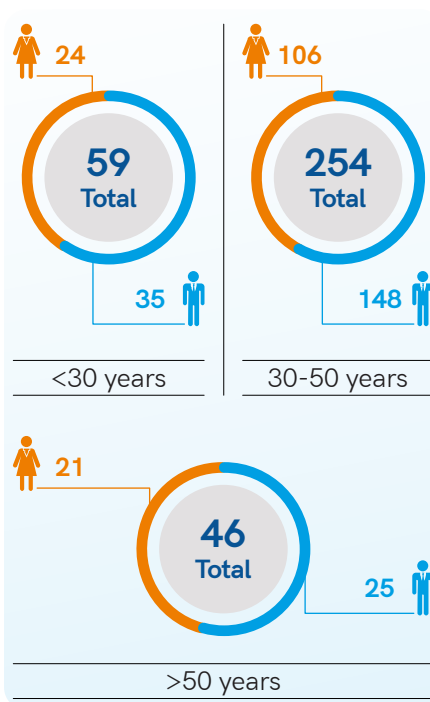


The Bank maintains a strict zero-tolerance policy towards sexual harassment, with a view to promoting a safe and inclusive work environment. It adheres fully to the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. This policy applies to all employees and incorporates measures to prevent retaliation and protect the identity of complainants. The Bank has in place an Internal Complaints Committee to handle such matters sensitively and promptly. This framework reinforces the Bank's commitment to employee well-being and inclusivity. Notably, no complaints were reported during the year, indicating the efficacy of the preventive mechanisms in place. Furthermore, the Bank ensures equal

access to benefits for all employees and upholds a gender-neutral compensation policy, maintaining parity across the organisation.

Gender-wise and Age-wise Break Up of Permanent Employees

(as on March 31, 2026)



Compliance with Reservation Guidelines

The Bank abides by the reservation guidelines stipulated by the Government of India in its recruitment processes and maintains fair and healthy representation of officers from reserved categories, within its workforce. As on March 31, 2026, the Bank's 359 permanent staff members included 43 from the Scheduled Castes (SC), 22 from the Scheduled Tribes (ST), 74 from the Other Backward Classes (OBC) and 2 from the Economically Weaker Section (EWS). The Bank remains committed to providing equal opportunities for growth and development of all its employees, including those from

the reserved categories, by ensuring equal access to training and capacity-building programmes for all.

In adherence to the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016, the Bank has implemented an equal opportunity policy, reflecting its commitment to inclusivity and diversity. The Bank continues to align with government directives to promote the representation of under-represented groups, including Persons with Disabilities (PwDs) within its workforce. This conscientious and inclusive approach demonstrates the Bank's unwavering commitment to fostering an equitable and diverse workplace, empowering every individual to grow and succeed, irrespective of their background or abilities.

Differently Abled Employees (as on March 31, 2026)



Employee Benefits and Well-being

With a view to ensuring wellbeing of its employees, the Bank offers a comprehensive set of benefits, that cater to both the professional and personal needs of its employees. These include among others, parental leave, healthcare services, and post-retirement benefits. In accordance with government guidelines, female and male employees are entitled to maternity and paternity leave, respectively. The Bank extends all possible support to its employees and their families during times of hardship, such as in cases of death, disability or serious illness / injury. In line with the applicable schemes of the Bank, depending on individual circumstances, and on compassionate grounds, this support could be in the form of ex-gratia payments, financial assistance or cashless hospitalisation. Post-retirement benefits, terminal benefits, such as, Gratuity, Pension, Provident Fund and NPS, as applicable. Healthcare benefits are also provided to retired employees.

Recognising the importance of employee well-being, the Bank

provides recreational facilities such as yoga and gym amenities. These initiatives are designed to promote physical and mental wellbeing and encourage a healthy work-life balance.

To encourage continuous learning and skill development, the Bank regularly nominates employees for various training programmes. To support career aspirations of the employees, the Bank encourages employees to acquire higher qualifications and certifications, which could be supported under applicable schemes. Additionally, regular internal knowledge-sharing sessions are conducted to facilitate collective learning and professional growth. Employees are also encouraged to share their suggestions and innovative ideas to improve processes and increase operational efficiency reinforcing a culture of continuous improvement.

To strengthen camaraderie and offer employees a welcome break from day-to-day routines, the Bank organises annual events such as Sports Day, outbound retreats, and employee get-togethers. Through these efforts, the Bank reinforces its commitment to the holistic development and welfare of its employees.

Employees Trained during FY 25-26

	(Nos)		
	Male	Female	Total
Junior Management	31	33	64
Middle Management	87	67	154
Senior Management	57	35	92
Top Management	7	04	11
Total	182	139	321



Committed to powering India's growth story



The Bank financed the acquisition of two gas carriers, namely, Shivaik and Sahaydri. The carriers delivered 46,000 MT of LPG to Mundra Port, Gujarat, in March 2026, strengthening India's energy supply chain amid regional tensions.



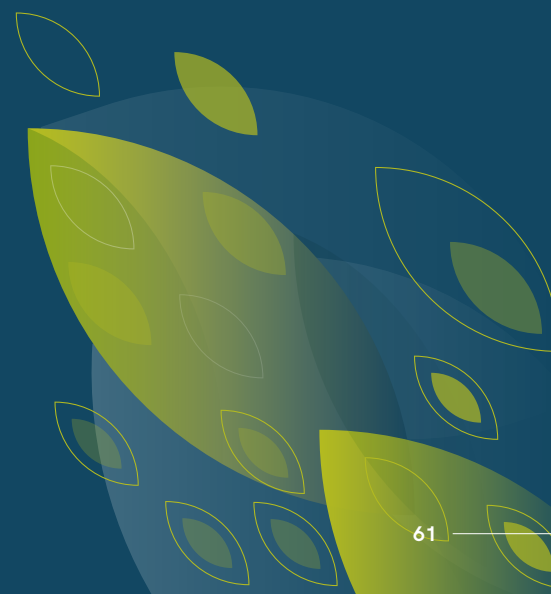
The Bank supported a refinery expansion project in Numaligarh, including the construction of a Crude Oil Import Terminal at Paradip, Odisha, and a 1,635-km crude oil pipeline from Paradip to Numaligarh, for transporting crude to the refinery.

Institutional Infrastructure

Framework for Growth & Governance

A robust institutional architecture is the foundation for any successful organization. As a public institution, the Bank remains committed to upholding the highest standards of integrity and ethical conduct, which remain the cornerstones of its operations.

The Bank ensures meticulous monitoring and management of risks, adopting a prudential approach to every policy and strategy that is developed, in abidance of all applicable guidelines, obligations and statutory requirements. By leveraging cross-functional representation across various committees, the Bank facilitates diverse perspectives, while ensuring regulatory compliances. The Bank's continuous journey towards digital infrastructure modernization is not just a technical upgrade, but a strategic move to strengthen institutional architecture, to remain transparent, agile, and impactful in an ever-changing world.





Treasury

The Bank's treasury is the custodian of its liquid assets and handles its investments in securities, foreign exchange and investment of surplus funds, in line with regulatory guidelines, the Bank's internal risk management framework and Treasury Operations Policy. It manages the liquidity and interest rate risks on the balance sheet.

Treasury operations encompass a broad spectrum of activities, including money market and foreign exchange dealings, securities trading and investment of surplus funds. Being a profit centre, treasury consistently contributes to the Bank's profitability with the volume of transactions witnessing year-on-year growth.

The Bank has adopted a structured approach by segregating its treasury into front, mid and back-office functions to ensure effective risk control, compliance, and operational efficiency. These functions are supported by a state-of-the-art dealing room equipped with multiple systems and enabling technologies. To further strengthen operational resilience and agility, the Bank continues to improve and upgrade its treasury infrastructure by incorporating key technology enhancements. The Bank is also evaluating Application Programming Interface based integrations to streamline pricing, order execution and risk tracking.

The group also helps manage the hedging needs of customers and earns a fee income from these transactions aimed at mitigating the foreign exchange and interest rate risks. It also facilitates collection and negotiation of export documents, issuance of inland and foreign letters of credit (LCs), Bank guarantees (BGs) and customised structured finance solutions.

To support funding requirements and manage balance sheet risks, the Bank actively engages in money market instruments and derivative

transactions aimed at raising cost-effective resources by hedging market exposures. The treasury plays a vital role in the Bank's Asset-Liability Management (ALM) function, working in close coordination with the ALM Committee to monitor and manage liquidity, interest rate risk and balance sheet mismatches.

Strong internal controls, regular audits and comprehensive stress testing ensure that the treasury adheres to all applicable regulatory guidelines and internal policies. The risk management framework and Treasury Operations Policy are periodically refined to respond proactively to the changing market dynamics.

The Bank is a registered member of the Indian Financial Network (InFiNet) and holds a Registration Authority status with the Institute for Development and Research in Banking Technology (IDRBT), which facilitates the issuance of digital certificates. The Bank holds a digital certificate enabling it to participate in the Negotiated Dealing System (NDS) – Order Matching platform of the RBI for electronic trading in Government securities. Securities and foreign exchange transactions are settled through the Central Clearing Party, Clearing Corporation of India Ltd. (CCIL) under its Guaranteed Settlement Facility. The Bank is also a member of CCIL's Tri-Party Repo Dealing System, Clearcorp Repo Order Matching System, and FX-Clear, which facilitate efficient repo and forex market transactions. Additionally, the Bank operates a centralised SWIFT infrastructure, with connectivity extended to its London branch, supporting seamless global financial communication and handling multiple Bank Identifier Codes.

Looking ahead, the treasury will continue to focus on portfolio diversification, expansion of its forex client base, and deeper integration with global financial networks to strengthen its position as a key contributor to the Bank's strategic growth.



Asset-Liability Management (ALM)

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees the monitoring and management of market risk with support from the Bank's Risk Management Group. Liquidity/interest rate risks are managed by ALCO as per the Integrated Risk Management Policy, which includes comprehensive ALM/liquidity policies approved by the Board. The role of ALCO includes, inter alia, fixing of benchmark interest rates for rupee credit, reviewing the Bank's currency-wise structural liquidity and interest rate sensitivity positions vis-à-vis prudential limits prescribed by the RBI/Board, monitoring results of periodical stress testing of cash flows. It also identifies a suitable ALM strategy based on the quantum of interest rate risk as measured through (a) assessment of sensitivity of net interest income and (b) sensitivity of economic value of equity, using duration-gap analysis, to interest rate movement. Regular stress testing of the currency-wise liquidity position is carried out to estimate the fund shortfall under a worst-case scenario, and a Contingency Funding Plan is drawn up accordingly. The Fund Management Committee (FMC) decides on the investments / disinvestments and raising of resources as per the Fund Management / Resources Plan approved by the Board at the beginning of each financial year, and reviews the position during the year.



Risk Management

The Risk Management Committee (RMC) of the Board is responsible for monitoring and managing Bank-wide risks and overseeing the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk,

market risk and operational risk. The Committee also oversees the operations of the ALCO, the FMC, the Credit Risk Management Committee (CRMC) and the Operational Risk Management Committee (ORMC), all of which have cross-functional representation. The CRMC is tasked with management and control of credit risks on a Bank-wide basis. The Bank has in place an advanced Credit Risk Model (CRM) that enables a broad-based credit decision support (by incorporating a range of qualitative as well as quantitative parameters / measures) and internal credit grading of borrowers depending on credit risks.

The ORMC reviews the occurrence of operational risk events in the Bank and recommends corrective action(s) to prevent recurrence. This also includes identification, assessment and / or measurement, monitoring and control/ mitigation of operational risks related to/ emanating from IT-assets of the Bank other than those pertaining to Information Security. The Bank has constituted an Information Security Committee (ISC) under the oversight of the Information Technology Strategy Committee (ITSC), a Board sub-committee, for managing cyber / information security functions of the Bank. ITSC, which is a sub-committee of the Board oversees and steers the Bank's Information Technology initiatives with appropriate policy direction and implementation strategy, aligned with extant regulatory guidance, to the extent applicable to the Bank. The Bank undertakes an annual review of the Business Continuity and Disaster Recovery Plans for its offices, as per the Board approved Business Continuity Plan (BCP) framework. As per the framework, appropriate measures have been taken to safeguard Bank's operations against natural disasters, cyberattacks, system failures, pandemics, and other unforeseen disruptions.

The Bank has adopted a Board approved Risk Appetite Policy aligned to its strategic, financial and operational goals. The key dimensions considered as part of the risk appetite

statement include capital adequacy, profitability, credit risk, market risk, concentration risk, liquidity risk, operational risk, reputational and compliance risk. There are risk appetite parameters under these risk dimensions with tolerance limits set for each of the parameter. The risk appetite parameters are reviewed periodically, and a half-yearly review is submitted to the Bank's Risk Management Committee. During the year, most of the parameters in the risk appetite statement were in the 'green' zone (indicating best control) and there was no parameter in the red zone indicating no breach in tolerance limit.

The RBI, on September 21, 2023, issued the Master Direction on Prudential Regulations on Basel III Capital Framework, which is applicable to All India Financial Institutions (AIFIs) including the Bank with effect from April 01, 2024. These directions have been replaced with Master Direction dated November 28, 2025, on Prudential Norms on Capital Adequacy. The framework, inter alia, deals with the Bank's capital requirement, assessment of risks, stress testing, disclosure requirements, leverage ratio framework etc. As per the Master Direction, the Bank is required to maintain a minimum Pillar 1 CRAR of nine per cent on an on-going basis. In addition to maintaining minimum capital adequacy under Pillar 1 for credit, market and operational risks, the Basel III guidelines require additional capital to be set aside based on the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) under Pillar 2 – Supervisory Review Process.

The Bank has put in place a Board approved ICAAP Policy, including a comprehensive Stress Testing Framework. The ICAAP Policy deals with the framework for ongoing assessment of the Bank's entire spectrum of risks, how the Bank intends to mitigate those risks and how much current and future capital will be necessary for the Bank, reckoning other mitigating factors. The Bank conducts the ICAAP assessment and reports the same to the RMC and the Board annually. The

stress testing activity is conducted on a half-yearly basis, and the outcome is reported to the RMC.

Under Pillar 3 - Market Discipline, the Bank is required to provide regulatory disclosures pertaining to capital elements and various risk components of its business. The quarterly disclosures are published on the Bank's website. The Bank has adopted a Disclosure Policy, which outlines the framework for the disclosures.



Information Technology & Digital Transformation

The Bank continues to accelerate its digital transformation journey, strengthening its technology ecosystem to ensure secure, fast and accurate, requirement driven data management deliver secure, client-centric, and seamless banking experiences. The Bank has modernized its hosting solutions, achieving greater agility, streamlined IT operations, and enhanced scalability, while ensuring strict data residency compliance.



Regulatory Compliance and Security

The Bank has strengthened its IT practices, in alignment with regulatory cybersecurity guidelines and best practices in the Banking industry. The Bank's corporate website, designed for accessibility and transparency, serves as a secure, informative portal for lending programs and advisory services. The Bank has a state-of-the-art Data Centre (DC) and Disaster Recovery (DR) site. The DC and DR have remote active-active setup monitoring capabilities, which help the Bank to comply with recovery time and recovery point objectives (RTO & RPO). The Bank's DC and DR are

ISO 27001 certified. The Bank has implemented secured remote access-based IT infrastructure, which enables seamless business communication and transition between work from office (WFO) and work from home (WFH). During the FY, the Bank has significantly strengthened its overall information security posture through the implementation of multiple preventive and detective controls across the IT environment.



Key Technology Upgrades and Strategic Initiatives

During FY 2025-26, the Bank's IT Infrastructure Modernization and Capacity Augmentation Strategy has been pursued to ensure scalability, high availability, operational resilience, and compliance with regulatory requirements. Furthermore, automated alert generation and new risk management platforms were deployed to proactively mitigate threats. These upgrades were designed to enhance process automation, strengthen data integrity, and minimize operational risk.



E-Governance and E-Payment

The Bank remains committed to digitizing its internal landscape to foster a paperless, transparent, and efficient administrative environment. The integrated systems for Management Information Systems (MIS), business intelligence, and document management are engineered to support data-driven decision-making and real-time internal reporting. By further enhancing its proprietary 'e-Payment' and 'e-Note' workflows, the Bank has successfully minimised manual intervention, ensuring that internal approvals and financial settlements

are processed with precision and transparency contributing to sustainability. In order to strengthen e-Governance, the Bank has enabled API-based integration of its systems with external data aggregators and information repositories so that the information can flow without manual intervention.

Additionally, the Bank has also subscribed to various watch list providers, such as, the National e-Governance Services Ltd. (NeSL), Save Risk, Central Economic Intelligence Bureau and Dow Jones Watchlist etc, which are being used at different stages of the credit lifecycle, to get advanced market intelligence feeds which help in preventing frauds, money laundering, slippages in A/S, etc and NPAs. The Bank has established practices and procedures in compliance with international standards for IT governance. These advancements ensure that the back-office operations are agile and highly secure, while providing a robust foundation for the Bank's overall governance framework. The Bank's corporate website (www.eximbankindia.in) continues to disseminate information on various lending programmes, activities, and advisory services of the Bank. It further differentiates Grievance Redressal Mechanism (GRM), Fair Practice Code (FPC), etc as per regulatory requirements.



Right to Information

As a designated public authority under the Right to Information (RTI) Act, 2005, the Bank remains fully compliant with the provisions of the Act. Indian citizens seeking information could contact the Central Public Information Officer (CPIO) at the Bank's Head Office in Mumbai or the Assistant Public Information Officers (APIO) located at its Regional Offices, as listed on the Bank's website. The Bank continuously strives to align with the guidelines issued by government authorities from time to time. During

FY 2025-26, the Bank received a total of 112 RTI applications, all of which were responded to within the prescribed 30-day period, in accordance with the RTI Act.



Progress in Implementation of the Official Language Policy

As a Central Government entity, the Bank ensures effective implementation of the Official Language Policy of the GOI. During the year, the Bank organised Hindi language workshops and nominated its officers in Hindi training programmes under the Hindi Teaching Scheme of the Government of India, to enhance their proficiency in Hindi. With a view to encourage the use of Hindi in the Bank's day-to-day business, the Bank has also organised various competitions and events during the year. The Official Language Implementation Committees constituted at the Bank's Head Office and Regional Offices reviewed the progress on a quarterly basis. The Bank has actively participated in the meetings, programmes and competitions organised by Town Official Language Implementation Committees (TOLICs), Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance and hosted interbank Hindi competitions and events. With an aim to reach a wider audience across the country, the Bank continued to publish of its newsletters, focusing on agricultural exports, in 10 Indian languages other than Hindi and English. The Bank's Head Office, and the regional offices at New Delhi, Pune, Kolkata, Guwahati and Chandigarh, were awarded by their respective TOLICs, for commendable performance in implementing the Official Language, during the year. The Bank's Head Office has also been awarded by DFS for innovative initiatives to implement the Official Language Hindi in the Bank.

Joint Ventures and Subsidiary

Power of Partnership



Joint Ventures



GPCL Consulting Services Ltd.

GPCL Consulting Services Ltd. (GPCL) was conceived and promoted by the Bank in 1996 as a consulting firm, structured as a joint venture between the Bank and nine other reputed private and public sector companies. Established as a pioneering initiative, GPCL brought together industry leaders across sectors, including agriculture, energy, industries, mining, transportation, and water resources, with a mandate to deliver integrated project-related services. The company is actively engaged in providing services spanning procurement, technical and financial management, training and capacity building, and corporate social responsibility, with a presence in over 40 countries worldwide. In recent years, GPCL has broadened its service portfolio around the procurement function to encompass bid advisory, e-procurement solutions, procurement training, project identification, pre-feasibility studies, preparation and review of reports, lender's engineer services, project due diligence, monitoring and evaluation, and a range of support services to bilateral and multilateral lending agencies. The company recorded a total income of ₹ 83.79 million in FY 2025-26 with a pre-tax profit of ₹ 21.92 million.



Kukuza Project Development Company

Kukuza Project Development Company (KPDC), Mauritius is a joint venture co-promoted by Exim Bank along with other shareholders viz. African Development Bank, State Bank of India and the Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) group.

Due to the losses posted by KPDC, its operations were not sustainable, and thus the shareholders passed a resolution for closure of operations of KPDC. Accordingly, the orderly winding up process of KPDC was initiated and all the outstanding liabilities of KPDC were paid off in FY 2024-25. After receipt of necessary approvals/ NOCs from all stakeholders and statutory authorities, Strike-off application to the Registrar of Companies, Mauritius, for removal of KPDC from the Register was lodged on April 1, 2026.

Subsidiary



India Exim Finserve IFSC Pvt. Ltd.

Factoring represents an effective receivables management and financing solution aligned with the specific requirements of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The factoring services by India Exim Finserve IFSC Pvt. Ltd. (Exim Finserve) integrates three critical services for exporters—financing against receivables, protection against the risk of non-payment, and comprehensive management of accounts receivable. This mechanism is particularly advantageous for MSME exporters as financing decisions are largely driven by the quality of underlying receivables rather than the availability of collateral. This leads to improved cash flow and reduced payment risk for exporters, enabling them to confidently explore new markets and seize growth opportunities. Further, factoring enhances export competitiveness by enabling exporters to extend attractive credit terms to overseas buyers without adversely impacting their working capital cycle.

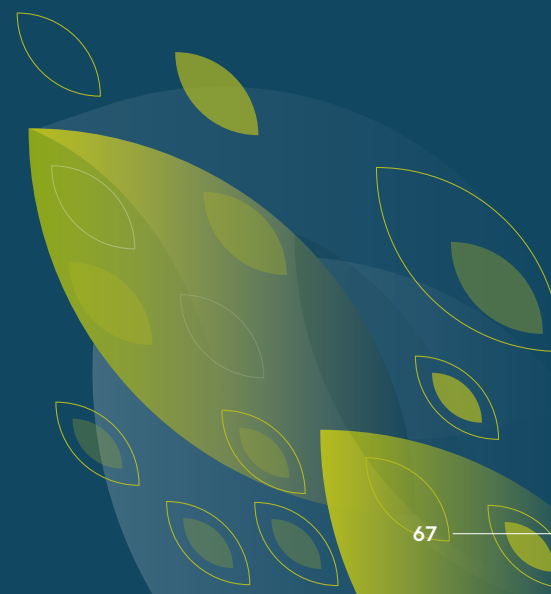
The Hon'ble Finance Minister, in the Union Budget for FY 2023-24 presented on February 01, 2023, announced the establishment

of a subsidiary of Exim Bank at Gandhinagar, International Financial Services Centre (GIFT City), Gujarat, to undertake trade and re-financing activities. Subsequently, Exim Finserve was incorporated in August 2023 as a wholly owned subsidiary of Exim Bank at GIFT City. Exim Finserve offers a comprehensive suite of trade finance solutions to Indian exporters, with a primary emphasis on export factoring.

Exim Finserve commenced its factoring operations in September 2024. During the period from September 2024 to March 2026, the Company sanctioned factoring limits to 26 exporters, with aggregate commitments of approximately US\$ 36.81 million, covering 64 importers worldwide. Nearly 58 per cent of these sanctions were extended to MSME exporters across states including Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra, West Bengal, Gujarat, Haryana, Punjab, Goa, and Delhi, supporting exports to markets in North America, Europe, the Middle East, Asia-Pacific, and Latin America. Of the 26 onboarded suppliers, receivables of 19 exporting entities were factored, resulting in a cumulative invoice turnover of US\$ 44.8 million covering 2,350 transactions.

Exim Finserve is an associate member of FCI (erstwhile Factor Chain International), a Global Representative Body for Factoring and Financing of Open Account Domestic and International Trade Receivables. FCI has close to 400 member companies in more than 90 countries. Member transactions represent on average 40 per cent of the world's international correspondent factoring volume. Exim Finserve was awarded as one of the top three "Best Deal of the Year" by FCI during its annual meeting in Rio de Janeiro in June 2025.

Corporate Governance Report



Corporate Governance Report

1. BANK'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Export-Import Bank of India (the Bank) recognises the principles and importance of Corporate Governance and has been complying with not only the statutory requirements, but also a set of voluntarily formulated strong Corporate Governance practices.

The Bank is wholly owned by the Government of India. The direction, management and conduct of business affairs of the Bank are prescribed under the Export-Import Bank of India Act, 1981 (Exim Bank Act) read with the Export-Import Bank of India General Regulations, 2020 (Exim Bank General Regulations) framed thereunder and other applicable laws. Being a High Value

Debt Listed Entity, the provisions of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), as amended from time to time are applicable to the Bank. The Bank undertakes compliance(s) with all other laws and regulations with a view to ensure transparency in all its operations, make disclosures and enhance stakeholder value, to the extent applicable. The non-convertible debt securities of the Bank are listed on the National Stock Exchange of India Limited (NSE) and are governed by the Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 and Listing Regulations.

2. BOARD OF DIRECTORS

Section 6 of the Exim Bank Act provides the constitution of the Board of Directors of the Bank. The composition of the Board of Directors of the during financial year 2025-26 is as under:

Section	Nature of the Director	Director Details	Category*	Remarks
6[1][a]	Chairman	Vacant	-	Since February 20, 2017
	Managing Director	Ms. Harsha Bangari	Executive	Appointed with effect from September 08, 2021
6[1][aa]	Two Whole-time Directors	Shri Tarun Sharma	Executive	Appointed with effect from April 18, 2023
		Ms. Deepali Agrawal	Executive	Appointed with effect from June 28, 2024
6[1][b]	One Director (RBI Nominee)	Shri Arnab Kumar Chowdhury, Executive Director, Reserve Bank of India	Non-Executive/Independent	Appointed with effect from October 10, 2024
6[1][c]	One Director (Development Bank)	Shri Rakesh Sharma Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd.	Non-Executive/Independent	Appointed with effect from December 21, 2018
6[1][d]	One Director (ECGC Nominee)	Shri Sristiraj Ambastha Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.	Non-Executive/Independent	Appointed with effect from November 16, 2023
6[1][e][i]	Five Directors (Central Government Officials)	Shri Dammu Ravi Secretary (ER), Ministry of External Affairs	Non-Executive/GOI Nominee/Independent	Ceased with effect from August 31, 2025
		Shri Sudhakar Dalela Secretary (ER) Ministry of External Affairs	Non-Executive/GOI Nominee / Independent	Appointed with effect from September 25, 2025

Section	Nature of the Director	Director Details	Category*	Remarks
		Shri Suchindra Misra Special Secretary Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Appointed with effect from February 11, 2026
		Ms. Himani Pande Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Appointed with effect from May 25, 2023
		Shri Siddharth Mahajan Joint Secretary Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Ceased with effect from February 11, 2026
		Ms. Aparna Bhatia Adviser, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Ceased with effect from May 07, 2026
		Ms. Sakshi Mittal Joint Secretary, Department of Economic Affairs	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Appointed with effect from May 07, 2026
		Dr. Abhijit Phukon Economic Adviser, Department of Financial Services, Ministry of Finance	Non-Executive/ GOI Nominee/ Independent	Appointed with effect from June 30, 2023
6[1][e][ii]	Upto Three Directors (from the Scheduled Banks)	Shri Challa Sreenivasulu Setty, Chairman State Bank of India	Non-Executive/ Independent	Appointed with effect from August 28, 2024
		Shri M. V. Rao Managing Director & CEO, Central Bank of India	Non-Executive/ Independent	Ceased with effect from July 31, 2025
		Shri Rajneesh Karnatak Managing Director & CEO, Bank of India	Non-Executive/ Independent	Appointed with effect from August 18, 2025
		Shri. Ashwani Kumar Managing Director & CEO UCO Bank	Non-Executive/ Independent	Appointed with effect from May 13, 2024
6[1][e][iii]	Upto Four Directors with special knowledge or professional experience in export, import, or financing thereof	Vacant	-	Since December 21, 2024
		Vacant	-	Since April 18, 2015
		Vacant	-	Since April 18, 2015
		Vacant	-	Since June 05, 2009

GOI-Government of India; RBI-Reserve Bank of India

*As per the Regulation 16(1)(b) of Listing Regulations, "Independent Director" means a Non-Executive Director, other than a nominee director of the listed entity.

Explanation - In case of a "high value debt listed entity": (a) which is a body corporate, mandated to constitute its Board of Directors in a specific manner in accordance with the law under which it is established, the non-executive directors on its Board shall be treated as independent directors.

As per Regulation 62D (1)(a) of Listing Regulations, "Board of Directors" shall have an optimum combination of executive and non-executive directors with at least one-woman director and not less than fifty per cent of the board of directors shall comprise of non-executive directors.

Accordingly, Directors on the Bank's Board being appointed / nominated in pursuance of Exim Bank Act are to be treated as Independent Directors for compliance with the provisions of Listing Regulations.

BRIEF PROFILE OF THE DIRECTORS OF THE BANK (AS ON MAY 08, 2026)

Director Details	Brief Profile
Shri Sudhakar Dalela Secretary (ER) Ministry of External Affairs	Shri Sudhakar Dalela joined the Indian Foreign Service in 1993. He began his diplomatic career in Tel Aviv, Israel. He has since served in Indian Missions in Brasilia, Chicago, Dhaka, Geneva, Thimphu, Washington D.C. Most recently, he served as the Ambassador of India to Bhutan (2022-2025). Shri Dalela has served in critical roles in New Delhi, including Director in the Prime Minister's Office (2009-2011), focusing on India's engagement with its South Asian neighbours, East Asia, and countries in the Indo-Pacific region, Gulf, Middle East, Africa. He has served as Director (North) (2006-2007) and subsequently as Joint Secretary (North) in the Ministry of External Affairs (2016-2019), overseeing India's relations with Bhutan and Nepal. He brings a wealth of experience in trade and economic policy to his role, having served in the Department of Commerce in New Delhi as Director (Trade Policy) and twice at the Permanent Mission of India to the World Trade Organisation, including as India's Deputy Permanent Representative from 2014-2016. Shri Dalela has served in the United States in different capacities: as India's Consul General in Chicago (2019-2020); as Minister for Political Affairs (2011-2014), and as the Deputy Chief of Mission (2020-2022) at the Indian Embassy in Washington D.C. He has assumed responsibilities as Secretary (Economic Relations) in the Ministry of External Affairs on 1 September 2025. In his current capacity, he handles India's economic diplomacy; development partnership with countries in the Global South; partnership with Africa; multilateral economic relations; and new and emerging strategic technologies. He is India's Sherpa for BRICS, IBSA, and I2U2.
Shri Suchindra Misra Special Secretary Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry	Shri Suchindra Misra, an officer of the 1992 batch of Indian Defence Accounts Service, has held the position of Special Secretary, Department of Commerce from 1st January, 2026. In addition to various positions in the Defence Accounts Department, he has served as Joint Secretary and Additional Secretary in the Department of Financial Services as also as Deputy Secretary and Director in the Department of Disinvestment (now DIPAM) and the Department of Expenditure, in the Ministry of Finance, Government of India. Shri Misra has earlier served as Government Nominee on the Boards of Public Sector banks, insurance companies and financial institutions as also of financial sector regulatory bodies. He is an alumnus of Delhi University and XLRI - Xavier School of Management, Jamshedpur.
Ms. Himani Pande Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry	Ms. Himani Pande is the Additional Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade handling divisions of Intellectual Property, Foreign Direct Investment, Government Procurement and International Trade Agreements. She holds a Master's Degree of Science in Public Management and Governance from the London School of Economics and Political Science. A 1998 batch IAS officer, Ms. Pande has worked in the state of Jharkhand in various capacities both at the cutting edge of implementation as well as in public policy planning.

Director Details	Brief Profile
Dr. Abhijit Phukon Economic Adviser, Department of Financial Services, Ministry of Finance	Dr. Abhijit Phukon is an officer of 2004 batch of Indian Economic Service, presently serving as Economic Adviser and Chief Information Security Officer (CISO) in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India. Academically, he holds PhD in Finance, Master in Economics, and Post Graduate Diploma in HRD and Marketing. He has published a number of research papers on various issues related to economics, management and finance in internationally reputed Journals. Professionally, he brings in over twenty years of academic, research and cross-cutting governance experience in public policy. He brings in domain knowledge and expertise in sustainable finance, CSR/SDGs/ESG, corporate governance, regulatory and compliance, energy and power sector, infrastructure and Public Private Partnership (PPP), international trade etc. Dr. Phukon worked with Ministry of Finance, Ministry of Corporate Affairs, Ministry of Power, Ministry of Commerce and Industry at various capacities including as Secretary, National Financial Reporting Authority (NFRA). While being in service in the Government, he instituted large scale reforms and policy frameworks in the economic and social sectors.
Ms. Sakshi Mittal Joint Secretary, Department of Economic Affairs	Ms. Sakshi Mittal is the Joint Secretary, Department for Economic Affairs handling Administrative matters and Bilateral cooperation with North America, Europe and countries namely, United Kingdom, Germany, France and Russia besides Policy matters of bilateral cooperation and India Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS). She has a varied experience in conceptualization and implementation of development works having served as Deputy Commissioner in Nicobar and North Delhi and as Additional Commissioner in Municipal Corporation of Delhi. She has experience of HR matters at senior management level of Government of India, having served in the Department of Personnel & Training as Director from 2024-2026. Sakshi Mittal, an IAS officer from the 2010 batch of the A G M U T cadre. She holds a master's degree of Economics.
Shri Arnab Kumar Chowdhury Executive Director, Reserve Bank of India (RBI)	Shri Arnab Kumar Chowdhury joined Reserve Bank of India in 1994. He has worked extensively in the area of supervision of financial entities. He has also worked in the areas of corporate strategy, budgeting, accounting etc. He has served as member of several committees and working groups and has been contributing to policy formulation. Prior to being promoted as Executive Director, Shri Chowdhury was heading the Department of Supervision as Chief General Manager-in-Charge in RBI. Shri Chowdhury was appointed as Executive Director with effect from June 3, 2024. As Executive Director, Shri Chowdhury is looking after Foreign Exchange Department, International Department and Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.
Shri Rakesh Sharma Managing Director & CEO, IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma is the Managing Director & Chief Executive Officer of IDBI Bank Ltd. Prior to this, Shri Sharma served as MD & CEO of Canara Bank and Lakshmi Vilas Bank. While in Canara Bank, he also held the position of Chairman in the group companies of Canara Bank. Shri Sharma held the position of Chief General Manager in State Bank of India [SBI] before moving to Lakshmi Vilas Bank Ltd in 2014. He has more than 33 years' experience in SBI, holding key positions, which included Head of mid corporate accounts in Andhra Pradesh region, supervising retail operations in the States of Rajasthan, Uttarakhand & Western UP, banking operations in International Banking Group, credit assignments in specialized branches/ administrative offices, etc. He is a Postgraduate in Economics and a CAIIB.

Director Details	Brief Profile
Shri Sristiraj Ambastha Chairman-cum-Managing Director, ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha is the Chairman-cum-Managing Director of ECGC Limited since 16.12.2024. He was Executive Director in ECGC Limited since 01.09.2023 and Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge) since 01.11.2023. His 28-year career in ECGC, the premier export credit agency of India, spans a broad range of areas in both the short-term and medium-term and long-term lines of businesses, ranging from product and policy development, marketing, audit and compliance, human resource development, training, underwriting methods, international relations, and the launch of the new generation information technology platform of ECGC. As the head of International Relations, he has been key to ECGC's interactions at various bilateral and multilateral forums. He has represented ECGC at various international forums. He has been a speaker at many national and international conferences. Shri Ambastha is a Whole-Time Director on the Board of ECGC as well as the Managing Trustee of the National Export Insurance Account (NEIA), set up by the Government of India to promote project exports. In July, 2024, he has been appointed as Alternate Director on the Board of African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI), Kenya representing Republic of India through ECGC Limited. Shri Ambastha has served as the Chief Vigilance Officer (CVO) of ECGC during the period 2020 to 2023. During his tenure as the CVO, he took a lot of initiatives to ensure greater transparency in the systems and processes of the company. He holds a Master's Degree in Political Science along with a professional qualification of MBA in Marketing and Post Graduate Diploma in Human Resource Management.
Shri Challa Sreenivasulu Setty Chairman, State Bank of India	Shri Challa Sreenivasulu Setty took over charge as Chairman on 28 August 2024. He joined the Board of SBI as Managing Director in January 2020 and headed Retail & Digital Banking vertical from year 2020 till 2022 and International Banking, Global Markets & Technology portfolio of the Bank thereafter. He has also been heading various task forces/committees formed by the Government of India. A Bachelor of Science in Agriculture and also, a Certified Associate of Indian Institute of Bankers, he started his career with State Bank of India in 1988 as a Probationary Officer. Across a career spanning over three decades, he has rich experience in Corporate credit, Retail, Digital and International banking and banking in developed markets. Shri Setty has held key assignments in State Bank of India in Stressed Assets Management, Corporate banking, Mid-Corporate banking, global markets, technology and Syndications both in India and abroad.
Shri Ashwani Kumar MD & CEO, UCO Bank	Shri Ashwani Kumar is a Chartered Accountant, Post Graduate in Commerce and also a certified member of Indian Institute of Banking and Finance. He has more than two decades of rich experience in banking. Shri Ashwani Kumar rose through the ranks serving in various Public Sector Banks such as Bank of Baroda, Corporation Bank, Oriental Bank of Commerce, Punjab National Bank and Indian Bank. His experience includes Wholesale Banking Division and Head of several Branches including Industrial Finance Branches and Large Corporate Branches. As a General Manager, he was heading Mid Corporate and Large Corporate verticals. He has served as a Zonal Manager, heading various Zones and also as the Chief Finance Officer (CFO). As an avid learner, he has attended various training programs in premier institutes in India and abroad including IIM and CAFRAL. He has also completed the Leadership Development Programme of IIM Bangalore, curated by the Banks Board Bureau in consultation with IBA and Egon Zehnder International Pvt. Ltd. Prior to joining UCO Bank as MD & CEO, he was Executive Director of Indian Bank.

Director Details	Brief Profile
Shri Rajneesh Karnatak Managing Director & CEO Bank of India	Shri Rajneesh Karnatak has assumed charge as Managing Director & Chief Executive Officer of Bank of India on 29th April, 2023. He was Chief General Manager of Punjab National Bank until his appointment as Executive Director in Union Bank of India from October 21, 2021. He is a Post-Graduate in Commerce (M. Com) and is a Certified Associate from Indian Institute of Bankers (CAIIB). Shri Karnatak has a rich banking experience of over 31 years and carries varied branch and administrative office experiences. He has headed verticals such as Credit Monitoring, Digital Banking and Mid Corporate Credit. He has also headed Credit Review & Monitoring Division and also Corporate Credit Division in Punjab National Bank. Shri Karnatak has attended various training and Leadership Development Program from IIM-Kozhikode & JNIDB Hyderabad and has also taken part in Advance Management Programme at IMI (International Management Institute) Delhi & IIBF (Indian Institute of Banking & Finance). He was a part of 1st batch of Senior Officers selected by Bank Board Bureau for Leadership Development Program of IIM Bangalore & Egon Zehnder. He is experienced in credit appraisal, including project and working capital funding, with strong expertise in Risk Management and a specific focus on Credit Risk. Shri Karnatak has served as Non-Executive Chairman of UBI Services Ltd., on behalf of Union Bank of India. He has also served as Non- Independent Non-Executive Director on the Board of UBI (UK) Limited. He was a member of the Governing Board of Indian Institute of Bank Management (IIBM) Guwahati. He has served as Nominee Director on behalf of Punjab National Bank on the Board of PNB Housing Finance Ltd., and India SME Asset Reconstruction Company Limited. He also served as Board Trustee on IAMCL (IIFCL Asset Management Co. Ltd). Shri Karnatak is serving as Chairman of IBA Negotiation Committee, IBA Standing Committee on HR & IR, IBA Sectoral Committee on IFSC GIFT City – Banking Units of IBA, Finance Committee of IBPS, Administrators of IBPS Employees Provident Fund, IBPS Governing Board. Further he is serving as Alternate Chairman of IBA Standing Committee on Agriculture & Allied Activities and serving as member of IBA Managing Committee, NIBM Governing Board, NIBM Campus Committee, NIBM Finance Committee and CII's National Committee on Banking.
Ms. Harsha Bangari Managing Director	Ms. Harsha Bangari is the Managing Director of Export-Import Bank of India (Exim Bank), bringing over three decades of experience in cross-border finance and banking. Since joining Exim Bank in 1995, she has held key leadership roles across diverse functions including treasury and accounts, overseas investment finance, corporate banking, management information systems, risk management, and project finance. In 2018, Ms. Bangari was appointed as the Bank's Chief Financial Officer. Two years later, she became the first woman to serve as Deputy Managing Director of the Bank. In 2021, she was elevated to the position of Managing Director. A Chartered Accountant by qualification, Ms. Bangari holds a Bachelor's degree in Commerce from Mumbai University. She is an alumna of the Women's Senior Leadership Program at the Kellogg School of Management (2018 batch) and has participated in several advanced training programs in India and abroad. She possesses basic proficiency in Spanish and French, and her insights on international capital markets, liability management and project finance are often sought in national and international seminars.

Director Details	Brief Profile
Shri Tarun Sharma Deputy Managing Director	Shri Tarun Sharma is the Deputy Managing Director of Exim Bank. Prior to this, he was the Chief Financial Officer (CFO) of the Bank and also led the Bank's technology initiatives. He has a bachelor's degree in engineering, followed by a postgraduate programme in management studies, and an advanced executive management programme. He has over two decades of global experience in trade, competitiveness, industry and infrastructure development and policy. Prior to his stint as the CFO, Shri Tarun Sharma was heading the Bank's New Delhi Office, with responsibilities covering structuring finance for enhancing capability of Indian companies; supporting socio-economic development projects in partner countries; handling government affairs and contributing to policy formulation. During this time, Shri Tarun Sharma was also responsible for launching a new initiative 'Ubharte Sitaare Programme' to identify enterprises that have latent potential by way of technology, product or process, and support them through a mix of debt, equity and technical assistance. Shri Sharma has, over the past two decades, worked across various functional groups across the Bank, including the Bank's policy business, strategy formulation and a stint as the Executive Assistant to the Chairman. He has also served as the Bank's Resident Representative (Americas) based in Washington DC, followed by a stint as a consultant with the World Bank's Capacity Development and Partnerships Unit. Shri Sharma has authored a book 'Project Exports: Connecting Continents with Indian Expertise', exploring the instrumental role that project exports are capable of playing in India's quest for a sustainable rapid economic growth. He has a bachelor's degree in engineering from Pune, followed by a postgraduate programme in management studies from Mumbai, and an advanced executive management programme from Cornell University in the U.S.
Ms. Deepali Agrawal Deputy Managing Director	Ms. Deepali Agrawal is the Deputy Managing Director of India Exim Bank. Prior to this she was the Chief Financial Officer of the Bank. With close to three decades of experience, she has worked in different capacities, at both domestic and international offices of the Bank. Having worked in diverse areas like treasury and accounts, corporate banking, project exports, communications and brand management, upliftment of grassroots enterprises, human resources management and recovery, she has successfully delivered the organisational goals. She represented the Bank while heading the Bank's Western Region and Singapore Representative Office. Ms. Agrawal is a qualified assessor for the Confederation of Indian Industry-Exim Bank Award for Business Excellence, which was instituted with the aim of enhancing the competitiveness of Indian companies. As a nominee director, she has been on the Board of several companies in diverse sectors. She has participated as a working group member at government-level committees related to policy development, contributing to policy evolution across diverse areas. Her key achievements include enhancing the Bank's brand image and visibility, besides the upliftment of the grassroots level artisans and women empowerment, through ideating, conceptualising, and implementing new initiatives. She has contributed towards building the assets, raising resources, increasing income and has been instrumental in making substantial recoveries for the Bank. Ms. Agrawal joined the Bank in 1995 after completion of her master's in management studies, with a specialisation in finance, from the Jamnalal Bajaj Institute of Management Studies, Mumbai. She attended the Kellogg School of Management's Senior Leadership Program and has also undergone the Leadership Development Programme for Senior Management of Public Sector Banks organised by Banks Board Bureau in association with IIM Bangalore.

COMPLIANCE WITH BANK'S CODE OF CONDUCT

The Directors on the Bank's Board and Senior Management have affirmed compliance with the Bank's Code of Conduct for the financial year 2025-26. Declaration to this effect by the Managing Director is annexed to this Report as "Annexure-I".

COMPLIANCE CERTIFICATE ON FINANCIAL STATEMENTS

The Managing Director and the Chief Financial Officer of the Bank have given certification on financial statements for FY 2025-26 in line with the provisions of Regulation 62D (14) of Listing Regulations and is annexed to this Report as "Annexure-II".

SECRETARIAL AUDIT

Pursuant to Regulation 24A of Listing Regulations, the Bank had appointed M/s. Ragini Chokshi & Co., Company Secretaries, Mumbai as a Secretarial Auditor. Accordingly, the Secretarial Auditor has undertaken the Secretarial Audit for FY 2025-26. The Secretarial Audit Report for FY 2025-26 is annexed to this Report as "Annexure-III". Additionally, Annual Secretarial Compliance Report is annexed to this Report as "Annexure-IV".

COMPLIANCE CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

In compliance with Para E of Schedule V of the Listing Regulations, the Bank has obtained a Certificate from M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai, w.r.t compliance of conditions of Corporate Governance, annexed to the Corporate Governance Report as "Annexure-V".

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

In compliance with Para C(10)(i) of Schedule V of Listing Regulations, the Bank has obtained a certificate from M/s. Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries, Mumbai, certifying that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors by the Securities and Exchange Board of India (SEBI)/Ministry of Corporate Affairs (MCA) or any such statutory authority, annexed to the Corporate Governance Report as "Annexure-VI".

MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The dates for the Board meetings are decided well in advance and communicated to the Directors. Board members are given agenda papers with necessary documents and information in advance of each meeting for the Board and Committee(s). The Board periodically reviews compliance reports with respect to laws and regulations applicable to the Bank. The recommendations of the Committees are placed before the Board for necessary approvals.

The meetings of the Board of Directors are generally held at the Bank's Head office at Mumbai and Directors of the Bank are also provided with video conferencing facility so as to participate in Board / Committee meetings. During FY 2025-26, the Board of Directors met 7 (Seven) times on the following dates: (i) May 09, 2025 (ii) July 14, 2025 (iii) August 06, 2025 (iv) September 25, 2025 (v) November 13, 2025 (vi) February 05, 2026 and (vii) March 24, 2026.

The gap between any two consecutive Board Meetings has not exceeded 120 days.

The details of meetings of the Board for FY 2025-26 are given below:

Name of the Director	Category*	No. of Board Meetings during the FY 2025-26		No. of Directorships/ Committee Memberships/ Chairmanships		
		Held	Attended	Directorships	Committee Memberships**	Committee Chairmanship**
Harsha Bangari, Managing Director (MD)	Executive	7	7	1	2	0
Shri Tarun Sharma, Deputy Managing Director (DMD)	Executive	7	7	1	1	0

Name of the Director	Category*	No. of Board Meetings during the FY 2025-26		No. of Directorships/ Committee Memberships/ Chairmanships		
		Held	Attended	Directorships	Committee Memberships**	Committee Chairmanship**
Ms. Deepali Agrawal, Deputy Managing Director (DMD)	Executive	7	7	1	1	0
Shri Dammu Ravi	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	3	1	-	-	-
Shri Sudhakar Dalela	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	3	1	1	0	0
Shri Suchindra Misra	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	1	1	1	0	0
Ms. Himani Pande	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	7	6	1	0	0
Shri Siddharth Mahajan	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	6	2	-	-	-
Ms. Aparna Bhatia	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	7	5	1	1	0
Dr. Abhijit Phukon	Non- Executive/ GOI Nominee/ Independent	7	5	2	1	0
Shri Arnab Kumar Chowdhury	Non- Executive/ Independent	7	5	1	0	0
Shri Rakesh Sharma	Non- Executive/ Independent	7	3	2	2	1
Shri Sristiraj Ambastha	Non- Executive/ Independent	7	5	1	2	0
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non- Executive/ Independent	7	3	4	2	0
Shri M.V. Rao	Non- Executive/ Independent	2	0	-	-	-
Shri Ashwani Kumar	Non- Executive/ Independent	7	3	2	2	1
Shri Rajneesh Karnatak	Non- Executive/ Independent	4	2	2	2	0

*As per the Regulation 16(1)(b) of Listing Regulations, "Independent Director" means a Non-Executive Director, other than a nominee director of the listed entity.

Explanation - In case of a "high value debt listed entity": (a) which is a body corporate, mandated to constitute its Board of Directors in a specific manner in accordance with the law under which it is established, the non-executive directors on its Board shall be treated as independent directors.

** For the purpose of determination of limit of chairpersonship and membership in the committees, chairpersonship and membership of the directors in Audit Committee and the Stakeholders' Relationship Committee has been considered.

Notes:

- None of the Directors on the Board is a Director/Independent Director of more than 7 listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
- None of the Whole-time Director / Managing Director is an Independent Director in more than three listed entities, whose equity shares are listed on a Stock Exchange.
- None of the Directors on the Board is a member of more than 10 Committees and Chairman of more than 5 Committees, across all the companies in which he/she is a Director.
- To the best of our knowledge, there is no relationship between directors inter-se.
- None of the Non-Executive Directors hold Securities of the Bank as on March 31, 2026.

6. Other Directorships in Listed entities, as on March 31, 2026 (only whose equity shares are listed) where a Board Member of the Bank is a Director, are as under:

Details of Directorship in other listed entity(s) as on March 31, 2026

Name of the Director	Directorship in listed entity(s)	Category of Directorship/ Chairmanship	Chairperson / Membership in Audit Committee (AC) / Stakeholders Relationship Committee (SRC)
Dr. Abhijit Phukon	Bank of Maharashtra	Government Nominee Director	Nil
Shri Rakesh Sharma	IDBI Bank Limited	Managing Director and CEO	Nil
Shri Challa Sreenivasulu Setty	1. State Bank of India 2. SBI Life Insurance Co. Ltd. 3. SBI Cards & Payments Services Ltd.	1. Chairman- Executive 2. Chairman- Non-Executive 3. Chairman- Non-Executive	Nil Nil Nil
Shri Ashwani Kumar	UCO Bank	Managing Director and CEO	Nil
Shri Rajneesh Karnatak	Bank of India	Managing Director and CEO	Nil

FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS:

The Bank has arranged the Information / Cyber Security Awareness Programmes for the Directors of the Bank in compliance with Regulation 62N(8) of Listing Regulations during FY 2025-26. The details of the familiarisation programmes attended by the Directors are available on the Bank's website at <https://www.eximbankindia.in/investor-relation>.

SKILLS/ EXPERTISE/ CORE COMPETENCIES OF THE BOARD

In line with the requirements of the Listing Regulations, the Board has identified a set of core skills, expertise, and competencies necessary for the effective functioning of the Bank, considering the nature of its business and the sectors in which it operates. The brief profile of all the Directors is mentioned in the para 2 "Board of Directors".

COMMITTEES OF BOARD OF DIRECTORS

The Board of the Bank has constituted various Committees with a view to provide direction and supervise the business affairs of the Bank. The meetings of various committees of the Board are convened in accordance with the provisions of Exim Bank Act, Exim Bank General Regulations, Listing Regulations and other applicable laws. As on March 31, 2026, the various committees of the Bank are as under:

1. Management Committee (MC)
2. Audit Committee (AC)
3. Risk Management Committee (RMC)

4. Information Technology Strategy Committee (ITSC)
5. Stakeholders Relationship Committee (SRC)
6. Human Resources Committee (HRC)
7. Oversight Committee for Policy Business (OCPB)
8. Special Committee on Monitoring and Follow up of cases of Frauds (SCMFF)
9. Corporate Social Responsibility Committee (CSRC)
10. Review Committee for Classification of Borrower as Wilful Defaulter (RCCWD)
11. Remuneration Committee (RC)

The Bank's guidelines relating to conduct of Board meetings are applicable also to the committee meetings as far as practicable. Senior officers/ functional heads of Bank are invited to present agenda to the Committee in its meeting.

1. MANAGEMENT COMMITTEE (MC)

The Management Committee is the Board Sub-Committee that has the mandate of sanctioning commercial credit exposures which are beyond the powers of internal Committees of the Bank viz. the Executive Committee and the Credit Committee. The MC met 8 (Eight) times during FY 2025-26 i.e. on (i) June 04, 2025 (ii) July 18, 2025 (iii) August 13, 2025 (iv) September 23, 2025 (v) November 11, 2025 (vi) December 18, 2025 (vii) January 29, 2026 and (viii) March 12, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure in the Bank are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	8	6
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	8	5
Shri M.V. Rao	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.07.2025	2	1
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	8	0
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	8	4
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	5	2
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	8	8
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	8	8
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	8	8

The composition of the Management Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Chairman	Vacant
6(1)(a)	Managing Director (MD)	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	Two Deputy Managing Directors (DMDs)	Shri Tarun Sharma Ms. Deepali Agrawal
6(1)(c)	Director nominated by of IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Two Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

2. AUDIT COMMITTEE (AC)

The Audit Committee of the Board provides direction to the total audit function of the Bank to enhance its effectiveness as a management tool and to follow-up on all issues raised in the statutory, external, internal and concurrent audit reports and RBI inspection reports.

The Audit Committee reviews the quarterly, half yearly and annual financial statements before submission of the same to the Board.

The Committee is entrusted with the responsibility of overseeing the functioning of the Internal Audit Group of the Bank and reviewing its major observations, providing guidance in matters relating to finalisation of accounts of the Bank and observations made in RBI Inspection report. The Audit Committee met 6 (Six) times during FY 2025-26 i.e. on (i) May 06, 2025 (ii) August 06, 2025 (iii) November 12, 2025 (iv) December 18, 2025 (v) February 03, 2026 and (vi) March 24, 2026. The maximum gap between two meetings was not more than 120 days.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non- Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	4	2
Shri Sristiraj Ambastha	Non- Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	6
Shri Rakesh Sharma	Non- Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	4
Shri M.V. Rao	Non- Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.07.2025	1	1
Shri Ashwani Kumar	Non- Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	6
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non- Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non- Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	4	1

The composition of the Audit Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(c)	Director nominated by Nominee of IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e) (i)	One Director nominated by the Central Government	Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

3. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

The Risk Management Committee is responsible for implementing the Risk Management Policy of the Bank, monitoring adherence to various risk limits specified by the Reserve Bank of India / Board, evaluation of overall risks faced in the activities of the Bank and also reviewing the roles and responsibilities of other internal Risk Management Committees. The various policies of the Bank which are reviewed and approved by the Board, would first be put up to the RMC for review and recommendation to the Board.

The Risk Management Committee met 6 (six) times during FY 2025-26 i.e. on (i) May 06, 2025 (ii) August 06, 2025, (iii) September 23, 2025, (iv) November 12, 2025, (v) February 03, 2026 and (vi) March 24, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure in the Bank are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	3	2
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	6

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	4
Shri M.V. Rao	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.07.2025	1	1
Shri Ashwani Kumar	Non-Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	2
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non-Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	6	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non- Executive / Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	4	1
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	6	6
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	6	6

The composition of the Risk Management Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(aa)	Two Deputy Managing Directors (DMDs)	1. Shri Tarun Sharma 2. Ms. Deepali Agrawal
6(1)(c)	Director nominated by Nominee of IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e) (i)	One Director nominated by the Central Government	Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

4. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

The Information Technology Strategy Committee (ITSC) shall primarily oversee and steer the Bank's Information Technology initiatives with appropriate policy direction and implementation strategy aligned with the extant regulatory guidance, to the extent applicable to the Bank. The goals, objectives, scope and responsibility of the ITSC is to ensure robust IT governance and Information security governance, cybersecurity objectives and availability of budgetary allocations to develop the Bank's digital initiatives. The ITSC met 4 (Four) times during FY 2025-26 i.e. on (i) June 16, 2025 (ii) September 24, 2025 (iii) December 18, 2025 and (iv) March 23, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	2	1
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	2

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	2
Shri M.V. Rao	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.07.2025	1	1
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	1
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	3	3
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	05.02.2026 to 31.03.2026	1	1
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4

The composition of the Information Technology Strategy Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	Two Deputy Managing Directors (DMDs)	1. Shri Tarun Sharma 2. Ms. Deepali Agrawal
Any three of the following :		
6(1)(c)	Director nominated by IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e) (i)	One Director nominated by the Central Government	Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

5. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

The Board of the Bank, at its meeting dated March 21, 2024, has constituted the Stakeholders Relationship Committee. The role of the SRC is to address matters of interest and grievances, if any of the debt security holders of the Bank. The SRC met once in FY 2025-26 i.e. on November 13, 2025. The details of attendance of the Directors at the meeting of the Committee held during their respective tenure is as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	06.08.2025 to 31.03.2026	1	1

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	1	0
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	05.02.2026 to 31.03.2026	0	0
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

The composition of Stakeholders Relationship Committee as on May 08, 2026 is as under.

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	Two Deputy Managing Directors (DMDs)	1. Shri Tarun Sharma 2. Ms. Deepali Agrawal
Any three of the following:		
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(i)	One Director nominated by the Central Government	Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

Name and Designation of Compliance Officer: Ms. Siddhi Keluskar, Compliance Officer

The details regarding number of complaints received and disposed during the financial year:

Details of the complaints / requests during Financial Year 2025-26:	1. No. of Investor complaints pending at the beginning of the Year- Nil 2. No. of Investor complaints received during the Year- Nil 3. No. of Investor complaints disposed of during the Year- Nil 4. No. of Investor complaints unresolved at the end of the Year- Nil

6. HUMAN RESOURCES COMMITTEE (HRC)

As stipulated by the Board and in keeping with the Bank's commitment to robust corporate governance principles, the HRC was constituted to ensure focused guidance to the Bank on HR practices, its primary responsibility being reviewing and making recommendations to the Board on matters pertaining to the Bank's HR policies. The HRC met 4 (Four)

times during FY 2025-26 i.e. on (i) June 16, 2025 (ii) July 14, 2025 (iii) September 24, 2025 and (iv) March 23, 2026. The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	3
Shri M.V. Rao	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.07.2025	2	2
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	06.08.2025 to 31.03.2026	2	1
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	0
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	4	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	2	2
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	05.02.2026 to 31.03.2026	1	1
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	4	4

The composition of the Human Resources Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	One Deputy Managing Director (DMD)	Shri Tarun Sharma
Any three of the following:		
6(1)(c)	Director nominated by IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(i)	One Director nominated by the Central Government	Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	Three Directors from scheduled banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

7. OVERSIGHT COMMITTEE FOR POLICY BUSINESS (OCPB)

The OCPB was constituted by the Board in March 2023, for monitoring and steering the Bank's policy business (Lines of Credit, Concessional Financing Scheme) initiatives and matters related thereto. The OCPB met 3 (Three) times during FY 2025-26 on (i) August 04, 2025 (ii) February 04, 2026 and (iii) March 20, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Sudhakar Dalela	Non - Executive/ Independent	25.09.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Dammu Ravi	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.08.2025	1	1
Ms. Aparna Bhatia	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 18.08.2025	1	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	2	1
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3

The composition of the Oversight Committee for Policy Business as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Chairman	Vacant
6(1)(a)	Managing Director (MD)	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	One Deputy Managing Director (DMD)	Ms. Deepali Agrawal
6(1)(e)(i)	Three Directors nominated by the Central Government being Central Government officials	1. Shri Sudhakar Dalela 2. Ms. Aparna Bhatia 3. Dr. Abhijit Phukon
6(1)(e)(ii)	One of the three Directors from Scheduled Banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak

8. SPECIAL COMMITTEE FOR FOLLOW UP AND MONITORING OF FRAUDS (SCMFF)

The SCMFF reviews the accounts classified as 'Fraud' and provides guidance regarding action to be taken based on the review. The SCMFF met 3 (Three) times during FY 2025-26 i.e. on (i) August 06, 2025; (ii) November 13, 2025 and (iii) February 05, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	0

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	3	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	2	1
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	3	3

The composition of the Special Committee for Follow Up and Monitoring of Frauds as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director	Ms. Harsha Bangari
6(1)(e)(ii)	Any two members from the Audit Committee of the Board (ACB)	Composition of Audit Committee as on May 08, 2026, 2026 may be referred at Sr. No. 2 "Audit Committee"
6(1)(e)(iii)	Any two members from the Board excluding the RBI nominee	Composition of Board as on May 08, 2026 may be referred at para namely "Board of Directors"

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSRC)

As stipulated by the Ministry of Corporate Affairs, vide circular no 14/2021, and in keeping with the Bank's commitment to robust corporate governance principles and adherence to best practices adopted for undertaking, reviewing, recommending its CSR initiatives, the CSRC was constituted by the Board to ensure focused supervision to guide these endeavours. The CSRC met 2 (Two) times during FY 2025-26 i.e. on (i) September 23, 2025 and (ii) March 23, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	2	1
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	2	1
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	2	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	2	1
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Shri Tarun Sharma, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2
Ms. Deepali Agrawal, DMD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	2	2

The composition of the Corporate Social Responsibility Committee as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director (MD)	Ms. Harsha Bangari
6(1)(aa)	Two Deputy Managing Directors (DMDs)	1. Shri Tarun Sharma 2. Ms. Deepali Agrawal
Any two of the following:		
6(1)(c)	Director nominated by IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(ii)	Three Directors from Scheduled Banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Four Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

10. REVIEW COMMITTEE FOR CLASSIFICATION OF BORROWER AS WILFUL DEFAULTER (RCCWD)

RCCWD reviews the proposal made by the Identification Committee for classification of Borrower / Guarantor/ concerned persons etc. as wilful defaulters. The RCCWD met once in FY 2025-26 i.e. on March 27, 2026.

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	1	0
Ms. Harsha Bangari, MD	Executive	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1

The composition of the Review Committee for Classification of Borrower as Wilful Defaulter as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(a)	Managing Director (MD)	Ms. Harsha Bangari
Any two of the following:		
6(1)(c)	Director nominated by IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Directors nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(ii)	Directors from Scheduled Commercial Banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof	Vacant

11. REMUNERATION COMMITTEE (RC)

The Board at its meeting held on March 22, 2024 constituted the Remuneration Committee to address matters pertaining to the performance review and incentives of the Bank's whole time directors (WTDs) and other senior executives with direct reporting to the Managing Director or the Board Sub-committees. RC met once in FY 2025-26 i.e. on March 23, 2026.

The details of attendance of the Directors at the meetings of the Committee held during their respective tenure in the Bank are as under:

Name of the Director	Category	Period	No. of Meetings held during the Tenure of directorship	No. of Meetings attended
Dr. Abhijit Phukon	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Sristiraj Ambastha	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	1
Shri Rakesh Sharma	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Challa Sreenivasulu Setty	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Ashwani Kumar	Non - Executive/ Independent	01.04.2025 to 31.03.2026	1	0
Shri Rajneesh Karnatak	Non - Executive/ Independent	18.08.2025 to 31.03.2026	1	1

The composition of the RC as on May 08, 2026 is as under:

Section	Nature	Name of Director
6(1)(e)(i)	Director representing the Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance, nominated by the Central Government being Central Government officials	Dr. Abhijit Phukon
Any three of the following:		
6(1)(c)	Director nominated by IDBI Bank Ltd.	Shri Rakesh Sharma
6(1)(d)	Director nominated by ECGC Ltd.	Shri Sristiraj Ambastha
6(1)(e)(ii)	Directors from Scheduled Banks	1. Shri Challa Sreenivasulu Setty 2. Shri Ashwani Kumar 3. Shri Rajneesh Karnatak
6(1)(e)(iii)	Directors with special knowledge of, or professional experience in, export or import or financing thereof - in the order of nomination to the Board	Vacant

DETAILS OF INDEPENDENT DIRECTORS (IDs) MEETING

In line with the provisions of sub-regulation (2) of Regulation 62N of Listing Regulations, the Bank was required to conduct a separate meeting of the Independent Directors (IDs), at least once a year, w.e.f. FY 2025-26. Accordingly, the first meeting of IDs was

convened on March 24, 2026, without the presence of Non-Independent Directors and Management, as per the Listing Regulations.

SENIOR MANAGEMENT

The details pertaining to the Senior Management of the Bank are mentioned on page 14 of the Annual Report.

REMUNERATION POLICY

Fees and allowances paid to Directors (as applicable) are as per the provisions of the Exim Bank Act and the Exim Bank General Regulations.

REMUNERATION OF WHOLE-TIME DIRECTORS

The remuneration (inclusive of other allowances/perquisites/performance linked incentive) paid during FY 2025-26 to Ms. Harsha Bangari, Managing Director of the Bank was ₹ 95.61 Lakh (of which ₹ 25.76 Lakhs pertains to performance linked incentive for FY 2020-21 to FY 2023-24) and an amount of ₹ 11.87 Lakh was paid as pension; Shri Tarun Sharma, Deputy Managing Director of the Bank was paid ₹ 61.26 Lakh (of which ₹ 5.24 Lakh pertains to performance linked incentive for FY 2020-21 to FY 2023-24) and Ms. Deepali Agrawal, Deputy Managing Director of the Bank was paid ₹ 58.60 lakh and an amount of ₹ 7.60 Lakh was paid as pension.

Fees payable to the Non-Official Directors of the Bank:

Meetings	Sitting Fees payable per Meeting
Board	₹60,000 (₹10,000 additional for chairing the Board Meeting)
Board Sub - Committee	₹30,000 (₹7,500 additional for chairing the Sub-Committee Meeting)

*Effective from December 04, 2025; Prior to the revision, Sitting Fees payable for Board Meeting ₹40,000 (₹ 10,000 additional for chairing the Board Meeting) and for Sub-Committee Meeting ₹ 20,000 (₹ 5,000 additional for chairing Sub-Committee Meeting).

Note: Executive Directors and Government appointed Officials on the Board of the Exim Bank are not entitled for any sitting fees.

Notes:

- As per the disclosure made by the Directors of the Bank, none of them hold any securities of the Bank as on March 31, 2026;
- Stock options – Not applicable;
- Refer Note 21. Related Party Disclosures of Notes to Accounts of the Financial Statements for information related to Loans outstanding to Whole Time Directors of the Bank as on March 31, 2026.
- As Whole time Directors are appointed by Central Government, notice period and severance fees are not applicable.

MEANS OF COMMUNICATION

The Bank's quarterly/half yearly/yearly financial results are published in the leading Hindi and English newspapers. The financial results for FY 2025-26 were published in Business Standard (English and Hindi – All Editions). The financial results, Press releases and other official news releases are available on Bank's Website (www.eximbankindia.in)

The Bank maintains a dedicated section 'Investor Relations' on its website (www.eximbankindia.in). The website provides the information/ documents required to be placed as per the Listing Regulations, all periodical information, including the statutory filings and disclosures filed with recognised Stock Exchange(s).

GENERAL INFORMATION

The Bank is established and governed by the Export-Import Bank of India Act, 1981 and is wholly owned by the Government of India. However, as the Bank is a high value debt listed entity, the provisions of Listing Regulations are complied to the extent applicable.

1	Annual General Meeting	Not Applicable			
2	Financial Year 2025-26 (April to March)	Review / Adoption of Quarterly / Annual Results for the Quarter / Financial year ended	Date of Board Meeting	Date of Publication	Name of Newspaper
		June 30, 2025 (Quarterly Results)	August 06, 2025	August 07, 2025	Business Standard
		September 30, 2025 (Quarterly and Half Yearly Results)	November 13, 2025	November 14, 2025	Business Standard
		December 31, 2025 (Quarterly Results)	February 05, 2026	February 06, 2026	Business Standard
		March 31, 2026 (Quarterly & Annual Results)	May 08, 2026	May 11, 2026	Business Standard
		Weblink for Quarterly/Annual Results: https://www.eximbankindia.in/investor-relation			
3	Dividend Payment Date	The Bank is wholly owned by Government of India. Balance of Net profits are transferred to the Central Government after adoption of the Financial Statements by the Board of Directors.			
4	Listing on Stock Exchange	The Bank's debt securities are listed on National Stock Exchange of India Ltd., (NSE) Address: Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051. Annual Listing Fee for FY 2025-26 has been paid to National Stock Exchange of India Ltd.			
5	In case the securities are suspended from trading, the Directors report shall explain the reason thereof	Not Applicable			
6	Registrar to an issue and share transfer agents	Datamatics Business Solutions Ltd Address: Plot No. B-5, Part B Cross Lane, MIDC, Andheri (East), Mumbai 400093 Email: sunny_abraham@datamaticsbpm.com Tel: 022-66712001, 022-66719645 The Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis which are listed on stock exchange and all activities in relation to allotment, transfer, and extinguishment are maintained by Datamatics Business Solutions Ltd.			
7	Share transfer system	The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis which are listed on stock exchange and all activities in relation to allotment, transfer and extinguishment are in electronic form only.			

8	Distribution of shareholding & Dematerialisation of shares and liquidity	Not Applicable The Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.
9	Outstanding global depository receipts or american depository receipts or warrants or any convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	Not Applicable The Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.
10	Commodity price risk	Not Applicable
	Or foreign exchange risk and hedging activities	Refer Note 10. Derivatives of Notes to Accounts of the Financial Statements.
11	Plant locations	Not Applicable The Bank's Head office is situated at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005. The Bank has 12 domestic Representative Offices (ROs), 8 Overseas Representative Offices and 1 branch at London. The details of the same are provided on Page No 235 and 236.
12	Address for correspondence	The Bank's Head office is situated at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005.

13	List of all credit ratings obtained by the entity along with any revisions thereto during the relevant financial year, for all debt instruments of such entity or any fixed deposit programme or any scheme or proposal of the listed entity involving mobilisation of funds, whether in India or abroad	Instruments	CRISIL (Reaffirmed)		ICRA (Reaffirmed)	
		Bonds	CRISIL AAA; Stable		ICRA AAA; Stable	
		Long-term Certificate of Deposits	CRISIL AAA; Stable		ICRA AAA; Stable	
		Short-term Certificate of Deposits	CRISIL A1+		ICRA A1+	
		Commercial Paper	CRISIL A1+		ICRA A1+	
		Bank Loan facilities	CRISIL AAA; Stable		ICRA AAA; Stable	
		Term Deposit	CRISIL AAA; Stable		ICRA AAA; Stable	
		Tier 1 Bonds (under Basel III)	CRISIL AA+; Stable		ICRA AA+; Stable	
		Rating Agency	Long term / Short term	Rating	Rating date	Outlook
		Moody's	Long Term	Baa3	03/07/2025	Stable
		Fitch	Long Term	BBB-	13/05/2025	Stable
		S&P	Long Term	BBB	14/08/2025	Stable
		Japanese Credit Rating Agency	Long Term	BBB+	13/02/2026	Stable
		CareEdge	Long Term	BBB+	13/08/2025	Stable

OTHER DISCLOSURES:

1	Disclosures on materially significant related party transactions that may have potential conflict with the interests of listed entity at large	Refer Note 21. Related Party Disclosures of Notes to Accounts of the Financial Statements.
2	Details of non-compliance by the listed entity, penalties, strictures imposed on the listed entity by stock exchange(s) or the board or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years	The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis, which are listed on stock exchange. No penalties, strictures have been imposed on the Bank by stock exchange(s) or the board or any statutory authority.
3	Details of establishment of vigil mechanism [/] whistle blower policy, and affirmation that no personnel has been denied access to the audit committee	The Bank has put in place a Vigil Mechanism and a Board approved Whistle Blower Policy which is available on Bank's website: https://www.eximbankindia.in/investor-relation
4	Details of compliance with mandatory requirements and adoption of the non-mandatory requirements	The Bank is in compliance with the mandatory requirements of Listing Regulations, subject to the provisions of Exim Bank Act, 1981.
5	Web link for the policies as per SEBI Regulations: • Policy on Code of Conduct for Directors and Senior Management. • Policy on Material Subsidiary. • Policy on Materiality of Related Party Transactions. • Policy on Code of Practices and Procedures for Fair Disclosure of Unpublished Price Sensitive Information. • Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by Designated Persons & their Immediate Relatives and for Fair Disclosure.	The Board approved policies are available at: https://www.eximbankindia.in/investor-relation
6	Disclosure of commodity price risks and commodity hedging activities	Not Applicable

7	Details of utilisation of funds raised through preferential allotment or qualified institutions placement as specified under Regulation 32 (7A)	Not Applicable The Bank is wholly owned by Government of India. The Bank issues only Debt Securities which are Unsecured, Redeemable, Taxable, Non-Convertible Securities in the nature of Debenture on Private Placement Basis.
8	Where the board had not accepted any recommendation of any committee of the Board, which is mandatorily required, in the relevant financial year, the same to be disclosed along with reasons thereof Provided that the clause shall only apply where recommendation of / submission by the committee is required for the approval of the Board of Directors and shall not apply where prior approval of the relevant committee is required for undertaking any transaction under these Regulations	Nil
9	Total fees for all services paid by the listed entity and its subsidiaries, on a consolidated basis, to the statutory auditor and all entities in the network firm/network entity of which the statutory auditor is a part	The Bank has paid total fee of ₹35,92,460/- for FY 2025-26 to M/s MKPS & Associates, LLP, Statutory Auditors, in respect of various assignments of the Bank such as annual Statutory Audit, Limited Review of books of accounts, Tax Audit, Fund Audit, various certifications etc.
10	Disclosures in relation to the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013	Number of complaints filed during the financial year - Nil Number of complaints disposed of during the financial year - NA Number of complaints pending as on end of the financial year - NA
11	Disclosure by listed entity and its subsidiaries of Loans and advances in the nature of loans to firms/companies in which Directors are interested by name and amount Provided that this requirement shall be applicable to all listed entities except for listed banks	Not Applicable
12	Details of material subsidiaries of the listed entity; including the date and place of incorporation and the name and date of appointment of the statutory auditors of such subsidiaries	Nil Details of Wholly owned subsidiaries of the Bank: India Exim Finserve IFSC Private Limited (EXIM Finserve), is a wholly owned subsidiary of Export-Import Bank of India which does not qualify as Material Subsidiary as on March 31, 2026.
13	Compliance of Corporate Governance	The Bank has complied with Corporate Governance requirements specified in Listing Regulations to the extent applicable.

Annexure-I

CERTIFICATE / DECLARATION OF THE MANAGING DIRECTOR

[Pursuant to Para D of Schedule V of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

I declare that the Board has laid down the Code of Conduct for all Board Members and Senior Management of the Bank in compliance with Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Code of Conduct is available on the website of the Bank. I further declare that all Board members and Senior Management of the Bank have affirmed their compliance with the Code of Conduct for the year ended March 31, 2026.

Date: May 08, 2026
Place: Mumbai

For Export-Import Bank of India
Sd/-
(Harsha Bangari)
Managing Director

Annexure-II

COMPLIANCE CERTIFICATE

[Pursuant to Regulation 62D (14) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Board of Directors,
Export-Import Bank of India,
Mumbai

In accordance with the requirements of the above-mentioned regulations, this is to certify that:

1. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year ended March 31, 2026. To the best of their knowledge and belief:
 - (a) these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
 - (b) these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and listed entity's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.
2. To the best of our knowledge and belief, there are no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.
3. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting . We have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have disclosed to the auditors and the Audit Committee/Board, deficiencies in the design or operation of such internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.
4. We have indicated to the Auditors and the Audit Committee /Board:
 - (a) significant changes in internal control over financial reporting during the year;
 - (b) significant changes in accounting policies during the year and that the same have been disclosed in the notes to the financial statements;
 - (c) instances of significant fraud,if any, of which we have become aware and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

For Export-Import Bank of India

Sd/-
Ms. Bakhtavar Patel
Chief Financial Officer

Sd/-
Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Date: 08-05-2026
Place: Mumbai

Annexure-III

FORM NO. MR-3

SECRETARIAL AUDIT REPORT

For the period 01-04-2025 to 31-03-2026

[Pursuant to Regulation 24A of the Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members,
EXPORT- IMPORT BANK OF INDIA

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005, Maharashtra

We have conducted the secretarial audit of the compliance by **EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA** (hereinafter called "the Bank"), with applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Bank's books, papers, minute books, and returns filed and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has during the audit period covering 1st April, 2025 to 31st March, 2026 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, and returns filed and other records maintained by the Bank for the audit period April 01, 2025 to March 31, 2026 according to the provisions of:

- i. The Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act");
- ii. The Export-Import Bank of India General Regulations, 2020;
- iii. The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under; **(Not Applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act, 2013)**
- iv. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; (To the extent applicable);
- v. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws Framed thereunder; (To the extent applicable);
- vi. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial borrowing;
- vii. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992; ('SEBI Act'):-
 - a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; **(To the extent applicable)**
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and as amended from time to time; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021; **(To the extent applicable)**
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(To the extent applicable)**
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

- h) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not applicable to the Bank during the period under review)**

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- a) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India. **(Not applicable during the period under review)**
- b) The Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and the Listing Agreements entered into by the Bank with Stock Exchanges; **(To the extent applicable).**

During the period under review, the Bank has complied with the provisions of the Exim Bank Act, Rules, Regulations, Guidelines etc. mentioned above, except the following:

- Pursuant to Section 6(1)(a) of Exim Bank Act, the appointment of the Chairman (Non-Executive) by the Central Government on the Board of Directors is awaited. The meetings of the Board are chaired by the Managing Director appointed under Section 6 (1) (a) of the Exim Bank Act, in accordance with provisions of the Exim Bank Act. However, the Bank maintains active interaction with the Department of Financial Services, Government of India, in order to fill up the vacancies on its Board, on monthly basis.

We further report that

The Board of Directors of Bank is duly constituted as per Section 6 of the Exim Bank Act with positions for Executive Directors and Non- Executive Directors except as stated above and is seen to be compliant with the provisions of SEBI (LODR) Regulations to the extent applicable to the Bank as a high value debt listed entity. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Exim Bank Act and in terms of appointments / nomination orders.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent sufficiently in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

The requisite information / clarification on agenda items, if requested, are provided to the Directors to facilitate meaningful participation at the meeting. The discussions at the relevant meeting are appropriately

recorded and decisions arrived at through consent of all members present.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank, commensurate with the size and operations of the Bank, to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank had no specific events or actions which might have had a bearing on the Bank's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards, etc. except as stated hereunder:

- The Bank on March 18, 2026 has allotted 4,00,000 Unsecured, Redeemable, Non-cumulative, Taxable, Non-convertible Bonds in the nature of Debentures of Face Value of ₹ 1,00,000/- each at par with the Issue Size of ₹ 4,000 Crore on Private Placement basis for coupon rate of 7.23% annually and redeemable at par.
- There were following changes in Directors of the Bank:
 - Cessation of Shri M. V. Rao as Director of the Bank w.e.f. July 31, 2025 due to Completion of the term.
 - Appointment of Shri Rajneesh Karnatak as Director of the Bank w.e.f. August 18, 2025.
 - Cessation of Shri Dammu Ravi as Director of the Bank w.e.f. August 31, 2025 due to Completion of the term.
 - Appointment of Shri Sudhakar Dalela as Director of the Bank w.e.f. September 25, 2025.
 - Appointment of Shri Suchindra Misra as Director of the Bank w.e.f. February 11, 2026 vice Shri Siddharth Mahajan.

For **Ragini Chokshi & Co.**
(Company Secretaries)
Firm Registration No. 92897

Sd/-
Ragini Chokshi
(Partner)
C. P. No: 1436
FCS No: 2390

Place: Mumbai
Date: 08-05-2026

PR Certificate No: 4166/2023
UDIN: F002390H000312073

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure 'A' and forms an integral part of this report.

Annexure "A"

To
The Members,
Export-Import Bank of India
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400005, Maharashtra.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended on March 31, 2026 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of Secretarial record is the responsibility of the Management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these Secretarial records based on our audit.
2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in Secretarial records. We believe that the processes and practices we follow, provide a reasonable basis for our opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Bank.
4. Wherever required, we have obtained the Management representation about the compliance with laws, rules and regulations and happening of events etc.
5. The compliance with the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of the Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
6. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Firm Registration No. 92897

Ragini Chokshi
(Partner)

C.P.No: 1436

FCS No: 2390

PR Certificate No: 4166/2023

UDIN: F002390H000312073

Place: Mumbai
Date: 08-05-2026

Annexure-IV

SECRETARIAL COMPLIANCE REPORT of EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED MARCH 31, 2026

[Under Regulation 24A of Securities and Exchange Board of India
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

We have examined:

- (a) all the documents and records made available to us and explanation provided by **EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA** ("the listed entity"),
 - (b) the filings/ submissions made by the listed entity to the stock exchanges,
 - (c) website of the listed entity,
 - (d) any other document/ filing, as may be relevant, which has been relied upon to make this certification,
- For the year ended March 31, 2026 ("Review Period") in respect of compliance with the provisions of:
- (a) The Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act");
 - (b) The Export-Import Bank of India General Regulations, 2020;
 - (c) Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and
 - (d) Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); **(To the extent applicable)**
- The specific Regulations, whose provisions and the circulars/guidelines issued thereunder, have been examined, include:-
- (a) Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as amended from time to time; **(To the extent applicable)**
 - (b) Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and as amended from time to time; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (c) Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011 and as amended from time to time; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (d) Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (e) Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021 and as amended from time to time; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (f) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021 and as amended from time to time; **(To the extent applicable)**
 - (g) Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Non-Convertible and Redeemable Preference Shares) Regulations, 2021; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (h) Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as amended from time to time; **(To the extent applicable)**
 - (i) Securities and Exchange Board of India (Depositories & Participants) Regulations, 2018; **(To the extent applicable)**;
 - (j) Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021; **(Not Applicable to the Bank during the period under review)**
 - (k) Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009; **(To the extent applicable)**;
 - (l) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **(To the extent applicable)** and circulars/ guidelines issued thereunder;

- (a) The listed entity has complied with the provisions of the above Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder, except in respect of matters specified below:

Sr. No.	Compliance Requirement (Regulations/circulars/ guidelines including specific clause)	Regulation/ Circular	Deviations	Action taken by	Type of action	Details of violation	Fine Amount	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary	Management Response	Remarks

There are no such matters during the year under review

- (b) The listed entity has taken the following actions to comply with the observations made in previous reports:

Sr. No.	Observations/ Remarks of the Practicing Company Secretary (PCS) in the previous reports	Observations made in the Secretarial Compliance report for the year ended March 31, 2025	Compliance Requirement (Regulations/ circulars/ guidelines including specific clause)	Details of violation / Deviations and actions taken /penalty imposed, if any, on the listed entity	Remedial actions, if any, taken by the listed entity	Comments of the PCS on the actions taken by the listed entity

There are no such matters during the year under review

We hereby report that, during the review period the compliance status of the listed entity with the following requirements:

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/No/NA)	Observations/ Remarks by PCS
1	Secretarial Standards: The compliances of the listed entity are in accordance with the applicable Secretarial Standards (SS) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI).	NA	This is not applicable as the Bank is not incorporated under the Companies Act.
2	Adoption and timely updation of the Policies: - All applicable policies under SEBI Regulations are adopted with the approval of board of directors of the listed entities - All the policies are in conformity with SEBI Regulations and has been reviewed & timely updated as per the regulations/circulars/ guidelines issued by SEBI.	Yes	None
3	Maintenance and disclosures on Website: - The Listed entity is maintaining a functional website - Timely dissemination of the documents/ information under a separate section on the website - Web-links provided in annual corporate governance reports under Regulation 27(2) are accurate and specific which re-directs to the relevant document(s)/ section of the website	Yes	None
4	Disqualification of Director: None of the Director of the Company are disqualified under Section 164 of Companies Act, 2013	Yes	The Bank is governed under the Export-Import Bank of India Act, 1981, and hence, the Companies Act, 2013 is not applicable.

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/No/NA)	Observations/ Remarks by PCS
5	Details related to Subsidiaries of listed entities have been examined w.r.t: (a) Identification of material subsidiary companies. (b) Disclosure requirements of material as well as other subsidiaries.	Yes	The Bank does not have any material subsidiary and the Bank has complied with the requirement with respect to disclosures of other subsidiaries.
6	Preservation of Documents: The listed entity is preserving and maintaining records as prescribed under SEBI Regulations and disposal of records as per Policy of Preservation of Documents and Archival policy prescribed under SEBI LODR Regulations, 2015.	Yes	None
7	Performance Evaluation: The listed entity has conducted performance evaluation of the Board, Independent Directors and the Committees at the start of every financial year/during the financial year as prescribed in SEBI Regulations.	Yes	Not applicable as all Directors are appointed/nominated by Government of India in accordance with the Exim Bank Act. The Whole-time Directors are evaluated on the basis of performance evaluation framework with Board approved Key Performance Indicators (KPIs).
8	Related Party Transactions: (a) The listed entity has obtained prior approval of Audit Committee for all Related party transactions. (b) In case no prior approval obtained the listed entity shall provide detailed reasons along with confirmation whether the transactions were subsequently approved/ratified/rejected by the audit committee.	Yes NA	Prior Approval of the Audit Committee is obtained for related party transactions, and the same are reported to the Audit Committee for review on quarterly basis, and are also disclosed in the Annual Report as a part of Notes to Accounts.
9	Disclosure of events or information: The listed entity has provided all the required disclosure(s) under Regulation 30 along with Schedule III of SEBI LODR Regulations, 2015 within the time limits prescribed there under.	NA	Reg. 30 of SEBI LODR Regulations, 2015 is not applicable to the Bank. However, timely disclosures have been submitted as per Regulation 51 of SEBI LODR Regulations, 2015.
10	Prohibition of Insider Trading: The listed entity is in compliance with Regulation 3(5) & 3(6) SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.	Yes	None
11	Actions taken by SEBI or Stock Exchange(s), if any: No action(s) has been taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges (including under the Standard Operating Procedures issued by SEBI through various circulars) under SEBI Regulations and circulars/ guidelines issued thereunder (or) The actions taken against the listed entity/ its promoters/ directors/ subsidiaries either by SEBI or by Stock Exchanges are specified in the last column.	NA	None

Sr. No.	Particulars	Compliance status (Yes/No/NA)	Observations/ Remarks by PCS
12	Resignation of statutory auditors from the listed entity or its material subsidiaries: In case of resignation of statutory auditor from the listed entity or any of its material subsidiaries during the financial year, the listed entity and / or its material subsidiary(ies) has / have complied with paragraph 6.1 and 6.2 of section V-D of chapter V of the Master Circular on compliance with the provisions of the LODR Regulations by listed entities.	No	None
13.	Additional Non-compliances, if any: No additional non-compliances observed for any SEBI regulation/circular/guidance note etc. except as reported above.	No	None

We further, report that the listed entity is in compliance with the disclosure requirements of Employee Benefit Scheme Documents in terms of Regulation 46(2) (za) of the LODR Regulations – Not Applicable.

Assumptions & limitation of scope and review:

1. Compliance of the applicable laws and ensuring the authenticity of documents and information furnished, are the responsibilities of the management of the listed entity.
2. Our responsibility is to report based upon our examination of relevant documents and information. This is neither an audit nor an expression of opinion.
3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of account of the listed entity.
4. This report is solely for the intended purpose of compliance in terms of Regulation 24A (2) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and is neither an assurance as to the future viability of the listed entity nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the listed entity.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Firm Registration No. 92897

Sd/-
Ragini Chokshi
 (Partner)

Place: Mumbai
 Date: 08-05-2026

CP No: 1436
 FCS No: 2390
 PR Certificate No. 4166/2023
 UDIN: F002390H000312117

Annexure-V

CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

[As per Part E of Schedule V of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members
Export-Import Bank of India
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400005, Maharashtra.

We have examined the compliance by Export-Import Bank of India ('the Bank'), with the conditions of Corporate Governance, as stipulated in Regulations 17 to 27/ Chapter VA, clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46/Regulation 62 and paras C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) ("LODR") Regulations, 2015, for the financial year ended March 31, 2026, to the extent as applicable to the Bank as a high value debt listed entity.

The compliance with conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance with the conditions of the Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.

Based on clarification received from concerned officials, the Bank is governed by the Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act") and the Export-Import Bank of India General Regulations, 2020 ("Exim Bank General Regulations"). Thus, the Corporate Governance Structure and compliances are in accordance with specific regulations under SEBI (LODR) Regulations, 2015 to the extent the same are not in conflict with the provisions of Exim Bank Act and Exim Bank General Regulations.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co.
(Company Secretaries)
Firm Registration Number: 92897

Date: 08-05-2026
Place: Mumbai

Sd/-
Ragini Chokshi
(Partner)
FCS No: 2390
CP No: 1436
PR Certificate No: 4166/2023
UDIN: F002390H000312141

Annexure-VI

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

(Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C clause (10)(i) of the SEBI
(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015)

To,
The Members of
Export-Import Bank of India
Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400005, Maharashtra.

We have examined the relevant registers, records, forms, returns and disclosures received from the Directors of **Export-Import Bank of India** (hereinafter referred to as 'the Bank') having its Head Office at Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005, Maharashtra, produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and with the Export-Import Bank of India Act, 1981 ("Exim Bank Act").

In our opinion and to the best of our information and according to the verifications (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal (www.mca.gov.in)) as considered necessary, and explanations furnished to us by the Bank & its officers, We hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank as stated below for the Financial Year ended March 31, 2026 has been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of companies / banks by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Sr. No.	Name of Director	DIN	Date of Appointment in the Bank
1	Ms. Harsha Bangari	01807838	08-09-2021
2	Shri Tarun Sharma	11444776	18-04-2023
3	Ms. Deepali Agrawal	05103218	28-06-2024
4	Shri Sudhakar Dalela	-	25-09-2025
5	Shri Suchindra Misra	01873568	11-02-2026
6	Ms. Himani Pande	03472356	25-05-2023
7	Ms. Aparna Bhatia	09402061	10-11-2023
8	Dr. Abhijit Phukon	-	30-06-2023
9	Shri Arnab Kumar Chowdhury	-	10-10-2024
10	Shri Rakesh Sharma	06846594	21-12-2018
11	Shri Sristiraj Ambastha	10375617	16-11-2023
12	Shri Challa Sreenivasulu Setty	08335249	28-08-2024
13	Shri Ashwani Kumar	10344636	13-05-2024
14	Shri Rajneesh Karnatak	08912491	18-08-2025

The appointment / nomination of every Director on the Board of the Bank is done by the Central Government/ institutions specified in the Exim Bank Act. Our responsibility is to express an opinion on these based on our verification. This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For Ragini Chokshi & Co.
Company Secretaries
Firm Registration Number: 92897

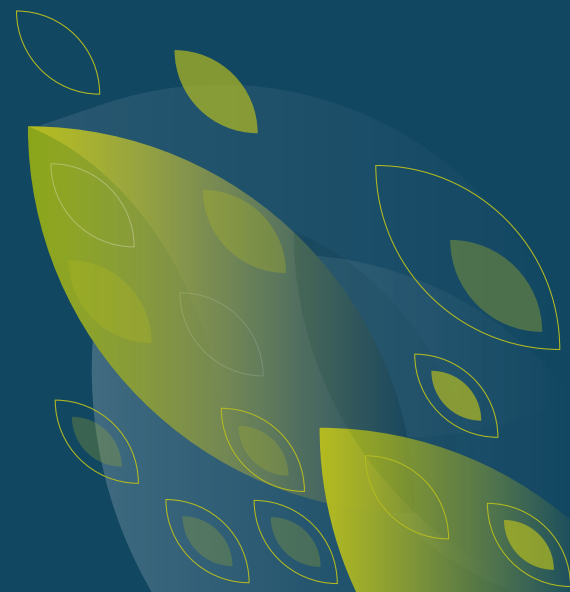
Sd/-
Ragini Chokshi
(Partner)

FCS No: 2390
CP No: 1436

Date: 08-05-2026
Place: Mumbai

PR Certificate No: 4166/2023
UDIN: F002390H000312139

Standalone Financial Statements



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The President of India

Report on the Audited Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Standalone Financial Statements of **General Fund** of "Export-Import Bank of India" ("the Bank"), which comprise the Standalone Balance Sheet as at **March 31, 2026**, the Standalone Profit and Loss account, Statement of Standalone Cash flows for the year then ended and notes to the Standalone Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying Standalone Financial Statements give the information required in accordance with Regulation 14 (i) of EXIM Bank of India General Regulations, 2020 and give a true and fair view, in conformity with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026, and its profit and cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Standalone Financial Statements and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Standalone Financial Statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No	Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
1.	Identification of Non-Performing advances and provisioning of advances: Advances constitute a significant portion of the Bank's assets and the quality of these advances is measured in terms of ratio of Non-Performing Advances ("NPA") to the gross advances of the Bank. The Bank's advances constitute 81.94% of the total assets and the gross NPA ratio of the Bank is 0.57% as at March 31, 2026. The Reserve Bank of India's ("RBI") directives / guidelines on Income recognition, asset classification and Provisioning ("IRACP") prescribe the prudential norms for identification and classification of NPAs and the minimum provision required for such assets. The Bank is also	We performed the following audit procedures, among others, included: - Considering the Bank's policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the IRACP norms of RBI. - Understanding, evaluating and testing the design and operating effectiveness of key controls (including application controls) around identification of impaired accounts based on the extant guidelines on IRACP and additional RBI directives provided solely for the Bank. - Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations / directives of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank and RBI Inspection.

Sr. No	Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
	required to apply its judgement to determine the identification and provision required against NPAs by applying quantitative as well as qualitative factors. The identification of NPAs is affected by factors like stress and liquidity concerns in certain sectors. The provisioning for identified NPAs is estimated based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and other qualitative factors and is subject to the minimum provisioning norms specified by RBI. Additionally, the Bank makes provisions on exposures that are not classified as NPAs including advances in certain sectors and identified advances or group advances that can potentially slip into NPA as per management's assessment & judgement. These are classified as contingency provisions. The Bank has detailed its accounting policy in this regard in Significant Accounting Policies and Notes to Accounts under note I (iii) Asset Classification and Provisioning. Since the identification of NPAs and provisioning for advances require significant level of estimation and given its significance to the overall audit, we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a Key Audit Matter.	- Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. - Examining the early warning reports generated by the Bank to identify stressed loan accounts. - Holding specific discussions with the management of the Bank where there is perceived credit risk and the steps taken to mitigate the risks. - Considering key observations arising out of Risk Based Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank. - Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year. - Assessing the appropriateness and adequacy of disclosures against the relevant accounting standards and RBI requirements relating to NPAs including the additional disclosures required in accordance with the Regulatory Package and Resolution Framework. With respect to provisioning of advances, we performed the following procedures: - Gained an understanding of the Bank's process for provisioning of advances. - Tested on a sample basis the calculation performed by the management for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning. - For loan accounts, where the Bank made provisions which were not classified as NPA, we reviewed the Bank's assessment for these provisions.
2	Contingent Liability for Income Tax: The Bank has material open tax litigations including matters under dispute which involve significant judgement to determine the possible outcome of these disputes. Since the assessment of these open tax litigations requires significant level of judgement, we have included this as a key audit matter.	- Gained an understanding of the Bank's process for determining tax liabilities and the tax provisions. - Reviewed the tax demand by referring to supporting documentation, including correspondence with tax authorities. - Assessed the disclosures within the Standalone Financial Statements in this regard.
3	Information Technology ('IT') Systems and controls for financial reporting The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting: - Performed walkthrough to evaluate the design and operating effectiveness of the Bank's IT systems and controls that are critical to financial reporting. - The Bank has a system in place for getting application software audits for identified Application Systems at reasonable intervals. Information Systems Security Audit is done by Bank at reasonable intervals. - We reviewed key observations arising out of audits conducted on the Bank's IT systems during the year.

Information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon. The Bank's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Standalone Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon. In connection with our audit of the Standalone Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditor's report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, then we will communicate the matter to those charged with governance.

Other Matters

The Bank has 12 (Twelve) domestic Representative Offices (ROs), 8 (Eight) overseas offices and 1 (One) foreign branch. The financial transactions of the domestic and overseas offices are centralised in the accounting system of the Bank. Out of domestic offices, overseas offices and foreign branch, we have visited 4 (Four) domestic offices and 1 (One) foreign branch.

We have reviewed the Risk Based Internal Audit Report up to the quarter ended 31st December, 2025 and Concurrent Audit Reports up to the month ended 31st March, 2026. We understand that the completion of the Risk Based Internal Audit for the quarter ended 31st March, 2026 is still under process and thus the same is not made available to us for our review.

Our opinion on this statement is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Standalone Financial Statements

The Bank's Management is responsible with respect to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the EXIM Bank of India General Regulations, 2020, accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by ICAI, circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Standalone Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Standalone Financial Statements, Management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Government of India either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Standalone Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Standalone Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Standalone Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Standalone Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Standalone Financial Statements, including the disclosures, and whether the Standalone Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements for the financial year ended March 31, 2026 and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement have been drawn up as per Schedules I, II and III of the EXIM Bank of India General Regulations, 2020.

We further report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

- In our opinion proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid standalone financial statements have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books.
- The Standalone Balance Sheet, the Standalone Profit and Loss Account and Standalone Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with Books of Account.
- The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- The accounting statements, information and returns received from the representative offices and a foreign branch of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.
- In our opinion, the aforesaid Standalone Financial Statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.

For **M K P S & Associates LLP**

Chartered Accountants

FRN: 302014E/W101061

CA Ramakrishnan Mani

Partner

Mem No. 032271

UDIN: 26032271GDETX9144

Place: Mumbai

Date: May 08, 2026

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

GENERAL FUND

		This year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
LIABILITIES	SCHEDULES		
1. Capital	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. Reserves	II	134,354,237,925	99,030,833,776
3. Profit & Loss Account	III	4,280,000,000	3,250,000,000
4. Notes, Bonds and Debentures		1,232,092,278,193	1,115,794,296,200
5. Bills Payable		-	-
6. Deposits	IV	766,307,936	903,357,470
7. Borrowings	V	820,200,324,551	675,112,378,035
8. Current Liabilities and Provisions for contingencies		114,544,527,762	86,944,691,544
9. Other Liabilities		70,451,142,914	47,246,854,068
Total		2,535,782,483,162	2,187,376,074,975
ASSETS			
1. Cash & Bank Balances	VI	112,428,312,871	70,154,745,958
2. Investments	VII	212,052,108,915	160,113,210,142
3. Loans and Advances	VIII	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted	IX	141,190,000,000	52,000,000,000
5. Fixed Assets	X	3,351,565,912	3,403,493,792
6. Other Assets	XI	130,160,041,881	96,313,825,276
Total		2,535,782,483,162	2,187,376,074,975
CONTINGENT LIABILITIES			
(i) Acceptances, Guarantees, endorsements and other obligations		139,279,454,733	155,036,824,435
(ii) On outstanding forward exchange contracts		17,805,391,506	13,108,564,859
(iii) On underwriting commitments		-	-
(iv) Uncalled Liability on partly paid investments		221,071,260	194,597,850
(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts		4,504,380,000	3,612,000,000
(vi) Bills for collection		-	-
(vii) On participation certificates		-	-
(viii) Bills Discounted/Rediscounted		-	-
(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable		800,031,916,156	656,232,550,632
		961,842,213,655	828,184,537,776

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Ms. Himani Pande

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

GENERAL FUND

		This Year (2025-26) ₹	Previous year (2024-25) ₹
EXPENDITURE	SCHEDULES		
1. Interest		148,826,191,837	145,546,805,076
2. Credit Insurance, fees and charges		1,063,671,929	921,827,856
3. Staff Salaries, Allowances etc. and Terminal Benefits		1,237,901,664	1,686,909,873
4. Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		-	761,850
5. Audit Fees		1,882,100	1,182,600
6. Rent, Taxes, Electricity and Insurance Premia		486,464,377	452,380,964
7. Communication expenses		54,055,646	52,256,795
8. Legal Expenses		25,490,926	40,990,227
9. Other Expenses	XII	2,107,333,525	1,828,863,697
10. Depreciation		711,369,551	574,451,205
11. Provision for loan losses/contingencies depreciation on investments		(6,058,222,570)	(5,322,978,270)
12. Profit/(Loss) carried down		55,943,676,653	42,972,643,847
Total		204,399,815,638	188,756,095,720
Provision for Income Tax (Net of deferred tax) [including Deferred tax of ₹1,278,998,450 (previous year - ₹1,323,174,509)]		13,217,307,372	10,541,107,565
Balance of profit/(Loss) transferred to Balance Sheet		42,726,369,281	32,431,536,281
		55,943,676,653	42,972,643,847
INCOME			
1. Interest and Discount	XIII	196,617,662,206	183,255,066,042
2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees		7,405,986,284	4,285,284,246
3. Other Income	XIV	376,167,148	1,215,745,432
Total		204,399,815,638	188,756,095,720
Profit/(Loss) brought down		55,943,676,653	42,972,643,847
Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back		-	-
		55,943,676,653	42,972,643,847

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

GENERAL FUND		
	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule I : Capital:		
1. Authorised	200,000,000,000	200,000,000,000
2. Issued and Paid-up : (Wholly subscribed by the Central Government)	159,093,663,881	159,093,663,881
Schedule II : Reserves:		
1. Reserve Fund	115,658,101,224	81,240,797,076
2. General Reserve	-	-
3. Other Reserves :		
Investment Fluctuation Reserve*	3,100,817,637	2,194,717,637
Sinking Fund (Lines of Credit)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	13,640,000,000	13,640,000,000
	134,354,237,925	99,030,833,776
Schedule III : Profit & Loss Account:		
1. Balance as per annexed accounts	42,726,369,281	32,431,536,281
2. Less: Appropriations:		
- Transferred to Reserve Fund	37,540,269,281	28,968,715,045
- Transferred to Investment Fluctuation Reserve	906,100,000	212,821,237
- Transferred to Sinking Fund	-	-
- Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	-	-
3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms of Section 23(2) of the EXIM Bank Act, 1981)	4,280,000,000	3,250,000,000
Schedule IV : Deposits:		
(a) In India	766,307,936	903,357,470
(b) Outside India	-	-
	766,307,936	903,357,470
Schedule V : Borrowings:		
1. From Reserve Bank of India :		
(a) Against Trustee Securities	-	-
(b) Against Bills of Exchange	-	-
(c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	-	-
2. From Government of India	-	-
3. From Other Sources :		
(a) In India	401,935,225,442	233,084,693,346
(b) Outside India	418,265,099,109	442,027,684,689
	820,200,324,551	675,112,378,035
Schedule VI : Cash & Bank Balances:		
1. Cash in Hand	235,023	271,395
2. Balance with Reserve Bank of India	28,683,044,356	18,600,337,135
3. Balances with other Banks:		
(a) In India		
i) in current accounts	25,937,903,744	8,086,517,277
ii) in other deposit accounts	10,500,000,000	8,750,000,000
(b) Outside India	47,307,129,748	34,717,620,152
4. Money at call and short notice / Lending under TREPS	-	-
	112,428,312,871	70,154,745,958

*includes an amount of ₹ 221,821,237 towards Investment Reserve Account (Previous year: ₹ 212,821,237)

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

GENERAL FUND		
	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule VII: Investments: (net of diminution in value, if any)		
1. Securities of Central and State Governments	186,237,059,041	153,797,035,240
2. Equity Shares & Stocks	3,037,471,627	2,754,655,882
3. Preference Shares and Stocks	390,317,183	208,532,727
4. Notes, Debentures and Bonds	1,693,929,076	1,452,641,167
5. Others	20,693,331,988	1,900,345,125
	212,052,108,915	160,113,210,142
Schedule VIII : Loans & Advances:		
1. Foreign Governments	601,870,807,934	551,976,333,756
2. Banks:		
(a) In India	276,578,866,250	201,192,875,000
(b) Outside India	15,554,178,026	12,714,108,278
3. Financial Institutions:		
(a) In India	22,000,000,000	17,000,000,000
(b) Outside India	116,817,610,515	103,636,198,640
4. Others	903,778,990,858	918,871,284,133
	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
Schedule IX : Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted:		
(a) In India	141,190,000,000	52,000,000,000
(b) Outside India	-	-
	141,190,000,000	52,000,000,000
Schedule X : Fixed Assets: (At cost less depreciation)		
1. Premises		
Gross Block b/f	5,311,632,264	5,311,186,460
Additions during the year	-	445,804
Disposals during the year	-	-
Gross Block as at the end of the year	5,311,632,264	5,311,632,264
Accumulated Depreciation	2,621,628,899	2,392,041,727
Net Block	2,690,003,365	2,919,590,537
2. Others		
Gross Block b/f	2,433,809,499	2,184,650,035
Additions during the year	666,696,164	341,271,937
Disposals during the year	48,775,609	92,112,473
Gross Block as at the end of the year	3,051,730,054	2,433,809,499
Accumulated Depreciation	2,390,167,507	1,949,906,244
Net Block	661,562,547	483,903,255
	3,351,565,912	3,403,493,792
Schedule XI : Other Assets:		
1. Accrued interest on		
a) investments / bank balances	14,584,988,566	12,969,802,058
b) loans and advances	33,121,007,150	37,219,664,082
2. Deposits with sundry parties	79,289,932	70,048,743
3. Advance Income Tax paid (Net)	31,773,368,182	19,980,475,541
4. Others [including Net Deferred tax asset of ₹ 15,169,468,025 (previous year ₹ 164,448,466,475)]	50,601,388,051	26,073,834,854
	130,160,041,881	96,313,825,276

SCHEDULES TO THE BALANCE SHEET

GENERAL FUND		
	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule XII : Other Expenses:		
1. Export Promotion Expenses	75,701,434	55,593,837
2. Expenses on and related to Data Processing	2,526,529	4,243,169
3. Repairs and Maintenance	843,443,984	679,375,732
4. Printing and Stationery	12,683,751	10,866,061
5. Others	1,172,977,827	1,078,784,897
	2,107,333,525	1,828,863,697
Schedule XIII : Interest and Discount:		
1. Interest and Discount on loans and advances/bills discounted/ rediscounted	131,796,291,051	123,456,419,725
2. Income on Investments/bank balances	64,821,371,155	59,798,646,317
	196,617,662,206	183,255,066,042
Schedule XIV : Other Income:		
1. Net Profit on sale/ revaluation of investments	356,556,159	1,065,002,196
2. Net Profit on sale of land, buildings and other assets	2,968,781	433,511
3. Others	16,642,208	150,309,725
	376,167,148	1,215,745,432

Note : Deposits under 'Liabilities' [ref. Schedule IV (a)] include 'on shore' foreign currency deposits aggregating USD 1.75 mn (Previous year USD 3.36 mn) kept by counter party banks / institutions with Exim Bank against reciprocal rupee deposits / bonds.

Investments under 'Assets' [ref. Schedule VII 4] include bonds aggregating ₹ 76.30 mn (Previous year ₹ 152.10 mn) on account of swaps.

CASH FLOW STATEMENT

Particulars	Amount in ₹	Amount in ₹
	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Cash flow from Operating Activities		
Net Profit / (Loss) before tax and extra-ordinary items	55,943,676,653	42,972,643,846
Adjustments for		
- (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)	(2,968,781)	(433,511)
- (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	(356,556,159)	(1,065,002,196)
- Depreciation	711,369,551	574,451,205
- Discount/Expenses on bond issues written off	89,987,791	151,571,641
- Transfer from Investment Fluctuation Reserve	-	-
- Provisions/Write Off of Loans/Investments & other provisions	(6,058,222,570)	(5,322,978,270)
- Others - to specify	-	-
	50,327,286,485	37,310,252,716
Adjustments for		
- Other Assets	(23,078,747,055)	(5,339,761,214)
- Current liabilities	41,978,862,174	(11,648,179,691)
Cash generated from operations	69,227,401,604	20,322,311,810
Payment of income tax/interest tax	(11,959,087,312)	(2,406,886,960)
Net cash flow from Operating activities (A)	57,268,314,292	17,915,424,850
Cash flow from Investing activities		
- Net purchase of fixed assets	(656,472,890)	(339,470,042)
- Net change in investments	(51,582,342,614)	7,186,759,010
Net cash used in / raised from Investing activities (B)	(52,238,815,504)	6,847,288,968
Cash Flow from Financing activities		
- Equity capital infusion	-	-
- Loans borrowed (net of repayments made)	260,893,721,900	244,991,578,311
- Loans lent, bills discounted and rediscounted (net of repayments received)	(220,399,653,776)	(281,368,015,998)
- Dividend on equity shares and tax on dividend (Balance of Net profits transferred to Central Government)	(3,250,000,000)	(2,520,000,000)
Net cash used in / raised from Financing activities (C)	37,244,068,124	(38,896,437,687)
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)	42,273,566,912	(14,133,723,869)
OPENING CASH AND CASH EQUIVALENTS	70,154,745,958	84,288,469,827
CLOSING CASH AND CASH EQUIVALENTS	112,428,312,870	70,154,745,958

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

I SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Standalone Financial Statements

a) Basis of preparation

The Balance Sheet and Profit and Loss account of Export-Import Bank of India (Exim Bank) (General Fund and Export Development Fund) have been prepared in accordance with the accounting principles followed in India. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis unless otherwise stated. The Significant Accounting Policies that are applied by the Bank are consistent with those used in the previous year, except for the following change in accounting policy for accounting of derivative contracts.

During FY 2025-26, the Bank has transitioned from the erstwhile accrual accounting to the Fair Value Hedge accounting for Interest Rate Swaps (IRS) and fair valuation accounting for Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS) with effect from September 30, 2025, in line with the revised ICAI Guidance Note (revised 2021) based on RBI Circular no. 222 dated June 26, 2019. Contracts executed on or after June 26, 2019, were brought under the revised accounting policy, while contracts prior to June 26, 2019, continued under the accrual method. This transition resulted in a net negative adjustment of ₹3,123 mn (net of taxes), debited to the Reserve Fund account, as per para 71 of the ICAI Guidance Note.

Post transition on March 31, 2026, the net impact of accounting of all the above derivatives amounting to ₹2,577 mn has been credited to the Profit & Loss account. While considering IRS, five derivative contracts were fair valued in place of fair value hedge. Further, for outstanding CCIRS, the Bank has opted for fair valuation accounting instead of fair value hedge accounting.

The form and manner in which the Balance Sheet and the Profit and Loss account of Exim Bank are prepared have been provided in the Export-Import Bank of India, General Regulations, 2020, approved by the Board of Directors with the previous approval of Government of India under Section 39 (2) of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981). Certain important financial ratios / data are disclosed in terms of Reserve Bank of India (RBI) Master Direction DOR.ACC.REC. No.253/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025.

b) Use of estimates

The preparation of standalone financial statements in conformity with accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities and provisions (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from those estimates. Any revision to such estimates is recognized in such period in which the same is determined.

(ii) Revenue Recognition

Income/Expenditure is recognised on accrual basis except in respect of interest on Non-performing Assets (NPA) / Non-performing Investments (NPI), interest on loans under Strategic Debt Restructuring, Central Government guaranteed loans having overdues more than 90 days, fee income, commission, commitment charges and dividend income which are accounted on cash basis. NPAs are determined and classified as per relevant RBI guidelines. Discount/ redemption premium offered on Exim Bank Bonds is amortised over the tenure of the bond and included in interest expenses.

(iii) Asset Classification and Provisioning

Loans and Advances shown in the Balance Sheet comprise only the principal outstanding net of provisions for Non-Performing Assets (NPA). Interest receivables are grouped under "Other Assets".

Loan Assets are classified into the following groups: Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets, taking into consideration the degree of credit weaknesses and extent of dependence on primary collateral security for realisation of dues. Classification of loan assets and provisioning are as per relevant RBI directives / guidelines.

(iv) Investments

The entire investment portfolio is classified under three categories:

- (a) "Held to Maturity" (the securities acquired with the intention to hold them to maturity),
- (b) "Held for Trading" (the securities acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements, etc.) and
- (c) "Available for Sale" (the balance investments).

The investments are further classified as:

- i) Government securities
- ii) Other approved securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries/Joint Ventures
- vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, etc.)

The classification of various instruments of investments, categorisation, shifting among categories, valuation and provisioning of investments are done in accordance with the norms laid down by RBI for All-India Financial Institutions.

(v) Fixed Assets and Depreciation

- (a) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.
- (b) Depreciation is provided for on straight-line method basis at the following rates:

ASSET	DEPRECIATION RATE
Owned Buildings	5%
Furniture and Fixtures	25%
Office Equipment	25%
Other Electrical Equipment	25%
Computer Software	25%
Motor Vehicles	25%
Computers and other electronic items subject to rapid technological obsolescence	33.33% for first two years, 33.34% in third year
Mobile Phones	50%

- (c) In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided for the entire year in the year of purchase and in respect of assets sold during the year, no depreciation is provided in the year of sale.
- (d) When a depreciable asset is disposed of, discarded, demolished or destroyed, the net surplus or deficit is adjusted in the Profit and Loss account.

(vi) Impairment

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date based on internal / external factors to provide for impairment in the value of the assets or reverse impairment losses recognised in previous periods, as applicable. Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

(vii) Accounting for Foreign Currency Transactions

- (a) Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the Balance Sheet date at the closing rates of exchange notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI') and the resulting gains or losses (if any) are recognised in the Profit and Loss account.
- (b) Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year.
- (c) Outstanding foreign exchange contracts are revalued at rates of exchange notified by the FEDAI for specified maturities and the resulting profits / losses are included in the Profit and Loss account.
- (d) Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the rates of exchange notified by FEDAI at the year end.

(viii) Guarantees

Provisioning for guarantees is made taking into account the likely losses on projects till their completion, for uncovered portion under ECGC policies.

(ix) Derivatives

The Bank enters in derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps, cross currency interest rate swaps and forward rate agreements to hedge on-balance sheet / off-balance sheet assets and liabilities. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets / liabilities bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets/liabilities. The principal portion of the outstanding swap contracts as at the year end are translated at closing FEDAI exchange rates.

The Bank, as part of its risk management strategy, makes use of derivative instruments, for hedging the risk embedded in some of its assets or liabilities recognised on the balance sheet. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at the reporting date thereafter.

Based on RBI circular issued on June 26, 2019, the accounting for derivative contracts entered after June 26, 2019, is in accordance with the Guidance Note (revised 2021) on Accounting for derivative contracts issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Further, the derivative contracts under hedge relationships prior to that date are accounted for on an accrual basis and are not marked to market unless their underlying transaction is marked-to-market.

Qualitative and Quantitative disclosures pertaining to outstanding derivative contracts as on the Balance Sheet date, are reported in the "Notes to Accounts" in accordance with RBI's Master Direction on Presentation, Disclosure and Reporting norms for All India Financial Institutions.

(x) Provision for Employee Benefits

- a) Defined Contribution Plan:** The Bank contributes to the Provident Fund for employees and to the National Pension System (NPS – Corporate Model) for employees who joined on or after April 01, 2010. The contributions are recognised in the Profit and Loss account on an accrual basis.
- b) Defined Benefit and Other Long-Term Plans:** Liabilities towards gratuity, pension (for eligible employees joined on or before March 31, 2010), leave encashment are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method at the end of each financial year. Actuarial gains or losses are recognised in the Profit and Loss account on an accrual basis.

(xi) Accounting for taxes on Income

- (a) Provision for current tax is made, based on the tax payable under the relevant statute.
- (b) Deferred tax on timing difference between taxable income and accounting income is accounted for, using the tax rates and the tax law enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a virtual certainty of realisation.

(xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 – “Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets” issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liabilities are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

II NOTES TO STANDALONE ACCOUNTS**1. Agency Account**

As Exim Bank is acting only in the capacity of an agency to facilitate certain transactions in Iraq relating to Indian contractors, foreign currency receivables advised to the Bank equivalent to ₹65,178.92 mn (previous year ₹58,745.91 mn) held on agency account including a sum of ₹58,896.47 mn (previous year ₹53,083.52 mn) assigned to Government of India (GOI) are not included in the above Balance Sheet.

2. (a) Contingent Liabilities

Guarantees include expired guarantees amounting to ₹585.67 mn (previous year ₹4,067.47 mn), yet to be cancelled in the books.

(b) Claims not acknowledged as debts

An amount of ₹4,504 mn (previous year ₹3,612 mn) shown under Contingent Liabilities as “Claims on the Bank not acknowledged as debts”, pertains to claims / counter-claims filed against the Bank mostly by the Bank’s defaulting borrowers in response to legal action initiated against them by the Bank. None of the claims / counter-claims is considered as maintainable in the opinion of the Bank’s solicitors and none of them has reached the stage of final hearing. Based on the professional advice, no provision is considered necessary.

(c) Contingent Liability on account of Income-Tax

An amount of ₹656.21 mn (previous year ₹889.56 mn) has been included under Contingent Liabilities on account of disputed income tax matters pending before various adjudicating authorities, which in the Bank’s assessment are less likely to result in liability being materialised and against which a refund of ₹1,548.94 mn (Previous Year: ₹1,531.77 mn) is receivable, accordingly on an overall basis there is no contingent liability on account of Income Tax.

(d) Forward Exchange Contracts, Currency / Interest rate Swaps

- (i) The outstanding forward exchange contracts as at March 31, 2026, have been fully hedged. The Bank undertakes derivative transactions (Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Currency-cum-interest rate swaps), for the purpose of Asset-Liability management. The Bank also unwinds and re-enters such transactions based on the requirements/market conditions. The outstanding derivative transactions are captured in the Structural Liquidity Position and interest rate sensitivity position, which is monitored by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and reviewed by Risk Management Committee (RMC) of the Board. The credit equivalent of derivatives is arrived at as per ‘Current Exposure’ method prescribed by RBI. The fair value and the price value of a basis point (PV01) of derivatives are disclosed separately in the ‘Notes to Accounts’ as stipulated by RBI. The premium or discount arising at inception of forward exchange contracts is amortized over the life of the contracts. Any profit or loss arising on cancellation of forward exchange contracts is recognized as income / expense for the year.
- (ii) The Bank is permitted to be a ‘market maker’ in FX Swaps, Currency Swaps and Foreign Currency Interest Rate Swaps without any tenor or currency restrictions.

(e) Profit / Loss on Exchange fluctuation

Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the year end. Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year. The notional gain on such translation of the retained earnings on FC operations during the current year is ₹2,094.95 mn (Previous year ₹183.97 mn).

- 3. Disclosure relating to Micro, Small and Medium Enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006:** There have been no reported cases of delayed payments (beyond 45 days from the due date) to Micro, Small and Medium Enterprises.

4. ADDITIONAL INFORMATION AS REQUIRED BY RESERVE BANK OF INDIA**4.1 Capital**

(₹ mn)		
(a) Particulars	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
(i) Common Equity	268,496.04	233,341.00
(ii) Additional Tier 1 Capital	-	-
(iii) Total Tier 1 Capital (i+ii)	268,496.04	233,341.00
(iv) Tier 2 Capital	14,484.70	13,555.56
(v) Total Capital (Tier 1 + Tier 2)	282,980.74	246,896.56
(vi) Total Risk weighted assets (RWAs)	1,074,238.61	977,198.66
(vii) Common Equity Ratio (Common Equity as a percentage of RWAs)	24.99%	23.88%
(viii) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	24.99%	23.88%
(ix) Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	26.34%	25.27%
(x) Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	100%	100%
(xi) Amount of equity capital infused by the Government of India	Nil	Nil
(xii) Amount of additional Tier 1 capital raised; of which		
a) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS);	Nil	Nil
b) Perpetual Debt Instruments (PDI)	Nil	Nil
(xiii) Amount of Tier 2 capital raised; of which		
a) Debt Capital Instruments	Nil	Nil
b) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS);	Nil	Nil
c) Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS)	Nil	Nil
d) Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)	Nil	Nil

- (b) The amount of subordinated debt raised and outstanding as on March 31, 2026, as Tier-II capital ₹Nil (Previous Year: ₹Nil).

(c) Risk weighted assets -

(₹ mn)		
Particulars	As on March 31, 2026	As on March 31, 2025
(i) 'On' balance sheet items	695,143.72	703,304.62
(ii) 'Off' balance sheet items	379,094.88	273,894.04

- (d) The share holding pattern as on the date of the balance sheet: Capital wholly subscribed by the Government of India.
- The RBI issued BASEL III Master Directions, vide its circular dated September 21, 2023, which became applicable to AIFIs including Exim Bank. The Bank has implemented Basel III norms for determining CRAR from effective date of the Master Direction i.e., April 1, 2024. Subsequently, on November 28, 2025, RBI issued the RBI (AIFIs – Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025. These new Capital Adequacy Directions supersede the Master Directions dated September 21, 2023, and came into effect immediately upon issuance. The CRAR and other related parameters have been determined as per the extant capital adequacy norms prescribed by RBI for the Financial Institutions (FIs).

4.2 Free Reserves and Provisions

(a) Provisions on Standard Assets

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Provisions towards Standard Assets	41,346	30,409

(b) Floating Provisions

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(a) Opening balance in the floating provisions accounts	-	-
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
(c) Amount of draw down made during the accounting year	-	-
(d) Closing balance in the floating provisions account	-	-

4.3 Asset Quality and Specific Provisions

(a) Non-Performing Advances

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.01%	0.14%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	32,197.30	31,012.59
(b) Additions during the year	3,418.85	5,224.23
(c) Reductions during the year	(23,641.17)	(4,039.52)
(d) Closing balance	11,974.98	32,197.30
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	2,527.30	4,572.59
(b) Additions during the year	192.43	-
(c) Reductions during the year	(2,527.30)	(2,045.29)
(d) Closing balance	192.43	2,527.30
(iv) Movement of Provisions for NPAs excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	29,670.00	26,440.00
(b) Provisions made during the year	945.66	5,769.75
(c) Write off / write back of excess provisions	(18,833.10)	(2,539.75)
(d) Closing balance	11,782.56	29,670.00

(b) Non-Performing Investments

(₹ mn)

Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPIs to Net Investments (%)	0.03%	0.07%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
(a) Opening Balance	20,227.83	18,913.45
(b) Additions during the year	9.99	1,650.36
(c) Reductions during the year	(262.04)	(335.98)
(d) Closing balance	19,975.78	20,227.83
(iii) Movement of Net NPIs		
(a) Opening balance	109.66	100.48
(b) Additions during the year	-	9.87
(c) Reductions during the year	(36.94)	(0.69)
(d) Closing balance	72.72	109.66
(iv) Movement of Provisions for NPIs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	20,118.16	18,812.97
(b) Provisions made during the year	46.93	1,651.05
(c) Write off / write back of excess provisions	(262.04)	(345.86)
(d) Closing balance	19,903.05	20,118.16

(c) Non-Performing Assets (a+b)

(₹ mn)

Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPAs to Net Assets (Advances + Investments) (%)	0.01%	0.13%
(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)		
(a) Opening Balance	52,425.13	49,926.04
(b) Additions during the year	3,428.84	6,874.59
(c) Reductions during the year	(23,903.21)	(4,375.50)
(d) Closing balance	31,950.76	52,425.13
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	2,636.96	4,673.07
(b) Additions during the year	192.43	9.87
(c) Reductions during the year	(2,564.24)	(2,045.98)
(d) Closing balance	265.15	2,636.96
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	49,788.16	45,252.97
(b) Provisions made during the year	992.59	7,420.80
(c) Write off / write back of excess provisions	(19,095.14)	(2,885.61)
(d) Closing balance	31,685.61	49,788.16

4.4 Particulars of Accounts Restructured - Current Year

(₹ mn)

Sr. No.	Type of Restructuring Asset Classification	Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total			
			Standard	Sub standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub standard	Doubtful	Loss	Total	Sub standard	Doubtful		Loss	Total	
1	Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	8	8		
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109	7,543	-	15,225	15,225		
2	Fresh restructuring / Additions during the year	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109	7,543	-	10,881	10,881		
		No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Amount outstanding	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435	218	-	2,149	2,149		
		No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435	218	-	728	728		
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-1	-1	
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513	-2,513	-2,513	
	Provision thereon	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-2,513	-2,513	-2,513	
5	Downgradations / Reductions of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	1	-	-	-	-	
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	526	-	-1,558	-1,558	-1,558	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	526	-	-1,558	-1,558	-1,558	
		No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Amount outstanding	Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-6	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,225	-	13,304	13,304	13,304
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304	-	-	-	-	-	-

Previous Year

(₹ mn)

Sr. No.	Type of Restructuring	Details	Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total		
			Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total			
1	Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures)	No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3,804	1,254	9,867	-	10	14,925	10	14,925
2	Fresh restructuring / Additions during the year	Provision thereon No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853	1,254	8,627	-	12,734	12,734	2	12,734
		outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	4,039	117	-	8,729	8,729	-	8,729
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	Provision thereon No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,892	1,357	-	5,478	5,478	-	5,478
		outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	Provision thereon No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-968	-	-2	-2,222	-2	-2,222
		outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,254	-968	-	-2,222	-2,222	-	-2,222
5	Downgradations / Reductions of restructured accounts during the FY	No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-3,804	-930	-456	-	-1	-5,190	-1	-5,190
		outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Writeoffs of restructured accounts during the FY	Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,853	-783	-456	-	-4,092	-4,092	-4,092	-	-4,092
		Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-1	-1,017	-1	-1,017
7	Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures)	Provision thereon No. of borrowers Amount	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-1,017	-1,017	-	-1,017
		outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	-	15,225	15,225	-	15,225
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	-	10,881	10,881	-	10,881	

4.5 Movement of Non-performing assets

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Gross NPAs as on 1st April (Opening balance)	32,197	31,013
Additions (Fresh NPAs) during the year	321	4,326
Interest funding	95	225
Exchange Fluctuation	3,003	673
Sub total (A)	35,616	36,237
Less:		
(i) Upgradations	2,512	1,851
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	20,538	1,172
(iii) Technical / Prudential write offs	-	-
(iv) Write offs other than those under (iii) above	591	1,017
(v) Exchange Fluctuation	-	-
Sub total (B)	23,641	4,040
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	11,975	32,197

Gross NPAs as per RBI IRACP norms circular DOR.STR.REC.No.250/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025.

4.6 Write-offs and recoveries

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1	113,146	113,052
Add : Technical / Prudential write offs during the year	-	-
Add: Exchange Fluctuation	6,203	1,328
Sub total (A)	119,349	114,380
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	3,254	1,234
Closing balance as on 31st March (A-B)	116,095	113,146

4.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

The figures below pertain to the Bank's London branch:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Total Assets	111,484	126,000
Total NPAs	3,144	2,833
Total Revenue	6,801	7,826

4.8 Depreciation and Provision on Investments

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(1) Investments		
(i) Gross Investments	235,806.38	182,642.59
(a) In India	233,389.58	180,419.41
(b) Outside India	2,416.80	2,223.18
(ii) Provision for Depreciation	23,754.27	22,529.38
(a) In India	21,700.79	20,629.41
(b) Outside India	2,053.48	1,899.87
(iii) Net Investments	212,052.11	160,113.21
(a) In India	211,688.79	159,790.00
(b) Outside India	363.32	323.21
(2) Movement of provision held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	22,529.39	23,252.92
(ii) Add: Provisions made during the year	1,792.03	681.76
(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	567.15	1,405.29
(v) Less: Transfer, if any, to Investment Fluctuation Reserve Account	-	-
(vi) Closing balance	23,754.27	22,529.39

4.9 Provisions and Contingencies

	(₹ mn)	
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss account	2025-26	2024-25
Provision for depreciation on Investment	1,505.28	(1,048.18)
Provision towards NPA	(18,262.65)	3,112.65
Provision made towards Income tax	13,217.31	10,541.11
Other Provisions and Contingencies*	10,699.14	(7,387.45)

* Includes ₹1.816 mn (previous year reversal ₹5,014 mn) on account of provisioning towards Bank Guarantees, ₹617 mn (previous year provision ₹513 mn) on account of reversal of Country Risk and provisioning of ₹37 mn (previous year ₹397 mn) on account of reversal of exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.

4.10 Provision Coverage Ratio

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Provision Coverage Ratio	99.85%	98.26%

4.11 Fraud Reported and provision made during the year

The Bank has classified one account as fraud during FY 2025-26 for amount of ₹153.05 mn. However, the Bank has recovered an amount of ₹89.88 mn and the balance outstanding was ₹63.17 mn against which 100% provision has been provided (previous year: Nil). Further, there is no quantum of unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.

5. INVESTMENT PORTFOLIO: CONSTITUTION AND OPERATIONS

5.1 Repo Transactions

Current Year:

₹ mn				
Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities sold under repos				
i) Government Securities	6,000.00	6,000.00	263.01	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

Previous Year:

₹ mn				
Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities sold under repos				
i) Government Securities	1000.00	24,050.00	1,307.53	6,000.00
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

5.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Non-Government Securities

Current Year:

(₹ mn)						
Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	"below investment grade" Securities held	"unrated" Securities held	"unlisted" Securities Held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	-	-	-	-	-
2	FIs	2,413.34	2,413.34	-	64.42	2,413.34
3	Banks	2.38	2.38	-	-	-
4	Private corporates	25,198.45*	25,138.75	-	3,784.39	22,446.06
5	Subsidiaries / Joint ventures	1,140.19	1,140.19	-	1,140.19	1,140.19
6	Others	19,261.23	19,261.23	-	428.23	19,181.23
7	Provision held towards depreciation [#]	22,200.53	22,140.83	-	3,287.27	20,486.96
	Total	48,015.58	47,955.88	-	5,417.23	45,180.82

[#] Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹18,278.57 mn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹6,073.78 mn of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

Previous Year:

(₹ mn)

Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	"below investment grade" Securities held	"unrated" Securities held	"unlisted" Securities Held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	-	-	-	-	-
2	FIs	563.91	563.91	-	64.42	563.91
3	Banks	2.38	2.38	-	-	-
4	Private corporates	27,499.54*	2,499.54	-	4,577.04	24,468.20
5	Subsidiaries / Joint ventures	418.95	418.95	-	418.95	418.95
6	Others	360.78	360.78	-	336.06	360.78
7	Provision held towards depreciation [#]	22,529.39	22,469.69	-	3,894.57	21,220.01
Total		28,845.56	28,845.56		5,396.47	25,811.84

[#] Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹18,470.44 mn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹6,411.23 mn of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

5.3 Sale and Transfer to / from Held to Maturity (HTM) Category

During the year ended March 31, 2026, no sale and transfer of investments to / from HTM category was executed. (Previous Year: Nil)

5.4 The format of Exim Bank's financial statements is governed by Export-Import Bank of India General Regulations, 2020. Since, currently, the Investment Reserve Account (IRA) is not part of prescribed format, the amount under IRA is being disclosed under the head Investment Fluctuation Reserve (IFR) in the financial statements with appropriate disclosures.

6. DETAILS OF FINANCIAL ASSETS PURCHASED / SOLD

6.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction

A. Details of Sales

(₹ mn)

Sr.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	No. of Accounts	1	1
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	-
(iii)	Aggregate consideration	55.00	455.00
(iv)	Additional Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	242.64	390.00
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	250.94	850.00

B. Details of Book value of Investments in Security Receipts

(₹ mn)

Particulars	2025-26	2024-25
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	486.21	205.81
(ii) Backed by NPAs sold by banks / other financial institutions / non-banking financial companies as underlying	-	-
Total	486.21	205.81

6.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold

A. Details of Non Performing Financial assets purchased

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
1. (a) No. of accounts purchased during the year	-	-
(b) Aggregate outstanding	-	-
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	-	-
(b) Aggregate outstanding	-	-

B. Details of Non Performing Financial assets sold

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
1. No. of accounts sold	1	1
2. Aggregate outstanding	169	1,472
3. Aggregate consideration received	55	455

6.3 Disclosure Of Acquisition/Transfer of Loan Exposures

I) Details of loans not in default transferred/ acquired during FY 2025-26

A. Disclosure for loans not in default, transferred:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans transferred (out of which loans transferred through)		
a) assignment :	-	-
b) novation :	-	-
c) loan participation :	-	-
Weighted average residual maturity (in years)	-	-
Weighted average holding period (in years)	-	-
Retention of beneficial economic interest (in %)	-	-
Tangible security coverage (in %)	-	-
Rating-wise distribution of rated loans		
AAA - A	-	-
BBB	-	-
Below BBB i.e., Investment grade	-	-
Instances where it has been agreed to replace loans transferred to transferee(s) or pay damages arising out of any representation or warranty	-	-
No. of instances, amount of loan replaced, amount of damages paid)		

B. Disclosure for loans not in default, acquired:

(₹ mn)

Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans acquired (out of which loans acquired through)		
a) assignment :	-	-
b) novation :	9,114.38	12,189.66
c) loan participation :	-	-
Weighted average residual maturity (in years)	11.03	13.46
Weighted average holding period by originator (in years)*	-	-
Retention of beneficial economic interest by the originator (in %)*	-	-
Tangible security coverage (in %)*	-	-
Rating-wise distribution of rated loans*	-	-
AAA - A		
BBB		
Below BBB i.e. Investment grade		

*Multiple loan accounts with varied details.

II) Details of Stressed Loans Transferred/Acquired

(a) Details of Stressed Loans Transferred

(₹ mn)

Particulars	To ARCs	To permitted transferees	To other transferees (please specify)
No. of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	168.80		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	-	-
Aggregate consideration	55	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	242.64	-	-

Previous Year:

(₹ mn)

Particulars	To ARCs	To permitted transferees*	To other transferees (please specify)
No. of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,472		
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	-	-
Aggregate consideration	455	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	390	-	-

(b) Details of Loans Acquired

Current Year:

(₹ mn)

Particulars	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	-	-
Aggregate consideration paid	-	-
Weighted average residual tenor of loans acquired	-	-

Previous Year:

Particulars	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	-	-
Aggregate consideration paid	-	-
Weighted average residual tenor of loans acquired	-	-

7. Operating results

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Interest income as a percentage to average working funds	8.76%	9.36%
(ii)	Non-interest income as a percentage to average working funds	0.35%	0.28%
(iii)	Operating profit as a percentage to average working funds	2.22%	1.92%
(iv)	Return on average assets	1.88%	1.61%
(v)	Net Profit / (Loss) per (permanent) employee (in ₹ mn)	119.01	90.59

- For operating results, the working funds and total assets have been taken as the average of the figures as at the end of the previous accounting year and the end of the accounting year under report. (The "working funds" refer to the net earning assets).
- All permanent, full-time employees in all cadres have been reckoned for computing per employee net profit.

8. CREDIT CONCENTRATION RISK

8.1 Capital market exposure

		(₹ mn)	
Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	789	559
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	398	547
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2,020	2,407
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	348	336
Total Exposure to Capital Market		3,555	3,849

8.2 Exposure to Country risk

(₹ mn)

Risk Category	Exposure (net) as at March 2026*	Provision held as at March 2026	Exposure (net) as at March 2025*	Provision held as at March 2025
Insignificant	96,934	371	98,889	988
Low	217,271	-	182,772	-
Moderate	109,531	-	487,017	-
High	857,107	-	274,821	-
Very High	43,615	-	177,939	-
Restricted	-	-	-	-
Off credit	-	-	-	-
Total	1,324,458	371	1,221,438	988

*Exposure includes Lines of Credit (LOCs), extended at the behest of the Government of India (GOI) for which risk weight is zero percent as per the Reserve Bank of India (All India Financial Institutions (AIFIs) - Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025.

8.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the provision on Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme is no longer applicable to Exim Bank.

8.4 Resolution Plan (RPs) implemented

Current Year:

Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026*
4	981	73	908	-

*The amount received under resolution plan was more than the principal outstanding. Accordingly, remaining amount was appropriated in interest.

Non-Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026*
-	-	-	-	-

- In terms of the RBI circular DOR.STR.REC.No.250/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025, on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.

Previous Year:

Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026*
5	1,390	1,280	3,190	1,280

Non-Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026*
-	-	-	-	-

- In terms of the RBI circular DOR.No. STR.REC.8/21.04.048/2024-25 dated April 02, 2024, on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.

8.5 Exposure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the provision on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets is no longer applicable to Exim Bank.

- 8.6** As on March 31, 2026, 58 accounts (Previous Year: 62 accounts) with loan outstanding of ₹5,870 mn (Previous Year: ₹6,869 mn) are either admitted or have been referred to the NCLT under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against which the Bank holds 96.73% provision (Previous Year: 100%). The amount recovered from these accounts during FY2025-26 aggregated ₹3,700 mn (Previous Year: ₹500mn).

8.7 Prudential Exposure Limits – Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year

Current Year:

(₹ mn)

Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Previous Year:

(₹ mn)

Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets

Current Year:

Particulars	Percentage to Tier I Capital*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)®	Percentage to Total Assets
i) Largest single borrower	17.40%	1.33%	1.60%
ii) Largest borrower group	26.71%	2.04%	2.46%
iii) 20 largest single borrowers	211.12%	16.14%	19.47%
iv) 20 largest borrower groups	306.95%	23.46%	28.30%

*Tier I capital as on March 31, 2025

® TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and that to overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) As on March 31, 2026, there were no borrowers to whom credit exposure was above the base ceiling of 20% of Tier I Capital. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceiling of 25% of Tier I Capital. In case of ONGC Group, the loan is classified as finance towards infrastructure projects, and hence, is eligible for financing up to 30% of the Tier I Capital.

Previous Year:

Particulars	Percentage to Tier I Capital*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)®	Percentage to Total Assets
i) Largest single borrower	20.00%	1.54%	1.86%
ii) Largest borrower group	22.66%	1.75%	2.10%
iii) 20 largest single borrowers	193.81%	14.94%	17.99%
iv) 20 largest borrower groups	275.76%	21.26%	25.60%

*Tier I capital as on March 31, 2024

® TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and that to overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) As on March 31, 2025, there were no borrowers to whom credit exposure was above the base ceiling of 20% of Tier I Capital. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceiling of 25% of Tier I Capital.

C. Credit exposure to the five largest industrial sectors**Current Year:**

Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Loan Assets
i) Financial Services	5.38%	7.86%
ii) EPC Services	4.17%	6.09%
iii) Ferrous Metals & Metal Processing	4.15%	6.06%
iv) Petroleum Products	3.38%	4.94%
v) Construction	2.98%	4.36%

- The "credit exposure" has been reckoned as defined by RBI.
- Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI / assumed at the behest of GOI, excluded for computing industry exposure.

Previous Year

Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Loan Assets
i) Financial Services	4.79%	6.69%
ii) EPC Services	4.65%	6.48%
iii) Ferrous Metals & Metal Processing	4.43%	6.18%
iv) Petroleum Products	3.52%	4.92%
v) Power	3.04%	4.25%

D. Unsecured Advances

(₹ mn)

Particulars	As at 31st March, 2026	As at 31st March, 2025
Total Unsecured Advances of the Bank*	313,122	338,423
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as corporate/personal guarantees, promissory notes, trust receipts, etc.	49,549	17,376
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above).	-	11,511

* This does not include unsecured refinance exposure to banks/FIs amounting to ₹449,117 mn as on March 31, 2026 (Previous Year ₹292,824 mn).

E. Factoring Exposures

The Bank has no exposure under factoring arrangement. (Previous Year: Nil)

F. Exposures where the FI had exceeded the prudential Exposures Limits during the year

(₹ mn)

Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Previous Year: Nil)

G. Exposures to Related Parties

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
A	Loans to Related Parties		
1	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	-	-
2	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31 March	-	-
3	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31 March	-	-
4	Aggregate value of outstanding loans to related parties categorized as:	-	-
4(i)	Special Mention Accounts (SMA) as on 31 March	-	-
4(ii)	Non-Performing Assets (NPA) as on 31 March	-	-
5	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31 March	-	-
B	Contracts and Arrangements involving Related Parties		
6	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year	15.28	7.48
7	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31 March	-	-

9. Concentration of borrowings / lines of credit, credit exposures and NPAs

(a) Concentration of borrowings and lines of credit

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Total borrowings from twenty largest lenders*	569,558.80	462,588.90
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings of the Bank	27.74%	25.82%

*Includes loans that have been syndicated post documentation

(b) Concentration of Credit exposures

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Total exposures to twenty largest borrowers	492,635	393,518
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	23.58%	20.85%
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	492,635	393,518
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	16.1%	14.94%
In the case of Exim Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures	31.61%	32.74%

Exposure computed based on Direction - Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Concentration Risk Management) Directions, 2025.

(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

		2025-26			2024-25		
Sr. No	Sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Domestic Sector	623,100.33	3,303.63	1%	675,966.75	4,752.86	1%
1	Total Export Finance	513,410.21	1,741.76	0%	532,870.47	3,191.00	1%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	441,542.78	1,356.33	0%	459,431.95	2,715.69	1%
	Ferrous Metals & Metal Processing	74,022.07	-	0%	73,480.45	-	0%
	Chemical and dyes	-	-	-	-	-	-
	Petroleum Products	81,315.09	-	0%	87,843.06	-	0%
	Power	11,124.69	135.15	1%	17,295.75	135.15	1%
	Others	275,080.93	1,221.18	0%	280,812.69	2,580.54	1%
	Services Sector	71,867.44	385.43	1%	73,438.52	475.31	1%
	Financial Services	-	-	0%	15,690.00	-	0%
	Telecommunications	7,720.00	-	0%	8,209.50	-	0%
	Others	64,147.44	385.43	1%	49,539.02	475.31	1%
2	Total Import Finance	109,690.12	1,561.87	1%	143,096.28	1,561.87	1%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	63,620.47	1,561.87	2%	95,901.17	1,561.87	2%
	Ferrous Metals & Metal Processing	1,100.20	-	0%	554.92	-	0%
	Chemicals and dyes	-	-	-	-	-	-
	Power	41,920.98	1,561.87	4%	45,704.72	1,561.87	3%
	Others	20,599.28	-	0%	49,641.54	-	0%

(₹ mn)

Sr. No	Sector	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
	Services Sector	46,069.65	-	0%	47,195.11	-	0%
	Financial Services	37,934.00	-	0%	42,737.50	-	0%
	Telecommunications	5,000.00	-	0%	1,590.00	-	0%
	Others	3,135.65	-	0%	2,867.61	-	0%
3	Of (A), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
B	External Sector	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
1	Total Export Finance	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	104,459.21	5,998.18	6%	79,709.60	8,515.18	11%
	Ferrous Metals & Metal Processing	2,701.29	-	0%	13,697.05	-	0%
	Chemicals and Dyes	-	-	-	-	-	-
	Power	11,131.51	3,144.23	28%	9,352.71	2,833.90	30%
	Petroleum Products	-	-	-	-	-	0%
	Others	90,626.42	2,853.95	3%	56,659.85	5,681.28	10%
	Services Sector	82,197.78	2,673.18	3%	64,819.64	2,464.81	4%
	Financial Services	55,560.60	-	0%	47,096.51	-	0%
	Telecommunications	3,885.95	-	0%	11,701.46	-	0%
	Others	22,751.23	2,673.18	12%	6,021.68	2,464.81	41%
2	Total Import Finance	-	-	-	-	-	-
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	-	-	-	-	-	-
	Services Sector	-	-	-	-	-	-
3	Of (B), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
C	Other Exposures #	1,280,554.86	-	0%	1,066,962.27	16,464.46	2%
D	Total exposures (A+B+C)	2,090,312.18	11,974.98	0.57%	1,887,458.26	32,197.30	1.71%

Includes advances under Lines of Credit, BC-NEIA, Concessional Finance Scheme, refinance to commercial banks and advances counter-guaranteed by banks.

(d) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank in accordance with RBI Master Direction DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 dated November 28, 2025, has in place, an internal guidance note on capital provisioning requirement and incremental provisioning for exposure to entity with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE). As on March 31, 2026, an amount of ₹1,398 mn (Previous Year ₹1,434 mn) was held towards Currency Induced Credit Risk and capital allocated for currency induced credit risk amounted to ₹32,152 mn (Previous Year ₹36,492 mn).

10. DERIVATIVES

10.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Hedging	Trading	Hedging	Trading
1.	The Notional Principal of swap agreements	789,872.47	-	653,823.67	-
2.	Losses, which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	6,072.37	-	3,090.09	-
3.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	-	-	-	-
4.	Concentration of credit risk arising from Swaps	All transactions fall within approved credit exposure limits*	-	All transactions fall within approved credit exposure limits*	-
5.	The fair value of the swap book	(24,903.41)	-	(28,920.32)	-

*All the interest rate swaps have been undertaken with banks.

**The interest rate swap excludes Cross Currency Interest rate swap, the details of which are given in Note. 10.3.B

Nature and Terms of Swaps: All transactions have underlying assets / liabilities and have been undertaken for the purpose of hedging the Bank's ALM position.

(₹ mn)

Instrument	Nature	Nos	Notional Principal	Benchmark	Terms
IRS	Hedging	22	414,903.13	6M SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	1	23,708.75	3M SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	4	109,060.25	6M SOFR	Floating receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	1	266.78	TONA	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	8	225,233.13	SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
Total		36	773,172.03		

10.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	-
2.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2026	-
3.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-
4.	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-

10.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A. Qualitative disclosures

1. The Bank uses financial derivative transactions predominantly for raising cost-effective funds and hedging its balance sheet exposures, with the objective of reducing market risk. The Bank currently deals only in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives, of the type permitted by RBI.
2. Derivative transactions carry: (i) market risk i.e., the probable loss that the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and (ii) credit risk i.e., the probable loss the Bank may incur if the counter-parties fail to meet their obligations. The Bank has in place a Derivative Policy approved by the Board, which aims at synchronising the risk management objectives at the transaction level with those of the overall ALM position. The policy defines the use of permitted derivative products consistent with business goals of the Bank, lays down the control and monitoring systems and deals with regulatory, documentation and accounting issues. The policy also prescribes suitable risk parameters to control and manage market risk on derivative trades undertaken in the treasury book (stop-loss limits, open position limits, tenor limits, settlement and pre-settlement risk limits, PV01 limits).
3. The ALCO of the Bank oversees management of market risks with support from the Bank's Mid-Office, which measures, monitors and reports market risk associated with derivative transactions.
4. All derivative transactions outstanding in the Bank's books as on March 31, 2026, have been undertaken for hedging purposes and are in the ALM book. The income or expenses on such transactions have been accounted for on accrual basis.
5. The Currency Swaps are not included in the contingent liability.

B. Quantitative disclosures

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	161,233.55	773,172.03	248,227.89	640,744.35
	b) For trading	-	-	-	-
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)				
	b) Liability (-)	(33,241.28)	(24,474.98)	(32,173.28)	(28,968.09)
3	Credit Exposure	6,271.58	7,536.31	15,964.66	12,665.21
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	2,889.25	35,416.81	4,246.30	25,481.26
	b) on trading derivatives	-	-	-	-
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging				
	(i) Maximum	4,188.18	35,416.81	5,525.61	26,377.50
	(ii) Minimum	2,889.25	23,952.17	4,246.30	19,946.70
	b) on trading				
	(i) Maximum	-	-	-	-
	(ii) Minimum	-	-	-	-

- a) The outstanding notional amount of Interest Rate Derivatives and Currency Derivatives disclosed above amounting to ₹189,670 mn (₹640,744.35 mn) and ₹104,466.90 mn (₹248,227.89 mn), respectively are not accounted on marked-to-market (MTM) where the underlying Assets/Liabilities are not marked to market as on 31st March 2026.
- b) The outstanding notional amount of currency derivatives includes Cross Currency Interest Rate Swap amounting to ₹124,026.29 mn (₹186,824.73 mn) and the MTM loss of the same is ₹32,812.79 mn (₹31,971.91 mn).
- c) The impact of interest rate variation on MTM of CCIRS is substantially offset by changes in value of the Bank's loans and advances in foreign currencies at floating rate. The principal leg of these swap contracts are translated at closing FEDAI exchange rates.
- d) Currency Derivatives has the following breakup

		(₹ mn)	
Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
a)	Principal Exchange Derivatives		
i)	Cross Currency Interest Rate Swap	124,026.29	186,824.73
ii)	Fx Swap/Principal only swap	20,506.81	48,323.83
b)	Others		
i)	Forward	16,700.45	13,079.32
ii)	Swap	-	-
	Total (a+b)	161,233.55	248,227.89

The forward exchange contracts amounting to ₹16,700.45 mn (Previous Year ₹13,079.32 mn) and the notional figure of Interest Rate Swap (IRS) amounting to ₹773,172.03 mn (Previous Year ₹640,744.35 mn) have been reported as off-balance sheet items under the heading contingent liabilities.

11. Letters of Comfort issued by the Bank

During the year FY 2025-26, the Bank has not issued any Letter of Comfort and no financial obligation has arisen on account of the outstanding commitments (Previous Year: Nil), the Letter of comfort received during the year FY 2025-26 is also Nil (Previous Year: Nil).

Further, the Bank has outstanding exposure of Letters of Credit (LCs) as on March 31, 2026, aggregating ₹15,143 mn (Previous Year ₹8,990 mn).

Current Year:

Previous Year:

142

13. DRAW DOWN FROM RESERVES

The Bank has not drawn any amount from the Reserves (Previous Year: Nil)

14. BUSINESS RATIOS

Particulars	2025-26	2024-25
Return on Equity	26.86%	20.39%
Return on Assets	1.88%	1.61%
Net Profit Per Employee (₹ mn)	119.03	90.59

15. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI

There are no penalties imposed by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act, 1934, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirements of the Act, order, rule or condition specified by Reserve Bank of India. (Previous Year: Nil).

16. DISCLOSURE OF COMPLAINTS

Customer Complaints

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	No of complaints pending at the beginning of the year	-	-
(b)	No of complaints received during the year	7	1
(c)	No of complaints redressed during the year	7	1
(d)	No of complaints pending at the end of the year	-	-

17. OFF- BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
-	-

(Previous Year: Nil)

DISCLOSURE AS PER SPECIFIC ACCOUNTING STANDARDS

18. Details of Fixed Assets

Current Year:

Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS -10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI. (₹ mn)

Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 1st April 2025	5,311.63	2,433.81	7,745.44
Additions	-	666.70	666.70
Disposals	-	48.78	48.78
Cost as on 31st March 2026 (A)	5,311.63	3,051.73	8,363.36
Depreciation			
Accumulated as on 1st April 2025	2,392.04	1,949.91	4,341.95
Provided during the year	229.59	488.76	718.35
Eliminated on Disposals	-	48.50	48.50
Accumulated as on 31st March 2026 (B)	2,621.63	2,390.17	5,011.80
Net Block (A-B)	2,690.00	661.56	3,351.56

Previous Year:

Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS -10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI. (₹ mn)

Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 1 st April 2024	5,311.19	2,184.65	7,495.84
Additions	0.44	341.27	341.71
Disposals	-	92.11	92.11
Cost as on 31st March 2025 (A)	5,311.63	2,433.81	7,745.44
Depreciation			
Accumulated as on 1 st April, 2024	2,160.70	1,697.09	3,857.79
Provided during the year	231.34	344.90	576.24
Eliminated on Disposals	-	92.08	92.08
Accumulated as on 31st March 2025 (B)	2,392.04	1,949.91	4,341.95
Net Block (A-B)	2,919.59	483.90	3,403.49

19. Accounting for Government grants

GOI has agreed to pay interest equalisation amount to the Bank towards specific Lines of Credit extended by the Bank to foreign governments, overseas banks / institutions and the same is accounted on accrual basis.

20. Segment Reporting

The operations of the Bank predominantly comprise of only one business segment i.e., financial activities and hence, have been considered as representing a single business segment.

The geographic segments of the Bank are categorised as Domestic Operations and International Operations. The categorisation of operations as domestic or international is primarily based on the risk and reward associated with the place of the transaction.

Particulars	Domestic Operations		International Operations		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	195,503.85	180,746.40	6,801.02	7,825.73	202,304.87	188,572.13
Assets	2,424,240.21	2,061,317.74	111,542.27	126,058.34	2,535,782.48	2,187,376.07

21. Related party disclosures

As per AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the Bank's related parties are disclosed below:

- Relationship
 - (i) Subsidiary:
 - India Exim Finserve IFSC Private Limited (Wholly-owned subsidiary)
 - (ii) Joint Ventures:
 - GPCL Consulting Services Limited
 - Kukuza Project Development Company
 - (iii) Key Managerial Personnel:
 - Ms. Harsha Bangari (Managing Director)
 - Shri Tarun Sharma (Deputy Managing Director)
 - Ms. Deepali Agrawal (Deputy Managing Director)
 - Shri Mukul Sarkar, Chief Risk Officer

- Shri Gaurav Bhandari, Chief Financial Officer (upto January 04, 2026)
 - Ms. Rima Marphatia, Head of Internal Audit
 - Ms. Manjiri Bhalerao, Chief Compliance Officer
 - Shri T. D. Sivakumar, Board Secretary
 - Shri Sujeet Bhale, Chief Technology Officer (From July 14, 2025 to December 21, 2025)
 - Ms. Bakhtavar Patel, Head of Treasury and Chief Financial Officer with effect from January 05, 2026
 - Shri Deepak Bhatia, Chief Technology Officer (with effect from December 22, 2025)
 - Ms. Siddhi Keluskar, Compliance Officer
- The Banks' related party balances and transactions are summarised as follows:

(₹ mn)

Particulars	Subsidiary		Joint Venture		Key Managerial Personnel	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Borrowings	-	-	-	-	-	-
Deposit	-	-	10.00	-	-	-
Placement of deposits	-	-	-	-	-	-
Loans granted/Advances	-	-	-	-	0.31	0.61
Guarantees issued	-	-	-	-	-	-
Interest received	-	-	-	-	0.10	0.12
Interest paid	-	-	-	-	-	-
Guarantee commission received	-	-	-	-	-	-
Receipts towards services rendered	-	-	-	-	-	-
Payment towards Receiving of services	-	-	-	-	-	-
Term Deposit Accepted	-	-	-	-	7.10	2.70
Interest on Term Deposits	-	-	-	-	1.66	1.80
Amounts written-off / written-back	-	-	-	-	-	-
Term Deposit Outstanding	-	-	-	-	19.17	24.69
Loans granted and outstanding at year-end	-	-	-	-	0.18	0.30
Guarantees outstanding at year-end	-	-	-	-	-	-
Investments outstanding at year end (Net of Provisions)	865.60	415.73	3.23	3.23	-	-
Dividend received	-	-	0.84	0.84	-	-
Maximum Loan outstanding during the year	-	-	-	-	21.66	14.05
Maximum Guarantees outstanding during the year	-	-	-	-	-	-
Salary including perquisites	-	-	6.01	5.22	56.99	65.08
Leasing arrangements availed	-	-	-	-	-	-
Rent received/Leasing arrangements provided	-	-	0.90	0.90	-	-
Reimbursement of Expenses	5.20	5.42	0.61	0.22	-	-
Director's Fees received	-	-	0.05	0.04	-	-
Fees paid for consultancy	-	-	15.28	7.48	-	-
Non funded commitments	-	-	20.00	20.00	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-	-	-
Management contracts	-	-	-	-	-	-

22. Accounting for Taxes on Income

(a) Details of Provision for Tax:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Tax on Income	11,938.31	9,217.93
Add: Net Deferred Tax Liability	1,279.00	1,323.17
Total	13,217.31	10,541.10

(b) Deferred Tax Asset:

The composition of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Deferred Tax Assets		
1. Provision Disallowed (Net)	18,479.51	19,800.05
2. Depreciation on Fixed Assets	128.04	74.89
Less: Deferred Tax Liability		
1. Depreciation on Fixed Assets	-	-
2. Amortisation of Bond issue expenses	513.53	501.94
3. Special Reserve created under section 36(1)(viii)	2,924.54	2,924.54
Net Deferred Tax Assets [included in 'Other Assets' in the 'Assets' side of the Balance Sheet]	15,169.47	16,448.47

23. Financial Reporting of Interest in Joint Ventures

I. Jointly Controlled Entities	Country	FY 2025-26	FY 2024-25
A. GPCL Consulting Services Limited	India	28.10%	28.10%
B. Kukuza Project Development Company*	Mauritius	41.39%	41.39%

- II. The aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to interest in the jointly controlled entities using the proportionate consolidation method as per AS 27 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures is as under:

Joint ventures is as under:

(₹ mn)					
Liabilities	2025-26	2024-25	Assets	2025-26	2024-25
Capital & Reserves	50.62	47.00	Fixed Assets	0.07	0.13
Loans	-	-	Investments	34.19	15.82
Other Liabilities	6.87	6.64	Other Assets	23.23	37.69
Total	57.49	53.64	Total	57.49	53.64

Contingent Liabilities: NIL (Previous Year: Nil)

Contingent Liabilities: Nil (Previous Year: Nil)

					(₹ mn)
Expenses	2025-26	2024-25	Income	2025-26	2024-25
Interest and Financing expenses	0.05	0.05	Consultancy Income	20.71	21.36
Other Expenses	17.33	17.02	Interest income and Income from investment	1.08	1.97
Provisions	1.70	2.29	Other Income	1.75	1.17
Profit	4.46	5.14			
Total	23.54	24.50	Total	23.54	24.50

*Kukuza Project Development Company is a joint venture company incorporated in Mauritius along with other shareholders viz., African Development Bank, State Bank of India and the Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) group. Due to continuous losses posted by KPDC and as the operations of KPDC were not sustainable, the shareholders passed a resolution in March 2023 for closure of operations of KPDC. Accordingly, the orderly winding up process of KPDC was initiated and all the outstanding liabilities of KPDC were paid off in FY 2024-25. After receipt of necessary Approvals/NOCs from all the stakeholders and statutory authorities, strike off application to the Registrar of Companies, Mauritius for removal of KPDC from the Register was lodged on April 1, 2026. As there were no business operations for the past 3 years, audited financials of KPDC for FY 2023-24, FY 2024-25 and FY 2025-26 are not available and hence, the above does not include the details of KPDC.

24. Impairment of Assets

A substantial portion of the Bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" is not applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) as at March 31, 2026, requiring recognition in terms of the said standard.

25. Employee benefits

The Bank has adopted Accounting Standard 15 - Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) w.e.f. April 01, 2007. The Bank recognises in its books the liability arising out of Employee Benefits as present value of obligations as reduced by the fair value of plan assets on the Balance Sheet date.

A) Amount to be recognised in the Balance Sheet

Particulars	(₹ mn)			
	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of Plan Assets at the end of the period	2,224.04	1,954.88	486.22	354.67
Present value of Benefit Obligation at the end of the period	1,990.37	2,140.05	483.09	485.51
Funded Status	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)
Unrecognised past service cost at the end of the period	-	-	-	-
Unrecognised transitional liability at the end of the period	-	-	-	-
Net Liability recognised in the Balance Sheet	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)

B) Expense to be recognised in the Profit and Loss Account

Particulars	(₹ mn)			
	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	46.18	36.45	26.14	22.51
Interest Cost	151.09	135.49	32.97	24.71
Expected Return on Plan Assets	138.02	127.64	24.01	22.88
Actuarial Losses / (Gains)	(272.06)	169.86	(44.41)	106.49
Past Service Cost - Non-vested Benefit	-	-	-	-
Past Service Cost - vested benefit	-	-	-	-
Transitional liability	-	-	-	-
Expense recognised in Profit and Loss Account	(212.81)	214.17	3.14	130.83
Contributions by Employer	(206.03)	(137.37)	(130.84)	(25.40)

C) Summary of Actuarial Assumptions

Particulars	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Discount Rate (p.a.)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
Expected Rate of Return on Assets (p.a.)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
Salary Escalation Rate (p.a.)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

In addition to the above, for the year 2025-26 the amount of Defined Benefit Obligation of Leave Encashment works out to ₹3.74 mn (Previous Year: ₹66.5 mn), which has been fully provided for.

26. In terms of SEBI circular dated October 29, 2013, the contact details of the Debenture Trustee for various Bonds issued by Export-Import Bank of India are as given below:

DEBENTURE TRUSTEE**AXIS Trustee Services Ltd.**

Designated Persons: Mr. Rahul Choudhary, Managing Director & Chief Executive Officer
Mr. Kumar Saminathan, General Manager & COO

Address:

Registered Office: Axis House,
Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandhurang Budhkar Marg,
Worli Mumbai - 400 025.

Corporate Office: The Ruby, 2nd floor, SW,
29 Senapati Bapat Marg,
Dadar West, Mumbai 400 028.

Tel: (022) 62300451

Email: Debenturetrustee@axistrustee.in

Website: www.axistrustee.in

27. The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was introduced as part of the ₹20 lakh crore comprehensive package announced by the Ministry of Finance, Government of India to aid the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in view of the economic distress caused by the COVID-19 pandemic. Under this scheme, the Bank supported its existing borrowers as per details below:

(₹ mn)

Scheme	2025-26				2024-25			
	Sanction	Disbursed	Outstanding		Sanction	Disbursed	Outstanding	
			No. of Borrowers	Amount			No. of Borrowers	Amount
ECLGS 1.0	-	-	2	44.85	-	-	3	60.00
ECLGS 2.0	-	-	7	151.12	-	-	9	320.00
ECLGS 3.0	-	-	1	165.00	-	-	1	220.00
Grand Total	-	-	10	360.97	-	-	13	600.00

28. Indian Accounting Standards (Ind AS)

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the preparation and submission of the Proforma Ind AS Financials is no longer applicable to Exim Bank.

29. New Labour Codes

The Government of India consolidated multiple existing labour laws into a unified framework of four Labour Codes, collectively referred to as the "New Labour Codes," on November 21, 2025. The actuarial valuation report has duly considered the impact of these changes, which is not expected to be significant. The impact estimates will be further reassessed and finalised upon the issuance of final rules and in alignment with evolving industry practices.

30. Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA)

Particulars	As on March 31, 2026
Quantum of CLAs	
No. of loans :	-
Amount of loans (₹ mn):	-
Weighted Average Rate of Interest:	-
Fees Charged (₹ mn):	-
Fees Paid (₹ mn):	-
Industry / Sector:	-
Performance of Loans:	-
Default Loss Guarantee details:	-

31. Disclosures relating to Securitisation:

		(₹ mn)	
Sr. No.	Particulars	FY2025-26	FY 2024-25
1.	No. of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitisation exposures to be reported here)	-	-
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	• First loss		
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	• First loss		
	• Others		

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	FY2025-26	FY 2024-25
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided.	-	-
	(a) Amount paid		
	(b) Repayment received		
	(c) Outstanding amount		
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e., RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e., RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10.	Investor complaints	-	-
	(a) Directly/Indirectly received and;		
	(b) Complaints outstanding		

Note - Separate table for 'Simple, Transparent and Comparable' (STC) and non-STC transactions shall be provided

32. Disclosure on Project Finance:

Sr. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding# (in ₹ mn)
1.	Projects under implementation accounts at the beginning of the year.	39	57,325.60
2.	Projects under implementation accounts sanctioned during the year.	37	17,144.02
3.	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the year	17	35,901.
4.	Projects under implementation accounts at the end of the year. (1+2-3)	54*	34,467.10
5.	Out of '4' - accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	6^	1,709.44
5.1	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
5.2	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	1	969.10
5.3	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	-	-
7	Out of '5' accounts in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded.	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' - accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked	-	-
8.1	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
8.2	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
8.3	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-

only sanctioned and disbursed cases

* Excluding cases which have been prepaid/repaid or limit is cancelled during the year

^ Excludes cases which have achieved SCOD and deemed SCOD during the year. Includes, 3 cases where DCCO has been extended prior to 1st October 2025, and 3 cases where DCCO has been extended after 1st October 2025.

Note: The above accounts have been considered irrespective of the asset classification of the account.

33. Disclosure on Government Security Lending (GSL) Transactions (In Market Value Terms):**Current Year:****(₹ mn)**

Particulars	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on March 31 2026	Total Volume of Transactions during the Year
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

Previous Year:**(₹ mn)**

Particulars	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on March 31, 2025	Total Volume of Transactions during the Year
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

34. Disclosure on Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities

(₹ mn)

NFB Facilities	As at March 31, 2026 Secured* Portion	As at March 31, 2026 Unsecured Portion	As at March 31, 2025 Secured* Portion	As at March 31, 2025 Unsecured Portion
I. Outstanding Guarantees				
i) In India	29,023.13	1,344.24	33,456.60	15,531.58
ii) Outside India	96,777.43	12,134.65	95,687.67	10,360.97
II. Acceptances, Endorsements and other Obligations	-	-	-	-
III. Other NFB Credit facilities	22,303.54	3,560.16	13,801.85	474.37

*Secured portion is as defined under Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Credit Facilities) Directions, 2025.

***Note:** As regards NFB credit limits, the AIFI shall be guided by the Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Credit Facilities Directors, 2025 as amended from time to time.

35. Previous year's figures have been regrouped / re-arranged, wherever necessary.**For and on behalf of the Board**

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Ms. Himani Pande

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

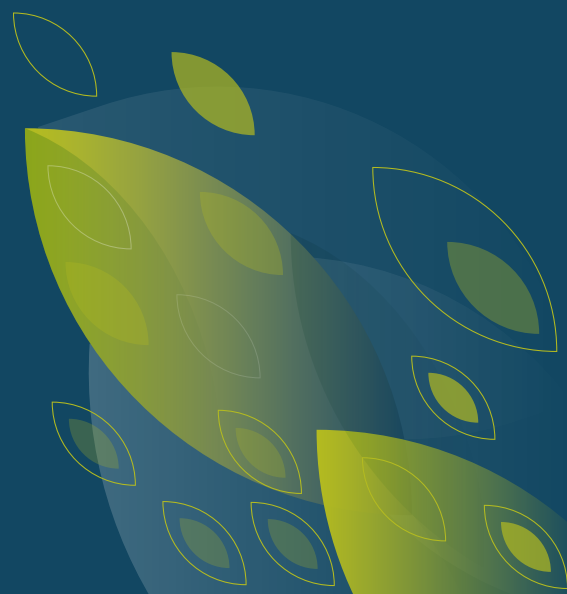
Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

Consolidated Financial Statements



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The President of India

Report on the Audited Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of **General Fund** of "Export-Import Bank of India" (hereinafter referred as "the Parent"), "India Exim Finserve IFSC Private Ltd." (hereinafter referred to as "the subsidiary") and the Group. The Parent and its subsidiary together is referred to as "the Group", which comprise the Consolidated Balance Sheet as at **March 31, 2026**, Consolidated Profit and Loss account and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and Notes to the Consolidated Financial Statements, including a summary of significant Accounting Policies and other explanatory information (hereinafter referred to as 'the Consolidated Financial Statements').

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying Consolidated Financial Statements give the information required in accordance with Regulation 14 (i) of EXIM Bank of India General Regulations, 2020 and give a true and fair view, in conformity with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2026, of its consolidated profit and consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the "Code of Ethics" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

We have determined the matters described below to be the Key Audit Matters to be communicated in our report:

Sr. No	Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
1	Identification of Non-Performing advances and provisioning of advances: Advances constitute a significant portion of the Group's assets and the quality of these advances is measured in terms of ratio of Non-Performing Advances ("NPA") to the gross advances of the Bank. The total advances constitute 81.92% of the consolidated total assets and the gross NPA ratio of the Group is 0.57% as at March 31, 2026.	We performed the following audit procedures, among others, included: - Considering the Bank's policies for NPA identification and provisioning and assessing compliance with the IRACP norms. - Understanding, evaluating and testing the design and operating effectiveness of key controls (including application controls) around identification of impaired accounts based on the extant guidelines on IRAC and additional RBI directives provided solely for the Bank.

Sr. No	Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
	The Reserve Bank of India's ("RBI") directives / guidelines on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning ("IRACP") prescribe the prudential norms for identification and classification of NPAs and the minimum provision required for such assets. The Bank is also required to apply its judgement to determine the identification and provision required against NPAs by applying quantitative as well as qualitative factors. The identification of NPAs is affected by factors like stress and liquidity concerns in certain sectors. The provisioning for identified NPAs is estimated based on ageing and classification of NPAs, recovery estimates, value of security and other qualitative factors and is subject to the minimum provisioning norms specified by RBI. Additionally, the Group makes provisions on exposures that are not classified as NPAs including advances in certain sectors and identified advances or group advances that can potentially slip into NPA as per management's assessment & judgement. These are classified as contingency provisions. The Group has detailed its accounting policy in this regard in Significant Accounting Policies and Notes to Accounts under note I (iii) Asset Classification and Provisioning. Since the identification of NPAs and provisioning for advances require significant level of estimation and given its significance to the overall audit, we have ascertained identification and provisioning for NPAs as a Key Audit Matter.	- Examining the efficacy of various internal controls over advances to determine the nature, timing and extent of the substantive procedures and compliance with the observations / directives of the various audits conducted as per the monitoring mechanism of the Bank, RBI Inspection. - Reviewing account statements and other related information of the borrowers selected based on quantitative and qualitative risk factors. - Examining the early warning reports generated by the Bank to identify stressed loan accounts. - Holding specific discussions with the management of the Bank where there is perceived credit risk and the steps taken to mitigate the risks. - Considering key observations arising out of Risk Based Internal Audits and Concurrent Audits conducted as per the policies and procedures of the Bank. - Considering the RBI Financial Inspection report on the Bank, the Bank's response to the observations and other communication with RBI during the year. - Assessing the appropriateness and adequacy of disclosures against the relevant accounting standards and RBI requirements relating to NPAs including the additional disclosures required in accordance with the Regulatory Package and Resolution Framework.
2	Contingent Liability for Income Tax: The Group has material open tax litigations including matters under dispute which involve significant judgement to determine the possible outcome of these disputes. Since the assessment of these open tax litigations requires significant level of judgement, we have included this as a Key Audit Matter.	With respect to provisioning of advances, we performed the following procedures: - Gained an understanding of the Bank's process for provisioning of advances. - Tested on a sample basis the calculation performed by the management for compliance with RBI regulations and internally laid down policies for provisioning. - For loan accounts, where the Bank made provisions which were not classified as NPA, we reviewed the Bank's assessment for these provisions. - Gained an understanding of the Group's process for determining tax liabilities and the tax provisions. - Reviewed the tax demand by referring to supporting documentation, including correspondence with tax authorities. - Assessed the disclosures within the Consolidated Financial Statements in this regard.

Sr. No	Key Audit Matters	How the matter was addressed in our Audit
3	Information Technology ('IT') Systems and controls for financial reporting The Group's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on information systems including automated controls in systems, such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Due to the pervasive nature and complexity of the IT environment as well as its importance in relation to accurate and timely financial reporting, we have identified this area as a Key Audit Matter.	As a part of our audit procedures for review of the Bank's IT systems and related controls for financial reporting: - Performed walkthrough to evaluate the design and operating effectiveness of the Bank's IT systems and controls that are critical to financial reporting. - The Bank has a system in place for getting application software audits for identified Application Systems at reasonable intervals. Information Systems Security Audit is done by Bank at reasonable intervals. - We reviewed key observations arising out of audits conducted on the Bank's IT systems during the year ended March 31, 2026.

Information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Group's Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon. The Group's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Consolidated Financial Statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance / conclusion thereon.

In connection with our audit of the Consolidated Financial Statements, our responsibility is to read the other information when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated. When we read the Group's Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to communicate the matter to those charged with governance.

Other Matters

The Group has 1 (One) subsidiary, 12 (Twelve) domestic Representative Offices (ROs), 8 (Eight) overseas offices and 1 (One) foreign branch. The financial transactions of the domestic and overseas offices are centralised in the accounting system of the Parent. Out of domestic offices, overseas offices and foreign branch, we have visited 4 (Four) domestic offices and 1 (One) foreign branch.

We have reviewed the Risk Based Internal Audit Report up to the quarter ended 31st December, 2025 and Concurrent Audit Reports up to the month ended 31st March, 2026 of the Parent. We understand that the completion of the Risk Based Internal Audit of the Parent for the quarter ended 31st March, 2026 is still under process and thus the same is not made available to us for our review.

Our opinion on this statement is not modified in respect of this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

The Group's Management is responsible with respect to the preparation and presentation of these Consolidated Financial Statements that give a true and fair view of the consolidated financial position, consolidated financial performance and consolidated cash flows of the Group in accordance with the EXIM Bank of India General Regulations, 2020, and accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by ICAI, applicable provisions of the Companies Act, 2013, circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. The respective Management of the entities included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of

adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the Consolidated Financial Statements, the respective Management of the entities included in the Group are responsible for assessing the ability of the Group to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Government of India either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The respective Management of the entities included in the Group are also responsible for overseeing the financial reporting process of the Group.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Consolidated Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's Internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures in the Consolidated Financial Statements made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the appropriateness of this assumption. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities within the Group to express an opinion on the Consolidated Financial Statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of financial information of the Bank of which we are the independent auditor and the Bank's subsidiary, financial statements of which are audited by some other firm of Chartered Accountants who are responsible for the direction, supervision and performance of the audits carried out by them. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements for the financial year ended March 31, 2026 and are therefore the Key Audit Matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Consolidated Financial Statements have been prepared by the Bank's Management in accordance with the requirements of Accounting Standard (AS) 21, "Consolidated Financial Statements", issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

We further report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid Consolidated Financial Statements have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books.
- The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Profit and Loss Account, the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements.
- The transactions of the Group, which have come to our notice, have been within the powers of the Group.
- In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the Group so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from overseas offices and ROs not visited by us.
- In our opinion, the aforesaid Consolidated Financial Statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/W101061

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271
UDIN: 26032271YYZWIJ7783
Place: Mumbai
Date: May 08, 2026

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

		GENERAL FUND	
		This year (As at 31.03.2026)	Previous year (As at 31.03.2025)
		₹	₹
LIABILITIES	SCHEDULES		
1. Capital	I	159,093,663,881	159,093,663,881
2. Reserves	II	134,356,248,690	99,028,015,711
3. Profit & Loss Account	III	4,280,000,000	3,250,000,000
4. Notes, Bonds and Debentures		1,232,092,278,193	1,115,794,296,200
5. Bills Payable		-	-
6. Deposits	IV	766,307,936	903,357,470
7. Borrowings	V	820,600,791,310	675,464,146,198
8. Current Liabilities and Provisions for contingencies		114,554,025,845	86,948,536,540
9. Other Liabilities		70,632,403,474	47,318,335,326
Total		2,536,375,719,329	2,187,800,351,326
ASSETS			
1. Cash & Bank Balances	VI	113,131,478,094	70,582,318,978
2. Investments	VII	211,186,512,915	159,697,485,142
3. Loans and Advances	VIII	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted	IX	141,190,000,000	52,000,000,000
5. Fixed Assets	X	3,351,830,565	3,404,432,912
6. Other Assets	XI	130,915,444,172	96,725,314,487
Total		2,536,375,719,329	2,187,800,351,326
CONTINGENT LIABILITIES			
(i) Acceptances, Guarantees, endorsements and other obligations		139,279,454,733	155,036,824,435
(ii) On outstanding forward exchange contracts		17,805,391,506	13,108,564,859
(iii) On underwriting commitments		-	-
(iv) Uncalled Liability on partly paid investments		221,071,260	194,597,850
(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts		4,504,380,000	3,612,000,000
(vi) Bills for collection		-	-
(vii) On participation certificates		-	-
(viii) Bills Discounted/Rediscounted		-	-
(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable		800,031,916,156	656,232,550,632
		961,842,213,655	828,184,537,776

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Ms. Himani Pande

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

GENERAL FUND

		This Year (2025-26)	Previous year (2024-25)
		₹	₹
EXPENDITURE	SCHEDULES		
1. Interest		148,848,745,519	145,549,968,629
2. Credit Insurance, fees and charges		1,078,432,428	923,505,699
3. Staff Salaries, Allowances etc. and Terminal Benefits		1,261,313,608	1,705,965,880
4. Directors' and Committee Members' Fees and Expenses		549,700	958,077
5. Audit Fees		2,083,232	1,454,195
6. Rent, Taxes, Electricity and Insurance Premia		490,220,900	453,965,029
7. Communication expenses		54,055,646	52,256,795
8. Legal Expenses		25,832,131	40,990,228
9. Other Expenses	XII	2,120,319,417	1,834,285,599
10. Depreciation		712,014,638	574,829,343
11. Provision for loan losses/contingencies depreciation on investments		(6,056,935,127)	(5,321,159,758)
12. Profit/(Loss) carried down		55,952,240,461	42,972,679,256
Total		204,488,872,553	188,789,698,971
Provision for Income Tax (Net of deferred tax) [including Deferred tax of ₹1,278,998,450 (previous year - ₹1,323,174,509)]		13,220,486,049	10,541,361,504
Balance of profit/(Loss) transferred to Balance Sheet		42,731,754,412	32,431,317,753
		55,952,240,461	42,972,679,256
INCOME			
1. Interest and Discount	XIII	196,699,775,081	183,286,159,311
2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees		7,412,702,917	4,287,371,906
3. Other Income	XIV	376,394,555	1,216,167,755
Total		204,488,872,553	188,789,698,971
Profit/(Loss) brought down		55,952,240,461	42,972,679,256
Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back		-	-
		55,952,240,461	42,972,679,256

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

GENERAL FUND		
	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule I : Capital:		
1. Authorised	200,000,000,000	200,000,000,000
2. Issued and Paid-up : (Wholly subscribed by the Central Government)	159,093,663,881	159,093,663,881
Schedule II : Reserves:		
1. Reserve Fund	115,660,111,989	81,237,979,010
2. General Reserve	-	-
3. Other Reserves :		
Investment Fluctuation Reserve*	3,100,817,637	2,194,717,637
Sinking Fund (Lines of Credit)	1,955,319,064	1,955,319,064
4. Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	13,640,000,000	13,640,000,000
	134,356,248,690	99,028,015,711
Schedule III : Profit & Loss Account:		
1. Balance as per annexed accounts	42,731,754,412	32,431,317,753
2. Less: Appropriations:		
- Transferred to Reserve Fund	37,545,654,412	28,968,496,516
- Transferred to Investment Fluctuation Reserve	906,100,000	212,821,237
- Transferred to Sinking Fund	-	-
- Transferred to Special Reserve u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	-	-
3. Balance of the net profits (Transferable to the Central Government in terms of Section 23(2) of the EXIM Bank Act, 1981)	4,280,000,000	3,250,000,000
Schedule IV : Deposits:		
(a) In India	766,307,936	903,357,470
(b) Outside India	766,307,936	903,357,470
Schedule V : Borrowings:		
1. From Reserve Bank of India :		
(a) Against Trustee Securities	-	-
(b) Against Bills of Exchange	-	-
(c) Out of the National Industrial Credit (Long Term Operations) Fund	-	-
2. From Government of India	-	-
3. From Other Sources :		
(a) In India	402,335,692,201	233,436,461,510
(b) Outside India	418,265,099,109	442,027,684,688
	820,600,791,310	675,464,146,198
Schedule VI : Cash & Bank Balances:		
1. Cash in Hand	235,934	271,911
2. Balance with Reserve Bank of India	28,683,044,356	18,600,337,135
3. Balances with other Banks:		
(a) In India		
i) in current accounts	25,940,272,740	8,095,476,502
ii) in other deposit accounts	10,500,000,000	8,750,000,000
(b) Outside India	48,007,925,064	35,136,233,431
4. Money at call and short notice / Lending under TREPS	-	-
	713,131,478,094	70,582,318,978

*includes an amount of ₹212,821,237 towards Investment Reserve Account (Previous year: ₹212,821,237)

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

GENERAL FUND

	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule VII : Investments: (net of diminution in value, if any)		
1. Securities of Central and State Governments	186,237,059,041	153,797,035,240
2. Equity Shares & Stocks	2,171,875,627	2,338,930,882
3. Preference Shares and Stocks	390,317,183	208,532,727
4. Notes, Debentures and Bonds	1,693,929,076	1,452,641,167
5. Others	20,693,331,988	1,900,345,125
	211,186,512,915	159,697,485,142
Schedule VIII : Loans & Advances:		
1. Foreign Governments	601,870,807,934	551,976,333,756
2. Banks:		
(a) In India	276,578,866,250	201,192,875,000
(b) Outside India	15,554,178,026	12,714,108,278
3. Financial Institutions:		
(a) In India	22,000,000,000	17,000,000,000
(b) Outside India	116,817,610,515	103,636,198,640
4. Others	903,778,990,858	918,871,284,133
	1,936,600,453,583	1,805,390,799,807
Schedule IX : Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted/Rediscounted:		
(a) In India	141,190,000,000	52,000,000,000
(b) Outside India	-	-
	141,190,000,000	52,000,000,000
Schedule X : Fixed Assets: (At cost less depreciation)		
1. Premises		
Gross Block b/f	5,311,632,264	5,311,186,460
Additions during the year	-	445,804
Disposals during the year	-	-
Gross Block as at the end of the year	5,311,632,264	5,311,632,264
Accumulated Depreciation	2,621,628,899	2,392,041,727
Net Block	2,690,003,365	2,919,590,537
2. Others		
Gross Block b/f	2,435,172,717	2,185,296,033
Additions during the year	667,008,051	341,989,157
Disposals during the year	48,775,609	92,112,473
Gross Block as at the end of the year	3,053,405,159	2,435,172,717
Accumulated Depreciation	2,391,577,959	1,950,330,342
Net Block	661,827,200	484,842,376
	3,351,830,565	3,404,432,912
Schedule XI : Other Assets:		
1. Accrued interest on		
a) investments / bank balances	14,594,046,576	12,979,939,514
b) loans and advances	33,121,012,046	37,219,724,588
2. Deposits with sundry parties	82,950,289	70,254,044
3. Advance Income Tax paid (Net)	31,775,297,462	19,982,190,053
4. Others [including Net Deferred tax asset of ₹15,169,468,025 (previous year ₹16,448,466,475)]	51,342,137,799	26,473,206,288
	130,915,444,172	96,725,314,487

SCHEDULES TO THE CONSOLIDATED BALANCE SHEET

GENERAL FUND		
	This Year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
Schedule XII : Other Expenses:		
1. Export Promotion Expenses	75,701,434	55,593,837
2. Expenses on and related to Data Processing	2,526,529	4,243,169
3. Repairs and Maintenance	844,382,528	679,959,716
4. Printing and Stationery	13,002,312	10,866,061
5. Others	1,184,706,614	1,083,622,814
	2,120,319,417	1,834,285,599
Schedule XIII : Interest and Discount:		
1. Interest and Discount on loans and advances/bills discounted/rediscounted	131,854,117,416	123,463,368,674
2. Income on Investments/bank balances	64,845,657,665	59,822,790,636
	196,699,775,081	183,286,159,311
Schedule XIV : Other Income:		
1. Net Profit on sale/ revaluation of investments	356,556,159	1,065,002,196
2. Net Profit on sale of land, buildings and other assets	2,968,781	433,511
3. Others	16,869,615	150,732,048
	376,394,555	1,216,167,755

Note : Deposits under 'Liabilities' [ref. Schedule IV (a)] include 'on shore' foreign currency deposits aggregating USD 1.75 mn (Previous year USD 3.36 mn.) kept by counter party banks / institutions with Exim Bank against reciprocal rupee deposits / bonds.

Investments under Assets' [ref. Schedule VII 4] include bonds aggregating ₹76.30 mn (Previous year ₹152.10 mn) on account of swaps.

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT

Amount in ₹

	Year ended March 31, 2026	Year ended March 31, 2025
Cash flow from Operating Activities		
Net Profit / (Loss) before tax and extra-ordinary items	55,952,240,461	42,972,679,256
Adjustments for		
- (Profit)/Loss on sale of fixed assets (Net)	(2,968,781)	(433,511)
- (Profit)/Loss on sale of Investments (Net)	(356,556,159)	(1,065,002,196)
- Depreciation	712,014,638	574,829,343
- Discount/Expenses on bond issues written off	89,987,791	151,571,641
- Transfer from Investment Fluctuation Reserve	-	-
- Provisions/Write Off of Loans/Investments & other provisions	(6,056,935,127)	(5,321,159,758)
- Others-to specify	(556,301)	102,860
	50,337,226,523	37,312,587,636
Adjustments for		
- Other Assets	(23,422,445,368)	(5,746,574,043)
- Current liabilities	42,092,982,608	(11,575,273,518)
Cash generated from operations	69,007,763,762	19,990,740,074
Payment of income tax/interest tax	(11,962,456,243)	(2,408,656,782)
Net cash flow from Operating activities (A)	57,045,307,519	17,582,083,292
Cash flow from Investing activities		
- Net purchase of fixed assets	(656,443,510)	(340,347,952)
- Net change in investments	(51,132,471,614)	7,186,759,010
Net cash used in / raised from Investing activities (B)	(51,788,915,124)	6,846,411,057
Cash Flow from Financing activities		
- Equity capital infusion	-	-
- Loans borrowed (net of repayments made)	260,942,420,496	245,343,346,474
- Loans lent, bills discounted and rediscounted (net of repayments received)	(220,399,653,776)	(281,368,015,998)
- Dividend on equity shares and tax on dividend (Balance of Net profits transferred to Central Government)	(3,250,000,000)	(2,520,000,000)
Net cash used in / raised from Financing activities (C)	37,292,766,720	(38,544,669,524)
Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents (A+B+C)	42,549,159,115	(14,116,175,175)
Opening cash and cash equivalents	70,582,318,978	84,698,494,154
Closing cash and cash equivalents	113,131,478,093	70,582,318,978

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Ms. Himani Pande

Dr. Abhijit Phukon

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Sristiraj Ambastha

Shri Ashwani Kumar

Directors

Mumbai
Dated : May 08, 2026

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS

I SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(i) Consolidated Financial Statements

a) Basis of preparation

The consolidated Balance Sheet and Profit and Loss account of Export-Import Bank of India (Exim Bank) have been prepared in accordance with the accounting principle followed in India and applicable provisions of the Companies Act, 2013, as applicable to India Exim Finserve IFSC Pvt. Ltd, a wholly owned subsidiary. The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis unless otherwise stated. The Significant Accounting Policies that are applied by the Bank are consistent with those used in the previous year, except the following change in accounting policy for accounting of derivative contracts.

During FY 2025-26, the Bank has transitioned from the erstwhile accrual accounting to the Fair Value Hedge accounting for Interest Rate Swaps (IRS) and fair valuation accounting for Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS) with effect from September 30, 2025, in line with the revised ICAI Guidance Note (revised 2021) based on RBI Circular no. 222 dated June 26, 2019. Contracts executed on or after June 26, 2019, were brought under the revised accounting policy, while contracts prior to June 26, 2019, continued under the accrual method. This transition resulted in a net negative adjustment of ₹3,123 mn (net of taxes), debited to the Reserve Fund account, as per para 71 of the ICAI Guidance Note.

Post transition on March 31, 2026, the net impact of accounting of all the above derivatives amounting to ₹2,577 mn has been credited to the Profit & Loss account. While considering IRS, five derivative contracts were fair valued in place of fair value hedge. Further, for outstanding CCIRS, the Bank has opted for fair valuation accounting instead of fair value hedge accounting.

The form and manner in which the Balance Sheet and the Profit and Loss account of Exim Bank are prepared have been provided in the Export-Import Bank of India, General Regulations, 2020, approved by the Board of Directors with the previous approval of Government of India under Section 39 (2) of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981). Certain important financial ratios / data are disclosed in terms of Reserve Bank of India (RBI) Master Direction DOR.ACC.REC. No.253/21.04.018/2025-26 dated November 28, 2025.

b) Use of estimates

The preparation of consolidated financial statements in conformity with accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of assets and liabilities and provisions (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses for the reporting period. The management believes that the estimates used in the preparation of the consolidated financial statements are prudent and reasonable. Actual results could differ from those estimates. Any revision to such estimates is recognized in such period in which the same is determined.

c) Consolidation Procedures

The consolidated financial statements include India Exim Finserve IFSC Private Limited a wholly owned subsidiary. The consolidated financial statements of the Group (comprising one subsidiary) have been prepared on the basis of:

- a. Accounts of Exim Bank (Parent).
- b. Line-by-line aggregation of each item of asset, liability, income, and expense of the subsidiary with the corresponding item of the Parent, after eliminating all material intra-group transactions and balances, and unrealised profit/loss as per Accounting Standard (AS) 21 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

- c. In case of differences in accounting policies between parent and the subsidiary, the financial statements of subsidiary are adjusted, whenever necessary and practicable, to conform to the accounting policies of the Parent.

(ii) Revenue Recognition

- a) Income/Expenditure is recognised on accrual basis except in respect of interest on Non-performing Assets (NPA) / Non-performing Investments (NPI), interest on loans under Strategic Debt Restructuring, Central Government guaranteed loans having overdues more than 90 days, fee income, commission, commitment charges and dividend income which are accounted on cash basis. NPAs are determined and classified as per relevant RBI guidelines. Discount/ redemption premium offered on Exim Bank Bonds is amortised over the tenure of the bond and included in interest expenses.
- b) India Exim Finserve: Income / Expenditure is recognised on accrual basis except dividend income and gain/losses on disposal of investments which are accounted on cash basis. Interest income and facility fee on financing to suppliers is recognised at the time of disbursement / discounting of the invoices to supplier. The invoice handling fee, unless waived, is recognised at the time of discounting of invoices.

(iii) Asset Classification and Provisioning

- a) Loans and Advances shown in the Balance Sheet comprise only the principal outstanding net of provisions for Non-Performing Assets (NPA). Interest receivables are grouped under "Other Assets".

Loan Assets are classified into the following groups: Standard Assets, Sub-standard Assets, Doubtful Assets and Loss Assets, taking into consideration the degree of credit weaknesses and extent of dependence on primary collateral security for realisation of dues. Classification of loan assets and provisioning are as per relevant RBI directives / guidelines.
- b) In case of the receivable acquired by India Exim Finserve under factoring, if not paid by the due date, is classified as NPA irrespective of when the receivable was acquired or whether the factoring was carried out on "recourse basis" or "non-recourse" basis. The due date is considered as 90 days from the specified due date for payment as per IFSCA guidelines. Provisions are made at the rate prescribed by the regulatory authorities from time to time on the closing funds in utilization (FIU).

(iv) Investments

The entire investment portfolio is classified under three categories:

- (a) "Held to Maturity" (the securities acquired with the intention to hold them to maturity),
- (b) "Held for Trading" (the securities acquired with the intention to trade by taking advantage of the short-term price/interest rate movements, etc.) and
- (c) "Available for Sale" (the balance investments).

The investments are further classified as:

- i) Government securities
- ii) Other approved securities
- iii) Shares
- iv) Debentures and Bonds
- v) Subsidiaries/Joint Ventures
- vi) Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units, etc.)

The classification of various instruments of investments, categorisation, shifting among categories, valuation and provisioning of investments are done in accordance with the norms laid down by RBI for All-India Financial Institutions.

(v) Fixed Assets and Depreciation

- (a) Fixed Assets are stated at historical cost less accumulated depreciation.

- (b) Depreciation is provided for on straight-line method basis at the following rates:

ASSET	DEPRECIATION RATE
Owened Buildings	5%
Furniture and Fixtures	25%
Office Equipment	25%
Other Electrical Equipment	25%
Computer Software	25%
Motor Vehicles	25%
Computers and other electronic items subject to rapid technological obsolescence	33.33% for first two years, 33.34% in third year
Mobile Phones	50%

- (c) In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided for the entire year in the year of purchase and in respect of assets sold during the year, no depreciation is provided in the year of sale. However, for India Exim Finserve, depreciation begins when an asset is put to use, the residual value of an asset shall not exceed 5% of its original cost unless a higher residual value is technically justified, and in the event an asset is disposed of or retired, depreciation is charged up to the date of disposal or retirement.
- (d) When a depreciable asset is disposed of, discarded, demolished or destroyed, the net surplus or deficit is adjusted in the Profit and Loss account.

(vi) Impairment

The carrying amounts of assets are reviewed at each Balance Sheet date based on internal / external factors to provide for impairment in the value of the assets or reverse impairment losses recognised in previous periods, as applicable. Impairment loss is recognised when the carrying amount of an asset exceeds recoverable amount.

(vii) Accounting for Foreign Currency Transactions

- (a) Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the Balance Sheet date at the closing rates of exchange notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India ('FEDAI') and the resulting gains or losses (if any) are recognised in the Profit and Loss account
- (b) Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year.
- (c) Outstanding foreign exchange contracts are revalued at rates of exchange notified by the FEDAI for specified maturities and the resulting profits / losses are included in the Profit and Loss account.
- (d) Contingent liabilities in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are stated at the rates of exchange notified by FEDAI at the year end.
- (e) The reporting currency of India Exim Finserve is USD as per IFSCA regulations. The statutory and administrative payments undertaken in INR are converted using FEDAI published weekly average exchange rate of the preceding week. The assets and liabilities on account of TDS deducted on vendor payments and staff salaries are reversed at the same exchange rate which was applied at the time of making the payment. Provision for expenses, prepaid expenses and petty cash are reversed / accounted at the same exchange rate which was applied at the time of making the provision, payment or withdrawal of cash respectively. If payments are made or provisions are reversed after the end of the accounting period, they are accounted for at the exchange rate prevailing on the date of the transaction.

(viii) Guarantees

Provisioning for guarantees is made taking into account the likely losses on projects till their completion, for uncovered portion under ECGC policies.

(ix) Derivatives

The Bank enters in derivative contracts, such as interest rate swaps, currency swaps, cross currency interest rate swaps and forward rate agreements to hedge on-balance sheet/ off-balance sheet assets and liabilities. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets / liabilities bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets/liabilities. The principal portion of the outstanding swap contracts as at the year end are translated at closing FEDAI exchange rates. The Bank as part of its risk management strategy, makes use of derivative instruments, for hedging the risk embedded in some of its assets or liabilities recognised on the balance sheet. The Bank identifies the hedged item (asset or liability) at the inception of the transaction itself. Hedge effectiveness is ascertained at the time of the inception of the hedge and at the reporting date thereafter. Based on RBI circular issued on June 26, 2019, the accounting for derivative contracts entered after June 26, 2019, is in accordance with the Guidance Note (revised 2021) on Accounting for derivative contracts issued by Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). Further, the derivative contracts under hedge relationships prior to that date are accounted for on an accrual basis and are not marked to market unless their underlying transaction is marked-to-market. Qualitative and Quantitative disclosures pertaining to outstanding derivative contracts as on the Balance Sheet date, are reported in the "Notes to Accounts" in accordance with RBI's Master Direction on Presentation, Disclosure and Reporting norms for All India Financial Institutions.

(x) Provision for Employee Benefits

- a) **Defined Contribution Plan:** The Bank contributes to the Provident Fund for employees and to the National Pension System (NPS – Corporate Model) for employees who joined on or after April 01, 2010. The contributions are recognised in the Profit and Loss account on an accrual basis.
- b) **Defined Benefit and Other Long-Term Plans:** Liabilities towards gratuity, pension (for eligible employees joined on or before March 31, 2010), leave encashment are determined based on actuarial valuation using the projected unit credit method at the end of each financial year. Actuarial gains or losses are recognised in the Profit and Loss account on an accrual basis.

(xi) Accounting for taxes on Income

- (a) Provision for current tax is made, based on the tax payable under the relevant statute.
- (b) Deferred tax on timing difference between taxable income and accounting income is accounted for, using the tax rates and the tax law enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a virtual certainty of realisation.
- (c) As India Exim Finserve is operating in Gift IFSC, it qualifies for twenty-year exemption out of a total of twenty-five consecutive years. The deferred tax on timing difference which reverses during the tax holiday period are not recognized to the extent the gross total income is subject to the deduction during the tax holiday period. Deferred tax in respect of timing differences which reverse after the tax holiday period is recognized in the year in which the timing differences originate. The timing difference which originates first is reversed first.

(xii) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

As per AS 29 – "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent liabilities are disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

II NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. Agency Account

As Exim Bank is acting only in the capacity of an agency to facilitate certain transactions in Iraq relating to Indian contractors, foreign currency receivables advised to the Bank equivalent to ₹65,178.92 mn (previous year ₹58,745.91 mn) held on agency account including a sum of ₹58,896.47 mn (previous year ₹53,083.52 mn) assigned to Government of India (GOI) are not included in the above Balance Sheet.

2. (a) Contingent Liabilities

Guarantees include expired guarantees amounting to ₹585.67 mn (previous year ₹4,067.47 mn), yet to be cancelled in the books.

(b) Claims not acknowledged as debts

An amount of ₹4,504 mn (previous year ₹3,612 mn) shown under Contingent Liabilities as "Claims on the Bank not acknowledged as debts", pertains to claims / counter-claims filed against the Bank mostly by the Bank's defaulting borrowers in response to legal action initiated against them by the Bank. None of the claims / counter-claims is considered as maintainable in the opinion of the Bank's solicitors and none of them has reached the stage of final hearing. Based on professional advice, no provision is considered necessary.

(c) Contingent Liability on account of Income-Tax

An amount of ₹656.21 mn (previous years ₹889.56 mn) has been included under Contingent Liabilities on account of disputed income tax matters pending before various adjudicating authorities, which in the Bank's assessment are less likely to result in liability being materialised and against which there is excess tax provision of ₹1,548.94 mn (Previous Year: ₹1,531.77 mn), accordingly on an overall basis there is no contingent liability on account of Income Tax.

(d) Forward Exchange Contracts, Currency / Interest rate Swaps

- (i) The outstanding forward exchange contracts as at March 31, 2026, have been fully hedged. The Bank undertakes derivatives transactions (Interest Rate Swaps, Forward Rate Agreements and Currency-cum-interest rate swaps), for the purpose of Asset-Liability management. The Bank also unwinds and re-enters such transactions based on the requirements/market conditions. The outstanding derivative transactions are captured in the Structural Liquidity Position and interest rate sensitivity position, which is monitored by the Asset Liability Management Committee (ALCO) and reviewed by Risk Management Committee (RMC) of the Board. The credit equivalent of derivatives is arrived at as per 'Current Exposure' method prescribed by RBI. The fair value and the price value of a basis point (PV01) of derivatives are disclosed separately in the 'Notes to Accounts' as stipulated by RBI. The premium or discount arising at inception of forward exchange contracts is amortized over the life of the contracts. Any profit or loss arising on cancellation of forward exchange contracts is recognized as income / expense for the year.
- (ii) The Bank is permitted to be a 'market maker' in FX Swaps, Currency Swaps and Foreign Currency Interest Rate Swaps without any tenor or currency restrictions.

(e) Profit / Loss on Exchange fluctuation

Assets and liabilities denominated in foreign currency are translated at the exchange rate notified by the Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI) at the year end. Income and expenditure items are translated at the average rates of exchange during the year. The notional gain on such translation of the retained earnings on FC operations during the current year is ₹2,094.95 mn (Previous year ₹183.97 mn)

3. Disclosure relating to Micro, Small and Medium Enterprises under the Micro, Small and Medium Enterprises Act, 2006

There have been no reported cases of delayed payments (beyond 45 days from the due date) to Micro, Small and Medium Enterprises.

4. Capital

4.1 PILLAR 3 DISCLOSURES UNDER BASEL III CAPITAL ADEQUACY FRAMEWORK AS ON MARCH 31, 2026

Reserve Bank of India (RBI) issued All India Financial Institutions (AIFIs) - Prudential Norms on Capital Adequacy Directions, 2025 (Ref. No. RBI/DOR/2025-26/321 DOR.CAP.REC.240/21-01-002/2025-26) dated November 28, 2025 applicable for All India Financial Institutions including Export-Import Bank of India (Exim Bank). These Directions came into effect immediately upon issuance. The capital adequacy framework comprises three pillars:

Pillar 1: Minimum capital requirements for credit risk, market risk and operational risk

Pillar 2: Supervisory review of capital adequacy

Pillar 3: Market discipline

Market discipline (Pillar 3) comprises set of disclosures on the capital adequacy and risk management framework of the Bank. These disclosures are provided below in the following sections.

Table DF-1: Scope of Application

Name of the head of the group to which the framework applies - Export Import Bank of India

Export Import Bank of India ("the Bank") is an All-India Financial Institution (AIFI), which was incorporated under the Export-Import Bank of India Act, 1981. The Bank is a controlling entity for all group entities which currently comprise of one wholly owned subsidiary. The consolidated financial statements of the Bank comprise the financial statements of Export Import Bank of India and its wholly owned subsidiary India Exim Finserve IFSC Private Limited, that together constitute the "Group". The consolidated financial statements of the Bank have been prepared in accordance with the accounting principles followed in India and applicable provisions of the Companies Act, 2013. The form and manner in which the financial statements are prepared have been provided in the Export-Import Bank of India, General Regulations, 2020, approved by the Board of Directors with the previous approval of Government of India under Section 39 (2) of Export-Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981). The consolidated financial statements (comprising one subsidiary) have been prepared on the basis of:

- a. Accounts of EXIM Bank (Parent).
- b. Line-by-line aggregation of each item of asset, liability, income, and expense of the subsidiary with the corresponding item of the Parent, after eliminating all material intra-group transactions and balances, and unrealized profit/loss as per Accounting Standard (AS) 21 issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
- c. In case of differences in accounting policies between parent and the subsidiary, the financial statements of subsidiary are adjusted, whenever necessary and practicable, to conform to the accounting policies of the Parent.

(i) Qualitative Disclosures

a. List of group entities considered for consolidation

Name of the entity / (Country of Incorporation)	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under regulatory scope of consolidation (Yes/No)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reasons if consolidated under only one of the scopes of consolidation
India Exim Finserve IFSC Private Limited / India	Yes	Consolidated as per Accounting Standard (AS) 21	Yes	Consolidated as per Accounting Standard (AS) 21	Not Applicable	Not Applicable

- b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation

Name of the entity / Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (As stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% Of AIFI's holding in the total equity	Regulatory treatment of AIFI's investments in the capital instruments of the entity	Total balance sheet assets (As stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

There are no group entities that are not considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation.

- (ii) Quantitative Disclosures

- c. List of group entities considered for consolidation

				₹ mn
Name of the entity / Country of Incorporation (as indicated in (a) above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	
India Exim Finserve IFSC Private Limited / India	Trade Finance by way of Factoring, Forfaiting; Financial assistance by way of loans, commitments and guarantees, credit enhancement, securitisation, financial lease, and sale and purchase of portfolios	950.74	1,459.67	

- d. The aggregate amount of capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e., that are deducted

Name of the Subsidiaries/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (As stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (₹ mn)	% Of AIFI's holding in the total equity	Capital deficiencies
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

There is no capital deficiency in any subsidiary which is not included in regulatory scope of consolidation

- e. The aggregate amounts (e.g., current book value) of the AIFI's total interests in insurance entities, which are risk-weighted

Name of the insurance entities/ Country of Incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity) (₹ mn)	% of AIFI's holding in the total equity / proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

There are no group entities that are in the insurance business, and which have been risk weighted.

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the group

Name of Subsidiary	Restrictions
India Exim Finserve IFSC Private Limited	The only way to transfer capital to parent is to pay dividend or buy back shares. There are no restrictions on transfer of funds or regulatory capital as per the Articles of Association of the company. The buyback shall be subject to provisions of sections 68 to 70 and any other applicable provisions of the Companies Act 2013, or any other law for the time being in force. Any additional investment or advances to subsidiary shall be governed by the applicable regulatory provisions, or any guideline issued by the RBI from time to time. Further, any transfer of funds and regulatory capital shall be subject to local laws and regulation of host countries as applicable.

Table DF-2: Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures

(a) Approach towards assessment of Capital Adequacy

Exim Bank (hereafter "the Bank"), maintains adequate capital to meet regulatory norms, current and future business needs considering the risks in its businesses. The Bank has a comprehensive process for assessing its capital adequacy in relation to its risk profile and monitoring the same on an ongoing basis. The process provides an assurance that the Bank has adequate capital to support all risks inherent to its business.

Regulatory capital is the mandatory capital that is required to be held in line with Basel III Capital Adequacy Direction. The Bank undertakes a comprehensive assessment of its risk profile through Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) conducted annually, which determines the adequate level of capital required for the Bank to meet regulatory norms, current and future business needs.

The Bank has implemented a Board approved Stress Testing Policy, which forms an integral part of the Bank's ICAAP. Stress testing involves the use of various techniques to assess the Bank's potential vulnerability to severe but plausible stressed business conditions. The stress tests are used in conjunction with the Bank's business plans for the purpose of capital planning in the ICAAP as per its medium-term business strategy (MTBS). The Bank also has in place a Board approved Risk Appetite Policy.

The Board of Directors of the Bank maintain an active oversight over the Bank's capital adequacy levels. Further, ICAAP which is an annual process also serves as a mechanism for the Board to assess and monitor the Bank's capital adequacy position. The Bank has carried out capital assessment up to FY 2029 as a part of ICAAP framework. The ICAAP details the capital planning process and carries out an assessment covering measurement, monitoring, internal controls, reporting, capital requirement and stress testing of the following material risks: (i) Credit Risk (ii) Market Risk (iii) Operational Risk (iv) Liquidity Risk (v) Interest Rate Risk in the Banking Book (vi) Residual Risk from Credit Risk Mitigants (vii) Credit Concentration Risk (viii) Country Risk (ix) Compliance Risk (x) Business and Strategic Risk (xi) Model Risk (xii) Reputation Risk (xiii) ESG Risk (xiv) Settlement risk and, (xv) Cyber Security/ IT Infrastructure risk.

The Bank has carried out risk assessment of all its material risks and has expressed it either quantitatively or qualitatively. The Bank has calculated the additional capital requirements as per the assessment methodologies in ICAAP for the risks identified.

(ii) Quantitative Disclosures

For Pillar 1 risk assessment, the Bank has adopted the following approaches for calculation of capital as per RBI Master Directions:

- 1) Standardized Approach for Credit Risk
- 2) Standardized Duration Method for Market Risk
- 3) Basic Indicator Approach for Operational Risk

The Bank's capital requirement for credit, market and operational risk is calculated as per the minimum capital requirement of 9% of the Risk Weighted Assets. A summary of the capital requirement for credit, market and operational risk and capital adequacy ratio as on March 31, 2026, is given as here under:

Sr. No.	Items	Amount in ₹ mn March 31, 2026
(b)	Capital requirements for Credit Risk	84,177.03
	• Portfolios subject to Standardized Approach	84,177.03
	• Securitization Exposures	-
(c)	Capital requirements for Market Risk	5,720.45
	• Standardized Duration Approach	
	- Interest Rate Risk	4,135.06
	- Foreign Exchange Risk (including Gold)	1,012.50
	- Equity Risk	572.90
(d)	Capital requirements for Operational Risk	6,898.71
	• Basic Indicator Approach	6,898.71
(e)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital	
	• Group	
	- CET 1 Capital	269,363.65
	- Tier 1 Capital	269,363.65
	- Tier 2 Capital	14,488.12
	- Total Capital	283,851.77
	• Standalone	
	- CET 1 Capital	268,496.04
	- Tier 1 Capital	268,496.04
	- Tier 2 Capital	14,484.70
	- Total Capital	282,980.74
(f)	Common Equity Tier 1, Tier 1 and Total Capital ratios:	
	• Group CRAR	
	- CET 1 Ratio	25.04%
	- Tier 1 Ratio	25.04%
	- Tier 2 Ratio	1.35%
	- CRAR	26.39%
	• Standalone CRAR	
	- CET 1 Ratio	24.99%
	- Tier 1 Ratio	24.99%
	- Tier 2 Ratio	1.35%
	- CRAR	26.34%

Risk Exposure and Assessment

Organization structure

The responsibility for monitoring and managing Bank-wide risks and overseeing the policy and strategy for integrated risk management relating to credit risk, market risk and operational risk, including the operations of the Asset Liability Management Committee (ALCO), the Credit Risk Management Committee (CRMC) and the Operational Risk Management Committee (ORMC) is vested with the Risk Management Committee of the Board (RMC). The Bank has a comprehensive risk management system, and it has a dedicated Risk Management Group (RMG), which is headed by the Chief Risk Officer (CRO), who reports to the RMC.

ALCO addresses asset-liability management, liquidity risk and market risks such as interest rate risk, exchange rate risk among others. CRMC is tasked with management and control of credit risks on a Bank-wide basis. The ORMC reviews the occurrence of operational risk events in the Bank and recommends corrective action(s) to prevent recurrence as also includes identification, assessment and / or measurement, monitoring and control/ mitigation of operational risks related to/ emanating from IT-assets of the Bank. The Bank also undertakes an annual review of the Business Continuity and Disaster Recovery plans of its offices. Within RMG, there is a separate Information Security Unit (ISU), which is headed by Chief Information Security Officer (CISO), who oversees and manages the overall security and control of the Bank's information systems. In the Information Security domain, the Information Security Committee (ISC), manages cyber / information security functions of the Bank.

Table DF-3: Credit Risk: General Disclosures

(i) Qualitative disclosures

(a) Definition and Classification of Non-performing Assets

An asset becomes non-performing when it ceases to generate income for the Bank. Advances are classified into performing and non-performing assets (NPAs) as per Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Income Recognition, Asset Classification and Provisioning) Directions, 2025, dated November 28, 2025, which replaced the extant IRACP norms dated April 1, 2025. A non-performing asset (NPA) is a loan or an advance where:

- Interest and/or installment of principal remains overdue for a period of more than 90 days in respect of a loan.
- In respect of derivative transactions, the overdue receivables representing positive mark-to-market value of a derivative contract, if these remain unpaid for a period of 90 days from the specified due date for payment.
- The bill remains 'overdue' for a period of more than 90 days in case of bills purchased and discounted.

NPAs are further classified into sub-standard, doubtful and loss assets based on the criteria stipulated by RBI. A sub-standard asset is one, which has remained a NPA for a period less than or equal to 12 months. An asset is classified as doubtful if it has remained in the sub-standard category for a period of 12 months. A loss asset is one where loss has been identified by the Bank or internal or external auditors or during RBI inspection and the amount has not been written-off fully.

Early identification and reporting of stress

Identification of incipient stress in loan accounts, immediately on default*, by classifying stressed assets as special mention accounts (SMA) as per the following categories:

SMA Sub-categories	Basis for classification – Principal or interest payment or any other amount wholly or partly overdue between
SMA-0	1-30 days
SMA-1	31-60 days
SMA-2	61-90 days

* Default' means non-payment of debt when whole or any part or instalment of the amount of debt has become due and payable and is not repaid by the debtor or the corporate debtor.

Discussion of the Bank's Credit Risk Management Policy

The Bank has appropriate loan policies related to Credit Risk Management and Credit Risk Mitigation in place, which are reviewed annually. The above policies cover eligibility and financial norms for various lending programs, prudential requirements (including exposure ceilings for industry, individual/group borrowers, unsecured loans, countries, off-balance sheet exposures), risk identification, risk grading, internal reporting and mitigation policies, credit administration, early warning system, detection & management of problem loans and credit review.

The Bank has a centralised credit risk evaluation process, which requires detailed risk analysis, mitigation strategies, analysis of debt servicing ability, evaluation of collateral, lending terms and conditions as appropriate to the risk profile of the borrower and transactions.

The Bank follows two stage assessment / sanction process for its commercial business. At the first stage, proposals generated through the marketing efforts of regional offices are screened by a Preliminary Screening Committee (PSC) at Head Office, which comprises executives / officers drawn from different groups. Proposals cleared by PSC are admitted for detailed appraisal. An independent Rating Committee validates the internal loan ratings. Post credit appraisal by the credit group, the appraisal note is shared with Credit Risk and Monitoring team (CRMT) under the Risk Management Group, which scrutinizes the proposal and provides comments on various credit risk and security related aspects of the proposal including risk mitigation measures where possible. The appraisal note along with a note addressing the CRMT comments are submitted to the sanctioning authority as per Delegation of Powers (DOP) approved by the Board.

The Bank uses various credit risk rating models, which cover assessment of corporates and projects (both greenfield and brownfield). The model assesses risks across 4 silos: industry, business, financial and management risk. A brief review of migration of ratings is submitted to the Risk Management Committee of the Board.

For credit monitoring, the Bank has implemented an automated early warning system (EWS), which integrates data from various sources both from public domain as well as from within the Bank. With the help of this data and algorithmic intelligence, the system helps the Bank detect early warning signals of possible financial distress. The loan accounts displaying unsatisfactory features/EWS are monitored closely for follow up and time bound action is taken to prevent their slippage into NPAs. The Bank has set up an EWS Committee, which periodically reviews high risk alerts provided by the EWS system. The Bank has a Board approved Non-Performing Assets Recovery Policy, which deals with Bank's approach towards NPA management and recovery. The Bank also has a system of credit audit with the aim of achieving continuous improvement in the quality of the credit portfolio. Credit audit covers audit of credit sanction processes at various levels.

The Bank complies with the norms on exposure stipulated by RBI for both single counterparty as well as group counterparties at the consolidated level. Limits have been set as a percentage of the Bank's applicable Tier I capital fund and are regularly monitored. The utilisation against specified limits is reported to the CRMC and Risk Management Committee on a periodic basis.

Limits have been stipulated on single counterparty, group of connected counterparties and industry. Exposure to top 10 single counterparties as well as group counterparties, exposure to industry sectors and unsecured exposures are reported to the CRMC on a periodic basis. Limits on countries and bank counterparties have also been stipulated. Further, the Bank has risk based single borrower limits based on credit rating. These limits are in addition to the prudential limits prescribed by the regulator. Further, breach in any exposure limits, if any, needs to be rectified at the earliest. The breach in exposure limits shall be reported to CRMC on a monthly basis and RMC on bi-annual basis.

(ii) **Quantitative Disclosures**

(b) **Total Gross Credit Risk Exposure**

	₹ mn
Particulars	31-03-2026
Fund Based Exposures	2,433,613.54
Non-fund Based Exposures	166,153.39
Total Gross Credit Exposures	2,599,766.93

Includes derivatives and investments subject to credit risk

(c) Geographic Distribution of Exposures

	₹ mn	
Exposures	Fund Based	Non-fund Based
	Exposures	Exposures
	31-03-2026	31-03-2026
Domestic operations	1,262,648.11	145,803.20
Overseas operations	1,170,965.43	20,350.19
Total	2,433,613.54	166,153.39

Includes derivatives and investments subject to credit risk

(d) Industry Type Distribution of Exposures

	₹ mn	
INDUSTRY	Fund Based	Non-Fund Based
	Exposures#	Exposures#
	31-03-2026	31-03-2026
Financial Services	550,824.59	23,137.32
Ferrous Metals and Metal Processing	99,171.47	-
Petroleum Products	92,167.29	56.90
Power	72,933.40	2,190.44
EPC Services	7,159.67	59,658.42
Construction	16,190.13	43,981.11
Chemicals And Dyes	59,137.69	233.62
Petrochemicals	51,284.65	314.87
Renewable Energy	42,671.99	2,230.80
Drugs and Pharmaceuticals	44,618.80	-
Auto & Auto Components	39,854.03	-
Ports and Other Infrastructure	34,324.39	805.69
Textiles and Garments	33,005.94	127.76
Capital Goods	28,333.40	3,617.26
Engineering Goods	19,030.97	12,157.99
Non-Ferrous Metals & Metal Processing	27,096.60	695.07
Aviation Services	16,717.10	6,837.06
Steel Pipes	18,113.37	3,839.36
Telecommunications	16,605.95	-
Consumer Goods	13,404.93	1,255.66
Shipping Services	13,434.28	-
Trading	10,973.66	-
Agro & Food Processing	9,036.85	400.00
Oil and Gas	7,869.75	1,232.86
Mining and Minerals	8,582.74	-
Cement	7,735.40	-
Miscellaneous	7,487.43	-
Software & ITES / KPO	7,255.99	47.86
Paper and Paper Products	6,082.70	-
Logistics	4,906.13	-
Glass and Glassware	4,271.58	463.29
Healthcare Services	4,400.02	34.00
Hospitality & Tourism	4,136.28	-
Plastic Products	4,078.15	-
Aerospace & Defence Equipment	2,227.51	911.28
Films & Entertainment	3,085.40	-
Tyres	2,840.84	24.76
Packaging	2,670.94	-
Consultancy Services	379.27	1,886.55
Port Services	2,137.73	13.48
Gems and Jewellery	1,415.14	-

₹ mn

INDUSTRY	Fund Based Exposures [#]	Non-Fund Based Exposures [#]
	31-03-2026	31-03-2026
Printing and Publishing	365.45	-
Electronics	184.74	-
Rubber Products	122.63	-
Ship Building	82.37	-
Leather Products	16.43	-
Wood Based Products	2.40	-
Not applicable*	1,035,185.37	-
Grand Total	2,433,613.54	166,153.39

[#] Includes exposure by way of refinancing, derivative exposure and exposure counter-guaranteed by banks

* Exposure to overseas government / parastatal entities / central and state governments

Credit Exposure of industries where outstanding exposure is more than 5% of the Total Gross Credit Exposure of the Bank

Industry	Total Exposure [#] (₹ mn)	% Of Total Gross Credit Exposure
Financial Services	573,961.90	22.08%
Not Applicable*	1,035,185.37	39.82%

[#] Includes exposure by way of refinancing, derivative exposure and exposure counter-guaranteed by banks,

*Exposure to overseas government/parastatal entities / central and state governments

(e) Residual Contractual Maturity Breakdown of Assets

₹ mn

Inflows	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 to 6 months	Over 6 months to 1 year	Over 1 to 3 years	Over 3 to 5 years	Over 5 to 7 years	Over 7 to 10 years	Over 10 years	Total
Cash	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24
Balances with RBI	28,683	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,683
Balances with other Banks	73,271	-	156	6,777	4,238	6	-	-	-	-	84,448
Investments	10,945	997	16,787	9,692	18,451	17,050	36,154	17,339	76,468	7,305	211,187
Advances	62,838	81,375	237,589	131,958	257,716	426,850	345,355	188,701	194,947	109,909	2,037,239
Fixed Assets	-	-	-	-	-	0	-	-	-	3,352	3,352
Other Assets	5,070	1,476	43,325	11,651	220	12,781	0	3	-	55,649	130,176
Total	180,808	83,848	297,857	160,078	280,625	456,687	381,509	206,043	271,415	176,215	2,495,085

(f) Amount of Non-Performing Assets (NPA)

Sr. No.	Items	₹ mn
		31-03-2026
(g)	Gross NPAs	11,974.98
	Sub-Standard	320.71
	Doubtful 1	-
	Doubtful 2	3,834.84
	Doubtful 3	7,819.44
(h)	Loss	-
	Net NPAs	192.43
(i)	NPA Ratios	
	Gross NPAs to Gross Advances (%)	0.57
	Net NPAs to Net Advances (%)	0.01

Sr. No.	Items	₹ mn
		31-03-2026
	Movement of NPAs (Gross)	
	Opening balance	32,197.30
(j)	Additions	3,418.85
	Reductions	23,641.17
	Closing Balance	11,974.98
	Movement of Provisions for NPAs	
	Specific Provisions	
	Opening Balance	29,670.00
	Provisions made during the period	945.66
	Write-off	590.92
	Write back of excess provisions	18,242.18
	Any Other Adjustments, including transfers between provisions	-
	Closing Balance	11,782.56
(k)	General Provisions	
	Opening Balance	-
	Provisions made during the period	-
	Write-off	-
	Write back of excess provisions	-
	Any Other Adjustments, including transfers between provisions	-
	Closing Balance	-
	Write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement	-
(l)	Amount of Non-Performing Investments	19,975.78
(m)	Amount of Provisions held for Non-Performing Investments	19,903.06
	Movement of Provisions for Depreciation on Investments	
	Opening Balance	22,529.39
(n)	Provisions made during the period	1,792.03
	Write-off	222.44
	Write Back of excess Provisions	344.71
	Closing Balance	23,754.27

(o) Top 5 Industries based on Total Credit Exposure as on March 31, 2026

₹ mn					
Industry	Gross NPA	Specific Provisions	General Provisions	Specific provisions during the current period	Write-offs during the current period
Top 5 Industries	4,904.42	4,904.42	-	310.33	-

(p) Geography-wise break-up of gross NPAs, specific provision and general provision as on March 31, 2026

₹ mn			
Category	Gross NPA	Specific Provisions	General Provisions
Domestic	3,303.63	3,111.21	-
Overseas	8,671.35	8,671.35	-

Table DF-4: Credit Risk Disclosures for Portfolios subject to Standardized Approach

(i) Qualitative Disclosures

(a) For portfolios under the standardized approach

Credit rating agencies

The Bank is using the ratings assigned by the following domestic external credit rating agencies, approved by the RBI:

- CARE Ratings Ltd
- CRISIL Ratings Ltd
- ICRA Ltd
- India Ratings and Research Private Ltd.
- Acuite Ratings and Research Ltd.
- Infomerics Valuation and Rating Private Ltd.
- Brickworks Ratings Pvt. Ltd (subject to conditions as per RBI circular dated July 10, 2024)

The Bank is using the ratings assigned by the following international credit rating agencies, approved by the RBI:

- Fitch Ratings
- Moody's
- Standard & Poor's
- CareEdge Global IFSC Limited

Types of exposures for which each Agency is used

All long term and short-term ratings assigned by the credit rating agencies specifically to the Bank's long term and short-term exposures respectively are considered by the Bank as issue specific ratings.

For assets in the Bank's portfolio that have contractual maturity less than or equal to one-year, short term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant. For other assets, which have a contractual maturity of more than one-year, long term ratings accorded by the chosen credit rating agencies are considered relevant.

Description of the process used to transfer Public Issue Ratings onto comparable assets in the Banking Book

The key aspects of the Bank's external ratings application framework are as follows:

- All long-term and short-term ratings assigned by the credit rating agencies specifically to the Bank's long term and short term exposures respectively are considered by the Bank as issue specific ratings.
- Foreign sovereign and foreign bank exposures are risk-weighted based on issuer ratings assigned to them.
- The Bank ensures that the external rating of the facility/borrower has been reviewed at least once by the external credit rating agency during the previous 15 months and is in force on the date of its application.
- Where multiple issuer ratings are assigned to an entity by various credit rating agencies, the risk weight is determined as follows:
 - If there is only one rating by a chosen credit rating agency for a particular claim, then that rating is used to determine the risk weight of the claim.
 - If there are two ratings accorded by chosen credit rating agencies, which map into different risk weights, the higher risk weight is applied.

- If there are three or more ratings accorded by chosen credit rating agencies with different risk weights, the ratings corresponding to the two lowest risk weights are referred to and the higher of those two risk weights is applied, i.e., the second lowest risk weight.

(ii) **Quantitative Disclosures:**

- (b) Amount of the Bank's Exposures – Gross Advances (Rated & Unrated) in Major Risk Buckets – under Standardized Approach, after factoring Risk Mitigants (i.e., Collaterals)

		₹ mn	
Sr. No.	Particulars	Fund Based	Non-Fund Based
		31-03-2026	31-03-2026
1	Below 100% Risk Weight	2,050,354.11	99,991.95
2	100% Risk Weight	123,155.50	13,525.86
3	More than 100% Risk Weight	256,959.23	36,596.70
4	Deducted (Risk Mitigants)	-	-
	TOTAL	2,430,468.84	150,114.51

Table DF-5: Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardised Approaches

(i) **Qualitative Disclosures**

As stipulated by the RBI guidelines, the Bank reduces its credit exposure to counterparty when calculating its capital requirements to the extent of risk mitigation provided by the eligible collateral as specified in the Basel III guidelines.

The RBI guidelines on Basel III allow the following credit risk mitigants to be recognised for regulatory capital purposes:

- Eligible financial collateral, which include cash (deposited with the Bank), gold (including bullion and jewellery, subject to collateralised jewellery being benchmarked to 99.99% purity), securities issued by Central and State Governments, Kisan Vikas Patra, National Savings Certificates, life insurance policies with a declared surrender value issued by an insurance company, which is regulated by the insurance sector regulator, certain debt securities, mutual fund units where daily net asset value is available in public domain and the mutual fund is limited to investing in the instruments listed above
- On-balance sheet netting, which is confined to loans/advances and deposits, where banks have legally enforceable netting arrangements, involving specific lien with proof of documentation.
- Guarantees, where these are direct, explicit, irrevocable and unconditional. Further, the eligible guarantors would comprise:
 - Sovereigns, sovereign entities stipulated in the RBI guidelines on Basel III, banks and primary dealers with a lower risk weight than the counterparty; and
 - Other entities, which are rated better than the entities for which the guarantee is provided.

The Bank reckons the permitted credit risk mitigants for obtaining capital relief only when the credit risk mitigant fulfils the conditions stipulated for eligibility and legal certainty by RBI in its guidelines on Basel III.

The Bank adjusts the value of any collateral received for possible future fluctuations in the value of the collateral in line with the requirements specified in the Basel III guidelines. These adjustments, also referred to as 'haircuts', produce volatility-adjusted amounts for collateral which are then reduced from the exposure to compute the capital charge based on the net exposure and applicable risk weights.

Currently, the Bank does not have any concentration risk within credit risk mitigation.

(ii) Quantitative Disclosures

		₹ mn
Sr. No	Particulars	31-03-2026
(a)	The total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts for each separately disclosed credit risk portfolio	5,375.70
(b)	The total exposure (after, where applicable, on- or off- balance sheet netting) that is covered by guarantees/credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI) for each separately disclosed portfolio	935.31

Table DF-6: Securitisation Exposures: Disclosure for Standardised Approach

(i) Qualitative Disclosures

The Bank has not undertaken any securitization activities for standard assets as an originator, investor, or service provider during the current reporting period or in previous periods. As such, there are no securitization exposures in the banking or trading book, and no capital requirements arise from such activities.

As the Bank has not participated in any securitization transactions, there are no accounting policies to be described regarding recognition of securitization income, valuation of retained interests, or treatment of synthetic securitizations.

Table DF-7: Market Risk in Trading Book

(i) Qualitative Disclosures

Market risk is the risk that arises from movements in the prices of equity/debt instruments, interest rates, exchange rates, and commodity prices. In essence, market risk is the risk arising from changes in the markets to which an organization has exposure.

The market risk is managed through Board approved policies viz. Integrated Risk Management Policy (IRMP) and Consolidated Treasury Operations Policy (CTOP).

The Bank's IRMP also governs the management of liquidity risk and outlines the scope of identification criteria, measurement, management, and reporting framework for liquidity risk.

Liquidity Risk refers to the potential that the Bank will be unable to meet its obligations as they become due, because of (a) an inability to liquidate assets or obtain adequate funding (referred to as "funding liquidity risk") or (b) cannot easily unwind or offset specific exposures without significantly lowering market prices because of inadequate market depth or market disruptions ("market liquidity risk").

Bank's Board is responsible for providing the oversight over Liquidity Risk Management. The RMC is responsible for recommending the Risk Policies to the Board and implementing the policies along with evaluation of the risks faced by the Bank.

Bank follows the prudential gap limits set by RBI as well as internal limits set by the Board to monitor:

- Negative liquidity gap limits at individual currency level as well as on a consolidated currency level. The negative gap limits are set for individual buckets as well as at a cumulative time period level for providing early warning signals of impending liquidity problems.
- Positive cumulative liquidity gap limits at consolidated level in order that the Bank is not adversely influenced by huge positive gaps in a falling interest rate scenario.
- Bank also prepares a 7 days cashflow statement on weekly basis to ensure enough liquidity for next 7 days.
- Contingency Funding Plan (CFP) each month which would incorporate stress scenarios in the base liquidity position over the next one month to assess the ability of the Bank to withstand the same.

Bank's liquidity position is monitored by ALCO on a monthly basis and is reported to RMC on a quarterly basis. The Bank's IRMP which governs liquidity risk is reviewed by the Board on annual basis.

In line with Bank's policy, AFS and HFT investments are made to manage liquidity and interest rate risk. Along with the details of eligible instruments, the CTOP also details out certain key aspects of the investment such as investible surplus, investment objectives, approved instruments and their characteristics, exposure limits, ALCO, and Fund Management Committee (FMC) charters.

Organization Structure for Market Risk Management:

The Board of Directors: The Board of Directors has the responsibility for deciding the overall risk management policy and strategy.

The RMC of the Board: The RMC monitors and oversees implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems.

The Asset Liability Committee (ALCO): The ALCO constituted by the Board, is the executive committee within the Bank for addressing market risk, comprising Asset-Liability Management (ALM), interest & exchange rate risks and liquidity risk.

The Funds Management Committee (FMC): FMC is responsible for the day-to-day investment/disinvestment and resource-raising functions.

Limits:

The price risk of the trading book is monitored through measures such as PV01, VaR, foreign exchange net overnight open position and stop loss limits. The management of price risk of the trading book is detailed in the CTOP.

(ii) Quantitative Disclosures

Capital requirements for market risk

The following table sets forth, the capital requirements for market risk (general and specific) as on March 31, 2026. The capital requirement is calculated as per the minimum capital requirement of 9% of the Market Risk weighted Assets (MRWA).

Capital Requirements for:	₹ mn
- for interest rate risk	4,135.06
- for equity position risk	572.90
- for foreign exchange (including gold) risk	1,012.50

Table DF-8: Operational Risk

(i) Qualitative Disclosures

Operational Risk, in general, is a collective term conventionally applied to all risks which cannot be classified as credit or market risks and can be broadly defined as the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people, and systems, or from external events. Operational Risk management seeks to identify why a loss happened and at the broadest level includes the breakdown of four causes: processes, people, systems, and external factors. Operational risk is intrinsic to the Bank and hence is an important component of its enterprise-wide risk management systems. The operating procedures for mitigating operational risk and safeguarding against technical and human errors are documented in the IRMP. The Bank has in place a Board-approved framework on business continuity plan, to ensure the ability to operate seamlessly and limit losses in the event of severe business disruption.

Operational risk monitoring, control and mitigation

The Integrated Risk Management Policy establishes lines of responsibilities for Board of Directors (BOD), Risk Management Committee (RMC) of the Board, Operational Risk Management Committee (ORMC), and the Risk Management Group (RMG). Operational Risk Management Committee

(ORMC) monitors the Operational Risk and reports to RMC. The Bank has defined a scorecard-based methodology for evaluation of Operational Risk Events (OREs) on a monthly basis. There is an identified list of potential risk events, which are monitored on monthly basis and reported to ORMC on a quarterly basis. The mitigation plan is decided on case-to-case basis. The Bank appoints an external firm to periodically monitor the operational risk events in systems and procedures, and to assess the controls to mitigate operational risk in various areas of operations.

Capital allocation for operational risk

As per the RBI guidelines, the Bank follows the Basic Indicator Approach for computation of the operational risk capital.

Table DF-9: Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB)

(i) Qualitative Disclosures

Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) refers to the risk of loss in earnings through impact on Net Interest Income (NII) or economic value of the Bank's Banking Book because of movement in interest rates. Interest rate risk arises from holding assets / liabilities and Off-Balance Sheet [OBS] items with different principal amount, maturity dates or repricing dates thereby creating exposure to changes in levels of interest rates. For the purpose of interest rate risk analysis, the Banking book includes all the items with the exception of the items that are part of the trading book.

The Bank's Integrated Risk Management Policy governs the management of interest rate risk. Gap analysis is monitored by ALCO on a monthly basis by measuring mismatches between rate sensitive liabilities and rate sensitive assets for time buckets ranging from "1-28 days" to "over 10 years".

The Bank has also put in place interest rate risk management technique from the "Earnings Perspective" involving estimation of the impact of change in interest-rates on the Net Interest Income (NII) over the period of one year.

The policy stipulates conducting duration gap analysis from Economic Value of Equity (EVE) perspective. The EVE is defined as the difference between the economic value of assets and economic value of liabilities in response to a change in the interest rate. The linkage between the two is established via modified duration of rate sensitive assets and liabilities. A prudential limit is set by ALCO with respect to impact on economic value for 1% change in interest rate. The measurement of IRRBB is done on a monthly basis and is reported to ALCO on a monthly basis and to RMC on a quarterly basis.

Organization Structure for Interest Rate Risk Management:

The Board of Directors: The Board of Directors has the responsibility for deciding the overall risk management policy and strategy.

The RMC of the Board: The RMC monitors and oversees implementation of the risk management policy, including evaluating the adequacy of risk management systems.

The Asset Liability Committee (ALCO): ALCO is responsible for monitoring of the interest rate risk inherent in the banking book.

(ii) Quantitative Disclosures

Level of interest rate risk

The following table sets forth estimated impact on the net interest income (NII) because of changes in interest rates on interest sensitive positions as on March 31, 2026, assuming a parallel shift in the yield curve.

Earnings Perspective	Change in interest rates	
	₹ mn	
	-100 basis points	+100 basis points
INR	(1,398.79)	1,398.79
USD	(773.60)	773.60
Others	(146.23)	146.23
Total	(2,318.62)	2,318.62

The following table sets forth the estimated impact on economic value of equity (EVE) because of changes in interest rates on interest sensitive positions as on March 31, 2026, assuming a parallel shift in the yield curve.

Economic Value of Equity (EVE)	Change in interest rates	
	-100 basis points	+100 basis points
	₹ mn	
INR	(1,208.20)	1,208.20
USD	(138.46)	138.46
Others	(190.84)	190.84
Total	(1,537.50)	1,537.50

Table DF-10: General Disclosures for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

(i) Qualitative Disclosures

The Bank's derivative policy, included in the Consolidated Treasury Operations Policy, inter-alia, segregates the Bank's derivative portfolio into the following three categories depending on the purpose of undertaking the deals:

- i. As User – to manage market risk of its assets and liabilities, as also for its resource management (ALM Book).
- ii. As Merchant – to offer derivative products to its customers and non-customers (together referred to as 'clients') for managing their currency and interest rate risks, on back-to-back basis (Merchant Book).
- iii. As Market Maker – to build up a position in swaps such as foreign exchange swaps, currency swaps and / or foreign currency interest rate swaps and offer two-way quotes (bid / offer) to clients and other market makers (Treasury Book).

Currently, Bank is participating in derivative market as a user to hedge risk of underlying exposure of its own and that of its customers. The Bank is dealing in following derivative products:

- Foreign Exchange forward contracts and currency swaps.
- Interest Rate Swaps.

Bank presently does not undertake transactions under Credit Default Swaps and options. Measurement and management of various risks is ensured by setting up various limits such as counter party limits, stop loss limits, and exposure limits etc.

The derivative transactions are undertaken only with the approved counterparties for which counterparty exposure limits (CELs) are fixed in terms of Board approved CEL model. Further, the roles for undertaking of transaction, follow-up, monitoring and management of CCR are clearly defined through functional segregation of responsibilities between front-office, mid office and back-office functions.

Bank computes the exposure under the Current Exposure Method for counterparty credit risk capital, based on the RBI's Basel III Master Direction. Capital for CCR exposure is assessed based on Standardised Approach (both for default risk capital and CVA capital charges). Credit exposures are monitored to ensure that they do not exceed the approved credit limits.

The Bank has entered Credit Support Annex ('CSA') agreements with domestic and foreign covered entities as per extant margining framework by RBI, wherever applicable. CSA defines the terms or rules under which collateral is posted or transferred between derivative counterparties to mitigate the credit risk arising from "in the money" derivative positions on OTC Derivative contracts. The collateral exchanged under CSA arrangements are primarily cash. Further, these agreements do not warrant incremental collateral posting by Bank owing to credit rating downgrade.

(ii) Quantitative Disclosures

The following table sets forth, the derivative exposure calculated using Current Exposure Method (CEM) and the balance outstanding as at March 31, 2026.

	₹ mn		
Particulars	IRS	CCS	FRA/ Forward
Gross Positive Fair Value of Contracts	2,863.26	3,322.77	0.30
Netting Benefits	-	-	-
Netted Current Credit Exposure	2,863.26	3,322.77	0.30
Collateral held (e.g. Cash, G-sec, etc.)	-	-	-
Net Derivatives Credit Exposure	2,863.26	3,322.77	0.30
Exposure amount (under CEM)	7,536.31	6,104.28	167.30
Notional value of Credit Derivative hedges	-	-	-
Credit derivative transactions that create exposures to CCR	-	-	-

As per the Basel III Master Direction, for capital adequacy computation, banks in India are required to adopt the comprehensive approach, which allows fuller offset of collateral against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral. Hence, collateral received from the counterparty can be fully offset against the exposure and excess collateral posted over the net MTM payable will form part of exposure. However, as the collateral is received at counterparty-wise and not product or deal-wise, collateral netting off has not been considered in the above table. As on March 31, 2026, collateral paid is ₹5,248.95 mn and collateral received is ₹3,486.28 mn under CSA. There were no Credit Default Swaps outstanding as on March 31, 2026.

Table DF-11: Composition of Capital

	₹ mn	
Particulars		Ref No
Common Equity Tier 1 capital: instruments and reserves		
1) Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (Share premium)	159,093.66	A
2) Retained earnings	129,300.11	B1
3) Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	-	
4) Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	
5) Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (Amount allowed in group CET1)	-	
6) Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	288,393.78	
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments		
7) Prudential valuation adjustments	-	
8) Goodwill (net of related tax liability)	-	
9) Intangibles (net of related tax liability)	3,860.66	C1
10) Deferred tax assets	15,169.47	C2
11) Cash-flow hedge reserve	-	
12) Shortfall of provisions to expected losses	-	
13) Securitization gain on sale	-	
14) Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	-	
15) Defined-benefit pension fund net assets	-	
16) Investments in own shares (if not already netted off paid-up capital on reported balance sheet)	-	
17) Reciprocal crossholdings in common equity	-	
18) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the AIFI does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	-	

Particulars	₹ mn Ref No
19) Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	-
20) Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	-
21) Deferred tax assets arising from temporary differences ¹⁹ (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	-
22) Amount exceeding the 15% threshold	-
23) of which: significant investments in the common stock of financial entities	-
24) of which: mortgage servicing rights	-
25) of which: deferred tax assets arising from temporary differences	-
26) National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	-
26a) of which: Investments in the equity capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-
26b) of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	-
26c) of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the AIFI ²³	-
26d) of which: Unamortized pension funds expenditures	-
27) Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	-
28) Total regulatory adjustments to Common equity Tier 1	19,030.13
29) Common Equity Tier 1 capital (CET1)	269,363.65
Additional Tier 1 capital: instruments	
30) Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (share premium) (31+32)	-
31) of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	-
32) of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	-
33) Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	-
34) Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT1)	-
35) of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-
36) Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	-
Additional Tier 1 capital: regulatory adjustments	
37) Investments in own Additional Tier 1 instruments	-
38) Reciprocal crossholdings in Additional Tier 1 instruments	-
39) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the AIFI does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	-
40) Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-
41) National specific regulatory adjustments (41a+41b)	-
41a) of which: Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-

Particulars	₹ mn	Ref No
41b) of which: Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the AIFI	-	
42) Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	-	
43) Total regulatory adjustments to Additional Tier 1 capital	-	
44) Additional Tier 1 capital (AT1)	-	
45) Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (29 + 44)	269,363.65	
Tier 2 capital: instruments and provisions	-	
46) Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	-	
47) Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	-	
48) Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	-	
49) of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	-	
50) Provisions	14,488.12	B2+Eligible Provisions
51) Tier 2 capital before regulatory adjustments	14,488.12	
Tier 2 capital: regulatory adjustments		
52) Investments in own Tier 2 instruments	-	
53) Reciprocal crossholdings in Tier 2 instruments	-	
54) Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the AIFI does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	-	
55) Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	-	
56) National specific regulatory adjustments (56a+56b)	-	
56a) of which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	-	
56b) of which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the AIFI	-	
57) Total regulatory adjustments to Tier 2 capital	-	
58) Tier 2 capital (T2)	14,488.12	
59) Total capital (TC = T1 + T2) (45 + 58)	283,851.77	
60) Total risk weighted assets (60a + 60b + 60c)	1,075,513.20	
60a) of which: total credit risk weighted assets	935,300.34	
60b) of which: total market risk weighted assets	63,560.58	
60c) of which: total operational risk weighted assets	76,652.28	
Capital ratios and buffers		
61) Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	25.04%	
62) Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	25.04%	
63) Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	26.39%	
64) NA	-	
65) NA	-	
66) NA	-	
67) NA	-	
68) NA	-	
National minima (if different from Basel III)		
69) National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.5%	
70) National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7%	

		₹ mn
Particulars		Ref No
71) National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9%	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)		
72) Non-significant investments in the capital of other financial entities	762.42	
73) Significant investments in the common stock of financial entities	-	
74) Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	-	
75) Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	-	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2		
76) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	9,644.80	
77) Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	11,691.25	
78) Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	-	
79) Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	-	
Capital instruments subject to phase-out arrangements		
80) Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	-	
81) Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
82) Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	-	
83) Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	
84) Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	-	
85) Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	-	

Notes to the template

Row No. of the template	Particulars	₹ mn
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses	-
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of Deferred tax liability	15,169.47
	Total as indicated in row 10	15,169.47
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of AIFI	-
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	-
	of which: Increase in Tier 2 capital	-
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	-
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	-
	(ii) Increase in risk weighted assets	-
50	Eligible Provisions included in Tier 2 capital	9,644.80
	Eligible Revaluation Reserves included in Tier 2 capital	-
	Total of row 50	14,488.12

Table DF-12: Composition of Capital – Reconciliation Requirements

Step - 1

Sr. No.	Particulars	₹ mn	
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation
		As on March 31, 2026	As on March 31, 2026
A	Capital & Liabilities		
i	Paid-up Capital	159,093.66	159,093.66
	Reserves & Surplus	138,636.25	138,636.25
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	297,729.91	297,729.91
ii	Deposits	766.31	766.31
	of which: Deposits from banks	-	-
	of which: Customer deposits	-	-
	Of which: Other deposits (including deposits from FIs)	766.31	766.31
iii	Borrowings	2,052,693.07	2,052,693.07
	of which: From RBI	-	-
	of which: From banks	630,690.69	630,690.69
	of which: From other institutions & agencies	15,299.12	15,299.12
	of which: Others (Bonds, CP, CD, TREPS & CROMS)	1,406,703.25	1,406,703.25
	of which: Capital instruments	-	-
iv	Other liabilities & provisions	185,186.43	185,186.43
	Total Liabilities	2,536,375.72	2,536,375.72
B	Assets		
i	Cash and balances with the Reserve Bank of India	28,683.28	28,683.28
	Balance with banks and money at call and short notice	84,448.20	84,448.20
ii	Investments:	211,186.51	211,186.51
	of which: Government securities	186,237.06	186,237.06
	of which: Other approved securities	-	-
	of which: Shares	2,558.96	2,558.96
	of which: Debentures & Bonds	1,693.93	1,693.93
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	3.23	3.23
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	20,693.33	20,693.33
iii	Loans and advances	2,077,790.45	2,077,790.45
	of which: Loans and advances to banks	439,768.87	439,768.87
	of which: Loans and advances to customers	1,638,021.59	1,638,021.59
iv	Fixed assets	3,351.83	3,351.83
	Other assets	130,915.44	130,915.44
	of which: Goodwill and intangible assets	-	-
	of which: Deferred tax assets	15,169.47	15,169.47
vi	Goodwill on consolidation	-	-
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	2,536,375.72	2,536,375.72

The scope of regulatory consolidation and accounting consolidation is identical for Exim Bank and there is no difference between regulatory consolidation and accounting consolidation.

Step - 2

		₹ mn		
Sr. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	Ref No.
		As on March 31, 2026	As on March 31, 2026	
A	Capital & Liabilities			
i	Paid-up Capital	159,093.66	159,093.66	A
	of which: Amount eligible for CET1	159,093.66	159,093.66	
	of which: Amount eligible for AT1	-	-	
	Reserves & Surplus	138,636.25	138,636.25	B
	Out of which: Amount eligible for CET1	129,300.11	129,300.11	B1
	Out of which: Amount eligible for Tier 2	5,056.14	5,056.14	B2
	Out of which: Balance in Profit & Loss Account	4,280.00	4,280.00	B3
	Minority Interest	-	-	
	Total Capital	297,729.91	297,729.91	
ii	Deposits	766.31	766.31	
	of which: Deposits from banks	-	-	
	of which: Customer deposits	-	-	
	of which: Other deposits (including deposits from FIs)	766.31	766.31	
iii	Borrowings	2,052,693.07	2,052,693.07	
	of which: From the Reserve Bank of India	-	-	
	of which: From banks	630,690.69	630,690.69	
	of which: From other institutions & agencies	15,299.12	15,299.12	
	of which: Others (Bonds, CP, CD, TREPS & CROMS)	1,406,703.25	1,406,703.25	
	of which: Capital instruments	-	-	
iv	Other liabilities & provisions	185,186.43	185,186.43	
	of which: DTLs related to goodwill	-	-	
	of which: DTLs related to intangible assets	-	-	
	Total Liabilities	2,536,375.72	2,536,375.72	
B	Assets			
i	Cash and balances with the Reserve Bank of India	28,683.28	28,683.28	
	Balance with banks and money at call and short notice	84,448.20	84,448.20	
ii	Investments:	211,186.51	211,186.51	
	of which: Government securities	186,237.06	186,237.06	
	of which: Other approved securities	-	-	
	of which: Shares	2,558.96	2,558.96	
	of which: Debentures & Bonds	1,693.93	1,693.93	
	of which: Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	3.23	3.23	
	of which: Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	20,693.33	20,693.33	
iii	Loans and advances	2,077,790.45	2,077,790.45	
	of which: Loans and advances to banks	439,768.87	439,768.87	
	of which: Loans and advances to customers	1,638,021.59	1,638,021.59	
iv	Fixed assets	3,351.83	3,351.83	
v	Other assets	130,915.44	130,915.44	C
	of which: Goodwill and intangible assets	3,860.66	3,860.66	
	Out of which: Goodwill	-	-	
	Out of which: Other Intangibles (excluding MSRs)	3,860.66	3,860.66	C1
	of which: Deferred tax assets	15,169.47	15,169.47	C2

Sr. No.	Particulars	₹ mn		Ref No.
		Balance sheet as in financial statements	Balance sheet under regulatory scope of consolidation	
		As on March 31, 2026	As on March 31, 2026	
vi	Goodwill on consolidation	-	-	
vii	Debit balance in Profit & Loss account	-	-	
	Total Assets	2,536,375.72	2,536,375.72	

Table DF-13: Main Features of Regulatory Capital Instruments

	Amount in ₹ mn
1 Issuer	Export-Import Bank of India, incorporated under The Export-Import Bank of India Act, 1981
2 Unique identifier (e.g., CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	NA
3 Governing law(s) of the instrument	The Export-Import Bank of India Act, 1981; Indian Laws
<i>Regulatory treatment</i>	
4 Basel III rules	Common Equity Tier 1
5 Eligible at solo/group/ group & solo	Solo and Group
6 Instrument type	Capital wholly subscribed by the Central Government
7 Amount recognized in regulatory capital (₹ in mn, as of most recent reporting date)	159,093.66
8 Par value of instrument	159,093.66
9 Accounting classification	Capital
10 Original date of issuance	Various
11 Perpetual or dated	Perpetual
12 Original maturity date	No
13 Issuer call subject to prior supervisory approval	NA
14 Optional call date, contingent call dates and redemption amount	NA
15 Subsequent call dates, if applicable	NA
16 Coupons / dividends	
Fixed or floating dividend/coupon	NA
17 Coupon rate and any related index	NA
18 Existence of a dividend stopper	NA
19 Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	NA
20 Existence of step up or other incentive to redeem	NA
21 Noncumulative or cumulative	NA
22 Convertible or non-convertible	NA
23 If convertible, conversion trigger(s)	NA
24 If convertible, fully or partially	NA
25 If convertible, conversion rate	NA
26 If convertible, mandatory or optional conversion	NA
27 If convertible, specify instrument type convertible into	NA
28 If convertible, specify issuer of instrument it converts into	NA
29 Write-down feature	NA

	Amount in ₹ mn
30 If write-down, write-down trigger(s)	NA
31 If write-down, full or partial	NA
32 If write-down, permanent or temporary	NA
33 If temporary write-down, description of write-up mechanism	NA
34 Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Most Subordinated Claim*
35 Non-compliant transitioned features	No
36 If yes, specify non-compliant features	NA

* As per Section 38 of The Export-Import Bank of India Act, 1981, no provision of any law relating to the winding up of companies or corporations shall apply to the Exim Bank and the Exim Bank shall not be placed in liquidation save by an order of the Central Government and in such manner as it may direct.

Table DF-14: Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Instrument	Full Terms and Conditions
Common Equity Tier 1	In terms of The Export-Import Bank of India Act, 1981, the Capital is wholly subscribed by the Central Government

Table DF - 15: Disclosure Requirements for Remuneration

Not applicable as this disclosure is applicable only to Private Sector Banks, Foreign Banks operating in India and Private Sector AIFs, if any.

Table DF - 16: Equities - Disclosure for Banking Book Positions

(i) Qualitative Disclosures

In accordance with RBI guidelines and in line with Bank's Consolidated Treasury Operations Policy on investment classification and valuation, investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities.

Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to be classified under HTM category in accordance with RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.

As per the RBI guidelines, investments classified under HTM category need not be marked to market and carried at acquisition cost. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investment is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognized in the profit and loss statement. Any profit on sale of investments under HTM category is recognized in the profit and loss statement and is then appropriated to capital reserve, net of taxes and statutory reserve. The cumulative realised gain/(loss) arising from sale and liquidation of these securities in the reporting period is Nil.

(ii) Quantitative Disclosures

		₹ mn	
Sr. No.	Investments	Value disclosed in Balance Sheet	Fair Value
1	Investments in G-Sec	65,950.00	65,986.32
2	Investments in Shares of Subsidiaries	868.82	1,016.66
3	Other Investments including Venture Capital Funds	348.23	326.40

For quoted securities a comparison to publicly quoted share values where share price is materially different from fair value.

₹ mn			
Sr No	Type and Nature of Investments	Publicly traded	Privately held
	Nil		
1	The cumulative realized gains (losses) arising from sales and liquidations in the reporting period.		
2	Total unrealized gains (losses)		
3	Total latent revaluation gains (losses)		
4	Any amounts of the above included in Tier 1 and /or Tier 2 capital		
5	Capital requirements broken down by appropriate equity groupings, consistent with the Bank's methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirements.	Nil	

Table DF - 17: Summary Comparison of Accounting Assets vs. Leverage Ratio Exposure Measure

Sr. No.	Item	₹ mn
1	Total consolidated assets as per published financial statements	2,536,375.72
2	Adjustment for investments in banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation	
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure	-
4	Adjustments for derivative financial instruments	13,807.89
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e., repos and similar secured lending)	-
6	Adjustment for off-balance sheet items (i.e., conversion to credit equivalent amounts of off- balance sheet exposures)	424,497.19
7	Other adjustments	(19,030.13)
8	Leverage ratio exposure	2,955,650.67

Table DF-18: Leverage ratio common disclosure template

Leverage Ratio

Sr. No.	Particulars	₹ mn
	On- Balance Sheet Exposures	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	2,536,375.72
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(19,030.13)
3	Total on-balance sheet exposures (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	2,517,345.59
	Derivative Exposures	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e., net of eligible cash variation margin)	6,186.32
5	Add-on amounts for PFE associated with all derivatives Transactions	11,107.85
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	-
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	(3,486.28)

Sr. No.	Particulars	₹ mn
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	-
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	-
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	-
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	13,807.89
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	-
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	-
14	CCR exposure for SFT assets	-
15	Agent transaction exposures	-
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	-
	Other Off-Balance sheet exposures	
17	Off-balance sheet exposure at gross notional amount	909,769.26
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(485,272.07)
19	Total Off-balance sheet items (sum of lines 17 & 18)	424,497.19
	Capital and total exposures	
20	Tier 1 Capital	269,363.65
21	Total Exposures (Sum of lines 3, 11, 16, and 19)	2,955,650.67
	Leverage Ratio	
22	Basel III Leverage Ratio (division of line 20 by line 21)	9.11%

Main Features of Capital Instruments

Disclosure pertaining to main features of Capital (DF-13) and terms & conditions (DF-14) have been disclosed separately on the Bank's website under Regulatory Disclosures section. The link to this section is: <https://www.eximbankindia.in/investor-relations>.

4.2 Free Reserves and Provisions

(a) Provisions on Standard Assets

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Provisions towards Standard Assets	41,346	30,409

(b) Floating Provisions

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(a) Opening balance in the floating provisions accounts	-	-
(b) The quantum of floating provisions made in the accounting year	-	-
(c) Amount of draw down made during the accounting Year	-	-
(d) Closing balance in the floating provisions account	-	-

4.3 Asset Quality and Specific Provisions

(a) Non-Performing Advances

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPAs to Net Advances (%)	0.01%	0.14%
(ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening Balance	32,197.30	31,012.59
(b) Additions during the year	3,418.85	5,224.23
(c) Reductions during the year	(23,641.17)	(4,039.52)
(d) Closing balance	11,974.98	32,197.30

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	2,527.30	4,572.59
(b) Additions during the year	192.43	-
(c) Reductions during the year	(2,527.30)	(2,045.29)
(d) Closing balance	192.43	2,527.30
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	29,670.00	26,440.00
(b) Provisions made during the year	945.66	5,769.75
(c) Write off / write back of excess provisions	(18,833.10)	(2,539.75)
(d) Closing balance	11,782.56	29,670.00

(b) Non-Performing Investments

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPIs to Net Investments (%)	0.03%	0.07%
(ii) Movement of NPIs (Gross)		
(a) Opening Balance	20,227.83	18,913.45
(b) Additions during the year	9.99	1,650.36
(c) Reductions during the year	(262.04)	(335.98)
(d) Closing balance	19,975.78	20,227.83
(iii) Movement of Net NPIs		
(a) Opening balance	109.66	100.48
(b) Additions during the year	-	9.87
(c) Reductions during the year	(36.94)	(0.69)
(d) Closing balance	72.72	109.66
(iv) Movement of Provisions for NPIs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	20,118.16	18,812.97
(b) Provisions made during the year	46.93	1,651.05
(c) Write off / write back of excess provisions	(262.04)	(345.86)
(d) Closing balance	19,903.05	20,118.16

(c) Non-Performing Assets (a+b)

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(i) Net NPAs to Net Assets (Advances + Investments) (%)	0.01%	0.13%
(ii) Movement of NPAs (Gross Advances + Gross Investments)		
(a) Opening Balance	52,425.13	49,926.04
(b) Additions during the year	3,428.84	6,874.59
(c) Reductions during the year	(23,903.21)	(4,375.50)
(d) Closing balance	31,950.76	52,425.13
(iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	2,636.96	4,673.07
(b) Additions during the year	192.43	9.87
(c) Reductions during the year	(2,564.29)	(2,045.98)
(d) Closing balance	265.15	2,636.96
(iv) Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
(a) Opening balance	49,788.16	45,252.97
(b) Provisions made during the year	992.59	7,420.80
(c) Write off / write back of excess provisions	(19,095.14)	(2,885.61)
(d) Closing balance	31,685.61	49,788.16

4.4 Particulars of Accounts Restructured - Current Year

(₹ mn)

Sr. No.	Type of Restructuring Asset Classification	Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total		
			Standard	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub- standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub- standard		Doubtful	Loss
1	Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4,573	1	6	-	8
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109	7,543	-	15,225		
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,109	7,543	-	10,881		
2	Fresh restructuring / Additions during the year	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435	218	-	2,149		
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	435	218	-	728		
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision there- on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-	-1	
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-	-2,513	-2,513
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,513	-	-	-	-2,513	-2,513
5	Downgradations / Reductions of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-1
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	-526	-	-1,558	-1,558	
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,032	-526	-	-1,558	-1,558	
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	6	-	6
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,069	7,235	-	13,304	-	13,304
			-	-	-	-	-	-	-	-	304	7,235	-	7,539	-	7,539	

Previous Year

(` mn)

Sr. No.	Type of Restructuring	Details	Under CDR Mechanism				Under SME Debt Restructuring Mechanism				Others				Total		
	Asset Classification		Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-standard	Doubtful	Loss	Total	Sub-standard	Doubtful		Loss	Total
1	Restructured Accounts as on date of opening of the FY (opening figures)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	10	10
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,804	1,254	9,867	-	14,925	14,925
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,853	1,254	8,627	-	12,734	12,734
2	Fresh restructuring / Additions during the year	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	4,039	117	-	8,729	8,729
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,892	1,357	-	5,478	5,478
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Provision there-on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-1	-	-2	-2
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,254	-968	-	-2,222	-2,222
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,254	-968	-	-2,222	-2,222
5	Downgradations / Reductions of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-1	-1
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3,804	-930	-456	-	-5,190	-5,190
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,853	-783	-456	-	-4,092	-4,092
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1	-	-1	-1
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,017	-	-1,017	-1,017
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,017	-	-1,017	-1,017
7	Restructured Accounts as on date of closing of the FY (closing figures*)	No. of borrowers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	8	8
		Amount outstanding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,573	3,109	7,543	-	15,225	15,225
		Provision thereon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	3,109	7,543	-	10,881	10,881

4.5 Movement of Non-performing assets

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Gross NPAs as on 1st April (Opening balance)	32,197	31,013
Additions (Fresh NPAs) during the year	321	4,326
Interest funding	95	225
Exchange Fluctuation	3,003	673
Sub total (A)	35,616	36,237
Less:		
(i) Upgradations	2,512	1,851
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	20,538	1,172
(iii) Technical / Prudential write offs	-	-
(iv) Write offs other than those under (iii) above	591	1,017
(v) Exchange Fluctuation	-	-
Sub total (B)	23,641	4,040
Gross NPAs as on 31st March (closing balance) (A-B)	11,975	32,197

Gross NPAs as per RBI IRACP norms circular DOR.STR.REC.No.250/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025.

4.6 Write-offs and recoveries

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Opening balance of Technical / Prudential written off accounts as at April 1	113,146	113,052
Add : Technical / Prudential write offs during the year	-	-
Add: Exchange Fluctuation	6,203	1,328
Sub total (A)	119,349	114,380
Less : Recoveries made from previously technical / prudential written off accounts during the year (B)	(3,254)	(1,234)
Closing balance as on 31st March (A-B)	116,095	113,146

4.7 Overseas Assets, NPAs and Revenue

The figures below pertain to the Bank's London branch:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Total Assets	111,483.83	125,999.79
Total NPAs	3,144	2,833
Total Revenue	6,800.96	7,825.53

4.8 Depreciation and Provision on Investments

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(1) Investments		
(i) Gross Investments	235,806.38	182,642.59
(a) In India	233,389.58	180,419.41
(b) Outside India	2,416.80	2,223.18
(ii) Provision for Depreciation	23,754.27	22,529.38
(a) In India	21,700.79	20,629.41
(b) Outside India	2,053.48	1,899.97
(iii) Net Investments	212,052.11	160,113.21
(a) In India	211,688.79	159,790.00
(b) Outside India	363.32	323.21

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
(2) Movement of provision held towards depreciation on investments		
(i) Opening balance	22,529.39	23,252.92
(ii) Add: Provisions made during the year	1,792.03	681.76
(iii) Appropriation, if any, from Investment Fluctuation Reserve Account during the year	-	-
(iv) Less: Write off / write back of excess provisions during the year	567.15	1,405.29
(v) Less: Transfer, if any, to investment Fluctuation Reserve Account	-	-
(vi) Closing balance	23,754.27	22,529.39

4.9 Provisions and Contingencies

	(₹ mn)	
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss account	2025-26	2024-25
Provision for depreciation on Investment	1,505.28	(1,048.18)
Provision towards NPA	(18,262.65)	3,112.65
Provision made towards Income tax	13,220.49	10,541.36
Other Provisions and Contingencies*	10,700.43	(7,387.45)

*Includes ₹1,816 mn (previous year reversal ₹5,014 mn) on account of provisioning towards Bank Guarantees, ₹617 mn (previous year ₹513 mn) on account of reversal of Country Risk and provisioning of ₹37 mn (previous year ₹397 mn) on account of reversal of exposure to entities with Unhedged Foreign Currency Exposure.

4.10 Provision Coverage Ratio

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Provision Coverage Ratio	99.85%	98.26%

4.11 Fraud Reported and provision made during the year

The Bank has classified one account as fraud during FY 2025-26 for amount ₹153.05 mn. However, the Bank has recovered an amount of ₹89.88 mn and the balance outstanding was ₹63.17 mn against which 100% provision has been provided (previous year: Nil). Further, there is no quantum of unamortised provision debited from 'other reserves' as at the end of the year.

5. INVESTMENT PORTFOLIO: CONSTITUTION AND OPERATIONS

5.1 Repo Transactions

Current Year:

	(₹ mn)			
Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2026
Securities sold under repos				
i) Government Securities	6,000.00	6,000.00	263.01	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

Previous Year:

(₹ mn)				
Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on March 31, 2025
Securities sold under repos				
i) Government Securities	1,000.00	24,050.00	1,307.53	6,000.00
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-
Securities Purchased under reverse repos				
i) Government Securities	-	-	-	-
ii) Corporate Debt Securities	-	-	-	-

5.2 Disclosure of Issuer Composition for Investment in Non-Government Securities

Current Year:

(₹ mn)						
Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	"below investment grade" Securities held	"unrated" Securities held	"unlisted" Securities Held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	-	-	-	-	-
2	FIs	2,413.34	2,413.34	-	64.42	2,413.34
3	Banks	2.38	2.38	-	-	-
4	Private corporates	25,198.45*	25,138.75	-	3,784.39	22,446.06
5	Subsidiaries / Joint ventures	1,140.19	1,140.19	-	1,140.19	1,140.19
6	Others	19,261.23	19,261.23	-	428.23	19,181.23
7	Provision held towards depreciation [#]	22,200.53	22,140.83	-	3,287.27	20,486.96
	Total	48,015.58	47,955.88	-	5,417.23	45,180.82

[#] Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹18,278.57 mn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹6,073.78 mn of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

Previous Year:

(₹ mn)						
Sr. No.	Issuer	Amount	Amount of			
			Investment made through private placement	"below investment grade" Securities held	"unrated" Securities held	"unlisted" Securities Held
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	-	-	-	-	-
2	FIs	563.91	563.91	-	64.42	563.91
3	Banks	2.38	2.38	-	-	-
4	Private corporates	27,499.54*	2,499.54	-	4,577.04	24,468.20
5	Subsidiaries / Joint ventures	418.95	418.95	-	418.95	418.95
6	Others	360.78	360.78	-	336.06	360.78
7	Provision held towards depreciation [#]	22,529.39	22,469.69	-	3,894.57	21,220.01
	Total	28,845.56	28,845.56	-	5,396.47	25,811.84

[#] Only aggregate amount of provision held to be disclosed in column 3.

* Out of which ₹18,470.44 mn represents investment in security receipts issued by Asset Reconstruction Companies (ARCs) and ₹6,411.23 of investments are in shares / debentures acquired as part of loan restructuring.

Amounts reported under columns 4, 5, 6 and 7 above are not mutually exclusive.

5.3 Sale and Transfer to / from Held to Maturity (HTM) Category

During the year ended March 31, 2026, no sale and transfer of investments to / from HTM category was executed. (Previous Year : Nil)

- 5.4** The format of Exim Bank's financial statements is governed by Export-Import Bank of India General Regulations, 2020. Since, currently, the Investment Reserve Account (IRA) is not part of prescribed format, the amount under IRA is being disclosed under the head Investment Fluctuation Reserve (IFR) in the financial statements with appropriate disclosures.

6. DETAILS OF FINANCIAL ASSETS PURCHASED/ SOLD**6.1 Details of Financial Assets sold to Securitisation / Reconstruction Company for Asset Reconstruction****A. Details of Sales**

		(₹ mn)	
Sr.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	No. of Accounts	1	1
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	-	-
(iii)	Aggregate consideration	55	455
(iv)	Additional Consideration realised in respect of accounts transferred in earlier years	242.64	390
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	250.94	850

B. Details of Book value of Investments in Security Receipts

		(₹ mn)	
Particulars	Book value of Investments in Security receipts		
	2025-26	2024-25	
(i) Backed by NPAs sold by the Bank as underlying	486.21	205.81	
(ii) Backed by NPAs sold by banks / other financial institutions / non-banking financial companies as underlying	-	-	
Total	486.21	205.81	

6.2 Details of Non Performing Financial Assets Purchased / Sold**A. Details of Non Performing Financial assets purchased**

		(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25	
1. (a) No. of accounts purchased during the year	--	--	
(b) Aggregate outstanding	--	--	
2. (a) Of these, number of accounts restructured during the year	--	--	
(b) Aggregate outstanding	--	--	

B. Details of Non Performing Financial assets sold

		(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25	
1. No. of accounts sold	1	1	
2. Aggregate outstanding	169	1,472	
3. Aggregate consideration received	55	455	

6.3 Disclosure Of Acquisition/Transfer of Loan Exposures

I) Details of loans not in default transferred/ acquired during FY 2025-26

(i) Disclosure for loans not in default, transferred:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans transferred (out of which loans transferred through)		
a) assignment :	-	-
b) novation :	-	-
c) loan participation :	-	-
Weighted average residual maturity (in years)	-	-
Weighted average holding period (in years)	-	-
Retention of beneficial economic interest (in %)	-	-
Tangible security coverage (in %)	-	-
Rating-wise distribution of rated loans		
AAA - A	-	-
BBB	-	-
Below BBB i.e. Investment grade	-	-
Instances where it has been agreed to replace loans transferred to transferee(s) or pay damages arising out of any representation or warranty	-	-
No. of instances, amount of loan replaced, amount of damages paid)		

(b) Disclosure for loans not in default, acquired:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Aggregate amount of loans acquired (out of which loans acquired through)		
a) assignment :	-	-
b) novation :	9,114.38	12,189.66
c) loan participation :	-	-
Weighted average residual maturity (in years)	11.03	13.46
Weighted average holding period by originator (in years)*	-	-
Retention of beneficial economic interest by the originator (in %) *	-	-
Tangible security coverage (in %)*	-	-
Rating-wise distribution of rated loans*		
BBB	-	-
Below BBB i.e. Investment grade		

*Multiple loan accounts with varied details.

II) Details of Stressed Loans Transferred/Acquired

(a) Details of Stressed Loans Transferred

	(₹ mn)		
Particulars	To ARCs	To permitted transferees*	To other transferees (please specify)
No. of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	168.80	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	-	-

(₹ mn)			
Particulars	To ARCs	To permitted transferees*	To other transferees (please specify)
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	-	-
Aggregate consideration	55	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	242.64	-	-

Previous Year:

(₹ mn)			
Particulars	To ARCs	To permitted transferees*	To other transferees (please specify)
No. of accounts	1	-	-
Aggregate principal outstanding of loans transferred	1,472	-	-
Weighted average residual tenor of the loans transferred	Nil	-	-
Net book value of loans transferred (at the time of transfer)	Nil	-	-
Aggregate consideration	455	-	-
Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	390	-	-

(b) Details of Loans Acquired

(₹ mn)		
Particulars	From SCBs, RRBs, Co-operative Banks, AIFIs, SFBs and NBFCs including Housing Finance Companies (HFCs)	From ARCs
Aggregate principal outstanding of loans acquired	-	-
Aggregate consideration paid	-	-
Weighted average residual tenor of loans acquired	-	-

7. Operating results

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Interest income as a percentage to average working funds	8.76%	9.37%
(ii)	Non-interest income as a percentage to average working funds	0.35%	0.28%
(iii)	Operating profit as a percentage to average working funds	2.22%	1.92%
(iv)	Return on average assets	1.88%	1.61%
(v)	Net Profit / (Loss) per (permanent) employee (in ₹ mn)	119.03	90.59

- For operating results, the working funds and total assets have been taken as the average of the figures as at the end of the previous accounting year and the end of the accounting year under report. (The "working funds" refer to the net earning assets).
- All permanent, full-time employees in all cadres have been reckoned for computing per employee net profit.

8. CREDIT CONCENTRATION RISK

8.1 Capital market exposure

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(i)	Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	789	559
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs / ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity oriented mutual funds;	-	-
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	398	547
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares / convertible bonds / convertible debentures / units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2,020	2,407
(v)	Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers;	-	-
(vi)	Loans sanctioned to corporates against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources;	-	-
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues;	-	-
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds;	-	-
(ix)	Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	All exposures to Venture Capital Funds (both registered and unregistered)	348	336
Total Exposure to Capital Market		3,555	3,849

8.2 Exposure to Country risk

(₹ mn)

Risk Category	Exposure (net) as at March 2026*	Provision held as at March 2026	Exposure (net) as at March 2025*	Provision held as at March 2025
Insignificant	96,934	371	98,889	988
Low	217,271	-	182,772	-
Moderate	109,531	-	487,017	-
High	857,107	-	274,821	-
Very High	43,615	-	177,939	-
Restricted	-	-	-	-
Off credit	-	-	-	-
Total	1,324,458	371	1,221,438	988

*Exposure includes Lines of Credit (LOCs), extended at the behest of the Government of India (GOI) for which risk weight is zero percent as per the Reserve Bank of India (All India Financial Institutions (AIFIs) - Prudential Norms on Capital Adequacy) Directions, 2025.

8.3 Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the provision on Strategic Debt Restructuring (SDR) Scheme is no longer applicable to Exim Bank.

8.4 Resolution Plan (RPs) implemented

Current Year:

Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026*
4	981	73	908	-

*The amount received under resolution plan was more than the principal outstanding. Accordingly, remaining amount was appropriated in interest.

Non-Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2026
-	-	-	-	-

- In terms of the RBI circular DOR.STR.REC.No.250/21.04.048/2025-26 dated November 28, 2025, on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.

Previous Year:

Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2025
5	1,390	1,280	3,190	1,280

Non-Fund Based :

(₹ mn)

No. of Borrowers*	Loan outstanding (Pre-restructuring)	Loan outstanding (post-restructuring)	Recovery amount post-restructuring	Amount O/s as on March 31, 2025
-	-	-	-	-

- In terms of the RBI circular DOR.No. STR.REC.8/21.04.048/2024-25 dated April 02, 2024, on Prudential norms on Income Recognition, Asset Classification and Provisioning pertaining to Advances.

8.5 Exposure on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A)

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the provision on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets is no longer applicable to Exim Bank.

- 8.6** As on March 31, 2026, 58 accounts (Previous Year : 62 accounts) with loan outstanding of ₹5,870 mn (Previous Year: ₹6,869 mn) are either admitted or have been referred to the NCLT under the provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 against which the Bank holds 96.73% provision (Previous Year: 100%). The amount recovered from these accounts during FY2025-26 aggregated ₹3,700 mn (Previous Year: ₹500mn).

8.7 Prudential Exposure Limits – Single Borrower Limit (SGL) / Group Borrower Limit (GBL) exceeded by the Bank

A. The number and amount of exposures in excess of the prudential exposure limits during the year

(₹ mn)

Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Previous Year

(₹ mn)

Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

B. Credit exposure as percentage to capital funds and as percentage to total assets

Current Year:

Particulars	Percentage to Tier I Capital*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)®	Percentage to Total Assets
i) Largest single borrower	17.37%	1.33%	1.60%
ii) Largest borrower group	26.67%	2.04%	2.46%
iii) 20 largest single borrowers	210.75%	16.12%	19.47%
iv) 20 largest borrower groups	306.41%	23.44%	28.30%

*Tier I capital as on March 31, 2025

® TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and that to overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) As on March 31, 2026, there were no borrowers to whom credit exposure was above the base ceiling of 20% of Tier I Capital. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceilings of 25% of Tier I Capital. In case of ONGC Group, the loan is classified as finance towards infrastructure projects, and hence, is eligible for financing up to 30% of the Tier I capital.

Previous Year:

Particulars	Percentage to Tier I Capital*	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)®	Percentage to Total Assets
i) Largest single borrower	19.95%	1.54%	1.86%
ii) Largest borrower group	22.62%	1.75%	2.10%
iii) 20 largest single borrowers	193.40%	14.94%	17.99%
iv) 20 largest borrower groups	275.23%	21.26%	25.60%

*Tier I capital as on March 31, 2024

® TCE: Loans + Advances + Unutilised Sanctions + Guarantees + LCs + Credit exposure on account of derivatives.

- 1) Credit exposure to banks and that to overseas institutions guaranteed by GOI / exposure assumed at the behest of GOI, not considered for single/group borrower exposure.
- 2) As on March 31, 2025, there were no borrowers to whom credit exposure was above the base ceiling of 20% of Tier I Capital. Further, there was no borrower group to whom credit exposure was above the base ceilings of 25% of Tier I Capital.

C. Credit exposure to the five largest industrial sectors

Current Year:

Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Total Assets
i) Financial Services	5.37%	7.85%
ii) EPC Services	4.17%	6.09%
iii) Ferrous Metals & Metal Processing	4.17%	6.09%

Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Total Assets
iv) Petroleum Products	3.38%	4.94%
v) Construction	2.98%	4.36%

- The "credit exposure" has been reckoned as defined by RBI.
- Credit exposure to banks and overseas institutions guaranteed by GOI / assumed at the behest of GOI, excluded for computing industry exposure.

Previous Year

Sector	Percentage to Total Credit Exposure (TCE)	Percentage to Loan Assets
i) Financial Services	4.78%	6.67%
ii) EPC Services	4.65%	6.49%
iii) Ferrous Metals & Metal Processing	4.43%	6.18%
iv) Petroleum Products	3.52%	4.92%
v) Power	3.04%	4.25%

D. Unsecured Advances

Particulars	(₹ mn)	
	As at 31st March, 2026	As at 31st March, 2025
Total Unsecured Advances of the Bank*	3,13,861	3,38,423
i) Of which amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as corporate/ personal guarantees, promissory notes, trust receipts, etc.	49,549	17,376
ii) The estimated value of such intangible securities (as in (i) above).	-	11,511

* This does not include unsecured refinance exposure to banks/FIs amounting to ₹4,49,117 mn as on March 31, 2026 (Previous Year: ₹2,92,824 mn).

E. Factoring Exposures

Exposure of Exim Finserve for ₹2,548 mn is by way of non-recourse export factoring (Previous Year: ₹800 mn).

F. Exposures where the FI had exceeded the prudential Exposures Limits during the year

(₹ mn)								
Sr. No	PAN No.	Borrower Name	Industry Code	Industry Name	Sector	Amount Funded	Amount Non-Funded	Exposure as a % to Capital Funds
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Previous Year: Nil)

G. Exposures to Related Parties

(₹ mn)			
Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
A	Loans to Related Parties		
1	Aggregate value of loans sanctioned to related parties during the year	-	-
2	Aggregate value of outstanding loans to related parties as on 31 March	-	-

		(₹ mn)	
Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
3	Aggregate value of outstanding loans to related parties as a proportion of total credit exposure as on 31 March	-	-
4	Aggregate value of outstanding loans to related parties categorized as:	-	-
4(i)	Special Mention Accounts (SMA) as on 31 March	-	-
4(ii)	Non-Performing Assets (NPA) as on 31 March	-	-
5	Amount of provisions held in respect of loans to related parties as on 31 March	-	-
B	Contracts and Arrangements involving Related Parties		
6	Aggregate value of contracts and arrangements awarded to related parties during the year*	15.28	7.48
7	Aggregate value of outstanding contracts and arrangements involving related parties as on 31 March	-	-

*Value of services availed from related party.

9. Concentration of borrowings / lines of credit, credit exposures and NPAs

(a) Concentration of borrowings and lines of credit

		(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25	
Total borrowings from twenty largest lenders*	569,558.80	462,588.90	
Percentage of borrowings from twenty largest lenders to total borrowings of the Bank	27.74%	25.82%	

*Includes loans that have been syndicated post documentation

(b) Concentration of Credit exposures

		(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25	
Total exposures to twenty largest borrowers	492,635	393,518	
Percentage of exposures to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	23.57%	20.85%	
Total Exposure to twenty largest borrowers / customers	492,635	393,518	
Percentage of exposures to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	16.12%	14.94%	
In the case of Exim Bank, percentage of total of top ten country exposures to total exposures	31.58%	32.74%	

Exposure computed based on Direction - Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Concentration Risk Management) Directions, 2025.

(c) Sector-wise concentration of exposures and NPAs

(₹ mn)

Sr. No	Sector	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
A	Domestic Sector	623,100.33	3,303.63	1%	675,966.75	4,752.86	1%
1	Total Export Finance	513,410.21	1,741.76	0%	532,870.47	3,191.00	1%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	441,542.78	1,356.33	0%	459,431.95	2,715.69	1%
	Ferrous Metals & Metal Processing	74,022.07	-	0%	73,480.45	-	0%
	Chemical and dyes	-	-	-	-	-	-
	Petroleum Products	81,315.09	-	0%	87,843.06	-	0%
	Power	11,124.69	135.15	1%	17,295.75	135.15	1%
	Others	275,080.93	1,221.18	0%	280,812.69	2,580.54	1%
	Services Sector	71,867.44	385.43	1%	73,438.52	475.31	1%
	Financial Services	-	-	0%	15,690.00	-	0%
	Telecommunications	7,720.00	-	0%	8,209.50	-	0%
	Others	64,147.44	385.43	1%	49,539.02	475.31	1%
2	Total Import Finance	109,690.12	1,561.87	1%	143,096.28	1,561.87	1%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	63,620.47	1,561.87	2%	95,901.17	1,561.87	2%
	Ferrous Metals & Metal Processing	1,100.20	-	0%	554.92	-	0%
	Chemicals and dyes	-	-	-	-	-	-
	Power	41,920.98	1,561.87	4%	45,704.72	1,561.87	3%
	Others	20,599.28	-	0%	49,641.54	-	0%
	Services Sector	46,069.65	-	0%	47,195.11	-	0%
	Financial Services	37,934.00	-	0%	42,737.50	-	0%
	Telecommunications	5,000.00	-	0%	1,590.00	-	0%
	Others	3,135.65	-	0%	2,867.61	-	0%
3	Of (A), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
B	External Sector	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
1	Total Export Finance	186,656.99	8,671.35	5%	144,529.24	10,979.98	8%
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	104,459.21	5,998.18	6%	79,709.60	8,515.18	11%
	Ferrous Metals & Metal Processing	2,701.29	-	0%	13,697.05	-	0%
	Chemicals and Dyes	-	-	-	-	-	-
	Power	11,131.51	3,144.23	28%	9,352.71	2,833.90	30%
	Petroleum Products	-	-	-	-	-	0%
	Others	90,626.42	2,853.95	3%	56,659.85	5,681.28	10%
	Services Sector	82,197.78	2,673.18	3%	64,819.64	2,464.81	4%
	Financial Services	55,560.60	-	0%	47,096.51	-	0%
	Telecommunications	3,885.95	-	0%	11,701.46	-	0%
	Others	22,751.23	2,673.18	12%	6,021.68	2,464.81	41%

(₹ mn)							
Sr. No	Sector	2025-26			2024-25		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
2	Total Import Finance	-	-	-	-	-	-
	Agricultural sector	-	-	-	-	-	-
	Industrial Sector	-	-	-	-	-	-
	Services Sector	-	-	-	-	-	-
3	Of (B), exposures guaranteed by the Government of India	-	-	-	-	-	-
C	Other Exposures #	1,280,554.86	-	0%	1,066,962.27	16,464.46	2%
D	Total exposures (A+B+C)	2,090,312.18	11,974.98	0.57%	1,887,458.26	32,197.30	1.71%

Includes advances under Lines of Credit, BC-NEIA, Concessional Finance Scheme, refinance to commercial banks and advances counter-guaranteed by banks.

(d) Unhedged Foreign Currency Exposure

The Bank in accordance with RBI Master Direction RBI Direction DOR.CRE.REC.76/07-02-001/2025-26 dated 28th November 2025, has in place an internal guidance note on capital provisioning requirement and incremental provisioning for exposure to entity with Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE). As on March 31, 2026, an amount of ₹1,398 mn (Previous Year: ₹1,434 mn) was held towards Currency Induced Credit Risk and capital allocated for currency induced credit risk amounted to ₹32,152 mn (Previous Year: ₹36,492 mn).

10. DERIVATIVES

10.1 Forward Rate Agreement / Interest Rate Swap**

(₹ mn)					
Sr. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Hedging	Trading	Hedging	Trading
1.	The Notional Principal of swap agreements	789,872.47	-	653,823.67	-
2.	Losses, which would be incurred if counter parties failed to fulfill their obligations under the agreements	6,072.37	-	3,090.09	-
3.	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	-	-	-	-
4.	Concentration of credit risk arising from Swaps	All transactions fall within approved credit exposure limits*	-	All transactions fall within approved credit exposure limits*	-
5.	The fair value of the swap book	(24,903.41)	-	(28,920.32)	-

*All the interest rate swaps have been undertaken with banks.

**The interest rate swap excludes Cross Currency Interest rate swap, the details of which are given in Note. 10.3.B

Nature and Terms of Swaps: All transactions have underlying assets / liabilities and have been undertaken for the purpose of hedging the Bank's ALM position.

(₹ mn)

Instrument	Nature	Nos	Notional Principal	Benchmark	Terms
IRS	Hedging	22	414,903.13	6M SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	1	23,708.75	3M SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	4	109,060.25	6M SOFR	Floating receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	1	266.78	TONA	Fixed receivable vs Floating payable
IRS	Hedging	8	225,233.13	SOFR	Fixed receivable vs Floating payable
Total		36	773,172.03		

10.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	Amount
1.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	-
2.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31, 2025	-
3.	Notional Principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-
4.	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	-

10.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A. Qualitative disclosures

1. The Bank uses financial derivative transactions predominantly for raising cost-effective funds and hedging its balance sheet exposures, with the objective of reducing market risk. The Bank currently deals only in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives, of the type permitted by RBI.
2. Derivative transactions carry: (i) market risk i.e. the probable loss that the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and (ii) credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counter-parties fail to meet their obligations. The Bank has in place a Derivative Policy approved by the Board, which aims at synchronizing the risk management objectives at the transaction level with those of the overall ALM position. The policy defines the use of permitted derivative products consistent with business goals of the Bank, lays down the control and monitoring systems and deals with regulatory, documentation and accounting issues. The policy also prescribes suitable risk parameters to control and manage market risk on derivative trades undertaken in the treasury book (stop-loss limits, open position limits, tenor limits, settlement and pre-settlement risk limits, PV01 limits).
3. The ALCO of the Bank oversees management of market risks with support from the Bank's Mid-Office, which measures, monitors and reports market risk associated with derivative transactions.
4. All derivative transactions outstanding in the Bank's books as on March 31, 2026, have been undertaken for hedging purposes and are in the ALM book. The income or expenses on such transactions has been accounted for on accrual basis.
5. The Currency Swaps are not included in the contingent liability.

B. Quantitative disclosures

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26		2024-25	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
1	Derivatives (Notional Principal Amount)				
	a) For hedging	161,233.55	773,172.03	248,227.89	640,744.35
	b) For trading	-	-	-	-
2	Marked to Market Positions				
	a) Asset (+)				
	b) Liability (-)	(33,241.28)	(24,474.98)	(32,173.28)	(28,968.09)
3	Credit Exposure	6,271.58	7,536.31	15,964.66	12,665.21
4	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	a) on hedging derivatives	2,889.25	35,416.81	4,246.30	25,481.26
	b) on trading derivatives	-	-	-	-
5	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year				
	a) on hedging				
	(i) Maximum	4,188.18	35,416.81	5,525.61	26,377.50
	(ii) Minimum	2,889.25	23,952.17	4,246.30	19,946.70
	b) on trading				
	(i) Maximum	-	-	-	-
	(ii) Maximum	-	-	-	-

The outstanding notional amount of Interest Rate Derivatives and Currency Derivatives disclosed above amounting to ₹1,89,670 mn (₹6,40,744.35 mn) and ₹1,04,466.90 mn (₹2,48,227.89 mn), respectively are not accounted on marked-to-market (MTM) where the underlying Assets/Liabilities are not marked to market as on 31st March 2026.

- The outstanding notional amount of currency derivatives includes Cross Currency Interest Rate Swap amounting to ₹1,24,026.29 mn (₹1,86,824.73 mn) and the MTM loss of the same is ₹32,812.79 mn (₹31,971.91 mn).
- The impact of interest rate variation on MTM of CCIRS is substantially offset by changes in value of the Bank's loans and advances in foreign currencies at floating rate. The principal leg of these swap contracts are translated at closing FEDAI exchange rates.
- Currency Derivatives has the following breakup

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
a)	Principal Exchange Derivatives		
i)	Cross Currency Interest Rate Swap	124,026.29	186,824.73
ii)	Fx Swap/Principal only swap	20,506.81	48,323.83
b)	Others		
i)	Forward	16,700.45	13,079.32
ii)	Swap	-	-
	Total (a+b)	161,233.55	248,227.89

The forward exchange contracts amounting to ₹16,700.45 mn (Previous Year ₹13,079.32 mn) and the notional figure of Interest Rate Swap (IRS) amounting to ₹7,73,172.03 mn (Previous Year ₹6,40,744.35 mn) have been reported as off-balance sheet items under the heading contingent liabilities.

11. Letters of Comfort issued by the Bank

During the year (FY 2025-26), the Bank has not issued any Letter of Comfort and no financial obligation has arisen on account of the outstanding commitments (Previous Year: Nil), the Letter of comfort received during the year (FY 2025-26) is also Nil (Previous Year: Nil).

Further, the Bank has outstanding exposure of Letters of Credit (LCs) as on March 31, 2026, aggregating ₹15,142.79 mn (Previous Year ₹8,990 mn).

12. ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Current Year:

Particulars	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Rupee Advances	57,934.32	80,296.74	196,144.60	67,736.75	157,554.30	116,740.28	82,330.59	73,037.38*	831,774.95
Rupee Investments	10,945.47	996.82	16,787.24	9,691.50	18,450.42	17,047.60	36,151.70	100,010.74	210,081.49
Rupee Other Assets	114,061.91	13,121.47	62,354.55	52,844.01	45,869.86	198,309.94	136,551.94	383,315.68	1,006,429.34
Rupee Deposits	40.05	10.24	56,410.39	69.46	72,629.59	258.02	121.28	-	129,539.03
Rupee Borrowings	151,935.23	21,397.02	203,274.09	49,750.00	82,189.69	94,750.00	179,150.00	16,859.54	799,305.57
Rupee Other Liabilities	25,411.79	16,495.89	38,543.69	98,355.85	98,126.46	108,485.96	31,113.59	318,545.86	735,079.10
Foreign Currency Assets	70,556.10	13,430.45	89,815.90	156,853.98	166,163.86	667,898.05	440,589.62	871,167.55	2,476,475.50
Foreign Currency Liabilities	67,318.35	12,660.85	76,782.81	195,082.69	219,327.78	768,476.75	415,255.30	531,636.73	2,286,541.25

(*) Net of loan provisions

Previous Year:

Particulars	1 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Rupee Advances	35,739.85	55,017.84	143,556.8	203,499.8	64,407.59	128,480.8	79,712.92	20,540.7*	730,956.3
Rupee Investments	-	2,987.52	15,172.96	806.58	6,667.57	16,245.26	34,051.97	82,404.34	158,336.2
Rupee Other Assets	109,599.8	1,955.21	48,270.24	67,052.07	136,470.5	194,820.7	134,364.3	364,517.3	1,057,050
Rupee Deposits	36.15	7.96	68.42	47.91	65,145.78	322.48	55.76	-	65,684.47
Rupee Borrowings	98,084.69	0.00	168,435	18,700	146,194.1	119,300	120,650	59,600	730,963.7
Rupee Other Liabilities	52,297.39	63,089.44	25,732.26	31,243.74	59,037.64	144,956.9	17,388.2	310,873.8	704,619.3
Foreign Currency Assets	81,558.51	32,171.55	43,025.56	85,283.12	165,976.7	575,537.4	411,672.2	782,038.7	2,177,264
Foreign Currency Liabilities	88,535.7	32,576.14	51,740.03	104,605.9	217,117.7	765,249.7	392,479.9	426,972.6	2,079,278

(*) Net of loan provisions

13. DRAW DOWN FROM RESERVES

The Bank has not drawn any amount from the Reserves (Previous Year : Nil)

14. BUSINESS RATIOS

Particulars	2025-26	2024-25
Return on Equity	26.86%	20.39%
Return on Assets	1.88%	1.61%
Net Profit Per Employee (₹ mn)	119.03	90.59

15. DISCLOSURE OF PENALTIES IMPOSED BY RBI

There are no penalties imposed by the Reserve Bank of India under the Reserve Bank of India Act, 1934, for contraventions of any of the provisions of the Act or non-compliance with any other requirements of the Act, order, rule or condition specified by Reserve Bank of India. (Previous Year : Nil).

16. DISCLOSURE OF COMPLAINTS

Customer Complaints

Sr. No.	Particulars	2025-26	2024-25
(a)	No of complaints pending at the beginning of the year	-	-
(b)	No of complaints received during the year	7	1
(c)	No of complaints redressed during the year	7	1
(d)	No of complaints pending at the end of the year	-	-

17. OFF- BALANCE SHEET SPVs SPONSORED (which are required to be consolidated as per accounting norms)

Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas
-	-

(Previous Year: Nil)

DISCLOSURE AS PER SPECIFIC ACCOUNTING STANDARDS

18. Details of Fixed Assets

Current Year:

Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS -10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI.

(₹ mn)			
Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 1 st April 2025	5,311.63	2,433.81	7,745.44
Additions	-	666.70	666.70
Disposals	-	48.78	48.78
Cost as on 31st March 2026 (A)	5,311.63	3,051.73	8,363.36
Depreciation			
Accumulated as on 1 st April 2025	2,392.04	1,949.91	4,341.95
Provided during the year	229.59	488.76	718.35
Eliminated on Disposals	-	48.50	48.50
Accumulated as on 31st March 2026 (B)	2,621.63	2,390.17	5,011.80
Net Block (A-B)	2,690.00	661.56	3,351.56

Previous Year:

Details of Fixed Assets are given below as prescribed in AS -10 Accounting for Fixed Assets issued by the ICAI.

(₹ mn)			
Particulars	Premises	Others	Total
Gross Block			
Cost as on 1 st April 2024	5,311.19	2,184.65	7,495.84
Additions	0.44	341.27	341.71
Disposals	-	92.11	92.11
Cost as on 31st March 2025 (A)	5,311.63	2,433.81	7,745.44
Depreciation			
Accumulated as on 1 st April, 2024	2,160.70	1,697.09	3,857.79
Provided during the year	231.34	344.90	576.24
Eliminated on Disposals	-	92.08	92.08
Accumulated as on 31st March 2025 (B)	2,392.04	1,949.91	4,341.95
Net Block (A-B)	2,919.59	483.90	3,403.49

19. Accounting for Government grants

GOI has agreed to pay interest equalisation amount to the Bank towards specific Lines of Credit extended by the Bank to foreign governments, overseas banks / institutions and the same is accounted on accrual basis.

20. Segment Reporting

The operations of the Bank predominantly comprise of only one business segment i.e. financial activities and hence, have been considered as representing a single business segment.

The geographic segments of the Bank are categorised as Domestic Operations and International Operations. The categorisation of operations as domestic or international is primarily based on the risk and reward associated with the place of the transaction.

(₹ mn)						
Particulars	Domestic Operations		International Operations		Total	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Revenue	195,592.54	180,780.00	6,801.02	7,825.73	202,393.56	188,605.73
Assets	2,424,833.45	2,061,742.01	111,542.27	126,058.34	2,536,375.72	2,187,800.35

21. Related party disclosures

As per AS-18 Related Party Disclosures issued by the ICAI, the Bank's related parties are disclosed below:

- Relationship
 - (i) Subsidiary:
 - India Exim Finserve IFSC Private Limited (Wholly-owned subsidiary)
 - (ii) Joint Ventures:
 - GPCL Consulting Services Limited
 - Kukuza Project Development Company
 - (iii) Key Managerial Personnel:
 - Ms. Harsha Bangari (Managing Director)
 - Shri Tarun Sharma (Deputy Managing Director)
 - Ms. Deepali Agrawal (Deputy Managing Director)
 - Shri Mukul Sarkar, Chief Risk Officer
 - Shri Gaurav Bhandari, Chief Financial Officer (upto January 04, 2026)
 - Ms. Rima Marphatia, Head of Internal Audit

- Ms. Manjiri Bhalerao, Chief Compliance Officer
 - Shri T. D. Sivakumar, Board Secretary
 - Shri Sujeet Bhale, Chief Technology Officer (From July 14, 2025 to December 21, 2025)
 - Ms. Bakhtavar Patel, Head of Treasury and Chief Financial Officer with effect from January 05, 2026
 - Shri Deepak Bhatia, Chief Technology Officer (with effect from December 22, 2025)
 - Ms. Siddhi Keluskar, Compliance Officer
- The Banks' related party balances and transactions are summarised as follows:

Particulars	(₹ mn)			
	Joint Venture		Key Managerial Personnel	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Borrowings				
Deposit	10.00	-	-	-
Placement of deposits	-	-	-	-
Loans granted/Advances	-	-	0.31	0.61
Guarantees issued	-	-	-	-
Interest received	-	-	0.10	0.12
Interest Paid				
Guarantee commission received	-	-	-	-
Receipts towards services rendered	-	-	-	-
Payment towards Receiving of services				
Term Deposit Accepted	-	-	7.10	2.70
Interest on Term Deposits	-	-	1.66	1.80
Amounts written-off / written-back	-	-	-	-
Term Deposit Outstanding	-	-	19.17	24.69
Loans granted and outstanding at year-end	-	-	0.18	0.30
Guarantees outstanding at year-end	-	-	-	-
Investments outstanding at year end (Net of Provisions)	3.23	3.23	-	-
Dividend received	0.84	0.84	-	-
Maximum Loan outstanding during the year	-	-	21.66	14.05
Maximum Guarantees outstanding during the year	-	-	-	-
Salary including perquisites	6.01	5.22	56.99	65.08
Leasing arrangements availed	-	-	-	-
Rent received/leasing arrangements provided	0.90	0.90	-	-
Reimbursement of Expenses	0.61	0.22	-	-
Director's Fees received	0.05	0.04	-	-
Fees paid for consultancy (excl. GST)	15.28	7.48	-	-
Non funded commitments	20.00	20.00	-	-
Purchase of fixed assets	-	-	-	-
Sale of fixed assets	-	-	-	-
Management contracts	-	-	-	-

22. Accounting for Taxes on Income

(a) Details of Provision for Tax:

Particulars	(₹ mn)	
	2025-26	2024-25
Tax on Income	11,941.49	9,218.19
Add: Net Deferred Tax Liability	1,279.00	1,323.17
Total	13,220.49	10,541.36

(b) Deferred Tax Asset:

The composition of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

	(₹ mn)	
Particulars	2025-26	2024-25
Deferred Tax Assets		
1. Provision Disallowed (Net)	18,479.51	19,800.05
2. Depreciation on Fixed Assets	128.04	74.89
Less: Deferred Tax Liability		
1. Depreciation on Fixed Assets	-	-
2. Amortisation of Bond issue expenses	513.53	501.94
3. Special Reserve created under section 36(1)(viii)	2,924.54	2,924.54
Net Deferred Tax Assets [included in 'Other Assets' in the 'Assets' side of the Balance Sheet]	15,169.47	16,448.47

23. Financial Reporting of Interest in Joint Ventures

Financial Reporting of Interest in Joint Ventures				(₹ mn)
I.	Jointly Controlled Entities	Country	FY 2025-26	FY 2024-25
	A. GPCL Consulting Services Limited	India	28.10%	28.10%
	B. Kukuza Project Development Company*	Mauritius	41.39%	41.39%
II.	The aggregate amount of assets, liabilities, income and expenses related to interest in the jointly controlled entities using the proportionate consolidation method as per AS 27 Financial Reporting of Interests in Joint Ventures is as under:			

Joint Ventures is as under:

				(₹ mn)	
Liabilities	2025-26	2024-25	Assets	2025-26	2024-25
Capital & Reserves	50.62	47.00	Fixed Assets	0.07	0.13
Loans	-	-	Investments	34.19	15.82
Other Liabilities	6.87	6.64	Other Assets	23.23	37.69
Total	57.49	53.64	Total	57.49	53.64

Contingent Liabilities: NIL (Previous Year: Nil)

Contingent Liabilities: At Previous Year End						(₹ mn)
Expenses	2025-26	2024-25	Income	2025-26	2024-25	
Interest and Financing expenses	0.05	0.05	Consultancy Income	20.71	21.36	
Other Expenses	17.33	17.02	Interest income and Income from investment	1.08	1.97	
Provisions	1.70	2.29	Other Income	1.75	1.17	
Profit	4.46	5.14				
Total	23.54	24.50	Total	23.54	24.50	

*Kukuza Project Development Company is a joint venture company incorporated in Mauritius along with other shareholders viz. African Development Bank, State Bank of India and the Infrastructure Leasing & Financial Services (IL&FS) group. Due to continuous losses posted by KPDC and as the operations of KPDC were not sustainable, the shareholders passed a resolution in March 2023 for closure of operations of KPDC. Accordingly, the orderly winding up process of KPDC was initiated and all the outstanding liabilities of KPDC were paid off in FY 2024-25. After receipt of necessary Approvals/NOCs from all the stakeholders and statutory authorities, strike off application to the Registrar of Companies, Mauritius for removal of KPDC from the Register was lodged on April 1, 2026. As there were no business operations for the past 3 years, audited financials of KPDC for FY 2023-24, FY 2024-25 and FY 2025-26 are not available and hence, the above does not include the details of KPDC.

24. Impairment of Assets

A substantial portion of the Bank's assets comprise of 'financial assets' to which Accounting Standard 28 "Impairment of Assets" is not applicable. In the opinion of the Bank, there is no impairment of its assets (to which the standard applies) as at March 31, 2026, requiring recognition in terms of the said standard.

25. Employee benefits

The Bank has adopted Accounting Standard 15 - Employee Benefits, issued by The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) w.e.f. April 01, 2007. The Bank recognises in its books the liability arising out of Employee Benefits as present value of obligations as reduced by the fair value of plan assets on the Balance Sheet date.

A) Amount to be recognised in the Balance Sheet

(₹ mn)

Particulars	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Fair value of Plan Assets at the end of the period	2,224.04	1,954.88	486.22	354.67
Present value of Benefit Obligation at the end of the period	1,990.37	2,140.05	483.09	485.51
Funded Status	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)
Unrecognised past service cost at the end of the period	-	-	-	-
Unrecognised transitional liability at the end of the period	-	-	-	-
Net Liability recognised in the Balance Sheet	233.67	(185.17)	3.14	(130.84)

B) Expense to be recognised in the Profit and Loss account

(₹ mn)

Particulars	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Current Service Cost	46.18	36.45	26.14	22.51
Interest Cost	151.09	135.49	32.97	24.71
Expected Return on Plan Assets	138.02	127.64	24.01	22.88
Actuarial Losses / (Gains)	(272.06)	169.86	(44.41)	106.49
Past Service Cost - Non-vested Benefit	-	-	-	-
Past Service Cost - vested benefit	-	-	-	-
Transitional liability	-	-	-	-
Expense recognised in Profit and Loss account	(212.81)	214.17	3.14	130.83
Contributions by Employer	(206.03)	(137.37)	(130.84)	(25.40)

C) Summary of Actuarial Assumptions

(₹ mn)

Particulars	Pension Fund		Gratuity	
	2025-26	2024-25	2025-26	2024-25
Discount Rate (p.a.)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
Expected Rate of Return on Assets (p.a.)	7.85%	7.06%	7.59%	6.85%
Salary Escalation Rate (p.a.)	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%

In addition to the above, for the year 2025-26 the amount of Defined Benefit Obligation of Leave Encashment works out to ₹3.74 mn (Previous Year: ₹66.5 mn), which has been fully provided for.

- 26.** In terms of SEBI circular dated October 29, 2013, the contact details of the Debenture Trustee for various Bonds issued by Export-Import Bank of India are as given below:

DEBENTURE TRUSTEE

AXIS Trustee Services Ltd.

Designated Persons: Mr. Rahul Choudhary, Managing Director & Chief Executive Officer
Mr. Kumar Saminathan, General Manager & COO

Address:

Registered Office: Axis House,
Bombay Dyeing Mills Compound,
Pandhurang Budhkar Marg,
Worli Mumbai - 400 025

Corporate Office: The Ruby, 2nd floor, SW,
29 Senapati Bapat Marg,
Dadar West, Mumbai 400 028

Tel: (022) 62300451

Email: Debenturetrustee@axistrustee.in

Website: www.axistrustee.in

- 27.** The Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) was introduced as part of the ₹20 lakh crore comprehensive package announced by the Ministry of Finance, Government of India to aid the Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector in view of the economic distress caused by the COVID-19 pandemic. Under this scheme, the Bank supported its existing borrowers as per details below:

(₹ mn)								
Scheme	2025-26				2024-25			
	Sanction	Disbursed	Outstanding		Sanction	Disbursed	Outstanding	
			No. of Borrowers	Amount			No. of Borrowers	Amount
ECLGS 1.0	-	-	2	44.85	-	-	3	60.00
ECLGS 2.0	-	-	7	151.20	-	-	9	320.00
ECLGS 3.0	-	-	1	165.00	-	-	1	220.00
Grand Total	-	-	10	360.97	-	-	13	600.00

(₹ mn)

28. Indian Accounting Standards (Ind AS)

Pursuant to RBI's press release on reorganisation of the regulatory instructions dated November 28, 2025, the preparation and submission of the Proforma Ind AS Financials is no longer applicable to Exim Bank.

29. New Labour Codes:

The Government of India consolidated multiple existing labour laws into a unified framework of four Labour Codes, collectively referred to as the "New Labour Codes," on November 21, 2025. The actuarial valuation report has duly considered the impact of these changes, which is not expected to be significant. The impact estimates will be further reassessed and finalised upon the issuance of final rules and in alignment with evolving industry practices.

30. Disclosure on Co-Lending Arrangements (CLA):**Parameter to be Disclosed (on aggregate basis)**

Particulars	As on March 31, 2026
Quantum of CLAs	
No. of loans :	-
Amount of loans :	-
Weighted Average Rate of Interest	-
Fees Charged	-
Fees Paid	-
Industry / Sector	-
Performance of Loans	-
Default Loss Guarantee details	-

31. Disclosures relating to Securitisation:**(₹ mn)**

Sr. No.	Particulars	FY2025-26	FY 2024-25
1.	No. of SPEs holding assets for securitisation transactions originated by the originator (only the SPVs relating to outstanding securitisation exposures to be reported here)	-	-
2.	Total amount of securitised assets as per books of the SPEs	-	-
3.	Total amount of exposures retained by the originator to comply with MRR as on the date of balance sheet	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	• First loss		
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	• First loss		
	• Others		
4.	Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR	-	-
	a) Off-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	b) On-balance sheet exposures		
	i) Exposure to own securitisations		
	• First loss		
	• Others		
	ii) Exposure to third party securitisations		
	• First loss		
	• Others		

(₹ mn)

Sr. No.	Particulars	FY2025-26	FY 2024-25
5.	Sale consideration received for the securitised assets and gain/loss on sale on account of securitisation	-	-
6.	Form and quantum (outstanding value) of services provided by way of, liquidity support, post-securitisation asset servicing, etc.	-	-
7.	Performance of facility provided. Please provide separately for each facility viz. Credit enhancement, liquidity support, servicing agent etc. Mention percent in bracket as of total value of facility provided. (a) Amount paid (b) Repayment received (c) Outstanding amount	-	-
8.	Average default rate of portfolios observed in the past. Please provide breakup separately for each asset class i.e., RMBS, Vehicle Loans etc	-	-
9.	Amount and number of additional/top up loan given on same underlying asset. Please provide breakup separately for each asset class i.e., RMBS, Vehicle Loans, etc.	-	-
10.	Investor complaints (a) Directly/Indirectly received and; (b) Complaints outstanding	-	-

Note - Separate table for 'Simple, Transparent and Comparable' (STC) and non-STC transactions shall be provided

32. Disclosure on Project Finance:

Sr. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (₹ mn) #
1.	Projects under implementation accounts at the beginning of the year.	39	57,325.60
2.	Projects under implementation accounts sanctioned during the year.	37	17,144.02
3.	Projects under implementation accounts where DCCO has been achieved during the year.	17	35,901.42
4.	Projects under implementation accounts at the end of the year. (1+2-3)	54*	34,467.10
5.	Out of '4' - accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked.	6^	1,709.44
5.1	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
5.2	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation.	1	969.10

Sr. No.	Item Description	Number of accounts	Total outstanding (₹ mn) #
5.3	Out of '5' - accounts in respect of which Resolution plan has failed.	-	-
6	Out of '5', accounts in respect of which resolution process involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked due to change in scope and size of the project.	-	-
7	Out of '5', account in respect of which cost overrun associated with extension in original/extended DCCO, as the case may be, was funded	-	-
7.1	Out of '7', accounts where SBCF was sanctioned during financial closure and renewed continuously	-	-
7.2	Out of '7', accounts where SBCF was not pre-sanctioned or renewed continuously	-	-
8	Out of '4' - accounts in respect of which resolution process not involving extension in original/extended DCCO, as the case may be, has been invoked	-	-
8.1	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has been implemented.	-	-
8.2	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan is under implementation	-	-
8.3	Out of '8' - accounts in respect of which Resolution plan has failed	-	-

only sanctioned and disbursed cases

* Excluding cases which have been prepaid/repaid or limit is cancelled during the year

^ Excludes cases which have achieved SCOD and deemed SCOD during the year and includes 3 cases where DCCO has been extended prior to 1st October 2025 and 3 cases where DCCO has been extended after 1st October 2025.

Note: The above accounts have been considered irrespective of the asset classification of the account.**33. Disclosure on Government Security Lending (GSL) Transactions (In Market Value Terms):****Current Year**

	(₹ mn)				
	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on March 31, 2026	Total Volume of Transactions during the Year
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

Previous Year

(₹ mn)

	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily average outstanding during the Year	Outstanding as on March 31, 2025	Total Volume of Transactions during the Year
Securities lent through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities borrowed through GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities placed as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-
Securities received as collateral under GSL transactions	-	-	-	-	-

34. Disclosure on Non-Fund Based (NFB) Credit Facilities:

(₹ mn)

Particulars	As at March 31, 2026 Secured* Portion	As at March 31, 2026 Unsecured Portion	As at March 31, 2025 Secured* Portion	As at March 31, 2025 Unsecured Portion
I. Outstanding Guarantees				
i) In India	29,023.13	1,344.24	33,456.60	15,531.58
ii) Outside India	9,677,743	12,134.65	95,687.67	10,360.97
II. Acceptances, Endorsements and other Obligations				
III. Other NFB Credit facilities	22,303.54	3,560.16	13,801.85	474.37

*Secured portion is as defined under Reserve Bank of India (All India Financial Institutions - Credit Facilities) Directions, 2025.

35. Previous year's figures have been regrouped / re-arranged, wherever necessary.

'Notes to Accounts' attached.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Mumbai
Dated : May 08, 2026

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Shri Sristiraj Ambastha

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

Shri Ashwani Kumar

Directors

DIRECTORS' REPORT

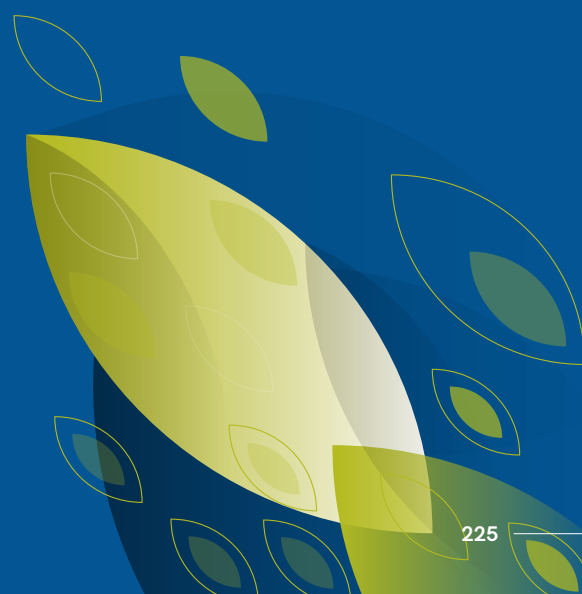
Export Development Fund (EDF)

The Department of Financial Services (DFS), Ministry of Finance conveyed the approval of the Central Government under Section 17(1) of the Exim Bank Act, for domiciling in the EDF, a Buyer's Credit Facility of ₹ 9 billion for extending to select Iranian banks for financing export of goods and services from India to Iran. Pursuant to receipt of all necessary approvals, the EDF, on December 23, 2014, concluded an umbrella Framework Agreement with seven Iranian banks for a Buyer's Credit Facility of ₹ 9 billion to finance the export of goods and services from India to Iran. The Buyer's Credit Facility to the Iranian banks was backed by a Sovereign

Guarantee of the Government of Iran. Subsequently, pursuant to approval from the Government of India, the Facility was enhanced up to ₹ 30 billion, for financing import of steel rails from India, and development of the Chabahar port in Iran.

Under the Framework Agreement, the first Contract for an aggregate value of ₹ 8.19 billion, for supply of 150,000 tons of steel rails from India to the Railways of the Islamic Republic of Iran was approved under the Buyer's Credit Facility. The NEIA Trust had provided Buyer's Credit (Comprehensive Risks) cover for the above facility covering the first Contract.

Disbursements aggregating ₹ 8.11 billion were made under the aforesaid Facility and the physical and financial completion have since been achieved under the Contract. Due to protracted default in the repayments, the cover from NEIA Trust was invoked and the entire principal outstanding under the aforesaid Facility was settled by the NEIA Trust during FY 2022-23. The amount outstanding under the facility as on March 31, 2026, was Nil.



INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,

The President of India

Report on the Audited Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of Export Development Fund of "Export-Import Bank of India" ("the Bank"), which comprise the Balance Sheet as at March 31, 2026 and the Profit and Loss account for the year then ended and notes to the Financial Statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the accompanying Financial Statements give the information required in accordance with Regulation 14 (i) of EXIM Bank of India General Regulations, 2020 and give a true and fair view, in conformity with the Accounting Standards notified by the Institute of Chartered Accountants of India ("the ICAI") and accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2026, and its profit for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by the ICAI. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the ICAI together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion on the Financial Statements.

Information other than the Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report, but does not include the Financial Statements and our auditor's report thereon. The Bank's Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the Financial Statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance / conclusion thereon. In connection with our audit of the Financial Statements, our responsibility is to read the other information identified above and, in doing so, consider whether the other Information is materially inconsistent with the Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed on the other information that we obtained prior to the date of this auditors' report, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard. When we read the Annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, then we will communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Management is responsible with respect to the preparation and presentation of these Financial Statements that give a true and fair view of the financial position and financial performance of the Bank in accordance with the EXIM Bank of India General Regulations, 2020, and accounting principles generally accepted in India including the Accounting Standards issued by ICAI, and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgements and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Financial Statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error .

In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless Government of India either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up as per Schedules I A and II A of the EXIM Bank of India General Regulations, 2020.

We further report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account dealt with by this Report are in agreement with Books of Account.
- The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.
- In our opinion, the aforesaid Financial Statements dealt with by this report comply with the applicable Accounting Standards.

For M K P S & Associates LLP

Chartered Accountants

FRN: 302014E/W101061

CA Ramakrishnan Mani

Partner

Mem. No. 032271

UDIN: 26032271MXWRGR5746

Place: Mumbai

Date: May 08, 2026

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

EXPORT DEVELOPMENT FUND

	This year (As at 31.03.2026) ₹	Previous year (As at 31.03.2025) ₹
LIABILITIES		
1. Loans:		
(a) From Government	-	-
(b) From Other Sources	-	-
2. Grants:		
(a) From Government	128,307,787	128,307,787
(b) From Other Sources	-	-
3. Gifts, Donations, Benefactions :		
(a) From Government	-	-
(b) From Other Sources	-	-
4. Other Liabilities	472,612,906	411,760,348
5. Profit and Loss Account	1,253,326,134	1,162,914,620
Total	1,854,246,827	1,702,982,755
ASSETS		
1. Bank Balances		
a) in current accounts	1,500,000	1,500,000
b) in other deposit accounts	1,406,429,824	1,293,181,817
2. Investments	-	-
3. Loans & Advances:		
(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-
4. Bills of Exchange and Promissory Notes Discounted, Rediscounted :		
(a) In India	-	-
(b) Outside India	-	-
5. Other Assets		
(a) Accrued interest on		
i) Loans and Advances	-	-
ii) Investments/bank balances	120,198,785	112,627,470
(b) Advance Income Tax paid	326,118,218	295,673,468
(c) Others	-	-
Total	1,854,246,827	1,702,982,755

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2026

EXPORT DEVELOPMENT FUND		
	This year (As at 31.03.2026)	Previous year (As at 31.03.2025)
	₹	₹
CONTINGENT LIABILITIES		
(i) Acceptances, Guarantees, endorsements & other obligations	-	-
(ii) On outstanding forward exchange contracts	-	-
(iii) On underwriting commitments	-	-
(iv) Uncalled Liability on partly paid investments	-	-
(v) Claims on the Bank not acknowledged as debts	-	-
(vi) Bills for collection	-	-
(vii) On participation certificates	-	-
(viii) Bills Discounted/ Rediscounted	-	-
(ix) Other monies for which the Bank is contingently liable	-	-

Note : The Bank has established Export Development Fund in terms of Section 15 of Export-Import Bank of India Act, 1981 (the Act). In terms of Section 17 of the Act, before granting any loan or advance or entering into any such arrangement, Exim Bank has to obtain the prior approval of the Central Government.

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Mumbai
Dated : May 08, 2026

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Shri Sristiraj Ambastha

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

Shri Ashwani Kumar

Directors

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2026

EXPORT DEVELOPMENT FUND

	This year (2025-26) ₹	Previous year (2024-25) ₹
EXPENDITURE		
1. Interest	-	-
2. Other Expenses	-	-
3. Provision or Loan Losses / Contingencies	-	-
4. Profit carried down	120,819,322	116,403,314
Total	120,819,322	116,403,314
Provision for Income Tax	30,407,807	29,296,386
Balance of profit/(Loss) transferred to Balance Sheet	90,411,515	87,106,928
	120,819,322	116,403,314
INCOME		
1. Interest and Discount		
(a) loans and advances	-	-
(b) investments / bank balances	120,819,322	116,403,314
2. Exchange, Commission, Brokerage and Fees	-	-
3. Other Income	-	-
4. Loss carried to Balance Sheet	-	-
Total	120,819,322	116,403,314
Profit / (Loss) brought down	120,819,322	87,106,928
Excess Income/Interest tax provision of earlier years written back	-	-
	120,819,322	87,106,928

For and on behalf of the Board

For **M K P S & Associates LLP**
Chartered Accountants
FRN: 302014E/
W101061

CA Ramakrishnan Mani
Partner
Mem No. 032271

Mumbai

Dated : May 08, 2026

Ms. Deepali Agrawal
Deputy Managing Director

Shri Sudhakar Dalela

Shri Arnab Kumar Chowdhury

Shri Tarun Sharma
Deputy Managing Director

Ms. Himani Pande

Shri Sristiraj Ambastha

Ms. Harsha Bangari
Managing Director

Dr. Abhijit Phukon

Shri Ashwani Kumar

Directors

HEAD OFFICE

Centre One Building, Floor 21, World Trade Centre Complex,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005.

Phone: (+9122) 22172600

E-mail: info@eximbankindia.in

Website: www.eximbankindia.in

DOMESTIC OFFICES

AHMEDABAD

Sakar II, 1st Floor, Next to Ellisbridge Shopping
Centre, Ellisbridge P.O.

Ahmedabad - 380 006

Phone: (+91 79) 26576852 / 26576843

E-mail: eximahro@eximbankindia.in

BENGALURU

Ramanashree Arcade, 4th Floor,
18, M.G. Road,

Bengaluru - 560 001

Phone: (+91 80) 25585755 / 25589101-04

E-mail: eximbro@eximbankindia.in

CHANDIGARH

C-213, 2nd Floor, Elante Offices,
Industrial Area Phase 1

Chandigarh - 160 002

Phone: (+91 172) 2997960-63

E-mail: eximcro@eximbankindia.in

CHENNAI

Overseas Towers, 4th & 5th Floor, 756-L,
Anna Salai

Chennai - 600 002

Phone: (+91 44) 28522830 / 28522831

E-mail: eximchro@eximbankindia.in

GUWAHATI

NEDFI House, 4th Floor, GS Road, Dispur,
Guwahati - 781 006

Phone: (+91 361) 2237607 / 609

E-mail: eximgro@eximbankindia.in

HYDERABAD

Golden Edifice, 2nd Floor, 6-3-639/640,
Khairatabad Circle

Hyderabad - 500 004

Phone: (+91 40) 23307816-21

E-mail: eximhro@eximbankindia.in

INDORE

Unit No. 800-802, 8th Floor, Maloo 01

Plot No 26, Scheme No 94 C Ring Road, Indore - 452010

Phone: (+91 731) 4137891

E-mail: eximiro@eximbankindia.in

KOLKATA

Vanijya Bhawan, 4th Floor (International
Trade Facilitation Centre), 1/1 Wood Street
Kolkata - 700 016

Phone: (+91 33) 68261301

E-mail: eximkro@eximbankindia.in

LUCKNOW

Unit No. 101, 102 & 103, 1st Floor
Shalimar Iridium

Vibhuti Khand, Gomti Nagar,

Lucknow - 226 010

Phone: (+91 522) 6188035

E-mail: eximlro@eximbankindia.in

MUMBAI

8th Floor, Maker Chamber IV

Nariman Point,

Mumbai - 400 021

Phone: (+91 22) 22861300

E-mail: eximmro@eximbankindia.in

NEW DELHI

Ground Floor, Statesman House,
148, Barakhamba Road,

New Delhi - 110001

Phone: (+91 11) 61242600 / 24607700

E-mail: eximndro@eximbankindia.in

PUNE

No. 402 & 402(B), 4th Floor,

Signature Building,

Bhamburda,

Bhandarkar Road, Shivajinagar,

Pune - 411 004

Phone: (+91 20) 26403000

E-mail: eximpro@eximbankindia.in

OVERSEAS BRANCH

LONDON

5th Floor, 35, King Street,
London - EC2V 8BB,
United Kingdom
Phone: (+44) 20 77969040
Email: eximlondon@eximbankindia.in

OVERSEAS OFFICES

ABIDJAN

5th Floor, Azur Building,
18-Docteur Crozet Road,
Plateau,
Abidjan,
Côte d'Ivoire
Phone: (+225) 27 20242951 / 37
E-mail: eximabidjan@eximbankindia.in

DHAKA

Madhumita Plaza Concord, 12th Floor,
Plot No. 11,
Road No. 11, Block G, Banani
Dhaka - 1213,
Bangladesh
Phone: (+880) 255042444
E-mail: eximdhaka@eximbankindia.in

DUBAI

Level 5, Tenancy 1B, Gate Precinct Building No. 3,
Dubai International Financial Centre,
P.O. Box No. 506541, Dubai,
United Arab Emirates
Phone: (+971) 4 3637462
E-mail: eximdubai@eximbankindia.in

JOHANNESBURG

2nd Floor, Sandton City Twin Towers East
SandhurstExt. 3, Sandton - 2196,
Johannesburg,
South Africa
Phone: (+27) 11 3265103 / 13
E-mail: eximjro@eximbankindia.in

NAIROBI

Unit 1.3, The Oval,
Jalaram Road, Westlands
Nairobi,
Kenya
Phone: (+254) 741757567
E-mail: eximnairobi@eximbankindia.in

SÃO PAULO

Unit - 1603, World Trade Center, Avenida das
Nações Unidas 12.551, São Paulo 04578-903,
Brazil
Phone: (+55) 11 3080 7561
E-mail: eximsaopaulo@eximbankindia.in

SINGAPORE

20, Collyer Quay, #10-02,
Singapore - 049319
Phone: (+65) 65326464
E-mail: eximsingapore@eximbankindia.in

WASHINGTON D.C.

1750 Pennsylvania Avenue NW,
Suite 1202,
Washington D.C. - 20006,
United States of America
Phone: (+1) 202 2233238
E-mail: eximwashington@eximbankindia.in



www.eximbankindia.in

